

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

<i>BORROWER'S No.</i>	DUE DATE	SIGNATURE

भारतीय संविधान तथा नागरिकता

(माध्यमिक शिक्षा परिषद्, यू० पी० द्वारा स्वीकृत)

ग्रन्थम् सशोधित संस्करण



लेखक

अम्बादत्त पत एम० ए०

राजनीति विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय।

१९५६

मूल्य ४ ५० रुपया

प्रकाशक

सेन्ट्रल बुक डिपो

इलाहाबाद

प्रकाशक :
सैन्द्रल बुक डिपो,
इलाहाबाद ।

प्रथम संस्करण	१९५१
द्वितीय संस्करण	१९५३
तृतीय संस्करण	१९५४
चतुर्थ संस्करण	१९५५
पंचम संस्करण	१९५६
षष्ठ संस्करण	१९५७
सप्तम संस्करण	१९५८
अष्टम् संस्करण	१९५९

मुद्रक :
वैनगाडे प्रेस,
इलाहाबाद ।

अष्टम् संस्करण की भूमिका

इस पुस्तक में अनेक स्थानों पर परिवर्तन तथा सुधार कर दिये गये हैं। महापत्रिका अधिनियम (१९५०) के अनुसार उत्तर प्रदेश में जिन महापत्रिकाओं की स्थापना होगी उनके संगठन आदि का वर्णन विस्तारपूर्वक कर दिया गया है। राजनैतिक क्षेत्र में भी जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं उनका समावेश कर दिया गया है। आशा है अध्यापक तथा विद्यार्थी पूव की ही भाँति पुस्तक का स्वागत करगें।

३० जून १९५९

अम्बादत्त पंत

प्रथम संस्करण की भूमिका

पुस्तक मुरपत इटरमीडिएट बाड के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है परंतु यह आशा है कि जनसाधारण के लिए भी सविधान विषयक मुख्य मुख्य बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

सविधान में जुलाई १९५१ तक जो कुछ परिवर्तन तथा संशोधन हुए हैं और निर्वाचन सम्बन्धी जिन नियमों की रचना हुई है उनका पुस्तक में समावेश किया गया है। इसके पश्चात् जो कुछ नये नियम बनेंगे, विद्यार्थियों के लाभ के लिए उनका भी यथासक्ति तथा यथाशीघ्र परिशिष्ट रूप में अलग प्रकाशित करने का विचार है। राष्ट्रपति के अधिकारों की विवक्षता करते हुये उनके अस्थायी अधिकारों का वर्णन इस कारण कर दिया गया है जिससे यह ज्ञात हो जाय कि सविधान आरम्भ होते समय संधीय कार्यकारिणी का क्या-क्या अधिकार दिये गये थे।

सविधान के प्रतिरिक्त भारतीय नागरिक जीवन की मुख्य समस्याओं का भी सक्षिप्त वर्णन किया गया है।

इस पुस्तक को लिखने में कई प्रामाणिक ग्रन्थों से सहायता ली गई है। उन सबके लेखकों तथा प्रकाशकों का लेखक अत्यन्त धन्यारी है। मुख्य-मुख्य ग्रन्थ जिनके सहायता ली गई है, निम्नोक्त हैं—G. N. Singh: Landmarks in Indian Constitutional and National Development; Punnaiah Constitutional History of India; Sitarammaya: History of the Indian National Congress; Smith, W. C.: Modern Islam in India; Joshi G. N.: Constitution of India; M. P. Sharma: Constitution of the Indian Republic; D. D. Basu: A Commentary on the Constitution of India; Amar Nandi: The Constitution of India; Farquhar: Modern Religious Movements in India; Yusuf Ali: A Cultural History of India; Nurullah and Naik: A Student's History of Education in India तथा India and Pakistan Year Book 1950.

इस बात का पूरा प्रयत्न किया गया है कि पुस्तक में किसी प्रकार की असुविधा न रहे, अगर कोई असुविधा रह गई हो तो लेखक पाठकों से क्षमा प्रार्थना करता है। अगर कोई पाठक किसी दोष अथवा त्रुटि की ओर लेखक का ध्यान आकर्षित करेंगे तो वह उनका अत्यन्त कृतज्ञ होगा।

विषय-सूची

अध्याय १ भारत का संविधानिक विकास—अंग्रेजी साम्राज्य का प्रारम्भ—
 पार्लियामेन्ट के नियंत्रण का प्रारम्भ—१८५७ का विद्रोह—गवर्नमेन्ट
 प्राव इंडिया ऐक्ट—अंग्रेजी शासन का द्वितीय काल—सन् १८६१ का
 ऐक्ट—१८९२ का इन्डियन कौंसिल ऐक्ट—१९०९ का इन्डियन
 कौंसिल ऐक्ट—सन् १९१७ की घोषणा—मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड
 योजना—अंग्रेजी शासन का तृतीय काल—साइमन कमीशन—१९३५
 का गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया ऐक्ट—सभ निर्माण—अधिकार विभाजन—
 सभ सरकार—प्रान्तीय सरकार—गृह सरकार—ऐक्ट का कार्यान्वित
 होना—१९३५ व ऐक्ट के दोष—अंग्रेजी शासन का अन्तिम
 काल—८ अगस्त १९४० की घोषणा—क्रिप्स योजना—भारत छोड़ो
 आन्दोलन—वैबेल योजना—नये चुनाव—कैबिनेट मिशन—
 अन्तर्वालीन सरकार की स्थापना—लीग का असहयोग—१९४७ का
 स्वतन्त्रता बानून । पृष्ठ १

अध्याय २ संविधान निर्मात्री सभा तथा इसका कार्य—संविधान सभा—
 भारत में संविधान सभा की माँग—कैबिनेट मिशन के संविधान
 सभा के ऊपर सुझाव—१५ जुलाई १९४७ का ऐक्ट—संविधान सभा
 का कार्य । पृष्ठ ३०

अध्याय ३ भारत के संविधान की विशेषताएँ—संविधान के स्रोत—
 लिखित तथा निमित्त विधान—विशाल स्वरूप—लोकतन्त्रात्मक
 संविधान—सघातमक सरकार तथा दक्षिणशाली केन्द्र—सासद पद्धति
 —सशोधन की विधि—धर्म निरपेक्ष शासन की स्थापना—मूल
 अधिकार—स्वतन्त्र-न्यायपालिका—उदार संविधान—भारत तथा
 राष्ट्र मण्डल की सदस्यता । पृष्ठ ३८

अध्याय ४ : भारत-संघ तथा इमका राज्य-क्षेत्र—सघ की परिभाषा—संघ सरकार के लक्षण—सघ सरकार के लिये आवश्यक दगाएँ—भारत में सघात्मक सरकार के लक्षण—भारत सघ के विशेष लक्षण—क्या भारत का विधान सघात्मक है—क्या भारत में संघ सरकार की स्थापना उपयुक्त है—संविधान में संशोधन की व्यवस्था—भारत का राज्य होना—राज्य-पुनर्गठन के पूर्व व्यवस्था—'क', 'ख', 'ग', 'घ', वर्ग के राज्य—रियासतें तथा ससमाट—रियासतों में शासन प्रबंध—देशी रियासतें तथा भारत संघ—रियासतों में स्वतन्त्रता आन्दोलन—१९६७ के पश्चात् रियासतों की स्थिति—नरेशों का प्रिन्सीपल पर्सनल वर्ग के राज्य—राज्यपुनर्गठन—कांग्रेस तथा पुनर्गठन का प्रश्न—आयोग की रिपोर्ट—इकाइयों का मूल रूप—राज्य पुनर्गठन विधेयक—भारत संघ के राज्य। पृष्ठ ५७

अध्याय ५ : भारतीय नागरिकता—नागरिकता का अर्थ—भारतीय नागरिकता—नागरिक कौन है—नागरिकता पर प्रतिबन्ध—नागरिकता अधिनियम (१९५५)—नागरिकता का लोप। पृष्ठ ९७

अध्याय ६ : नागरिकों के मूल अधिकार—मूल अधिकारों का अर्थ तथा प्रयोजन—उमता का अधिकार—स्वातन्त्र्य अधिकार—शोषण के विरुद्ध अधिकार—धर्म स्वातन्त्र्य का अधिकार—सांस्कृतिक और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार—सम्पत्ति का अधिकार—संविधानिक उपचारों के अधिकार—मूल अधिकारों का निरुन्धन—मूल अधिकारों पर झालोचनात्मक दृष्टि। पृष्ठ १०४

अध्याय ७ : राज्य की नीति के निर्देशके तत्व पृष्ठ ११८

अध्याय ८ : संघीय कार्यपालिका: राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति—राष्ट्रपति का निर्वाचन—राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएँ—पदाविधि—रिक्त-स्थान पूर्ति—महाभियोग—राष्ट्रपति के अधिकार—अस्थायी अधिकार

—साधारण कालीन अधिकार—सकट कालीन अधिकार—भारतीय राष्ट्रपति की कुछ अन्य देश के प्रधानों से तुलना—संविधान में राष्ट्रपति की स्थिति—वैधानिक प्रधान की आवश्यकता—उपराष्ट्रपति । पृष्ठ १२६

अध्याय ६ सघीय कार्यपालिका मन्त्रिपरिषद्—मन्त्रिपरिषद् का निर्माण—वर्तमान मन्त्रिपरिषद्—मन्त्रिपरिषद् का काम—प्रधान मन्त्री के काम तथा उसका महत्व—मन्त्रिपरिषद् तथा लोक सभा—मन्त्रिपरिषद् तथा राष्ट्रपति—मन्त्रिपरिषद् में विभिन्न विभाग—भारत का महान्यायवादी । पृष्ठ १५३

अध्याय १० सघीय व्यवस्थापिका—संविधान के अनुसार ससद का संगठन राज्य-परिषद्—सदस्यता के लिए योग्यताएँ—अवधि—सभापति तथा उप सभापति—लोक सभा—निर्वाचन की विशेषताएँ—निर्वाचन के लिये प्रबन्ध—सदस्यता की योग्यता—अवधि—लोक सभा के पदाधिकारी—गणपूर्ति—ससद की कार्यवाही—ससद के अधिकार—विधान प्रक्रिया—ससद पर आलोचनात्मक दृष्टि—परिशिष्ट । पृष्ठ १७०

अध्याय ११ राज्यों का शासन—स्वयत्त राज्यों का शासन—राज्यपाल—नियुक्ति—पद की योग्यताएँ—अधिकार—मन्त्रिपरिषद्—मन्त्रिपरिषद् का काम—राज्यपाल तथा मन्त्रिपरिषद् में सम्बन्ध—महाधिवक्ता—व्यवस्थापिका—विधान परिषद्—पदाधिकारी—विधान सभा—पदाधिकारी—राज्यों में विधान सभाओं की सदस्य सख्या—वैधानिक व्यवस्था—सघीय क्षेत्रों की शासन व्यवस्था । पृष्ठ १९८

अध्याय १२ न्यायपालिका—उच्चतम न्यायालय—योग्यताएँ—वेतन—शपथ—स्वतन्त्रता—स्थान—अभिलेख न्यायालय—अधिकार—राज्यों की न्यायपालिका—उच्च न्यायालय—क्षेत्राधिकार—दंड न्यायालय—

व्यवहार न्यायालय—माल की मद्रास—पंचायती मद्रासत । पृष्ठ २२३

अध्याय १३ : जिले का शासन प्रबन्ध—जिलाधीश—जिलाधीश के अधिकार—जिलाधीश के अधिकारों की सीमा—जिले के भाग—टिबीजन-पुलिस का प्रबन्ध—जेल विभाग । पृष्ठ २३६

अध्याय १४ : स्थानीय संस्थाएँ—महत्व—ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—अंग्रेजी काल—स्पानीय संस्थाओं के स्वरूप—नगर निगम—गाँव परिषदों की स्थापना—महानगर अधिकारी—महापालिका के वर्तमान तथा अधिकार—महापालिका की भाषा के साधन—मुनिसिपैलिटी—संगठन—पदाधिकारी—समितियाँ—कार्य—भाषा-व्यय—सरकारी निरीक्षण—समस्याएँ—टाउन एरिया बोर्ड—इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट—कैम्पूमेंट बोर्ड—पोर्ट ट्रस्ट—जिला बोर्ड—जिला बोर्डों का संगठन—जिला बोर्डों के कार्य—पार्षद पद्धति—बोर्डों का भाषा तथा व्यय—सरकारी निरीक्षण—जिला-परिषद—गाँव पञ्चायत—गाँव सभा—पञ्चायत के कार्य—अधिकार—गाँव बोर्ड—ग्राम पञ्चायत—सरकारी निरीक्षण—भारतीय स्थानीय मंत्रियों पर एक दृष्टि । पृष्ठ २४५

अध्याय १५ : सरकारी नौकरियों—भारतीय नौकरियों का अंग्रेजी काल में विकास—लोक सेवा आयोग—सेवा आयोग के कर्तव्य—अंग्रेजी काल में सेना का संगठन—वर्तमान सैनिक संगठन—सैनिक शिक्षा की व्यवस्था । पृष्ठ २८३

अध्याय १६ : संघ तथा राज्यों में अधिकार विभाजन तथा सम्बन्ध—विधायनी सम्बन्ध—संघ सूची—राज्य सूची—समवर्ती सूची—संघ तथा राज्यों में प्रशासन सम्बन्ध—संघ तथा राज्यों में वित्तीय सम्बन्ध—संविधान द्वारा स्थापित वित्त-स्वरथा—राज्य सरकारों को संघ की सहायता—संघ द्वारा राज्यों को अनुदान—वित्त आयोग—संघ तथा राज्यों में कर वितरण आदि का वर्तमान प्रबन्ध—वित्त आयोग की सिफारिशों—'ख' भाग के राज्यों के कुछ वित्तीय विषयों में करार—संज्ञित, निम्न, १, पृष्ठ ३९९.

अध्याय १७ अनुसूचित क्षेत्रों तथा जन-जातियों के लिये विशेष प्रबन्ध—
इनका शासन—जन-जाति मनना परिषद्—आसाम के जनजाति
क्षेत्र—राज्यों के जन जाति क्षेत्रों का शासन—परिषद् के अधि-
कार—जांच आयोग—संविधान में जन जातियों तथा जन-जाति क्षेत्रों
के बारे में विशेष उपबन्ध—कुछ वर्गों के लिये विशेष उपबन्ध—पिछड़े
वर्गों के लिये कमीशन। पृष्ठ ३१५

अध्याय १८ राजभाषा—हिन्दी भाषा के लिये आयोग—प्रादेशिक भाषाएँ—
उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा। पृष्ठ ३२६

अध्याय १९ : राष्ट्रीय जागृति—अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव—देश में एकता
की स्थापना—आर्थिक कारण—समाचार पत्र—साहित्य-अंग्रेजों की
भारत में प्रति घृणा—लाड' लिटन का शासन—इलवर्ट विल—राजनै-
तिक आन्दोलन का विकास—मुसलमानों का संगठन—मिन्टो-मार्ले
सुधार तथा प्रथम महायुद्ध—गांधी युग तथा जन आन्दोलन—
असहयोग आन्दोलन—साम्प्रदायिक दंगे—स्वराज्य पार्टी—साईमन
कमीशन—नेहरू रिपोर्ट—सविनय अवज्ञा आन्दोलन—गोलमेज सभा
तथा गांधी इरविन समझौता—मैकडोनाल्ड एवार्ड तथा पूना पैक्ट—
तीसरी गोलमेज सभा—आन्दोलन का अन्त और कोसिल प्रवेश—
१९३५ का ऐक्ट—कांग्रेस में मतभेद—द्वितीय महायुद्ध—आजाद
हिन्द सेना—नेताओं की रिहाई तथा बैबेल प्रस्ताव—कैबिनेट मिशन
तथा अन्तर्कालीन सरकार की स्थापना—लन्दन कांग्रेस तथा १९४५
का ऐक्ट—परिशिष्ट—देशी राज्यों में राष्ट्रीय जागृति—साम्यवाद
का जन्म। पृष्ठ ३२९

अध्याय २० भारत में राजनैतिक दल—राजनैतिक दलों का महत्त्व—अखिल
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस—कांग्रेस के उद्देश्य—प्रजा-समाजवादी दल—
समाजवादी दल—वामपक्षी—समाजवादी—साम्यवादी दल—अन्य

दामरशी दल—लिबरल पार्टी—साम्प्रदायिक दल—हिन्दू महासभा—
सिखों के दल—मुस्लिम लीग तथा अन्य मुस्लिम दल । पृष्ठ ३६१

अध्याय २१ : धर्म तथा धार्मिक आन्दोलन—धर्म तथा जीवन में इसका
महत्व—भारतीय जीवन में धर्म—हिन्दू धर्म—जैन धर्म—बौद्ध धर्म—
इस्लाम धर्म—मिक्ल धर्म—ईसाई धर्म—भारतीय धर्म—धार्मिक सुधार
आन्दोलन—ब्रह्म समाज—प्रार्थना समाज—आर्य समाज—विद्योत्तो-
किकल समाज—रानडूण मिशन—अन्य आन्दोलन—मुस्लिम सुधार
आन्दोलन । पृष्ठ ३७९

अध्याय २२ : भारतीय समाज की समस्याएँ तथा उनके सुधार—
वर्ष व्यवस्था—अछूतों की समस्या—हरिजन सुधार आन्दोलन—
संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली—संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली के लाभ तथा
हानि—स्त्रियों की समस्या—वाल-विवाह—रहू-विवाह—दहेज प्रथा—
विधवा विवाह—बूढ़ विवाह—समाज में नारी का स्थान—सुधार
आन्दोलन—स्त्रियों की प्रमुख समस्याएँ—स्त्रियों की माँगें—हिन्दू कोड
बिल—अन्य सम्प्रदायों का सामाजिक जीवन । पृष्ठ ४०२

२३ : भारत की आर्थिक अचरथा—नरीयो—भारत के प्राकृतिक
साधन—भारत की निर्धनता के कारण—कृषि—कम उर्ज के कारण
गाँव का जीवन तथा उनकी समस्याएँ—सुधार के उपाय—भू-दान
आन्दोलन—उद्योग-धंधे—भारत में उद्योग-धंधों का विकास—गृह-
उद्योग—कुछ मुख्य गृह-उद्योग—गृह उद्योगों के मार्ग में कठिनाइयाँ
तथा उनकी उन्नति के उपाय—द्वितीय योजना तथा गृह उद्योग—बड़े
उद्योग-धंधे—औद्योगीकरण से लाभ—देश में प्रमुख बड़े उद्योग धंधे—
औद्योगिक विकास की योजना—राष्ट्रीयकरण—भारतीय श्रमिक तथा
उनकी समस्याएँ—व्यापार—यातायात—भारत में बेकारी—ग्रामीण
क्षेत्र में बेकारी—नगरो में बेकारी—बेकारी दूर करने के उपाय—
पंचवर्षीय योजनाएँ तथा बेकारी की समस्या का हल—विभाजन का

आर्थिक परिणाम—प्रथम पंचवर्षीय योजना—द्वितीय पंचवर्षीय योजना—सामूहिक योजनाएँ । पृष्ठ ४२८

अध्याय २४ शिक्षा समस्याएँ तथा सुधार—शिक्षा का जीवन में स्थान—भारत में शिक्षा का इतिहास—शिक्षा विभाग का संगठन—वर्तमान शिक्षा व्यवस्था—विश्वविद्यालय—विश्वविद्यालय का संगठन—अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड—उच्च शिक्षा में दोष तथा सुधार के उपाय—विश्वविद्यालय आयोग—टेकनिकल तथा औद्योगिक शिक्षा—अन्य समस्याएँ—हमारी शिक्षा समस्याएँ—जन शिक्षा—वर्षा योजना—साजेंट योजना—स्त्री शिक्षा—सह शिक्षा । पृष्ठ ४८८

अध्याय २५ : भारत और सयुक्त राष्ट्र संघ—सयुक्त राष्ट्र संघ—उद्देश्य—साधारण सभा—सुरक्षा परिषद्—अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय—सचिवालय—आर्थिक तथा सामाजिक परिषद—सुरक्षण परिषद्—विशेष एजेन्सियाँ—भारत तथा सयुक्त राष्ट्र संघ—भारत की पर-राष्ट्र नीति के आधार—भारत का अन्य देशों से सम्बन्ध—यूरोपीय देश—सयुक्त राष्ट्र अमेरिका—भारत का एशिया के देशों से सम्बन्ध । पृष्ठ ५१२

अध्याय १

भारत का संविधानिक विकास

यह कथन अत्यन्त ही सत्य है कि इतिहास राज्या तथा शासन-तन्त्र का स्रष्टा है। संविधान का निर्माण भी वास्तव में इतिहास के द्वारा ही होता है। इसमें यह तात्पर्य है कि प्रत्येक संविधान कुछ विशेष परिस्थितियों का फल होता है और इन परिस्थितियों का जन्म इतिहास का फल है। अतएव यह आवश्यक है कि हम अपने देश के वर्तमान संविधान को उचित रूप से समझने के लिये उस विकास-क्रम का अध्ययन करें जिसका कि यह फल है। भारत के नवीन संविधान का जन्म २६ जनवरी १९५० में हुआ। परन्तु प्रत्येक देश का इतिहास एक इकाई होता है। इसलिये इस संविधान का पूर्णरूपेण समझने के लिये हम भारत के इतिहास पर प्रारम्भ से ही दृष्टिपात करना चाहिये। यह उचित ही जाना कि हम प्राचीन काल में ही भारतीय राजनैतिक संगठन के विविध स्वरूपों के उपर दृष्टिपात करते और इस प्रकार वर्तमान का भूत में सम्मिलित स्थापित करते। परन्तु विस्तार-मय से ऐसा करना सम्भव नहीं। हम केवल अत्यन्त संक्षेप में आधुनिक काल में भारत के संविधानिक विकास का वर्णन करेंगे।

आधुनिक काल का प्रारम्भ भारतीय इतिहास में ईस्ट इण्डिया कम्पनी तथा अंग्रेजी शासन की स्थापना से जाना है। अंग्रेज भारत में व्यापार के हेतु आये थे और इसी उद्देश्य से सन् १६०० में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना की गई थी। अंग्रेज व्यापारियों ने सत्रहवीं शताब्दी में मद्रास, बम्बई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई तथा बंगाल में अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित कीं। अंग्रेजों का भारत में पुनर्जीव तथा उच्च व्यापारियों के द्वारा विरोध किया गया।

प्रारम्भ में अंग्रेजों का उद्देश्य केवल व्यापार था। परन्तु सत्रहवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में उनकी नीति में परिवर्तन होने लगा। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भूमि-विजय की नीति अपनाई। इसका यह फल हुआ कि कालान्तर में कम्पनी एक व्यापारिक संगठन न रहकर एक प्रशासनिक शक्ति हो गई।

अंग्रेजी साम्राज्य का प्रारम्भ — अठारहवीं शताब्दी में अनेक कारणों से अंग्रेजी शक्ति के अभ्युदय में सहायता पहुँचाई। पुनर्गठन तथा हाल्लेण्ड की

शक्ति क्षीण हो गई थी, इसलिए भारत में वे अंग्रेजों का मामला नहीं कर सके। फ्रान्स ने भी भारत में व्यापारिक कम्पनी स्थापित कर ली थी तथा अंग्रेजों की ही भांति फोन्स कम्पनी भी नाभ्राज्य स्थापना के स्वप्न देख रही थी। परन्तु अठारहवीं शताब्दी में फ्रान्स का राजतंत्र घमसान हो गया था, इसलिए भारत में फ्रांसीसी कम्पनी को पूरी सहायता नहीं मिल सकी। भारत में मुगल साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया था। देश में जिन-जिन नवाब तथा राजा को अकबर मिला वह स्वाधीन होता चला गया, अराजकता फैलने लगी तथा इन राज्यों में द्वेष, वधमय तथा लोभ के कारण युद्ध होने लगे।

इन राज्यों में साधारण जनता की स्थिति सोचनीय थी। अंग्रेज व्यापारियों ने इस अवसर में पूरा लाभ उठाया। भारतीय नरेशों का मैनिफेस्टो तथा युद्धकला पिछड़ी अवस्था में थी।¹ उपर्युक्त कारणों से अंग्रेजों को साम्राज्य स्थापना में सफलता मिली।

१७५७ ई० में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के ऊपर सफलता प्राप्त की। १७६३ ई० के पञ्चात् फ्रान्स को भारत में साम्राज्य के अधुर-स्वप्न त्याग देने पड़े। अंग्रेजों ने इस समय तक कई नामको पर, जैसे तञ्जौर, कर्नाटक, हैदराबाद, बंगाल आदि, अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था तथा कुछ भू-भाग पर अपना अधिकार जमा लिया था। इसके दूमेरे वर्ष ही अंग्रेजों ने मुगल-साम्राट तथा नवाब अवध को अकबर की लड़ाई में हराया तथा इस विजय के फलस्वरूप बंगाल, बिहार व मिदनापुर की दीवानी मिली। इस प्रकार भारत में अंग्रेजी शासन का आरम्भ हुआ।²

1. Clive ने लिखा है "The Moors and the Hindoos are indolent, luxurious, ignorant and cowardly beyond all conception. The soldiers, if they deserve that name, have not the least attachment to their Prince, he only can expect service who can pay them best, but it is a matter of indifference whom they serve."

2. "The beginning of our Indian rule dates from the second Governorship of Clive, as our military supremacy had dated from his victory at Plassey. Clive's main object was to obtain the substance, though not the name, of territorial power, under the fiction of a grant from the Mogul Emperor. This object was obtained by the grant from Shah Alam of the Diwani or fiscal administration of Bengal, Bihar and Orissa." Ilbert, Government of India, pp. 37-38.

पार्लियामेंट के नियन्त्रण का प्रारम्भ (१७७३-१८५८) — कम्पनी के शासन के प्रारम्भिक वर्षों में जनता का निदयतापूर्वक शापण हुआ जिसके फल-स्वरूप बग़ाज में दुर्भिक्ष पडा। इन दावा के कारण इंग्लैंड में यह माँग उठने लगी कि पार्लियामेंट कम्पनी के कामों में हस्तक्षेप करे। सर्वप्रथम सन १७६७ में पार्लियामेंट ने पाँच कानून बनाये परन्तु इनसे कम्पनी की स्थिति में कोई परिवर्तन नही हुआ आपनु यह विगडनी ही चली गई। सन १७७३ में कम्पनी ने पार्लियामेंट से ऋण-माचना की। इस अवसर में यह उठाकर पार्लियामेंट ने कम्पनी के प्रबन्ध में सधार की दृष्टि से सर्वोत्तम पाग क्रिय। प्रथम ऐक्ट के द्वारा पार्लियामेंट ने कम्पनी का १ ६०० ००० पौंड का ऋण ४% व्याज की दर से दिया। दूसरे ऐक्ट के द्वारा पार्लियामेंट ने भारत में कम्पनी के संगठन तथा शासन-व्यवस्था में परिवर्तन किये। इस ऐक्ट का नाम रैग्युलेटिंग ऐक्ट है। इसका बहुत वैधानिक महत्व है।

रैग्युलेटिंग ऐक्ट का उद्देश्य अच्छा था परन्तु व्यवहार में यह सफल न हो सका क्योंकि इसके द्वारा एक दायरी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। इनके दावा का दूर करने के लिये सन १७८१ में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक सशोधन कानून पाम किया। पिछे के प्रधानमन्त्रित्व काल में सन् १७८४ में इन्डिया ऐक्ट पाम किया गया। इस ऐक्ट का उद्देश्य कम्पनी को ब्रिटिश सरकार के पणतया अधीन करने का था।^१

कम्पनी एक व्यापारिक मस्या के साथ साथ एक प्रशासकीय शक्ति भी हा गई थी। भारत तथा चीन में कम्पनी का व्यापारिक एकाधिकार था। सन १८१३ में भारत तथा सन १८३३ में चीन में इस एकाधिकार का ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा अन्त कर दिया गया। इन प्रकार कम्पनी पूर्णत एव शासन

1 "The Act of 1773 is of great constitutional importance because it definitely recognised the political functions of the Company, because it asserted for the first time the right of Parliament to dictate the form of government in what were considered till then the private possessions of the company and because it is the first of the long series of Parliamentary
" G N
National

सस्था हो गई। सन् १८३३ में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह घोषित किया कि भारत में जो कुछ कम्पनी के अधिकार हैं उनके पचापं स्वामी ब्रिटिश सम्राट तथा उसके उत्तराधिकारी हैं। सन् १८५३ के अध्यादेश में यह कहा गया कि भारत की भूमि तथा धर्म तथा धर्म के लिये कम्पनी को प्रदान किये जाते हैं जब तक कि पार्लियामेंट कोई अन्य आदेश न दे। इसने यह स्पष्ट था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत में कम्पनी के शानन को अन्त करने का नाच रही थी।^१

१८५७ का विद्रोह:—कम्पनी का राज्य भारत में स्थापित हो गया था। कई भारतीय अरेशों को पद-विद्रोह कर दिया गया था। भारतीय जनता को भावनाओं का कोई आधार नहीं था और न यह जानने की कोई चेष्टा की गई थी कि भारतीय जनता कम्पनी के राज्य से मनुष्य है अथवा मनुष्य। इन सब बातों का फल यह हुआ कि अन्तर्गत बढ़ने लगा और सन् १८५७ में विद्रोह फूट पड़ा। इसने एक समय तो विदेशी शासन की जड़ हिला दी थी पर अन्त में भारतीयों की आपसी फूट के कारण यह अन्त रहा।

गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ऐक्ट:—इन विद्रोह के पश्चात् अंग्रेजी सरकार ने कम्पनी के हाथ से समस्त शक्ति छीन लेने का निश्चय किया और इस प्रकार द्वैध-शासन का, जिसका प्रारम्भ सन् १७७३ में हुआ था, अन्त हुआ। कम्पनी ने पूरा प्रयत्न किया कि उसकी शक्ति न छीनी जावे और इस उद्देश्य से पार्लियामेंट के दोनों भवनों का भावेदन-पत्र भी दिया, परन्तु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। सन् १८५८ में पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ऐक्ट पार किया। इसके द्वारा कम्पनी के राजनीतिक अधिकारों का अन्त हो गया। भारत का शासन सीधा सम्राट (Crown) को दे दिया गया। इसके लिए एक राज-मंत्री नियुक्त किया गया जो कि भारत-मंत्री कहलाया। उसके महापठार्य एक १५ सदस्यों की भारत कौन्सिल की नियुक्ति की गई। इसमें ८ तो सम्राट द्वारा नियुक्त तथा ७ का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा निर्वाचन हुए। इस प्रकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ से सब शक्ति छीन ली गई। भारत-कौन्सिल के प्रत्येक सदस्य का १२०० पाउंड प्रति वर्ष, वेतन निश्चित हुआ। इस कौन्सिल का भारत-मंत्री अध्यक्ष था। कौन्सिल का कार्य उसको मलाह देना था। वह कौन्सिल की राय के विरुद्ध भी निर्णय कर सकता था।

भारत-मंत्री, कौन्सिल के सदस्य तथा उनके कार्यालय (India office) का ज्येष्ठ भारत को देना पड़ा। भारत-मंत्री को प्रतिवर्ष पार्लियामेंट के सम्मुख

भारतीय आय-व्यय तथा भाग्न की उन्नति पर एक वक्तव्य रखने को कहा गया।

भारत में गवर्नर-जनरल अब सम्राट् का प्रतिनिधि हो गया। इस कारण वह वाइसराय कहलाने लगा। भारत का शासन गवर्नर-जनरल तथा उसकी कौन्सिल को मीपा गया। उमकी तथा गवर्नरो की नियुक्ति का अधिकार सम्राट् को दिया गया। इसके कौन्सिल के सदस्यो की नियुक्ति का अधिकार भारत-मन्त्री तथा कौन्सिल को दिया गया। कम्पनी की सेना तथा जहाजी-बेडा भी सम्राट् के अधीन हो गये। इस प्रकार भारत में कम्पनी के राज्य का अन्त हुआ। १ सितम्बर, १८५८ को क्रांटी ऑथ डायरेक्टरो की अन्तिम समा हुई और उनमें भारतीय साम्राज्य सम्राट् को अर्पित कर दिया।

इस ऐक्ट के पास होने के पश्चात् महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा द्वारा भाग्न के प्रति इंग्लैंड की नीति का दरवान किया। इस घोषणा में यह कहा गया कि देशी नरेशों को अपने अधिकार से च्युत नहीं किया जावेगा तथा उनके साथ हुई मन्धियों का पालन किया जावेगा। भारतीय जनता को यह आश्वासन दिया गया कि अनेक धर्म में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जावेगा तथा सरकारी पदा में शिक्षा तथा याग्यतानुसार, बिना किसी धर्म-जाति भेद के सबों को समान अवसर दिया जावेगा।

अंगरेजी शासन का द्वितीय काल (१८५८-१९१८) — इस युग में शासन के विकास में दो मुख्य बाने दृष्टिगोचर होती हैं। भारत में धारा सभाधा का विकास होने लगा तथा इसके अतिरिक्त इस काल में भारतीयों को भी शासन में कुछ भाग लेने का अवसर दिया जाने लगा। परन्तु यह बहुत कम था। इस समय ही भारत में कांग्रेस की नीव पड़ी तथा भारतीयों ने शासन में सुधार के लिए आन्दोलन का प्रारम्भ किया। आन्दोलन का प्रारम्भ तो इस माँग में हुआ कि भारतीयों को शासन में भाग मिलना चाहिये परन्तु २०वीं शताब्दी में दगभग आन्दोलन के बाद स्वराज्य की भावना उदित हुई। तिलक तथा ऐनी बेसेन्ट ने होमरूल लीग की स्थापना की। तिलक ने कहा कि "स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है"। यह वाक्य सब प्रगतिशील भारतीयों का नारा हो गया।

उन ६० वर्षों में भारत के शासन के लिए अंग्रेजी पार्लियामेंट ने तीन नियम बनाये जो क्रमशः १८६१, १८९२ तथा १९०९ में पास हुए। इनके अतिरिक्त १९१७ में भारत मन्त्री ने भारतीय शासन सम्बन्धी नीति की घोषणा की। हम इनमें से प्रत्येक का मक्षिप्त वर्णन करेंगे।

सन् १८६१ का ऐक्ट—यह ऐक्ट एक भारतीय विद्वान् के अनुसार दो कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो इनके द्वारा भागीयों को शासन में भाग देने का प्रयत्न मिला और दूसरा प्रांतों को सरकारों को कानून बनाने का अधिकार वापिस मिल गया। यह अधिकार उसमें १८३३ में छीन लिया गया था।

इन ऐक्ट से गवर्नर-जनरल के कांसिल के सदस्यों की संख्या ४ से ५ बढ़ दी गई। गवर्नर-जनरल की कांसिल में कानून बनाने के लिए कुछ सदस्य और जोड़े गये, जिनकी संख्या ६ से १२ तक हो सकती थी। इनमें से कम से कम आधे गैर-सरकारी सदस्य होने चाहिए थे। इनमें से कुछ भारतीय भी हो सकते थे। इनकी नियुक्ति २ वर्ष के लिए की जाती थी। परन्तु इन सभा का कानून बनाने का अधिकार सत्पन्त नकुचित था। बर्दई तथा मद्रास की सरकारों को एक निरिच्छित नीमा के अन्दर कानून बनाने का अधिकार मिल गया। गवर्नर-जनरल को बंगाल के लिए भी एक धारा-सभा बनाने का आदेश दिया गया। वह अन्य प्रांतों में भी ऐसी सभा की स्थापना कर सकता था। इसके फलस्वरूप बंगाल में १८६२ ई० तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत में १८८६ ई० तथा पंजाब में १८९७ ई० में धारा-सभाओं की स्थापना हुई। इन सभाओं के सदस्य गवर्नर द्वारा मनोनीत होते थे। इनकी संख्या ४ से ८ तक हो सकती थी।

इन ऐक्ट के द्वारा भारतीयों को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। केन्द्र तथा प्रांत में जो धारा-सभाएँ बनती थीं उनमें शक्ति सत्पन्त भूट थी तथा उनका काम धर्मार्थ में सरकार की आज्ञाओं को ही व्यक्त करना था।^१ जो भारतीय सदस्य मनोनीत होते थे वे या तो कोई राजा, या किसी राज्य के दीवान या बड़े जमींदार आदि होते थे। इसलिए इनमें भारतवासियों को संतोष नहीं हुआ। इन समय धीरे-धीरे देश में एक नया वर्ग पैदा हो रहा था जो कि अंग्रेज शिक्षा के फलस्वरूप प्रजातन्त्र तथा उत्तरदायी-शासन-व्यवस्था का पक्षपाती था। देश में बड़े संस्थाओं का जन्म होने लगा। सन् १८८५ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। देश में इस लहर के कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट ने १८९२ में एक नया नियम पास किया। इसकी इण्डियन कांसिल ऐक्ट कहते हैं।

1. G. N. Singh, Ibid. p. 77.

2. Neither at the centre nor in the provinces was it intended to set up "legislatures" as the term is usually understood. The new legislative councils were limited in their functions to considering legislative projects alone." Sharma, Ibid. p. 5.

१८६२ का इण्डियन कॉंसिल ऐक्ट — इसका द्वारा केन्द्रीय धारा-सभा (Supreme Legislative Council) के सदस्यों की संख्या कम से कम १० तथा अधिक से अधिक १६ कर दी गई। प्रांतीय कौन्सिल में भी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। बम्बई तथा मद्रास में यह कम से कम ८ तथा अधिक से अधिक २० कर दी गई। बंगाल के लिए अधिक से अधिक सदस्यों २० तथा उत्तर-पश्चिम प्रान्त और अवध के लिए १५ कर दी गई। इस ऐक्ट के द्वारा कौन्सिल को वार्षिक-वित्तीय विवरण पर सीमित वृत्त करने का अधिकार तथा प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। इस कौन्सिल में कुछ गैर-सरकारी सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होने लगा। इसमें तात्पर्य यह है कि कुछ मस्यौदा, जैसे म्युनिसिपल तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जमींदार, विद्वद्विद्यालय चेम्बर ऑफ कामर्स, का सरकार के सम्मुख नाम उपस्थित करने का अधिकार मिला। यद्यपि यह आवश्यक नहीं था कि उनकी सिफारिश मानी ही जाय परन्तु कार्यक्रम में यह कभी भी सम्वीकृत नहीं की गई।¹

१८८६ का इण्डियन कॉंसिल ऐक्ट — इस संघार में भी जागरूक भारतीयों को संतोष नहीं हुआ क्योंकि यद्यपि शक्ति में उनका वाई भी भाग नष्टा दिया गया था इसलिए असंतोष बढ़ता ही गया। शिक्षित-वर्ग इनमें सबसे आगे था। वर्जन के द्वारा बग-भग न इस आन्दोलन को भड़काया। सरकार ने शक्ति में इस आन्दोलन को दबाने की चेष्टा की। इसके उत्तर में बंगाल में आतंकवाद का जन्म हुआ। इस आन्दोलन के कारण ब्रिटिश सरकार का नये संघार करने की बाध्यता पडा। इससे परिणामस्वरूप १९०९ में एक नया नियम पाम हुआ जिसको मोर्ले-मिण्टो सुधार कहा जाता है। मॉर्ले भारत मंत्री था तथा मिण्टो भारत का वाइसरॉय। इस अधिनियम ने केन्द्रीय तथा प्रांतीय धारा सभाओं में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। उदाहरणार्थ केन्द्रीय धारा सभा में अधिक से अधिक ६० सदस्य, मद्रास बम्बई बंगाल संयुक्त प्रान्त बिहार तथा उड़ीसा में ५० और पंजाब वर्मा तथा आसाम में ३० हो सकते थे। इनके अतिरिक्त टन नव प्रान्तसभाओं में पदेन (ex-officio) सदस्य भी थे। धारा-सभाओं में मनोनीत तथा निर्वाचित दोनों प्रकार के सदस्य रहे गये। निर्वाचित प्रणाली अप्रत्यक्ष थी। ये सदस्य म्युनिसिपल तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स विद्वद्विद्यालय, चेम्बर ऑफ कामर्स व्यापारिक मस्यौदों जमींदार वर्ग आदि के द्वारा निर्वाचित होते थे। मुसलमानों को अलग मतधिकार दिया गया। इस प्रकार साम्प्रदायिक निर्वाचन का आरम्भ हुआ। सभाओं में मनोनीत सदस्य दो प्रकार के थे—

1 Punnaiah—Constitutional History of India, p 122.

सरकारी तथा गैरसरकारी। केन्द्रीय धारा सभा में सरकारी सदस्यों का ही बहुमत रखा गया। धारा-सभाओं के अधिकारों में कुछ वृद्धि हुई। उनको प्रस्ताव रखने का अधिकार मिला परन्तु ये प्रस्ताव केवल निर्वाह के दिनों के लिये माने जा न माने। उनको बजट पर बहस करने तथा परत प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिला। इन सुधारों द्वारा भारत मंत्री की कौन्सिल तथा वाइसराय की कौन्सिल में एक-एक भारतीय सदस्य रखा गया।

इन सुधारों ने देश में बड़ी निराशा हुई। यद्यपि शुरू में कुछ लोगों ने समझा कि ये उत्तरदायी शासन की दिशा में प्रथम पग है। परन्तु शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि इनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। भारतीयों के हाथ में कोई संपूर्ण अधिकार नहीं आया और न वे शासन की नीति पर ही किसी प्रकार का दबाव डाल सकने पें। गौण्डे ने इन सुधारों में असन्तोष प्रकट किया।¹ भारत मंत्री मार्ग में लार्ड मन्साफे (दिनन्बर . १९०८) कि इन सुधारों का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करना नहीं है।² इन सुधारों का एक दोष यह भी था कि पृथक निर्वाचन प्रणाली का आरम्भ करके इन्होंने देश की एकता को बहुत घना पहुँचाया।

सन् १९१७ की घोषणा :—भारत में असन्तोष बढ़ता गया। ब्रिटिश सरकार की सहयोग नीति भारत में असहयोग की भावना को बढ़ा रही थी। भारतीय शासन में संपूर्ण अधिकार पाने की इच्छुक थे। देश में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ रही थी। निम्नलिखित वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग अंग्रेजी नीति में बहुत अधिक असन्तुष्ट थे। जब यह प्रतिक्रमिक समस्या थी, उस समय योग्य में प्रथम महायुद्ध का आरम्भ हुआ। अंग्रेजों की ओर से कहा गया कि इन युद्ध का उद्देश्य प्रजातन्त्र तथा स्वतंत्रता की रक्षा है। भारतीयों ने युद्ध में अंग्रेजी सरकार की हृदय से सहायता की। इनके बदले यह स्वभाविक था कि भारतीय यह माँग करें कि युद्ध के पश्चात् उनको भी स्वतन्त्रता-पूर्वक अपनी नीति निर्धारित

1. उन्होंने कहा "That once the Government had made up their mind to adopt a particular course, nothing that the non-official members may say in the council is practically of any avail in bringing about a change in that course."

2. "If it could be said that this chapter of reforms led directly or necessarily up to the establishment of a Parliamentary system in India, I, for one, would have nothing at all to do with it..."

परन्तु का अधिकार है। दास हामरुद्ध आन्दोलन आरम्भ हुआ। पहलवा सरकार ने स्वका स्वान की चला की परन्तु कुछ काज वाज भागतिवा की आवागमन किया गया कि यह कपचात उनकी मागा का ध्यान म गया जायगा। तत्कालीन भारत मना न २० अगस्त १९१७ का ब्रिटिश ममद म यज घोषणा का कि सम्राट की सरकार की नाति जिमम कि भारत की सरकार पूणतया मन्मत ह यह कि सामन क प्रयव भाग म भागनाय जनता का मत्याग बन्ता जाय तथा एम म स्वायत्त सम्वाधा का विकास है। जिमम कि भारत म ब्रिटिश साम्राज्य क अन्तगत प्रमग उत्तरदायिवपण सामन स्थापित है। एक म्म उत्पन्न क लिये गाध्र ही कम्म उठान का भा वचन किया गया। एक माथ-माथ यज भी बना गया कि एक नीति म प्रमग प्रगति हागी ब्रिटिश सरकार तथा भारत सरकार ही जिनक ऊपर भारतीय जनता की उन्नति तथा भर्ग का उत्तर दायिव ह म्मका निणय करग कि कज तथा रिनता धाग बना जाय। इस घोषणा म ही यज भी बना गया था कि भारत मत्री भारत म अकर वात्सराय न परामग करग।

मन १०१७ की घोषणा भारत क य शानिक विकास म एक मन्त्रपण म्यान रखती ह क्याकि इसर द्वारा ब्रिटिश सरकार न प्रथम बार यज स्वाकार किया कि ब्रिटिश नीति का उ म्म भारत म उत्तरदायिवपण सामन की स्थापना ह। म्मका कायरूप म म्म घोषणा का फज आगाजनक नगी निरग।

मा म्मू चेम्सफोर्ड योाना — भारत मत्री मि० माण्डमू नवम्बर १०१७ म भारत अधि नदा यर्न क वात्सराय एज चम्सफोर्ड का माय म्मन भागनाय की आरी गागा तथा गजनतिर परिस्थिति म भरी प्रसार परिचित हान क लिये एम का शीर किया। इस पर्यव रण क आधान पर उम्मान भारतीय विधान क म मार क ऊपर एक याजना प्रस्तुत का जा कि एक निमाणरतागा क नाम म मों म्मू चेम्सफोर्ड योजना या मों म्मू फोर्ड योजना बन्गती ह यज याजना जगज १०१७ म कपी थी। एनम निम्नरिगित मन्मय धान था —

- (१) जर्न तर म्मभव हो म्मानाय मस्वाधा को जनता क प्रति उत्तरदायी बनाया जाय तथा म्म म्मदनप्रता प्रदान की जाय।
- (२) प्रान्ता म मरप्रथम उत्तरदायिवपण सामन क रिण कम्म उठाना चाणिय।
- (३) भारतीय मार-मभा क म्मम्या की मग्ना बन्गती चाणिय तथा इस जनता का अधिक प्रतिनिधिव करना चाणिय।

(४) जैसे-जैसे ऊपर वर्णित नृधार होने जावे, भारतीय शानन के ऊपर पार्लियामेंट तथा भारत-सभ्री की शक्ति कम होनी जावे।

इसी योजना के ऊपर १९१९ का गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ऐक्ट बना।

अंगरेजी शासन का तृतीय काल (१९१६ से १९३५ के संकट तक)

१९३५ का गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ऐक्ट:—१९१९ के निम्न की निम्न-लिखित विशेषताएँ थीं:—

(१) केन्द्र में इन ऐक्ट द्वारा एक भवन वाली धारा-सभा (Imperial Legislative Council) के स्थान पर दो भवनों वाली व्यवस्थापिका स्थापित की गई। उच्च भवन को राज्य-परिषद् (Council of States) एवं निचले भवन को विधान-सभा (Legislative Assembly) कहा गया। राज्य-परिषद् में ६० तथा विधान-सभा में १४३ सदस्य सम्मिलित किये गये, जो कि प्रथम ४ वर्षों के लिये गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त किये जाने वाला था, रहते गये। राज्य-परिषद् में ३४ सदस्य निर्वाचित तथा दोष मनोनीत रहते गये। मनोनीत सदस्यों में २० में अधिक सरकारी नहीं हो सकते थे। निर्वाचित सदस्यों में १५ विशेष क्षेत्रों में चुने जाते थे। निर्वाचन की प्रथा प्रत्यक्ष रहती गई परन्तु यह अधिकार केवल थोड़े से व्यक्तियों को मिला क्योंकि बहुत ऊँची मर्यादा की योग्यता रहती गयी थी। विधान सभा में २६ सरकारी १४ मनोनीत और सरकारी, तथा १०३ निर्वाचित सदस्य थे। परिषद् की आय पाँच वर्ष तथा विधान-सभा की तीन वर्ष रखी गई।

केन्द्रीय व्यवस्थापिका के अधिकारों में भी कुछ वृद्धि हुई। इनको कानून बनाने, बजट पर एक निश्चिन योजना के अन्दर मन देने, प्रस्ताव पृच्छने तथा प्रस्ताव राखने का अधिकार मिला। परन्तु इन अधिकार में कई रोकें लगा दी गईं। गवर्नर-जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी बिल को जो कि दोनों भवनों द्वारा पास हो गया हो पुनः उनके विचारार्थ लौटा दे। इन प्रस्ताव व्यवस्थापिका को कोई अधिकार नहीं दी गई थी।

केन्द्रीय कार्यकारिणी (Executive) भारत-सभ्री तथा पार्लियामेंट के प्रति ही पूर्णतया उत्तरदायी रहती गयी न कि भारतीय व्यवस्थापिका के प्रति गवर्नर-जनरल के कौन्सिल के सदस्यों की संख्या ८ कर दी गई। उनको यह अधिकार दिया गया था कि वह कुछ विधेय अवसरों पर अपनी कौन्सिल के सम्मति को अस्वीकृत कर दे।

(०) इस क़दम के द्वारा प्रांतीय तथा केंद्राय विषया का अलग-अलग कर दिया गया।

प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि की गई। यह निश्चित हुआ कि इनमें कम से कम ५० प्रतिशत निर्वाचित सदस्य होंगे ५० प्रतिशत में अधिक सदस्य संभव नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, बंगाल में १३९, ब्रिटेन में १११, मद्रास में १०३, मध्य प्रदेश में १०२, पंजाब में १०२, बिहार तथा उड़ीसा में १०२, मध्य प्रदेश में १० तथा आंध्र प्रदेश में १३ सदस्य होंगे। प्रत्येक निर्वाचन विधि रही। साम्प्रदायिक निर्वाचन भी रखा गया। इन परिषदों की शक्तें ३ वर्ष की होंगी। उनमें अधिकार भी कुछ बढ़ा दिए गए थे।

प्रांतीय विषया का २३ भाग में बांट दिया गया। एक भाग का रक्षित (Reserved) तथा दूसरे का हस्तांतरित (Transferred) कहा गया। रक्षित विषय संघर्ष की कमी के लिए थे। इनके लिए वह विधान परिषदों के प्रति नाममात्र का भी उत्तरदायी नहीं थी परन्तु उनका उत्तरदायित्व संघर्ष के प्रति था। इस भाग में आय (Revenue) प्रांत कायदा, औद्योगिक मामलों, पत्त, मसिहरा इत्यादि विचारण आदि रखे गए। हस्तांतरित भाग में स्थानीय स्वशासन, जन-स्वास्थ्य शिक्षा, उद्योग, मसिहरा, उद्योगधंधा का विकास आदि रखे गए। इस भाग का प्रबंध संघर्ष अपने मंत्रियों की शक्त में करता था। ये सभी विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी थे। संघर्ष द्वारा निर्वाचित सदस्यों में से सभी प्रांतीय विषयों को। इस कार्य-विभाजन का द्वैत शासन (Dyarchy) कहा जाता है।

(३) इस क़दम के द्वारा गृह-मंत्रालय में भी परिवर्तन किये गए। भारत-कीर्ति के सदस्यों की संख्या घटा दी गई। पहले यह १० और १८ के बीच थी। इस क़दम द्वारा यह ८ और १२ के बीच रखी गयी। इन सदस्यों की नियुक्ति ५ वर्ष के लिए की जाती थी। भारत मंत्री तथा उनके उपमंत्री का वेतन अंग्रेजी राज में देना निश्चित हुआ।

एक नये कर्मचारी की नियुक्ति हुई जिसको कि हाई कमिश्नर (High Commissioner) कहा गया। इसका काम इंग्लैंड में भारत सरकार

1 "The division of the sphere of Government between two authorities, one amenable to Parliament and the other responsible to the electorates is known as Dyarchy" Sastry, Indian Constitution and Administration, p. 321

के एजेंट का था। इनको स्टोर-विभाग, भारतीय विद्यार्थी विभाग, भारतीय व्यापार-व्यवसाय के कार्यों का निरीक्षण नीचे गये। इस प्रकार भारत-भारती के हाथ में एजेंसी कार्य ले लिया गया।

(४) इसी साल एक रियासती परिषद् (Chamber of Princes) की भी योजना बनी। इसका विधान १९१९ के नियम में नहीं था। इसकी स्थापना राजा-राजा की एक घोषणा द्वारा हुई।

(५) इस ऐक्ट में यह भी कहा गया कि १० वर्ष के पदचातु एक नसीबान भारत भेजा जायगा। वह इस बात की जांच-पड़ताल करेगा कि भारत में १९१९ के ऐक्ट द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था कहा तक सफल रही है।

इस ऐक्ट से भारत को सन्तोस नहीं रहा। यह धारा थी कि इस नियम के द्वारा उत्तरदायी-शासन व्यवस्था स्थापित होगी। इसी समय मोंटैग, अना-ब्रिटिष तथा भारतीय मुसलमानों के तर्कों के मुलतान के प्रति बिरे हुए निम्न-राष्ट्रों के व्यवहार के लिये अन्तोनो ने, अंग्रेजों के प्रति अमन्युजता को और बढ़ाया। रौलट ऐक्ट तथा जलियावाला बाग में आय में धी के नाम दिया।^१ गांधी जी के नेतृत्व तथा अन्तोनोओं के सहयोग में एक देशव्यापी आन्दोलन फैला। इन आन्दोलन का उद्देश्य अहिंसात्मक उपायों से देश की स्वतंत्रता प्राप्त करना था। सरकार का हमन पक पूरे जोरों के साथ चला। १९२० में जब नये ऐक्ट के अनुसार चुनाव हुए कांग्रेस ने उनका विरोध किया। आन्दोलन अगस्त रहा। इसके बाद कांग्रेस के अन्दर एक अनेम्बली पार्टी बनी और हम दल के सदस्य अनेम्बलियों में गये। इस समय देश में कई स्थानों में नागरिकता दंगे हुए।

साइमन कमीशन—सन् १९२७ में साइमन कमीशन भारत आया। परन्तु इसका भारतीयों ने सर्वत्र बहिष्कार किया क्योंकि इनमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इन कमीशन की रिपोर्ट १९३० में प्रकाशित हुई परन्तु राष्ट्रीय भारत ने इसको प्रतिबन्धवादी बनलाया। इस समय विलायत में मजदूर दल की सरकार बन गई थी। इनने भारतीय समस्या को मुलतान के लिए एक गोलमेज सभा बुलवाई। यद्यपि में गोलमेज सभा की मांग कुछ वर्ष पूर्व पं० मोतीलाल ने की थी। लेकिन उन समय अंग्रेजों ने उसे नहीं माना। इस प्रथम गोलमेज सभा में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इसके पश्चात् एक दूसरी

१. इन सब बातों का विस्तारपूर्वक वर्णन 'राष्ट्रीय आन्दोलन' वाले अध्याय में किया गया है।

सभा बुलवाई गई। इसमें कांग्रेस ने भाग लिया परन्तु कोई फल न निकला। इसके बाद एक तीसरी मालमज सभा बुलवाई गई। इन सभाओं के परस्पर, यह धारणा बढमाय हो गई कि भारत में एकात्मक सरकार के स्थान में एक संघात्मक सरकार होनी चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने भारत की समस्या के ऊपर एक श्वेतपत्र प्रकाशित किया। इस श्वेतपत्र का ब्रिटिश पार्लियामेंट के दाना भयना की एक मयुक्त प्रवरसमिति (Joint Select Committee) ने सम्मुख रखा गया। इस कमेटी के अध्यक्ष लार्ड लिन्लिथगो थे। इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसके ऊपर १९३५ का एकट आचारित किया गया।

१९३५ का गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट — इस एक्ट का राष्ट्रीय भारतीयों ने स्वागत नहीं किया क्योंकि इसका उद्देश्य भारतीयों को बंधन देना नहीं था। सर० सी० वार्ड० चिन्तामणि जैम नरमदती ने इसको अभागीय एक्ट कहा। इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित थीं।¹

(१) एक अखिल भारतीय मज की स्थापना जिमें की ब्रिटिश भारत के प्रांत तथा दशो राज्य दोनों सम्मिलित हों।

(२) प्रान्तों का स्वायत्त शासनाधिकार।

(३) प्रान्तों में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना परन्तु इसके साथ गवर्नरों का बड़ी विषयों में विशेषाधिकार।

(४) मद्रास बम्बई पञ्जाब प्रान्त बंगाल बिहार तथा आसाम में विधान परिषदा (Upper Chambers) की स्थापना।

(५) वमा तथा अदन का भारत में सम्बन्ध विच्छेद।

(६) दो नये प्रान्तों—मिन्ध तथा उड़ीसा—का निर्माण तथा पश्चिमात्तर सीमा प्रांत का गवर्नर का प्रांत बनाया जाना।

(७) केन्द्र में द्वैध शासन प्रबन्ध की स्थापना अर्थात् आंशिक उत्तरदायित्वपूर्ण शासन प्रबन्ध।

(८) एक मधीय न्यायालय की स्थापना।

(९) एक रिजर्व बैंक की स्थापना।

संघ निर्माण — भारत संघ का निर्माण मंत्रालय की एक घोषणा द्वारा होने वाला था। परन्तु इसके लिये एक शत आवश्यक वी और यह कि उनमें देशी

1 P R Rao, A Survey of Indian Constitutionalism,

राज्य सभ में धारण की प्रस्तुत हो जायें जो कि कम से कम राज्य परिषद् में ५२ सदस्य भेजें तथा जिनको जनसंख्या नमस्त देशी राज्यों की जनसंख्या की प्राप्ति हो। भारत में तब शासन स्थापित न हो सका क्योंकि देश के मंत्र मूल्य-मूल्य राजनीतिक दल इसके विरुद्ध थे। इसका कारण यह था कि केन्द्र में गवर्नर-जनरल की इतने अधिक शक्तियाँ दिये गये थे कि उत्तरदायी शासन अनुभव था। इसके अतिरिक्त देशी राज्यों ने भी इसमें सम्मिलित होना स्वीकार नहीं किया।

अधिकार विभाजन—उस एक्ट द्वारा अधिकारों का विभाजन मंत्र नरकार तथा प्रान्त की सरकारों के बीच निम्न प्रकार किया गया था —

संघ-सूची में ५९ विषय थे। उदाहरणार्थ, नौना, समुद्री तथा हवाई बेड़ा, परराष्ट्रनीति, धार्मिक विषय, डाक, तार, टेलीफोन, रेल, नदीय नौवायें आदि आदि।

प्रान्तीय-सूची में ५४ विषय थे। उदाहरणार्थ, पुलिस, जेल, न्याय, प्रान्तीय सेवाएँ, स्थानीय-स्वराज्य, जन-स्वराज्य, शिक्षा, रास्ते, नहर तथा सिंचाई, कृषि, जंगल आदि।

सम्मिलित-सूची में ३६ विषय थे। जैसे विवाह, तलाक, नौनाचार पत्र, मजदूर-सभाएँ आदि। इन विषयों पर संघ-सरकार तथा प्रान्तीय सरकार दोनों का कानून बनाने का अधिकार था।

इसके अतिरिक्त अवशिष्ट-शक्तियाँ (residuary powers) के संघ-सरकार को दी गई थी।

संघ सरकार—केन्द्र में इस एक्ट के द्वारा द्वैध-नरकार स्थापित होने वाली थी। इस प्रकार कुछ विषय तो रक्षित थे और इसमें गवर्नर-जनरल, बिना अपने मंत्रियों के काम कर सकता था। ये विषय रक्षा, परराष्ट्रनीति, कबोला क्षेत्रों में सम्पत्ति तथा ईमाई धर्म थे। इन विषयों के लिए वह अधिक से अधिक ३ कौमिलर नियुक्त कर सकता था। अन्य विषयों में (हस्तान्तरित विषय) उसको मंत्रियों की सलाह से काम करना था। परन्तु उसको इतने अधिकार दिये गये थे कि उनकी वह राय के विरुद्ध काम कर सकता था। कुछ अन्य विषयों में वह केवल सम्राट के प्रति उत्तरदायी था। ये उनके विरोध-उत्तरदायित्व के विषय थे—जैसे की शांति, सम्पत्तियों के हित, देशी राज्यों का हित, नरकारी नौवायों के उचित हित आदि को रखा। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनको इतने अधिकार दिये गये थे कि वह देश का सर्वशक्ति था।¹

1. गांधीजी ने उनके विषय में कहा "a personage possessing unheard of powers."

मध्यम व्यवस्थापिका के दो भवन हाने थे। एक का नाम राज्य परिषद (Council of States) तथा दूसरा का नाम मध्यमभा (Federal Assembly)। राज्य परिषद में १५६ प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत में तथा अंग्रेजिक में अंग्रेजिक १०४ दशा गये थे। देशी राज्य अपने प्रतिनिधियों का किसी प्रकार चुन सकते थे परन्तु ब्रिटिश भारत के १५० सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता था। गवर्नर जनरल द्वारा मनानीय विषयों पर परन्तु मनाने का अधिकार सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत में केवल १५०००० व्यक्तियों का मित्ता। राज्य परिषद स्थायी समिति होती। इसके एक तिहाई सदस्य प्रति तान्त्रिक वर्ष अवकाश प्राप्त करते।

मध्यमभा में अंग्रेजों के ३३५ सदस्य हाने। २५० ब्रिटिश भारत से तथा १२५ रियासतों में। ब्रिटिश भारत के २४६ सदस्य विभिन्न प्रान्तीय सभों द्वारा निर्वाचित द्वारा चुने जाते। उनका चुनाव प्रान्तीय विधान सभाओं द्वारा होता था। १५४ सदस्यों में तीन व्यवसायिक व व्यापारिकों के तथा एक मजदूरों का प्रतिनिधि होता। राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन का प्रबंध देशी राज्य स्वयं करते। मध्यमभा की अवधि ५ वर्ष रखी गयी थी अगर यह अवधि पूर्ण ही भंग न कर दी गई हो।

मध्यम व्यवस्थापिका का मध्यम-मूची में वर्णित मध्य विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होता। यह सम्मिलित मूची में वर्णित विषयों पर भी तथा प्रान्तीय स्वीकृति से प्रान्तीय मूची के विषयों पर कानून बना सकता। मध्यमभा में यह सम्पूर्ण भारत के लिए कानून बना सकती। देखने में तो इसका सार अंग्रेजों के परन्तु मध्यम में इसका अधिकार नाममात्र के थे। क्योंकि मध्यम विषयों पर यह बिना गवर्नर जनरल की अनुमति के न कानून बना सकती न कोई मनाघन कर सकती। गवर्नर जनरल के कई कानून सम्मेलन अधिकार हाने जैसे उसका आदेश जारी करने का अधिकार होता। वह अपना इच्छा में कानून भी बना सकता था। गवर्नर जनरल की व्यवस्थापिका द्वारा पास किये गये कानूनों का अस्वीकार करने का अधिकार होता। यह कहने में असमर्थ न होगी कि इस प्रकार के अनुसार सर्वोच्च कानून बनाने का मध्यम व्यवस्थापिका न हाकर गवर्नर जनरल ही होता।

१) व्यवस्थापिका के वित्त अधिकार भी अत्यन्त कम थे। मध्यम बजट का इरादा तीन चौथाई इसके अधिकार के बाहर था। १५५ बजट में भी गवर्नर जनरल को कई अधिकार थे। वह अपने विन्दु दायित्व को पूरा करने के हेतु

व्यवस्थापिका द्वारा कितनी भी अस्वीकृत व्यय का अधिष्टान व्यय की मुक्तों में डाल सकता था।

प्रान्तीय सरकार—इन ऐक्ट द्वारा प्रान्तों को स्वराज तथा उत्तरदायित्वपूर्ण शासन दिया गया था। प्रान्तों में द्वैध शासन का अन्त कर दिया गया। गवर्नर के हाथ में कोई रक्षित विषय नहीं रहे गये। सभी विषय प्रान्तीय व्यवस्थापिका तथा मन्त्रिमण्डल के आधीन कर दिये गये। मन्त्रिमण्डल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। परन्तु इतना होते हुए भी प्रान्तीय सरकारों पर गवर्नर-जनरल तथा भारतमन्त्री का नियन्त्रण बना रहा। गवर्नर को भी कई विशेषाधिकार दिये गये थे। वह मंत्रियों के कामों में हस्तक्षेप कर सकता था। उनको अर्बहेलना कर सकता था तथा विधान को स्थगित कर सकता था।

कुछ प्रान्तों में दो भवन वाली तथा कुछ में एक भवन वाली व्यवस्थापिका स्थापित की गई थी। इन व्यवस्थापिकाओं के अधिकारों पर कई प्रतिबन्ध लगा दिये गये थे। इसलिए प्रान्तों में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन नाममात्र को ही स्थापित हुआ क्योंकि पृष्ठभूमि में गवर्नर की मूर्ति मन्त्र दृष्टियोचर होनी रही।

गृह-सरकार—इन ऐक्ट द्वारा गृह-सरकार में बदलाव किया गया। इंडिया-कोमिल को हटा दिया गया तथा उसके स्थान में एक परामर्श-दाताओं की समिति की स्थापना की गई। भारत-मन्त्री को यह अधिकार रहा कि वह इनकी राय माने या न माने। भारत-मन्त्री के परामर्श-दाताओं की संख्या सध बनने तक ८ में १२ तक रखी गई तथा सध बनने के बाद इसमें तीन में छः तक सदस्य होना निर्दिष्ट किया गया। इनका वेतन १३५० पाँड वार्षिक तथा भारत के निवासी को ६०० पाँड वार्षिक भत्ता भी मिलता था। गृह-सरकार की शक्तियों में यद्यपि इन ऐक्ट द्वारा कुछ कमी की गई थी तथापि इसके पदचात् भी वे काफी व्यापक थीं।

ऐक्ट का कार्यान्विन होना—इस नये ऐक्ट के अनुसार प्रान्तों में चुनाव हुये। काँग्रेस ने इसमें भाग लिया तथा मद्रास, बम्बई, मद्रास प्रान्त, मध्य प्रान्त, बिहार और उड़ीसा में इसका बहुमत रहा। आसाम तथा पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त में भी व्यवस्थापिका में काँग्रेस दल बहुत शक्तिशाली था। जब मन्त्रिमण्डल बनने का प्रश्न उठा तो काँग्रेस ने पहले तो गवर्नर के विशेषाधिकार के कारण मन्त्रिमण्डल बनाना अस्वीकार कर दिया। परन्तु कुछ काल पश्चात् उनको यह आश्वासन मिला कि गवर्नर अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग साधारणतः

मन्त्रिमंडल के कामों में राडा अटकाने का नहीं करेगा। इसके बाद कांग्रेस ने ८ प्रान्ता में मन्त्रिमंडल बनाया। इस ऐक्ट का मधीय भाग लागू नहीं किया गया। भारतीय राजनीतिक दला ने सपीय व्यवस्था का नितान्त असतोपजनक कहा और वे इसमें भाग लेने को किसी भी दशा में प्रम्नुग नहीं थे। देशी राज्य भी मध में सम्मिलित होने के लिए तैयार नहीं हुए।

१९३५ के ऐक्ट के दोष — इस ऐक्ट में कई दोष थे। सबसे मुख्य निम्न-लिखित थे —

(१) इस ऐक्ट द्वारा जिम मध का निर्माण हीना, उनमें देशी राजाओं के हित मरक्षित रहते और इस प्रकार दस के एक बड़े भाग में प्रजातन्त्र शासन-व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती थी। देशी राज्यों की बहुत अधिक महत्व दिया गया था।¹

(२) भारतीय मध न तो परराष्ट्र नीति में और न आन्तरिक नीति में ही स्वतन्त्र होता। मयार्थ में ऐक्ट का उद्देश्य स्वतन्त्र मध बनाना था ही नहीं। इस प्रकार मध स्थापित होने पर भी भारत अपने भाग्य का निर्माता नहीं हो सकता था।

(३) कन्द्रीय कार्यकारिणी का इतना अधिक अधिकार द दिये गये थे कि वह नून स्वहरेण अनियन्त्रित थी। गवर्नर जनरल अपने मन्त्रियों को राय के विरुद्ध जो चाहे मी कर सकता था। मन्त्रिमंडल के हाथों में एक प्रकार से कुछ भी शक्ति नहीं थी और यह केवल शोभाय था। दस ऐक्ट ने मन्त्रिमंडल की समुन्न उत्तरदायित्व मिद्धान्त पर भी आधारित नहीं किया।

(४) केन्द्रीय व्यवस्थापिका को भी बहुत मीमित अधिकार दिये गये थे। गवर्नर जनरल इसके बनाये विगी भी कानून का अम्बीकार कर सकता था। इसके लिये जो निर्वाचित प्रथा बनाई गई थी वह भी अत्यन्त दूषित थी। मध सभा का अप्रत्यक्ष निर्वाचन अनहानी था। माम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व देश के लिए घातक सिद्ध हुआ। देशी राज्यों की व्यवस्थापिका में करीबन ४० प्रतिशत सदस्य होते जब कि उनकी जनसंख्या देश की जनसंख्या की एक-

1 "I am satisfied that the system of construction of the Federation under which the nominees of autocratic rulers are to have a powerful voice in both Houses of the Federation, in order to counteract Indian democracy, is quite indefensible" A. B. Keith quoted in B. N. Banerjee, New Constitution of India, p. 41. f. n.

८ अगस्त १९४० की घोषणा — युद्ध में इंग्लैंड के सहायक समस्त पश्चिमी प्राय म परास्त हो गये थे और केवल इंग्लैंड अकेला ही भारतीय सेनाओं का मुकाबिला करने का रह गया था। इस समय भारत के गवर्नर-जनरल ने ब्रिटिश सरकार की ओर सख्त घोषणा की (अगस्त ८ १९४०)। इसमें निम्न उक्तियें मुख्य बानें थी —

(१) गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति में नये सदस्य नियुक्त किये जायेंगे तथा परामर्श देने के लिये एक युद्ध समिति नियुक्त की जावेगी।

(२) युद्ध के पश्चात् भारतीयों को एक प्रतिनिधि मण्डल द्वारा ही भारत का नया विधान बनाया जावेगा। युद्धकाल में ऐसा पग उठाना सम्भव नहीं।

(३) ब्रिटिश सरकार इस बात की चेष्टा करेगी कि विभिन्न राजनैतिक दलों में आपस में समझौता हो जावे।

इस घोषणा से कोई मस्ताफ नहीं हुआ। क्योंकि इसके द्वारा जो कुछ भी प्रतिज्ञा की गई थी वह यद्वात्तर थी। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट नहीं किया गया था कि औपनिवेशिक-स्वराज्य स्थापित ही कर दिया जावेगा। इसमें महत्वपूर्ण बात यह थी कि अंग्रेज सरकार ने यह बात मान ली थी कि भारत का नया विधान भारतीयों द्वारा ही निर्मित होगा। किसी भी राजनैतिक दल ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे। मित-म्बर १९४० में काँग्रेस ने ब्रिटिश सरकार की नीति के प्रति विरोध प्रकट करने को व्यक्तिगत मत्प्राप्त शुरू आरम्भ किया। गांधीजी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे इंग्लैंड की बठिनाई में लाभ नहीं उठाना चाहते हैं। इसीलिए इस मत्प्राप्त को सीमित रखा गया। जुलाई १९४१ में वाडसराय ने अपनी कार्यकारिणी समिति में पाँच और सदस्यों की नियुक्ति की। ये सब भारतीय थे।

क्रिप्स योजना — इस समय युद्ध पथ में भी फैलने लगा था। दिसम्बर १९४१ में जापान ने पल हावर पर आक्रमण किया। दक्षिण-पूर्वी एशिया में जापान की प्रगति अस्वच्छजनक गति से हुई। भारत में जापानी आक्रमण का भय बढ़ा। देश में अंग्रेज विरोधी भावना भी प्रतिदिन बढ़ रही थी। इस कारण अंग्रेजी सरकार ने जापान के विरुद्ध भली प्रकार में युद्ध चलाने के लिए भारत का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक समझा। इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए ब्रिटेन के युद्धकालीन मन्त्रिमण्डल ने सर स्टफोर्ड क्रिप्स का भारत भ्रमण। उन्होंने भारतीय नेताओं से वार्तालाप के पश्चात् मार्च २९, १९४२ को ब्रिटिश सरकार की ओर से एक योजना की घोषणा की जिसकी मुख्य बानें निम्नलिखित हैं —

(१) भारत में स्वराज्य (Self-government) स्थापित करने की दृष्टि से, युद्ध के उपरान्त एक नवीन भारतीय मंच की स्थापना की जावेगी, जिसका पद उपनिवेश (Dominion) का होगा। यह ब्रिटिश-मण्डल का सदस्य होगा, परन्तु इसको इस राष्ट्र-मंडल में सम्बन्ध विच्छेद करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(२) युद्ध के समाप्त होने ही एक निर्वाचित विधान-निर्मात्री सभा बुलाई जावेगी, इसके निर्वाचन के लिये सर्वप्रथम, प्रान्तों में १९३५ के ऐक्ट के अनुसार नए चुनाव किये जावेंगे। इन प्रान्तीय विधान मंडलों (Lower Houses) के सदस्य, आनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि से संविधान सभा के सदस्य चुनेंगे। उनकी मर्यादा अपने निर्वाचकों की मर्यादा का $\frac{1}{10}$ होगी।

इनके प्रतिरिक्त वेही राज्य भी अपनी जनमर्यादा के अनुसार इन विधान निर्मात्री सभा में प्रतिनिधि भेजेंगे।

(३) अगर कोई प्रान्त अथवा राज्य इस संविधान सभा द्वारा निर्मित नये विधान को स्वीकार न करे तो उसे यह अधिकार होगा कि वह भारतीय मंच में अलग हो जाय। ऐसे प्रान्त तथा राज्य अपना स्वतन्त्र मंच बना सकेंगे, जिसको वही अधिकार होंगे जो कि भारतीय मंच को।

(४) ब्रिटिश सरकार तथा विधान-निर्मात्री सभा के मध्य सम्बन्धकों के द्विती के रक्षार्थ तथा गति-परिवर्तन में उत्पन्न अन्य बातों के लिये, एक नवि होगी।

(५) युद्ध काल में तथा नये संविधान के लागू होने तक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व तथा उसके लिए शक्ति तथा अधिकार गवर्नर-जनरल की होंगी तथा वह ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा। परन्तु सैनिक, नैतिक तथा भौतिक (military, moral and material) साधनों को संगठित करने का उत्तरदायित्व, भारतीय जनता के सहयोग में भारतीय सरकार पर होगा।

इस योजना के दो भाग थे। एक तो युद्धोत्तर, दूसरा युद्धकालीन। युद्ध के बाद भारत को उपनिवेश का पद दिया जाता। इस प्रकार स्वराज्य का सिद्धान्त मान लिया गया था। परन्तु इसमें दो दोष थे। पहला यह कि प्रान्त अथवा राज्यों को भारत मंच से अलग होने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसने भारत की एकता भंग हो जाती। यह चर्चार्थ में मुस्लिम लीग तथा कुछ देशी राज्यों को प्रमत्त करने के लिये किया गया था। दूसरा दोष यह था कि

विधान-निर्मात्री सभा में देशी-राज्या के जो सदस्य होते वे इन राज्या की ९ करोड़ जनता के प्रतिनिधि न होते अपितु वे राजाओं द्वारा मनोनीत सदस्य होते। इस प्रकार वे विधान निर्मात्री सभा के अन्दर एक प्रतिक्रिया-वादी सक्ति होते।

यूद्धकालीन भाग में दोष यह था कि भारतीयों को अपने देश की रक्षा का उत्तरदायित्व नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त वाइसराय की कार्यकारिणी समिति न तो कैबिनेट के रूप में काम करने वाली थी और न वाइसराय ही एक वैधानिक अध्यक्ष के रूप में। इन्हीं कारणों से काँग्रेस ने इस योजना को प्रस्वीकार कर दिया। इस योजना का तत्कालीन फल कुछ नहीं हुआ। केवल युद्धपरान्त ही इससे कुछ फल निकलता। इसी कारण गाँधीजी ने इसको "Post dated cheque" कहा था। अन्य भारतीय दलों ने भी इस योजना को स्वीकार नहीं किया।

"भारत छोड़ो" आन्दोलन — किष्म-योजना की असफलता पर भारत में अत्यन्त निराशा हुई अंग्रेजों के प्रति घृणा तथा क्षोभ का भाव बढ़ा। यह आशा नहीं रही कि समझौता सम्भव है। काँग्रेस ने अंग्रेजों के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा कि वे भारत छोड़ें। इसमें तात्पर्य यह था कि अंग्रेजी राज्य का भारत में अन्त हो। यह प्रस्ताव काँग्रेस की कार्यसमिति ने १४ जलाई १९४२ को पास किया था। इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बम्बई में अखिल-भारतीय काँग्रेस कमेटी की सभा हुई। ८ अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ गाँधीजी ने कहा कि यह उनका अंग्रेजों का विरुद्ध अन्तिम ब्याहारे हैं। ९ अगस्त के प्रातःकाल काँग्रेस के सब धड़े बड़े नेता अंग्रेजी सरकार ने पकड़ लिए। इससे देश में और क्षोभ बढ़ा। १० अगस्त का भारत-मन्त्री एमरी का एक बक्तव्य प्रकाशित हुआ जिसमें यह कहा गया कि काँग्रेस का काम देश में तार बाटना, रेल उखाड़ना आदि था। इसके पश्चात् कुछ समय तक देश में देश-भक्तों ने इसी कार्यक्रम को अपना कर काम किया। अंग्रेजी सरकार ने पाशविक प्रत्याचार किए। गाली चलाना, गाँव जला देना सामूहिक जुमाने तथा अन्य प्रकार के अत्याचार किए गए। कुछ समय तक ता जनता ने इमंशा प्रत्यक्ष दिया परन्तु करीबन दो मास पश्चात् देश में यद्यपि अनन्तोष बना रहा तथापि आन्दोलन का एक प्रकार से अन्त हो गया।

१० फरवरी १९४३ को गाँधीजी ने २१ दिन का व्रत रखा। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की नीति में परिवर्तन करना था। मई १९४४ में गाँधीजी जेल में बीमार पड़े। सरकार ने उन्हें मुक्त कर दिया। जेल के बाहर गाँधीजी ने फिर स्वच्छता प्राप्ति के प्रयत्न में लीग के नेता श्री जिन्ना से बातें की ताकि

हिन्दू-मुस्लिम एकता प्राप्त हो जावे। परन्तु इनमें उन्हें कोई मरुतता नहीं मिली। श्री जिन्ना का दावा कि मुसलमान एक अलग राष्ट्र हैं गांधीजी मानने पर प्रसन्न न थे। इनमें कम से श्री जिन्ना मानने को तैयार न थे।

वैबल-योजना—अगस्त १९४४ में लार्ड वेबल भारत के नये वाइसराय होकर आये। उन्होंने देश में गल्पवर्ण को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार से मनषा कर (१४ जून १९४५) एक सूझाव रखा। इसको "वैबल सूझाव" कहा जाता है। इसमें यह कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार भारत के स्वराज्य प्राप्ति में महायत्ना करना चाहती है। भारत में विभिन्न सम्प्रदायों के बीच समझौते के लिए एक सभा बुलाई जावेगी। इन सभा का तत्कालीन उद्देश्य वाइसराय की एक नई कार्य-कारिणी समिति बनाना होगा, जिसमें सर्वथा हिन्दू तथा मुसलमानों के बराबर प्रतिनिधि होंगे। भारतीयों की परराष्ट्र विभाग भी दिया जावेगा, परन्तु मेतापति अंग्रेज ही रहेगा। यह कार्यकारिणी समिति वाइसराय के प्रति उत्तरदायी होगी। भारत में ब्रिटिश सरकार एक हार्ड-बमिन्स विपुल करेगी जैसा कि अन्य उपनिवेशों में है।

१५ जून १९४५, को कांग्रेस के नेता मुकल कर दिये गये तथा २५ जून को मिमला में मद दलों का नेताओं का सम्मेलन बुलाया गया। कांग्रेस ने इसमें भाग लिया। कोई समझौता न हो सका। क्योंकि मुस्लिम लीग ने यह माँग की कि कार्य-कारिणी समिति में सब मुसलमान सदस्य लीग के ही द्वारा मनोनीत होंगे। इसका अर्थ यह होगा कि कांग्रेस हिन्दुओं का गण्डन है। कांग्रेस ने इसे मानना प्रस्वीकार कर दिया। क्योंकि लीग तथा कांग्रेस में समझौता न हो सका इसलिए वाइसराय ने इस सम्मेलन को भंग कर दिया।

नये चुनाव—जब इंग्लैंड में १९४५ में चुनाव हुए, चर्चिल के अनुदार दल की विजय नहीं हुई। इसके स्थान में मजदूर दल की सरकार बनी तथा एटली नये प्रधान मंत्री हुए। इस समय पूर्व में जापान में युद्ध समाप्त हो गया था। इस समय भारत में आजाद-हिन्द-सेना के समझे को लेकर एक कोने से दूसरे कोने तक हलचल मची हुई थी। इंग्लैंड की नई सरकार ने वाइसराय को बुलाया। इंग्लैंड ने वापिसी पर १९ नवम्बर १९४५ को लार्ड वेबल ने एक घोषणा की। इसमें मुख्य बातें निम्नलिखित थी—

(१) १९४५-४६ के शीतकाल में भारत में केन्द्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के लिए चुनाव होंगे।

१. इसका वर्तन राष्ट्रीय सम्मेलन वाले अध्याय में देखिये।

(२) चुनाव के पश्चात् ब्रिटिश सरकार एक विधान-निर्मात्री सभा को बलावेगी। इस उद्देश्य में वाइसराय भारतीय नेताओं से बात कर यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि रिफ़ॉर्म योजना उन्हें मान्य है अथवा वे उनमें कोई परिवर्तन चाहते हैं।

(३) देशी-राज्या के प्रतिनिधियों में इस विषय पर वार्तालाप होगा कि वे किस प्रकार आयोजित विधान-निर्मात्री सभा में भाग ले सकेंगे।

कांग्रेस ने इस घोषणा को अपूर्ण तथा अप्रसन्न बतलाया और यह कहा कि उसका उद्देश्य पूर्ण स्वतन्त्रता है। देश में चुनाव का फल यह हुआ कि आठ प्रान्तों में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल बना। बंगाल तथा मिथ, में लीगो मन्त्रिमण्डल बना। पंजाब में कांग्रेस, अकाली तथा एनियनिस्ट दल का मन्त्रिमण्डल विश्व हत्यात खा के नेतृत्व में बना।

कैबिनेट मिशन — इस समय देश में एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का सिप्ट-मण्डल भ्रमण कर रहा था। इसकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार ने दिसम्बर १९४५ में की थी। फरवरी १९४६ में इसने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को दी। इसी बीच में भारतीय नीति-सभा की शानदार हड़ताल तथा सवर्ण आरम्भ हो गया था। इस घटना का ब्रिटिश सरकार की नीति पर काफी प्रभाव पड़ा। १९४६ में ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ने यह घोषणा की कि एक तीन सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा जायगा। इसका काम भारतीय नेताओं से मिल कर शीघ्रनिशीघ्र भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त करवाने का था।^१ इसके सदस्य लार्ड पैथिक लार्ड्स (भारत मंत्री), सर स्टैफ़ोर्ड क्रिप्स (बोर्ड ऑफ़ ट्रेड के अध्यक्ष), तथा ए० बी० एलेक्जेंडर (फ़र्स्ट लार्ड ऑफ़ एडमिरैलिटी), थे। १५ मार्च १९४६ को ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने कामन्स सभा में एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि (१) ब्रिटिश सरकार भारत की स्वतन्त्रता की मांग को स्वीकार करती है। (२) किसी भी

१ श्री एटली ने मिशन के भारत रवाना होने के विषय में कहा "My colleagues are going to India with the intention of using their utmost endeavours to help her to attain her freedom as speedily as possible. What form of Government is to replace the present regime is for India to decide, but our desire is to help her to set-up forthwith the machinery for making that decision. ..I hope the Indian people may elect to remain within the British Commonwealth. But if she does so elect, it must be by her own free will."

अल्प-संख्यक जाति का बहुसंख्यकों की प्रगति रोकने का अधिकार (veto) नहीं माना जा सकता है। (We cannot allow a minority to place a veto on the advance of the majority)

कैबिनेट मिशन २३ मार्च को करांची तथा एक दिन पश्चात् दिल्ली पहुँचा। उन्होंने वाइसराय तथा प्रान्तों के गवर्नरों में मिलने के पश्चात् भारतीय नेताओं से वार्तालाप की। एक महीने में उन्होंने १८२ बैठकों में ४३२ नेताओं से मूलाकात की परन्तु फल कुछ न निकला। फिर काँग्रेस तथा लीग का संयुक्त सम्मेलन सिमला में बुलाया गया (५ मई)। परन्तु इसमें भी कोई समझौता न हो सका।

इसके पश्चात् १६ मई १९४६ को कैबिनेट मिशन ने एक योजना भारतीय नेताओं के सामने रखी। इसमें यह कहा गया था कि—

(१) कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारत के राजनैतिक दलों में समझौता करके भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त करने में सहायता करना था और इस दृष्टि से मिशन ने भरसक कोशिश की, परन्तु इसमें सफलता प्राप्त न हो सकी।

(२) मुस्लिम लीग भारत के विभाजन पर दृढ़ है और इसलिए पाकिस्तान की माँग रखती है। लीग के अनुसार इसके दो भाग होंगे: एक तो उत्तर-पश्चिम में, जिसमें पंजाब, सिंध, ब्रिटिश बलूचिस्तान तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त होंगे। दूसरा भाग उत्तर-पूर्व में होगा, जिसमें बंगाल तथा आसाम होंगे। परन्तु इन भागों में गैर मुसलमानों की संख्या इतनी अधिक है कि उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उत्तर-पश्चिमी भाग में ३८ प्रतिशत तथा उत्तर-पूर्वी भाग में ४८ प्रतिशत से कुछ अधिक गैर मुसलमान होंगे। अगर इन दो भागों में केवल उन्हीं क्षेत्रों को पाकिस्तान में रखा जावे जिनमें कि मुसलमानों का बहुमत है तो वह भी ठीक नहीं होगा। उन प्रान्तों की जनता का एक बड़ा भाग ऐसे विभाजन के पक्ष में नहीं है।

इसके अतिरिक्त कई आवश्यक सामनीय, आर्थिक तथा सैनिक प्रश्न भी देश के विभाजन के विरुद्ध हैं।

(३) कैबिनेट मिशन काँग्रेस की योजना में भी सहमत नहीं था। योजना थी कि प्रान्तों को पूर्ण स्वायत्त शासन का अधिकार हो और केन्द्र के पास केवल तीन विषय हों—परराष्ट्रनीति, मानावात तथा रक्षा। इसके अतिरिक्त अगर कोई प्रान्त चाहे तो वह कुछ अन्य विषय भी केन्द्र को माँग सकता था। परन्तु इसमें कोई वाध्यता नहीं थी। दस योजना को मिशन ने कई प्रकार की कठिनाइयों से पूर्ण कहा।

(४) दशो राज्या की समस्या का भी मिशन ने अध्ययन किया था तथा इस परिणाम पर पहुँचा कि सर्वोच्चाधिकार (Paramountcy) नई स्थिति में न ता सच्चा क पाम रह सकता था और न भारत की नई सरकार का परिवर्तित किया जा सकता था।

इन कारणों से मिशन ने नए विधान के लिए निम्नलिखित सुझाव रखे —

(अ) एक अखिल भारतीय मध्य जिनम ट्रिडिश भारत तथा दशो राज्य दाना सम्मिलित हा हाना चाहिए। इनके अधीन पर राष्ट्र-नीति रक्षा तथा यानायात विषय रहने चाहिये तथा इस अपने व्यय के लिए धन उगाहने का अधिकार होना चाहिए।

(ब) मध्य में एक कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका हानी चाहिये जिनमें कि ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्या के प्रतिनिधि हाने चाहिये। अगर व्यवस्थापिका में कोई बड़ा साम्प्रदायिक प्रश्न प्रस्तुत हा ता उसके निणय के लिये दो प्रमुख सम्प्रदाया के उपस्थिति प्रतिनिधियों का अलग अलग तथा समस्त उपस्थित सदस्यों का बहुमत हाना चाहिए।

(स) मध्य विषया के अतिरिक्त अथ भव विषय तथा शेष अधिकार प्रान्ता का हाने चाहिये।

(द) दशो राज्या का केन्द्र का दिय गये विषया के अतिरिक्त अथ सब विषया पर अधिकार हाना चाहिये।

(ध) प्रान्ता को अपने समूह बनाने का अधिकार हाना चाहिये। प्रत्येक समूह की अलग कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका होगी।

(ह) विधान से यह धारा हानी चाहिए कि प्रत्येक प्रान्त अपनी धारा-सभा के बहुमत हाने पर प्रथम दम बप पश्चात तथा फिर प्रत्येक दम बप बाद, विधान की धाराओं पर पुनर्विचार करन का कह सकता है।

कॉन्वेंट मिशन ने विधान निमात्री सभा बनाने के लिये भी सुझाव रखे। इस सभा का चुनाव प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं द्वारा पृथक् निर्वाचन मिडान्त के अनुसार सुझाया गया था।

इस योजना से कई दाप थे। सबसे प्रथम ता यह था कि कन्द्रीय सरकार का कुवल तीन विषया पर ही अधिकार दिया गया था। इस प्रकार एक अकिन्हीन केन्द्र की व्यवस्था की गई थी। दूसरा दोष यह था कि प्रान्ता को अपने समूह

यानां का अधिकार दिया गया था। इसका उद्देश्य मुस्लिम लीग को मृग करने का था।

इस दीर्घकालीन योजना के अतिरिक्त कॅबिनेट मिशन ने एक अन्तर्कालीन सरकार बनाने के लिये भी मुझाव रखा था। इसी को कार्यरूप में परिणत करने के लिये १६ जून १९४६ को एक घोषणा की गई। इसके अनुसार १४ सदस्यों की एक अन्तर्कालीन सरकार का प्रस्ताव रखा गया जिसमें ६ काँग्रेस के, ५ मुस्लिम लीग के तथा ३ अल्पसंख्यकों के सदस्य होंगे। लीग ने इसकी स्वीकार किया, परन्तु काँग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। काँग्रेस की अस्वीकृति के कारण यह सरकार नहीं बनाई गई। काँग्रेस की अस्वीकृति का कारण यह था कि लीग इस बात को मानने को तैयार न हुई कि काँग्रेस अपने सदस्यों में किसी मुसलमान को भी रखे।

विधाननिर्मात्री सभा का चुनाव तथा अन्तर्कालीन सरकार की स्थापना—जुलाई में विधान निर्मात्री सभा के लिए चुनाव के फलस्वरूप काँग्रेस को २०५ सीटें मुस्लिम लीग को ७३ सीटें तथा स्वतन्त्र उम्मीदवारों को १८ सीटें प्राप्त हुईं। देशी-राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं हुआ।

इसके पश्चात् वाइसरॉय ने ५० नेहरू में अन्तर्कालीन-सरकार बनाने को कहा। एक १२ सदस्यों की सरकार बनी मन् (१९४६)। इसमें ५ हिन्दू, ३ मुसलमान, १ हरिजन, १ पारसी, १ सिख, तथा १ ईनाई थे। लीग ने इसके विरोध स्वरूप देश भर में टाइरेक्ट-एक्शन-डे मनाया। इसके फलस्वरूप स्थान स्थान पर साम्प्रदायिक दंगे हुए। अन्त में, अक्टूबर माह में लीग ने भा सरकार में प्रवेश किया। अन्तर्कालीन सरकार के तीन सदस्यों को हटना पडा और उनके स्थान पर लीग के ५ सदस्य नियुक्त हुए।

लीग का असहयोग तथा १६४७ का स्वतन्त्रता कानून—अन्तर्कालीन सरकार में लीग काँग्रेस के साथ सहयोगपूर्वक काम करने के लिये नहीं आई थी। लीग के सदस्यों का काँग्रेस के साथ एक कॅबिनेट की तरह काम करना उद्देश्य नहीं था। श्री जिन्ना के लिये अन्तर्कालीन-सरकार केवल वाइसरॉय कोमिल थी उसमें अधिक कुछ नहीं। लीग देश में पाकिस्तान पाने के लिये अपनी कार्यवाही करती रही। लीग ने यह भी कह दिया कि उनके सदस्य विधान-निर्मात्री सभा में भाग नहीं लेंगे। क्योंकि लीग के अनुसार एक के स्थान पर दो विधान-निर्मात्री सभाओं की नियुक्ति होनी चाहिये थी।

ब्रिटिश कैबिनेट ने वाइसराय ए० नेहरू सरदार पटेल, श्री जिन्ना तथा श्री लियारन अली खा पा लन्दन बुलाया। सरदार पटेल ने जा मके। ए० नेहरू के साथ सरदार बलदेव सिंह गये। इन कान्फ्रेंस का फल यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने अपने बसतव्य में यह कहा कि प्रान्ता का समूह में सम्मिलित होने तथा विधान बनाने का स्वतन्त्रता नहीं होगी। उनके विधान का निष्पत्त समूह द्वारा ही किया जावेगा। यह लीग की विजय थी। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि अगर कोई दल विधान निर्मात्री सभा में भाग नहीं लेगा तो उसकी श्रुतपुस्तिक में बना विधान उसके ऊपर बाध्य नहीं होगा। यह भी लीग के पक्ष में था।

२० फरवरी १९४७ का ब्रिटिश प्रान्त मन्त्री ने एक घोषणा की इसमें यह कहा गया कि जून १९४८ तक ब्रिटिश सरकार भारत में सत्ता भारतीयों के ही हाथों में सौंप देगी। परन्तु प्रापणा में यह साफ तौर पर नहीं कहा गया कि भारत एक ही रहेगा अथवा इसका विभाजन किया जावेगा। इसी दिन यह भी ऐलान किया गया कि लाड पैवेल के स्थान पर ग्रांड माउन्टेन्स भारत के नये वाइसराय नियुक्त होंगे।

यों वाइसराय ने भारत में अफसर गार्वाजी तथा श्री जिन्ना में विचार-विनिमय किया। इसमें यह ता स्पष्ट हो गया कि मुस्लिम लीग बिना पाकिस्तान के मानने को तैयार नहीं थी। इसलिए दल का विभाजन आवश्यक हो गया। परन्तु लीग का यह स्वाकार करना उदा कि उत्तर-पश्चिमी प्रदेश में के क्षेत्र जिनमें हिन्दू बहुमत हैं पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। इस प्रकार दोनों दलों की सम्मति प्राप्त कर, माउन्टेन्स ने ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति से ३ जून १९४७ का योजना प्रस्तुत की। यह यत्न महत्वपूर्ण है।

गभेष में, इस योजना का अागय यह था कि भारत के दो भाग कर दिये जाय। दूसरे शब्दों में लीग की माग मान ली गई। ये भाग क्रमशः भारत तथा पाकिस्तान थे। पूर्वी पाकिस्तान में पूरा बंगाल और न पूरा असाम ही रहा। बंगाल के वे जिले जिनमें मुसलम बहुमत था अथवा पूर्वी बंगाल तथा असाम के सिलहट जिले का अधिकांश भाग पूर्वी पाकिस्तान में रहे। पश्चिम में पाकिस्तान

× 1. मुस्लिम बहुमत जिले निम्नलिखित हैं -- बटगाँव नौआवली निघरा, राकरगञ्ज, डाका, फरीदपुर मैनमनिह जैमोर, मुशिदाबाद, नदिया, बागरा, दीनाजपुर, मात्दा, पावना, राजशाही, रंगपुर।

में पश्चिमी-पंजाब^१ सिन्ध, बलूचिस्तान तथा उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त रहे। बंगाल तथा पंजाब में वहाँ की धारा-नमाओं ने प्रान्त के विभाजन के पक्ष में क्रमशः २० जून तथा २३ जून को मत दिया। सिन्ध की धारा-नमा ने पाकिस्तान में सम्मिलित होने के पक्ष में २६ जून को मत दिया। आन्ध्र के मिरहट जिले में जनता ने पाकिस्तान में रहने के पक्ष में मत दिया। उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त में भी पाकिस्तान के पक्ष में ही जनमत रहा। कांग्रेस ने यहाँ इन मत का बहिष्कार किया था क्योंकि कांग्रेस के अनुमान प्रश्न यह होगा था कि इन प्रान्त की जनता पाकिस्तान में रहना चाहती है अथवा स्वतंत्र पश्चिमिस्तान बनाना चाहती है। परन्तु मतदाताओं के सम्मुख यह प्रश्न रखा गया कि वे पाकिस्तान में रहना चाहते हैं अथवा हिन्दुस्तान में। बलूचिस्तान ने भी पाकिस्तान में ही रहने का निश्चय किया।

इन योजना में देशी राज्य विपक्षक नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

इन योजना को कांग्रेस, सीमा तथा मित्रों ने स्वीकार कर लिया। ४ जुलाई १९४७ को ब्रिटिश पार्लियामेंट में माउन्टबेटेन योजना को कामेलन में परिष्कृत करने के लिए एक बिल पेश किया गया। यह बिल २८ जुलाई को पारन हुआ। इनमें निम्नलिखित मुख्य बातें थीः—

(१) १५ अगस्त १९४७ में दो नये उपनिवेश—भारत तथा पाकिस्तान का जन्म होगा।

(२) इन उपनिवेशों को बड़ा अधिकार दिया गया कि वे ब्रिटिश राष्ट्र-मंडल में रहे अथवा अपने सम्बन्ध-विकटोद कर लें।

(३) जब तक नया विधान नहीं बन जाता इन उपनिवेशों का शासन १९३५ के ऐक्ट के अनुसार होगा। परन्तु इस ऐक्ट में कुछ परिवर्तन कर दिए गये। गवर्नर-जनरल तथा प्रान्तीय गवर्नरों के विमोपाधिकारों का अन्त हो गया तथा वे वैधानिक शासन बना दिये गये, जिन्हें अपने मन्त्रियों की राय से शासन करता होगा। ये मन्त्री स्वयम्पादित के प्रति उत्तरदायी होंगे।

१. मुस्लिम बहुमत जिले—गुजरातवादा, गुरदामपुर, राहीर, शेखपुरा, न्यालकोट, अटक, गुजरात, जेहलम, मिनावली, रावलपिंडी, डेरगाजी खां, झन, कामलपुर, मिटगुमरी, मुल्तान तथा मुजफ्फरगंज।

(ॢ) प्रन्वेक उपनलवेग मे मन्त्रिमण्डल का अरना गवतल-गवतल मलानील करन का अधलकार दलया गला। भारत मे माउन्टरलेन ही रहल। पारलम्लान मे जलला प्रलम गवतल-गवतल हुए।

(ॡ) देनी राज्या के मखन्य मे यह दलला गला कल मखन्य क मखीएक अधलकारा का अन्त हो गला है तथा के कलमी भी उपनलवेग मे गम्मलन होने को मखन्य है।

१ॢ अगम्य १ॡॢॢ का भारत तथा पारलम्लान, इन दो उपनलवेगला का जन्म हुला। भारत को गलधानी दलली रहनी तथा पारलम्लान की गलजानी करनी बनानी गई। इम वलमलजन के फलमखरूप मरकार की मममल ममपलतल को जैम रेल, टाक, नार, फोज का मलमान, कारम्लाने गलजव देक का धन अलदल, दो हलम्लान मे जांट दलया गला। परन्तु इम वलमलजन के बलदर भी हलन्दू-मुसलम वेमनम्य के फलमखरूप, लाखा नलगगलद, बलक, बूहे युवा म्थी, तथा पुग्य मौत के धलद उनारे गये। इम मलमप्रदलयक पारलवलकला का जलनता भी कलमा जाय उतना कम है। ममार की अलला मे हम गलर गये। इमका फल यह हुला कल लाखा हलन्दू तथा मुमलमलाना को अरना धरवार छाडना पला और मरकार के बलमल दरलणलधलया की मममला उल लही हुई, जा अरभी तलर पूण प्रकार म लल नही हा लकी है।

धलवान-नलमलशी मलम ने भारत का तथा मखलान बनलया तथा अलद-अलद जनबरी १ॡॡॢ मे ललगा कर दलया गला। इम नलय मे भारत एक गलनमखलदमक प्रजलनत्र हा गला, परन्तु वह बलदरल गल-मण्डल का मदल्य बना रहा।

प्रश्न

(१) मन् १ॢॡॢ से मन् १ॡ१ॡ तक भारत म मखलानलर वलकलम का मलशेप मे बरुणन कीजलये।

(२) मन् १ॡ११ के ऐक्ट की बला प्रमुख वलशेपलताएँ थी ?

(३) मन् १ॡ३ॡ के ऐक्ट के अनुमार भारत मे शासन वल्यकमला का बला कलप लल ?

(ॡ) मन् १ॡ३ॡ म मन् १ॡॡॢ तक बलदरल मरकार द्वारा प्रलनुत वलमलनत यलजनाओ का मलशेप मे बरुणन कीजलए।

संविधान-निर्मात्रों सभा तथा इसका कार्य

संविधान सभा — संविधानों का बड़े दृष्टियों में वर्गीकरण किया गया है। कुछ संविधान ऐसे होते हैं जिनका निर्माण किसी निश्चित तिथि को हुआ है। इनके विपरीत कुछ ऐसे भी संविधान हैं जिनका निर्माण किसी निश्चित समय में न होकर अमरा विकास द्वारा हुआ हो। शासन-विधान को बनाने में कई मद्रियाँ रखती हैं। उदाहरणार्थ भारत के संविधान का एक निश्चित समय में निर्माण हुआ है। परन्तु इंग्लैंड का शासन-विधान कई सदियों के विकास का फल है। अमेरिका का संविधान भी एक निश्चित समय में निर्मित हुआ था। इन दृष्टि में संविधान निर्मित तथा निर्मित कहना है। नाकारणतः यह कहा जा सकता है कि विकसित-विधान अतिवित्त होता है तथा निर्मित-विधान अतिवित्त होता है।

निर्मित-संविधान बड़े प्रकार में बन सकता है। यह जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाया जा सकता है या राजा और उनके परामर्शदाताओं द्वारा। नाथो-मन्त्रः ध्वजस्थापिका भी विधान का निर्माण कर सकती है। प्रथम महायुद्ध के पूर्व आस्ट्रेलिया का विधान इसी प्रकार बनाया गया था। विधान को बनाने के लिये एक विशेष संविधान सभा का आवाहन भी किया जा सकता है। उदाहरणार्थ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का विधान, या हमारे देश का संविधान इसी प्रकार की संविधान सभाओं द्वारा निर्मित हुए हैं।

संविधान-सभा में तात्पर्य उन विशेष सभा में है जो कि संविधान के निर्माण हेतु बनाई जाती हैं। यह सभा या तो जनता द्वारा निर्वाचित होती है, या यह भी हो सकता है, कि यह किसी राजा, नानामाह अथवा मुख्य कामेकारिणी द्वारा स्थापित हो। सर्वप्रथम, अमेरिकन स्वतन्त्रता युद्ध के पश्चात् उत्तरी अमेरिका के निवासियों ने अपने देश का संविधान बनाने के लिए एक ऐसी सभा बुलाई। इनके पश्चात् फ्रांस में राज्यक्रान्ति के बाद ऐसी सभा बुलाई गई। उत्तरी अमेरिका में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। चीनकी गताब्दी में रूस का संविधान ऐसी ही सभा द्वारा बनाया गया। हमारा संविधान भी ऐसी ही बना है। हमारी संविधान-सभा के विषय में अतृप्त छात्र यह है कि इनका जन्म विदेशी सरकार

ढाग बनाये हुये कानून के कारण हुआ। इसका निर्वाचन किस प्रकार होगा ? इसमें कितना मदद हमें / आदिवात ब्रिटिश सरकार द्वारा ही निश्चय की गई थी।

अठारहवीं सताब्दी के उत्तरार्ध में प्रजातंत्रवाद का विकास होना लगा और सबसे जनता ने यह माँग रखनी आरम्भ की कि राज्य का कार्य जनता के प्रतिनिधियों द्वारा ही चलाया जाय। इस कारण यह स्वाभाविक था कि सविधान भी जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित हो। इस पद्धति में यह लाभ है कि जनता का विश्वास रहता है कि सविधान में उसकी हिता की उपेक्षा नहीं की जावेगी। इसी कारण आधुनिक काल में मंत्र निरवृत्त शासन में मुक्ति पाने के पश्चात् जनता के प्रतिनिधियों द्वारा सविधान का निर्माण हुआ है। इन सब सविधानों में जनता के अधिकारों का ध्यान रखा गया है। अधिकतर सविधानों में मूल अधिकारों का ब्यवधान भी कर दिया गया है।

भारत में सविधानसभा की माँग—यद्यपि कांग्रेस का जन्म उन्नीसवीं सताब्दी में ही हो गया तथा बीसवीं सताब्दी के आरम्भिक वर्षों में विदेशी शासन के विरुद्ध भारता तथा आन्दोलन बढ़ने लग गए थे और स्वराज्य की माँग उठने लगी थी। तथापि यह नितांत सत्य है कि गाँधीजी के भारत आगमन के पश्चात् ही स्वतन्त्रता आन्दोलन जन-आन्दोलन हुआ। गाँधी जी ने ही एक प्रकार से सबप्रथम सविधान सभा का विचार भी भारत को दिया। उस समय यह स्पष्ट नहीं था और बल्कि एक संकेत मात्र था। सन १९२२ में गाँधीजी ने कहा था कि भारतीय-विधान भारतीयों की इच्छा का फल होगा न कि विदेशी सरकार द्वारा दिया हुआ दान। इस प्रकार हम दखत हैं कि गाँधी जी का यह विचार आरम्भ में ही था भारत का विधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जायगा। परन्तु इस विचार को गाँधीजी ने उस समय इससे अधिक स्पष्ट रूप में नहीं रखा। सन् १९२४ में पं० मोतीलाल नेहरू ने भी एक सविधान-सभा की माँग रखी थी। परन्तु यह कहने में कोई अल्पवित्त नहीं हागी कि कई वर्षों तक इस प्रश्न के ऊपर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया। सन १९३६ में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें स्वतंत्र भारत का विधान बनाने के लिये एक सविधान सभा की माँग रखी गई थी। सन १९५३८ में जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि स्वतंत्र भारत के सविधान का निर्माण जनता की जनता द्वारा ही होगा। इसके लिये उन्होंने यह सुझाया कि एक सवि-

1 The Congress stands for a genuine democratic State in India where political power has been transferred to the

धान सभा होनी चाहिये। इनका निर्वाचन जनता द्वारा वयस्क-मताधिकार के सिद्धान्त के अनुसार होना चाहिये। सन् १९३९ में कांग्रेस की कार्यसमिति ने संविधान-सभा की मांग रखते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था।

ब्रिटिश सरकार का विचार उस समय भारत को स्वतन्त्र करने का नहीं था और न भारत में पूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित करना ही। इसलिये संविधान सभा की मांग केवल मांग ही रही। परन्तु १९३९ में द्वितीय महायुद्ध का आरम्भ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारत की राय के उसे युद्ध में सम्मिलित कर दिया। देश में युद्ध के प्रति कोई उल्हास नहीं था। इस समय पूर्व में जापान ने भी अंग्रेजी के विरुद्ध युद्ध आरम्भ कर दिया। बर्मा इनके हाथ में निकल गया। ऐसे समय में भारत का हार्दिक सहयोग प्राप्त करने के लिये अंग्रेजी सरकार ने श्रम योजना प्रस्तुत की परन्तु इसने भारत को मनोपन्न न हुआ। १९४२ के घान्दोलन के पश्चात् पुनः समझौते की चेष्टा की गई। इंग्लैंड में जब मजदूर दल की सरकार बनी तब वहाँ के नये प्रधान मंत्री ने इस बात को स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत की शासन व्यवस्था कभी हो, इसका निर्णय वहाँ की जनता स्वयं करेगी। इसके पश्चात् ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत आया और इसकी वार्ताओं के फलस्वरूप संविधान सभा का जन्म हुआ।

कैबिनेट मिशन के संविधान सभा के रूप में सुझाव—कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना में यह तो स्वीकार किया कि समस्त जनता का अधिक ने अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिये यह सबसे अच्छा होता कि संविधान सभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर हो। परन्तु इस प्रकार के निर्वाचन के पश्चात् संविधान सभा के निर्माण करने में बहुत समय लगता और इससे विधान के बनने में भी बहुत विलम्ब हो जाता। इस कारण कैबिनेट मिशन ने यह सुझाव रखा था कि संविधान सभा का निर्वाचन प्रांतीय-व्यवस्थापिका सभा द्वारा हो।

इन दो कठिनाइयों के कारण कैबिनेट मिशन ने सुझाव रखा कि—

(१) प्रत्येक प्रान्त के सदस्यों की संख्या वहाँ की जनसंख्या के आधार पर निर्दिष्ट होगी। इसके लिए प्रति दस लाख व्यक्ति पीछे एक सदस्य रखा जायगा।

people as a whole and the Government is under their effective control. Such a State can come into existence only through a Constituent Assembly, elected by adult suffrage and having the power to determine finally the constitution of the country."

(२) इस प्रकार जो बूल सदस्य सख्या होगी उसको विभिन्न सम्प्रदायो के बीच उनकी सख्या के अनुपात में बाँटा जावेगा।

(३) प्रत्येक सम्प्रदाय के प्रतिनिधि व्यवस्थापिका सभा में उसी सम्प्रदाय के सदस्या द्वारा निर्वाचित हा, जैसे हिन्दू प्रतिनिधि हिन्दू सदस्यो द्वारा मुसलमान प्रतिनिधि मुसलमान सदस्यो द्वारा, आदि।

(४) इस चुनाव के लिये भारत में केवल तीन बडे सम्प्रदाय माने जायें साधारण—इसमें हिन्दू, ईसाई, पारसी, दलित-वर्ग आदि रम्ये जायें मुस्लिम तथा सिख।

(५) भारत के प्रान्ता को तीन भागा में बाँटा जाय। इसमें स 'क' भाग में वे प्रान्त हागे जिनमें हिन्दू-बहुमत होगा। 'ख' तथा 'ग' भाग में वे प्रान्त हागे जिनमें मुस्लिम बहुमत होगा।

इस योजना के अनुसार प्रत्येक भाग के सदस्यो की मख्या निम्नलिखित प्रकार से निश्चित की गई थी —

'क' भाग

प्रान्त	साधारण सदस्य	मुस्लिम सदस्य	योग
मद्रास	४५	४	४९
बुम्बई	१९	२	२१
संयुक्त प्रान्त	४७	८	५५
बिहार	३१	५	३६
मध्य-प्रान्त	१६	१	१७
उड़ीसा	९	०	९
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
योग	१६७	२०	१८७

'ख' भाग

प्रान्त	साधारण सदस्य	मुस्लिम सदस्य	सिख	योग
पजाब	८	१६	४	२८
सिंध	१	३	०	४
पश्चिम-पश्चिम सीमा प्रान्त	०	३	०	३
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
योग	९	२२	४	३५

'ग' भाग

प्रान्त	साधारण सदस्य	मुस्लिम सदस्य	योग
बंगाल	२७	३३	६०
घानाम	७	३	१०
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
योग	३४	३६	७०

इसके अतिरिक्त इस मुझाव में यह था कि 'क' भाग में कुछ सदस्य और जोड़े जायेंगे। एक वर्ग से तथा एक-एक दिल्ली और फजमेर से। इसी प्रकार 'ख' भाग में एक सदस्य ब्रिटिश बलूचिस्तान का जोड़ा जायगा। इनसे समस्त ब्रिटिश-भारत के सदस्यों की संख्या २९६ होगी।

जहाँ तक देशी राज्यों के सदस्यों का प्रश्न है उनके लिए यह मुझाव था कि उनके प्रतिनिधियों की संख्या १३ होगी। परन्तु इन सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होगा यह बाद को निर्दिष्ट होगा।

इस योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करने को वाइसराय ने सब प्रान्तों से कहा। इस निर्वाचन के फलस्वरूप ब्रिटिश भारत से काँग्रेस को २०५, मुस्लिम लीग को ७३, तथा १८ स्थान स्वतन्त्र उम्मीदवारों को प्राप्त हुए। इन स्वतन्त्र उम्मीदवारों में ११ हिन्दू, ४ सिख तथा ३ मुसलमान देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन नहीं हुआ।

इस संविधान-सभा में लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया। क्योंकि लीग के अनुसार हिन्दू तथा मुसलमान दो राष्ट्र थे। इन दो राष्ट्रों के लिए यह भाव-दक था कि दो संविधान सभाएँ होनी चाहिए न कि एक।

१५ जुलाई १९४७ का ऐक्ट :—इस ऐक्ट द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया तथा दो स्वतन्त्र राष्ट्रों का जन्म हुआ—भारत तथा पाकिस्तान। इन दो देशों में अलग अलग संविधान सभाओं का निर्माण हुआ। पाकिस्तान के निर्माण में भारत की संविधान सभा के सगठन में कुछ बदलाव हो गये। इसके सदस्यों की संख्या ३१० ही रही। इनमें से २३१ ब्रिटिश भारत तथा दोष ७९ राज्यों के सदस्य थे। दो सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण संविधान सभा के कार्य में केवल ३०८ सदस्यों ने ही सक्रिय भाग लिया।

१५ जुलाई १९४७ के ऐक्ट में यह था कि १५ अगस्त १९४७ को भारत तथा पाकिस्तान स्वतन्त्र उपनिवेश हो जायेंगे। इसके फलस्वरूप उपर्युक्त विधि

का भारत की सविधान सभा एक स्वतन्त्र सविधान सभा (Sovereign Constituent Assembly) हो गई। यहाँ पर यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निर्मित सविधान सभा स्वतन्त्र (Sovereign) नहीं थी। क्योंकि इस योजना के अनुसार जो सविधान इस सभा द्वारा बनाया जाता उसके लागू होने के पहले उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट की स्वीकृति प्राप्त करनी होती। परन्तु १५ अगस्त १९४७ को यह बन्धन दूर हो गया।

सविधान सभा का कार्य—इस सभा की प्रथम बैठक ९ दिसम्बर १९४६ को हुई। इस बैठक में डा० सच्चिदानन्द सिन्हा अस्थायी सभापित चुने गये। ११ दिसम्बर को डा० राजेन्द्र प्रसाद सविधान-सभा के स्थायी सभापित चुने गये। अपने भाषण में डा० राजेन्द्र प्रसाद ने भारत में एक ऐसे समाज की स्थापना पर जोर दिया जिसमें कि वर्ग न हो। ५० नहरू ने सविधान-सभा में एक प्रस्ताव रखा जिसमें कि इसके उद्देश्य स्पष्ट कर दिए गये थे। इस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि भारत एक स्वतन्त्र राज्य होगा। यह एक सभ होगा। इस सभ के प्रदेशों को वे सब अधिकार दिए जायेंगे जो कि सभ को नहीं मिलेंगे।¹ इस सभ में मगस्त शक्ति का स्रोत जनता होगी। यहाँ के नागरिकों को कई अधिकार दिये जायेंगे, जैसे समता का अधिकार, स्वतन्त्रता का अधिकार, आदि। इसके साथ-साथ यह भी कहा गया था कि अल्पसंख्यक, पिछड़ी हुई जातियों तथा क्वायरी क्षेत्र के निवासियों के हितों की रक्षा की जावेगी। यह प्रस्ताव २२ जनवरी १९४७ को स्वीकृत हुआ।

सविधान सभा ने कई समितियाँ स्थापित कीं। सरदार पटेल की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों के ऊपर परामर्श देने के लिए एक समिति नियुक्त की गई। इस समिति के नीचे चार उपसमितियाँ नियुक्त की गईं। इसका कार्य

1 इस प्रस्ताव में कहा गया था कि *The territories shall possess and retain the status of autonomous units together with residuary powers* परन्तु सविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियाँ सभ को दी गई हैं न कि प्रदेशों को। यह परिवर्तन देश के विभाजन के कारण आवश्यक समझा गया।

प्रत्येक संसद, आदिवासी, आदि की समस्या पर परामर्श देना था। इन्होंने से एक समिति नागरिकों के मूल अधिकारों के लिए स्थापित की गई।¹

संविधान-सभा ने एक समिति विधान का मसविदा (प्रारूप प्रपत्र draft) बनाने के लिए २९ अगस्त १९४७ को बनाई। इसमें ८ सदस्य थे।

- (१) डा० अम्बेदकर, सभापति
- (२) श्री गोपाल स्वामी धायगर
- (३) श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी धायगर
- (४) श्री कन्हैया लाल एम० मुन्दी
- (५) श्री एस० एम० साभ्रादुल्ला
- (६) श्री माधवराव
- (७) श्री बी० एल० मित्र
- (८) श्री डी० पी० खेतान

इस समिति ने जो मसविदा प्रस्तुत किया उसमें ३१५ धाराएँ और ८ अनुसूचियाँ थीं। यह मसविदा ५ नवम्बर १९४८ को संविधान-सभा के सम्मुख रखा गया। संविधान-सभा ने इस पर विचार करके २६ नवम्बर १९४९ को संविधान को पास किया। इस अन्तिम रूप में स्वीकृत संविधान में ३९५ धाराएँ तथा ८ अनुसूचियाँ हैं। यह विधान २६ जनवरी १९४९ से लागू हुआ। परन्तु कुछ धाराएँ २६ नवम्बर १९४९ से लागू हो गई थीं। उस दिन भारत-उप-निवेश सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न लोकतन्त्रात्मक-गणराज्य हो गया। परन्तु यह ब्रिटिश-राष्ट्र-मठल का सदस्य बना रहा।

1. कुछ मुख्य समितियों के नाम :—

- (1) Union Constitution Committee.
- (2) Union Powers Committee.
- (3) The Provincial Constitution Committee.
- (4) Advisory Committee on Minorities.

इसके अन्तर्गत चार उपसमितियाँ थीं—

अ—Minorities Sub-Committee.

ब—Fundamental Rights Sub-Committee.

घ—North East Tribal and Excluded Area Sub-Committee.

द—Tribal and Excluded Areas Sub-Committee.

सविधान के निर्माण में २ वर्ष ११ महीने १८ दिन का समय लगा। अमरीका का विधान बनने में ४ मास का समय, कनाडा का २ वर्ष ५ महीने, आस्ट्रेलिया का ९ वर्ष तथा दक्षिण अफ्रीका का १ वर्ष का समय लगा था। भारतीय सविधान सभाने ६,३९६,७२९ रुपये व्यय किये।

प्रश्न

(१) सविधान सभा से आप क्या समझते हैं? भारत में सविधान सभा की माँग क्यों तथा कैसे प्रारम्भ हुई?

(२) भारतीय सविधान सभा की उत्पत्ति, संगठन तथा कार्य पर एक छोटा निबन्ध लिखिए।

भारत के संविधान की विशेषताएँ

संविधान के स्रोत :—प्रत्येक देश के संविधान की कुछ विशेषताएँ होती हैं। वे उस देश के विशेष-परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती हैं। हमारे संविधान के विषय में यह कहा जाता है कि संसार के सब मुख्य संविधानों के गुणों को यहाँ एकत्रित कर दिया है। इसमें जो कुछ भी सत्यता हो, इतना स्पष्ट है कि भारत के संविधान के निर्माण का कार्य जिन लोगों को सौंपा गया था उन्होंने कई देशों के संविधानों से इसके निर्माण में सहायता ली है। इन प्रकार हमारे संविधान में अन्य देशों के संविधानों का प्रभाव है। एक लेखक के अनुसार 'यह एक अनूठा संविधान है जिसके कि कई स्रोत हैं'।¹

इंग्लैंड की तरह, इन संविधान द्वारा भारत में संसद-प्रणाली की सरकार (Parliamentary Form of Government) स्थापित की गई है तथा केन्द्र को शक्तिशाली बनाया गया है। इसके लिये अवशिष्ट अधिकार (Residuary powers) केन्द्र को दिये हैं। समूक्त राष्ट्र अमेरिका की तरह संविधान में नागरिक के मूल-अधिकारों का वर्णन है तथा एक स्वतन्त्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। आयरलैंड के संविधान का प्रभाव भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। वहाँ की तरह हमारे संविधान में राष्ट्रपति का निर्वाचन अमत्यक्ष रखा गया है तथा राज्यपरिषद् और विधान परिषदों में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का प्रबन्ध रखा गया है।

हमारे संविधान में १९३५ के ऐक्ट का भी बहुत अधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यह कहने में अत्युक्ति नहीं होगी कि बहुत सी बातों के लिये १९३५ का ऐक्ट ही नये संविधान का स्रोत है। एक लेखक के अनुसार संविधान में करीबन ७५ प्रतिशत बातें १९३५ के ऐक्ट से ली गई हैं।² उदाहरणार्थ केन्द्र तथा

1. "It is a unique document drawn from many sources."

2. Basu : The Constitution of India, p. 4.

Jennings says, "The constitution derives directly from the Government of India Act, 1935, from which in fact many of

राज्या के बीच वैधानिक सम्बन्ध निर्दिष्ट करने वाली धाराओं में अथवा राष्ट्र-पति को मस्टवाउट म अमाथागण अधिकार देने वाली धाराओं में १९३५ के ऐक्ट का प्रभाव स्पष्ट है। इसी प्रकार मध्य तथा राज्या के बीच अधिकार विभाजन के लिये जा मधीय राज्या की तथा ममवर्ती सूचियाँ हैं व भी इसी ऐक्ट पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त १९३५ के ऐक्ट का उद्देश्य भी भारत में समद-मद्विधि की स्थापना करना था न कि अर्ध-शासनिक पद्धति की। कुछ मात्रा तक यह स्वाभाविक था कि १९३५ के ऐक्ट का इतना अधिक प्रभाव हो। क्योंकि जिन मनुष्या का संविधान का प्राण्य बनान का वाय सापा गया था उनका इम ऐक्ट का अनुभव था। इमक साथ-साथ प्रशासनाय-मूर्तिधा की दृष्टि स भी १९३५ के ऐक्ट से बहुत कुछ लिया गया। क्योंकि अगर इमस पूणतया भिन्न संविधान बनाया जाता तो ब्रिटिश काउंसिल जा प्रशासनोय प्रवध चला आ रहा था उसमें बहुत कुछ हेर-फेर करना हाना।

(१) लिखित तथा निर्मित विधान — हमारा संविधान लिखित तथा निर्मित है। हम पहले अध्याय में बतला चुके हैं कि इम प्रकार के संविधान म क्या तात्पर्य हैं। संक्षेप में लिखित संविधान वह संविधान है जिसके कि अधिकतम भाग लिखित है। निर्मित संविधान वह है जिसका कि एक निश्चय समय में निर्माण किया गया हो। इम दृष्टि में भारतीय संविधान इंग्लैण्ड के संविधान से पूणतया भिन्न है। क्योंकि इंग्लैण्ड का संविधान अलिखित तथा विकसित संविधान का उदाहरण कहा जाता है। इंग्लैण्ड का संविधान इतिहास का फल है। इका अमल विराम हुआ है। एक समय वह राजतंत्रीय था परन्तु अब वह प्रजातंत्रीय है।

यद्यपि में प्रत्येक संविधान कुछ मात्रा तक लिखित तथा कुछ मात्रा तक अलिखित होता है। इसी प्रकार प्रत्येक संविधान कुछ मात्रा तक निर्मित तथा कुछ मात्रा तक विकसित होता है। इंग्लैण्ड के संविधान म कई बातें लिखित हैं। उदाहरणार्थ, १८३२ का मूथार विठ, अथवा १९११ का पार्लियामेण्ट ऐक्ट। समुक्त राष्ट्र अमेरिका के विधान में जो कि लिखित तथा निर्मित है कई बातें अलिखित हैं तथा विकास के फलस्वरूप हैं। भारत के संविधान में भी कालांतर में कई बातें ऐसी आ जावंगी जिनका कि विधान में कही भी उल्लेख नहीं

These provisions are copied textually" Some characteristics of the Indian Constitution, p 17
Also see Malhotra, The Constitution of India, p 1 and Ramvasan, Ibid p 143

मिलेगा। ऐसा प्रत्येक लिखित विधान में हुआ है। अमेरिका के विधान में केवल ४००० शब्द हैं। इसको भाषे-घटे में पढ़ा जा सकता है। परन्तु केवल इसकी पढ़ने से ही अमेरिका का शासनतन्त्र समझ में नहीं आ सकता है।¹

(२) विशाल लेख्य — भारत का संविधान एक विशाल लेख्य (document) है। इस संविधान में ३९५ धाराएँ तथा ८ अनुसूचियाँ हैं। अगर हम इसकी सभार के अन्य लिखित संविधानों से तुलना करें तो हम देखेंगे कि यह संसार के समस्त लिखित संविधानों में सबसे बड़ा है। संयुक्त-राष्ट्र-अमेरिका के संविधान में केवल ७ धाराएँ हैं, आस्ट्रेलिया के संविधान में १२० धाराएँ हैं। कनाडा के संविधान में १४७ धाराएँ हैं। परन्तु १९३५ के ऐक्ट से यह छोटा है। उसमें ४५१ धाराएँ (clauses) तथा १५ अनुसूचियाँ थीं। यह कहना असत्य नहीं होगा कि नये विधान की विशालता बहुत कुछ मात्रा तक १९३५ के ऐक्ट के प्रभाव के फलस्वरूप भी है। ऐसा प्रतीत होता है कि विधान निर्माताओं ने इस ऐक्ट को ही मूल्यतः ध्यान में रखकर नये संविधान का निर्माण किया है।

भारतीय संविधान में बहुत सी ऐसी बातों का समावेश कर दिया गया है जो कि दफावें में शासन-सम्बन्धी (administrative) हैं तथा जिनका संविधान में वर्णन नहीं होना चाहिए था।² प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान डा० जेनिंग्स (Jennings) ने भी इसी प्रकार के विचार प्रकट किये हैं।³ अगर इस

1. अमेरिका के विधान के विषय में एक लेखक लिखता है:—

"A model of conciseness it certainly is, for there are only 4,000 words in it, occupying ten or twelve pages of print, which can be read in half an hour. But let no one make the error of supposing that these ten or twelve pages can be understood merely by reading them, or that they contain all the constitutional rules which govern the American People today."

Munro : The Government of the United States, p. 53.

2. "Many of these matters relate to the details of the administration, and strictly speaking, should have no place in a Constitution."—Dr. M. P. Sharma, The Government of the Indian Republic, p. 28.

3. "The constitution is long and complicated, because the Government of India Act, 1935, on which it was in large measure

प्रकार का ढाना का संविधान में बहुत अधिक समावेश कर दिया जावे तो विधान का लचीलापन बहुत मात्रा तक चला जाता है। यह उचित नहीं क्योंकि इसमें संविधान को प्रत्येक नयी परिस्थिति के हल करने में अमुविधा का सामना करना पड़ेगा।

संविधान में केवल सभ सरकार तथा इसके तीन प्रमुख तत्वों—कार्य, पालिका व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका—का ही वर्णन नहीं है अपितु सभ के अन्तर्गत विभिन्न राज्या तथा इनके विधान का भी वर्णन किया गया है। अमेरिका में मधीय राज्या को अपना विधान बनाने तथा बदलने का अधिकार है। परन्तु हमारे संविधान द्वारा यह अधिकार राज्या को नहीं दिया गया है। इसका कारण यह है कि सभ का रूप निर्दिष्ट करने में विधान निर्माताओं ने कनेडा के संविधान का अनुसरण किया न कि गयुक्त राष्ट्र अमेरिका के। उनका उद्देश्य एक शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना करना था क्योंकि यह देश की एकता बनाये रखने के लिए आवश्यक था।

इसके अतिरिक्त संविधान में नागरिकता तथा नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। इन मूल अधिकारों के पश्चात् राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का भी वर्णन है। संविधान में संपत्ति, वित्त व्यापार निवाचन, अल्पसंख्यकों की स्थिति सरकारी सेवाएँ आदि का वर्णन किया गया है। इसके साथ-साथ अतर्कालीन व्यवस्था के लिए भी जो विशेष उपबन्ध हैं उनका संविधान में स्थान दिया गया है। इनमें से बहुत सी बातें ऐसी थीं जिनका वर्णन संविधान में आवश्यक नहीं था तथा जिनके लिए भारतीय संसद साधारण विधि बना सकती थी।

परन्तु यह है कि इन सब बातों का संविधान में वर्णन क्या किया गया है। कुछ लेखकों का कहना है कि भारत की परिस्थिति ऐसी थी, तथा यहाँ ऐसी समस्याएँ थी कि इन सब बातों का संविधान में समावेश देश के अर्थार्थ हित में है। अगर नहीं होता तो हमें बहुत सी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती। डा० अम्बेदेकर ने जो कि संविधान प्राहण समिति के अध्यक्ष थे इन सब बातों सम्बन्धी बातों का संविधान में समावेश उचित बताया। उनके अनुसार भारत में

founded, was long and complicated That Act had to distribute powers, formerly exercised under the authority of the Government of India, among various Indian Agencies and therefore went into great detail often more appropriate to a written Constitution" Jennings and Young, Constitutional Law of the Commonwealth, p 364 (1957 ed) Also see Jennings' Some Characteristics of the Indian Const pp 13 14

प्रजातन्त्र की जड़ें इतनी मजबूत नहीं हैं कि व्यवस्थापिका को शासन के रूप में उपयोग निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया जावे। क्योंकि वह इनको उचित भाँति से नहीं करेगी।

(३) लोकतन्त्रात्मक संविधान.—भारतीय-नविधान इस सिद्धान्त पर आधारित है कि राज्य की शक्ति का स्रोत जनता है। इनको नार्वेजिक संवन्ध (Popular Sovereignty) का सिद्धान्त कहा जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार राजा अपना सरकार राज्य की भस्मी करता नहीं। वे तो केवल घनता के नीकर अपना प्रतिनिधि हैं। जनता उता जनता है। यह सिद्धान्त यूरोप में आधुनिक काल में आरम्भ हुआ। इंग्लैण्ड में लोक में इसका आनाम मिलता है। फ्रान्स में स्मो तथा फ्रेंच-क्रांतिकारियों ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। अमेरिका का नविधान भी इसी सिद्धान्त पर आधारित है। भारतीय नविधान की प्रस्तावना में यह बात स्पष्ट रूप में बही गई है कि जनता ही राज्य की शक्ति का स्रोत है। संघ में तथा राज्यों में नारी शक्ति जनता के पास मानो गई है। जब पं० नेहरू ने संविधान-सभा के प्रथम अधिवेशन में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उसमें भी यही कहा गया था कि जनता शक्ति का स्रोत जनता है। इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर नविधान की प्रस्तावना का निर्माण हुआ। इस प्रस्तावना में कहा गया है:—

हम, भारत के लोग, भारत की एक सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न-लोक-तन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये, तथा उसके समस्त नागरिकों को:—

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विरपास, धर्म

और उपासना की स्वतन्त्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिये तथा उन सब में

शक्ति की गरिमा और राष्ट्र को

एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता, बढ़ाने के लिये,

दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख २६ नवम्बर १९४९ ई० (मिति भाग्यशील शुक्ल सप्तमी संवत् दो हजार विक्रम) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने हैं।

१. "Democracy in India is only a top dressing on the Indian soil which is essentially undemocratic. In the circumstances it is wiser not to trust the legislatures to prescribe forms of administration. This is the justification for incorporating them in the Constitution."—Dr. Ambedkar.

इस प्रस्तावना में यह व्यक्त किया गया है कि सविधान का निर्माण भारत के लोग कर रहे हैं तथा इन्हीं की इच्छा राज्य की सर्वोपरि इच्छा होगी। जनता अगर चाहे तो विधान में परिवर्तन कर सकती है। दूसरे शब्दों में सत्ता का स्रोत जनता है। इसी के लिये कहा गया है कि भारत 'लोकतन्त्रात्मक' राज्य है। लोकतन्त्र (democracy) से तात्पर्य है कि राज्य का कार्य, जनता के हित में जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जावेगा तथा जब जनता समझेगी कि प्रतिनिधि उचित रूप से काम नहीं कर रहे हैं तो वह इनको हटाकर उनके स्थान में नये प्रतिनिधि नियुक्त करेगी। प्रतिनिधि जनता के स्वामी नहीं अपितु सेवक है। इसमें यह अर्थ एना चाहिए कि लोकतन्त्रात्मक प्रणाली इस धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक को अपने हितों को पहचानने की शक्ति है एतदर्थ उसे अपनी स्वतन्त्र इच्छा के अनुसार काम करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये। हमारे सविधान की प्रस्तावना बहुत कुछ अमेरिकन सविधान की प्रस्तावना से मिलती है उसमें भी कहा गया है कि हम संयुक्त राष्ट्र के लोग इस सविधान को निर्मित तथा स्थापित करते हैं।

अमेरिकन लेखक मनरो (Munro) लिखता है कि यह सत्य है कि अमेरिका की सविधान सभा के सदस्यों ने जनता द्वारा निर्वाचित हुए थे और न उनके द्वारा निर्मित विधान जनता के सम्मुख उमरी स्वीकृति प्राप्त करने को रखा गया। तथापि विधान में यह बात घोषित की गई है कि वह जनता की इच्छा का फल है तथा इस बात को सब मानते चले आ रहे हैं। इसी प्रकार भारतीय सविधान-सभा का निर्वाचन भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में तथा वयस्क मताधिकार के ऊपर नहीं हुआ। सविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से प्रान्तीय विधानमण्डलों द्वारा हुआ। इन विधान मण्डलों का निर्वाचन १९३५ के ऐक्ट के अनुसार हुआ था। इस ऐक्ट के अनुसार इन चुनावों में केवल १३ प्रतिशत भारतीयों को मत देने का अधिकार था। इस कारण कई आलाचकों का कहना है कि सविधान सभा सम्पूर्ण भारतीय जनता की नहीं, परन्तु इस १३ प्रतिशत की प्रतिनिधि थी। इसलिये इसे समस्त भारतीय जनता के नाम में सविधान बनाने का

1 "We, the people of the United States, in order to form a more perfect Union, establish, justice insure democratic tranquility, provide for the common defence, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America"

2 Munro · Government of the United States, p 54

कोई अधिकार नहीं था। और इसी कारण यद्यपि संविधान में लोकतन्त्र का नाम लिखा गया है परन्तु मसौदा में यह विधान लोकतन्त्रात्मक नहीं है।

इस झालोचना के विरुद्ध यह तर्क दिया जाता है कि जित्त समय संविधान मसौदा का निर्माण हुआ उस समय ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि इसका वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन हो सकता। एक तो इस प्रकार के निर्वाचन के लिए बहुत अधिक समय चाहिए था और उस समय इतना भ्रष्टाचार नहीं था। दूसरे देश में हिन्दू-मुस्लिम समस्या ने इतना गम्भीर रूप धारण कर रखा था कि चुनाव करने का अर्थ देश भर की शान्ति को खतरे में डालना होता। तीसरे, देश में कांग्रेस का इतना अधिक प्रभाव था कि अगर वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन भी होता तब भी संविधान-मसौदा में कांग्रेस दल का ही निरान्त बहुमत होता।

संविधान की प्रस्तावना में लोकतन्त्रात्मक शासन पद्धति के अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि भारत एक सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न (Sovereign) गणराज्य (Republic) है। सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न होने से यह तात्पर्य है कि भारत पूर्णतया स्वतन्त्र है। राज्य की प्रभुता के दो पहलू हैं—आन्तरिक तथा बाह्य। आन्तरिक रूप में प्रभुता से यह तात्पर्य है कि राज्य के अन्तर्गत राज्य की इच्छा ही सर्वोपरि है तथा अपने अन्दर रहने वाले मनुष्य-व्यक्तियों तथा संस्थाओं को अपनी इच्छा मानने को बाध्य कर सकता है। बाह्य रूप में प्रभुता से यह तात्पर्य है कि राज्य किसी अन्य देश के अधीन नहीं है और न किसी रूप में इसकी परराष्ट्र-नीति किसी अन्य राष्ट्र द्वारा निर्धारित या प्रभावित होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों पहलुओं में प्रभुता का अर्थ स्वतन्त्रता है। संविधान में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि भारत अपने आन्तरिक तथा बाह्य दोनों क्षेत्रों में पूर्णतया स्वतन्त्र है।

भारत गणराज्य है। गणराज्य का अर्थ है कि भारत, में शासन का रूप राजतन्त्र नहीं होगा। राजतन्त्र से तात्पर्य है कि जब देश का प्रधान वंशानुगत-

1. परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये जैना कि एक विद्वान ने कहा है कि "In India as in every free country with a written constitution, there are constitutional limitations which restrict the sovereignty. The Constitution prescribes its limits; it is restricted by the fundamental rights in several respects, and is controlled or regulated by an independent judiciary in the larger interests of liberty."—Sri K. M. Munshi.

क्रम से कोई राजा है। गणराज्य की परिभाषा करत हुए गानेर लिखता है कि यह राज्य का वह रूप है जिनमें राज्य की सर्वोपरि-इच्छा एक मनुष्य के हाथ में न होकर कई मनुष्यों के हाथ में हो। भारत में संविधान द्वारा गणराज्य स्थापित किया गया है न कि राजतन्त्र। जनता के प्रतिनिधियों को समस्त शक्ति दी गई है। जैसे तो देश का प्रधान एक राष्ट्रपति रखा गया है परन्तु यह केवल नाम-मात्र का प्रधान है।

इसके अतिरिक्त भारत को हम गणराज्य एवं दूसरे अर्थ में भी वह सकते हैं। स्वयं लेखक ब्लन्टशली लिखता है कि गणराज्य वह है जहाँ शासन समस्त जनता के हित में होता है। इस दृष्टि से भी भारत गणराज्य है। क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संविधान का उद्देश्य समस्त नागरिकों का उत्थान करना है। इसीलिए इसमें न्याय, स्वतन्त्रता तथा समता को आधार-भूत सिद्धान्तों के रूप में रखा गया है। इससे यह तात्पर्य है कि शासन किसी वग विशेष के हित में नहीं होगा। धनी तथा निर्धनों में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जावेगा। कानून प्रत्येक को समान दृष्टि से देखेगा। प्रत्येक शक्ति को बिना भेद के विकास के लिए समान अवसर दिये जायेंगे। सरकारी सेवाएँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुली हैं। गरीब से गरीब मनुष्य योग्यता होने पर ऊँचे पद पर पहुँच सकता है। इसी प्रकार सामाजिक क्षेत्र में भी कोई भेद-भाव नहीं रखा गया है। साम्प्रदायिकता, छुआ-छूत आदि के लिए संविधान में कोई स्थान नहीं है। स्त्री तथा पुरुषों को समान समझा गया है। इसके साथ साथ वयस्क मताधिकार का सिद्धान्त भी माना गया है।

(४) सघात्मक सरकार तथा शक्तिशाली केन्द्र — संविधान द्वारा भारत में एक संघात्मक सरकार की स्थापना की गई है।¹ इस संघ की स्थापना कई स्वतन्त्र राज्यों के आपस में मिलकर रहने की इच्छा के फलस्वरूप नहीं हुई है, अपितु एक एकात्मक सरकार सघात्मक सरकार में परिवर्तित कर दी गई है। साधारणतः संघ स्वतन्त्र राज्यों के बीच एक समझौते के फलस्वरूप बनते हैं। इस दृष्टि से भारत-संघ अनूठा है।

भारत-संघ कई दृष्टियों से अन्य संघों से भिन्न है। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि केन्द्र को बहुत अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। इसका कारण यह था कि संविधान के निर्माताओं के सम्मुख देश की एकता को अक्षुण्ण रखने का प्रश्न था। इस एकता को अक्षुण्ण रखने के लिए उन्होंने सोचा कि एक शक्तिशाली केन्द्र आवश्यक है। यहाँ पर केंनेडा

1 विस्तृत बर्णन के लिए चौथा अध्याय देखिये।

के संविधान का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। यहाँ तक कि सघ (Union) शब्द ही ब्रिटिश नॉर्थ अटलाण्टिक ऐक्ट की प्रस्तावना में से लिया गया है। डा० ग्रन्थेदकर ने संविधान सभा में कहा कि सघ (Union) शब्द से यह तात्पर्य है कि संघ इकाइयों के बीच किसी प्रकार के समझौता का फल नहीं है तथा इन इकाइयों को सघ को त्यागने का अधिकार नहीं है। यह बात तो प्रस्तावना में ही स्पष्ट हो जाती है कि इकाइयों को सघ त्यागने का अधिकार नहीं है। क्योंकि उसमें यह कहा गया है कि संविधान की रचना समस्त भारत की जनता द्वारा की गई है। इसलिए किसी राज्य-विशेष के इसको छोड़ने का प्रश्न उठता ही नहीं है।

क्योंकि संविधान द्वारा अत्यन्त शक्तिशाली केन्द्र वाले सघ की स्थापना की गई है, इसलिए भारत-सघ अन्य संघों से कई बातों में भिन्न है। इस पर पूरा प्रकाश तो भागे के अध्याय में डाला जायगा। यहाँ पर इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि :

(१) संविधान द्वारा अवशिष्ट अधिकार सघ को दिए गये हैं न कि राज्यों को।

(२) संविधान द्वारा समस्त देश के लिए एक ही नागरिकता रखी गई है न कि द्वैध। अर्थात् सघ और राज्यों को अलग नागरिकता नहीं है।

(३) राज्यों को अपना विधान बनाने का अधिकार उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन करने का अधिकार नहीं दिया गया है।

(४) समस्त देश के लिए एक ही न्यायपालिका की स्थापना की गई है अर्थात् सघ और राज्यों की न्यायपालिका अलग-अलग नहीं है।

(५) समस्त देश के लिए एक ही विधि (Law) की स्थापना की गई है।

(६) संविधान द्वारा सघ तथा प्रदेशों के अधिकार विभाजनार्थ तीन सूचियों का निर्माण किया गया है—सघ-सूची, राज्य-सूची तथा समवर्ती-सूची। सघ-सूची में दिए गए विषयों में केवल संसद ही कानून बना सकता है। राज्य सूची के विषयों पर राज्यों के विधान-मण्डलों को कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती-सूची के अन्तर्गत विषयों पर संसद तथा राज्यों के विधान-मण्डल दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। परन्तु यहाँ पर भी सघ संसद द्वारा निर्मित कानूनों को प्राथमिकता तथा प्रधानता दी गई है। कॅनेडा के विधान में भी इसी प्रकार तीन सूचियाँ हैं। सघ तथा इकाइयों के मध्य इस प्रकार विस्तार-पूर्वक अधिकार विभाजन का फल यह हुआ है कि संविधान में कानूनीपन (legalism) का प्रभाव है।

(3) मकट वाग में राष्ट्रपति का असाधारण अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगर राष्ट्रपति मकट (आपत्ति) की घोषणा करे तो साथ के हाथ में इनके अधिकार आ जाते हैं कि साथ के स्थान में एक एकात्मक सरकार स्थापित हो जायगी। क्याकि एम अवसरों पर राज्या का गविधान द्वारा प्रदान अधिकारों का अन्त हो जायगा। अय सभा में इय प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। ये उपबन्ध 19, 25 व एकत्र मलिये गए हैं।

इन सब विशेषताओं व होने व कारण भारत-मध का लम्बका न quasi federal कहा है।¹

(4) सामन्त पद्धति—यद्यपि भारत का प्रधान एक राष्ट्रपति है तथापि वहाँ की सरकार अध्यात्मक न हाकर सांसदीय पद्धति का है।²

भारतीय गविधान में यद्यपि राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है तथापि उसे अपने मंत्रियों के परामर्श व अनुमति का काम करना पड़ेगा। मंत्रिपरिषद् के सदस्यों के लिए मन्त्र का सदस्य होना आवश्यक है। मंत्रिपरिषद् लोकसभा व प्रति गामन्त्रि रूप में उत्तरदायी है। यह तभी तब अपने पद पर रहे सक्ता है जब तक दूसरी लोक-सभा का विभाग प्राप्त है, अथवा इस पदत्याग करना पड़ेगा। इन सब कारणों से हा यन् कहा गया है कि भारतीय गविधान सांसदीय-पद्धति की सरकार की स्थापना करता है। परन्तु इसमें साथ-साथ इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो कि सांसदीय पद्धति में नहीं हानी चाहिये जैय—

(1) राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा दिए हुए विन्ही आदेशों के लिये यह आवश्यक नहीं कि उनमें किसी मन्त्री द्वारा हस्ताक्षर किय जायें।

(2) राष्ट्रपति या राज्यपाल मन्त्र या विधान मन्त्र द्वारा पास किये विन् को फिर ग उनके विचारों कापि मन्त्र सक्त हैं। सांसदीय विधि का

1 'The Union is not strictly a federal polity but a quasi-federal polity with some vital and important elements of unitariness'—G N Joshi, The Constitution of India, p 34

K C Wheare says 'The new Constitution establishes, indeed, a system of government which is at most quasi federal, almost devolutionary in character, a unitary State with subsidiary federal features rather than a federal State with subsidiary unitary features'

2 सांसदीय पद्धति तथा अध्यात्मक पद्धति के लिये लेख की पुस्तक नाम रिक् दास व आधार देखिये।

आधारभूत सिद्धान्त वैधानिक प्रधान का उत्तरदायित्वहीन होना है। परन्तु भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ऐसी नहीं है।

भारतीय विधान में नागरिक-भ्रष्टाचार को इसलिए अज्ञान माना गया है क्योंकि इसमें सरकार जनता के प्रांत भली प्रकार उत्तरदायी रहती है। दूसरे, क्योंकि भारत में ब्रिटिश काल में वैधानिक विकास क्रम-नागरिक-सरकार की तरफ ही हो रहा था। विद्वानों का यह मत है नागरिक विधि अभ्युत्थानक पद्धति में अच्छी है। इस विषय में प्रो० लास्की का एक उद्धरण दिया जाता है :—

“नागरिक-भ्रष्टाचार में कई लाभ हैं। कार्यकारिणी सभी तक पदावृद्ध रह सकती है जब तक इसको व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त है। इस प्रकार इसकी नीति में एक लचीलापन रहता है जिसके कारण कोई गति अवरोध नहीं होने पाता जैसा कि जब कभी राष्ट्रपति तथा कांग्रेस एक दूसरे से सहमत न हों, अमेरिका में हो जाता है। व्यवस्थापिका में कार्यकारिणी के सदस्यों की उत्पत्ति इन प्रणाली नीति को उचित प्रकार समझने का अवसर देती है। यह इस प्रकार उन लोगों का ध्यान आकर्षित करती है तथा आलोचना को चुनौती है जो कि इसके स्थान में पदावृद्ध होना चाहते हैं। इस प्रकार यह उत्तरदायित्व को स्थापना करती है। यह व्यवस्थापिका को मनमाने कानून बनाने से रोकती है क्योंकि इसका शासन में भी प्रभाव रहता है। और दूसरी तरह यह कार्यकारिणी को भी पतित होने से बचाती है जैसा बहुधा होता है जब कि एक मन्त्रिमण्डल की नीति पर्याय में अपनी नहीं होती है। इस प्रकार यह व्यवस्था उन दो शक्तों को संयोजित करती है जिनका मानस में घनिष्ठ सम्बन्ध अच्छे शासन के लिये आवश्यक है।”

(६) संशोधन की विधि.—प्रत्येक सभात्मक विधान अपरिवर्तनशील होता है। अपरिवर्तनशीलता ने यह तात्पर्य नहीं है कि यह कभी भी बदला नहीं जा सकता है। परन्तु इसका यह अर्थ है कि विधान में परिवर्तन एक विशेष विधि से ही हो सकता है। परिवर्तनशील विधान में तो व्यवस्थापिका ही विधान परिवर्तन करती है। परन्तु अपरिवर्तनशील विधान में साधारण कानून तथा वैधानिक कानूनों में अन्तर रहता है। इस कारण इसमें परिवर्तन के लिये एक विशेष सभा होती है। इसलिए यह कहा जाता है कि अपरिवर्तनशील विधान में परिवर्तन आसानी से नहीं होते हैं। परन्तु भारतीय संविधान में संशोधन की व्यवस्था सरल है। यह कहा जाता है कि सभात्मक सरकार में अपरिवर्तन-शील विधान का होना आवश्यक है, अन्यथा सदा यह भय लगा रहेगा कि

नध-भरखार राज्या की सरखारों के अधिकारों को हडप न कर जाय। दूसरे शब्दा म मघात्मक रूप के बने रहने के कारण संविधान में परिवर्तनशीलता आवश्यक गुण माना गया है। यह कहा जा सकता है कि भारत का संविधान 'अपरिवर्तनशीलता तथा परिवर्तनशीलता का मेल है।

संविधान की उन धाराधा मे, जो कि मघ तथा राज्या के मध्य अधिकार का विभाजन करती है किसी भी संशोधन के लिए यह आवश्यक है कि उम्को भारतीय संसद तथा आर्वे मे अधिव राज्यों के विधान मण्डलों की स्वीकृति प्राप्त हो। परन्तु संविधान के अन्य भागों म किसी भी संशोधन के लिये केवल भारतीय संसद की स्वीकृति की ही आवश्यकता है। परन्तु यहाँ पर यह कह दिया गया है कि उम संशोधन को संसद के प्रत्येक सदन की समस्त सदस्य सख्या वा बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों वा कम से कम दो तिहाई बहुमत प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार साधारण विधि रचना तथा संशोधन मे केवल यहाँ अन्तर रह जाता है कि साधारण विधि के लिए उपस्थित सदस्य का बहुमत ही पर्याप्त है। परन्तु इन उपबन्धों की मख्या अधिक नहीं है।¹ परन्तु भारतीय संविधान की कठोरता उसकी संशोधन विधि के कारण न होकर उमके आधार के के कारण है।²

(७) धर्म निरपेक्ष शासन की स्थापना — संविधान धर्म निरपेक्ष (Secular) शासन की स्थापना करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य यह है कि राज्य वा क्षेत्र तथा धर्म वा क्षेत्र अलग अलग हैं। आधुनिक काल मे पूव ऐसा नहीं होता था। प्रत्येक राज्य वा अपना एक विशिष्ट धर्म होता था। उस धर्म के अनुयायियों को राज्य की ओर से कई सुविधाएँ प्रदान की जाती थी। परन्तु अन्य धर्मावलम्बियों को वे सब सुविधाएँ नहीं थी। बहुधा यह भी हुआ है कि अय धर्मावलम्बियों के विरुद्ध कानून बना दिय जाते थे।

1 विस्तृत बर्णन के लिये पृष्ठ ६४ देखिये

2 Jennings लिखता है—In a Constitution "the degree of rigidity depends upon two factors First it depends on the degree of difficulty in the amending process Secondly, it depends upon the content of the Constitution What makes the Indian Constitution so rigid is that, in addition to a somewhat complicated process of amendment it is so detailed and covers so vast a field of law that the problem of constitutional validity must often arise" Jennings—Some Characteristics of the Indian Constitution, pp 9-10 Also see p 66

यूरोप में कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट देशों में इस प्रकार के कई उदाहरण मिल जायेंगे। परन्तु धार्मिक काल में सर्वत्र इस बात को माना जाने लगा है कि धर्म का क्षेत्र तथा राज्य का क्षेत्र सर्वथा भिन्न-भिन्न है। यद्यपि हमारे संविधान में वही पर लौकिक (Secular) शब्द व्यवहृत नहीं हुआ है तथापि स्पष्ट है कि संविधान ऐसे राज्य की स्थापना कर रहा है। दूसरे शब्दों में संविधान के अनुसार धर्म प्रत्येक मनुष्य का वैयक्तिक प्रश्न है। राज्य इसमें किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो मनुष्य चाहे जिस धर्म को मान सकता है। राज्य प्रत्येक धर्म के लिये बराबर सुविधायें देगा। ऐसा नहीं कि किसी को सुविधायें दी जावें तथा अन्य धर्मों को, वह न दी जावें। प्रत्येक धर्म वाले अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। इनमें कोई बाधा नहीं पहुँचाई जावेगी। वे अपने पूजार्थ पूजागृह, मन्दिर, मस्जिद, गिर्जे आदि स्थापित कर सकते हैं। सरकार उन्हें ऐसा करने से नहीं रोकेंगी। परन्तु यह अधिकार सीमित नहीं हो सकता है। धर्म की स्वतन्त्रता वही तक दी जा सकती है जहाँ तक वह समाज की शान्ति, सुरक्षा तथा नैतिक-भावना के विच्छेद न हो।

इसी कारण से धर्म के मामले में सरकार पूर्णतया निरपेक्ष है। सरकारी शिक्षा संस्थाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। उन संस्थाओं में जिनको सरकारी सहायता प्राप्त है किसी को किसी विशेष प्रकार के धार्मिक कृत्य में भाग लेने को बाध्य किया जा सकता है। धर्म के कारण राज्य किसी संस्था को सहायता आदि नहीं देगा। धर्म के कारण किसी व्यक्ति को सरकारी सेवा से वंचित नहीं किया जावेगा। संक्षेप में धर्म से राज्य का कोई प्रयोजन नहीं है। इससे यह तात्पर्य नहीं कि संविधान एक नास्तिक राज्य की स्थापना करता है, न यही अर्थ है कि नास्तिकों को विशेष सुविधायें प्रदान की जावेंगी। परन्तु इससे यह तात्पर्य अवश्य लेना चाहिए कि मनुष्य चाहे नास्तिक हो चाहे नास्तिक, चाहे हिन्दू हो चाहे मुसलमान, वह राज्य के लिये समान है।

इसी लौकिकता का एक पहलू यह भी है कि संविधान द्वारा अस्पृश्यता भ्रंश पोषित कर दी गई है। अब सर्वत्र हिन्दू हरिजनों को मन्दिरों के अन्दर जाने से नहीं रोक सकते हैं न वे उन्हें कुओं से पानी भरने से रोक सकते हैं। अस्पृश्यता के साथ-साथ साम्प्रदायिकता को भी हटा दिया गया है। इसी उद्देश्य से पृथक निर्वाचन-प्रणाली का अन्त कर दिया गया है। इसके साथ ही अब पहले की तरह अल्पसंख्यकों के लिये सीटें सुरक्षित नहीं रखी जाती हैं। सभुवत-निर्वाचन प्रणाली मान ली गई है। परन्तु अब भी हरिजन तथा

प्रादिम जातियों के लिये कुछ म्यान सुरक्षित रखने के लिए संविधान में उपबन्ध है। परन्तु कुछ काल पश्चात् ये भी हटा दिये जायेंगे।

धर्म-निर्देशना तथा अस्पृश्यता एवं साम्प्रदायिकता का अन्त इसलिए आवश्यक था कि देश की एकता दृढ़ की जाय तथा भारत का एक राष्ट्र हो जावे। इसी कारण संविधान निर्माताओं ने सोचा कि समस्त देश के लिए एक भाषा का होना भी आवश्यक है। राष्ट्रीयता के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहाँ भाषा का एकता न राष्ट्रीयता की भावना को सुदृढ़ करने में बहुत सहायता प्रदान की है। इसी कारण भारत में संविधान द्वारा समस्त देश के लिये एक ही राष्ट्र-भाषा स्वीकार की गई। यह हिन्दी है संविधान लागू होने के १५ वर्ष पश्चात् सब काम उसी भाषा में करना होगा। कुछ विद्वानों की राय में हिन्दी को इस प्रकार राष्ट्र-भाषा बनाना उचित नहीं हुआ है। क्योंकि भारत में कम से कम १४ अन्य ऐसी भाषाएँ हैं जिनका साहित्य है तथा जो उन्नत अवस्था में हैं। उत्तर भारत की भाषाओं में तो कुछ साम्य है। परन्तु दक्षिण भारत की भाषाएँ उत्तर भारत से सवथा भिन्न हैं। इन लोगों के मतानुसार किसी भाषा को इस प्रकार राष्ट्र भाषा नहीं बनाया जा सकता है। राष्ट्र-भाषा का तो धीरे धीरे विकास होगा। यह सत्य है कि भाषा की एकता राष्ट्रीयता के लिए नितान्त आवश्यक नहीं। उदाहरणार्थ, स्विटजरलैंड में तीन भाषाएँ हैं। परन्तु एक भाषा ऐसी होनी ही चाहिये जिसमें कि समस्त देश का काम सके। साधारण शब्दा में भारत में अंग्रेजी का स्थान लेने के लिए एक अन्य भाषा की आवश्यकता अवश्य है।

(८) मूल-अधिकार — भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कई अधिकार दिये गये हैं। इसका संविधान में वर्णन किया गया है। इनको नागरिकों के मूल अधिकार कहा गया है। इनसे यह तात्पर्य है कि राज्य व्यक्तित्व के विकास के लिये नागरिकों के कुछ अधिकारों को प्राप्त करने में कोई अड़बट डाले या सरकार किसी कानून द्वारा नागरिकों को उनका उपयोग करने से रोके तो नागरिक इनकी रक्षार्थ न्यायालय की शरण ले सकते हैं। आधुनिक काम में अधिकतर लिखित विधानों में इस प्रकार के अधिकारों का वर्णन रहता है। संविधान द्वारा निम्नलिखित अधिकार मूल अधिकार कहे गये हैं

- (१) समता अधिकार,
- (२) स्वातन्त्र्य अधिकार,
- (३) शोषण के विरुद्ध अधिकार,
- (४) धर्म स्वातन्त्र्य अधिकार,
- (५) संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार

- (६) नृस्यति का अधिकार,
(७) मविधानिक उपचारों के अधिकार।

इन मूल अधिकारों के अतिरिक्त संविधान में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि राज्य अपनी नीति निर्धारित करने तथा विधि बनाने में कुछ विशेष तत्वों का प्रयोग करेगा। परन्तु इन तत्वों की विशेषता यह है कि इनकी किसी न्यायालय द्वारा बाधयता न दी जा सकेगी। मविधान में यह कहा गया है कि ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं। राज्य का उद्देश्य, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना बड़ा गया है, जिसमें कि सबों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय प्राप्त हो। इसलिए राज्य की नीति का सञ्चालन इस प्रकार करने को कहा गया है जिसमें सभी नागरिकों को जीविक के पर्याप्त साधन हो; आर्थिक व्यवस्था सभी के लिए हितकर हो; पुराणों तथा स्त्रियों को समान कार्य के लिये समान वेतन दिया जाय, भादि। इसी उद्देश्य के लिए राज्य कई कार्य करेगा। ये कार्य निम्नलिखित बतलाये गये हैं :

- (१) ग्राम पंचायतों का मगठन,
- (२) कुछ अवस्थाओं में नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार।
- (३) श्रमिकों के लिये निवोह-मजदूरी,
- (४) नागरिकों के लिए एक समान व्यवहार-संहिता,
- (५) बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबन्ध; प्रादिम जातियों, अनुमृचित जातियों तथा अन्य दुर्बल विभागों की शिक्षा और अन्य सम्बन्धी हितों की उन्नति,
- (६) जीवन-स्तर को ऊँचा करने तथा सांख्यिक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयत्न,
- (७) कृषि और पशुपालन का संगठन,
- (८) राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और चीजों का संरक्षण,
- (९) कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण,
- (१०) अन्तर्राष्ट्रीय, दान्ति और मूरला की उन्नति।

इन राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में तथा नागरिक के मूल अधिकारों में यह मुख्य भेद है कि इनको किसी भी न्यायालय द्वारा बाधयता नहीं दी जा सकती है।

(६) स्वतन्त्र न्यायपालिका—संविधान द्वारा एक स्वतन्त्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। प्रत्येक स्वतन्त्र-राज्य में एक ऐसी सत्ता का होना

आवश्यक है जिसका निर्णय अन्तिम होगा तथा जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती है। एकात्मक सरकार जिन देशों में है वहाँ यह सत्ता व्यवस्थापिका के पास होती है। उदाहरणार्थ, इंग्लैण्ड में पार्लियामेंट सर्वोच्च सत्ता है। पार्लियामेंट द्वारा बनाये हुये कानून की कोई अवहेलना नहीं कर सकता है। डायरी के अनुसार यह जो कुछ चाहे वह कर सकती है तथा किसी भी कानूनी-बन्धन से नहीं बँधी है। इसको पार्लियामेंट की सर्वोच्चता (Parliamentary Supremacy) कहा जाता है। परन्तु सघात्मक सरकार में सर्वोच्च-सत्ता न्यायपालिका है। क्योंकि मघ-राज्य, कई राज्यों के आपस में एक समझौता करने से बनता है। अथवा, एक एकात्मक-राज्य अपने को सघात्मक राज्य में परिवर्तित कर सकता है। दोनों दशाओं में संविधान द्वारा मघ तथा इसकी इकाइयों के मध्य अधिकार-विभाजन हा जाता है। कुछ अधिकार सघ-सरकार को दिये जाते हैं तथा कुछ इसकी इकाइयों को। इस अधिकार-विभाजन में कोई परिवर्तन बिना इन दोनों दलों की स्वीकृति के नहीं हो सकता है। इस कारण यह स्वाभाविक है कि अगर केन्द्रीय व्यवस्थापिका को सर्वोच्च सत्ता बना दिया जावे तो इकाइयों के अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए यह सत्ता एक तटस्थ-शक्ति के हाथों में होनी चाहिये और यह शक्ति न्यायपालिका है।

मघ-राज्य में न्यायपालिका संविधान का संरक्षण करती है। इसको संविधान का संरक्षक (Guardian of the Constitution) कहा जाता है। इस प्रकार यह सघ तथा राज्य दोनों को अपने निश्चित क्षेत्र के अन्दर रखती है। इसके अतिरिक्त अगर इकाइयों का आपस में कोई झगडा हो तो इसका निर्णय भी यही करती है। अन्त में व्यक्ति के अधिकारों की भी यही रक्षा है।

भारतीय संविधान द्वारा भी, इन बातों के लिए एक स्वतन्त्र न्यायपालिका स्थापित की गई। इसकी स्वतन्त्रता तथा तटस्थता अक्षुण्ण रखने के लिए कई उपबन्ध बनाये गये हैं। इनका वर्णन आगे किया गया है।

(१०) उदार संविधान — भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि यह एक 'उदार संविधान' है। जैसा पहले लिखा जा चुका है इस संविधान का उद्देश्य भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतन्त्रता, समानता तथा आतन्त्र की प्राप्ति है। ये ही उदारवाद के लक्ष्य हैं। इसी कारण जैसा हम अगला चर्के हैं कि संविधान द्वारा, नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किये गये हैं और यह इसी उदारवादी विचारधारा का परिणाम है कि एक स्वतन्त्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है जो कि नागरिकों के मूल अधिकारों की संरक्षक है।

उदारवादी विचारधारा का मूल सिद्धान्त यह है कि व्यक्ति माघन नहीं है अपितु वह साध्य है। यह मूल्य है कि यदि इस सिद्धान्त को अतिदूर तक ले जाया जाय तो यह समष्टि के लिये धातक होगा। परन्तु यह भी नितान्त मूल्य है कि केवल समष्टि में ही ध्यान केन्द्रित करने से व्यक्ति की सत्ता का पूर्णतः लोप हो जाता है।

(११) भारत तथा राष्ट्र-मण्डल की सदस्यता.—संविधान द्वारा भारत एक सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न गणराज्य स्थापित हुआ है। हम बतला चुके हैं कि इसका क्या अर्थ है। परन्तु भारत इसके साथ-साथ राष्ट्र-मण्डल (Commonwealth of Nations) का भी सदस्य है। प्रश्न यह है कि क्या राष्ट्र-मण्डल की सदस्यता से भारत की स्वतन्त्रता में किसी प्रकार की कमी हुई है तथा क्या एक गणराज्य के लिए उचित है कि वह एक ऐसे मंडल का सदस्य हो जिसका प्रमाण एक राजा है।

इन प्रश्नों का उत्तर नली-भांति नमसने के लिये हमें यह देवना चाहिए कि राष्ट्र-मण्डल से क्या समझा जाता है। राष्ट्र-मण्डल का अर्थ उन देशों का मंडल है जो कि एक समय ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। धीरे धीरे इनमें से कई भागों ने इंग्लैण्ड से कई प्रकार के अधिकार प्राप्त कर लिये और वे अपने आन्तरिक मामलों से पूर्णतया स्वतन्त्र हो गये। सन् १९३१ में Statute of Westminster पास हुआ। इसमें यह स्पष्ट रूप से कह दिया कि ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल के सब सदस्य आपन में बराबर हैं कोई किसी के अधीन नहीं है तथा सबों ने स्वेच्छा से सम्राट को अपनी एकता का प्रतीक मान रखा है। इस प्रकार आन्तरिक विषयों में तथा बाह्य विषयों में राष्ट्र-मण्डल के सदस्यों को स्वतन्त्रता प्रदान की गई। परन्तु इसके साथ-साथ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्र-मण्डल में १९४७ से पूर्व केवल वे ही राष्ट्र थे जहाँ कि गोरों की भाषा बोलि थी या उनके हाथ में प्रभुता थी। उदाहरणार्थ कॅनेडा, न्यूजीलैण्ड, साउथ अफ्रीका। इसी कारण अंग्रेज लेखकों ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि राष्ट्र-मण्डल केवल एक राजनीतिक या आर्थिक एकता का ही फल नहीं है, परन्तु यह एक सांस्कृतिक एकता भी प्रदर्शित करता है।^१

1. "The unity of the Commonwealth is something more

साविमान ने ता राष्ट्रमण्डल का सदस्य रहना आरम्भ में ही निश्चित कर लिया था। परन्तु भारत में इसमें ठपक देना था। १९५० नेहरू तथा कांग्रेस व अन्य नेतागण तो इसमें ही रहना चाहते थे। परन्तु देश में कुछ अन्य ऐम लोग थे जिनके विचार में उगमें नहीं रहना चाहिये था। जून ५० नेहरू अप्रैल १९४९ में ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में गये ता वहाँ यह प्रश्न उठा। ५० नेहरू ने भारत की आर में यह निश्चय किया किया भारत इसका सदस्य नगा। इसलिए ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के अन्य सदस्यों ने इसमें नाम के धारण में ब्रिटिश हटा दिया। अतः यह बचल राष्ट्र मण्डल कहलने लगा।

इस राष्ट्र मण्डल की एकता का प्रतीक सम्राट् है। परन्तु भारत एक गणराज्य है। एक गणराज्य इसका सदस्य कैसे हा गया? इसके समझना का कहना है कि सम्राट् का केवल प्रतीक है और भारत सम्राट् को केवल प्रतीक मानता है इसमें अधिक कुछ नहीं। भारत इसकी सदस्यता के सम्बन्ध में सम्राट् के प्रति कोई अधीनता नहीं प्रदर्शित करता है। सर एर्नेस्ट बार्कर ने लिखा है कि सम्राट् (King) तथा राष्ट्र मण्डल के सदस्य सम्राट् के अधीन हैं। दूसरी आर सम्राट् केवल सम्बन्ध में रचित एतना का प्रतीक है। परन्तु भारत के साथ एक ही सम्बन्ध है। भारत सम्राट् को केवल एकता का प्रतीक मानता है। भारत सम्राट् के अधीन नहीं है।¹

मविधान में राष्ट्र मण्डल की सदस्यता के उपर कोई धारा नहीं है। यह सम्बन्ध मविधान व बाहर का है। इस सम्बन्ध का असली आधार कानून न होकर मसाह की राजनैतिक स्थिति है हमारे देश व गणराज्य ने समझा कि हमारे राजनैतिक अधिकार तथा हितों का सुरक्षण राष्ट्र मण्डल में रहने से हागा।

and the same attitude to sports—Sir, Ernest Barker Parliamentary Affairs, p 13, Vol IV No 1

1. "The relation of the King to the unity of the Commonwealth was double in its nature. On the one hand the King was the recipient of a common allegiance from all the individual members of all the countries of the Commonwealth. On the other hand he was a symbol. But in India, the King is not a recipient of allegiance. But (he) is acknowledged as the symbol of the free association of the independent member nations and as such the Head of the Commonwealth."

सतएव उन्होंने इसकी सदस्यता स्वीकार की। अगर कोई दूसरा दल कभी सरकार बनाने में सफल हुआ जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इंग्लैण्ड के साथ सहानु-भूति नहीं है तो यह सम्भव है कि भारत राष्ट्र-मण्डल में निकल जावे।

प्रश्न

- (१) भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ बताइए। (यू० पी० १९५९)
- (२) "राष्ट्रमण्डल" से आप क्या समझते हैं? भारत सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न राज्य होते हुए भी राष्ट्र-मण्डल का सदस्य क्यों है?
- (३) भारत के नवीन संविधान की क्या विशेषताएँ हैं?
(यू० पी० १९५२)
- (४) घमं निपेक्ष राज्य से क्या अर्थ है? हमारे संविधान द्वारा कहां तक ऐसे राज्य की स्थापना हुई है?
(यू० पी० १९५३)

At this place it will be interesting to note that Mr. Gordon Walker (who was Secretary of State in the Labour Government) said on February 20th 1953, that Shri Nehru's message to Queen Elizabeth "welcoming Your Majesty as the new head of the Commonwealth" had helped clearly and formally to enunciate that the Crown is the symbol of the free association of all members of the Commonwealth whether they be monarchies or republic."—*Amrit Bazar Patrika*, 1. 1953.

The statement issued after a Conference of Prime Ministers, attended by Pt. Nehru in London, stated, "The Government of India, have declared and affirmed India's desire to her full membership of the Commonwealth of Nations and her acceptance of the King as the symbol of the free association of the independent nations as the head of the Commonwealth"

भारत-संघ तथा इसका राज्य-क्षेत्र

I भारत सघ

मंत्रिधान ही प्रथम धारा में लिखा है कि भारत अथवा इण्डिया राज्या का सघ होगा। इसलिये हम इस अध्याय में सबसे-प्रथम यह देखना चाहिये कि सघ-राज्य की क्या परिभाषा है इसके क्या लक्षण हैं इसकी क्या आवश्यक दशाएँ हैं? इसके पश्चात् हम यह देखेंगे कि भारत सघ में ये लक्षण कहाँ तक वर्तमान हैं इसके क्या विशेष लक्षण हैं जो अन्य सघ सरकारों में भिन्न हैं, क्या हम इसको सघ कह सकते हैं तथा क्या भारत के लिये सघात्मक विधान उपयुक्त है?

सघ की परिभाषा — प्रा० स्ट्रांग सघात्मक सरकार की परिभाषा करते हुए लिखते हैं सघ राज्य में कई रियासतों कुछ समान उद्देश्या के लिए एक हो जाती हैं। कन्द्राय सरकार की शक्तियाँ रियासतों की शक्तियों के द्वारा सीमित हो जाती हैं। इसलिए एक ऐसी शक्ति हानी है जो कि इस अधिकार-विभाजन का निश्चित करती है। विधान ही स्वयं यह शक्ति होना है। इस विधान का स्वरूप एक सधि की तरह होना है।

सघ राज्य का प्रकार से बन सकते हैं एक ठग तो यह है कि जब कई स्वतन्त्र रियासतों कई कारणों से मिलकर एक राज्य बना लेती हैं। इस ठग से संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका का सघ बना था। दूसरा ठग यह है कि जब एक एकात्मक सरकार सघात्मक सरकार में परिवर्तित हो जाती है उदाहरणार्थ १८८९ में ब्राजील का सघ इसी प्रकार बना था। हमारा विधान भी इसी प्रकार बना है।

सघ सरकार के लक्षण — विधानों के अनुसार सघ-सरकार में निम्न लिखित लक्षण होने चाहिये —

(१) सघात्मक सरकार में एक लिखित विधान होना चाहिये। ऐसा विधान निश्चित तथा स्पष्ट होना है।

(२) यह विधान अपरिवर्तनशील (rigid) होना चाहिये। नही तो रियासतों की सरकारों का सबदा अपने अधिकारों के छीने जाने का भय लगा रहेगा।

(३) सघ-सरकार में विधान की ही प्रधानता (Supremacy of the Constitution) रहती है।

(४) संघ-सरकार तथा रियासतों की सरकारों के बीच अधिकारों का विभाजन होना चाहिये। यह विभाजन संविधान द्वारा ही किया जाता है।

(५) संघ-सरकार में एक स्वतन्त्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है। यह विधान की संरक्षक है। इसका काम संघ-राज्य तथा रियासतों के बीच झगड़ों का सुलझाता होता है।

संघ-सरकार के लिए आवश्यक दशाएँ — ये निम्नलिखित हैं:—

(१) कई छोटे राज्य हों, अथवा एक बड़ा राज्य हो जिसके विभिन्न भागों को संघ-इकाइयों में बदल लिया जाये।

(२) इन भागों की संस्कृति, सभ्यता, धर्म आदि में अधिक असमानता तथा भेद न हो।

(३) इन भागों में इतिहास की एकता होनी चाहिये।

(४) भौगोलिक दृष्टि से विभिन्न भाग मिले होने चाहिये। अगर एक रियासत हिन्द-महासागर में तथा दूसरी अटलांटिक-महासागर में हो तो संघ-राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है।

(५) इन राज्यों के राजनैतिक तथा आर्थिक हित परस्पर-विरोधी न हों।

भारत संघ में संघात्मक सरकार के लक्षण:—भारत संघ में संघ-राज्य के प्रायः सभी लक्षण वर्तमान हैं:—

(१) भारत का संविधान लिखित है। इसकी रचना संविधान सभा द्वारा की गई है।

(२) यह विधान अपरिवर्तनीय है। वैधानिक कानून तथा साधारण कानून में अन्तर है। विधान में संशोधन के लिये विशेष विधि है।

(३) भारत में भी संविधान की प्रधानता है।

(४) संघ तथा राज्यों के बीच इस संविधान द्वारा अधिकारों का विभाजन किया गया है तथा दोनों के क्षेत्र निर्दिष्ट कर दिये गये हैं।

(५) भारत में एक स्वतन्त्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। यह विधान की संरक्षक है तथा इसका काम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और संघ तथा इकाइयों के बीच झगड़ों का निर्णय करना है।

भारत सच के विशेष लक्षण — उपरोक्त वर्णित लक्षणा के होने हुए भी जो कि भारतीय सविधान तथा अन्य सविधानों में समान रूप से पाये जाते हैं, हैं, हमारे सविधान के कुछ विशेष लक्षण हैं। ये निम्नलिखित हैं —

(१) भाग्य-सच, जैसा कि साधारणतः अन्य सच राज्या के बनने में हुआ है, बहुत से स्वतन्त्र राज्यों के आपस में एक समझौता का फल नहीं है। सन् १९३७ में जब कि १९३५ का ऐक्ट लागू किया गया था भारत के प्रान्तों को स्वायत्त-शासन का अधिकार दे दिया गया था। इस प्रकार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एकात्मक सरकार के म्यान में एक सहायक-सरकार की स्थापना की। परन्तु इसने द्वारा ये प्रान्त स्वतन्त्र राज्य नहीं हो गये थे। इसलिये जब हमारे सविधान का निर्माण हुआ उस समय भी भारत में कई स्वतन्त्र राज्य नहीं थे, जो कि कुछ राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिये एक होना चाहते थे। अपितु केन्द्र में एक सरकार थी जो कि भारत की हानि, सुरक्षा तथा व्यवस्था के लिये उत्तर-दायी थी।

इसने अनिश्चित यह भी ध्यान में रचना चाहिये कि जब सविधान-सभा में भाग के लिये नये सविधान का निर्माण किया, उसमें विविध प्रान्तों का कोई भाग नहीं था। सविधान भारत की जनता ने, जिसने प्रतिनिधि सविधान-सभा में एतद्विध रचना की कि विविध प्रान्तों के प्रतिनिधियों ने।

(२) साधारणतः सच-राज्या में द्वैध नागरिकता होती है—सच की तथा राज्या की। उदाहरणार्थ, संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका में ऐसा है। वहाँ प्रत्येक नागरिक, सच का नागरिक है तथा साथ ही साथ अपने राज्य का भी। प्रत्येक राज्य (इसके) अपने नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार देता है, जैसे नौकरी, व्यापार, शिक्षा आदि विषयों में कुछ सुविधाएँ प्रदान करता है। पर भारतीय सविधान द्वारा द्वैध नागरिकता नहीं स्थापित की गई है। भारत में इक्करी नागरिकता है प्रत्येक व्यक्ति सच का नागरिक है। राज्या की अपनी अलग नागरिकता नहीं है। इस कारण कोई भी राज्य अपने नागरिकों को कोई ऐसी सुविधा व्यापार, शिक्षा, आदि की नहीं प्रदान कर सकता है जा कि अन्य नागरिकों को उपलब्ध न हो। बनाइया के सविधान में भी इक्करी नागरिकता है। सन् १९३५ के ऐक्ट ने द्वारा इक्करी नागरिकता स्थापित हुई थी।

(३) साधारणतः सच-राज्या के इकाइयों को यह अधिकार रहता है कि वे सच के अन्तर्गत अपने सविधान का स्वयं ही निर्माण करें। उदाहरणार्थ, संयुक्त-राष्ट्र में सविधान सभा ने केवल सच के सविधान की ही रचना की थी कि इकाइयों की भी। उनको यह अधिकार दे दिया गया था कि वे जिस प्रकार का

चाहे लोकतन्त्रात्मक विधान बनायें। आस्ट्रेलिया में भी इकाइयों को इस प्रकार का अधिकार है। परन्तु भारत में कॅनाडा की तरह संविधान द्वारा राज्यों का संविधान का भी निश्चय कर दिया गया है। राज्यों को इन उपदण्डों में किसी प्रकार के परिवर्तन का भी अधिकार नहीं है।

(४) साधारणतः सभ राज्यों में सम्पूर्ण सरकार की व्यवस्था ही दोहरी होती है—सभ की व्यवस्था तथा राज्यों की व्यवस्था। इस कारण सभ राज्यों में दोहरी व्यवस्थापिका, दोहरी कार्यपालिका, तथा दोहरी न्यायपालिका होती है। परन्तु भारतीय संविधान में कई ऐसे उपदण्ड हैं जिनके द्वारा यह दोहरापन बहुत कम कर दिया गया है। नवंप्रथम नवविधान द्वारा सम्पूर्ण सभ के लिए एक ही न्यायपालिका की स्थापना की गई है। अमेरिका में मधीय न्यायपालिका तथा राज्यों की न्यायपालिकाएँ अलग-अलग होती हैं। परन्तु भारतीय संविधान में ऐसा नहीं किया गया है। कॅनाडा के संविधान में भी ऐसा ही है। इसके अतिरिक्त समस्त देश के लिये एक ही दीवानी व फौजदारी कानून है। इसी कारण दीवानी व फौजदारी कानून को समवर्ती सूची में रखा गया है। इसके साथ-साथ शान्ति की एवता के लिए समस्त देश के लिए अखिल-भारतवर्षीय सेवाओं का प्रवन्ध किया गया है। इस सेवा (Service) के सदस्य सभी राज्यों में उच्च स्तरों में नियुक्त किये जाते हैं। सभ तथा राज्यों की अपनी-अपनी सेवाएँ हैं, परन्तु ये दोनों ही अपने-अपने क्षेत्र के अन्दर सभ राज्य के कर्मचारियों को कार्यन्वित कर सकती हैं।

(५) भारत में एक अत्यन्त शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना की गई है। साधारण नमय में भी केन्द्र के पास कई ऐसी शक्तियाँ हैं जो साधारणतः अन्य संघात्मक संविधानों में नहीं पाई जाती हैं। राष्ट्रपति को राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति का अधिकार है। सभ सरकार कुछ विषयों में राज्य की सरकारों को प्रादेश दे सकती है और अगर कोई राज्य इन प्रादेशों का पालन न करे तो सभ सरकार स्वल्पकाल के लिये उस राज्य की शक्ति अपने हाथ में ले सकती है। सभ सरकार को राज्य-सूची में दिए हुए किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, यदि राज्यपरिषद् (Council of States) दो-तिहाई मत से यह पाम कर दे कि वह विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। संविधान में यह भी कहा गया है कि अगर राज्य के विधानमण्डल द्वारा बनाया हुआ कोई कानून राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित कर लिया गया है, तो वह बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के लागू नहीं हो सकता है।

उपर्युक्त उपबन्ध साधारणकालीन है। मकट-काल में तो मध-सरकार के पास इतनी शक्ति आ जाती है कि यह वस्तुतः एकात्मक सरकार में परिणत हो जाती है। अन्य संविधान में ऐसी कोई विधि नहीं जिनके द्वारा कि सघात्मक सरकार के स्थान में एकात्मक सरकार स्थापित हो जाये। इस विषय में भारत का विधान अनूठा है। मकटकाल में इस प्रकार मध के अधिकारों की वृद्धि सन् १९३५ के ऐक्ट से ली गई है।

(३) साधारणतः मध राज्या में यह व्यवस्था है कि मध मन्द् के ऊपरी भवन में प्रत्येक इकाई के बराबर सदस्य होते हैं। दूसरे शब्दा में राज्यों की जन-संख्या के आधार पर ऊपरी-भवन के लिये सदस्यों का निर्वाचन नहीं होता है। उदाहरणार्थ, अमेरिका में प्रत्येक राज्य सीनेट में दो सदस्य भेजता है। इस प्रकार के प्रतिनिधित्व का आधार यह सिद्धान्त है कि मध के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य बराबर है। निचले-भवन के लिये प्रतिनिधि जनसंख्या के आधार पर निर्वाचित होते हैं। भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है। ऊपरी-भवन (राज्य-परिषद्) में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर रखा गया है। कुछ राज्यों को केवल एक ही प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है जब कि उत्तर प्रदेश से ३१ प्रतिनिधि भेजे जायेंगे। कॅनाडा में भी राज्यों की बराबरी का सिद्धान्त नहीं माना गया है। वहाँ की ऊपरी भवन में इकाइयों के बराबर प्रतिनिधि नहीं है। अधिक से अधिक २४ तथा कम से कम ४ है।

(७) भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि है वह भी अन्य सघात्मक संविधानों से भिन्न है। उदाहरणार्थ, संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन व्यवहार में जनता द्वारा ही होता है। आस्ट्रेलिया अथवा कॅनेडा के गवर्नर-जनरल की नियुक्ति कॅबिनेट की राय के अनुसार सम्राट् द्वारा की जाती है। भारत अगर उपनिवेश ही रहता तो यही विधि यहाँ भी लागू होती। भारत के स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद यह विधि सम्भव नहीं थी। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव ससद के दोनों भवनों के सदस्य तथा राज्यों की विधान-सभाओं के सदस्यों द्वारा एक-परिवर्तनीय-मत-विधि (Single Transferable Vote) द्वारा होगा।

(८) भारतीय संविधान में कानूनीपन (legalism) को बहुत कमी है। साधारणतः सघात्मक संविधानों में कानूनीपन अधिक होता है। इनका कारण यह होता है कि सघात्मक संविधान का स्वरूप एक मन्धि की तरह होता है। जिसके द्वारा मध सरकार तथा राज्यों की सरकारों के मध्य अधिकार विभाजन किया जाता है। इस अधिकार विभाजन के फलस्वरूप इन दो दलों में

कठिनाईयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। उन समय फ़ैमले के लिये न्यायालय की सारण लेनी पड़ती हैं। परन्तु भारतीय संविधान में ऐसे सगडों के लिये कम स्थान है क्योंकि मध्य तथा राज्यों की सरकारों के बीच अधिकार-विभाजन अधिक स्पष्ट रूप से किया गया है। इसके लिए तो सूचियाँ बनाई गई हैं। एक तो मध्य-सूची है। इसमें १७ विषय हैं। राज्य-सूची में ६६ विषय रखे गए हैं तथा समवर्ती सूची में दिए गए विषयों में भी मध्य सरकार को प्राथमिकता तथा प्रधानता दी गई है। अवशिष्ट अधिकार भी मध्य को दिए गए हैं।

(९) भारतीय संविधान में यद्यपि संशोधन की व्यवस्था सरल रखी गयी है तथापि इसके विस्तार के कारण इसमें संशोधन कठिन होगा। इसलिए विद्वानों के अनुसार भारतीय संविधान में अपरिवर्तनीयता विशेष रूप से है।

क्या भारत का संविधान संघात्मक है?—भारतीय संविधान के उप-युक्त वर्णित लक्षणों से यह स्पष्ट हो गया होगा कि विधान निर्माताओं का उद्देश्य एक शक्तिशाली केन्द्र स्थापना था। इसी कारण मध्य सरकार को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिनके द्वारा यह राज्यों के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकती है तथा संकटकाल में सब राज्यों के सब अधिकार अपने हाथ में ले सकती है तथा इसका कारण यह कहा है कि यही एक रास्ता था जिसके द्वारा भारत की एकता को अधूण रखा जा सकता था। भूतकाल में भारत की एकता कई बार भंग हुई है। परन्तु संविधान में ऐसा न हो इस कारण शक्तिशाली केन्द्र स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त कई समस्याएँ ऐसी हैं जो सार्वदेशीय हैं। इस कारण भी मध्य-सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया गया।

परन्तु प्रश्न यह नहीं है कि शक्तिशाली केन्द्र भारत के हित में है या नहीं। प्रश्न वैधानिक (Constitutional) है और वह यह है कि क्या हम भारत को मध्य-राज्य कह सकते हैं? विद्वानों के अनुसार भारत मध्य-राज्य तो है परन्तु इसमें एकात्मक सरकार के भी कई लक्षण वर्तमान हैं। डा० अम्बेदकर ने संविधान-सभा में स्वयं इस बात को स्वीकार किया संघात्मक-सरकार के साथ साथ एकात्मक सरकार के लक्षण भी भारतीय संविधान में वर्तमान हैं। लेखकों के अनुसार भारतीय संविधान में एकात्मक-सरकार के लक्षण मुख्य हैं

1. देखिये Jennings का Characteristics of the Constitution.

2. "It may be correctly described as a quasi-federation with many elements of unitariness."—G. N. Joshi, Ibid, p. 136r (1952 cd).

तथा सघात्मक के लक्षण गौण। एक अन्य लेखक के अनुसार यह एक नवीन प्रकार का मध है।

क्या भारत में सघ सरकार की स्थापना उपयुक्त है?—इस प्रश्न का उत्तर देते समय हमें सघ-सरकार की आवश्यक दशाओं का ध्यान रखना चाहिये इनका हम पहले बयान कर चके हैं।

(१) भारतवर्ष एक विशाल देश है। इसके अन्तर्गत कई प्रदेश हैं जो कि जनसंख्या तथा क्षेत्र-विस्तार की दृष्टि से ससार के कई राष्ट्र से भी बड़े हैं। उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, करीबन इंग्लैंड के बराबर है। इसकी जनसंख्या करीबन ५ करोड़ ६३ लाख ४६ हजार है। इसी प्रकार अन्य प्रदेश भी हैं। सम्पूर्ण भारतवर्ष की आबादी ३१ करोड़ ८७ लाख ७६ हजार है। इसका क्षेत्रफल १२ लाख १८ हजार ३२७ वर्गमील है। यह स्पष्ट है कि इतने बड़े देश का शासन एक केन्द्रीय सरकार द्वारा सचरू रूपसे सम्पन्न नहीं हो सकता है।

(२) सघात्मक सरकार में ब्राइस (Bryce) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के ऊपर इतना अधिक काम नहीं रहता है कि वह काय-भार के कारण दब जाय। अपितु राज्यों की एक निश्चित-सीमा के अन्दर अपनी समस्याएँ अपने आप हल करने का अधिकार रहता है। इसका फल यह होता है कि दैनिक जीवन के मामलों में केन्द्रीय सरकार को अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ता परन्तु वह राष्ट्रीय महत्व के कामों में अपना समय लगा सकती है।

(३) भारत में भाषा, धर्म, तथा कुछ मात्रा में सस्कृति की विभिन्नता है। इसको स्वीकार न करना केवल हठधर्मी ही हो सकता है। इसलिए विभिन्न

Prof K C Wheare writes, But just as in Canada the federal principle was modified by unitary elements in the form of control by the general government of principal governments, so also in the Indian Constitution—but much more so—the central government is given powers of intervention on the conduct of affairs of the state governments which modifies the federal principle. The Constitution does not indeed claim to establish a federal union, but the federal principle has been introduced into its terms to such an extent that it is justifiable to describe it as a quasi federation”—Federal Government, p 28 (2nd ed)

1 Durga Das Basu, A Commentary on the Constitution of India, p 31.

भाषा-भाषी प्रान्तों को कुछ मात्रा तक स्वायत्त शासन देना आवश्यक है। इन प्रकार वे उल्लाहपूर्वक काम करेंगे तथा अपनी समस्याओं को भली भाँति सुलझाने की चेष्टा करेंगे। केन्द्र से यह आशा करना कि वह प्रादेशिक समस्याओं को उतनी ही अच्छी प्रकार समझ सकता है तथा हल कर सकता है जितना कि उस प्रदेश की सरकार, उचित नहीं है।

(४) नपात्मक सरकार एकात्मक सरकार में अधिक प्रजातन्त्रात्मक कही जाती है। क्योंकि इनमें जनता को शासन-प्रवन्ध में भाग लेने का अधिक अवसर मिलता है। सघात्मक सरकार में मधीय सनद् के द्वारा तथा राज्यों के विधान-मण्डलों द्वारा भी, जनता शासन के काम में नियमन रखती है।

(५) हमारे देश में प्रादेशिक विभिन्नताओं के माप-साथ इतिहास तथा संस्कृति की एक व्यापक भ्रम में एकता रही है। विभिन्न प्रदेशों के राजनैतिक तथा आर्थिक हित एक दूसरे के विरुद्ध नहीं हैं। इनमें आपस में भौगोलिक एकता भी है।

उपर्युक्त कारणों से यह कहा जा सकता है कि भारत के लिए नपात्मक संविधान ही उपयुक्त था।

II : संविधान में संशोधन की व्यवस्था

इस स्थान पर यह अनुचित नहीं होगा कि संशोधन व्यवस्था का भी वर्णन कर दिया जावे। हम पहले लिख चुके हैं कि यद्यपि भारत का संविधान कठोर है तथापि इसकी संशोधन व्यवस्था अन्य कठोर संविधानों की तुलना में मरल है। सघात्मक विधानों में कठोरता का होना आवश्यक माना गया है, क्योंकि अगर विधान में संशोधन की प्रथा तथा साधारण कानून निर्माण करने की प्रथा में कोई अन्तर न हो, दूसरे शब्दों में अगर संसद साधारण-विधि से ही संविधान में संशोधन कर ले, तो सभ के राज्यों को सदा यह भय लगा रहेगा कि उनके अधिकार सुरक्षित नहीं हैं। इस कारण सघात्मक विधान कठोर रखा जाता है।

भारतीय संविधान के संशोधन के लिये विशेष व्यवस्था है। परन्तु यह अत्यन्त मरल रखी गयी है। इसका कारण बतलाने हुए पं० नेहरू ने कहा था, कि, "हम यह चाहते हैं कि यह संविधान स्थायी हो, परन्तु संविधानों में स्थायित्व नहीं होता है। उनमें परिवर्तनशीलता होनी चाहिये। अगर आप किसी वस्तु को कठोर तथा स्थायी बनायें तो आप राष्ट्र की प्रगति को रोक रहे हैं..."

प्रत्येक दशा में, हमें इस सविधान को इतना कठोर नहीं बनाना चाहिये कि यह बदलती हुई अवस्थाओं के अनुसार न बदल सके"।¹

(अ) भारतीय सविधान के कुछ भाग ऐसे हैं जिसमें कि किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार भारतीय ससद् को दिया गया है। अर्थात्, ससद् साधारण बहुमत से उनको बदल सकती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इन उपबन्धों में कोई बदलाव सविधान का मसौदा नहीं माना गया है। इन प्रकार के उपबन्ध निम्नलिखित हैं —

(१) नये राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों का बदलना;

(२) राज्यों में विधान-परिषद् का उत्सादन (abolition) या सृजन (creation),

(३) केन्द्रीय सरकार द्वारा शासित भागों का विधान बनाना;

(४) अनुसूचित क्षेत्रों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों का शासन-प्रबन्ध;

(व) इन उपबन्धों के प्रतिरिक्त सविधान में जो उपबन्ध हैं उनको बदलने को ससोधन कहा जायगा। इन उपबन्धों को भी दो भागों में बाँटा जा सकता है :—

(a) सविधान में कुछ उपबन्ध ऐसे हैं जिनमें ससोधन के लिये संसद् के प्रत्येक सदन में कुल सदस्य सख्या का बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत के अनिवार्य यह भी आवश्यक है कि स्वायत्त राज्यों के विधान-मंडलों, में से कम से कम आधे राज्यों के विधान-मंडलों की स्वीकृति प्राप्त हो। केवल इसके परचात् ही राष्ट्रपति के समक्ष उसकी अनुमति के लिये रखा जावेगा। इस कोटि के उपबन्ध निम्नलिखित हैं :—

1. "While we want this Constitution to be as solid and permanent as we can make it, there is no permanence in Constitution. There should be a certain flexibility. If you make anything rigid and permanent, you stop the nation's growth . . .

In any event, we could not make this Constitution so rigid that it cannot be adapted to changing conditions"

- (१) राष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्ध रखने वाले (धारा ५४);
- (२) राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि (Manner of Election) से सम्बन्ध रखने वाले (धारा ५५);
- (३) सघीय कार्यपालिका की शक्ति की सीमा से सम्बन्ध रखने वाले, (धारा ७३);
- (४) स्वायत्त राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति की सीमा से सम्बन्ध रखने वाले (धारा १६२);
- (५) केन्द्रीय शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय से सम्बन्ध रखने वाले (धारा २४१);
- (६) सघीय न्यायपालिका से सम्बन्ध रखने वाले (भाग ५ का अध्याय ४)
- (७) स्वायत्त राज्यों के उच्च-न्यायालय से सम्बन्ध रखने वाले (भाग ६ का अध्याय ५);
- (८) सघ तथा राज्यों के विधानीय सम्बन्धों (Legislative relations) से सम्बन्ध रखने वाले (भाग ११ का अध्याय १);
- (९) सघ तथा राज्यों की विधानीय-सूची (Legislative Lists) से सम्बन्ध रखने वाले (सातवीं अनुसूची);
- (१०) ससद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्ध रखने वाले;
- (११) सरोधन प्रथा से सम्बन्ध रखने वाले (धारा ३६८) ।

(b) इन उपर्युक्त उपबन्धों के अतिरिक्त संविधान के अन्य उपबन्धों में सरोधन के लिए ससद के किसी सदन में इस उद्देश्य से एक प्रस्ताव उपस्थित किया जावेगा । यदि उस प्रस्ताव को प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत प्राप्त हो जावे तथा उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जावे तो वह संविधान में सरोधन हो जावेगा ।

सरोधन के प्रस्ताव के कानून होने के लिए भी राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है । इसलिए ससद द्वारा ऐसे किसी भी प्रस्ताव के पारित होने पर उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जायगा । परन्तु संविधान द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह किसी ऐसे प्रस्ताव पर अपनी अनुमति न दे ।

एक बात सरोधन-व्यवस्था के सम्बन्ध में याद रखनी चाहिये कि सरोधन का प्रस्ताव उपस्थित करने का अधिकार केवल ससद को दिया गया है । राज्यों

को यह अधिकार नहीं है कि वे अपने आन्तरिक विधान में किसी प्रकार का संशोधन करें। अमेरिका में राज्यों को यह अधिकार प्रदान किया गया है।

III भारत का राज्य-क्षेत्र

संविधान द्वारा भारत को एक सघ बनाया गया है। इस सघ की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसकी इकाइयों को इससे निकलने (secede) का अधिकार नहीं है। भारत के अन्तर्गत राज्यों को प्रारम्भ में संविधान द्वारा चार श्रेणियों में बांटा गया था। इनका संविधान की प्रथम अनुसूची में अमरा क, ख, ग, तथा घ वर्गों के राज्य कहा गया था। इस प्रकार से राज्यों का विभाजन इन विभिन्न प्रकार की कोटियों में किया गया था क्योंकि भारत के विभिन्न भाग राजनैतिक तथा आर्थिक दृष्टि में विभिन्न स्तरों में थे। उदाहरणार्थ, जो पहले ब्रिटिश भारत के प्रान्त थे वे भाग देशी रियासत वाले भाग से अधिक उन्नत थे। इन अलग-अलग वर्गों में प्रशासनीय व्यवस्था आदि में अन्तर रखा गया था। संक्षेप में इन चार वर्गों का वर्णन किया जायगा।

राज्य-पुनर्गठन के पूर्व व्यवस्था

'क' वर्ग के राज्य—इस वर्ग में वे राज्य थे जो ब्रिटिश काल में प्रान्त कहलाते थे। इनकी संख्या १० थी। ये निम्नलिखित थे—आसाम, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, मद्रास, मध्य प्रदेश दम्बई, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा आंध्र।

इन राज्यों को स्वायत्त शासन का अधिकार था। इनका मुखिया राज्यपाल (Governor) कहलाता था। इनमें से प्रत्येक में विधान-मंडल था। किन्हीं में दो सदन तथा किन्हीं में एक सदन था। इनका शासन प्रबन्ध वही था जो वर्तमान स्वायत्त राज्यों का है।

'ख' वर्ग के राज्य—इस वर्ग के राज्य पहले की देशी रियासतें थे। स्वतन्त्रता के पश्चात् देशी रियासतों का प्रश्न एक अत्यन्त ही जटिल प्रश्न के रूप में उपस्थित हुआ। स्वर्गीय सरदार बल्लभ भाई पटेल ने अत्यन्त ही योग्यता पूर्वक इसका समाधान किया। यह आवश्यक प्रतीत होता है कि यहाँ पर इन देशी रियासतों की समस्या का वर्णन किया जाय।

अंग्रेजों के शासन-काल में भारत दो भागों में बँटा हुआ था यद्यपि इन दोनों भागों के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार पूर्णरूपेण स्थापित था। एक भाग तो ब्रिटिश भारत कहलाता था। इसमें ११ प्रान्त तथा ९ चीफ कमिश्नर के प्रान्त थे। दूसरा भाग भारतीय रियासतों का था। इनका शासन भारतीय राजाओं या नवाबों द्वारा होता था। इनका कुल क्षेत्रफल ७१२,५०८ वर्गमील था। यह समस्त भारत के क्षेत्रफल का ४५ प्रतिशत था। इन सब रान्तों की जनसंख्या लगभग ९३,२००,००० थी। यह भारत की जनसंख्या का लगभग चौथाई भाग थी। सब मिलाकर ५६२ रियासतें थी। इनमें से २३५ को राज्य कहा जाता था, शेष को रियासत, जागीर, झाँद। मगर इन रियासत की परिभाषा करें तो यह कहा जायगा कि यह भारत की भूमि का टुकड़ा था जो कि ब्रिटिश भारत के अन्तर्गत नहीं था, जिसका शासन एक भारतीय नरेश के हाथ में था, परन्तु यह स्वतन्त्र नहीं था, क्योंकि सर्वोच्च-सत्ता (Paramount Power) इंग्लैंड के सम्राट के हाथ में थी।

ये रियासतें विभिन्न प्रकार की थीं। कुछ रियासतें तो इतनी बड़ी थीं जितनी कि ब्रिटिश भारत के प्रान्त जैसे हैदराबाद, काश्मीर आदि। कुछ अन्य रियासतें भी काफी बड़ी थी, जैसे ट्रावन्कोर, कोचीन, बड़ोदा, मैसूर आदि। दूसरी ओर ऐसी भी रियासतें थी जिनका क्षेत्रफल केवल कुछ एकड़ था। शिमला के पहाड़ों में एक रियासत की आबादी केवल २७ थी। इसकी वार्षिक आय करीबन ९०० रुपया थी। गुजरात तथा काठियावाड़ में कई छोटी रियासतें थी। इनकी संख्या करीबन २२६ थी। वार्षिक आय की दृष्टि से कुछ रियासतें ऐसी थी जिनकी आय १ करोड़ रुपये से अधिक थी जैसे हैदराबाद, मैसूर, आदि। कुछ रियासतें ऐसी थीं, जिनकी आय ५० लाख से ७० लाख के बीच में थी। परन्तु उनकी संख्या तो बहुत अधिक नहीं थी। अधिकतर रियासतों की आय बहुत कम थी।

रियासतें तथा सम्राट :- देशी रियासतें ब्रिटिश भारत से अलग थीं। उनकी प्रजा ब्रिटिश प्रजा नहीं थी परन्तु इन नरेशों की प्रजा थी। वे अंग्रेजी पार्लियामेंट के कानून में भी बाहर थे। इन देशी रियासतों तथा ब्रिटिश सरकार के बीच सम्बन्ध कानून की दृष्टि से इनके तथा सम्राट के बीच सम्बन्ध था। सम्राट ही सर्वोच्च सत्ता थी। सम्राट इन रियासतों के प्रति अपने कार्य भारत-मन्त्री या वाइसराय के द्वारा करता था।

प्रश्न यह है कि सर्वोच्च-सत्ता का इन देशी रियासतों से क्या सम्बन्ध था? इस प्रश्न का उत्तर बहुत कठिन है क्योंकि इस सम्बन्ध का कमी भी स्पष्ट रूप से

वर्षान नहीं किया गया। ब्रिटिश सरकार तथा इन रियासतों के बीच जो संधियाँ हुई थी वे सब एक प्रकार की नहीं थी, परन्तु उनमें आपस में बहुत मतभेद था। सन् १९२७ ई० में जो भारतीय रियासतों का मामला में कमेटी नियुक्त की गई थी वह भी इस बात का सतोपजनक उत्तर नहीं दे सकी कि इन देशी रियासतों की वैधानिक स्थिति क्या थी। इस कमेटी ने यह कहा कि "सर्वोच्च-सत्ता सर्वोच्च है" (*Paramountcy is Paramount*)। इस प्रकार हम देखते हैं कि देशी रियासतों की वैधानिक-स्थिति कभी भी स्पष्ट नहीं की गई। इसलिये इन विषय पर मन-विभ्रता हाना स्वाभाविक है। कुछ लोगों का यह विचार था कि ये रियासतें स्वतन्त्र राज्य थे तथा इनके और ब्रिटिश सरकार के आपस में सम्बन्ध सन्धि द्वारा निर्धारित थे। परन्तु यह धारणा ठीक नहीं है क्योंकि वास्तव में देशी-रियासतें स्वतन्त्र राज्य नहीं थीं। ब्रिटिश सरकार ने केवल इनके बाह्य मामलों पर ही नियन्त्रण रखती थी अपितु इनके आन्तरिक मामलों में भी अन्त-तोगत्वा ब्रिटिश सरकार का शब्द ही कानून था।

इन देशी रियासतों को यह अधिकार नहीं था कि वे किसी विदेशी राज्य से सम्बन्ध स्थापित कर सकें। उन्हें न केवल राजनैतिक परन्तु व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने का भी अधिकार नहीं था। देशी रियासतों को यह अधिकार नहीं था कि वे किसी अन्य राज्य से युद्ध की घोषणा कर सकें अथवा सन्धि कर सकें। बिना सर्वोच्च सत्ता की अनुमति के वे अपनी भूमि का कोई भाग न बेच सकते थे और न किसी रियासत को दे सकते थे।

इस प्रकार बाह्य मामलों में इन रियासतों के हाथों में कोई अधिकार नहीं था। अगर हम आन्तरिक मामलों में दृष्टिपात करें तो वहाँ भी वस्तुतः वही स्थिति पायेंगे। अधिकतर देशी राज्यों में नरेशा की इच्छा ही कानून थी। अपने अपने क्षेत्रों के अन्दर प्रत्येक रियासत दीधानी तथा फौजदारी दोनों मामलों में कानून बनाती थी तथा फैसला करती थी। राज्य के उच्चतम न्यायालय से निणय के विरुद्ध वही अपील नहीं हो सकती थी। वे अपने सामन्य प्रबन्धों के लक्ष्य के लिए करों का लगाते थे। कुछ रियासतें जिनके पास समुद्रीतट था बाहर जाने वाले तथा भीतर आने वाले माल पर चुगी लगाती थी। १५ देशी रियासतों में अपना डाक-विभाग था और लगभग २० रियासतों में अपने मिक्के चलते थे।^१ परन्तु इन सब बातों के होते हुए भी देशी रियासतें आन्तरिक क्षेत्रों में भी स्वतन्त्र नहीं थीं। ब्रिटिश सरकार इनके आन्तरिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर सकती थी तथा इनके कई बार हस्तक्षेप किया। कई राजाओं को विभिन्न कारणों

गद्दी से उतार दिया गया तथा उनके स्थान में उनके लटके को गद्दी पर बिठलाया गया। अथवा रियासत की गद्दी के लिये उत्तराधिकार का कोई झगड़ा हो तो ब्रिटिश सरकार ही उसको तय करती थी। इसी प्रकार उत्तराधिकार नाबालिन (minor) होता या तो देशी रियासत का शासन-प्रबन्ध ब्रिटिश-सरकार द्वारा ही किया जाता था। अथवा उन रियासतों में अथवा कोई झगड़ा उठ खड़ा होता तो ब्रिटिश सरकार ही उसका निपटारा करती थी। इन रियासतों की सेना की संख्या निश्चित थी और वह बढ़ाई नहीं जा सकती थी। इन राजाजों को यहाँ तक अधिकार नहीं था कि वे अपनी रियासतों में किला बना सकें। पुराने किले की मरम्मत भी वे बिना गवर्नर-जनरल की अनुमति के नहीं कर सकते थे।

ये रियासतें किसी विदेशी को अपनी रियासत में बिना भारत-सरकार की अनुमति के नौकर नहीं रख सकती थी। कोई भारतीय नरेश अथवा उसकी प्रजा बिना भारत सरकार के पासपोर्ट के विदेश नहीं जा सकते थे। यद्यपि देशी रियासतों में उनके ही कानून लागू थे तथापि छावनी, रेजीडेंसी, रेल की भूमि, तथा रियासत के अन्दर ब्रिटिश-प्रजा पर ब्रिटिश सरकार का ही कानून चलता था। इन रियासतों को अंग्रेजों को फाँसी देने का अधिकार भी नहीं था।

उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि ये रियासतें कितनी भी अर्थ में स्वतन्त्र नहीं थी। किसी भी भारतीय नरेश के लिए अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कोई काम कर अपनी गद्दी में क्षण भर बैठे रहना असम्भव था। ब्रिटिश सरकार इन राज्यों के मामलों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करती थी जब तक यह देखती थी कि यह नरेश कोई इन प्रकार का काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि अंग्रेजों के हितों को हानि पहुँचे। परन्तु ऐसा अथवा कभी हुआ तो राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी।

रियासतों में शासन-प्रबन्धः—कुछ छोटी-सी रियासतों को छोड़ कर शेष में प्राधुनिक अर्थ में कोई शासन-प्रबन्ध न था। नरेश की इच्छानुसार सब कुछ होता था। कानून भाए दिन बदलते थे। कुछ भी निश्चित नहीं था। छोटी रियासतों में तो इसा और भी खराब थी। कुछ राज्यों में तो एक प्रधान मंत्री तथा कुछ सहायक मंत्री होते थे। ये सब विषयों में नरेशों का मुँह ताकते थे क्योंकि वे तभी तक अपने पदों में थे जब तक कि ये इन नरेशों को प्रसन्न कर सकें। इसलिए यह स्वाभाविक था कि प्रजा की अधिक चिन्ता न कर ये नरेशों को प्रसन्न रखने की अधिक चिन्ता रखते थे। शासन में अप्रवृत्त बहुर अधिक था। पदाधिकारी अधिकतर अयोग्य थे। बड़े-बड़े पदों में चापलस नरेश।

जनता का कानून बनाने में कोई भाग नहीं था। क्योंकि जनता के प्रतिनिधि कभी भी शासन-प्रबन्ध में शामिल नहीं किये गये। अधिकतर राज्यों में निरक्षर तथा स्वेच्छाचारी शासन था। कुछ राज्यों में विधान-मण्डल स्थापित हुये थे। परन्तु इनमें अधिकतर सदस्य सरकारी होते थे। गैरसरकारी सदस्य या तो मनोनीत किये जाते थे या उनका म्यूनिसिपैलिटी आदि द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता था। इन विधान-मण्डलों के पास यथार्थ में कुछ शक्ति नहीं थी। उनको न राज्य के कानून बनाने का अधिकार था और न आय-व्यय निश्चित करने का। अधिकतर ये विधान-मण्डल केवल परामर्श देने के लिये थे। नरेश के पास यह अधिकार था कि इनकी बात माने या न माने।

करीबन ४० रियासतों में हार्डकोर्ट थे तथा इनका संगठन ब्रिटिश भारत की तरह किया गया था। ३४ रियासतों में न्याय-विभाग तथा शासन विभाग अलग-अलग थे। करीबन ३० रियासतों में विधान मण्डल थे। जहाँ तक स्थानीय स्वराज्य का प्रश्न है बहुत थोड़ी-सी रियासतों में इस ओर बंदन उठाया गया था। वहाँ वहाँ म्यूनिसिपैलिटी स्थापित की गई थी, परन्तु सरकारी सदस्य अधिक थे।

इन राज्यों में आय-व्यय का प्रबन्ध भी आधुनिक ढंग से नहीं होता था। करो के लगाने में आधुनिक कर-प्रणाली के किमी भी सिद्धान्त का पालन शायद ही किमी रियासत में किया गया हो। अधिकतर रियासतों में करो का लगाना, घटाना-बढ़ाना नरेश की इच्छा पर निर्भर था। हर साल नए कर लग जाते थे। इनसे जो आय होती थी उसका एक बड़ा भाग तो राजाओं के निजी खर्च के लिये चला जाता था। दूसरा बड़ा भाग राज्य कर्मचारियों के वेतन आदि में लग जाता था। केवल एक छोटा-सा भाग शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई के ऊपर खर्च होता था।

अधिकतर राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। केवल कुछ बड़ी रियासतों को छोड़कर शेष में उद्योग-धन्धों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता था। इस कारण प्रमुख व्यवसाय खेती था। खेती भी पुराने ढंग से की जाती थी। इसलिए पैदावार कम थी। लगान बहुत अधिक थे। जागीरदार, जमींदार, महाजन आदि उपज का एक बड़ा भाग हथिया लेते थे। इन सब कारणों से किसानों की दशा अत्यन्त शोचनीय थी। कुछ राज्यों में कल-कारखाने खुल गये थे। परन्तु इसका मुख्य कारण यह था कि यहाँ मजूरी बहुत सस्ती थी। इसलिये इनके खुलने से जनता को लाभ नहीं हुआ। मजदूरों की दशा भी अत्यन्त खराब थी।

सांस्कृतिक दृष्टि से भी रियासतें अत्यन्त पिछड़ी थीं। अधिकतर रियासतों में शिक्षा आदि का कोई भी प्रदत्त नहीं था। इन सब रियासतों में सब मिलाकर केवल दो विश्वविद्यालय थे। इतने दूर तक के स्कुलों की कुल संख्या ४०० से अधिक न थी। इसके प्रतिरिक्त पुस्तकालय, मनोविनोदशालाएँ आदि का भी अभाव था। अधिकतर राज्यों में पत्र तथा पत्रिकाओं का भी अभाव था। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन रियासतों की जनता प्रत्येक दृष्टि से पिछड़ी हुई थी।

देशी रियासतें तथा भारतीय संघ:—सन् १८५७ के विद्रोह के समय भारतीय रियासतों में अंग्रेजी रियासतों की बहुत अधिक सहायता की थी। इसके कारण १८५८ से ब्रिटिश सरकार ने इनके साथ उदार वर्तान करना शुरू कर दिया और यह धारणासत दिया कि उनके क्षेत्र में अनुचित हस्तक्षेप नहीं होगा। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने यह देखा था कि भारतीय नरेश संकट-काल में सदा सहायक होंगे।

ब्रिटिश सरकार ने १९१७ के पश्चात् कुछ बड़ी रियासतों में रेजीडेन्स नियुक्त किये। अन्य कई रियासतों के लिए एक रेजीडेन्ट होता था। छोटी रियासतों के लिये रिजीडेन्ट के नीचे पोलिटिकल एजेन्ट्स होते थे। इन सबका काम ब्रिटिश-हितों को देखना तथा इन नरेशों पर नियन्त्रण रखना था। नरेशों का प्रयत्न रहता था कि वे इन रेजीडेन्ट्स को प्रसन्न रखें। कहना अनुचित नहीं होगा कि वे अधिकारी ही रियासतों में सर्वोत्तम थे। नरेश इसके हाथों में केवल कठपुतली-भाग थे।

जब दोसवीं शताब्दी में ब्रिटिश भारत में स्वतन्त्रता की भावना बढ़ने लगी तथा राष्ट्रीय आन्दोलन बढ़ने लगा, तो अंग्रेजों ने इन रियासतों को सम्पूर्ण भारत की राजनैतिक व्यवस्था के अन्दर लाने की सोचा। इसका फल यह हुआ कि जो कुछ सुधार अंग्रेजों को करने पड़ते उनका अन्त सतत हो जाता। इतने-लिए अब १९१९ के ऐक्ट द्वारा कुछ सुधार किए गए, रियासतों का एक मंडल बनाया गया जिनको नरेश-मंडल (Chamber of Princes) कहा गया। इसकी स्थापना सन् १९२१ में सम्राट की घोषणा द्वारा हुई। इसमें १२० सदस्य थे। १०८ सदस्य तो १०८ बड़ी रियासतों के थे बाकी १२ सदस्य बाकी १२६ रियासतों के थे। बाकी १२६ रियासतों को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया क्योंकि वे केवल जागीरें थीं। इस नरेश मंडल की सदस्यता कुछ बड़ी रियासतों ने स्वीकार नहीं की, जैसे हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा।

नरेश-मंडल स्थापित करने का उद्देश्य यह था कि सब विषयों पर जो कि ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों दोनों से सम्बन्धित थे, वादसमय रियासतों का मत जान सके।

इस समय भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन जोरा पर था। भारतीय नरेशों को यह चिन्ता हुई कि अगर ब्रिटिश भारत में लोकतन्त्रात्मक भावना बढ़ी तो वह शीघ्र ही इन रियासतों में भी पहुँचेगी और इसका परिणाम यह होगा कि उनके स्वेच्छाचारी शासन का अन्त हो जाएगा। दूसरी तरफ नरेशों ने यह देखा कि भारत की सरकार उनके ऊपर अपनी प्रधानता की मांग बढ़ाती जा रही है।¹ इसलिये इन नरेशों ने यह माँग की कि रियासतों की समस्या पर एक कमेटी की स्थापना की जावे। इस कमेटी को बटलर कमेटी कहते हैं। इस कमेटी ने यह कहा कि सर्वोच्च शक्ति (Paramountcy) भारत की सरकार के हाथ में न होकर सम्राट के पास है। सम्राट यह शक्ति किसी भी भारत में स्थापित उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार को बिना नरेशों की सहमति के नहीं सौंपेगा। इसका फल हुआ कि जब १९३५ का ऐक्ट बना उसमें देशी रियासतों की स्थिति बहुत अच्छी रही। उनको यह अधिकार रहा कि वे भारतीय सघ में आवे या न आवे। परन्तु १९३६ का ऐक्ट केन्द्र में लागू नहीं हुआ।

जब ३ जून १९४७ को भारत की वैधानिक समस्या पर ब्रिटिश सरकार ने सुझाव रखे तो भारतीय रियासतों के बारे में उसमें यह कहा गया है कि वे भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकती हैं या स्वतन्त्र हो सकती हैं। यह उनकी प्च्छा पर निर्भर है। जहाँ तक सम्राट की सर्वप्रधानता का प्रश्न था भारतीयों को शक्ति हस्तांतरित करते समय उसका अन्त हो जावेगा।² इस प्रकार भारत की नई सरकार के सामने समस्या उठ खड़ी हुई कि किस प्रकार इन रियासतों को भारत-सघ में लाया जावे।

रियासतों में स्वतन्त्रता आन्दोलन — यद्यपि रियासतों में जनता का अधिकांश भाग अशिक्षित था तथा आधुनिक सामाजिक तथा राजनैतिक शक्तियों के प्रति उदासीन था तथापि अमश वहाँ भी चेतना का संचार होना प्रारम्भ हुआ। देशी रियासतों में भी नरेशों के स्वेच्छाचारी तथा भ्रष्ट शासन का अन्त कर लोकतन्त्रात्मक प्रणाली की स्थापना के लिये आन्दोलन प्रारम्भ हुआ।

1 Punnaiah Constitutional History of India p 324

2 जुलाई १९४७ के भारतीय स्वतन्त्रता ऐक्ट में यह उपबन्ध था कि एक निश्चित तिथि से "The suzerainty of His Majesty over the Indian states lapses, and with it all treaties and agreements in force at the date of the passing of this Act between His Majesty and the Rulers of the Indian States" Sec 7 (1) 6

परन्तु प्रत्येक रियासत में जहाँ इस प्रकार का आन्दोलन हुआ, नरेशों तथा उनकी सरकारों ने इसको दबाने में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी। इन रियासतों की जनता को उसी प्रकार की—कभी कभी उनसे भी अधिक—स्वतंत्रता तथा नृशंसता का सामना करना पड़ा, जैसा कि ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन-कारियों को। रियासतों की जनता ने स्टेट्स कांग्रेस की स्थापना की। इनकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महान् भूमि प्राप्त थी परन्तु यह उसका एक भाग नहीं था। रियासतों में आन्दोलन के विरुद्ध जो दमन हुआ उसका कारण एक ही यह था कि रियासतों के नरेश, सामन्त तथा अधिकारी वर्ग सभी लोक-तन्त्रात्मक प्रणाली से भयभीत थे, क्योंकि ऐसी प्रणाली में उनके लिए कोई स्थान नहीं था। दूसरी बात यह थी कि इन रियासतों में अंग्रेजी-नरेशों के प्रतिनिधि गर्वरा आन्दोलन को मली-भाति कुचलने के पक्ष में थे।

१९४७ के पश्चात् रियासतों की स्थिति — हम कह चुके हैं कि जुलाई १९४७ के ऐक्ट के द्वारा रियासतों के नामने तीन भाग खुले थे : (१) वे भारत में सम्मिलित हों; (२) वे पाकिस्तान में सम्मिलित हों; (३) वे स्वतन्त्र हो जावें। पर्याप्त तीसरा भाग बनने कठिन था तथापि कुछ रियासतें इसका ही अवलम्बन करना चाहती थीं। परन्तु इन रियासतों की कठिन समस्या यह थी कि न इनकी रक्षा के लिये भारत में ब्रिटिश-सत्ता ही थी, और न इनको अपनी प्रजा का ही सहयोग प्राप्त था। इस कारण जिन रियासतों ने इस प्रकार का प्रयत्न किया भी उनको सफलता नहीं मिली। आवाकोर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद—इन तीनों को अन्त में भारत के ही अन्तर्गत आना पड़ा।

राज्यों की समस्या को सुलझाने के लिए ५ जुलाई १९४७ को भारत सरकार ने राज्य-विभाग की स्थापना की। इसका कार्य यह था कि यह सब रियासतों को भारत में सम्मिलित करे। सर्वप्रथम तो भारत की सरकार ने रियासतों से केवल यही माँग की कि वे तीन महत्वपूर्ण विषयों को—शांति, सुरक्षा, तथा परराष्ट्र विभाग—भारत को सौंप दें। यह कार्य करीबन १५ अगस्त १९४७ तक पूरा हो गया।

यह केवल पहला कदम था। इसके पश्चात् यह आवश्यक था कि वे छोटी-छोटी रियासतें जो कि भारत में सर्वत्र बिखरी हुई थीं, जिनके पास सुशासन के लिए न पैसा था और न कर्मचारी, अपने पड़ोसी प्रान्तों में विलीन हो जावें। रियासतें इसके लिए तत्पर हो गईं। क्योंकि इनमें से कई में इन समय जन-आन्दोलन ज़ोरों पर था और ये रियासतें उसे सँभाल सकने में असमर्थ थीं। इसलिए अपने ही हित में इन नरेशों ने अपनी रियासतों को प्रान्तों में विलीन करना स्वीकार

कर लिया। इसके फलस्वरूप २१६ रियासतें, जिनका क्षेत्रफल १०८,७३९ वर्गमील तथा जनसंख्या १,९१,५८,००० थी प्रान्तों में विलीन हो गई। इस प्रकार इनकी अलग सत्ता का अन्त हो गया तथा सब विषयों में ये प्रान्तों का ही भाग हो गई।

इनके अतिरिक्त अन्य रियासतें थी जो कि शासन की स्वावलम्बी इकाइयाँ होने के योग्य न थी। उनका क्षेत्र-विस्तार बहुत अधिक नहीं था, उनकी आय भी कम थी। इसलिए उन रियासतों को जो कि भौगोलिक दृष्टि से एक थी, प्राप्त में सम्मिलित कर, उनके सघ बना दिये गए। इसके फलस्वरूप निम्नलिखित रियासती सघ बने —

- (१) सौराष्ट्र सघ,
- (२) पटियाला और पूर्वी पंजाब रियासती सघ,
- (३) मध्य-भारत सघ,
- (४) भावणकोर-बोधीन सघ,
- (५) समुक्त राजस्थान सघ।

इन सघों में 'ख' वर्ग के राज्यों का निर्माण हुआ। इनका मुखिया राज-प्रमुख कहलाता था। इसके अतिरिक्त उपराजप्रमुख भी नियुक्त हुए। किसी सघ में सम्मिलित रियासतों में से सबसे मुख्य का राजा राजप्रमुख बनाया गया। इस वर्ग में पहले विन्ध्यप्रदेश भी था। परन्तु वहाँ शासन-प्रबन्ध ठीक न होने के कारण बाद में वह 'ग' वर्ग के राज्यों की कोटि में रख दिया गया। इन ५ रियासती सघों का क्षेत्रफल १,१५,४५० वर्ग मील तथा जनसंख्या ३,४६९९,००० थी। इन सघों के अन्तर्गत २७५ रियासतें सम्मिलित थी।

शेष रियासतों में से ६१ रियासतें 'ग' वर्ग में रखी गई थी। उनको ७ राज्यों में संगठित किया गया है। ये राज्य निम्नलिखित थे —

- (१) हिमाचल प्रदेश,
- (२) कच्छ,
- (३) बिलासपुर,
- (४) भोपाल,
- (५) त्रिपुरा,
- (६) मनीपुर,
- (७) विन्ध्य-प्रदेश।

इनका कुल क्षेत्रफल ६३,७०४ वर्गमील तथा जनसंख्या ६९ लाख थी ये राज्य केन्द्र द्वारा शासित थे।

तीन रियासतों जो कि क्षेत्रफल तथा आय दोनों दृष्टियों से काफी बड़ी थी भारत संध की इकाइयाँ बना ली गईं। वे मैसूर, हैदराबाद तथा काश्मीर की रियासत थीं। मैसूर के भारत में सम्मिलित होने में कोई विशेष बात नहीं हुई। हैदराबाद में रजाकारों के उपद्रव के कारण तथा वहाँ के शासन की पड-यन्त्री नीति के कारण भारत की सेना वहाँ प्रवेश कर गई और १९४९ के अंत में यह भारत का भाग हो गया था। काश्मीर नरेश भी अपने राज्य को स्वतंत्र बनाना चाहता था, परन्तु यह इसलिये भारत में सम्मिलित होने को बाध्य हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने उस क्षेत्र में कबायली इलाके वालों को आश्रय देने भेज दिया। इस प्रकार काश्मीर भी भारत में सम्मिलित हो गया। (काश्मीर की स्थिति पर आगे अधिक विस्तारपूर्वक विचार किया गया है।)

नरेशों का प्रिवी पसः—जब तक इन रियासतों का शासन भारत से अलग था इसके नरेश रियासतों की आय का एक बड़ा भाग अपने ऊपर या अपने रिश्तेदारों, आदि के ऊपर खर्च कर देते थे। राजाओं के खर्चों के विविध मद थे—नाक-गाना, विदेश, यात्रा, मोटरकारों, महल बनवाना, या अन्य भोग विलास की वस्तुएँ। परन्तु स्वतंत्र भारत में सम्मिलित होने के बाद उनका व्यक्तिगत व्यय निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक नरेश का प्रिवी-पस उसके भारत सरकार से हुए समझौते में बर्णित कर दिया गया। इसका निश्चय इस प्रकार किया गया। प्रत्येक नरेश को अपनी रियासत की वार्षिक आय के प्रथम १ लाख पर १५ प्रतिशत, इसके पश्चात् दूसरे लाख से ५ लाख तक १० प्रतिशत तथा इसके बाद की आय पर ७½ प्रतिशत दिया गया। परन्तु किसी भी दशा में यह १० लाख वार्षिक से अधिक नहीं रखा गया। परन्तु कुछ रियासतें ऐसी थीं जिनके नरेशों को इससे अधिक दिया गया। जैसे, हैदराबाद के निजाम को ५० लाख वार्षिक या बढ़ीदा को २६ लाख वार्षिक देना निश्चित हुआ। इसके अतिरिक्त जयपुर जोधपुर, बीकानेर, पटियाला, धावनकोर, इन्दौर, मैसूर के नरेशों को भी १० लाख से अधिक दिया गया। परन्तु यह प्रबन्ध केवल वर्तमान राजाओं के साथ ही किया गया था। उनके उत्तराधिकारियों को १० लाख की सीमा के अन्दर ही दिया जायगा।

‘ग’ वर्ग के राज्य—इस वर्ग में १० राज्य थे। इनमें से तीन सविधान के प्रारम्भ होने के पूर्व चीफ-कमिश्नर के प्रान्त कहलाते थे। ये दिल्ली, भजमेर तथा कोङ्ग थे। इनके अतिरिक्त इस वर्ग में कुछ देशी रियासतें भी रक्ती गईं

थी। गविधान में यह कहा गया था कि इनका शासन केन्द्र द्वारा होगा। परन्तु सितम्बर सन् १९५१ के 'ग' राज्य सम्बन्धी विधेयन द्वारा इनमें से छह राज्यों को सीमित स्वायत्त शासन का अधिकार दिया गया था। इस वर्ग में निम्नलिखित राज्य थे

अजमेर, कच्छ, कोडग त्रिपुरा, दिल्ली विलासपुर, भोपाल मनीपुर, हिमाचल प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश।

सविधान की धारा २३९ (सप्तम् सशोध के पूर्व) के अनुसार 'ग' भाग के राज्यों के शासन के लिये राष्ट्रपति उत्तरदायी था। उसे इनके शासन के लिये चीफ-कमिश्नर या लेफ्टिनेन्ट गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था। ससद् को इन राज्यों के शासन के लिये विधान-मडल बनाने का अधिकार सविधान द्वारा दिया गया था। ससद् को इन राज्यों में परामर्शदाताओं अथवा मन्त्रियों की कौंसिल बनाने का भी अधिकार दिया गया था।

ससद् ने सितम्बर १९५१ में 'ग' वर्ग के राज्यों के लिये एक ऐक्ट पास किया था, जो Part C States Act 1951 कहलाता था। इस ऐक्ट के द्वारा कुछ राज्यों में विधान-मडल तथा कुछ राज्यों में परामर्श समिति की स्थापना की गई थी। परन्तु यह नही सोचना चाहिये कि इस ऐक्ट द्वारा 'ग' वर्ग के राज्यों में सीमित स्वायत्त शासन का अन्त हो गया था।

(१) दिल्ली, अजमेर, कोडग, भोपाल, हिमाचल प्रदेश तथा विन्ध्य प्रदेश में एक निर्वाचित विधान सभा की स्थापना की गई थी। इनके सदस्यों की संख्या इस प्रकार रखी गई थी दिल्ली-४८; अजमेर-३०, कोडग-२४, भोपाल-३०; हिमाचल प्रदेश-३६ तथा विन्ध्य प्रदेश-६०। इनमें से कुछ स्थान हर्जिनो के लिये तथा भोपाल, नाटग और विन्ध्य प्रदेश में कुछ स्थान जन जातियों के लिये सुरक्षित रखे गये थे।

इन विधान-सभाओं का कार्यालय सामान्यतः ५ वर्ष का था परन्तु आयात उद्घाषणा काल में बढ़ाया भी जा सकता था। प्रत्येक विधान सभा में एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होता था। प्रत्येक सदस्य को स्थान गृहण करने के पूर्व एक शपथ लेनी पडती थी।

इन विधान-मडलों को राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर विधि-निर्माण का अधिकार दिया गया था। परन्तु यदि इनका कोई नानून

संसद् के कानून का विरोधी हो तो संसद् के कानून को ही प्राथमिकता तथा प्रधानता दी गई थी। क्योंकि दिल्ली सभ की राजधानी है, इसलिये दिल्ली के विधान-मंडल के अधिकार अन्य विधान मंडलों से अधिक सुकुचित रखे गये थे। जैसे सुरक्षा, शक्ति, पुलिस तथा रेलवे पुलिस, नगरपालिका तथा अन्य स्थानीय शक्तियाँ और मजालत सम्बन्धी कानून बनाने का अधिकार इसको नहीं था।

'ग' वर्ग के राज्यों के विधान मंडल कई विषयों जैसे, राज्य सेवा आयोग, जूडिसियल कमिश्नर की मजालत का विधान तथा गंगडन, आदि, पर चीफ कमिश्नर (या लेफ्टिनेंट गवर्नर) की आज्ञा के बिना विधेयक नहीं पास कर सकते थे। इसी प्रकार वित्तीय विधेयक भी कामकारिणी के ही उत्तरदायित्व पर पेश हो सकते थे। प्रत्येक विधेयक को विधान मंडल द्वारा पारित हो जाने पर चीफ कमिश्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर राष्ट्रपति के विचाराधीन प्रस्तुत करता था।

(२) इन राज्यों में चीफ कमिश्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को मन्त्रणा देने के लिये एक मन्त्रिमंडल होता था। परन्तु चीफ कमिश्नर केवल नाम मात्र का ही प्रधान नहीं था। वह मन्त्रिमंडल की बैठकों में सभापति का आसन ग्रहण करता था। उसकी अनुपस्थिति में मुख्य मंत्री यह स्थान ग्रहण करता था। यदि चीफ कमिश्नर का किसी विषय में मन्त्रिमंडल से मतभेद हो जाय तो यह प्रबन्ध था कि यह राष्ट्रपति के विचारायें उसके द्वारा भेजा जाता और राष्ट्रपति का निर्णय अन्तिम निर्णय था। दिल्ली में चीफ कमिश्नर का मन्त्रिमंडल के ऊपर और भी अधिक अधिकार थे। कुछ विशेष परिस्थितियों में वह बिना मन्त्रिमंडल के राय के ही निर्णय ले सकता था।

चीफ कमिश्नर (लेफ्टिनेंट गवर्नर) तथा उनका मन्त्रिमंडल राष्ट्रपति के सामान्य नियन्त्रण में रखे गये थे।

(३) कुछ 'ग' वर्ग के राज्यों में विधान सभा की स्थापना नहीं की गई थी परन्तु इनके स्थान पर परामर्शदात्री समितियों को नियुक्त वा प्रबन्ध किया गया था। इस समिति की स्थापना का अधिकार राष्ट्रपति को था तथा उसके सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पदों में रहते थे। मनीपुर में इस प्रकार की समिति की स्थापना की गई थी।

'घ' वर्ग के राज्य :-—उस वर्ग में अन्तर्गत तथा निकोबार द्वीप रखे गये थे। इन क्षेत्रों का शासन राष्ट्रपति चीफ कमिश्नर या किसी अन्य अधिकारी द्वारा करता था। इन राज्यों के लिये संसद् द्वारा निर्मित किसी भी कानून को राष्ट्रपति रद्द कर सकता था। उसको इनके लिये नियम (Regulations) बनाने का अधिकार था।

कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी इस प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण था।

राष्ट्रीय कॉमेस तथा पुनर्गठन का प्रश्न :— राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति बहुत पहले से ही स्पष्ट थी। कांग्रेस का यह मत था कि ब्रिटिश शासन ने भारत का अनेकों प्रान्तों तथा प्रदेशों में विभाजन किसी वैज्ञानिक आधार पर नहीं किया था। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि ब्रिटिश शासन ने इन प्रान्तों के निर्माण में अपनी सामाजिक राजनैतिक, तथा प्रशासनीय आवश्यकताओं तथा सुविधाओं को ध्यान में रखा न कि देश के हित को। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि "The existing structure of the states of the Indian Union is partly the result of accident and the circumstances attending the growth of the British power in India and partly a by-product of the historic process of the integration of former Indian states. The division of these states into British provinces and princely states was a result of the British policy of 'divide and rule' and had no basis in Indian history. It was a result of the British policy of 'divide and rule' that, as a result of the abandonment, after the upheaval of 1857, of the objective of extending the British dominion by absorbing princely territories, the surviving states escaped annexation. The map of the territories annexed and directly administered by the British was also not shaped by any rational or scientific planning but by the military, political or administrative exigencies or conveniences of the moment."

कांग्रेस ने भाषा-सिद्धान्त को सन् १९०२ से ही अपना समर्थन प्रदान किया है जब कि इसने बंगाल-विभाजन का विरोध किया। इसी सिद्धान्त के आधार पर सन् १९०८ में कांग्रेस का बिहार प्रान्त तथा १९१७ में आन्ध्र तथा सिन्ध के कांग्रेस प्रान्तों का निर्माण हुआ। परन्तु यह सत्य है कि १९१७ के कांग्रेस अधिवेशन में डा० ऐनी बेसेन्ट के नेतृत्व में कुछ लोगो ने इस सिद्धान्त का घोर विरोध किया। परन्तु सन् १९२० में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के सिद्धान्त को स्वीकार किया। सन् १९२७ में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा यह घोषणा की कि प्रान्तों का भाषा के आधार पर निर्माण होना चाहिये।

प्रान्तों के पुनर्गठन के प्रश्न पर नेहरू कमेटी का भी यही विचार था कि यह भाषा के आधार पर होना चाहिये। इसके अनुसार, "यह सत्य है

वाञ्छनीय नै त्रि प्रान्तों का पुनर्संगठन भाषा के आधार पर हो। भाषा सामान्यत एक विशिष्ट मस्कृति, परम्परा तथा साहित्य की सूचक ह। एक भाषा-क्षेत्र में ये सब कारण प्रान्त की उत्पत्ति में सहयोग देगे।”

कांग्रेस ने सन् १९३७ में कलकत्ता अधिवेशन में तथा सन् १९३८ में वाघा में इसकी कार्यकारिणी समिति ने इन सिद्धान्तों का समर्थन किया। १९४५-४६ में अपने चुनाव-घोषणा में भी कांग्रेस ने इन मत को दुहराया कि प्रान्तों का निर्माण भाषा के आधार पर होना चाहिये।

सन् १९४७ में विधान सभा की स्थापना हुई और इसने इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक आयोग को नियुक्ति की जिसे दर आयोग (Dar Commission) कहा जाता है। इस आयोग ने दिसम्बर, १९४८ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा यह कहा कि केवल भाषा के आधार पर प्रान्तों का पुनर्गठन अनुपयुक्त है, मुख्यत ध्यान प्रशासनीय सुविधा पर रखना चाहिये।

इनके पश्चात् दिसम्बर १९४८ में कांग्रेस ने एक समिति का निर्माण किया, जिम्को जे० वी० पी (J. V. P.) समिति कहा जाता है। इसके सदस्य श्री नहरू, सरदार पटेल तथा डा० पट्टाभि नीतारमैया थे। इस समिति के अनुसार प्रान्तों का पुनर्संगठन देश की एकता के अहित में नहीं किया जा सकता। अतएव भारत की सुरक्षा, एकता तथा आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखते हुये ही यह किया जा सकता है। भाषावार प्रान्तों के निर्माण में अत्यन्त ही सावधानी की आवश्यकता है। इसलिए इस समिति का यह मत था कि यह प्रश्न स्पष्ट कर दिया जाय परन्तु यह आन्ध्र प्रदेश के निर्माण के पक्ष में थी।

आन्ध्र का निर्माण जैसा हम देख चके हैं १ अक्टूबर, १९५३ में किया गया। इसके पश्चात् ही राज्य पुनर्संगठन आयोग की स्थापना की गई।

आयोग की रिपोर्ट — राज्य पुनर्संगठन आयोग की रिपोर्ट ३० सितंबर १९५५ को भारत सरकार को वेग दी गई थी और सरकार द्वारा इनका प्रकाशन १० अक्टूबर को किया गया।

भारत सरकार के जिन प्रस्ताव द्वारा राज्य पुनर्संगठन आयोग की स्थापना की गई थी उनमें यह भी कहा गया था इस समस्या पर विचार करने समय भाषा को निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिये।

- (१) भारत की एकता तथा सुरक्षा;
- (२) भाषा तथा मस्कृति की समानता;

- (३) वित्तीय, आर्थिक तथा प्रशासकीय सुविधा; तथा
(४) राष्ट्रीय योजना की सफलता।

राज्य-पुनर्संगठन आयोग इस विषय में एदमन था कि देश के अन्दर राज्यों का निर्माण एक वैज्ञानिक आधार पर होना चाहिये। अंग्रेजों ने प्रान्तों का निर्माण इस प्रकार नहीं किया था। विदेशी मानकों के सम्मुख देश का हित तथा देश की उन्नति गण्य विषय थे। उनके लिये तो प्रमुख विषय यह था कि उनके प्रशासन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। जहाँ तक भारत का विदेशी प्रान्तों तथा देशों राज्यों में विभाजन का यह भी केवल ध्येयपत्र ही था। यह विभाजन देश के हित में नहीं था। इसके फलस्वरूप देश का समग्र भाग (४५% क्षेत्र) उन्नति नहीं कर सका और यहाँ की जनता अज्ञान ही पिछड़ी स्थिति में रह गई। यद्यपि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् इस विषय में सुधार हुआ परन्तु मूलस्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ।

आयोग के अनुसार पुनर्संगठन की किसी भी योजना को निम्नलिखित तत्वों पर पूरा ध्यान देना चाहिये :—

(१) पुनर्संगठन की किसी भी योजना को यह सदा ध्यान में रखना चाहिये कि इसका उद्देश्य भारत की एकता तथा सुरक्षा है। यदि देश की एकता को विना भी प्रकार धनका पहुँचता है तो यह योजना देश की एकता के हित में नहीं हो सकती। यह नहीं भूलना चाहिये कि देश के विभिन्न भागों का ही इसी में है कि भारत की एकता सम्पूर्ण रहे। विभिन्न भाषा-भाषी प्रदेशों को भारत के अन्दर अपना विकसित करने की पूरी स्वायत्तता होनी चाहिये। परन्तु देश की एकता देश की सुरक्षा के लिये आवश्यक है।

(२) केवल भाषा अथवा संस्कृति के आधार पर ही राज्यों का पुनर्संगठन न सम्भव है और न वांछनीय ही है। इन समस्याओं उचित प्रकार सुलझाने के लिये एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है ताकि देश की एकता को भंग न उत्पन्न हो। इन प्रकार के संतुलित दृष्टिकोण के लिये निम्नोक्त द्वारे आवश्यक है। —

(अ) यह मानना चाहिये कि भाषा की एकता एक महत्वपूर्ण बात है, जिससे प्रशासकीय सुविधा तथा कुशलता में वृद्धि होगी, परन्तु केवल इस निदान्त को इतना अधिक प्रतिपादन नहीं करना जा सकता कि प्रशासकीय विचार्य तथा राजनीतिक बातों पर ध्यान ही न दिया जाय।

(ब) इस बात का ध्यान रखना होगा कि विभिन्न भाषा-भाषी समूहों की सभार शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी आवश्यकताओं की उचित प्रकार पूर्ति हो, चाहे वे एक भाषा-भाषी राज्य में हो अथवा मिश्रित राज्य में।

(म) जहाँ सन्तोपजनक परिस्थितियाँ हैं तदा आर्थिक, राजनैतिक और भाषासकीय, सुविधाएँ वर्तमान हो वहाँ मिश्रित (Composite) राज्य बने रहने चाहिये, परन्तु इस बात की व्यवस्था होनी चाहिये कि इनमें सभी वर्गों को समान अधिकार तथा अवसर प्राप्त हो।

(द) निवास-स्थान सिद्धान्त (Homeland concept) का स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह भारतीय मतिधान के इस आधारभूत सिद्धान्त के प्रतिकूल है कि सभ के अन्तर्गत समस्त नागरिकों का समान अवसर तथा अधिकार प्राप्त है।

(य) एक भाषा एक राज्य का सिद्धान्त स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह भाषा की समानता के आधार पर उचित नहीं है क्योंकि बिना भाषा-सिद्धान्त का उल्लंघन किये एक ही भाषा बोलने वालों के एक से अधिक राज्य हो सकते हैं। यह सिद्धान्त व्यावहारिक भी नहीं है क्योंकि यह सदैव सम्भव नहीं कि एक ही भाषा बोलने वालों को, जैसे देश की हिन्दी भाषी विशाल जनसंख्या एक-भाषी राज्य में ही संगठित किया जा सके।

(र) अन्त में यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि एक भाषा-भाषी राज्यों निर्माण में जो पृथक्ता तथा प्रांतीयता की भावना जागृत होगी उसके नराकरण के लिये यह आवश्यक है कि भारतीय राष्ट्रवाद को अनेक प्रकार से अधिक गहन तथा गम्भीर बनाया जाय।

(३) राज्यों के पुनर्गठन में आर्थिक तथा वित्तीय बातों पर भी ध्यान देना चाहिये। राज्यों को आर्थिक दृष्टि से इतना सम्पन्न तो होना चाहिये कि माघारणत वे अपना व्यय-भार स्वयं वहन कर सकें। यह सत्य है कि केन्द्रीय सहायता आवश्यक हो जाती है परन्तु इसका उपयोग विकास-कार्यों के लिये हो जाना चाहिये।

(४) यद्यपि यह सत्य है कि राज्यों का इस प्रकार पुनर्गठन नहीं हो सकता कि वे आर्थिक क्षेत्रों के अनुरूप हों। न आर्थिक निर्भरता का सिद्धान्त ही स्पष्ट निर्माण है। परन्तु यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिये कि विकास कार्य के लिये जो साधन आवश्यक हैं उनका कुछ भाग वे अवश्य ही जुटा सकें। यह वांछनीय ही होगा कि राज्यों के मध्य मयासम्भव आर्थिक साधनों में अधिक भेद नहीं हो।

(५) राज्य इतने बड़े हों कि उनमें प्रशासकीय कुशलता हो तथा आर्थिक विकास और लोक-कल्याण कार्यवाहियों के मध्य संयोजन हो सके।

(६) पुनर्गठन के प्रश्न पर शून्य बातों के साथ जनता की इच्छा को भी महत्त्व देना चाहिये।

(७) वर्तमान स्थिति के तथ्यों को आर्थिक महत्त्व देना चाहिये न कि ऐतिहासिक तर्कों को।

(८) प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से केवल भौगोलिक समीपता पर ध्यान देना चाहिये।

(९) पुनर्गठन के प्रस्ताव केवल किसी एक ही बात पर निर्भर नहीं हो सकते। किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के पूर्व उपर्युक्त सभी बातों पर ध्यान देना आवश्यक है।

इकाइयों का मूल रूप :—पुनर्गठन आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यों का विभिन्न वर्गों में वर्तमान विभाजन उचित नहीं है। 'ख' वर्ग तथा 'क' वर्ग के मध्य भेद मिटाने के लिये राजप्रमुख के पद को समाप्त कर देना चाहिये और राज्यपालों को नियुक्ति होनी चाहिये। 'ग' वर्ग के राज्यों को अपने समीपस्थ बड़े राज्यों में यथासम्भव विलीन कर देना चाहिये। केवल हिमाचल प्रदेश, कच्छ तथा त्रिपुरा के ऊपर केन्द्रीय सरकार के कुछ निरोक्षण के अधिकार रहेंगे। वे 'ग' वर्गीय राज्य जिनका किन्हीं कारणों से विलय नहीं हो सकता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा शासित होंगे। इस प्रकार भारत संघ में केवल दो प्रकार की इकाइयाँ होंगी। संघ की प्राथमिक इकाइयाँ तथा केन्द्रीय शासित क्षेत्र।

आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सोलह प्राथमिक इकाइयाँ तथा तीन केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र होंगे। ये निम्नलिखित हैं :—

संघ की प्राथमिक इकाइयाँ

राज्यों के नाम	क्षेत्रफल	जन-संख्या
मद्रास	५०,१७० वर्ग मील	३ करोड़
केरल	१४,९८० "	१ करोड़ ३६ लाख
कर्नाटक	७२,७३० "	१ करोड़ ९० लाख
हैदराबाद	४५,३०० "	१ करोड़ १३ लाख
गोवा	६४,९५० "	२ करोड़ ९ लाख

राज्यों के नाम	क्षेत्रफल		जनसंख्या
बम्बई	१७१,३६०	वर्ग मील	४ करोड २ लाख
विदम्भ	३६,८८०	"	७६ लाख
मध्य प्रदेश	१७१,२००	,	२ करोड ६१ लाख
राजस्थान	१३२,३००	"	१ करोड ६ लाख
पञ्जाब	५८,१४२	"	१ करोड ७२ लाख
उत्तर प्रदेश	११३,४७०	,	६ करोड ३२ लाख
विहार	६६,१२०	,	३ करोड ८५ लाख
पश्चिमी बंगाल	३६,१९०	,	२ करोड ६७ लाख
आमाम	८०,०४०	,	९७ लाख
उडीसा	६०,१४०	,	१ करोड ४६ लाख
जम्मू तथा काश्मीर	२२,७८०	,	४४ लाख

केन्द्रीय शासित क्षेत्र

क्षेत्र	क्षेत्रफल	जनसंख्या
दिल्ली	५७८ वर्ग मील	१,७४४,०७२
मणिपुर	८,६२८ ,	५७७,६०५
१ अण्डमन तथा निकोबार	३,२११ "	३०,९७७

राज्यपुनर्गठन ऐक्ट — प्रयोग की इसी रिपोर्ट पर आधारित कर भारत सरकार ने मसद् में एक विधेयक प्रस्तुत किया और यह विधेयक ससद द्वारा पारित होकर राज्य पुनर्गठन ऐक्ट कहलाया। ३१ अगस्त १९५६ को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। इसे प्रभावी करने के लिए सविधान में संशोधन की आवश्यकता हुई। यह सविधान का सप्तम् संशोधन अधिनियम कहलाता है।

इस राज्य पुनर्गठन ऐक्ट की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं —

(१) इस अधिनियम द्वारा स्वायत्त राज्यों का 'क' तथा 'ख' वर्ग में विभाजन समाप्त कर दिया गया। सम्पूर्ण भारत क्षेत्र को दो प्रकार की इकाइयों में बाँटा गया है। इनको क्रमशः राज्य तथा केन्द्रीय क्षेत्र कहा गया है। 'ख' वर्ग के राज्यों के लुप्त हो जाने के कारण राजप्रमुख के पद का भी लोप हो गया है। इन तवीन स्वायत्त राज्यों की जिनका शासन उत्तरदायित्वपूर्ण है संख्या १४ है। ये निम्नलिखित हैं —

राज्यों के नाम	क्षेत्रफल	जनसंख्या
(१) आंध्र	१०५,९६२	३१,२६०,१३३
(२) आन्ध्रप्रदेश	२५,०१२	९,०४३,७०७
(३) बिहार	६७,१४६	३८,७७९,२६२
(४) बम्बई	१९०,९१९	४८,२६५,२२१
(५) केरल	१५,०३५	१३,५४९,११८
(६) मध्य भारत	१७१,२०१	२६,०७१,६३७
(७) मद्रास	५०,११०	२९,९७४,९३६
(८) मसूर	७४,३६७	१९,४०१,१९३
(९) उड़ीसा	६०,१३६	१४,६४५,९४६
(१०) पंजाब	४७,४२६	१६,१३५,८९०
(११) राजस्थान	१३२,०७८	१५,९७०,७७४
(१२) उत्तर-प्रदेश	११३,४०९	६६,२१५,७४२
(१३) पश्चिमी बंगाल	२३,९५८	२६,३०६,६०२
(१४) जम्मू तथा काश्मीर	९२,७८०	४,६००,०००

उत्पन्न राज्यों के प्रधान, जम्मू तथा काश्मीर के प्रतिनिधित्व, राज्यपाल कहलाते हैं तथा इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। काश्मीर राज्य का प्रधान सदर-ई-रियासत कहलाता है। इसी नियुक्ति राष्ट्रपति वहाँ पर प्रत्यक्षपिका की सिफारिश पर करता है। परन्तु इन सब राज्यों की संविधान के अन्तर्गत एक ही स्थिति है। ये सब स्वायत्त राज्य हैं। परन्तु काश्मीर की स्थिति, अभी भी कुछ मात्रा तक विशेष है।

चार राज्यों में इस अधिनियम द्वारा कोई क्षेत्रीय तथा सीमा-सम्बन्धी परिवर्तन नहीं हुए। ये राज्य जम्मू तथा काश्मीर, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र तथा उड़ीसा हैं। बिहार के दो छोटे टुकड़ पश्चिमी बंगाल में मिला दिये गये हैं। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद रियासत का तेलंगाना क्षेत्र मिला दिया गया है। बम्बई राज्य में पुराने हैदराबाद रियासत का मरमवाड़ा क्षेत्र, राजस्थान का एक छोटा टुकड़ा तथा पुराने मध्य प्रदेश का विद्वर क्षेत्र मिला दिये गये हैं। नवीन मसूर राज्य में करनाटक क्षेत्र, कोडग, मद्रास का दक्षिणी कन्नड़ जिला तथा कोलेवन तालुक मिला दिये हैं। मद्रास का मलाबार प्रदेश केरल में मिला दिया गया है। मध्य प्रदेश में पुराना मध्य भारत, भोजाल, विन्ध्य प्रदेश तथा राजस्थान का एक छोटा सा भाग मिला दिये गये हैं। पेप्सू को पंजाब में विलीन कर दिया गया है।

इन मन्चीन राज्या का आधार भाषा है। इसी कारण दक्षिण भारत में विशेषतः राज्य-पुनर्गठन की माग बहुत बलवती थी। परन्तु दो राज्यों के निर्माण में यह गिदधान लागू नहीं हो सका है—बम्बई तथा पंजाब। इस कारण बम्बई में काफी असन्तोष है।

इन स्वायत्त राज्या के अतिरिक्त ६ संघीय क्षेत्रों का निर्माण किया गया है। 'ग' तथा 'घ' वर्ग के मध्य भेद समाप्त हो गया है।

संघीय क्षेत्र	क्षेत्रफल	जनसंख्या
हिमाचल प्रदेश	१०,९०४	१,१०९,६६६
मनीपुर	८,६२८	५७७,६३५
त्रिपुरा	१,०३८	६३०,०२९
दिल्ली	१७८	७४४,०७२
ग्रन्डमान तथा निकोबार	३,०१५	३०,९७१
लक्षद्वीप समूह	१०	२१,०३५

इन मन्चीय क्षेत्रों में स्वायत्त शासन नहीं है। राष्ट्रपति इनका शासन एक शासन के द्वारा करेगा।

(२) राज्य का पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पाँच मण्डलीय परिषदों (Zonal Councils) की स्थापना की गई है। निम्नलिखित प्रत्येक मंडल में एक ऐसा परिषद् होगी—

(१) उत्तरी मण्डल—इसमें पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा काश्मीर, दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश रखे गये हैं।

(२) केन्द्रीय मण्डल—इसमें उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश हैं।

(३) पूर्वी मण्डल—इसमें बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, असम, मनीपुर तथा त्रिपुरा रखे गये हैं।

(४) पश्चिमी मण्डल—बम्बई तथा मद्रास राज्य इसके अन्तर्गत हैं।

(५) दक्षिणी मण्डल—आन्ध्र, मद्रास तथा केरल के राज्य इसमें आते हैं। प्रत्येक मण्डल की मंडलीय परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे—

- (१) राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक सचिव मंत्री;
- (२) इसके अन्तर्गत प्रत्येक राज्य का मुख्य मंत्री तथा प्रत्येक ऐसे राज्य में दो अन्य मंत्री जो कि कारभार में सदर-इ-रियासत द्वारा तथा अन्य राज्यों में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जायेंगे। परन्तु यदि किसी राज्य में मन्त्रिपरिषद् न हो तो उस राज्य से तीन सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।
- (३) यदि किसी मण्डल में कोई सच द्वारा शासित क्षेत्र सम्मिलित है तो ऐसे प्रत्येक क्षेत्र से राष्ट्रपति द्वारा दो सदस्य मनोनीत किये जायेंगे।
- (४) अनुमति क्षेत्र के लिये आनाम के राज्यपाल का परामर्शदाता भी पूर्वी मंडल की परिषद् का एक सदस्य होगा।

राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सहाय मंत्री मंडलीय परिषद् का सभापति होगा। राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय गृह मंत्री प० गोविन्दवल्लभ पन्त को पाँचों मंडलीय परिषदों का सभापति नियुक्त किया गया है। प्रत्येक मंडल में सम्मिलित राज्यों के मुख्य मंत्री प्रमाणित इसकी परिषद् के उपसभापति होंगे। प्रत्येक का कार्य-काल एक वर्ष होगा। परन्तु यदि इस समय किसी राज्य में मन्त्रिमंडल न हो तो राष्ट्रपति वहाँ के किसी सदस्य को मण्डलीय परिषद् का उपसभापति मनोनीत कर सकता है।

प्रत्येक मण्डलीय परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति परिषद् को इसके कार्य में सहायता देने के लिये परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त किये जायेंगे।

- (अ) एक व्यक्ति योजना आयोग द्वारा नियुक्त किया जाएगा;
- (ब) उस मण्डल के अन्तर्गत प्रत्येक सम्मिलित राज्य की सरकार का मुख्य सचिव (Chief-Secretary);
- (स) उन मंडल के अन्तर्गत प्रत्येक सम्मिलित राज्य का विकास आयुक्त अथवा राज्यपाल द्वारा मनोनीत कोई अन्य पदाधिकारी।

उपरोक्त प्रत्येक परामर्शदाता को परिषद् के वादाविवाद अथवा किसी कमेटी के, जिसका वह सदस्य बनाया गया हो, वादाविवाद में भाग लेने का अधिकार होगा परन्तु उसे परिषद् अथवा कमेटी में मतदान का अधिकार नहीं होगा।

मंडलीय परिषद् की बैठक कब हो इसकी विधि इसके सभापति द्वारा निश्चित की जावेगी। इसकी बैठकों में ऐसे प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों का पालन किया

जायगा जा कि सभापति केन्द्रीय सरकार ने मन्त्रणा कर समय समय पर निर्दिष्ट करे।

परिषद् की बैठके उस मण्डल के अन्तगत राज्यों में कम्पनसार होगी। यदि

इन बैठकों में प्रत्येक प्रश्न का निणय बहुमत द्वारा होगा। परन्तु यदि किसी प्रश्न में मत बराबर है तो सभापति का एक मत और प्रदान करने का अधिकार होगा। परिषद् की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का विवरण केन्द्रीय सरकार तथा सदस्य राज्य सरकारों को भेजा जायगा।

मण्डलीय परिषद् समय समय पर प्रस्ताव पारित कर अपने सदस्यों तथा परामर्शदाताओं की कमेटीया नियुक्त कर सकती है। ये कमेटीया ऐसे कार्य सम्पादन करेंगी जैसा करने का अधिकार इन्हें मण्डलीय परिषद् द्वारा प्रदान किया जायगा।

प्रत्येक मण्डलीय परिषद् का एक सचिवालय कर्मचारीवर्ग (Secretariat Staff) होगा। इसमें एक सचिव, एक सयकन-सचिव तथा ऐसे अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी होंगे जिनकी नियुक्ति सभापति करना आवश्यक समझे। प्रत्येक परिषद् के अन्तर्गत सम्मिलित प्रत्येक राज्य का मुख्य सचिव बारी-बारी से उस परिषद् का एक एक वर्ष के लिये सचिव नियुक्ति किया जायगा। सयुक्त-सचिव की नियुक्ति ऐसे पदाधिकारियों में से की जावेगी जा कि उस मण्डलीय परिषद् के सदस्य राज्यों की सेवा में नहीं है।

प्रत्येक मण्डलीय परिषद् का दफ्तर उस मण्डल के अन्दर किञ्च स्थान पर हा इसका निर्णय उस परिषद् द्वारा किया जायगा। इन प्रसंग में जो भी व्यय होगा उसको केन्द्रीय सरकार देगी।

इन परिषदों के कार्य

- (अ) प्रत्येक मण्डलीय परिषद् एक परामर्शदात्री परिषद् है। यह ऐस विषया पर विचार-विमर्श करेगी जिनमें उस मण्डल के सब या कुछ राज्यों का अथवा सब तथा उस मण्डल के किसी सदस्य राज्य का समान हित हो।¹

1. प० मोदिन्द वल्लभ पन्त ने केन्द्रीय मण्डल परिषद् की अध्यक्षता करते हुये (मई, १९५३) कहा कि इन मण्डलीय परिषदों का कार्य केवल परामर्शदात्री है। यदि ये इस कार्य को ठीक प्रकार से कर सकें तो इन्हें अपने उद्देश्य प्राप्ति में सफलता समझनी चाहिये।

(ब) विशेषतः ये परिपदे निम्नलिखित विषयों पर विचार करेंगे :

- (१) सीमान्त सम्बन्धी विवाद;
- (२) अल्पभाषी समूहों से सम्बन्धित प्रश्न,
- (३) अन्तर राज्य परिवहन;
- (४) आर्थिक योजना से सम्बन्धित प्रश्न;
- (५) सामाजिक योजना क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न प्रश्न ।

इन मण्डलीय परिपदों की संयुक्त बैठकें भी हो सकती हैं । यदि किसी एक मण्डल के राज्य तथा दूसरे मण्डल के किसी राज्य अथवा राज्यों के मध्य ऐसे विषय हों जिन पर उनका समान हित हो तो ऐसे अवसरों पर संयुक्त बैठक हो सकती है ।

अभी तक केवल दो उत्तरी परिपद तथा केन्द्रीय-परिपद की बैठकें हुई हैं । इस बैठक में समापति—प० गोविन्द वल्लभ पन्त—ने इन परिपदों के कार्य और महत्त्व पर प्रकाश डाला । यदि ये परिपदों ठीक प्रकार से काम कर सकें तो इसमें सन्देह नहीं है कि ये देश की उन्नति तथा एकता में अत्यन्त ही महा-यक निड होंगे ।

राज्य पुनर्गठन-एक समीक्षा :—राज्य पुनर्गठन यद्यपि अब समाप्त हो चुका है तथा इसके आधार पर नये राज्यों का निर्माण और व्यवस्थापिका का संगठन हो चुका है तथापि अभी भी देश में इन प्रश्नों का महत्त्व बना है । इसका कारण यह है कि राज्यों के पुनर्गठन के समय देश में यह दृष्टिगोचर हुआ कि प्रान्तीयता की भावना बहुत प्रबल है । गुजरात तथा बम्बई में जो काण्ड हुये उसने देश में सभी विचारशील व्यक्तियों की आंखें खोल दी और यह स्पष्ट हो गया कि देश की एकता को, यदि इस प्रकार की प्रवृत्तियों को अनियन्त्रित बढ़ने दिया जाय तो, कभी भी भय उन्मूलन हो सकता है । इसलिये यद्यपि राज्यों का पुनर्गठन देश की सांस्कृतिक उन्नति के लिये आवश्यक था तथापि इसे इतना अधिक धाने नहीं ले जाना चाहिये कि हम देश को अराजक कर दें ।

भारत संघ के राज्यों तथा क्षेत्रों का संक्षिप्त परिचय

(१) आन्ध्र प्रदेश :—इसका क्षेत्रफल १०५,९६२ वर्गमील तथा जन-संख्या ३१,२६०,१३३ है । इसके अन्तर्गत २० जिले हैं । भासा यहाँ की तेलगु है । आंध्र प्रदेश में खेती योग्य उरगाऊ भूमि तथा कपास की खेती के लिये काली

मिट्टी है। यहाँ की पैदावार में तम्बाकू, गन्ना, अरारोट, कपास, जूट आदि मुख्य हैं। यहाँ १२ कपड़े की मिलें हैं। इसके अतिरिक्त चीनी तथा कागज की मिलें भी हैं। यहाँ की राजधानी हैदराबाद है।

(२) आसाम — यह भारत का सबसे पूर्वी प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल ८५,०१२ वर्ग मील तथा जनसंख्या ९,०४३,७०७ है। इसके अन्तर्गत १२ जिले हैं। इसकी राजधानी शिलांग है। यहाँ का सबसे मुख्य उद्योग चाय है। इसमें लगभग ५ लाख व्यक्ति लगे हैं। आसाम में जूट की पैदावार मुख्य है। भारत में यही सबसे मुख्य स्थान है जहाँ मिट्टी का तेल पाया जाता है।

(३) पश्चिमी बंगाल — इसका निर्माण १९५७ में विभाजन के फल-स्वरूप हुआ। पूर्वी बंगाल, जहाँ कि मुस्लिम बहुमत था, पाकिस्तान में चला गया। पश्चिमी बंगाल भारत में रहा। जनवरी १, १९५० में कूच बिहार रियासत तथा अक्टूबर ५, १९५७ को पन्द्रहवाँ पश्चिमी बंगाल में विलीन कर दिये गये। राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप बिहार से कुछ भाग बंगाल में मिला दिये गये। अब इसका क्षेत्रफल ३३ ९५८ वर्गमील तथा इसकी जनसंख्या २६,३०६, ९०२ है। इसकी राजधानी कलकत्ता है। बंगाल भारत सभ का एक अत्यन्त घना बसा हुआ भाग है। यहाँ प्रति वर्गमील ८०६ जनसंख्या है। बंगाल की मुख्य पैदावार चावल, गन्ना चाय है। इनके अतिरिक्त घना, जी, अरसी, कपास तम्बाकू आदि भी यहाँ पैदा होते हैं। बंगाल में कई उद्योग भी हैं। भारत में पजीवृत्त उद्योगों का २३% यहाँ है। यहाँ की जूट मिला में लगभग ३१०,००० लाग काम करते हैं। कपड़े की बगाल में २२ मिल हैं। उत्तरपहाड़ों में बिड़ला का गोटल बनाने का कारखाना है। बंगाल भारत के मुख्य प्रदेशों में एक है। स्वतन्त्रता संग्राम तथा साहित्यिक और सांस्कृतिक आन्दोलनों में इस प्रदेश का महत्वपूर्ण दान रहा है।

(४) बिहार — इसका क्षेत्रफल ६३ १६४ वर्ग मील तथा जनसंख्या ३८,७७९, १६२ है। राज्य पुनर्गठन के द्वारा बिहार में ३ १६५ वर्गमील भूमि तथा १,४४९,०८७ जनसंख्या बंगाल को हस्तान्तरित कर दिये गये। पहले बिहार लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन था। सन् १९१९ के ऐक्ट द्वारा गवर्नर के आधीन किया गया। सन् १९३७ में गवर्नर स्वतन्त्र शासन की स्थापना हुई। राज्य पुनर्गठन के पूर्व यह 'क' वर्ग का राज्य था।

बिहार मुख्यत एक कृषि प्रधान प्रदेश है। इसकी जनसंख्या का ८२% भाग पूर्णत कृषि पर निर्भर है। केवल ७-८% भाग खदान कार्य तथा उद्योगों

में लगे हैं। बिहार की मुख्य पैदावार धान, गन्ना, गेहूँ, जौ, जूट, तम्बाकू, तिलहन, मटर आदि हैं। उत्तरी बिहार दक्षिणी बिहार से अधिक उपजाऊ है।

(५) बम्बई :—नवीन बम्बई राज्य का निर्माण पुराने बम्बई प्रदेश में कच्छ पौराणिक, हैदराबाद का मराठी भाषी क्षेत्र, तथा मध्य प्रदेश का विदर्भ क्षेत्र मिलाने से हुआ है। परन्तु पुराने बम्बई से कुछ क्षेत्र वर्तमान मैसूर तथा एक छोटा भाग वर्तमान राजस्थान को चले गये हैं। वर्तमान बम्बई राज्य द्विभाषीय है। यहाँ लगभग २ करोड़ ६० लाख मराठी भाषी, १ करोड़ ६० लाख गुजराती भाषी तथा ११ लाख भारत की अन्य भाषा बोलने वाले हैं। बम्बई का क्षेत्रफल १९०,९१९ वर्ग मील तथा जनसंख्या ४८,२६१,००१ है। यद्यपि बम्बई वाणिज्य व्यापार तथा उद्योगों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है तथापि कृषि यहाँ की जनसंख्या के बहुसंख्यक भाग का पेशा है। यहाँ की मुख्य पैदावार ज्वार, बाजरा, कपास, तम्बाकू, भ्रारोट, चावल, गेहूँ, जौ, चना, आदि हैं।

(६) मध्य प्रदेश :—यह राज्य भौगोलिक दृष्टि से भारत का केन्द्रीय राज्य है। इसका क्षेत्रफल १७१,२०१ वर्गमील तथा जनसंख्या २६,०७१ ६३७ है। वर्तमान मध्य प्रदेश का निर्माण पहले के मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश, भोपाल पुराने मध्य प्रदेश के १७ जिले तथा कोटा रियासत का एक छोटा भाग मिलाने से हुआ है।

इस राज्य की अर्थ-व्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है। इसकी जनसंख्या का ७८% भाग कृषि पर निर्भर है। यहाँ की मुख्य पैदावार चावल, गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा, दाल, तिलहन, कपास हैं। खनिज पदार्थों की दृष्टि से यह राज्य सम्पन्न है। इस राज्य की मुख्य भाषा हिन्दी है। परन्तु इसके अतिरिक्त अनेक स्थानीय तथा क्षेत्रीय बोलियाँ यहाँ हैं।

(७) मद्रास :—यहाँ का क्षेत्रफल ६०,११० वर्ग मील तथा जनसंख्या २९,११४,९२६ है। यहाँ की भाषा तामिल है। भाषा की दृष्टि से यह एक-भाषीय राज्य है। यहाँ की मुख्य पैदावार मूँगफली, कपास, गन्ना, मारियल, धान, दाल, आलू, प्याज, केला आदि हैं। मद्रास में खनिज पदार्थ भी पाये जाते हैं। यहाँ के मुख्य उद्योग कपड़ा, चीनी, तम्बाकू, दियासलाई, तेल, सिमेन्ट आदि हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ रेशम, लोहा, इस्पात, चाय, काप्री आदि के भी कारखाने हैं।

(८) उड़ीसा :—यहाँ की जनसंख्या १,४६,४५,३४६ तथा क्षेत्रफल ६०,१३६ वर्ग मील है। उड़ीसा की जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या लगभग पुरुषों से २ लाख अधिक है। उड़ीसा मुख्यतः गाँवों का बना है। यहाँ जनसंख्या का केवल

४.०६ भाग नगरो में रहता है। उद्योग धंधों की दृष्टि से यह पिछड़ा हुआ है। वहाँ परेल् उद्योग काफी बढे हुए हैं।

(६) पंजाब :—यह भारत का सबसे पश्चिमी प्रदेश है तथा पाकिस्तान से इसकी सीमा मिली हुई है। यहाँ की जनसंख्या लगभग १६,४३५,८९० तथा क्षेत्रफल १७,९५७ वर्ग मील है। राज्य पुनर्गठन द्वारा पुराने पंजाब तथा पेप्सू के मिलने से वर्तमान पंजाब राज्य का निर्माण हुआ है। पंजाब में १९४ शहर तथा २१,५१६ गांव हैं। पंजाब भी एक द्विभाषीय राज्य है। अतएव यहाँ हिन्दी और पंजाबी दोनों राज्य-भाषाएँ मानी गई हैं। जनसंख्या का ६६.५% भाग कृषि पर निर्भर है। यहाँ की मुख्य फसल गेहूँ, चना, जौ, मक्का, बाजारा, गन्ना, ज्वार, कपास, मरसो है। इसके अतिरिक्त यहाँ थोड़ी बहुत मात्रा में चाय, तम्बाकू, मूँगफली तथा अलसी भी पैदा होती है। यहाँ के मुख्य उद्योग कपड़ा, चीनी कपड़ा, तथा खेलकूद का सामान है।

(१०) उत्तर-प्रदेश — इसका क्षेत्रफल ११३,४०९ वर्गमील तथा जनसंख्या ६३,२११,७४२ है। राज्यपुनर्गठन का इस प्रदेश पर कोई प्रभाव नहीं पडा। इस प्रदेश को सबसे पहले उत्तर-पश्चिमी सूबा कहा जाता था। सन् १९०२ में इसका नाम आगरा तथा अवध का संयुक्त प्रान्त कर दिया गया। जब यहाँ १९३५ के ऐक्ट के अनुसार स्वायत्त शासन की स्थापना हुई तब १ अप्रैल १९३७ से इसका नाम केवल संयुक्त-प्रान्त रखा गया। नये संविधान के प्रारम्भ से दो दिन पूर्व २४ जनवरी १९५० से इसका नाम बदल कर उत्तर-प्रदेश रख दिया गया। उत्तर प्रदेश कृषि तथा उद्योग दोनों ही दृष्टियों से भारत के उन्नतिशील भागों में से है। यहाँ गेहूँ, चावल, जौ, दाल, चाय, तम्बाकू, कपास पैदा होती है। यहाँ के उद्योगों में कपड़ा तथा चीनी मुख्य हैं।

(११) राजस्थान :—राजपूताना की अनेक रियासतों के मिलने से इस प्रदेश का निर्माण हुआ है। इसका क्षेत्रफल १३२,०७६ वर्ग मील तथा जनसंख्या १५,९७०,७७४ है। यह राज्य अधिक उन्नत नहीं है। यहाँ की मुख्य फसलें ज्वार, बाजारा, गेहूँ, मक्का, जौ तथा चना है। यहाँ थोड़ी बहुत कपास भी पैदा होती है। मिश्रा की दृष्टि से यह अत्यन्त ही पिछड़ा प्रदेश है।

(१२) मैसूर — नवोन मैसूर राज्य का क्षेत्रफल ७४,३४७ तथा जनसंख्या १,९६,००,००० है। यहाँ की मुख्य भाषा कन्नड है जो कि लगभग ६६% जनसंख्या की भाषा है। परन्तु इसके अतिरिक्त ६४ और भाषाएँ यहाँ बोली जाती हैं। मैसूर भारत में केवल ऐसा प्रदेश है जहाँ सोना निकाला जाता

है तथा घदन का तेल बतता है। इसके प्रतिरिक्त यहाँ स्पात, माबुन के उद्योग भी हैं।

(१३) केरल — यह राज्य मसार का प्रथम राज्य है जहाँ प्रजातन्त्रात्मक रीति से माम्बवादी दल ने शासन हस्तगत किया है। यहाँ का क्षेत्रफल १५,०३५ वर्ग मील तथा जनसंख्या १३,५९,११० है। शिखा दृष्टि से भारत का सर्वाधिक उन्नत प्रदेश है। यहाँ की मुख्य पैदावार चावल, नारियल, गन्ना, खर, चाय, काफी इत्यादि हैं। उद्योग धंधों की दृष्टि से भी यह उन्नत है।

(१४) जम्मू तथा काश्मीर राज्य — राज्य पुनर्गठन के पश्चात् यह अनेका 'स' वर्ग का राज्य है जिगमे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। २६ जनवरी सन् १९५७ में काश्मीर में एक नया संविधान लागू हो गया है जिसके द्वारा यह भारत का एक अविभाज्य अंग घोषित किया गया है। भारत मध्य के अन्तर्गत काश्मीर का स्थिति विशेष है। यहाँ का राज्य-प्रधान सदर-इ-रियासत कहलाता है। इसका अपना शडा है परन्तु भारत का शडा यहाँ का भी राष्ट्रीय शडा है।

सष तथा काश्मीर राज्य के मध्य सम्बन्ध १९५० के संविधान आदेश तथा राष्ट्रपति द्वारा घोषित अन्य आदेशों और १९५२ के काश्मीर तथा भारतीय सरकार के मध्य गमजोते पर आधारित थे। इनके अनुसार केवल तीन विषयों में ही काश्मीर ने भारत मध्य में प्रवेश किया था। ये विषय निम्नोक्त थे—रक्षा, यातायात तथा वैदेशिक सम्बन्ध। भारत सष की प्रशासकीय तथा न्यायिक शक्तियाँ भी काश्मीर में सीमित थी। १९५२ के समजोते के अनुसार काश्मीर द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया था कि राष्ट्रपति के सकट कालों अधिकार काश्मीर पर लागू होंगे। परन्तु आन्तरिक संकट के विषय में कार्यवाही राज्य की विधान-सभा की सहमति बिना नहीं की जायगी। इसी प्रकार नागरिकों के मूल अधिकारों को भी काश्मीर ने कुछ संशोधन के साथ स्वीकार किया। काश्मीर ने बिना प्रतिकार दिये ही जमादार उन्मूलन कर दिया।

जम्मू-काश्मीर राज्य का क्षेत्रफल ९२,७८० तथा जनसंख्या ४,४१०,००० है। यह राज्य मुख्यतः पहाड़ी है। अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिये काश्मीर ससार प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष हजारों यात्री इसकी प्राकृतिक सुयमा का पान करने के लिये दूर दूर से आते हैं। काश्मीर में मुख्य उद्योग जूनी कपड़ा, रेशम, तथा लकड़ी का काम है। काश्मीर में कई खनिज पदार्थ भी पाये जाते हैं। परन्तु धार्मिक दृष्टि से यह पिछड़ा हुआ है जनसंख्या का अधिकांश भाग निर्धन है। जनसंख्या की दृष्टि से काश्मीर मुख्यतः एक मुस्लिम प्रदेश है। जनसंख्या का ७५% भाग मुस्लिम है।

जम्मू काश्मीर राज्य का ३ भाग पाकिस्तान के अधीन है। काश्मीर प्रश्न पर भारत तथा पाकिस्तान के मध्य कोई समझौता अभी तक सम्भव नहीं हो सका है। गणतन्त्र राष्ट्र मध्य के सम्मुख यह प्रश्न है। परन्तु इसके द्वारा भी इसको सुलझाया नहीं जा सारा है। हमारी सरकार का यह कहना है और यही काश्मीर सरकार का भी मत है कि काश्मीर भारत का अविच्छिन्न अंग हो गया है। इस स्थिति का मार का प्रश्न ये है कि पाकिस्तान अपनी सेनाओं का वहाँ से हटाए। परन्तु पाकिस्तानी सरकार इसका जवाब देकर प्रस्तुत नहीं है।

केन्द्रीय क्षेत्रों का सांघत्त वणन

(१) दिल्ली - यह भारत की राजधानी है। यहाँ का क्षेत्रफल ५१३ वर्गमीटर है तथा जनसंख्या १,७४४,०७ है। भारत के इतिहास में दिल्ली का बड़ा ही महत्त्व है। राज्य-पुनर्गठन के पश्चात् दिल्ली के लिये राष्ट्रपति ने एक परामर्शदात्री समिति का निर्माण किया है यह कमेटी केन्द्रीय मन्त्रिमन्त्री के अधीन कार्य करेगी। इसके सम्मुख निम्नोक्त हैं—दिल्ली से मसद के नव सदस्य चीफ कमिश्नर विय विधिशास्त्र का उपाध्यक्ष दिल्ली नगरपालिका का अध्यक्ष तथा नई दिल्ली नगरपालिका का उपाध्यक्ष। यहाँ एक नगर निगम की स्थापना कर दी गई है।

(२) हिमाचल प्रदेश - राज्य पुनर्गठन के पूर्व यह एक वग का राज्य था। इसका क्षेत्रफल १०,९०४ वर्ग मीटर तथा जनसंख्या १,०९,४६६ है। यहाँ की जनसंख्या का ९४% भाग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। यहाँ की मुख्य फसल गेहूँ मक्का जौ चन्दा चावल आदि हैं।

हिमाचल प्रदेश हिमाचल की तराई में स्थित है। छोटे छोटे राज्यों और विलासपुर राज्य के मिलन से बना है। इस समय यहाँ का प्रधान एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है। यह स्वायत्त राज्यों की श्रेणी में नहीं है।

(३) मनीपुर - आसाम के दक्षिण पूर्वी कोन में स्थित है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ८,६२८ वर्ग मीटर तथा जनसंख्या २,७७,६३५ है। क्योंकि सन्तुलित जनसंख्या के धारा से धारा हुआ है इसी कारण इसे केन्द्रीय शासन में रखा गया है। मनीपुर की मुख्य फसल धान है। यहाँ चाय की भी खेती होती है। कच्चा उद्योग यहाँ का मुख्य उद्योग है।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति ने यहाँ के लिये एक परामर्शदात्री समिति का निर्माण किया है। इसमें ५ सदस्य हैं तथा चीफ कमिश्नर इसका सभापति है।

(४) त्रिपुरा — इनका क्षेत्रफल ४,०३२ वर्गमील तथा जनसंख्या ६३९,०२९ है। यह खनिज पदार्थों तथा जंगल में सम्पन्न है। यहाँ की मुख्य फसल जूट, चाय, गन्ना, कपास तथा तिलहन है। यह राज्य पुनर्गठन के पूर्व एक 'घ' वर्ग का राज्य था तथा यहाँ की परामर्शदात्री समिति १९५१ में स्थापित हुई थी। उद्योग-धर्मों में यह राज्य बहुत गिरावा है।

(५) लक्षद्वीप, मीनीकाय तथा अमीनीद्वीप द्वीपः—इनका क्षेत्र १० वर्गमील तथा जनसंख्या २१,०३५ है। राज्य पुनर्गठन के पूर्व यह प्रशासन के लिये मद्रास राज्य में सम्मिलित थे परन्तु अब इनका शासन केंद्र द्वारा ले लिया गया है। इस द्वीप समूह में कुल १९ द्वीप हैं जिनमें से १० में जनसंख्या निवास करती है। यहाँ का शासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा होता है। इन द्वीप समूहों के सब निवासी मुसलमान हैं।

(६) अण्डमान तथा निकोबार द्वीप — यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। इनका क्षेत्रफल ३,२१५ तथा जनसंख्या ३०,९७१। इन समूह में २०५ द्वीप हैं। राज्य पुनर्गठन के पूर्व यह 'घ' वर्ग का राज्य था। अब इसका शासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के अधीन है।

प्रश्न

- (१) "भारतीय संविधान सघात्मक भी है और एकात्मक भी।" इन कथन की व्याख्या कीजिये। (यू० पी० १९५२) ५
- (२) भारतीय संविधान के सघात्मक लक्षणों का वर्णन कीजिये। (यू० पी० १९५१)
- (३) भारतीय संविधान में केन्द्र की शक्तिशाली बनाने के लिये किन किन नियमों का प्रयोग किया गया है? भारत के लिये सशक्त केन्द्रीय सरकार की क्यों आवश्यकता है? (यू० पी० १९५८)
- (४) "भारतीय संविधान देखने में सघात्मक है, पर वास्तव में एकात्मक है।" इस कथन की व्याख्या कीजिये। (यू० पी० १९५८)

भारतीय-नागरिकता

नागरिकता का अर्थ — नागरिकता का अर्थ किसी देश के नागरिक होने का है। इसका नागरिकता उम्र दशा को बताने जिनमें कि किसी व्यक्ति को राज्य की ओर से नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार प्राप्त हों। इन अधिकारों के बंधे नागरिकता राज्य के प्रति बंधे उत्तम नियमों के अधीन रहते हैं। इनका प्राप्ति आवश्यक है।

नागरिकता दो प्रकार से होती है — स्वाभाविक नागरिकता तथा राज्यदत्त नागरिकता। स्वाभाविक नागरिकता के सम्बन्ध में तीन सिद्धान्त हैं पटलाता तथा सिद्धान्त है। किसी मनुष्य की नागरिकता का निर्णय उमरे पिता की नागरिकता से किया जाता है। दूसरा जन्मस्थान से किया जाता है। तीसरा सिद्धान्त इन दोनों सिद्धान्तों के मध्य में रहता है।

राज्यदत्त नागरिकता से तात्पर्य उनमें है जो जन्म से ही किसी अन्य राज्य के नागरिक थे परन्तु जिनके अन्तर्गत इस राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है। प्रत्येक राज्य का अधिकार है कि वह विदेशियों की कुछ शर्तों परीक्षण पर अपनी नागरिकता प्रदान करे।

भारतीय नागरिकता — हम पहले यह चुरा है कि भारत में क्या नागरिकता है, राज्य की नहीं। क्योंकि भारत राष्ट्र मण्डल का सदस्य है इस कारण भारत का नागरिक राष्ट्र मण्डल की नागरिकता से भी उद्भासित करता है।

भारतीय मंत्रिपरिषद् में बहस यह बताया गया है कि इस मंत्रिपरिषद् ने लागू होने से पहले अर्थात् २६ जनवरी १९५० के बीच-बीच भारत के नागरिक थे। परन्तु मंत्रिपरिषद् में यह नहीं बताया गया है कि भारत की नागरिकता का निर्णय प्रचार प्राप्त की जा सकती है तथा किस प्रकार उसकी सम्पत्ति का सम्पत्ति है। इस विषय में मंत्रिपरिषद् यह बताया है कि मनुष्य को उपर्युक्त बताने का अधिकार है। इस प्रकार भविष्य में नागरिकता सम्बन्धी विषयों की रचना का अधिकार मनुष्य को दिया गया है। इस विषय में मनुष्य का अधिकार मंत्रिपरिषद् में दिये हुये

उपबन्धों में सीमित नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर ससद् चाहे तो वह किसी भी व्यक्ति को नागरिकता की (जिसकी मविधान के लागू होने पर, उसमें बणिग उपबन्धों के अनुसार नागरिकता मिली हो) ममाप्ति कर सकती है तथा उसको बिनी अन्य प्रकार में सकुचित कर सकती है।

नागरिक कानून है —सविधान के अनुसार भारतीय नागरिकता तीन श्रेणियों के लोगों को दी गई है

(१) वे जो कि सविधान के लागू होते समय भारत के निवासी थे।

(२) वे व्यक्ति जो कि पाकिस्तान से भारत को प्रवजन (migrate) कर आये हैं, अर्थात् पाकिस्तान से आये शरणार्थी।

(३) भारत के बाहर रहने वाले भारतीय, अर्थात् वे भारतीय जो कि विदेशों में रह रहे हैं।

इनमें से प्रत्येक श्रेणी को हम क्रमशः लेंगे।

(१) वे लोग जो कि सविधान के लागू होते समय भारत के निवासी थे, यहाँ के नागरिक समझे जायेंगे, अगर वे नीचे लिखी तीन शर्तों को पूरा करते हों।

(अ) उनका जन्म भारत-राज्य क्षेत्र में हुआ हो;

(ब) या, उनके माता-पिता में से कोई भारत-राज्य में जन्मा हो,

(स) या, जो कि सविधान के प्रारम्भ के ठीक पहले कम से कम पाँच वर्षों से भारत राज्य-क्षेत्र में साधारणतः रहे हों।

(२) पाकिस्तान से आये शरणार्थी भारत के नागरिक समझे जायेंगे अगर वे नीचे लिखी शर्तों को पूरा करते हों:

(अ) वे शरणार्थी जो कि १९ जुलाई १९४८ के पूर्व भारत में आ गये थे, भारत के नागरिक समझे जायेंगे, यदि वे, उनके माता-पिता या महाजनकों में से कोई, अविभाजित भारत में (अर्थात् जैसा कि पाकिस्तान बनने के पूर्व था) जन्मा हो। इसके अतिरिक्त यह शर्त भी थी कि भारत में आने की तारीख से सामान्यतः भारत के निवासी रहे हों।

(ब) वे शरणार्थी जो कि १९ जुलाई १९४८ के बाद में आये, भारत के नागरिक समझे जायेंगे, यदि वे, उनके माता-पिता या महाजनकों में से कोई, अविभाजित भारत में जन्मा हो। इसके अतिरिक्त यह शर्त भी थी कि वे भारत-सरकार द्वारा नियुक्त किये हुए पदाधिकारी को आवेदन-पत्र देकर अपना नाम

सविधान लागू होने की तिथि (२६ जनवरी १९५०) म पत्र पंजीबद्ध (register) करा ले। परन्तु उनका नाम पंजीबद्ध तभी होगा जब वे आवेदन-पत्र देने की तिथि से कम से कम ६ मास पूर्व से भारत में रह रहे हों। इसका तात्पर्य यह हुआ कि केवल वे ही शरणार्थी इस प्रकार से नागरिक हो सकते थे जो कि भारत में २५ जुलाई १९४९ के बाद न आये हों।

(स) सविधान में यह कहा गया है कि वे व्यक्ति जो १ मार्च सन् १९४७ के पश्चात् भारत-राज्य क्षेत्र में उन राज्य को चले गये थे जो अब पाकिस्तान ब्रह्मदेश हैं, भारत के नागरिक नहीं होंगे। परन्तु यह प्रतिबन्ध उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो कि भारत को फिर से लौट आए हैं तथा जिन्हें फिर से भारत में निवास करने के लिए भारत सरकार की अनुमति मिल गई हो। ऐसे सब व्यक्तियों पर वे ही उपबन्ध लागू होंगे जो कि १९ जुलाई १९४८ के बाद आए शरणार्थियों पर लागू होते हैं। अर्थात् यह समझा जायगा कि ये सब व्यक्ति १९ जुलाई १९४८ के बाद भारत आये। यह उपबन्ध उन मुसलमानों की सविधा के लिए बनाया गया जो कि भारत में ही रहना चाहते थे, जैसे राष्ट्रीय मुसलमान, या सरकारी नौकर, परन्तु जो साम्प्रदायिक स्थिति के कारण अपने परिवार को पाकिस्तान पहुँचा आए थे परन्तु स्थिति सुधर जाने पर फिर से भारत में आना चाहते थे। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम थी। प० नेहरू ने सविधान सभा में कहा कि (अगस्त १२, १९४२) इनकी संख्या दो या तीन हजार से अधिक नहीं होगी।

(३) भारत से बाहर विदेशों में रहने वाले भारतीय जिनका या जिनके माता-पिता का या महाजनको में से किसी का अविभाजित भारत में जन्म हुआ हो, भारत के नागरिक समझे जायेंगे अगर उन्होंने भारत के राजनीतिक (diplomatic) या वाणिज्यिक (consular) प्रतिनिधि को, इस सविधान के लागू होने से पहले या बाद, आवेदन-पत्र देकर अपने का पंजीबद्ध करा लिया है।

नागरिकता पर प्रतिबन्ध —सविधान में यह कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर ली है तो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जायगा।

नागरिकता सम्बन्धी उपरोक्त उपबन्धों को देखने से ज्ञात होता है कि भारतीय सविधान द्वारा वंश-सिद्धान्त तथा जन्म-स्थान-सिद्धान्त दोनों नागरिकता निर्धारित करने के लिए मान लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त भारत में

कुछ काल का निवासी भी भारत की नागरिकता निर्धारित करने के लिये काय्य माना गया है।

यह स्पष्ट है कि नागरिकता सम्बन्धी उपबन्ध अपूर्ण हैं। उदाहरणार्थ अगर कोई विदेशी अथवा भारतीय भारत का नागरिक होना चाहे तो किस प्रकार होगा, इस विषय में संविधान में कुछ नहीं है। इसका कारण यह है कि भारतीय संसद को नागरिकता सम्बन्धी उपबन्ध बनाने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। इसलिए इस प्रकार की जो बातें संविधान में छूट गई हैं वे सब संसद द्वारा साधारण विधि (law) द्वारा पूरी कर देगी।

भारतीय नागरिकता अधिनियम

जैसा ऊपर लिखा जा चुका है भारतीय संविधान संसद को नागरिकता सम्बन्धी उपबन्ध बनाने का पूर्ण अधिकार देता है। संविधान में नागरिकता के विषय में जो उपबन्ध हैं वे पूर्ण नहीं थे क्योंकि उनमें केवल यही बताया गया था कि २६ जनवरी १९५० को भारत के नागरिक कौन थे परन्तु इस तिथि के पश्चात् भारतीय नागरिकता का निर्णय कैसे किया जायगा इस विषय में विधि-निर्माण आवश्यक था। इसीलिए गृह-मंत्री पं० गोविन्द वल्लभ पंत ने संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जो पारित होने पर "भारतीय नागरिकता अधिनियम" (Indian Citizenship Act of 1955) कहलाया। इस अधिनियम के मुख्य उपबन्ध निम्नोक्त हैं:

नागरिकता प्राप्ति

(१) जन्मजात नागरिक—भारत में २६ जनवरी १९५० को या इस तिथि के पश्चात् उत्पन्न प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात भारतीय नागरिक होगा यदि वह विदेशी दूत अथवा विदेशी शत्रु की सन्तान न हो।

(२) वंशाधिकार से नागरिकता की प्राप्ति :—कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म २६ जनवरी १९५० या इस तिथि के पश्चात् भारत के बाहर हुआ हो भारत का वंशाधिकार के आधार पर (by descent) नागरिक माना जायगा यदि उसका पिता उसके जन्म के समय भारत का नागरिक था।

(३) रजिस्ट्री के द्वारा नागरिकता :—कोई व्यक्ति जो कि संविधान के उपबन्धों द्वारा या इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों द्वारा भारतीय नागरिक नहीं है, प्रायःनापत्र देने पर इस देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, यदि वह निम्नलिखित वर्गों (categories) में से किसी एक वर्ग में हो :

(अ) वे भारतीय (Persons of Indian origin) जो साधारणतः भारत में ही निवास करते हैं तथा रजिस्ट्री के प्रायश्चापत्र देने से ६ महीने पूर्व से भारत में ही निवास कर रहे हों,

(ब) वे भारतीय (Persons of Indian origin) जो साधारणतः अविभाजित भारत से बाहर किसी स्थान में निवास कर रहे हों,

(ग) वे स्त्रियाँ जिनका विवाह भारत के नागरिक से हुआ हो

(द) भारतीय नागरिक के अल्पवयस्क (minor) बच्चे, १

(ध) निम्नलिखित देश के नागरिक—संयुक्त राज्य (United Kingdom), कॅनेडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका मध्य, पाकिस्तान मीलान र्होट्टेमिया तथा न्यासलैंड मध्य तथा आयरलैंड का गणतन्त्र।

किसी बच्चे का रजिस्ट्री के द्वारा नागरिकता प्राप्ति तभी हो सकती है यदि वह नागरिकता की शपथ ग्रहण करे।

केन्द्रीय सरकार विशेष परिस्थितियों में किसी अल्पवयस्क का भी भारतीय नागरिक रजिस्टर (register) कर सकती है।

उपर के उपबन्धा में भारतीय (Person Indian of origin) से यह तात्पर्य है कि वह व्यक्ति अथवा उमक माता-पिता में से एक या दादा-दादी में से एक, अविभाजित भारत में जन्मा हो।

(४) नागरिककरण द्वारा नागरिकता प्राप्त होना—कोई विदेशी (राष्ट्र मण्डल के सदस्य देशों अथवा आयरलैंड-गणतन्त्र के नागरिक के अतिरिक्त) प्रायश्चापत्र देने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नागरिककरण (Naturalisation) द्वारा भारत का नागरिक बनाया जा सकता है यदि वह निम्नांकित शर्तों को पूरा करता हो।

(१) वह किसी ऐसे देश का नागरिक न हो जहाँ कि भारत के नागरिक के नागरिककरण पर विधि या व्यवहार द्वारा रोक हो,

(२) उमकें अपनी पहली नागरिकता का परित्याग कर दिया हो तथा केन्द्रीय सरकार को इसकी सूचना दे दी हो।

१. यह शपथ है "I, AB do solemnly affirm (or swear) that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully observe the laws of India and fulfil my duties as a citizen of India."

(३) वह प्रार्थना-पत्र देने के पूर्व भारत में लगातार १२ माह रहा हो या सरकार की नौकरी में भारत में १२ माह लगातार रहा हो,

(४) इस १२ मास की अवधि में पूर्व ७ वर्षों के समय में वह कम से कम ४ वर्ष तक कुल मिलाकर (in the aggregate) भारत में रहा हो,

(५) वह मन्चरित्र हो,

(६) भारतीय संविधान में छाठी हुई अनुसूची में उल्लिखित किसी भारतीय भाषा का उसे पर्याप्त ज्ञान हो,

(७) नागरिककरण प्राप्त हो जाने पर उसका विचार भारत में निवास करने का हो या भारत सरकार की नौकरी या किसी ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की नौकरी करने का हो जिसका भारत सदस्य हो।

इन उपर्युक्त शर्तों को भारत सरकार किसी ऐसे व्यक्ति-विशेष के सम्बन्ध में जिसने विज्ञान, कला, साहित्य, दर्शन, विद्वान्-शान्ति अथवा मानव-उन्नति में विश्व में महत्वपूर्ण कार्य किया हो, हटा भी सकती है।

(५) क्षेत्र-विस्तार द्वारा:—यदि कोई भू-भाग (territory) भारत राज्य में सम्मिलित होता है तो भारत-सरकार उसके निवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान कर सकती है।

नागरिकता का लोप

(१) कोई भारतीय वयस्क नागरिक, जो कि किसी अन्य देश का भी नागरिक है, एक घोषणा द्वारा भारत की नागरिकता त्याग सकता है।

(२) यदि कोई पुरुष भारत का नागरिक नहीं रह जाता तो उसके अवयस्क बच्चों भी भारतीय नागरिकता से संचित हो जायेंगे।

(३) यदि भारत का कोई नागरिक, किसी प्रकार स्पेञ्छतया, २६ जनवरी १९५० तथा इस नागरिकता अधिनियम के लागू होने के मध्य काल में अन्य किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का लोप हो जायगा।

(४) भारत-सरकार किसी ऐसे व्यक्ति की नागरिकता का अन्त कर सकती है जिसने नागरिककरण या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने में किसी प्रकार की बेइमानी की हो।

(५) यदि कोई ऐसा नागरिक भारतीय संविधान के प्रति विश्वासघातक होती-सरकार उसकी नागरिकता का अन्त कर देगी।

(६) यदि युद्धकाल में उमने अथवा रूप में किसी शत्रु देश के साथ सम्बन्ध रखा हो या व्यापार किया हो तो उसकी नागरिकता छिन जायेगी।

(७) यदि नागरिककरण अथवा रजिस्ट्रीकरण के ५ वर्ष के भीतर उसे किसी देश में कम से कम २ वर्ष का वागवास दण्ड मिला हो तो उसकी नागरिकता का अन्त हो जायेगा।

(८) यदि ऐसा नागरिक ७ वर्ष तक लगातार भारत के बाहर निवास करता रहा हो तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जायेगी।

परन्तु उपर्युक्त सभी दशाओं में भारत सरकार तभी नागरिकता का अन्त करेगी यदि उसे ऐसा विश्वास हो कि ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक रखना नावैजनिक हित के विरुद्ध होगा। प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को यह अधिकार दिया जायेगा कि वह सरकार के सम्मुख अपने पक्ष का प्रतिनिधित्व करे।

इस अधिनियम द्वारा नागरिकता प्राप्ति तथा लोप के नियमों को जो कि संविधान में पूरे नहीं थे पूरा कर दिया गया है। इस अधिनियम के द्वारा नागरिकता प्राप्ति के सभी सिद्धान्तों को गान्यता प्रदान की गई है।

प्रश्न

१. (१) भारतीय संविधान में नागरिकता सम्बन्धी उपबन्धों का वर्णन कीजिये।

नागरिकों के मूल-अधिकार

मूल अधिकारों का अर्थ तथा प्रयोजन — प्राधुनिक काल में कई लिखित विधानों में नागरिकों के कुछ अधिकारों का वर्णन कर दिया गया है। इन अधिकारों को मूल-अधिकार कहते हैं, अर्थात् वे अधिकार जो कि स्वयं मविधान द्वारा प्रदान किए गये हैं। प्रत्येक राज्य द्वारा अपने नागरिकों को कुछ सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं, क्योंकि इन सुविधाओं के बिना व्यक्तित्व का विकास सम्भव नहीं है। लोकतन्त्रात्मक शासन-प्रणाली का आधार ही व्यक्ति का विकास है। परन्तु लोकतन्त्रात्मक प्रणाली में बहुमत की सरकार होती है। भय है कि बहुमत्स्यक अल्प-संख्यकों के हितों का ध्यान ही न रखें तथा इस प्रकार उन्हें वे सुविधाएँ न प्रदान करें जो कि व्यक्तित्व के विकास की आवश्यक दशाएँ हैं। इसलिए इन सुविधाओं का अर्थात् अधिकारों का विधान में समावेश कर दिया जाता है और इस प्रकार अल्पमत-दल उनके उपभोग में वंचित रहता है।

मविधान में कुछ अधिकारों का इस प्रकार वर्णन करने का परिणाम यह होता है कि सरकार नागरिकों की इन सुविधाओं को आसानी से हटा नहीं सकती है। ये अधिकार चाहे कोई भी दल शासनारूढ़ क्यों न हो बने रहते हैं।¹ बहुमतीय दल इनको अपनी इच्छानुसार आसानी से बदल नहीं सकता क्योंकि मविधान में उनका वर्णन होने के कारण वे श्रद्धा की दृष्टि से देखे जाते हैं। परन्तु अग्रे बहुमत दल चाहे तो इनमें परिवर्तन कर ही सकता है। उदाहरणार्थ हमारे देश में, मूल-अधिकारों में अभी कुछ संशोधन किया गया है। देश में संगठित जनमत का एक बड़ा भाग इन संशोधनों के विरुद्ध था परन्तु तब भी ये संशोधन ससद द्वारा पाम कर दिए गये क्योंकि मसद में सरकार का ही बहुमत था।

1. अमेरिकन उच्चतम न्यायालय के एक मुख्य-न्यायाधिपति ने इन अधिकारों की निम्नलिखित परिभाषा की है "The very purpose of fundamental rights was to withdraw certain subjects from the reach of majority-principles to be

एक बात नहीं भूलनी चाहिये कि मूल-अधिकार भी असीमित नहीं हो सकते हैं। कोई भी अधिकार अगर समाज के हितों के विरुद्ध है तो अधिकार नहीं रह सकता है। इसलिए प्रत्येक अधिकार की एक निश्चित सीमा है। वह यह है कि वह समाज या अहित न करे। इसलिए, उदाहरणार्थ, स्वतन्त्रता का अधिकार मूलें शिष्टा करने या किसी को शानि करने का अधिकार नहीं देता है। धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार मूलें दूसरे धर्मों के विरुद्ध लंगर का भटवाने का अधिकार या कुछ ऐसे काम करने का अधिकार जो कि हमारे नैतिक भावना के विरुद्ध ही नहीं देता। इसी प्रकार प्रत्येक अधिकार सीमित है।

फ्रेच शानिवाग्या ने सन् १७८९ में "मनुष्य के अधिकारों की घोषणा" में कुछ मौलिक अधिकारों का वर्णन किया। अमेरिक्न संविधान में भी एक अधिकार-पत्र (Bill of Rights) का समावेश किया गया है। आजकल तो बड़े विधान हैं जिनमें कि नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। उदाहरणार्थ, आयरलैण्ड, रूस, आदि के। परन्तु कुछ विधान ऐसे भी हैं जहाँ कि विधान में मूल-अधिकारों का वर्णन नहीं है, उदाहरणार्थ इंग्लैण्ड का। वहाँ तो संविधान अलिखित है। इसमें मूल-अधिकारों के संविधान में वर्णन का प्रश्न उठता ही नहीं परन्तु इसमें यह नहीं समझना चाहिये कि वहाँ नागरिकों के अधिकार अरक्षित हैं, वहाँ उनकी रक्षा साधारण विधि द्वारा होती है। परन्तु वहाँ क्योंकि पार्लियामेण्ट की सर्वप्रधानता है, इसलिए अगर पार्लियामेण्ट किसी विधि द्वारा किसी अधिकार का अन्त कर दे तो न्यायालय इसके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते हैं। परन्तु उन देशों में जहाँ कि न्यायपालिका की सर्वप्रधानता है वहाँ नागरिक किसी भी कानून को जो कि उसके मूल-अधिकार में कूटाघात करते हैं, न्यायालय के सामने ला सकता है तथा न्यायालय अगर यह समझे कि वह कानून नागरिक के मूल अधिकारों का अन्तिमरण करता है तो वह अवैध घोषित कर दिया जावेगा। इसलिए यह कहा जाता है कि मूल अधिकारों की रक्षा के लिये न्यायपालिका की सर्वप्रधानता (Judicial supremacy) आवश्यक है। क्योंकि अगर इन अधिकारों को मनवाने (enforce) का कोई साधन न हो तो वे ध्वंस हैं तथा उनमें कोई लाभ नहीं।

भारतीय संविधान में मूल-अधिकार — संविधान में निम्नलिखित अधिकारों का वर्णन है, समता अधिकार, स्वतन्त्र-अधिकार, घोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म-स्वातन्त्र्य का अधिकार, सम्पत्ति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार, तथा संविधानिक उपचारों के अधिकार। इन अधिकारों को दो वर्गों में बाँटा जा सकता है। उनमें से कुछ अधिकार तो ऐसे हैं जो कि केवल नागरिकों को ही प्रदान किये गये हैं। उदाहरणार्थ स्वतन्त्रता का अधिकार

केवल नागरिकों को ही प्रदान किये गये हैं। परन्तु जीवन- सम्पत्ति, रक्षा आदि, अधिकार सबों को प्रदान किये गये हैं।

इन अधिकारों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो वे हैं जो कि राज्य की शक्ति के ऊपर एक मन्विधानिक नियन्त्रण स्थापित करते हैं। दूसरे वे हैं जो कि व्यक्ति की स्वतन्त्रताओं की रक्षा करते हैं। पहले प्रकार के अधिकारों पर व्यवस्थापिका किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यदि यह ऐसा करेगी तो न्यायपालिका ऐसे किसी भी विधान को धर्म्य घोषित कर देगी। परन्तु दूसरी श्रेणी के अधिकारों का राज्य कुछ सीमा तक नियन्त्रण कर सकता है।¹

संविधान में यह कहा गया है कि वे सब कानून जो कि नये मन्विधान के प्रारम्भ होने से ठीक पहले भारत में लागू थे उन मात्रा तक लागू होंगे जिन तक वे मूल- अधिकारों से अलग हैं। इनके अतिरिक्त राज्य को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह कोई ऐसा कानून बनावे जो कि इन अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। राज्य शब्द में यहाँ पर तालपर्य, मधीय सरकार, राज्यों की सरकारें तथा भारत के अन्दर या बाहर-भारत-सरकार के अधीन सब अधिकारियों से हैं। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि मूल अधिकार इन सब अधिकारियों को नियन्त्रित करते हैं।

समता का अधिकार:—प्रत्येक नागरिक राज्य की दृष्टि में समान है— राज्य ऊँच-नीच, गरीब-अमीर, आदि का भेद नहीं करेगा। सबों को राज्य की ओर से समान अवसर दिए जायेंगे। यह अधिकार लोक-तन्त्रात्मक प्रणाली में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। बिना इसके हम लोक-तन्त्रात्मक सरकार की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। संविधान द्वारा इनके अन्तर्गत निम्नलिखित बातें रखी गई हैं:—

(१) विधि के समक्ष समता—इसका अर्थ यह है कि भारत-राज्य-क्षेत्र के अन्तर्गत कानून के सामने सब बराबर हैं तथा सब को समान रूप से कानूनों का मरना प्राप्त होगा। इसमें किसी प्रकार का भी भेद-भाव नहीं किया जावेगा।

(२) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, या जन्म-स्थान के आधार पर या इनमें से किसी एक के आधार पर राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध कोई विभेद नहीं करेगा। इसमें यह तत्पर्य है कि ऊपर वर्णित बातों के आधार पर राज्य द्वारा

नागरिका में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जाएगा। राज्य द्वारा प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह दुकानों, मातृजनिक भोजनालयों, होटलों तथा मातृजनिक मनोरंजन के स्थानों में जैसा पाव मिलना आदि में बिना किसी बाधा के प्रवेश कर सकता है। इसमें अतिरिक्त संविधान में यह भी कहा गया है कि उन सब कुआँ, तालाबों, स्नान घाटों, मंडपों तथा मातृजनिक समागमों के स्थानों (public resorts) के जिनको कि राज्य में किसी प्रकार की महामता मिली है या जो मातृजनिक जनता के उपयोग के लिए समर्पित किए गए हैं उपयोग का बिना किसी भेदभाव के सब नागरिकों को अधिकार होगा।

(३) राज्य में सब नौकरियाँ या पदों पर नियुक्ति के लिये सब नागरिकों को बराबर अवसर दिया जावेगा। धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर नौकरियों में कोई भेद-भाव नहीं किया जावेगा। स्त्री तथा पुरुषों में भी इस बात में कोई फर्क नहीं किया जावेगा। दोनों को समान अवसर प्रदान किया जावेगा।

(४) संविधान द्वारा अस्पृश्यता का अन्त कर दिया गया है। इस धारा द्वारा हिन्दू मम ज में जो बड़ा भारी कलह था उसका दूर करने की चेष्टा की गई है। छुआछूत के कोढ़ को जिसने हमारे समाज की दुदशा कर दी थी इस अन्त हटाने का प्रयत्न किया है। राज्य की दृष्टि में सब व्यक्ति समान हैं। अगर कोई मनुष्य किसी दूसरे पर अस्पृश्यता के आधार पर कोई रोक-टोक लगावे तो वह राज्य द्वारा दण्डित होगा।

(५) राज्य द्वारा सेना या रिश्ता सम्बन्धी उपाधियों के अतिरिक्त और किसी प्रकार का खिताब प्रदान नहीं किया जावेगा। इस प्रकार सामाजिक समानता स्थापित करने की चेष्टा की गई है। यह भी संविधान में कहा गया है कि भारतीयों को विदेशी सरकार से भी कोई खिताब स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। परन्तु अगर कोई विदेशी भारत-भरकार की सेवा में है तो वह राष्ट्रपति की सम्मति से किसी राष्ट्र से खिताब स्वीकार कर सकता है।

संविधान में उपरोक्त उपबन्धों के साथ साथ यह भी स्पष्ट रूप से कहा दिया गया है कि समता का अधिकार राज्य को निम्नलिखित काम करने में नहीं रोक गेगा।

(१) मातृजनिक स्थानों में हर एक को प्रवेश करने का बराबर अधिकार है परन्तु राज्य को यह अधिकार होगा कि वह स्त्रियों तथा बच्चों की मुक्ति के लिए विशेष उपबन्ध बनावे।

(२) राज्य को यह भी अधिकार है कि वह नामाजिक दृष्टि में तथा शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए किमी वर्ग के लिये या मनमूचित-जातियों अथवा जन-जातियों के लिये कोई विशेष उपबन्ध बनावे ।

(३) यद्यपि नौकरियों में सबको समान अवसर दिया जावेगा परन्तु राज्य को यह अधिकार है कि वह पिछड़े हुये किमी नागरिक वर्ग के पक्ष में, जिनका राज्य की नौकरियों में प्रतिनिधित्व कम है, कुछ स्थान सुरक्षित कर सकेगा है ।

(४) राज्य को यह अधिकार है कि वह किमी नौकरी के लिये प्रगर चाहें तो निवास सम्बन्धी योग्यता निर्धारित कर सकना है ।

(५) प्रगर किसी कानून के द्वारा यह प्रबन्ध है कि किसी धार्मिक या साम्प्रदायिक सस्या के पदाधिकारी किसी विशेष धर्म या सम्प्रदाय के हों तो ऐसा समता के अधिकार का विरोधी नहीं माना जावेगा ।

स्वातन्त्र्य अधिकार — “स्वतंत्रता ही जीवन है।” यह आधुनिक काल में प्रत्येक लोकतन्त्रात्मक दल का नारा रहा है। व्यक्ति का विकास बिना स्वतन्त्रता के प्रसम्भव है। बिना स्वतन्त्रता के हम अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यद्यपि में जो राष्ट्र परतन्त्र रहे हैं उनका सांस्कृतिक, नैतिक तथा बौद्धिक ह्रास हुआ है। किसी प्रकार की भी उन्नति बिना स्वतन्त्रता के सम्भव नहीं है। आधुनिक काल में सभी सम्य देशों में नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है। भारतीय-नविधान में स्वतंत्रता का अधिकार मूल-अधिकारों की कोटि में रखा गया है। इनके अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकार नागरिकों को दिये गये हैं :—

(१) भाषण तथा लेखन की स्वतंत्रता इनके अन्तर्गत प्रेत की स्वतन्त्रता भी सम्मिलित है ।

यह अधिकार असीमित नहीं है। संविधान-संशोधक बिल (१९५१) द्वारा यह पास किया गया कि यह अधिकार राज्य को कोई ऐसा शानून पार करने से नहीं रोक सकेगा जो राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, निष्ठाचार या नदाचार के हित में भाषण तथा लेखन की स्वतन्त्रता पर रोक लगाते हो। इन संशोधन का बहुत विरोध किया गया था। परन्तु ५० मेहूर ने इसे अत्यन्त आवश्यक बताया तथा यह संसद द्वारा पार हो गया ।

१. गंगूद द्वारा जो प्रथम संशोधक-बिल पास हुआ है उसके द्वारा यह उप-बन्ध बढ़ा दिया गया है ।

(२) शान्तिपूर्वक तथा बिना इशियार मभा करने का स्वतन्त्रता। परन्तु इस प्रकार की स्वतन्त्रता पर भी राज्य मावजनिक व्यवस्था क हित म बचिन बकन राक लगा सक्या।

(३) सम्पत्ती या मध बनान की स्वतन्त्रता। यहाँ भी राज्या की मावजनिक व्यवस्था क हित में बकनियनन राक लगाने का अधिकार है।

(४) भारत क राज्य मत्र में सब जगह रे राक-टाफ पूजन (अराध सचारण) की स्वतन्त्रता।

(५) भारत क राज्य मत्र क बिनी भाग म निवास करन और इस जाने की स्वतन्त्रता।

(६) सम्पति क अजन, धारण तथा ब्यय करन की स्वतन्त्रता। परन्तु राज्य को साधारण जनता क हितों में या किसी कानून-द्वारा ८५, ९ में वर्णित स्वतन्त्रता में युक्तियुक्त रोक लगाने का अधिकार है।

(७) किसी भी प्रकार वृत्ति उपजीविका व्यापार कारवाय करन की स्वतन्त्रता।

परन्तु यह अधिकार भी असीमित नहीं है। राज्य जनहित म इस प्रकार की स्वतन्त्रता पर भी राक लगा सकता है।

(८) बिना अपराध किसी मनुष्य को दण्ड नहीं दिया जायगा और कोई व्यक्ति एक ही अपराध क लिए एक बार म अधिक दण्डित नहीं किया जावेगा। किसी व्यक्ति का अपने ही विन्ध गवाही देने का बाध्य नहीं किया जावेगा।

(९) बिना कानून क किसी व्यक्ति का अपन प्राण या शारीरिक स्वतन्त्रता में बचिन नहीं किया जावेगा। परन्तु इस सम्बन्ध में मसद को यह अधिकार है कि अग वह प्राण या शारीरिक-स्वतन्त्रता में बचिन करने का कोई कानून बनावे तो न्यायालय उसकी अवहलना नहीं कर सकत है। न्यायालय यह नहीं कह सकते हैं कि यह कानून अर्बैध है। इस प्रकार इस विषय में व्यवस्थापिका के हाथ में शक्ति है न कि न्यायपालिका के।

इस अधिकार म यह अर्थ है कि सरकार मनमानी न करे और बिना किसी अपराध क कोई मनुष्य अपराधी न करार दिया जावे तथा जेल में न ठूस दिया जावे। इस प्रकार की व्यवस्था आवश्यक है। अन्यथा सरकार अपने विरोधिया १) मनमाना व्यवहार कर सकती है।

(१०) बन्दीकरण और निरोध में सरक्षण — इसक अन्तगत मविधान में यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो बन्दी किया गया है बिना बन्दीकरण

के कारणों को बनाये हवालात में नहीं रखा जाएगा। बन्दीकरण के बाद यह २४ घण्टे के अन्दर किसी मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा तथा बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के अगले हवालात में नहीं रखा जाएगा। उनको यह अधिकार होगा कि वह अपने पसन्द के वकील में सलाह करे तथा उसे अपनी रक्षा के लिए नियुक्त करे।

परन्तु अगर कोई व्यक्ति उन समय भारत का विदेशी-राष्ट्र है या कोई व्यक्ति जो कि नजरबन्दी कानून में पकड़ा गया है, उनके मामले में ऊपर बर्णित उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

इस स्थल पर हमें नजरबन्दी कानून (निवारक-निरोध-विधियाँ preventive detention) पर विचार करना चाहिए। संविधान द्वारा राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाये तीन महीने के लिये नजरबन्द कर सकता है। परन्तु यह अवधि दो प्रकार में बढ़ायी भी जा सकती है। (१) अगर नजरबन्दी के मामले में राय देने वाली समिति यह समझे कि यह अवधि बढ़ा देनी चाहिये। इस समिति के सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि उच्चतम-न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हों या न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हों। (२) अगर संसद कोई कानून बनाकर यह निर्दिष्ट करे कि कितने काल के लिए किसी व्यक्ति को नजरबन्द किया जा सकता है। मन्त्र को यह अधिकार भी है कि वह यह निर्दिष्ट करदे कि अधिकतम में अधिक कितने काल के लिए किसी व्यक्ति को नजरबन्द किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को जो कि नजरबन्द किया जावेगा सरकार शीघ्र यह बतावेगी कि वह क्यों नजरबन्द किया गया है। परन्तु अगर सरकार यह नोवे कि कुछ बातें जन-हित के विरुद्ध हैं तो वह उन्हें बतलाने की बाध्य नहीं है। नजरबन्द व्यक्ति को अपनी नजरबन्दी के विरुद्ध आपेदन करने के लिये अवसर दिया जावेगा। (भारतीय संसद ने २५ फरवरी १९५० को एक कानून बनाया जिम्मे द्वारा किसी भी व्यक्ति को देश की सुरक्षा अथवा शान्ति के लिये १ वर्ष के लिए नजरबन्द किया जा सकता है। १९५१ में यह कानून कुछ परिवर्तनों से स्याप फिर पान किया गया। नजरबन्दी कानून भारतीय संसद द्वारा पुनः पान कर दिया गया है। इसको देश की शान्ति के लिये आवश्यक बतलाया गया है। प्रतिवर्ष इस कानून की एक वर्ष के लिये पारित किया जाता है।)

इस कानून की संविधान मभा में बहुत अधिक आलोचना की गई थी। कुछ सदस्यों ने इसे नागरिक-स्वतन्त्रता का पाउस पहा है। ऐसे उपबन्धों में

सबसे अधिक भय इस बात का रहता है कि अगर सरकार चाहे तो वह इन अपने विराधियों की कायबाही को रोकने के लिए प्रयुक्त कर सकती है।

शोषण के विरुद्ध-अधिकार —संविधान द्वारा इस अधिकार क प्रत्या करण में भारत राज्य क्षेत्र में मनुष्यों का पण्य अर्थात् खरीदना और बचन बेगार तथा विर्गी श्रम प्रकार का जबरदस्ती लिया हुआ श्रम अपराध बना दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता तो उसको राज्य द्वारा दण्ड दिया जावेगा। हमारा गाँवों में तथा पहिले की देशी रिवाजों में ब्यापक प्रथा थी। जमींदार तथा ता.उदेदार श्रम करने में मजदूर जातिया या गाँवों में बगल माल श्रम लागू में बेगार करवाने थे। अगर का प्रथम उम श्रम से है जिसका मेहनताना नहीं दिया जाता है। यह बहुत अनुचित प्रथा थी। संविधान ने इसे बन्द कर बहुत अच्छा किया है। आवश्यकता इस बात की है कि इसका पूर्णतया पालन करवाया जाय।

ऊपर दिए हुए अधिकार में राज्य के इस अधिकार में कोई कमी नहीं आती कि वह किसी सवजनित प्रयोजन के लिए बाध्य सेवा लागू करे। उदाहरणार्थ, राज्य देश की रक्षा के लिए सब योग्य व्यक्तियों को सना में अनिवार्य भर्ती सकता है।

संविधान में यह भी कहा गया है कि १४ वर्ष से कम आयु वाले बालकों को कारखाना, खान अथवा किसी श्रम मकटमय नौकरी में नहीं लगाया जायगा। इस उपबन्ध का उद्देश्य यह है कि भारत के भावी नागरिकों का स्वास्थ्य न बिगड़ जावे। परन्तु इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक था कि १४ वर्ष के बजाय १६ वर्ष रखा जाता तथा बालकों के साथ साथ स्त्रियों का भी खान आदि में काम करना बन्द कर दिया जाता। क्योंकि खान आदि में काम करना स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकारक है। विशेषकर हमारे जैसे देश में जहाँ कि पूजिपतियों न मजदूरों की दशा मुधारण का बहुत ही कम प्रयास किया है।

धर्म स्वातन्त्र्य का अधिकार —इसके अन्तगत संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अन्तकरण की स्वतन्त्रता तथा अपने धर्म का बिना किसी रुकावट के मानने प्रचार करने तथा आचरण करने का अधिकार दिया गया है। परन्तु इस प्रकार का अधिकार असीमित नहीं है। इसलिये यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था गदाचार तथा स्वास्थ्य के विरुद्ध नहीं हो सकता है।

धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार इसलिए आवश्यक है क्योंकि अन्यथा जो एक व्यक्ति में होता है वह अपने धार्मिक विचारों को और सबों से मनवाने की

भी खेप्टा करता है। यह उचित नहीं है। ऐसे उदाहरण इतिहास में मिलते हैं।^१ सभी सम्य राज्य आजकल धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान करते हैं। भारत भी धर्म के विषय में निष्पक्ष है। अर्थात्, राज्य स्वयं किसी धर्म-विशेष को ऐसी सुविधाएँ प्रदान नहीं करेगा जोकि अन्य धर्मावलम्बियों को न दी गई हो।

निष्ठा को कृपाण धारण करने का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक धार्मिक मन्त्रदाय को धार्मिक मस्याओं की स्थापना तथा उनके पोषण का अधिकार दिया गया है। उनको धार्मिक-कार्यों के प्रवृत्त की स्वतन्त्रता दी गई है। वह इस उद्देश्य से जगम तथा स्थावर सम्पत्ति खरीद तथा रख सकता है।

राज्य ने अपने हाथ में यह अधिकार रखा है कि किसी धर्म में सम्बन्धित किसी प्रकार की आर्थिक या राजनैतिक क्रियाओं के लिए निषेध बना सके या उन्हें रोक सके। राज्य को समाज-सुधार के उद्देश्य से या हिन्दू-समाज के सब वर्गों के लिए हिन्दू सामाजिक मस्याओं को खोलने के लिए, कानून बनाने का भी अधिकार है। हिन्दुओं में भिन्न, बौद्ध तथा जैन भी शामिल है।

किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए करो को देने की स्वतन्त्रता दी गई है। उसको इनके लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है। राज्य की शिक्षा-संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक-शिक्षा नहीं दी जावेगी। उन शिक्षा-संस्थाओं में जिनको इस उद्देश्य से ही स्थापित किया गया है वे उप-बन्ध लागू नहीं होंगे। परन्तु उन शिक्षा-संस्थाओं में भी धार्मिक शिक्षा के लिए^२ किसी को बाध्य नहीं किया जावेगा।^३

संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार :—भारत एक विनाश देश है। इसमें विभिन्न भाषा-भाषी लोग हैं। यद्यपि यह सत्य है कि व्यापक अर्थ में भारत में संस्कृति की एकता है तथापि यह भी सच है कि प्रत्येक भाग की अपनी-अपनी भाषा तथा संस्कृति है। भारत में १४ जनत भाषाएँ हैं जिनका अपना साहित्य तथा इतिहास है। इसलिए सांस्कृतिक-स्वतन्त्रता ऐसे देश में प्राप्यन्क है। हम में भी नहीं कि कई विभिन्न संस्कृतियाँ पाई जाती हैं सांस्कृतिक स्वतन्त्रता प्रदान की गई है।

भारतीय नवविद्यान में इस विषय पर निम्नलिखित उपायों की रचना की गई है —

1. G.N. Joshi, Ibid, p. 85.

2. इस विषय में भारतीय-अध की विवेकताएँ वाला अध्याय देखिये।

(१) प्रत्येक अल्प-संख्यक वर्ग का जिसकी अपनी भाषा लिपि या संस्कृति है उसको बनाये रखने का अधिकार है।

(२) ऐसी शिक्षा-संस्थाओं में जो राज्य द्वारा चलाई जाती हैं या जिनको राज्य आर्थिक सहायता देता है प्रत्येक नागरिक को प्रवेश करने का अधिकार है। अथवा धर्म भाषा जाति या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी नागरिक ऐसी संस्थाओं में प्रवेश पाने में वंचित नहीं किया जावेगा। परन्तु प्रथम संशोधन विध (१९५१) द्वारा राज्य को यह अधिकार है कि वह पिछड़ी हुई जातियों के लिए इनमें कुछ स्थान सुरक्षित कर दे।

(३) धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्प-संख्यक वर्गों को अपनी हचि की शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रबन्ध का अधिकार है।

(४) राज्य द्वारा शिक्षा-संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने में इस आधार पर कोई भेद नहीं किया जावेगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्प संख्यक वर्ग के प्रबन्ध में हैं।

सम्पत्ति का अधिकार —सत्रहवीं शताब्दी में अंग्रेज दासनिक लाक ने कहा था कि जीवन स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति प्राकृतिक अधिकार है। तब से वह सिद्धान्त लोचन-त्रात्मक सरकारों ने (साम्यवादी-श्लोकतन्त्र को छोड़कर) माना है कि नागरिकों की सम्पत्ति में उनकी आज्ञा के बिना हस्तक्षेप नहीं किया जायगा। नागरिका की यात्रा व्यवस्थापिका में उनके प्रतिनिधियों द्वारा दी जाती है। यह वही सिद्धान्त है कि बिना प्रतिनिधित्व के कर लागू नहीं हाने।

भारतीय संविधान में भी इस प्रकार के उपबन्ध है। कहा गया है कि कोई भी मनुष्य कानून के अधिकार के बिना अपनी सम्पत्ति में वंचित नहीं किया जावेगा। परन्तु राज्य को व्यक्तिगत सम्पत्ति सार्वजनिक कार्यों के लिये हस्तगत करने का अधिकार है और इसके लिए यह व्यवस्था की गई है कि अगर इस प्रकार कोई किसी की सम्पत्ति लेगा तो उसको प्रतिकार (मुआवजा) देगा।¹ अगर राज्यों के विधान-मण्डल कोई इस प्रकार का कानून बनावे तो उसके प्रभावी होने के लिये राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है।

1 Under this (provision for compensation) the British interest in India will be protected. Moreover, however great may be the urgency for social control the vested interests cannot generally be disturbed" S K Sen—Salient Features of Our New Constitution, p 9

यायात्र्य के पास आवदन उ जा सकता है। इसके प्रतिगिनत समूह किनी अन्य यायात्र्य को भा कानून द्वारा इस प्रकार का अधिकार प्रदान कर सकती है।

क्या मून अधिकार निलम्बित अथवा सकुचित (suspended and restricted) किये जा सकते हैं — इस प्रश्न का उत्तर है कि व अधिकार ज्य द्वारा निम्बित तथा सकुचित किये जा सकते हैं —

(१) विधान म सभावन द्वारा इन मूल-अधिकारों का सकुचित किया जा सकता है। प्रथम विधान-संगोपन विठ (१०५१) द्वारा इन मूल-अधिकारों में कुछ परिवर्तन किया गया है। इसका हम यथाभ्यान वगन कर चुके हैं।

का आदेश दे सकता है। इस प्रकार यायात्र्य इस बात की जांच कर सकता है कि वह व्यक्ति कानून के अनुसार गिरफ्तार किया गया है या नहीं। यह लेख नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा कार्य-मार्गिका म नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। इसका मवप्रथम आरम्भ (१६६१) में इंग्लैण्ड में हुआ था।

(ब) परमादेश (Mandamus) — यह लेख एक आदेश है जिसके द्वारा एक उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति सस्था या निचले न्यायात्र्य का एमा काम करन का आदेश देता है जिसका करना उमका कर्तव्य है। यह साधारण वैज्ञानिक वृत्त्य तथा सावजनिक मस्याओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका प्रयोग बना जाना है जल्द कि अधिकार तो हा परन्तु उसका प्रवर्तन के लिये उपचार न हा।

(स) प्रतिषेध (prohibition) — यह लेख उच्च न्यायालय द्वारा अपन म निम्न न्यायात्र्य के लिये निरस्त जाता है और इसका उद्देश्य निम्न न्यायात्र्य को अपन अधिकार क्षेत्र से बाहर जान में रोकना है।

(द) अधिकार पृच्छा (Quo warranto) — इस लेख द्वारा यायात्र्य किसी भी व्यक्ति को जिसन गैर-कानूनी तरीक से किनी पद अधिकार आदि को प्राप्त किया हो उम पद पर या अधिकार का उपयोग करने से रोक सकता है।

(न) उत्प्रेक्षण (Certiorary) — इस लेख द्वारा एक उच्च न्यायालय अपन अधीनस्थ निम्न न्यायालय में किसी मुकदमे के कागजात आदि यह लेखन की मांग सकता है कि वही वह अपन निश्चित क्षेत्र में बाहर तो नहीं जा रहा है।

(२) संसद् को यह शक्ति है कि वह यह निर्धारित करे कि सेना में मा सार्वजनिक शान्ति को रक्षावाले सेनाओं में ये मूल-अधिकार निलम्बित अवस्था तक कम या समाप्त किये जा सकते हैं, ताकि उनमें अनुशासन बनाये रखने तथा उनमें कर्तव्य पालन करवाने में कठिनाई न हो।

(३) संसद् को शक्ति है कि वह सेना-विधि (Court martial) के लगे हुए क्षेत्र में काम को मान्य कर सकती है। कार्य रूप में इसका अर्थ यह हुआ कि सेना-विधि लगे हुये क्षेत्र में मूल अधिकार निलम्बित रहेंगे।

(४) प्रगर राष्ट्रपति सकट-काल की घोषणा कर दे तो भाषण-नेसन की स्वतन्त्रता, संप्र तथा सभा की स्वतन्त्रता, आदि अधिकार उस काल के लिये निलम्बित हो जायेंगे। इनके साथ-साथ अन्य मूल-अधिकार भी प्रगर राष्ट्रपति आदेश दे दे तो सकट-काल की घोषणा जब तक लागू रहेगी तब तक के लिये निलम्बित हो जायेंगे।

मूल-अधिकारों पर एक आलोचनात्मक दृष्टि—कुछ लेखकों के अनुसार भारतीय सविधान द्वारा जितने अधिकार प्रदान किये गये हैं उतने किसी भी अन्य देश के सविधान में उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए इनके विचार में भारत-वर्ष का सविधान लोक-तन्त्रात्मक गणराज्य का आदर्श उपस्थित करता है।

यह सत्य है कि सविधान में नई मूल-अधिकारों का वर्णन है तथा इस प्रकार नागरिक को सविधान प्रदान की गई है जो उसके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होंगी। समता तथा स्वतन्त्रता के अधिकार भी प्रदान किये गये हैं। परन्तु इसमें कमी यह है कि विधान में इन अधिकारों को निलम्बित तथा संकुचित करने के लिये इतने उपबन्ध दिये गये हैं जिनसे यह भय होता है कि ये अधिकार कार्य-रूप में अधिक काम नहीं करेंगे। सविधान के मूल अधिकारों से सम्बन्ध रखने वाले उपबन्धों में संशोधन किया जा सकता है। इसलिए यह भय है कि सरकार किसी भी समय संशोधन द्वारा इनको संकुचित कर सकती है। इसके अतिरिक्त इन अधिकारों का उद्देश्य राजनैतिक प्रजातन्त्र स्थापित करना तो है परन्तु आर्थिक प्रजातन्त्र का इस भाग में कोई वर्णन नहीं। यह सच है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व वाले भाग में कुछ इस प्रकार के उपबन्ध हैं। वे यथाथं में व्यर्थ से हैं क्योंकि न्यायालय द्वारा उनका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है। हमारे विचार में इन अधिकारों में इस प्रकार के अधिकार अवश्य सम्मिलित होने चाहिए जिनसे देश में आर्थिक प्रजातन्त्र स्थापित करने की ओर कदम उठाया जा सकता है। सविधान द्वारा राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि यह सकट काल की घोषणा द्वारा इन अधिकारों को निलम्बित कर सकता

६। राष्ट्रपति का आदेश संसद् के सम्मुख स्थित किया जाएगा। परन्तु संविधान में यह वही पर नहीं दिया हुआ है कि सवट जारी होने के कितने दिन के भीतर, राष्ट्रपति का इन मूल-अधिकारों का निलम्बित करने वाला आदेश संसद् के सम्मुख रखा जाय और न संसद् की आज्ञा ऐसे आदेश के जारी रहने के लिये आवश्यक की गई है। यह उचित नहीं है। यह कार्य-पालिका को बहुत अधिक शक्ति देती है। इस प्रकार के उपबन्ध भय पूर्ण है क्योंकि कार्यपालिका सवट के नाम में नागरिकों के अधिकारों का अपहरण कर सकती है। एक लेखक के अनुसार इन उपबन्धों में नागरिकों की स्वतन्त्रता के हित में शीघ्रातिशीघ्र संशोधन होना चाहिये।'

प्रश्न

- (१) मूल अधिकारों से क्या तात्पर्य है? भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को क्या क्या मूल अधिकार प्रदाय किये गये हैं? (यू० पी० १९५८)
- (२) मूल अधिकारों का नागरिकों के जीवन पर क्या महत्व है? भारतीय संविधान को ध्यान में रखते हुए लिखिये।
- (३) भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों क्या हैं? इनकी रक्षा किस प्रकार हो सकती है? (यू० पी० १९५६)

राज्य की नीति के निर्देशक तत्व

पिछले अध्याय में हमने नागरिक के मूल अधिकारों का वर्णन किया था। इन अधिकारों की विशेषता यह है कि न्यायालय को उन्हें प्रवर्धित करने की उच्च निकाय द्वारा प्रदान की गई है। इसलिए अगर राज्य उनकी अवहेलना करे तो न्यायालय नागरिक को रक्षा कर सकेगा है। इन अधिकारों के अतिरिक्त नविवान के चतुर्थ भाग में कुछ उपबन्ध दिये जाते हैं। ये उपबन्ध भी कुछ ऐसी नुविधाओं का वर्णन करते हैं जिनकी प्राप्ति से नागरिकों का जीवन अच्छा हो सकता है। इनको राज्य की नीति के निर्देशक तत्व कहा गया है। इन निर्देशक तत्वों को विधान में क्यों स्थापित किया गया है इसका जवाब यही उत्तर हो सकता है कि भारत सरकार इन तत्वों की प्राप्ति का नई ध्यान रखे अपात् कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका दोनों का यह कर्तव्य है कि वे इन तत्वों की प्राप्ति की चेष्टा करें। परन्तु कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका अगर इन तत्वों पर ध्यान न रखे तो क्या होगा? इसका उत्तर यह है कि उनको कोई बाध्य नहीं कर सकता है कि वे इन तत्वों का ध्यान रखें ही। क्योंकि इन तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यता न दी जा सकेगी। इन प्रकार ये न्यायालय के संरक्षण में नहीं हैं। कोई नागरिक अपना न्यायालय को यह आवेदन नहीं दे सकता है कि राज्य इन तत्वों की अवहेलना कर रहा है और इसकी बाध्य किया जाये कि यह ऐसा न करे। संक्षेप में यह राज्य का नैतिक कर्तव्य नही जा सकता है कि वह इन तत्वों का अपनी नीति निर्धारित करने में ध्यान रखे। परन्तु नैतिक कर्तव्य के पीछे केवल एक ही शक्ति है जो कि उनका पालन करवा सकती और वह जनमत है। इसलिए देश में आगरुक जनमत होगा जो कि प्रत्येक रूप में सरकार के कार्यों का भली-भाँति निरीक्षण कर रहा है तथा जब सरकार ने गलत कदम उठाया उसकी धारोचना कर रहा है, तब तो कुछ मात्रा तक यह आशा की जा सकती है कि इन निर्देशक तत्वों का राज्य की नीति के बनाने में ध्यान रखा जायगा, अन्यथा ये केवल शीमार्य रह जायेंगे। इतिहास यह बतलाता है कि सरकार सभी तक ठीक काम करती है जब तक उनको यह भ्रम रहता है कि

अगर यह ठीक प्रकार न धारण न करे तो वह स्थान च्युत कर दे जावगी। क्योंकि जमा प्रसिद्ध अंग्रेज एनिहामिस का एक्शन (Action) न था है All power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely

जब मविधान मभा व इन नीति निदेशक तत्व का उपयोग व जगत् विचार हा रहा था तब कुछ सदस्यों न यह विचार प्रस्त किया था क्योंकि इनके पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है इसलिए व यथ म ही है। उहान इनका पैरा परिषद इच्छार्ण करता था। इस प्रकार का आराधना व उत्तर म विधान समिति व अध्यक्ष डा० अम्बेदेकर ने कहा था कि यद्यपि यह सच है कि इन निदेशक तत्व व पीछे कानून का बल नहीं है तथापि यह कहना कि उनके पीछे कोई भी शक्ति नहीं है उचित नहीं। इनको हमें उन आदेश पत्रा (Instrument of Instructions) की तरह समझना चाहिये जो कि १९३५ व एक्ट व अनुसूची त्रिंशिस मकार द्वारा गवर्नर जनरल तथा गवर्नरा का दिया जात थे। यद्यपि डा० अम्बेदेकर यह मानन का प्रवृत्त नहीं हुए कि ये निदेशक तत्व शक्ति हीन है तथापि यह भी स्पष्ट है कि ये बबल कठ आदेशमात्र है।

कुछ श्रेष्ठता के अनुसार इन तत्वों व इन प्रकार मविधान म वणन म एक अहम बडा लाभ यह हुआ है कि चाहे कोई भी दल चुनाव में जीत के पश्चात् शासन का कार्य मभारत राज्य की नीति म एक प्रकार की स्थिरता रहेगी। क्योंकि लोकतन्त्रात्मक प्रणाली में यह सम्भव है कभी ता अनुदार दल की सङ्घार हा तथा कभी कोई ऐसा दल शक्ति में आ जाय जिसका कि शान्तिकारी वायुमय हा। इन निदेशक तत्वों व द्वारा अनुदार दल प्रतिक्रियावादी नीति के अनुसार न चल सकेगा तथा इसी प्रकार शान्तिकारी दल को भी अपनी नीति में परिवर्तन करना होगा।

इन तत्वों के मविधान में वर्धन से यह मचिन किया गया कि राज्य अपनी शान्तिपूर्ण नीति का एक प्रकार का आणु जिससे कि नागरिका का जीवन अधिक बल प्राप्त के मदन प्रहा। पर शान्तिनीति में राज्य शान्ति की नीति ग्रहण करेगा। पैसा कि एक श्रेष्ठता के कहा है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों के लिए श्रेष्ठ जीवन की सम्पत्ति दायें उपस्थित करे और अच्छे जीवन के लिए आपु नित काल में ये सब बाने आवश्यक है जो कि निदेशक तत्व वाके भाग में वणन है। परन्तु इन सब बानों के दणन व लिए मविधान उपयुक्त स्थान नहीं है।

हमारे विचार में इनका नविधान में वर्णन तभी उचित था अगर इनके पीछे बानून की शक्ति होती मन्वषा इनका वर्णन बेकार है।

नविधान में कहा गया है कि ये तत्व देश के शासन में मलभूत हैं तथा बानून बनाने में इनका प्रयोग करना राज्य का वर्णन्य होगा। र्नादि में तत्व देश के शासन में मूढभूत हैं इसलिए सरकार के प्रायेक अंग का वर्णन्य इनका प्रयोग करना होगा।

ये तत्व निम्नलिखित हैं। इनका प्रयोग वर्णन विद्या आवेगा।

(१) राज्य लोक-कल्याण की उन्नति के लिये ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना तथा रक्षा करेगा जिसमें वि मयों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय प्राप्त हो सके। इन उपबन्ध में प्रयुक्त सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय शब्द नविधान की प्रस्तावना में भी पाये जाने हैं। जब कि प्रस्तावना में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि नविधान को बनाने का उद्देश्य ही समाज में न्याय की स्थापना है, तो फिर ये उनको लिखने में अधिक लाभ नहीं प्रतीत होता है। इनके अतिरिक्त प्रश्न यह उठता है कि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय की प्राप्ति कैसे होगी? जबतक यह न बतलाया जाये कि इन आदर्शों का प्राप्त करने का मार्ग क्या है, वेबल आदर्शों को सिद्ध देने में अधिक लाभ नहीं हो सकता है। नविधान में यह वहाँ पर नहीं कहा गया है कि इन उद्देश्यों के लिए उन्नति के माधनों का राष्ट्रीयकरण किया जावेगा। जब तक कि इन माधनों का राष्ट्रीयकरण नहीं होता है, तब तक देश में आर्थिक प्रजातन्त्र के स्थापित होने की आशा करना बेबल कल्पना है। इसलिए हम इन परिणाम पर पहुँचने हैं कि यह उपबन्ध अस्पाद है।

(२) राज्य को नीति का उद्देश्य निम्नलिखित बातों को प्राप्त करना बननाशा गया है :—

(क) भारत के सब नागरिकों को—मर तथा मारो—समान रूप में जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। इसका अर्थ यह है कि भारत में बेकारी उठ जावेगी। आज तो देश में एक बहुत बड़ी संख्या बेकारों की है। प्रश्न यह है कि किस प्रकार राज्य बेकारी को दूर करेगा? इसका उत्तर हमें कही नहीं मिलता है। कुछ अन्य विधानों में भी यह कहा गया है कि बेकारी

1. एक विद्वान के अनुसार 'As these principles cannot be enforced in any court they amount to little more than a manifesto of aims and of aspirations.' Prof. K. C. Wheare.

को नष्ट किया जायगा। परन्तु इसके लिए उनमें यह उपबन्ध है कि प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता अनुसार काम करने का अधिकार (right to work) दिया गया है। जब तक ऐसा नहीं होगा बेकारी नहीं हट सकती है।

(ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बाँटा हो जिससे समस्त समाज का हित हो।

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चल जिसमें कि धन तथा उत्पादन के साधन थोड़े से लोगों के हाथों में ही न केन्द्रित हों जायें और इस प्रकार सर्वसाधारण का अहित हो।

(घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन मिले।

(ङ) सुबुमार वालकों की अवस्था का तथा श्रमिक पुरुषों तथा स्त्रियों के स्वास्थ्य तथा शक्ति का दुरुपयोग न हो। इसके अतिरिक्त ऐसा न हो कि आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर लोग ऐसे काम करें जो कि उनका आयु या शक्ति के अनुसार न हो।

(च) शैशव तथा किशोर अवस्था का शोषण और आर्थिक तथा नैतिक परित्याग (abandonment) से बचाव हो।

इस भाग में वर्णित उपबन्धों का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब कि उत्पादन साधनों पर थोड़े से व्यक्तियों का अधिकार न हो कर सम्पूर्ण समाज का हो। बिना ऐसा किए हुए न तो बेकारी दूर की जा सकती है और न धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के हित में केन्द्रीयकरण।

(३) ग्राम पंचायत का समूह — महात्मा गांधी का यह विचार था कि स्वतन्त्र भारत की प्रशासनीय इकाई ग्राम ही है। भारत में जन-संख्या का बड़ा भाग गाँवों में ही रहता है तथा खेती ही हमारे आर्थिक जीवन का आधार है। दन्ती कारणों से गाँधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम में ग्राम-सुधार बहुत महत्वपूर्ण था। इसी के प्रभाव स्वरूप सविधान में भी यह कहा गया है कि राज्य ग्राम-पंचायतों का समूह करेगा। इन पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ तथा अधिकार दिये जायें ताकि वे स्वायत्त-शासन (Self-Government) की इकाइयों के रूप में काम कर सकें।

कछ राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि में इस प्रकार के समूह स्थापित किये गये हैं। इन्हें सफलता तभी प्राप्त हो सकती है जब कि ये स्वार्थी

मनुष्यों के हाथों में न पहुँच जाये। इनके अधिकारों का विस्तृत वर्णन आगे किया गया है।

(४) राज्य अपनी आर्थिक नीतियों के अनुसार इन बात का प्रयत्न करेगा कि सब मनुष्य काम पा सकें तथा शिक्षा पा सकें। इनके प्रतिरिक्त राज्य इस बात का भी प्रयत्न करेगा कि देशवर्ती वृद्धापा अंगहानि तथा अन्य अनहंअभाव (undeserved want) की दशाओं में नाजंजनिब नहायना पा सकें। आजकल कई अन्य राज्यों में इन उद्देश्यों के लिये कानून बनाये गये हैं। १९वीं शताब्दी तक यह राज्य का काम नहीं समझा जाता था कि वह इन प्रकार के काम करे। परन्तु २०वीं शताब्दी में नयी विचारक इन बात को मानने लगे हैं कि राज्य को इन प्रकार के काम करने चाहिये।

(५) राज्य इन बात का उन्वय करेगा कि काम करने की दशाएँ उचित हों। वे ऐसी हों जो कि मनुष्यों के लायक हों, इसमें यह तात्पर्य है कि काम की दशाएँ ऐसी न हों जहाँ कि जीवन को खतरा हो, अपवा किन्हीं अन्य प्रकार से शरीर की हानि पहुँचाये या आदमी के मान के प्रतिदूल हों। इनके साथ साथ राज्य इस बात का भी प्रयत्न करेगा कि प्रवृत्ति अवस्था में स्त्रियों को सहायता मिले। प्रत्येक नव्य देश में इन उद्देश्यों के लिये कुछ कानून बने हुए हैं।

(६) राज्य कानूनों के द्वारा (या आधिक-मगडन द्वारा) या अन्य किसी प्रकार में इन बात का प्रयत्न करेगा कि सब अमिकों चाहे वे हृषि के हों या उद्योग के या अन्य किसी प्रकार के काम, निर्वाह, मजूरी आदि मिले। अमिक अपना जीवन ठीक प्रकार में यापन कर सकें इसलिए उनके जीवन-स्तर को ऊँचा करने का प्रयत्न किया जावेगा। वे अपने अवकाश का उचित रीति में उपयोग करें तथा उनके सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर मिलें, इनका भी राज्य प्रयत्न करेगा। इनके साथ-साथ गाँवों में समस्या सुधारने के लिए राज्य कुटीर-उद्योगों की स्थापना करेगा।

(७) भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए राज्य एक समान व्यवहार-गतिता (Civil Code) प्राप्त कराने का प्रयत्न करेगा। इसका यह उद्देश्य है कि समस्त राज्य में एक ही सिविल लॉ (Civil Law) हो। इसका अर्थ यह है कि नागरिकों को समान अधिकार चाहिए। भारत में आज का उद्देश्य इन प्रकार के विभिन्न कानूनों को हटाने का प्रयत्न करना है।

(८) राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि मजिस्ट्रेट व प्रारम्भ में इस क्षेत्र में अदर सब डाक्टरों का १८ उप का समानता तक निर्धारण तथा अनिर्धार शिक्षा दी जावे। हमारे विचार में यह उपरोक्त पूर्व-अनिर्धारण का भाग में जाना चाहिये था। हमारे दश में अपनी अग्रिमता है कि बिना अनिर्धार तथा निष्पक्ष विचार के तथा नही किया जा सकता है। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह अग्रिमता का समानता करे।

(९) यद्यपि राज्य अपने श्रेष्ठ व अनिर्धार मन्त्री की शिक्षा तथा गण-सम्बन्धी शिक्षा की प्रवृत्ति का प्रयत्न करेगा तथापि विगणनका जनता व पिछड़ हुए भागों—आदिम जातियों तथा इन्डिजना-व शिक्षा तथा अथ सम्बन्धी शिक्षा का विगणन साधना में उत्तम करेगा तथा सामाजिक अन्वेषण और आर्थिक शोधन में उत्तमता रखे करेगा। यह उचित है कि राज्य जनता व पिछड़ भागों की उत्तमता की और अधि-ध्यान दे। आयोग-के व मन्त्रिमण्डल में भी इस प्रकार का उपबन्ध है।

(१०) राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि इसका अपने मुख्य कर्तव्य में मान की लागा का स्वास्थ्य सुधारण जाय तथा उत्तम आहार पुष्टि-स्तर (Level of Nutrition) और जीवन-स्तर का उच्चा किया जावे। हमारे दशनामिका का स्वास्थ्य सुधारण तथा आहार पुष्टि-स्तर और जीवन-स्तर का उच्चा करने का उद्योग यह आन्दोलन है कि देश में गरीबी तथा बकारी का दूर किया जावे। जब तक राज्य का दिशा में कोई बन्दन नही उठाना है तब तक यह उपरोक्त व्यर्थ है। हमारे दश में पनि व्यक्ति पीछे जीमनन आसदनी इतनी कम है कि पूरा पेट भोजन ही सम्भव नहीं है अल्प भोजन का ता प्रश्न ही नहीं उठना है।

राज्य अपने गंगा का स्वास्थ्य सुधारण व शिक्षा-ज्ञानिक मादक-पया तथा औषधिया व उपभाग पर विधाय दवा के शिक्षा-प्रतिरूप-ग्यान का प्रयास करेगा। अर्थात् राज्य पराध तथा नशीली पीन का बीजा पर राक लगावगा। यह बहुत अच्छा है कि राज्य मादक-वस्तुओं पर प्रतिरोध लगावगा। यह समाज के गरीब वर्गों के हिताय किया जायगा। परन्तु प्रश्न यह है कि लोग नशीली वस्तुओं का व्यवहार क्या करते हैं? इसका उत्तर यह है कि निम्न-शर्तों का जीवन इतना नीरम तथा शुष्क है कि दिन भर के बहिन-परिधाय व परधान-मनारजन का कोई अर्थ नही न हान के कारण व अपनी गारो-रिक्त-यकान का नश में मिटाना चाहते हैं। यद्यपि यह सत्य है कि इन वस्तुओं का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तथा उनकी आर्थिक-अर्थम्या को और भी गराव कर देता है तथापि यह भी सत्य है कि यह उनके मनारजन का मुख्य साधन भी

है। इसलिए केवल 'शराब मत पिओ' कहने से न तो शराब पीना बन्द हो जावेगा और न सरकार का कर्तव्य ही पूरा होया। सरकार को चाहिये कि वह इन निम्न वर्गों के लिये कोई मगोरजन के माधन प्रस्तुत करे, उनके जीवन की दशाओं को सुधारने की कोशिश करे तथा उनके शिक्षा का प्रचार करे। तब तो इन और सफलता मिल सकती है नहीं तो पहले लोग खुलकर पीने से श्रव छिपकर पियेंगे।

(११) राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि वृषि तथा पशु-पालन आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि के हों। यह गायाँ, बछडों तथा अन्य दुधार और बाहक टारों की नस्ल को बचाने तथा सुधारने की चेष्टा करेगा। भारत जैसे वृषिप्रधान देश में यह आवश्यक है कि हमारे खेती के टण को सुधारा जाय। आज भी भारत में अधिकतर किसान बाबाआदम के जमाने से चलने वाले तरीकों में खेती करते हैं। इसका फल यह है कि प्रति एकड़ उपज हमारे यहाँ अन्य सम्य देशों की तुलना में अत्यन्त कम है। हम दूसरे देशों का खाने के लिए मुह ताकते हैं। टारों की नस्ल सुधारना भी अत्यन्त आवश्यक है।

(१२) राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐतिहासिक या कलात्मक महत्व के प्रत्येक स्मारक या वस्तु को नष्ट होने से बचावे। इनके लिये मन्द द्वारा कानून बनाया जावेगा। भारत में इस प्रकार के कई स्थान हैं। उनकी रक्षा कार्यपालिका को करनी चाहिये क्योंकि वे हमारी महानता के चिन्ह हैं।

(१३) राज्य अपनी लोक सेवाओं को न्यायपालिका से पृथक करने के लिये प्रयत्न होगा। भारत में इसकी बहुत आवश्यकता है कि इन दोनों का पूर्ण पृथक्करण कर दिया जावे। इनका इस प्रकार पृथक्करण निष्पक्ष न्याय के लिये वाञ्छनीय है। इस दिशा में थोड़ा-सा कदम उठाया गया है। परन्तु यह आवश्यक है कि शीघ्र ही यह पूर्ण रूप से कर दिया जावे।

(१४) अन्त में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी राज्य कुछ आदेशों को लेकर चलने का प्रयत्न करेगा। ये निम्नलिखित हैं :—

(क) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, तथा सुरक्षा की उन्नति,

(ख) राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को स्थापित करना,

(ग) राष्ट्रों के आपस के व्यवहारों में, अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा सन्धियों के प्रति आदर-भाव बनाना,

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय-विवादों को मध्यस्थता (arbitration) द्वारा निवटारे के लिए प्रोत्साहित करना। अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय विवाद शान्तिपूर्ण उपाय से हल किये जायें।

उपर्युक्त नीति निदेशक-तत्वा में उन सब बातों का वर्णन किया गया है—
 यद्यपि उनको बाध्यता नहीं दी गई है—जो कि एक मध्य राज्य की आन्तरिक
 तथा बाह्य नीति को निर्धारित करते हैं।

प्रश्न

- (१) राज्य के निदेशक सिद्धान्तों का उल्लेख कीजिये। सविधान में इन
 का क्या महत्त्व है ? (यू० पी० १९५२)
- (२) राज्य की नीति के भारतीय सविधान के अनुसार क्या निदेशक
 तत्व हैं ?
- (३) सविधान में दिये गये नीति निदेशक तत्वा का उल्लेख कीजिये।
 इनका क्या महत्त्व है ? पिछले दस वर्षों में इन तत्वों की कहां तक पूर्ति हुई है ?
 (यू० पी० १९५७)

संघीय कार्यपालिका : राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति

संविधान के द्वारा हमारे देश में साम्प्रदायिक शासन की स्थापना की गई है। इन प्रकार के शासन की मुख्य विशेषता यह होती है कि इसमें एक नाम मात्र का प्रधान होता है जिसके नाम से शासन-कार्य चलाया जाता है। परन्तु शासन की वर्यार्थ-शक्ति मंत्रिमण्डल के हाथ में होती है। यह वर्यार्थ-कार्यपालिका मण्डल के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में राष्ट्र के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। संविधान की ५२वीं तथा ५३वीं धाराओं में कहा गया है कि "भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसकी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इनका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा।" राष्ट्रपति वास्तव में केवल कार्यपालिका का ही प्रधान नहीं है वह राज्य का प्रधान (Head of the State) है। भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा कुछ ऐसे अधिकारों में विभूषित किया गया है कि नाममात्र का प्रधान होने हुए भी उनकी शक्तियाँ वर्यार्थ हैं।

राष्ट्रपति का निर्वाचन — भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति मण्डल के समस्त अन्य देशों में भिन्न है। उदाहरणार्थ, फ्रान्स का राष्ट्रपति मण्डल द्वारा निर्वाचित होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति एक निर्वाचक मण्डल (electoral college) द्वारा चुना जाता है जिसके सदस्य प्रत्येक राज्य से जनता द्वारा चुने जाते हैं। परन्तु भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति इसमें भिन्न है। साम्यता केवल यही है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किया जायगा परन्तु अप्रत्यक्ष होगा। फ्रान्स तथा अमेरिका में भी ऐसा ही है।

भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक-मण्डल स्थापना की जायेगी। भारतीय-संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचन-मण्डल के सदस्य होंगे। अर्थात्, इसमें मन्त्रीय सदस्यों को स्थान नहीं दिया गया है। इस निर्वाचक-मण्डल के सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मण्डल के

निर्वाचित सदस्यों की मतसंख्या तथा राज्य की विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्यों की मतसंख्या बराबर होगी।

प्रथम प्रश्न यह है कि इस निर्वाचन-मण्डल की मतसंख्या किस प्रकार निर्दिष्ट की जावेगी? इसका जिन निम्नलिखित आयात है

(1) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के समान्यक निर्वाचित सदस्यों की मतसंख्या — किसी राज्य का जनसंख्या को उस राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या में भाग दिया जावेगा जो भागफल आवेगा उसका फिर से १००० द्वारा भाग दिया जावेगा। इस प्रकार जो भागफल आवेगा उस राज्य के विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का उनका ही मत देने का अधिकार होगा। उसको इस प्रकार रखा जा सकता है।¹

राज्यों की कुल संख्या

राज्य की विधान-सभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या — १०००

१००० से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा अगर वह ५०० से कम हुआ तो वह छोड़ दिया जावेगा परन्तु अगर वह ५०० से अधिक हुआ तो प्रत्येक सदस्य के मत एक और जोड़ दिया जावेगा। उदाहरणार्थ मान लीजिये भारत में किसी राज्य की जनसंख्या ५,१२,१२,६०० है। वहाँ को विधान-सभा में १०० निर्वाचित सदस्य हैं। प्रत्येक निर्वाचित सदस्य की मत-संख्या उपरोक्त विधि से निर्दिष्ट करनी है। यह इस प्रकार होगा।

$$\frac{\text{प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत की संख्या}}{= \frac{5,12,12,600}{1000} - 1000}$$

= १०२ तथा शेष ४२३ बचेगा। परन्तु यह ५०० से कम है। इसलिये इसका छोड़ दिया जावेगा। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य की विधान-सभा के प्रत्येक निर्वाचित-सदस्य की मत-संख्या निर्दिष्ट की जावेगी।

1 This has been done "in order to ensure his dual responsibility as a federal officer to the State Assemblies and as a National officer to the Union parliament Banerjee B. V. — New Constitution of India, p 72

2 Dr M P Sharma, Ibid, p 104

इस विधि में यह स्पष्ट है कि जिन राज्यों की जनसंख्या अधिक होगी उनकी विधान-सभाओं के सदस्यों को कम जनसंख्या वाले राज्यों के सदस्यों से, राष्ट्रपति के निर्वाचन में अधिक मत देने का अधिकार होगा। इसी प्रकार अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के कम जनसंख्या वाले राज्यों में अधिक मत होंगे अर्थात्, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों को बराबर मत नहीं दिए गए हैं क्योंकि मत निर्दिष्ट करने का आधार जनसंख्या को रखा गया है। इस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न-भिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व एक से मापमान से किया गया है।

(२) संसद् के दोनों सदनों के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य की मत-संख्या.—संविधान में यह कहा गया है कि संसद् के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की मत-संख्या का योग सब राज्यों के विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत-संख्या के योग के बराबर होगा उदाहरणार्थ, अगर सब राज्यों के विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्यों की मतसंख्या का योग तीन लाख है तो संसद् के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की मत-संख्या का योग भी इतना ही होगा।

इससे यह स्वाभाविक है कि प्रत्येक संसद् की निर्वाचित सदस्य की मत-संख्या निर्दिष्ट करने के लिए भारत के सब राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों के योग को, संसद् के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दे दिया जावे। जो भागफल आवेगा उसमें आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जावेगा तथा अन्य भिन्नो की उपेक्षा की जावेगी।

उदाहरणार्थ, मान लीजिये सब राज्यों के विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्यों की मत-संख्या का योग ३००,००० (तीन लाख है)। भारतीय संसद् के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या ७०० है,^१ प्रत्येक संसद् के

निर्वाचित सदस्य को $\frac{३००,०००}{७००}$ मत अर्थात् $\frac{४२८७}{४}$ देने का अधिकार होगा।

यहाँ पर $\frac{४२८७}{४}$ आधी भिन्न से अधिक है, इसलिए प्रत्येक संसद् का निर्वाचित-सदस्य ४२९ मत देगा।

१. यह प्रत्येक संख्या यथार्थ गणना नहीं है, केवल समझाने के लिए मान ली गई है।

इस निर्वाचक-गण के सदस्या व मता द्वारा राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। यह निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति (Proportional representation) के अनुसार एक परिवर्तनीय मत विधि (Single Transferable Vote) द्वारा होगा, अर्थात् मत इस विधि से गिन जायगे।¹ इन निर्वाचन में मतदान गुप्त (Secret ballot) होगा।

विद्वाना व अनुगार एक-परिवर्तनीय मतविधि की यह आवश्यक दशा हैं कि बहुनिवाचन मंडल हो अर्थात् एक से अधिक प्रतिनिधि एक मंडल में से चुने जायें। परन्तु राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो केवल एक ही उम्मीदवार को चुनना है। अतएव इस विधि का प्रयोग कैसे होगा यह स्पष्ट नहीं है।²

राष्ट्रपति के लिये निर्वाचन पद्धति में तीन विशेष बातें दृष्टिगोचर होती हैं।

(१) अप्रत्यक्ष निर्वाचन—राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष-प्रणाली में व्यक्त मताधिकार द्वारा नहीं रखा गया है। सविधान सभा में कुछ सदस्या का मत था कि प्रत्यक्ष प्रणाली में निर्वाचन हो। परन्तु इसके विरुद्ध निम्नलिखित तर्क दिये गए।

(अ) प्रत्यक्ष-प्रणाली का व्यवहार करने में बहुत अधिक समय तथा शक्ति की हानि होगी।

(ब) मनदाताओं की संख्या करीबन अठारह करोड़ ५० लाख होगी। इतनी बड़ी संख्या के लिये उचित प्रकार की निर्वाचन व्यवस्था करना अत्यन्त कठिन है।

(स) सविधान द्वारा यथाथ शक्ति मन्त्रिमंडल तथा व्यवस्थापिका का दी गई है न की राष्ट्रपति को। इसलिये यह अनावश्यक है कि राष्ट्रपति का व्यक्त मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष प्रणाली से निर्वाचन हो।³

(द) भारत व अधिकांश व्यक्ति अशिक्षित हैं। अतएव अपने उत्तरदायित्व को ठीक प्रकार नहीं पूरा कर सकेंगे।

1 सविधान में इसके लिये 'एकल सक्रमणीय मत' शब्द प्रयुक्त हुये हैं। इनका अर्थ समझने के लिए लेखक की 'नागरिक शास्त्र के आधार' पुस्तक देखिये।

2 एक व एक अनुसार "Possibly what the Constitution intends is election of the President by the alternative of the preferential vote" Dr. Sharma, Ibid, p 105

3 पंडित नेहरू ने सविधान निर्मात्री सभा में कहा था, "If we had the President elected on adult franchise and did not give him any power it might become a 'little anomalous'"

(२) मसद् के सदस्यों की मत मर्यादा का योग मद्र राज्यों के विधान-सभा के सदस्यों की मत-मर्यादा के बराबर रखा गया है। इसका कारण यह है कि मसद् के सदस्य भी सम्पूर्ण भारत की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। तथा विधान सभाओं के सदस्य भी सम्पूर्ण भारत की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए दोनों की राष्ट्रपति के निर्वाचन में समान होना चाहिए।

(३) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। इसका कारण यह बनलाया गया है कि मसद् में नागरणतः एक ही दल का बहुमत होगा तथा वही दल मन्त्रिमंडल का भी निर्माण करेगा। इसलिए अगर केवल मसद् को ही राष्ट्रपति के निर्वाचन का अधिकार होना तो यह भय था कि बहुमत दल किसी ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनता जो कि उनका ही मनपसंद होता। परन्तु यह उचित नहीं होता। इसलिए विधान-निर्माताओं ने राज्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया है।

राष्ट्रपति के लिए योग्यताएँ—राष्ट्रपति होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिये।

(अ) भारत का नागरिक हो।

(ब) पैंतीस की आयु पूरी कर चुका हो।

(ग) लोक सभा के लिए सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता अनुच्छेद ६१

(द) भारत सरकार के अध्यक्ष किसी राज्य की सरकार के अध्यक्ष या इन सरकारों में नियुक्त किसी स्थानीय या अन्य अधिकारी के अथवा कोई लाभ का पद न धारण किया हुए हो। परन्तु लाभ के पद के अन्तर्गत, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, राज्यपाल अथवा सचिव या राज्यों के मंत्रियों का पद नहीं सम्मिलित जावेगा। इसमें यह तात्पर्य है कि ये लोग सरकारी नौकरी में होते हुए भी राष्ट्रपति-पद के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं।

(घ) जो व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण कर रहा है अथवा कर चुका है वह पुनः अगर उसमें उल्लिखित योग्यताएँ वर्तमान हैं राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। अमेरिका में पहले एक अधिसूचना देना था कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए दो बार से अधिक नहीं चुना जावेगा। परन्तु रूजवेल्ट (एफ० डी०) ने चार बार निर्वाचित होकर इन अधिसूचना को भंग कर दिया। परन्तु अब अमेरिका में संविधान में ही यह

मशौज्ज्वल हो गया है कि कोई व्यक्ति दो बार में अधिक इस पद के लिये निर्वाचित नहीं होगा।

) अन्य शर्तें — (अ) राष्ट्रपति न तो मसद के किसी सदस्य का और न किसी राज्य के विधान-मण्डल के सदस्य का सदस्य होगा। अगर मसद के किसी सदस्य का, अथवा किसी राज्य के विधान-मण्डल के सदस्य का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाय, तो राष्ट्रपति के रूप में पद-ग्रहण की तारीख से उसकी उस सदस्यता की सदस्यता का अपने आप अन्त हो जावेगा।

(ब) राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण न करेगा। यह उपबन्ध उन्मूलित रखा गया है ताकि राष्ट्रपति अपना सम्पूर्ण समय अपने पद के कर्तव्यों के निवाहने में ही लगावे तथा वह अन्य किसी उद्देश्य में प्रभावित न होगा। जो मनुष्य कोई अन्य आर्थिक लाभ का पद धारण किये होगा वह स्वभावतः ही अपनी राष्ट्रपति पद की शक्तियों को उस मस्या अथवा व्यक्ति के हितार्थ उपयोग करने की चेष्टा करेगा जिसके नीचे वह आर्थिक-लाभ का पद ग्रहण किये हुये है।

पदावधि — राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से ५ वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। परन्तु यह अवधि कुछ दशाब्दों में कम हो सकती है —

(क) अगर राष्ट्रपति ५ वर्ष से पूर्व ही त्यागपत्र दे दे। इसमें उसका स्वाक्षर होने चाहिये। यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सम्बोधित किया जावेगा। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना एकदम लोक-सभा के अध्यक्ष को देगा।

(ख) अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करे तो वह मसद द्वारा महाभियोग से अपने पद से हटाया जा सकेगा।

रिक्त स्थान पूर्ति — नये राष्ट्रपति का निर्वाचन पहले राष्ट्रपति की पदावधि पूरी होने से पूर्व ही कर दिया जावेगा। राष्ट्रपति अपने पद की समाप्ति हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद-धारण किये रहनेगा। यदि किसी राष्ट्रपति का पद पूरी अवधि में पहिले ही रिक्त हो जावे, अथवा उसकी मृत्यु हो जावे या वह पद त्याग दे, या वह महाभियोग द्वारा हटाया जावे, तो उस दशा में पद रिक्त होने के ६ मास बीतने के पहिले ही नये राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जावेगा। नया राष्ट्रपति पद-ग्रहण की तारीख से ५ वर्ष

तक अपने पद पर रहेगा। ऐसे अवसरों पर नये राष्ट्रपति के चुनाव तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।

राष्ट्रपति का वेतन आदि.—राष्ट्रपति के लिये, संविधान द्वारा १०,००० रु० मासिक वेतन निश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त उसको रहने के लिये एक निवास-स्थान दिया जायगा। उसको इसका किराया नहीं देना होगा। राष्ट्रपति को भ्रम्य भत्ते आदि भी दिये जायेंगे। जब तक इनका निश्चय संसद् नहीं करेगी तब तक राष्ट्रपति प्रति वर्ष लगभग १५,२६,००० रुपये यात्रा, उत्कार, भत्ते, अनुदान, आदि पर व्यय कर सकता है। उसके कार्यकाल में उसके भत्ते, आदि नहीं घटाये जायेंगे। यद्यपि पहले के गवर्नर-जनरलों की तुलना में राष्ट्रपति का वेतन भत्ते आदि बहुत कम है, तथापि यह भी सत्य है कि हमारी आर्थिक-अवस्था को देखते हुये यह काफी ऊँचे रसे गये हैं।

महाभियोग—राष्ट्रपति अपने पद से ५ वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व भी हटाया जा सकता है। इसके लिये संविधान में महाभियोग का उपबन्ध है। अगर कोई राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहा है तो संसद् का कोई भी सदन उसके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव रख सकता है। ऐसे प्रस्ताव को उक्त सदन के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर प्राप्त होने चाहिये। यह दिखलायेगा कि इन सदस्यों का समर्थन उसे प्राप्त है। इस प्रस्ताव की सूचना कम से कम १४ दिन पूर्व देनी चाहिये। अगर यह प्रस्ताव उस सदनसे कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पास हो गया तो यह दूसरे सदन को भेजा जावेगा। यह दूसरा सदन राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण का अनुसंधान करेगा या फरमावेगा। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह इस अनुसंधान में उपस्थित हो सकता है, या अपना प्रतिनिधि भेज सकता है। अगर अनुसंधान के फल-स्वरूप दूसरा भवन दो तिहाई बहुमत से दोषारोपणों को मान ले तो प्रस्ताव पास हो जावेगा। इसका फल होगा कि राष्ट्रपति को उस तारीख से पद-त्याग करना होगा। राष्ट्रपति इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं कर सकता है।

इन महाभियोग की व्यवस्था संविधान में इस कारण की गई है जिससे राष्ट्रपति अपनी शक्तियों तथा अधिकारों का दुरुपयोग न करे। क्योंकि संविधान में कहीं पर ऐसा उपबन्ध नहीं है कि राष्ट्रपति अपने मन्त्रिमण्डल की राय माने ही।

अमेरिका के संविधान में भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की व्यवस्था है। परन्तु अन्तर यह है कि भारत में संसद् का कोई भी भवन दोषारोपण पर विचार-तय निर्णय कर सकता है जबकि दूसरे सदन से दोषारोपण लगाया

हो परन्तु अमेरिका में केवल सीनेट ही इसका निर्णय करती है। व्यवस्थापिका (कांग्रेस) के निचले भवन को इसके निर्णय का अधिकार नहीं है।

३.) राष्ट्रपति द्वारा शपथ — प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्र-पति के रूप में काम कर रहा है, अपने पद-ग्रहण से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीशपति के समक्ष निम्न-रूप में शपथ करेगा तथा उसमें हस्ताक्षर करेगा —

“मैं अमुक, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं धृष्टपूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्य पालन (अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन) करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से सविधान और विधि का परिष्करण, संरक्षण और प्रतिरण करूँगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा।

अर्न्तकालीन व्यवस्था — ऊपर राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि तथा अन्य उससे सम्बन्धित बातों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार राष्ट्रपति की निर्वाचन सर्वप्रथम मई १९५२ में, जब कि सघ तथा राज्यों में आम-निर्वाचनों के पश्चात् नई व्यवस्थापिका का निर्माण हो गया था तब हुआ। परन्तु भारतीय संविधान २६ जनवरी १९५० से लागू हो गया था। अर्न्तकाल के लिये राष्ट्रपति चाहिये था। इसलिये संविधान सभा को ही संविधान के अनुसार यह प्रकार दे दिया गया था कि वह एक अर्न्तकालीन राष्ट्रपति का निर्वाचन कर दे। उस समय डा० राजेन्द्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुने गये थे। (२५ जनवरी, १९५०)।

मई १९५२ का राष्ट्रपति का चुनाव — राष्ट्रपति के लिये ससद् के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या ४,०५७ थी। इसमें ४९५ लोक सभा के २०४ राज्य परिषद के तथा ३,३५८ क. ख तथा ग वर्ग के राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य थे। इनमें काश्मीर की संविधान-सभा के ८५ सदस्य भी शामिल हैं। काश्मीर के ससद् के १० सदस्यों को भी निर्वाचन में मत प्रदान का अधिकार मिला। काश्मीर के सदस्यों को इस अधिकार को प्रदान करने के लिये राष्ट्रपति ने “The Constitution (Applicable to Jammu and Kashmir) (Amendment) Order, 1952” की घोषणा की।

राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों को निम्न संख्या में मताधिकार प्राप्त हुआ .

राज्य का नाम	निर्वाचित सदस्यों की संख्या	प्रत्येक सदस्य की मत-संख्या	राज्य का नाम	निर्वाचित सदस्यों की संख्या	प्रत्येक सदस्य की मत-संख्या
प्राणाम	१०८	७९	मंगूर	१९	८२
बिहार	३३०	११९	पटियाला तथा पूर्वी	६०	५५
बम्बई	३१५	१०४	राज्य		
मध्य प्रदेश	२३२	९०	राजस्थान	१६०	९२
मद्रास	३७५	१०५	सौराष्ट्र	९०	६६
उड़ीसा	१४०	१०३	त्रिवाकुर-कोचीन	१०८	७९
पंजाब	१२६	१००	अजमेर	३०	२४
उत्तर-प्रदेश	४३०	१४३	भोपाल	३०	२८
पश्चिमी बंगाल	२३८	१०२	कोङ्ग	२४	७
हैदराबाद	१७५	१०१	दिल्ली	६८	३२
काश्मीर	७५	५९	विध्य प्रदेश	६०	३५
मध्य भारत	९९	७९	हिमाचल प्रदेश	३६	३०

विधान मन्त्रालय के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या ३,३५८ थी तथा उनके मतों का योग ३,४५,२९१ था। इसलिये संसद् के दोनों भवनों के निर्वाचित सदस्यों की भी कुल मत संख्या ३,४५,२९१ ही हुई और एक-एक मत कीमत।

$$\text{संख्या } \frac{३,४५,२९१}{४९५ + २०४} = ४९५ \text{ हुई।}$$

इस निर्वाचन में डा० राजेन्द्र प्रसाद के प्रतिरिक्त श्री के० टी० साहू, श्री एल० जी धट्टे, श्री हरी राम तथा श्री के० के० चटर्जी भी उम्मीदवार थे, परन्तु डा० राजेन्द्र प्रसाद को ८४ प्रतिशत, श्री साहू को १५ प्रतिशत तथा शेष उम्मीदवारों को १ प्रतिशत मत मिले। अतएव डा० राजेन्द्र प्रसाद निर्वाचित हुए और २३ मई सन् १९५२ को उन्होंने अपने पद की शपथ ली।

मई १९५० का राष्ट्रपति का निर्वाचन — क्योंकि राष्ट्रपति की पदावधि ५ वर्ष है इसलिए १० मई १९५० को पुनः इस पद के लिए निर्वाचन हुआ। डा० राजेन्द्र प्रसाद पुनः भारी बहुमत से निर्वाचित हुए। उनके उल्लेख्य मतों

उसकी पदाधि में उसके विरुद्ध उसे बन्दी बनाने के लिये कोई प्रादेशिका (वारन्ट) नहीं निकाली जा सकेगी। राष्ट्रपति के विरुद्ध, अपने वैयक्तिक रूप में किये गये किसी कार्य के दाये में, चाहे वह पदग्रहण करने के पूर्व या बाद में किया गया हो, कोई दीवानी कार्यवाही तब तक नहीं की जा सकेगी, जब तक कि उसे दो मात पूर्व लिखित सूचना न दी गई हो। इस सूचना में कार्यवाहियों का स्वरूप, दाद का कारण (cause of action), तथा ऐसी कार्यवाहियों को सम्पन्न करने वाले पक्षकार का नाम, विवरण, निवास-स्थान, आदि दिया होना चाहिये।

इन प्रकार के उपरान्त अन्य देशों के नवधानों में भी है। उदाहरणार्थ, अमेरिका का राष्ट्रपति भी अपने पद के कामों के लिए किसी न्यायालय के सम्मुख उत्तरदायी नहीं।

राष्ट्रपति के अधिकारों को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है :

(१) साधारण कालीन अधिकार :—इनका प्रयोग वह देश की प्रतिदिन की समस्याओं तथा सानन में करेगा।

(२) संकटकालीन अधिकार —इनका प्रयोग वह संकटकाल की घोषणा होने पर करेगा तथा मरुट का अन्त होते ही इनका प्रयोग भी बन्द हो जावेगा।

(१) साधारण कालीन अधिकार :—इनके अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकार हैं : कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार, विधायिका-शक्ति सम्बन्धी अधिकार तथा न्याय सम्बन्धी अधिकार। इनका अभाव; वर्णन किया जावेगा।

कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार (Executive Powers) :—वह कार्यपालिका का मुखिया है। ये सब विषय जिनके विषय में संसद् को कानून बनाने का अधिकार है, कार्यपालिका के क्षेत्र के अन्तर्गत है। इनके अतिरिक्त वे अधिकार जो कि भारत मन्त्रर को किसी सन्धि द्वारा प्राप्त होंगे इन्हीं के क्षेत्र के अन्तर्गत होंगे। राष्ट्रपति के नाम में ही नमस्त देश का प्रशासन होता है। भारत मन्त्रर का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किये जाने के लिये तथा मन्त्रियों में उक्त कार्य के बटवारे के लिये राष्ट्रपति को नियत बनाने का अधिकार है। वह देश की रक्षा-बलों (defence forces) का प्रधान है। उसे युद्ध तथा संधि करने का अधिकार है। उसे अन्य देशों को राजदूत भेजने का अधिकार है। बाहर के राजदूत उनी को अपना प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।

राष्ट्रपति को मुख्य-मुख्य सरकारी बर्तकारों, जैसे प्रधान मन्त्री तथा उसकी राय में अन्य मन्त्री, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाईकोर्टों के न्यायाधीश, राज्यपाल, निर्वाचन आयोगों (Election Commissioners), संघीय सेवा

भाषा के सदस्य आडीटर जनरल, एटर्नी जनरल वित्त-भाषा तथा भाषा भाषा के सदस्य आदि का नियुक्ति का अधिकार है। वह सुप्रीम-कोर्ट तथा हाइकोर्ट के न्यायाधीशों मन्त्री तथा राज्या के मन्त्री-कार्यपालिका के सदस्यों को नियुक्त प्रक्रिया द्वारा हटा भी सकता है।

राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि राज्या का सरकार को कुछ निश्चित विषयों में आदेश दे सकता है। कर्मीय तथा न्यायिक उत्तरदायित्व उन पर है।

विधायी शक्ति सम्बन्धी अधिकार — किन्हीं भी अर्थ देना में निर्वाचित अर्थ को भारत के राष्ट्रपति का राष्ट्र निर्वाचिता शक्ति सम्बन्धी अधिकार नहीं है। वह राज्य परिषद में १० सदस्य मनोनायक करेगा तथा लोक सभा में एक शक्ति सम्बन्धी दो प्रतिनिधि मनोनीत कर सकता है। उन सदस्य के अधिकार बताने का तथा स्थिति बन और न करण का अधिकार है। राष्ट्रपति को समद के किन्हीं एक सदस्य इच्छा दोना सदस्य को संशोधित करण का अधिकार है। वह समद के किन्हीं भी सदस्य का मन्त्री न बन सकता है। उन मन्त्री पर वह अर्थ सम्बन्धी अधिकार करेगा। यदि ना विल बिना उसका स्वाहति के कानून नहीं हो सकता है। वह किन्हीं भी मन्त्री द्वारा पार विल को मित्र वन-विषय (money bills) के स्वीकृति देना मन्त्री सकता है और उचित ने समद के विचारण लीन सकता है। परन्तु अगर मन्त्री उसे फिर पास कर दे तो राष्ट्रपति का अर्थ स्वीकृति देनी होगी। कुछ विशेष विल को दिना उसको सिकारिदा के समद में पेश नहीं किया जा सकता है जैसे वन-विषय या को विल को किन्हीं राज्य को सीमा नम अर्थ बदलना चाहता हो।

उनको राज्या के अर्थ में ना कुछ निश्चिनी शक्ति है। यह नकारण को पेशासे राज्या के विधान-मंडल के अधिकार समद को सीमित करता है। राज्या में कर्मीय विषय पर विल बिना उसकी पूरा स्वाहति के विधान मंडल में प्रस्तुत नहीं हो सकते हैं। अर्थ कि राज्य के अर्थ पर अर्थ राज्या के मन्त्री का अधिकार हीन न्यायिक आदि पर निर्वाह लाने वाला विल। कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर राज्या के विधान मंडल द्वारा स्वीकृति विल बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं हो सकता है। जैसे न्यायिक के जीवन के लिये अर्थ के वस्तुओं के अर्थ-विषय पर कर लाने वाला विल, या सम्पत्ति की प्राप्ति के लिये बनाये गए विल या समदों द्वारा मन्त्री विषय पर बनाये गए विल यदि वे मन्त्री द्वारा निर्मित कानून के विरुद्ध हैं।

राष्ट्रपति को अन्दमान तथा लक्ष द्वीप के डिप्टे नियम बनाने का अधिकार है। उन सब विषयों पर जिन पर संसद् को कानून बनाने का अधिकार है। राष्ट्रपति अगर संसद् अधिवेशन में न हो तो अध्यादेश (Ordinances) जारी कर सकता है। इन अध्यादेशों का प्रभाव बँने ही होगा जैसा कि संसद् द्वारा पारित अधिनियमों का होता है। ये अध्यादेश संसद् के फिर आरम्भ होने पर उसके सामने रखे जायेंगे तथा उन आरम्भ होने की तारीख में केवल ६ महीने तक जारी रहेंगे। परन्तु संसद् इन अधिध के पूर्व भी उनको रद्द कर सकती है।

वित्त-सम्बन्धी अधिकार — राष्ट्रपति के वित्त-सम्बन्धी अधिकार भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। संसद् में कोई भी धन-विषयक विना उनकी स्तिफारिण के नहीं रखा जा सकता है। प्रत्येक वित्तीय-वर्ष के आरम्भ में वह संसद् के सम्मुख एक वित्तीय-विवरण (Financial Statement) रखता है। इनमें सभके उक्त वर्ष के अनुमानित आय-व्यय का विवरण होता है। उसके हाथ में भारत की आकस्मिकता-निधि है और इसमें से वह संसद् की आज्ञा से एवं आकस्मिक व्यय के लिये धन दे सकता है। आय-कर से जो रकम प्राप्त होगी उसका बंध तथा राज्यों के बीच विभाजन का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। जूट के निर्यात कर से हुई आय के हिस्से के बदले में, राष्ट्रपति को आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम-बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा को महासक-अनुदानों (Grants-in-aid) को देने का अधिकार है। उनको मविधान लागू होने के दो वर्ष के अन्दर एक वित्त आयोग (Finance Commission) की नियमित का अधिकार है। यह आयोग इस बात का निर्णय करेगा कि संघ तथा राज्यों के बीच कौन से भाई हुई आय का बँटवारा किस प्रकार हो तथा राज्यों की आर्थिक-महासता के लिए मुझाव रखेगा। इसके पश्चात् प्रति पाँचवें वर्ष या उनसे पहिले राष्ट्रपति उसी प्रकार के आयोग की स्थापना करेगा। आयोग की स्थापना हो चुकी है।

न्याय सम्बन्धी अधिकार :— मविधान की ७२ की धारा द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह दण्ड पाये हुये व्यक्ति को क्षमा कर दे। यह दण्ड का बन्ध कर सकता है, कुछ काल के लिए रुकवा सकता है या दंडित-व्यक्ति को पूर्णतया क्षमा कर सकता है। वह मृत्यु-दंड को भी स्थगित कर सकता है। वह मृत्यु-दंड को क्षमा कर सकता है या प्राजन्म करावात में परिणत कर सकता है।

उन सब अवस्थाओं में भी जहाँ की दंड सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो उनको यह अधिकार है। परन्तु इसका प्रभाव किसी सैनिक अधिकारी के सैनिक-न्यायालय द्वारा दिये गए दंड को कम करने या छोड़ने या स्थगित करने

व कानून द्वारा प्राप्त अधिकार पर नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार राष्ट्रपति के क्षमा प्रादि अधिकार का प्रभाव राजपत्रों का भी इसी प्रकार के अधिकार पर नहीं पड़ेगा।

राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार है।

यह सब ये साधारण बातें हैं अधिकार हैं।

(२) संघट्ट शक्ति का अधिकार -- इसमें राष्ट्रपति उन अधिकारों में हैं जो कि संघट्टान द्वारा राष्ट्रपति को संघट्ट राज्य में उत्पन्न परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए दिए गए हैं। ये अधिकार अत्यन्त विस्तृत हैं। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह निर्णयितकाल तक विधियों में संघट्टराज की घोषणा कर सकता है। इस घोषणा का यह अर्थ होगा कि राष्ट्रपति को हाथों में बहुत से अधिकार प्राप्त जायेंगे जो कि साधारण राज्य में उगने वाले प्रयुक्त नहीं किए जा सकते हैं। इनमें सब प्रकार का वजन दिया जाता है।

(३) युद्ध, बाहरी आक्रमण, अन्दरूनी अशांति या इनकी सम्भावना में उपरान्त हानि का कारण -- अगर राष्ट्रपति का यह सम्भावना है कि देश का अथवा देश के किसी भाग का सुरक्षा तथा शांति, युद्ध, आदिरी आक्रमण या अन्दरूनी अशांति का कारण बन सकता है, तो वह इस आदेश की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति इस आदेश की घोषणा उस देश में भी कर सकता है जब उस देश के उस सम्भावना का कारण है जहाँ संघट्ट उत्पन्न कारणों से निर्णय अधिकार में पैदा हो सकता है। अर्थात् संघट्ट सम्भावना-भाष में ही वह संघट्टराज की घोषणा कर सकता है।

संघट्टराज की घोषणा का समझ के प्रत्येक मदन के सम्भव रहना आवश्यक। यह घोषणा का महीने तक लागू रहेगी परन्तु अगर उस समय में पहिच हो वह संघट्ट द्वारा स्वीकार कर ली गई तो वह दो महीने तक भी लागू रहेगी।

परन्तु इस प्रकार की घोषणा उस समय की गई है जब कि उस सम्भावना हो या जोर सम्भावना इस घोषणा का स्वीकार किया है। इसमें स्पष्ट होने से दो महीने के अन्दर भग्न हो गई है तब उस अस्थिति में अगर उस घोषणा का सम्भव परिपक्व की स्वीकृति मिल जाय तब तक-समा के नये अधिकार होने की तारीख में ३० दिन तक लागू रहेगी। अगर इन ३० दिनों के बीच इस सम्भावना की स्वीकृति मिल गई तो यह लागू ही रहेगी अथवा ३० दिन के बाद रद्द हो जायेगी। राष्ट्रपति संघट्टराज की घोषणा का दूसरी घोषणा द्वारा रद्द कर सकता है।

इस संकटकाल की घोषणा का प्रभाव बड़ा व्यापक होता है। इसके द्वारा राष्ट्रपति सारे देश का शासन प्रबन्ध अपने हाथ में ले सकता है। संसद में, सहायक विधान के स्थान में एकात्मक व्यवस्था स्थापित हो जाती है। उस की कार्यपालिका शक्ति किसी राज्य को इन विषय में आदेश दे सकती है कि वह राज्य अपना कार्यपालिका शक्ति का दिन रीति से उपयोग करे। संसद-राज्यों की सूची में संश्लेषित विषयों पर भी कानून बना सकती है और अगर कोई राज्य का कानून इस समय संसद के कानून के विरुद्ध हो तो वह नहीं माना जाएगा। संकटकाल में, नागरिकों के बड़े मूल अधिकार जैसे, भाषण तथा लेखन की स्वतन्त्रता, सभ तथा सभा की स्वतन्त्रता आदि (इनका हम पहले ही बर्णन कर चुके हैं) स्थगित हो जाती है। राष्ट्रपति नागरिकों के मूल अधिकारों के उल्लंघन किसी न्यायालय को शरण में जान में भी रोक सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार भी है कि वह सभ तथा राज्यों के बीच राजस्व-विभाजन (Revenue Distribution) सम्बन्धी सब उपबंधों को निलम्बित (suspend) कर सकता है।

(२) राज्यों में संविधान सभ की विफलता के कारण होने वाला संकट— अगर राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल या राज्यप्रमुख से रिपोर्ट मिलने पर या किसी अन्य प्रकार यह समाधान हो जावे कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो वह संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा करने के लिये यह जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति को राज्य के प्रधान से सूचना मिले ही। वह अपने भाष भी ऐसी घोषणा कर सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यों को कुछ आदेश देने का अधिकार है। अगर किसी राज्य में उसके द्वारा दिये गये आदेश का पालन नहीं तो राष्ट्रपति यह मान सकता है कि राज्यों में संविधान सर्व विफल हो गया है और वह संकट की घोषणा कर सकता है।

इस घोषणा का प्रभाव यह होगा कि राष्ट्रपति उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति को अपने हाथ में ले सकता है। राज्य के विधान मण्डल की शक्तियाँ संसद को दे सकता है। यद्यपि राष्ट्रपति राज्य के विधान मण्डल या उच्च न्यायालय की शक्तियाँ अपने हाथ में नहीं ले सकता है तथापि संसद को यह अधिकार है कि वह विधान मण्डल की शक्तियाँ राष्ट्रपति या अन्य किसी अधिकारी को दे दे। उसको यह अधिकार भी है कि इस दशा में अगर लोक सभा

1. ३० अप्रैल १९५३ को लोकसभा द्वारा Patiala and East Punjab States Union Legislature (Delegation of Powers Bill) पास किया गया था जिसे द्वारा इस प्रदेश की विधायिनी शक्ति राष्ट्रपति को दे दी गई थी

अधिवेशन में न हों तो वह किसी राज्य की मन्त्रिमण्डल में न व्यय करने की आज्ञा भी दे सकता है।

इस प्रकार की घोषणा का राष्ट्रपति दूसरी घोषणा द्वारा रद्द कर सकता है। इस घोषणा को ससद के दोनों भवनों का स्वीकृति दो भाग के अन्दर मिलनी चाहिये अन्यथा दो महीने पश्चात् यह लागू नहीं रहेगी। ससद की स्वीकृति के बाद यह ६ महीने तक लागू रह सकती है। इसके बाद फिर से नई की जा सकती है। परन्तु किसी भी दशा में ऐसी घोषणा ३ वर्ष से अधिक लागू नहीं रह सकती और न एक समय में ६ महीने से अधिक के लिये ससद द्वारा स्वीकार की जा सकती है।

अगर ऐसी घोषणा उस समय की जावे जब कि लोक सभा भंग हो या बिना उस घोषणा की स्वीकार किये इसके लागू होने से २ महीने के अन्दर भंग हो जाय उस दशा में अगर यह घोषणा राज्य परिषद द्वारा स्वीकृत हो गई है तो लोकसभा के भी अधिवेशन की तिथि में तीस दिन तक लागू रहेगी। अगर नई लोक सभा ने इन तीस दिनों के अन्दर इसे स्वीकार कर लिया तो यह उस तिथि से ६ महीने तक लागू रहेगी। उस दशा में भी जब ऐसी घोषणा को ससद की स्वीकृति मिलने के बाद ६ महीने के अन्दर लोक-सभा भंग हो जावे यही उपबन्ध काम में आयेंगे।

संविधान द्वारा इस प्रकार राष्ट्रपति को राज्यों के क्षेत्र में विस्तृत अधिकार दिये गये हैं। १९३५ के ऐक्ट में (९३ धारा के द्वारा) संवैधानिक तन्त्र की विफलता पर गवर्नर अपन हाथ में सब अधिकार ले सकता है। परन्तु नये संविधान में कानून बनाने का अधिकार ससद को दिया गया है क्योंकि ससद में सब राज्यों के प्रतिनिधि भी उपस्थित होंगे। परन्तु ससद यह शक्ति राष्ट्रपति को दे सकती है।

(३) वित्तीय शक्ति -- अगर राष्ट्रपति को यह समाधान हो जावे कि

राज्यों के सरकारी नौकरों के वेतन में कमी करने का अधिकार होगा। इना

इसी प्रकार दिसम्बर १९५४ में आन्ध्र प्रदेश की विधायिनी शक्ति राष्ट्रपति को दे दी गई थी।

प्रकार मध्य सरकार के नौकरों तथा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के स्थापनाधीनों के बतन में भी कर्मों को जा सकेगा। राज्यों को उनको विधान-मंडलों के द्वारा पाम किनी भी धन सम्बन्धी विल या धर्म विल को राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए पेश करने का आदेश किया जा सकेगा।

विनीय संकट की घोषणा दो मास तक लागू रहेगी। अगर मसद के दोनों सदनों की स्वीकृति इसे प्राप्त हो जाय तो यह दो मास के बाद भी लागू रहेगी अगर ऐसी घोषणा उय समय की जावे जब कि लोक-सभा भंग हो अथवा बिना इसको स्वीकार किए दो मास के अन्दर भंग हो जावे तो ऐसी अवस्था में राज्य परिषद् की स्वीकृति ने यह घोषणा लागू रहेगी। परन्तु नई लोक सभा के मिलने के ३० दिन के अन्दर इसे उनकी स्वीकृति प्राप्त हो जानी चाहिए, अन्यथा यह ३० दिन के बाद लागू नहीं रहेगी। राष्ट्रपति संकट की घोषणा दूसरी घोषणा द्वारा रह भी कर सकता है।

संस्कृतकालीन अधिकारों की आलोचना:—इन अधिकारों का क्षेत्र अत्यंत व्यापक तथा विस्तृत है। इनके द्वारा संघात्मक सरकार एकत्मक हो जाती है। सभ की कार्यपालिका के हाथ में अत्यन्त विस्तृत अधिकार आ जाते हैं। इन अधिकारों को कई राजनीतिज्ञों ने तथा विद्वानों ने आलोचना की है।

(१) राष्ट्रपति का मूल अधिकार को निलम्बित करने तथा न्यायालय को;—उन्हे प्रवृत्त करने में रोकने का अधिकार नागरिकों की स्वतन्त्रता का धातक है। इससे देश में निरंकुश शासन की स्थापना का भय है।

(२) संविधान में यह कहीं पर उल्लिखित नहीं है कि राष्ट्रपति अपने संस्कृतकालीन अधिकारों का प्रयोग मन्त्रिमंडल की सहायता से करेगा। इस प्रकार एक व्यक्ति के हाथ में इतनी अधिक शक्ति देना सर्वथा अनुचित है। उनके लिये अपने अधिकारों के दुरुपयोग करने का लोभ रोकना बहुत कठिन होगा।

इनके उत्तर में यह कहा गया है कि—

(१) मूल अधिकारों को केवल उनी समय निलम्बित किया जावेगा जब कि देश के लिये महान् संकट उपस्थित होगा। यद्यपि यह सत्य है कि नागरिक के मूल अधिकार अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं तथापि यह नहीं भूलना चाहिए कि राज्य की सुरक्षा इसमें भी अधिक महत्वपूर्ण है। अगर राज्य ही नहीं रहेगा तो नागरिकों के मूल अधिकारों का क्या मूल्य रहेगा? बिना राज्य के इनको कौन रक्षा करेगा?

(२) यद्यपि मन्त्रिमन्त्रण में यह नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का प्रयोग मन्त्रिमन्त्रण की राय में करेगा परन्तु यह स्वभारत आजा की जाती है कि वह ऐसा करेगा क्योंकि मन्त्रिमन्त्रण का लोक-सभा में मन्त्रिमन्त्रण बहुत महत्त्व होगा और राष्ट्रपति इस कारण मन्त्रिमन्त्रण से अप्रसन्न नहीं करेगा। इस स्थिति में यह होगा कि कुछ काल में इंग्लैंड की तरह भारत में भी यह अधिकार मन्त्रिमन्त्रण को सौंपा जायेगा कि मन्त्रिमन्त्रण की राय में मन्त्रिमन्त्रण का प्रधान कुछ नहीं करेगा।

(३) मन्त्रिमन्त्रण के अर्थ में मन्त्रिमन्त्रण के लिये अधिकारों को निलम्बित करने का उपबन्ध है। उदाहरणार्थ अमेरिका तथा इंग्लैंड में मन्त्रिमन्त्रण का बन्धो प्रत्यक्षोक्ति (Habeas Corpus) को स्विकृत करने का अधिकार है। परन्तु यहाँ पर नहीं भूयता चाहिये कि यह अधिकार मन्त्रिमन्त्रण को है न कि मन्त्रिमन्त्रण का। अमेरिका में राष्ट्रपति केवल मुख्य मन्त्रिमन्त्रण की सहायता से कुछ दशांश में इस अधिकार को स्विकृत कर सकता है। भारत में यह अधिकार मन्त्रिमन्त्रण के हाथ में न हाकर मन्त्रिमन्त्रण के हाथ में है।

(४) राष्ट्रपति का ऐसा आदेश जिनके द्वारा नागरिक न्यायालयों का अर्थ अधिकारों से प्रवर्तित करने की प्रायत्ता नहीं कर सकते हैं मन्त्रिमन्त्रण के सम्मुख रखा जायेगा। परन्तु इसमें भारी कमा यह है कि मन्त्रिमन्त्रण में यह कही पर नहीं कहा गया है कि कितने दिनों के अन्दर ऐसा आदेश मन्त्रिमन्त्रण के सम्मुख रखा जायेगा तथा मन्त्रिमन्त्रण की आज्ञा (Authorization) इसके जारी रहने के लिए आवश्यक है।

मन्त्रिमन्त्रण-तन्त्र को विफलता पर राज्यों के शासन में हस्तक्षेप का अधिकार भी अन्तर्गत-वार-वार प्रयुक्त किया गया तो इसमें राज्यों के अधिकारों का विस्तृत अन्तर्गत हो जायेगा। इसके अतिरिक्त यह राज्य के नागरिकों को शासन के प्रति उत्तरदायित्व की भावना में विहीन कर देगा क्योंकि वे सोचेंगे कि कोई गडबड होने पर मन्त्रिमन्त्रण सरकार सब ठीक कर देगी। मन्त्रिमन्त्रण मन्त्रिमन्त्रण में इस आलाचना के विरुद्ध यह कहा गया था कि राष्ट्रपति इस प्रकार हस्तक्षेप केवल तभी करेगा जब कि वह देखेगा कि अन्य प्रकार से राज्य का शासन ठीक नहीं हो सकता है यह आज्ञा प्रकट की गई है कि पहले राष्ट्रपति उस राज्य को एक चेतावनी देगा इसका कोई फल न होने पर वहाँ नए निर्वाचन करवायेगा। इसके पश्चात् भी अन्तर्गत वहाँ शासन ठीक नहीं हुआ तब मन्त्रिमन्त्रणिक मन्त्रिमन्त्रण की घोषणा करेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं कि राष्ट्रपति के सकट-कालीन अधिकार बहुत व्यापक तथा विस्तृत हैं। इनका आधार १९३५ का ऐक्ट है। हम यह मन्त्रिमन्त्रण कर सकते

है कि तब भारत पराधीन था, अब स्वाधीन है इसलिये इन अधिकारों का प्रयोग राष्ट्रपति देश की भलाई को ही दृष्टि में रखते हुये करेगा। गवर्नर जनरल ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था परन्तु राष्ट्रपति भारत की जनता के प्रति उत्तरदायी है। परन्तु आलोचकों के इस तर्क में वाकई तथ्य है कि अगर कोई अधिकार लोप तथा सिद्धान्तहीन व्यक्ति अगर इस पद पर भास्वद हो जावे तो वह इन उपबन्धों के द्वारा तानाशाही स्थापित करने का प्रयास कर सकता है।

भारतीय राष्ट्रपति का कुछ अन्य देशों के प्रधानों से तुलना

(१) भारत का राष्ट्रपति तथा इंग्लैण्ड का सम्राट — इन दोनों में समानता यह है कि यह दोनों केवल नाम-मात्र के प्रधान हैं। केवल ऊपर से देखने से ऐसा लगता है कि जैसे इंग्लैण्ड के सम्राट के हाथ में सब अधिकार हैं और वह जिस प्रकार चाहे उनका प्रयोग कर सकता है। परन्तु यथार्थ में इंग्लैण्ड में १७वीं शताब्दी से धीरे-धीरे ऐसे अधिसमयों को स्थापना हो गई है कि वहाँ का सम्राट केवल मन्त्रिमंडल के हाथ की कठपुतली है। भारत में भी राष्ट्रपति को वैधानिक प्रधान ही बनाया गया है—कम से कम ऐसी आशा की जाती है।

इंग्लैण्ड में सम्राट लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधान मंत्री के पद के लिए बुलाता है। सब मन्त्रिमण यथार्थ में प्रधान मंत्री द्वारा ही छाटे जाते हैं और सम्राट सदा अपनी स्वीकृति दे देता है। ऐसा ही भारत में भी होगा। साधारणतः राष्ट्रपति मन्त्रिमंडल में प्रधान मंत्री जिनको खे उनको स्वीकार कर लेगा। सामदीय-पद्धति वाले देशों में प्रधान मंत्री चुनने में केवल उस समय वैधानिक-प्रधान को कुछ स्वतन्त्रता रहती है जब कि लोकसभा में किसी दल का बहुमत न हो। ऐसे अवसर पर वह निर्णय करता है कि कौन से दल मन्त्रिमंडल बनाने में सफल होगा। परन्तु ऐसा अवसर बहुत कम आता है। साधारणतः कुछ दल मन्त्रिमंडल निर्माण हेतु संयुक्त हो जाते हैं।

सम्राट तथा राष्ट्रपति में अन्तर यह है कि उसका पद पंतुक है परन्तु राष्ट्रपति का प्रत्येक ५ वें वर्ष निर्वाचन होगा।

(२) भारत का राष्ट्रपति तथा अमेरिका राष्ट्रपति:—दोनों में साधारण बातों में कई समानताएँ हैं। दोनों का सप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। दोनों राष्ट्र के प्रधान हैं। दोनों कार्यपालिका के मुखिया हैं। दोनों को संविधान द्वारा अत्यन्त विस्तृत अधिकार दिए गए हैं। परन्तु यह सब समानता उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितना कि दोनों में अन्तर महत्वपूर्ण है। इस अन्तर का कारण यह

है कि भारत में तागरीय पद्धति की स्थापना हुई जब कि अमेरिका में अध्यक्ष-त्मक पद्धति है। भारत का राष्ट्रपति वैधानिक प्रधान है। अमेरिका का राष्ट्रपति यथार्थ में राज्यपालिका का प्रधान है। वह मन्त्रिमण्डल का स्वामी है। उमने मंत्री उगी के द्वारा नियुक्त होते हैं और वह उनको जब चाहे तब निकाल सकता है। वह उनकी राय मान या न मान^१ उसको अधिकार है कि वह उनकी राय सिगी महत्पूर्ण विषय में भी न ले। परन्तु भारत के राष्ट्रपति की स्थिति यह नहीं है।

(३) भारत का राष्ट्रपति तथा आयरलैंड का राष्ट्रपति — मन्त्रिमण्डल सभा में यह कहा गया था कि भारत का राष्ट्रपति आयरलैंड के राष्ट्रपति की भांति ही होगा। दोनों ही वैधानिक प्रधान हैं। परन्तु दोनों में अंतर भी है। आयरलैंड का राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यद्यपि वह वैधानिक प्रधान है परन्तु दो विषया में उसको विशेष अधिकार है। एक तो, मन्त्रिमण्डल की प्रायता पर वह लोक-सभा (Dail) का भग बरना नामजूर कर सकता है। दूसरा, वह कुछ विशेष परिस्थितियों में ससद् द्वारा स्वीकृति बिना की जनता के मत (Referendum) के लिए रण सकता है। भारत के राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि उसको मन्त्रिमण्डल द्वारा दिए गए निणयो से मूचित किया जाय तथा और जो सूचना शासन-सम्बन्ध में वह माँग उगे दी जाय परन्तु आयरलैंड के राष्ट्रपति को कोई अधिकार नहीं दिया गया है।

(४) भारत का राष्ट्रपति तथा फ्रांस का राष्ट्रपति — दोनों ही वैधानिक प्रधान हैं क्योंकि दोनों देशों में तागरीय पद्धति की सरकार है। फ्रांस का राष्ट्रपति के विषय में सर हनरी मेन ने कहा था 'The President of the French Republic neither reigns nor rules'। परन्तु यह सर्वथा प्रभावहीन नहीं है। क्योंकि वह मन्त्रिमण्डल की बैठक में सभापति का आसन ग्रहण करता है। उसका निर्वाचन प्रांम की ससद् द्वारा होता है। उसको

1. Laski नञ्जिता है In the range of his powers, in the immensity of his influence, and in his special situation as at once the head of a great state, and his own Prime Minister, his position is unique

The President is the complete master of his Cabinet; he may consult with it before taking action, he may act against its advice, he may act without consulting it at all

२ फ्रांस के नवीन संविधान में (पंचम गणतन्त्र में) राष्ट्रपति का शक्तिशाली तथा अधिकार बहुत बढ़ गए हैं।

बिल को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है। उसके कोई संकटवालीन अधिकार नहीं है। उसका लोकसभा नग करने का अधिकार भी सीमित है।

संविधान में राष्ट्रपति की स्थिति — संविधान सभा में डा० अम्बेदकर ने कहा था कि 'भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान नहीं परन्तु राज्य का प्रधान होगा।' इसमें यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय राष्ट्रपति केवल एक वैधानिक प्रधान है। उक्तवे नाम से नव वान विद्या आवेगा, परन्तु सपास में उसके अधिकार, मन्त्रिमण्डल के अधिकार हैं। परन्तु संविधान में केवल इतना ही कहा गया है कि राष्ट्रपति को महानता और नम्रता देने के लिये एक मन्त्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधान-मन्त्री होगा। यह मन्त्रिपरिषद लोक सभा के प्रति तानुहिक रूप से उत्तरदायी होगा। इन उपबन्धों से यह कर्म कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति अपने मन्त्रिमण्डल की राय मानने को बाध्य है। अगर वह राय को न माने तो वह संविधान के विरुद्ध कोई काम नहीं करेगा। इस कारण विद्वानों के अनुसार राष्ट्रपति सर्वथा अधिकार-राम्य नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री पतञ्जली शास्त्री के मतानुसार राष्ट्रपति की शक्ति का व्यवहार केवल उतरी मात्रा तक सीमित ही सकता है। जितना कि संविधान में स्पष्ट उल्लेख है। इससे अधिक, दूसरे संविधानों के पूर्व दृष्टान्तों (precedents) के आधार पर, इसे सीमित नहीं किया जा सकता है।

परन्तु इसके साथ-साथ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत का राष्ट्रपति अमेरिकन राष्ट्रपति भी नहीं है। मन्त्रिमण्डल को राय राष्ट्रपति जो दैनिक शासन से सम्बन्ध रखने वाली सभी बातों में माननी ही पड़ेगी क्योंकि मन्त्रिमण्डल का लोक सभा में बहुमत होगा। अगर राष्ट्रपति इनकी राय के विरुद्ध जावे और यह दृष्टीका देवे तो राष्ट्रपति को इनके स्थान में दूसरे मन्त्रिमण्डल की नियुक्ति करने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अगर वह नया

1. संविधान-सभा में उन कारणों का भी उल्लेख किया गया था जिनके कारण भारत में सांसदीय पद्धति स्थापित की गई है। वे निम्नलिखित हैं :—

(घ) अन्धधार्मिक सरकार का निदान स्थापित है तथा सांसदीय सरकार उत्तरदायित्व सिद्धान्त पर आधारित है। विधान निर्माताओं ने उत्तरदायित्व को अधिक महत्त्व दिया है।

(ङ) अधिकार पृथक्करण के कारण अन्धधार्मिक पद्धति में सरकार के तीन अंगों के बीच पुरा सहयोग नहीं रहता है।

मन्त्रिमण्डल जाता है ना उगरो लासभा म बहुमत रही होगा अतएव वह कुछ भी काम नहीं कर सकेगा। अगर राष्ट्रपति लासभा का भंग कर नये चाहाकरे तो उगमें भी यह सम्भव है कि फिर स उगी दूध का बहुमत हो जिकरी मन्त्रिमण्डल म पदत्याग किया था। इसलिये इस कठिनाई से बचने के लिये राष्ट्रपति दैनिक गणत में मन्त्रिमण्डल के परामश के अनुगार ही काम करेगा।

परन्तु असाधारण स्थिति में यह सम्भव है कि राष्ट्रपति उन मन्त्रिमण्डल के अनुगार काम न करे जब कि वह समझता है कि उसके परामश के अनुगार काम करके म यह जनता के हितों के विरुद्ध जा रहा है। बहुधा यह उदाहरण दिया जाता है कि यह मन्त्रिमण्डल की इच्छा के विरुद्ध लासभा का भंग करन का प्रस्तुत न हो। परन्तु कुछ विद्वानों के अनुगार राष्ट्रपति को इस अवसर पर भी मन्त्रिमण्डल की राय मांगनी पड़ेगी।

इस दृष्टि निरूपण पर पहुँचने है कि यद्यपि मन्त्रिमण्डल में यह स्पष्ट नहीं है, तथापि मन्त्रिमण्डल निर्माणाश का यह विचार था कि राष्ट्रपति प्रत्येक अवसर पर केवल वैधानिक प्रथा के रूप में काम करेगा तथा वास्तव में इस प्रकार के अधिकार भी स्थापित हो जायेंगे। राष्ट्रपति अपनी मन्त्रियों का दुष्प्रयोग करन का साह्य नहीं करेगा क्योंकि उनका विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही कर सकेगी है।

इसलिये इसलिये व सभा की तरह भारत के राष्ट्रपति के वहाँ तीन अधिकार रखे जायेंगे और बुद्धिमान राष्ट्रपति इससे अधिक की माँग भी नहीं करेगा। मन्त्रिमण्डल उगमें महत्वपूर्ण विषयों में परामश करे (right to be consulted), मन्त्रिमण्डल को उत्साहित करन का अधिकार तथा सावधानी देने का अधिकार (right to encourage and right to warn) उमे है। राष्ट्रपति कार्य रूप में गणत के ऊपर कितना प्रभाव डालेगा

(ग) नायपालिका तथा व्यवस्थापिका में सीधा सम्बन्ध न होने के कारण अध्यक्षतात्मक सरकार सांसदीय सरकार की अपेक्षा असाध्य होती है।

(द) भारत में स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिये यह आवश्यक था कि सीधी सरकार स्थापित हो जिसमें आपस में सहायता की कमी न हो।

1. Basu, India p 214

2. अंग्रेज लेखक Bagehot ने वहाँ के सम्राट के वही तीन अधिकार बताये हैं।

यह उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करेगा। अगर वह दृढ़चरित्र, बुद्धिमान, अनुभवी तथा लोक-प्रिय होगा तो मन्त्रिमंडल प्रत्येक विषय में उसके मत को भादरपूर्वक सुनेगा तथा उसके द्वारा स्वाभावतः ही प्रभावित होगा।' इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया तथा ऐडवर्ट सनम ने कई बार अपने देश की नीति में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। परन्तु अगर राष्ट्रपति कोई साधारण व्यक्ति होगा तो उसका प्रभाव नगण्य होगा।

वैधानिक-प्रधान की आवश्यकता :—यद्यपि राष्ट्रपति केवल वैधानिक-प्रधान है तथापि उसका पद कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसलिये यह नहीं समझना चाहिए कि राष्ट्रपति का संविधान में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। इंग्लैंड में वहाँ का सम्राट केवल वैधानिक-प्रधान है, परन्तु उसके पद का महत्व है इसी कारण उसको हटाया नहीं गया है। इसी प्रकार फ्रांस में एक वैधानिक-प्रधान होता है। वहाँ के राष्ट्रपति के विषय में सर हेनरी मेन ने कहा था "वह न राज्य करता है न शासन"। परन्तु फिर भी संविधान में उसके लिए स्थान है। यह कहा जाता है कि सांसदीय-मदति की सरकार में एक वैधानिक प्रधान का होना आवश्यक है। उसी के नाम में सब शासन का काम किया जाता है, यद्यपि पदार्थ में उसके हाथ में कोई शक्ति नहीं है। इसका कारण यह है कि मन्त्रिमंडल तो बनते तथा बिगाड़ते रहते हैं। वे शासन में स्थायित्व कैसे रख सकते हैं। फिर एक मन्त्रिमंडल में कई व्यक्ति होते हैं। साधारण मनुष्य यह नहीं समझ सकता कि किस प्रकार एक मन्त्रिमंडल देश का प्रधान हो सकता है। वह तो एक ऐसे व्यक्ति को समस्त शासन-तन्त्र के पीछे खोजता है जिसको वह राष्ट्र का प्रतीक समझे। सांसदीय पद्धति में वैधानिक प्रधान ही राष्ट्र

1. एक अंग्रेज विद्वान ने उचित ही लिखा है कि, "The power and influence which accrues to the Presidential office will depend in some degree on the personality and character of the President and Ministers in the early years of the Republic." A. Gladhill.

2. "The Prime Minister is not the titular chief executive in any country. It is impossible to conceive of a stable parliamentary government without there being at its head some one whose tenure of office is beyond the fickleness of a Parliament or a Congress. This tenure must be long enough to assure stability—be it four years as in America, seven as in France or for a life as in Great Britain." Munro, Government of Europe. p. 70.

का प्रतीक है। उसी को साधारण व्यक्ति राष्ट्र तथा राज्य का मुखिया मानते हैं। इस कारण वह राष्ट्र का नेता है। अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधि है। उसी के नाम में सब कुछ होता है। उसी के नाम में दूसरे देशों को नुक़्त भेजे जाते हैं। उसी के नाम में युद्ध तथा संधि की घोषणा होती है।

यद्यपि गणतन्त्र में राष्ट्र का मुखिया भी किसी न किसी राजनैतिक दल का ही उम्मीदवार होता है तथापि चुनाव के पश्चात् वह सोचा जाता है कि वह राजनैतिक-दलबन्दी से परे है। उसका कर्तव्य निष्पक्ष रूप से समस्त देश के हितों को सामने रखने हुये काम करना है। इसलिये वह किसी राजनैतिक दल के लाभ की दृष्टि से काम नहीं करेगा। मान लीजिए कि मन्त्रिमण्डल अपनी नीति के कारण देश में अप्रिय हो गया है परन्तु लोक सभा में उसका बहुमत है, उस समय राष्ट्रपति लोक सभा को भग कर मन्त्रिमण्डल को पदत्याग करने के लिये बाध्य कर सकता है। या, अगर मन्त्रिमण्डल लोक सभा में हार जाने पर यह इच्छा करे कि लोक सभा भंग कर दी जावे तथा नये निर्वाचन हो, तो राष्ट्रपति इस माँग को स्वीकार करने से मना कर सकता है, अगर वह यह देखता है कि लोक सभा का भंग करना देश के हित में नहीं है।

जिस समय एक मन्त्रिमण्डल पद त्याग करता है, यह हो सकता है कि दूसरे मन्त्रिमण्डल बनाने में कुछ समय लगे। इस काल में जब कि कोई मन्त्रिमण्डल नहीं है राष्ट्रपति ही देश का शासन चलावेगा। इस प्रकार वह देश में अस्थान्ति गृह-युद्ध की सम्भावना को नहीं उपजने देगा। लोक-तन्त्रात्मक पद्धति में ऐसे अवसर बहुधा हो सकते हैं जब कि मन्त्रिमण्डल पद-त्याग करे तथा उसके स्थान में दूसरे के बनाने में कुछ समय लगे।

उपराष्ट्रपति

राष्ट्रपति के अतिरिक्त भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। साधारणतः वह राज्यपरिषद का सभापति होगा। वह कोई अन्य लाभ का पद नहीं धारण करेगा परन्तु जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तब वह उस काल के लिये राज्यपरिषद का सभापति नहीं रहेगा।

जब राष्ट्रपति का स्थान मृत्यु, पदत्याग, अथवा पद से हटाये जाने या किसी अन्य कारणों से खाली होगा तब उपराष्ट्रपति उस स्थान में राष्ट्रपति के रूप में सब तक काम करेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति चुनाव के पश्चात् अपने पद को ग्रहण न कर ले। संविधान के अनुमार ६ महीने के अन्दर ही नये राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिये।

जब राष्ट्रपति बीमारी या अन्य किसी कारण से अपना काम करने में अनमर्ष हो तब भी उपराष्ट्रपति उसके स्थान में उन तारीख तक काम करेगा जब तक राष्ट्रपति अपने काम को न समाल ले ।

जिन कालावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद में काम करेगा उसके राष्ट्रपति पद का ही वेतन, भत्ता तथा अन्य नृविधाएँ मिलेंगी । परन्तु उन काल में वह राज्यपरिषद् के सभापति पद का वेतन आदि पाने का अधिकारी नहीं होगा ।

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सत्तदू के दोनों सदनों के द्वारा किया जायगा । इस अवसर पर भी अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एक परिवर्तनीय मतविधि द्वारा निर्वाचन होगा । मतदान गोपनीय होगा । इस पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिये :—

(१) भारत का नागरिक हो तथा ३५ वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो ।

(२) राज्यपरिषद् के लिये सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है ।

(३) भारत नरकार या राज्य सरकारी के मधीन या इनमें से किसी के द्वारा नियन्त्रित किसी स्थानीय या अन्य अधिकारी के मधीन कोई लाभ का पद न धारण किये हो । परन्तु राष्ट्रपति, नय के मन्त्री, राज्यपाल, राजद्रन्मुख तथा राज्यों के मन्त्री लाभ का पद धारण किये हुए न समझे जायेंगे ।

उपराष्ट्रपति न तो मन्द् के किसी मदन का और न राज्यों के विधान-मदनों का सदस्य होगा । अगर वह किसी का सदस्य हो तो निर्वाचित होने की तिथि में उसकी सदस्यता का अन्त हो जावेगा ।

उपराष्ट्रपति को पदावधि पाँच वर्ष रखी गई । परन्तु वह इसके पूर्व अपने हस्ताक्षर किए हुए त्याग-पत्र द्वारा जो कि राष्ट्रपति को सम्बोधित होगा पद-त्याग कर सकता है । वह राज्य परिषद् के सदस्यों द्वारा बहुमत में स्वीकृत प्रस्ताव से, जिसको लोकसभा ने मान लिया हो, हटाया जा सकता है । परन्तु ऐसे प्रस्ताव की सूचना कम से कम १४ दिन पहिले देनी होगी ।

नए उपराष्ट्रपति का चुनाव पहिले उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने के पहले ही कर लिया जावेगा । पदावधि के अन्दर ही उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर शीघ्रता से नए उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जावेगा तथा वह पद-ग्रहण की तारीख से ५ वर्ष के लिए पद धारण करेगा । पद-ग्रहण में पूर्व उप-

राष्ट्रपति को एक शपथ राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के भामने लेनी पड़ेगी ।

आम चुनाव क पश्चात् नइ ममद् द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया गया । डा० राधाकृष्णन् इस पद व लिए निर्वाचित हुए ।

भारतवर्ष के उपराष्ट्रपति तथा अमेरिका के उपराष्ट्रपति में यह समानता है कि दोनों ऊपरी सदन व सभापति के पद पर है । पर इनके अतिरिक्त अन्तर भी है । वह यह है कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति या निर्वाचन वहाँ की ससद् ऊपरी सदन (Senate) द्वारा होता है । राष्ट्रपति के कारणवश पदत्याग करने पर वह पद की शेष अवधि तक राष्ट्रपति रहता है । परन्तु भारत में अधिकाधिक ६ महीने राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है । वहाँ के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल केवल ४ वर्ष है ।

राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्धित विषय — उप-राष्ट्रपति के चुनावों से सम्बन्धित मन्त्र सभों का फैसला उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जावेगा । अगर किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिये निर्वाचन शून्य (void) कर दिया जाये तो वह उस निर्णय के विरुद्ध कहीं पर अपील नहीं कर सकता है और उसे तत्काल पद-त्याग करना होगा । परन्तु इस निर्णय के पूर्व उसने अपने पद से जो कार्य किये हैं वे अमान्य नहीं माने जायेंगे ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के सम्बन्ध में, इन उपरोक्त वर्णित उपबन्धों के अधीन मसद को नियम बनाने का अधिकार है ।

प्रश्न

- है ? (१) भारत के राष्ट्रपति को संविधान द्वारा क्या अधिकार दिये गये (सू० पी० १९५२)
- (२) क्या यह कहना उचित है कि भारत का राष्ट्रपति केवल वैधानिक प्रधान है ?
- (३) वैधानिक प्रधान की क्या आवश्यकता है । भारत का राष्ट्रपति उन आवश्यकताओं की किस मात्रा तक पूर्ति करता है ?
- (४) मसौप में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रथा का वर्णन कीजिए ।

(५) भारत के राष्ट्रपति पर सक्षिप्त नोट लिखिए। (यू० पी० १९५३)

(६) भारत के राष्ट्रपति की सकटकालीन शक्तियाँ क्या हैं? उनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। (यू० पी० १९५५)

(७) भारत के राष्ट्रपति के सकटकालीन अधिकारों की व्याख्या कीजिए और उनका महत्व बतलाइये। (य० पी० १९५९)

संघीय कार्यपालिका—मन्त्रिपरिषद्

भारतीय संविधान सांसदीय होने के कारण भारत में यथार्थ कार्यपालिका मन्त्रिपरिषद् ही है। इस कारण संविधान में इसका अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि वे सब अधिनार जो कि मन्त्रिघान द्वारा राष्ट्रपति का दिए गए हैं यथार्थ में मन्त्रिपरिषद् के ही अधिनार हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया होगा कि मन्त्रिपरिषद् के हाथ में साधारण काल में ही अग्रगण्य अधिनार हैं। फिर मकड़-बाल का ता कहना ही क्या है।

मन्त्रिपरिषद् का निर्माण —संविधान की ७४ तथा ७५ वीं धाराओं में मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी उपबन्ध दिये गये हैं। इनके अनुसार मन्त्रिपरिषद् का कार्य राष्ट्रपति को उससे बरामा के सम्पादन में सहायता तथा सन्तुष्टि देने का है। किसी न्यायालय में इस प्रश्न की जाँच न की जा सकेगी कि मन्त्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी या नहीं, तथा क्या सलाह दी।

प्रधान मन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधान मन्त्री की सलाह से करेगा। मन्त्रीगण अपने पदों पर, राष्ट्रपति की जब तक इच्छा हो, तब तक रहेंगे। मन्त्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप में उत्तरदायी है। (सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ पिछड़े अध्यायों में स्पष्ट कर दिया गया है।)

इस वर्णन से यह लगता है कि राष्ट्रपति जिसको चाहे प्रधान मन्त्री बना दे, अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति में भी उसका बाकी हाथ होगा तथा जब वह चाहे इन मन्त्रियों को अपने पद से हटा दे। परन्तु यथार्थ में स्थिति पूर्णतया इससे भिन्न है क्योंकि मन्त्रिमण्डल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप में उत्तरदायी है, इसलिए मन्त्रिमण्डल केवल बड़ी दल निर्माण कर सकता है जिससे कि लोकसभा में बहुमत होगा। अतएव, प्रधान-मन्त्री निश्चय ही बहुमत दल का होगा। इसलिए, प्रधान-मन्त्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति के हाथ बंधे हैं। वह बहुमत दल के नेता के अतिरिक्त अगर किसी अन्य व्यक्ति को प्रधान-मन्त्री बनावे तो उसका मन्त्रिमण्डल लोकसभा में एव दिन भी नहीं टिकेगा। इसलिये प्रधान मन्त्री सर्वदा ही बहुमत दल का नेता होता है।

परन्तु अगर देश में कई राजनैतिक दल ही और इनमें से किसी का भी लोक सभा में प्रजेय बहुमत न हो तो उन स्थिति में राष्ट्रपति को प्रधान मंत्री छांटने में कुछ स्वतन्त्रता होगी। वह यह निश्चय करेगा कि किस दल का नेता अन्य दलों की सहायता से एक स्थायी मन्त्रिमण्डल बना सकेगा। परन्तु ऐसे अवसरों की उन देशों में जहाँ कि छोटे-छोटे राजनैतिक दल नहीं होते हैं कोई आशा नहीं।

मन्त्रिपरिषद् में अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति वस्तुतः प्रधान मंत्री करता है। राष्ट्रपति अगर किसी व्यक्ति को अयोग्य समझता है तो वह ऐसी राय दे सकता है। परन्तु वह प्रधान मंत्री को बाध्य नहीं कर सकता कि वह किसी विशेष व्यक्ति को मन्त्रिपरिषद् में रखे या न रखे। प्रधान मंत्री अपने मन्त्रिमण्डल को बनाते समय कई बातों का ध्यान रखेगा। सर्वप्रथम, वह अपने दल के विशिष्ट नेताओं को अपने मन्त्रिमण्डल में स्थान देगा। यह दल की एकता बनाये रखने के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वह यह देखेगा कि देश के विभिन्न भागों का मन्त्रिमण्डल में प्रतिनिधित्व है। भारत में विभिन्न सम्प्रदायों का प्रतिनिधित्व भी आवश्यक है। हम ऐसे मन्त्रिमण्डल की कल्पना नहीं कर सकते कि जिनमें केवल एक ही सम्प्रदाय के सदस्य हों। मन्त्रिमण्डल बनाने में प्रधान मंत्री को स्वाभाविक ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि स्थान इसमें निश्चित हैं, परन्तु उम्मीदवार अधिक हो जाते हैं। प्रत्येक सदस्य की यह इच्छा रहती है कि वह कभी न कभी मंत्री ही हो जावे। इंग्लैण्ड में भी इस प्रकार की कठिनाई होती है। प्रधान मंत्री अगर चाहे तो वह अपने दल के बाहर के व्यक्तियों को भी मन्त्रिमण्डल में ले सकता है, परन्तु ऐसा कम किया जाता है। इस प्रकार नामों की एक सूची बनाकर प्रधान मंत्री राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति उगको मान लेगा क्योंकि राष्ट्रपति यह जानता है कि बहुमत दल के नेता के अतिरिक्त अन्य कोई भी मन्त्रिमण्डल नहीं बना सकता है।

सविधान में कहा गया है कि मन्त्रियों में भारत-सरकार के कार्य के बंटवारे के लिये राष्ट्रपति नियम बनायेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह मन्त्रियों के बीच विभिन्न विभागों का वितरण करेगा। यह कार्य प्रधान मंत्री ही करता है। इसमें प्रधान मंत्री को यह ध्यान रखना पड़ता है कि इस प्रकार विभागों का वितरण करे कि उसके साथी मनुष्य रहें। इसके अतिरिक्त उसे उनकी रुचि, अनुभव आदि का भी ध्यान रखना पड़ता है। परन्तु यह

न समझना चाहिये कि जिस मन्त्री का जो विभाग मिलता है उसका उसे पूरा ज्ञान होता है या प्रत्यक्ष मन्त्री अपने विषय में पारगण होता है। इंग्लैंड में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ कि मन्त्री का पद ग्रहण करते समय अपने विषय का विस्तृत भी ज्ञान नहीं था। उदाहरणार्थ एक वित्त मन्त्री को यह नहीं मालूम था कि दसमालय बिन्दु क्या होता है। उसने अपने सेक्टररी से, जो राज्य का आय-व्यय पत्र (Budget) उनका सामने आया पूछा कि ये बिन्दु क्या हैं, (What are these bloody dots?)। एवं उपनिवेश मन्त्री ने अपने सेक्टररी से कहा कि यह उस नक्शा में बतला दे कि इंग्लैंड के उपनिवेश (colonies) कहाँ पर हैं।

अगर हम मन्त्रियों की पदावधि या उनका विधान में कुछ नहीं है। परन्तु क्योंकि लोकसभा का वायदा ५ वर्ष है इसलिए मन्त्रिमण्डल भी साधारणतः ५ वर्ष का पद में रहेगा। अगर इसके पूर्व किसी कारण से यह लोकसभा का विश्वास या न दया इगधीर जा-सभा भंग हुआ नये चुनाव में इसका दण बहुमत में नही। परन्तु नया राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल या किसी विशेष मन्त्री को हटा सकता है। क्या राष्ट्रपति प्रधान मन्त्री या हटा सकता है? इन प्रश्नों का उत्तर तयारतय होगा। योकि अगर राष्ट्रपति एर मन्त्रिमण्डल को अपदस्थ कर अपने स्थान में दूसरे को नियुक्त कर तो यह लोकसभा में बहुमत न होने के कारण एक दिन भी नहीं टिक सकेगा। केवल यही दण मन्त्रिमण्डल बना सकता है जिसका लोकसभा में बहुमत हो। अगर राष्ट्रपति लोकसभा का भंग कर दे तो यह सम्भव है कि नये निर्वाचन के फलस्वरूप फिर यही दल बहुमत में आ जाय किन्तु मन्त्रिमण्डल को राष्ट्रपति ने अपदस्थ किया था। कोई भी समझदार राष्ट्रपति बनने लिए इस प्रकार की कठिनाई नहीं पैदा करेगा। सब सामग्रीय पद्धति वाले देशों में यह अधिसमय है कि मन्त्रिमण्डल तब तक पदस्थ रहता है जब तक इसका लोकसभा में बहुमत रहता है। वैधानिक प्रधान इसके अपदस्थ करने की चेष्टा नहीं करता। परन्तु यह सम्भव है कि मन्त्रिमण्डल देश में तो अप्रिय हो गया है परन्तु लोकसभा में उसका बहुमत बना है तथा राष्ट्रपति का यह पूर्ण विश्वास हो कि नये निर्वाचन के फलस्वरूप वह दल फिर बहुमत में नहीं आवेगा तो वह देश के हित के लिये लोकसभा का भंग कर नये चुनाव कर सकता है।

प्रत्येक मन्त्री के लिये ससद् का सदस्य होगा आवश्यक है। अगर कोई मन्त्री ६ माह तक ससद् के किसी सदन या सदस्य न रहे तो उसे उसका

की समाप्ति पर अपने पद में हटना पड़ेगा। इस प्रकार के उपबन्ध प्रत्येक खासदीय सविधान में पाये जायेंगे। इसका अर्थ यह है कि केवल वही व्यक्ति मन्त्री हो जिनको जनता का समर्थन तथा विद्यास प्राप्त हो। हमारे सविधान में राष्ट्रपति को राज्य परिषद् में १ सदस्य मनानीत करने का अधिकार है। यह सम्भव है कि एक व्यक्ति जो कि लोकप्रिय न हो राज्य परिषद् में मनोनीत करवा कर मन्त्रिमण्डल में लिया जावे। परन्तु ऐसी घाशा कम है क्योंकि प्रमाण मन्त्री साधारणतः अपने मन्त्रिमण्डल में ऐसे व्यक्ति को लेकर देश में अपनी लोकप्रियता कम नहीं करायेगा तथा इसके प्रतिरिक्त वह लोक सभा को भी इस प्रकार के काम कर अप्रसन्न नहीं करना चाहेगा।

मन्त्रियों के वेतन तथा भत्ते के विषय में संसद् को समय-समय पर कानून बनाने का अधिकार है। परन्तु जब तक संसद् इसको निर्धारित नहीं करती तब तक मन्त्रियों को ३००० रु० मासिक वेतन तथा ५०० रु० भत्ता मिलेगा। प्रत्येक मन्त्री को अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राष्ट्रपति दो शपथें—एक पद की तथा दूसरी गोपनीयता की करवायेगा। पद की शपथ यह है "मैं.....

ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के समूक... सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के सविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, संघ के मन्त्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अन्तःकरण से निर्वहन करूँगा तथा भय या पक्षपात, अनुयाय या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति सविधान के अनुसार न्याय करूँगा।"

गोपनीयता की शपथ यह है "मैं... समूक... सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो विषय सभामन्त्री के रूप में मेरे विचार के लिये लाया जायगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उग अवस्था को छोड़कर जब कि ऐसे मन्त्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिये ऐसा करना अपेक्षित हो अथवा अवस्था में, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सूचित या प्रकट नहीं करूँगा।"

वर्तमान मन्त्रिपरिषद् :-—ग्राम चुनावों के पूर्व का मन्त्रिमण्डल वास्तव में सविधान लागू होने से पूर्व ही का था (सितम्बर, १९४६)। नए सविधान के लागू होने पर (२६ जनवरी १९५०) इसके सदस्यों ने (जो उस समय मन्त्री थे) राष्ट्रपति के सामुख पद की शपथ ली थी। ग्राम चुनावों से पूर्व के मन्त्रिपरिषद् का साधारण सविधान की ३८१ धारा थी जिसमें कहा गया है कि

सविधान क लागू हान क पहलू क मन्त्रा सविधान क लागू हान पर राष्ट्रपति के मन्त्रिमण्डल के रूप म काम करेगे ।

ग्राम चुनावों क पश्चात् १३ मई १९५२ का मन्त्रिमण्डल का पुनसंरचना हुआ । पुराने मन्त्रिमण्डल ने अपने पद से त्याग-पत्र दिया । परन्तु नये मन्त्रिमण्डल (लाय मन्त्रा) में वृद्धि के साथ ही बढुमत्त था । अतएव राष्ट्रपति ने पुन वृद्धि के दल के नेता का मन्त्रिमण्डल बनाने क लिए आमन्त्रित किया । १३ मई, १९५२ का प० नेहरू के नये मन्त्रिमण्डल न अपने पद की शपथ ली ।

इस समय मन्त्रिपरिषद् में प्रधान मन्त्री सहित १५ मन्त्री हैं । इनके प्रतिरिक्त कुछ राज्य उपमन्त्री तथा सामंतीय मन्त्री भी हैं । इन सबके मिश्रण से मन्त्रिमण्डल बनता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि मन्त्रिपरिषद् तथा मन्त्रिमण्डल में भेद है । मन्त्रिपरिषद् मन्त्रिमण्डल म छोटा है परन्तु देश की नीति का निर्धारण मन्त्रिपरिषद् करता है न कि मन्त्रिमण्डल । मन्त्रिपरिषद् से अर्थ Cabinet से है । मन्त्रिमण्डल से तात्पर्य Ministry से है । इन दोनों में अंतर है । इस अंतर को सबदा ध्यान में रखना चाहिये ।

मन्त्रिपरिषद् का काम — मन्त्रिपरिषद् का काम, सविधान क अनुसार राष्ट्रपति का सहायता तथा सहायता देना है । सविधान में यह नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति इस सहायता का मानने को बाध्य है । परन्तु यथासंभव में स्थिति पूर्णतया इससे भिन्न है । जैसा हम कह चुके हैं मन्त्रिपरिषद् ही यथासंभव कार्यपालिका है । इसलिए इसका ही काम देश का शासन करना है ।

अंग्रेज लेफ्टिनेंट रामज म्यूर न इंग्लैंड के मन्त्रिपरिषद् (Cabinet) के विषय में लिखा है कि वह देश का पूर्णरूपेण स्वामी (Dictator) हो गया है । इसका कारण यह है कि मन्त्रिपरिषद् के हाथ में इतनी शक्ति है कि वह राष्ट्र का सम्पूर्ण स्वामी हो गया है । भारत में मन्त्रिपरिषद् के निम्नलिखित काम हैं —

(१) यह राष्ट्र की नीति का निर्धारण करता है । यह इस बात का निश्चय करता है कि आन्तरिक तथा वैदेशिक क्षेत्र में सरकार किस नीति का अयोजन करेगी ।

(२) मन्त्रिपरिषद् देश के शासन के लिए उत्तरदायी है । इसके लिए शासन कार्य को कई विभागों में बाँट दिया जाता है तथा प्रत्येक विभाग का एक मन्त्री होता है । परन्तु जो कुछ प्रत्येक मन्त्री द्वारा किया जाता है उसके लिए सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद् उत्तरदायी है ।

(३) मंत्रिपरिषद् विचारणीय-कार्यो (legislative activities) के लिए भी उत्तरदायी है। मसद में नव महत्वपूर्ण बिल सरकार की ओर से ही पेश होते हैं। किन्ती गैरमन्कारी बिल के पान होने की आशा बहुत कम होती है क्योंकि मंत्रिपरिषद् का लोक-गना में बहुमत होने के कारण ऐसा बिल अल्प-हो अस्वीकृत हो जावेगा।

(४) मंत्रिपरिषद् ही राज्य के वित्त सम्बन्धी मामलों के लिए उत्तरदायी है। वार्षिक प्राय-व्यय-पत्र (Budget) इसी के द्वारा बनाया जाता है और वही उसको मसद में पेश करता है। इसके प्रतिरिक्त अन्य नव वार्षिक तथा वन सम्बन्धी बिल भी इसी के द्वारा मसद में प्रस्तुत किये जाते हैं। इस प्रकार राज्य के वित्त के ऊपर मंत्रिपरिषद् का पूरा अधिकार है। यही इस बात का निश्चय करेगा कि क्या क्या कर लगाये जाय तथा किन किन विषयों पर खर्च बिना जावे।

(५) मंत्रिपरिषद् की ही राय से कई महत्वपूर्ण पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जावेगी, जैसे राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राजदूत आदि।

(६) मंत्रिपरिषद् बहुत अधिक मात्रा तक इस बात का भी निश्चय करता है कि मसद में क्या-क्या मामले पेश किये जावेगे तथा उनको कितने-कितने समय दिया जावेगा।

(७) संकट-काल में मंत्रिपरिषद् राज्यों के क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर सकती है।

इस सूची को देखने से ज्ञान हो गया होगा कि मंत्रिपरिषद् के हाथ में कितनी शक्ति है तथा यह कितना महत्वपूर्ण है।

मंत्रिपरिषद् की बैठकें :—साधारणतः मंत्रिपरिषद् की प्रति सप्ताह एक बैठक होती है। इसमें प्रधान मंत्री सभापति का आसन ग्रहण करता है। अगर कोई विशेष बात हो जावे तो एक से अधिक बैठकें हो सकती हैं। प्रधान मंत्री जब चाहे तब बैठक बुला सकता है। इन बैठकों में दिन-प्रति-दिन के कामों

1. Marriot ने जो इंग्लैंड के मंत्रिपरिषद् के विषय में कहा है, वह हम भारत के बारे में भी कह सकते हैं—“It is the pivot round which the whole political machinery revolves.”

की आकांक्षा नहीं होती है। परन्तु इस सरकार की नीति निर्धारित हाजी है तथा महत्वपूर्ण मामला पर नियम लिया जाता है। जो कुछ इस बैठक में तय हो वह प्रत्येक मन्त्री को मानना पड़ेगा। अगर कोई मन्त्री इसका नियम सङ्कटित नहीं है तो अपने लिये वेकल एव ही माग है कि वह मन्त्रिपरिषद् से त्याग कर दे। परन्तु जब तक वह मन्त्रिपरिषद् का सदस्य है उसे इसके नियम का मानना पड़ेगा।

साधारणतः मन्त्रिपरिषद् में किसी विषय पर मत नहीं लिए जाते हैं तथा जहाँ तक संभव हो सके मन्त्री की राय में ही कोई नीति निश्चय की जाती है। परन्तु अगर ऐसा सम्भव न हो सके तो उस स्थिति में बहुमत से निर्णय होता है। प्रधान मन्त्री अपने सभियों को किसी विषय पर कोई नीति मानने को प्रभावित कर सकता है परन्तु वह उनको बाध्य नहीं कर सकता। अगर मन्त्रिपरिषद् में बहुमत उसकी नीति में विकट हो तो वह उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता है जैसा कि अमेरिका का राष्ट्रपति अपने मन्त्रिपरिषद् की कर सकता है।

मन्त्रिपरिषद् की बैठक की सब बात तथा विवाद गुप्त रखे जाते हैं और जन साधारण को वेकल अन्तिम नियम ही मालूम हो सकता है। प्रत्येक मन्त्री यह कहता है कि वह मन्त्रिपरिषद् की वास्तविकता को गुप्त रखे।

मन्त्रिपरिषद् में काफी सदस्य होते हैं। भारत में इस समय १४ हैं। इतनी बड़ी सभा के द्वारा सब मामले ठीक से नहीं सुलझाये जा सकते हैं। इसलिए प्रत्येक मन्त्रिपरिषद् के अंदर एक छोटी सभा बन जाती है। कानून की दृष्टि में इसका कोई स्थान नहीं है परन्तु यह सत्य है कि अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय प्रधान मन्त्री तथा उसके एक-दो साथी ही तय कर लेते हैं तथा मन्त्रिपरिषद् उसके नियम को मान लेता है। इंग्लैंड में इसको Inner Cabinet कहते हैं।

कॉन्ग्रेस का एक सेक्रेटरी भी होता है। इसमें एक मेम्बरों तथा उसके नीचे ज्वान्ट सेक्रेटरी डिप्टी मेम्बरों आदि होते हैं। इसका काम मन्त्रिपरिषद् के नियमों की रिपोर्ट करना, उनकी विभिन्न मामलों में सूचना देना आदि है।

1 अमेरिकन-राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक समय कहा था, "In a Cabinet meeting there are many arguments and opinions but only one vote—and that is the vote of the President"

प्रधान मन्त्री के काम तथा उसका महत्व — भारत में भी सान्सेन-पद्धति होने के कारण यहाँ के प्रधान मन्त्री के विषय में यह कहा जा सकता है कि उसका वही स्थान है जो कि इंग्लैंड के प्रधान मन्त्री का। दूसरे शब्दों में, प्रधान मन्त्री अत्यन्त शक्तिशाली व्यक्ति है। उसके विषय में हम हिन्दुओं के हैं कि उसकी नियुक्त राष्ट्रपति करेगा परन्तु यद्यपि इस नाम से साधारणतः राष्ट्रपति का कोई स्वतन्त्रता नहीं है। उसे बहुमत दल के नेता की ही इस पद के लिये नियुक्ति करना होगा।

प्रधान मन्त्री के पद का महत्व समझने के लिये हमें सर्वप्रथम उसके कामों को देखना चाहिये। मन्त्रिपरिषद् के अनुसार तो प्रधान मन्त्री के अधिकार यह हैं कि वह राष्ट्रपति को मन्त्रिपरिषद् के शासन सम्बन्धी तथा कानून निर्माण सम्बन्धी सब निर्णयों की सूचना दे। अगर राष्ट्रपति शासन के सम्बन्ध में या कानून बनाने के सम्बन्ध में कोई और सूचना जानना चाहे तो वह भी प्रधान मन्त्री उसको देगा। अगर राष्ट्रपति किसी विषय को, जिस पर किसी मन्त्री ने निर्णय कर दिया हो परन्तु मन्त्रिपरिषद् ने नहीं, पुनः मन्त्रिपरिषद् के सामने विचार के लिये रखने को कहे, तो प्रधान मन्त्री बँसा करेगा। परन्तु यद्यपि प्रधान मन्त्री के अधिकार इतने कहीं अधिक हैं। वे निम्नलिखित हैं:—

(१) वह संसद् में बहुमत दल का नेता है। इसलिए यह स्वभाविक है कि संसद् के बाहर भी उस दल में उसकी स्थिति बहुत ऊँची हो और वही सबका नेता हो। जेनिंग्स ने इंग्लैंड के प्रधान मन्त्री के विषय में लिखते हुए कहा है कि एक नया चुनाव यद्यपि प्रधान मन्त्री का हो चुनाव है। क्योंकि अधिकार मतदाता किसी दल को नहीं परन्तु किसी नेता के नाम से मत देते हैं। ऐसा ही सर्वत्र होता है।

(२) वह मन्त्रियों की चुनता है तथा उनके बीच काम का बँटवारा करता है। इनमें उसके हाथ पूर्णतया स्वतन्त्र नहीं है। तथापि उसने काफ़ी स्वतन्त्रता रखती है। इसके साथ-साथ अगर वह अपनकिसी सहयोगी से असन्तुष्ट है तो वह उसको पदत्याग करने को कह सकता है। साधारणतः जिससे वह कामगा वह पद त्याग कर देगा परन्तु अगर वह ऐसा न करे तो प्रधान मन्त्री मन्त्रिपरिषद् को ही भंग कर देगा और जब नया परिषद् बनायेगा तब उसमें उस विशेष व्यक्ति को स्थान नहीं देगा।

(३) वह मन्त्रिपरिषद् की बैठकों में सनातित्व का शासन चला करता है।

(४) विभिन्न विभागों में जो मतभेद हो जाता है उसका उही टीक करना है तथा सुधारना है। हमें यह स्पष्ट है कि वह मन्त्रिपरिषद् का नेता है।

(५) राष्ट्र की नाम निर्धारण करने में उसका बहुत बड़ा हाथ रहता है। वह मन्त्रिपरिषद् के अन्य सदस्यों का अपनी बात मानने का बहुत अधिक मात्रा तक प्रभावित कर सकता है।

(६) वह राष्ट्रपति का मन्त्रिपरिषद् के निर्णयों की सूचना देता है। उसके अनिश्चित किसी अन्य मन्त्री का यह अधिकार नहीं है कि वह राष्ट्रपति को इस प्रकार की सूचना दे। अगर कोई मन्त्री ऐसा करता है तो उसका बतलवा है कि वह प्रयत्न मन्त्री का इस बात की सूचना दे।

(७) राज्य में बहुत से उच्च पदों में नियुक्ति राष्ट्रपति उही के परामर्श के अनुसार करेगा। उदाहरणार्थ, राज्यपाल, राजदूत, पठित मन्त्रि-संयोजन के सदस्य, इत्यादि। इस विषय में अगर प्रधान मन्त्री चाहें तो वह बिना अपने मंत्रियों के सूचना दिए राष्ट्रपति को किसी विशेष व्यक्ति का नाम देना सकता है।

(८) वह अगर में मंत्रिपरिषद् के विषय पर सरकार की नीति रखता है इस प्रकार वह मन्त्रिपरिषद् का नेता है।

(९) यद्यपि वह मन्त्रिपरिषद् का नेता है, इसलिए सम्पूर्ण देश के शासन के ऊपर उच्च शक्ति अधिकार है। वह किसी भी मन्त्री के विषय में सूचना मांग सकता है। वह देश की वैदेशिक-नीति में भी मुख्य भूमिका लेगा। आंतरिक विभाग प्रधान मन्त्री के ही पास है।

प्रधान मन्त्री के अधिकारों का हमें सूचना का अर्थ में जाना गया होगा कि वह अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इंग्लैंड के प्रधान मन्त्री के विषय में एक ने कहा है कि 'वह मृत्यु है जिसे प्रहरी परित्याग करने है।' वास्तव में प्रधान-मन्त्री की ऐसी ही स्थिति है। अन्य मन्त्री उसकी बगरी नहीं कर सकते हैं। इंग्लैंड यह कहा करता है कि प्रधान मन्त्री सबसे समान में पड़ता है (First among equals), वह हमेशा अधिक है। परन्तु प्रधान मन्त्री की वास्तविक स्थिति क्या है, देश की आन्तरिक तथा वैदेशिक-नीति बनाने में उसका विज्ञान हाथ है, इन सब प्रश्नों का टीक उत्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रधान मन्त्री का व्यक्तित्व कैसा है। अगर कोई साधारण

प्रतिभा का व्यक्ति प्रधान-मंत्री हो जावे तो स्वभावत ही उसका प्रभाव कम होगा। परन्तु अगर कोई असाधारण प्रतिभा का व्यक्ति इस पद पर हो तो उसका प्रभाव अधिक होगा। सफल प्रधान-मन्त्री के लिए कई गुण आवश्यक हैं—प्रतिभा, नेतृत्व की योग्यता, निष्पक्षता, चारित्रिक-दृढ़ता। वह अपने सहयोगियों से अलग न रहते भी दूर ही अन्यथा उनकी छाँटों में वह गिर जावेगा। उसे प्रत्येक विभाग की थोड़ी बहुत जानकारी हाँकी चाहिए। उसके दल के सदस्यों की भक्ति उसके प्रति होनी चाहिए। इंग्लैण्ड के एक प्रधान मन्त्री ने कहा था कि "The office of the Prime Minister is what its holder wants to make it" यही बात भारत के प्रधान मन्त्री के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है।

मन्त्रिपरिषद् तथा लोकसभा :—संविधान में कहा गया है कि मन्त्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ यह हुआ कि मन्त्रिपरिषद् तभी तक अपने पद में रह सकती है जब तक लोकसभा में उसका बहुमत बना हुआ है। दूसरे शब्दों में जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। जिस रोज मन्त्रिपरिषद् यह विश्वास खो देगा उसे पदत्याग करना पड़ेगा।

सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ हम पहले समझा चुके हैं। संक्षेप में इससे तात्पर्य यह है कि अगर लोकसभा किसी एक मन्त्री के विरुद्ध अविश्वास-पत्र प्रस्ताव पास कर दे तो समस्त मन्त्रिमण्डल को त्याग-पत्र देना पड़ेगा। अर्थात् एक का उत्तरदायित्व सबों का उत्तरदायित्व है। इसलिए समस्त मन्त्रिपरिषद् एक इकाई की तरह काम करता है। इस नियम को कोई भी भंग नहीं कर सकता है। इसकी भंग करने के परवाह उसके लिये मन्त्रिपरिषद् में कोई स्थान नहीं रह जाता है।

यहाँ पर यह देखना चाहिये कि लोकसभा किस प्रकार मन्त्रिमण्डल को पदत्याग करने के लिये बाध्य कर सकती है। यह कई प्रकार से किया जा सकता है।

(१) लोकसभा सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे यदि वह इसकी नीति से सहमत नहो है।

(२) वह किसी एक विशेष मन्त्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे।

(३) वह, जब कि बजट पेश किया जाता है, यह प्रस्ताव पास कर दे कि किसी मन्त्री का वेतन कम कर दिया जावे।

(४) यह मन्त्रिपरिषद् द्वारा पेश किए हुए किसी महत्वपूर्ण बिल को पास न करे।

(५) लाकगभा किसी गैर मन्वारी मदस्य द्वारा पेश किए हुए बिल में मन्त्रिपरिषद् के विरोध करने पर भी पास कर दे। ऐसी अवस्था में मन्त्रिपरिषद् को पक्ष-त्याग करना पड़ेगा अगर यह दम विद्वान का प्रश्न बना दे।

साधारणतः जब तक मन्त्रिपरिषद् का लाकगभा में बहुमत रहता है ऐसी अवस्था उत्पन्न होने की बहुत कम सम्भावना रहती है। परन्तु अविद्वान के प्रस्ताव का हर भङ्गार का भवदा मतकं रचना है और यह लोक-गभा को अप्रमत्त नहीं करती है।

क्याकि मन्त्रिपरिषद् लाकगभा के प्रति उत्तरदायी है इसलिए लाकगभा स्वामिनी है तथा मन्त्रिपरिषद् उसका भवक और जब स्वामिनी चाहे तब भवक को उमरे पद में हटा मरती है।

परन्तु वार्यरूप में स्थिति इसमें सर्वथा भिन्न है। यह स्थिति सब देशों में पाई जायगी जहाँ कि गामदीय-गदति है तथा जहाँ अपने छोटे-छाटे दल न होकर बड़े बड़े गमठित दल हैं। इंग्लैण्ड की Cabinet के बारे में कहा जाता कि वह लाकगभा की स्वामिनी है और लाकगभा उमरी प्रत्येक शाना का गलन करती है। जब तक मन्त्रिपरिषद् का लाकगभा में बहुमत है वह लोकगभा का स्वामी है। उम लाकगभा में कोई हर नहीं क्याकि प्रत्येक विषय में उसके दल के मदस्य उमरा समर्थन करेगे। परन्तु मन्त्रिपरिषद् कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिसे कि उमरे दल के मदस्य ही उमरे विरुद्ध हो जावे। प्रश्न यह उठता है कि क्या कारण है कि मन्त्रिपरिषद् सर्वत्र भवक के स्थान पर स्वामी हो गया है। इसका उत्तर यह है —

(१) दल-गदती की प्रथा—इस प्रथा के कारण प्रत्येक मदस्य का यह वत्तव्य हो जाता है कि वह अपने दल का ही समर्थन करे। उमका सिद्धान्त यह है कि गन्त या गदती, मैं अपने दल के पक्ष में हूँ। इसके कारण मन्त्रिपरिषद् को अपने दल में साधारणतः कोई हर नहीं है।

“It is one of the agreeable fictions of British Government that the Commons controls the Cabinet, but an assertion that the Cabinet controls the Commons would come closer to actualities”—Munro, Government of Europe, p. 224

(२) भाजकल व्ययक मताधिकार तथा निर्वाचन-क्षेत्र का विनाश विस्तार होने के कारण किन्ही भी स्वल्प उम्मीदवार के लिये चुनाव में जीतने की आशा करना व्यर्थ है। उसके पास न उतना धन है और न साधन। इसलिए लोकसभा सदस्य दलों द्वारा निर्वाचित होते हैं।

(३) अगर मंत्रिपरिषद् की किन्ही प्रस्ताव पर हार हो जावे तो वह लोकसभा को भय करवा कर नये निर्वाचन करवा सकता है। साधारणतः मंत्रिपरिषद् की प्रार्थना कि लोकसभा भंग कर दी जावे मान डी ली जावेगी। प्रत्येक निर्वाचन का अर्थ है, धन का व्यय, परेशानी, समय की हानि आदि। जो लोग एक समय निर्वाचित हो चुके हैं वे फिर से इतनी परेशानी उठाने को साधारणतः प्रमत्त नहीं होते।

भारत में लोकसभा साधारणतः मंत्रिपरिषद् के इशारे पर चलती है। कुछ ऐसे उदाहरण अवश्य हैं जहाँ कि मंत्रिपरिषद् को अपनी नीति बदलनी पड़ी। एक लेखक ने लिखा है कि भारत में मंत्रिपरिषद् संसद के प्रति अन्य देशों की अपेक्षा अधिक आदर दिखलाता है।¹

मंत्रिपरिषद् तथा राष्ट्रपति — यह बात नदा ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत में सात्त्विक व्यवस्था है न कि अध्यात्मिक। अतएव साधारणतः राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् के परामर्श अनूतार काम करेगा क्योंकि अगर वह ऐसा न करे और किसी मंत्रिपरिषद् को जिम्मा लोकसभा में बहुमत है, पदच्युत कर दे तो उसे अत्यन्त कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। संविधान में यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद् राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए होगा तथा इसके सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर रहेंगे। परन्तु साथ साथ यह भी कहा गया है कि मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। इस उपबन्ध से यह स्पष्ट हो जाता है कि मंत्रिपरिषद् का उत्तरदायित्व संसद के प्रति है न कि राष्ट्रपति के। संविधान के निर्माण के समय संविधान निर्मात्री मना में यह स्पष्ट रूप से

1. "The Cabinet has been treating the legislature with greater consideration in India than is usual elsewhere." — Sharma, S. R., Cabinet Government in India, Parliamentary Affairs winter 1950, p. 120.

कहा गया था कि भारत का राष्ट्रपति केवल वैधानिक प्रधान मात्र है। परन्तु कुछ विशेष दशाभा में राष्ट्रपति देश के हित का ध्यान में रखते हुये स्वतन्त्रता पूर्वक काम कर सकता है। जब मन्त्रिपरिषद् की सारसभा में हार हा जावे और प्रधान मन्त्री लोकसभा भंग करने की प्रायना करे राष्ट्रपति इसका अस्वीकृत कर सकता है अगर यह यह समझे कि इसकी कार्ड आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार अगर किसी मन्त्रिपरिषद् का लोकसभा में ता बहुमत बना हा परन्तु दश में उसकी नीति व फलस्वरूप असाधारण बढ जावे तौ राष्ट्रपति देश के हित को ध्यान में रखते हुये लोक सभा का भंग कर नय निर्वाचन की अना दे सकता है।

इंग्लैंड में यह प्रथा है कि सच्चाई वा बोर्ड भी वाय वैध होने क लिये उस विभाग के सम्बन्धित मन्त्री द्वारा उमम हस्ताक्षर हुला चाहिये। परन्तु भारतीय सविधान में ऐसा कार्ड नियम नहीं है। भारतीय सविधान में ऐसा उपबन्ध नहीं है कि जिस मन्त्रिपरिषद् ने इस्तीफा दे दिया हो वह तब तक काम करता रहेगा जब तक कि उसके स्थान में दूसरे का निर्माण न हा जावे। अंग्लैंड के विधान में ऐसा ही है। इग वाग्न भारत में यह सम्भव है कि जब एक मन्त्रिपरिषद् ने पदत्याग कर दिया हा राष्ट्रपति दूसरे का नियुक्त करने में देर लगा दे और इसी बीच में सब वाय उनके द्वारा चलाया जाय। परन्तु यह केवल एक आशय है।

मन्त्रिपरिषद् में विभिन्न विभाग --शासन-वाय सुचारु रूप से चलाने के लिए सरकार का काम अलग-अलग भागा में बाँट दिया जाता है। प्रत्येक विभाग या कभी-कभी दो दो विभाग एक मन्त्री के अधीन होते हैं। इस समय हमारे यहाँ निम्नलिखित मुख्य मुख्य विभाग हैं --

(१) बंदेशिक विभाग, (२) शिक्षा विभाग, (३) यातायात विभाग
(४) स्वास्थ्य विभाग (५) वित्त विभाग, (६) योजना विभाग, (७) सिंचा

1 डा० अम्बेडकर ने सविधान सभा में ४ नवम्बर १९४८ को कहा था,
"Under the presidential system of America, the President is the chief head of the executive. The administration is vested in him. Under the draft constitution (of India) the President occupies the same position as the King under the English constitution. He is the head of the state but not of the executive. He represents the nation but does not rule the nation. He is the symbol of the nation. His place in the administration is that of a ceremonial device on a seal by which the nation's decisions are made known."

२ इस विषय के लिये अध्याय ८ देखिये।

क्षेत्रीय विभाग, (८) गृह विभाग, (९) रक्षा विभाग, (१०) व्यापार तथा उद्योग विभाग, (११) खाद्य विभाग, (१२) कानून विभाग, (१३) रेलवे विभाग, (१४) परिवहन विभाग, (१५) निर्माण, मकान तथा रसद विभाग, (१६) श्रम विभाग, (१७) उत्पादन विभाग, (१८) पुनर्वासन विभाग, (१९) कृषि विभाग, (२०) विधायकी विभाग, (२१) संसद् विषय विभाग (२२) रेडियो व सूचना विभाग, (२३) गाल तथा अन्य विभाग, (२४) लौह तथा इस्पात विभाग ।

उपरोक्त विभाग निम्नलिखित मन्त्रियों के हाथों में हैं :—

(अ) वर्तमान मन्त्रिपरिषद् के सदस्य (Members of Cabinet) ।

- (१) जवाहर लाल नेहरू—प्रधान मंत्री तथा परराष्ट्र मंत्री एवं मण्डलीय विभाग के मंत्री ।
- (२) श्री योषिन्द वल्लभ पंत—गृह मंत्री ।
- (३) श्री मथुरा जी रणछोड जी देसाई—बित्त मंत्री ।
- (४) श्री जगजीवनराम—रेल मंत्री ।
- (५) श्री गुलजारीलाल नदा—श्रम, रोजगार तथा नियोजन मंत्री ।
- (६) श्री लाल बहादुर शास्त्री—वाणिज्य तथा उद्योग ।
- (७) सरदार स्वर्णसिंह—इस्पात, खान तथा जलयान ।
- (८) श्री के० सी० रेड्डी—गृह निर्माण तथा पूति मंत्री ।
- (९) श्री अजितप्रसाद जैन—खाद्य तथा कृषि मंत्री ।
- (१०) श्री बी० के० कृष्ण मेनन—प्रतिरक्षा मंत्री ।
- (११) श्री एस० के० पाटिल—यातायात तथा संचार ।
- (१२) श्री हाफिज इवाहीम—सिचाई तथा शक्ति ।
- (१३) श्री अशोक कुमार सेन—विधि मंत्री ।

(ब) राज्य मन्त्री

- (१) श्री सत्यनारायण सिंह—संसदीय विषय ।
- (२) डा० बालकृष्ण विदेनार्थ केसकर—सूचना तथा प्रसार ।
- (३) दत्तात्रेय परशुराम करपाकर—स्वास्थ्य ।
- (४) डा० पंजाबराव वसु० देशमुख—खाद्य तथा कृषि ।
- (५) श्री केशवदेव भालवीय—इस्पात, खान तथा जलयान ।
- (६) मेहरचन्द खन्ना—पुनर्वासन मंत्री ।
- (७) श्री नित्यानन्द कानूनगो—वाणिज्य तथा उद्योग ।
- (८) श्री राजबहादुर—यातायात तथा संचार ।

- (१) श्री बलवन्त नागेश दातार—गृह ।
 - (१०) श्री एम० एम० शाह—वाणिज्य तथा उद्योग ।
 - (११) श्री सुरेन्द्रकुमार दे—नामदायिक विभाग ।
 - (१२) डा० बालुलाल श्रीमाली—शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान ।
 - (१३) श्री हुमायूँ कबीर—वैज्ञानिक अनुसंधान तथा संस्कृति ।
 - (१८) श्री बी० गोपाद मेन्डी—प्राथमिक विषय ।
- (म) उद्मन्त्री

- (१) सरदार मुरजीतासह मजीठिया—प्रतिरक्षा ।
- (२) श्री अविदप्रली—श्रम ।
- (३) श्री अनिलरमार धदा—गृह निर्माण तथा पूर्ति ।
- (४) श्री एम० बी० कृष्णा—खाद्य तथा कृषि ।
- (५) श्री जयमुक्त लाल हटी—विचार्य तथा प्रिन्सिपल ।
- (६) श्री गनीगचन्द्र—वाणिज्य तथा उद्योग ।
- (७) श्री श्यामनन्दन मिश्र—निर्यातन ।
- (८) श्री बल्लिगम भगन—वित्त ।
- (९) श्रीमती तारदेववने मिनहा—प्राथमिक विषय ।
- (१०) श्री शाहनवाज साँ—रेल ।
- (११) श्रीमती लक्ष्मी एन० मेहन—परराष्ट्र ।
- (१२) श्रीमती बायलेट अन्वा—गृह ।
- (१३) श्री ग्रहमद मोहिन उद्दीन—सिविल एविएशन ।
- (१६) श्री ए० एम० बामन—खाद्य तथा कृषि ।
- (१५) श्री एम० बी० कृष्ण स्वामी—रेल ।
- (१६) श्री ए० एस० नसवर—पुनर्व्यवस्थापन ।
- (१७) श्री आर० एम० हजरतबीम—विधि ।
- (१८) श्री के० रघुरमया—प्रतिरक्षा ।

इन प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान मन्त्रपरिषद् में केवल १३ सदस्य हैं । परन्तु इनके अनिश्चित १४ राज्य मन्त्री तथा १८ उपमन्त्री हैं । इनके अनिश्चित आठ सांसदीय सचिवों (Parliamentary Secretaries) की भी नियुक्ति की गई है । ये सचिव भी एक प्रकार के मन्त्री हैं क्योंकि इनका पद भी स्थायी नहीं होता है ।

उपरोक्त विवरण से यह ज्ञात हो जाता है कि मन्त्रपरिषद् मन्त्रिमण्डल न होता है । मन्त्रपरिषद् में तात्पर्य उन समूह (body) से है जो कि

मन्त्रिमण्डल की नीति को निर्धारित करता है। मन्त्रपरिषद् में केवल १३ मंत्री होते हैं। परन्तु मन्त्रिमण्डल से तात्पर्य उन सब कर्मचारियों से है जो कि लोक-सभा में जब तक उनके दाय का बहुमत रहता है सरकार बनाते हैं और यह बहुमत न रहने पर उन्हें पदत्याग करना होता है। मन्त्रिमण्डल के मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों के प्रतिरिक्त राज्यमंत्री, उपमंत्री तथा सांसदीय सचिव सभी सदस्य होते हैं। मन्त्रिपरिषद् (Cabinet) का पदत्याग करता मन्त्रिमण्डल (Ministry) का भी पदत्याग है।

इसके प्रतिरिक्त प्रत्येक विभाग में स्थायी कर्मचारी होते हैं। इनमें सबसे मुख्य सेक्रेटरी होता है, उसके नीचे ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी आदि होते हैं। इनका पद स्थायी होता है। मन्त्रिपरिषद् बनते विभाजित रहते हैं, परन्तु इन पर कोई अन्तर नहीं होता है। इसी स्थायी कर्मचारी बृन्द को Bureaucracy कहा जाता है।

भारत का महान्यायवादी :— इस पदाधिकारी का काम भारत सरकार को कानूनी मामलों में राय देना तथा अन्य ऐसे कानूनी कर्तव्य का करना है जो कि राष्ट्रपति उसको समय-समय पर भेजे या सौंपे। इन कर्तव्यों के पालन में इस अधिकारी को भारत के सब न्यायालयों में सुनवाई (Audience) का अधिकार दिया गया है।

२६ जनवरी, १९५० को भाषेन द्वारा राष्ट्रपति ने महान्यायवादी के पद के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम बनाये :—

उसको ४००० रु० प्रति मास वेतन तथा अन्य भत्ते मिलेंगे। सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के प्रतिरिक्त उसका काम भारत-सरकार की तरफ से उच्चतम न्यायालय, तथा उच्च न्यायालयों में उन मुकदमों में सहा होगा होगा जिनमें भारत सरकार सम्बन्धित है।

महान्यायवादी अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त रहेंगे। इस पद पर वही व्यक्ति नियुक्ति किया जा सकता है जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता हो।

प्रश्न

(१) नवम संविधान के अनुसार प्रधान मंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है? प्रधान मंत्री के कर्तव्यों तथा अधिकारों का उल्लेख कीजिये।

(पृ० पी० १९५२)

(२) भारतीय संविधान में मन्त्रिपरिषद् का क्या स्थान है?

(३) मन्त्रिपरिषद् तथा राष्ट्रपति के मध्य क्या सम्बन्ध है ?

(४) "प्रधान मन्त्री मन्त्रिपरिषद् रूपी वृत्तखण्ड का मध्य प्रस्तर है।" यह कथन भारत के प्रधान मंत्री पर कहाँ तक लागू होता है ?

(यू० पी० १९५३)

(५) भारतीय मन्त्रिपरिषद् के संगठन तथा उसके अधिकारों का वर्णन कीजिये।

(यू० पी० १९५४)

(६) भारत में मन्त्रिपरिषद् के (१) राष्ट्रपति, तथा (२) लोकसभा के सम्बन्धा का वर्णन कीजिये।

(यू० पी० १९५५)

(७) केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् संगठन एवं उसके कार्यों पर प्रकाश डालिये।

(यू० पी० १९५७)

(८) प्रधान मंत्री की नियुक्ति किसी प्रकार से हार्ता है ? क्या राष्ट्रपति से नियुक्ति को करन में स्वतन्त्र है ? प्रधानमंत्री के कर्तव्य और अधिकारों की पाश्या कीजिये।

(यू० पी० १९५८)

(९) संघीय मन्त्रिमण्डल में प्रधान मंत्री का क्या स्थान है ? उसके विशेषाधिकारों का वर्णन कीजिये।

(यू० पी० १९५९)

संघीय व्यवस्थापिका

भारत की मधीम-व्यवस्थापिका को संसद (Parliament) कहा जाता है। संविधान द्वारा दो सदनों वाली व्यवस्थापिका की स्थापना की गई है। उसमें कहा गया है कि, "सभ के लिये एक सदन होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम क्रमशः राज्य-परिषद् और लोकसभा होंगे।" (भारा ७९)

राज्य-परिषद् ऊपरी सदन है। इसमें राज्यों के प्रतिनिधि होंगे। भारत में अमेरिका की तरह प्रत्येक राज्य को ऊपरी सदन में बराबर प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। यह जनसंख्या के अनुसार कम या अधिक रखा गया है। तब भी राज्य-परिषद् राज्यों की प्रतिनिधि है और इनका काम उनके हितों का संरक्षण है। निचले सदन का नाम लोकसभा है। लोकसभा में भारत की जनता के प्रतिनिधि होंगे।

क्योंकि भारत ने ब्रिटेन की तरह संसद पद्धति को अपनाया गया है इसी कारण राष्ट्रपति को भी व्यवस्थापिका का अंग बना दिया गया है। ब्रिटेन में व्यवस्थापिका को King in Parliament कहा जाता है। अर्थात् राजा व्यवस्थापिका का आवश्यक अंग है। समुक्त-राष्ट्र अमेरिका में अभ्युत्थानक सरकार होने के कारण वहाँ का राष्ट्रपति (अध्यक्ष) व्यवस्थापिका का एक अंग नहीं है। वहाँ के संविधान में केवल कहा गया है कि सभ की व्यवस्थापिका शक्ति कांग्रेस (Congress) में होगी, जो कि सीनेट (Senate) तथा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (House of Representatives) से बनेगी।

संविधान के अनुसार संसद का संगठन :—संविधान के अनुसार संसद में दो सदन हैं।—राज्य-परिषद् तथा लोकसभा। संविधान के अनुसार संसद का संगठन सार्वजनिक निर्वाचनों के पदवात हुआ। २६ जनवरी १९५० को जब नया संविधान लागू हुआ भारत की संविधान सभा ही संसद में परिवर्तित कर दी गई थी तथा उसको वे सब अधिकार दिये गये थे जो कि संविधान द्वारा संसद को दिये गये हैं। इस प्रकार सार्वजनिक निर्वाचनों के बाद संसद के संगठन तक भारत की संसद में केवल एक ही सदन था। द्विसदनात्मक संसद का निर्माण इस निर्वाचन के बाद हुआ।

राज्य परिषद्

यह ससद का ऊपरी सदन है। इसमें राज्या के प्रतिनिधि आवेंगे। इसमें अधिक से अधिक २५० सदस्य होंगे। इसमें से २३६ सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। ये राज्या के प्रतिनिधि होंगे। १२ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जावेंगे। सविधान में कहा गया है कि ये "ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्न प्रकार के विषयों के बारे में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है। अर्थात् साहित्य, विज्ञान, कला और माभाजित सेवा।" आयरलैंड के सविधान में भी इस प्रकार का उपबन्ध है।

राज्य परिषद् में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधिया का विभाजन निम्नोक्त प्रकार से किया गया है

१—आंध्र प्रदेश	१८	१०—पंजाब	११
२—आसाम	७	११—राजस्थान	१०
३—बिहार	०२	१२—उत्तर प्रदेश	३८
४—बम्बई	००	१३—पश्चिमी बंगाल	१६
५—केरल	१	१४—जम्मू तथा कश्मीर	४
६—मध्य प्रदेश	१६	१५—दिल्ली	३
७—मद्रास	१७	१६—हिमाचल प्रदेश	२
८—मैसूर	१२	१७—मणिपुर	१
९—उडामा	१०	१८—त्रिपुरा	१

इन उपर्युक्त सदस्यों के अतिरिक्त १२ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं।

दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा मणिपुर-त्रिपुरा के अतिरिक्त अन्य राज्यों के सदस्य वहाँ की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुदाती प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनुसार एक परिवर्तनीय मतविधि द्वारा चुन जायेंगे। सघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधिया का निर्वाचन किस प्रकार होगा, इनके निर्णय का अधिकार सविधान द्वारा ससद को प्रदान किया गया है। ससद की विधि द्वारा इसका निश्चय किया जाता है। ससद का द्वितीय सदन के लिये राज्या के प्रतिनिधिया का अप्रत्यक्ष निर्वाचन दक्षिणी अफ्रीका के सविधान में भी पाया जाता है। गण्युक्त राष्ट्र अमेरिका में सीनेट के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है।

सदस्यता के लिए योग्यताएँ — राज्यपरिषद् के सदस्य होने के लिये

निम्नलिखित योग्यताएँ हानी चाहिए —

- (१) वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो,
- (२) उसकी अवस्था ३० वर्ष की हो चुकी हो,

(३) (घ) कोई व्यक्ति किसी स्वायत्त राज्य से राज्यपरिषद् के लिये सदस्य नहीं चुना जायगा जब तक वह उस राज्य में किसी नागरिकीय निर्वाचन-क्षेत्र का निर्वाचक नहीं हो।

(ब) कोई व्यक्ति किसी केन्द्रीय शासित प्रदेश में राज्यपरिषद् की सदस्यता के लिये नहीं चुना जायगा जब तक वह वहाँ में किसी नागरिकीय निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचक न हो जहाँ कि ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव होने वाला हो।

राज्य-परिषद् की सदस्यता के लिये वही अनिवार्य है जो लोकसभा के लिए है। इनका वर्णन बाद में किया है।

श्रवणः—राज्यपरिषद् भंग नहीं होगी। यह स्थानीय संस्था है किन्तु इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अपना पद रिक्त कर देंगे।

सभापति तथा उप-सभापति :—भारत का उपराष्ट्रपति राज्यपरिषद् का पदेन (ex-officio) सभापति होता है। हम पहले लिख चुके हैं कि उनका निर्वाचन संसद के सदस्यों द्वारा किया जायगा। उसकी पदावधि ५ वर्ष है। वह अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, या राज्य-परिषद् द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। इन देशों में वह सभापति नहीं रहेगा।

राज्य-परिषद् का एक उपसभापति भी होगा। वह सभापति की अनुपस्थिति में सभापति का आसन ग्रहण करेगा। उसका निर्वाचन राज्यपरिषद् द्वारा ही किया जाता है। उपसभापति को, अगर वह परिषद् का सदस्य न रहे, तो अपना पद छोड़ना पड़ेगा। वह अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। राज्यपरिषद् के समस्त तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से वह अपने पद से हटाया जा सकता है। परन्तु ऐसे प्रस्ताव को पेश करने के लिये १४ दिन पूर्व सूचना देनी होगी।

राज्य-परिषद् में जब सभापति या उपसभापति के हटाने के लिये प्रस्ताव होगा तब इनमें से जिनके विरुद्ध यह प्रस्ताव हो वह राज्य-परिषद् में उपस्थित रह सकता है परन्तु वह सभापति का आसन ग्रहण नहीं कर सकता और न वह इस अवसर पर मत ही दे सकता है।

राज्य-परिषद् का सभापति (भारत का उपराष्ट्रपति) यथाचं में राज्य-परिषद् का सदस्य नहीं है। उनकी साधारण अवस्था में मत देने का अधिकार नहीं है। वह केवल तभी मत देगा जब कि किसी प्रस्ताव पर पक्ष तथा विपक्ष में बराबर मत हो जायें। इसको निर्णायक-मत (Casting Vote) कहते हैं।

अगर सम्भाषति तथा उप-सम्भाषति शब्दा ही अनुपस्थित हों तो राज्य परिषद् उन वाक्यों के लिये अपने किसी सदस्य का सम्भाषति पद के लिये नियुक्त कर सकती है।

सम्भाषति तथा उपसम्भाषति का जेठन तथा कुछ भत्ते मिलेंगे। अगर किसी सदस्य को कानून बनाने की परन्तु जब तक राज्य कानून द्वारा उनका निश्चय नहीं करती तब तक इनका वही जेठन तथा भत्ते मिलेंगे जो मंत्रिपरामर्श होने के पूर्व मंत्रिपरामर्श तथा अध्यापन को मिलते थे।

राज्य परिषद् का संवैधानिक आधार — राज्य परिषद् जनता की प्रतिनिधि न होकर राज्यों की प्रतिनिधि है, इसी कारण इनका निर्वाचन अत्यन्त श्रम रखा गया है। संघीय व्यवस्था में ऊपरी सदन राज्यों का ही प्रतिनिधित्व करता है। संघीय राज्य अमेरिका में सीनेट भी इसी प्रकार राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। परन्तु अमेरिकी ऊपरी सदन में संघीय राज्यों का प्रतिनिधित्व समान है। भारत में समान प्रतिनिधित्व नहीं रखा गया है।

राज्य परिषद् के द्वारा मंत्रिपरामर्श का यह भी उद्देश्य था कि देश के बड़े विद्वान्, अनुभवी तथा गणमान्य व्यक्ति जो कि राजनीति में भाग लेने में हिचकत हैं, व्यवस्थापन के कार्य में सहयोग दे सकें। इसीलिए राज्य परिषद् में यह भी व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति कुछ व्यक्तियों का मनोनीत कर सकता है।

ऊपरी सदन के विषय में यह भी जाता है कि यह निश्चय सदन की भाँति जनता के भावों तथा उत्तजनाओं में प्रेरित नहीं होता है। यह निर्वाचन की क्षणिक इच्छाओं तथा आदेशों से अपने का स्वतंत्र रूप से व्यवस्थापन कार्य करता है। यह विधि निर्माण की गति को सीमा बंध देता है। इसके सदस्य जो कि निश्चय सदन के सदस्यों से अधिक अनुभवी तथा दक्षता राजनीति में उतने उतने नहीं रहते, विधि निर्माण कार्य का अधिक विवेकपूर्ण ढंग से सम्पादित करने में सफल होते।

लोक सभा

यह सभ्य का निचला तथा मुख्य सदन है। इसमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं। इस सदन को ऊपरी सदन (राज्य-परिषद्) की अपेक्षा अधिक सक्ति-वाली बनाया गया है। मंत्रिपरामर्श की धारा ८१ में इसके सदन के विषय में यह उपबन्ध है कि इसके सदस्यों में से अधिकाधिक ५०० सदस्यों का मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जायगा। इस उद्देश्य से भारत में घण्टों की

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (territorial constituencies) में बाँटा जायगा। यह विभाजन इस प्रकार किया जायगा कि प्रत्येक क्षेत्र की जनसंख्या तथा उसके सदस्यों की जनसंख्या के मध्य जो अनुपात हो वह सदस्य राज्य में यथा सम्भव समान रहे। इसके साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखा जायगा कि प्रत्येक राज्य से लोकसभा के लिये सदस्यों की जो संख्या निर्दिष्ट की जायगी, उसके तथा उस राज्य की जनसंख्या के मध्य जो अनुपात हो वही यथासंभव अन्य समस्त राज्यों में भी रहे। देश में अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय हैं, अर्थात् उनमें से केवल एक ही सदस्य का निर्वाचन किया जायगा। परन्तु कुछ निर्वाचन क्षेत्र द्वि-सदस्यीय भी हैं, अर्थात् उनमें से दो सदस्यों को चुन कर भेजा जायगा। स्वभावतः ही द्वि-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या एक-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या से अधिक होगी।

इन उपर्युक्त ५०० सदस्यों के अतिरिक्त सघीय क्षेत्रों से (Union territories) अधिकाधिक २० सदस्य लोकसभा में भेजे जायेंगे। इनका निर्वाचन किस प्रकार किया जायगा इसके निश्चय का अधिकार संसद् को दिया गया है। संसद् विधि द्वारा इसका निश्चय करेगी।

लोक सभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या निम्नलिखित निर्दिष्ट की गई है —

राज्यों के नाम	सदस्य संख्या	राज्यों के नाम	सदस्य संख्या
आंध्र प्रदेश	४३	राजस्थान	२२
आसाम	१२	उत्तर प्रदेश	८६
बिहार	५५	पश्चिमी बंगाल	३४
बम्बई	६६	जम्मू काश्मीर	६
केरल	१८	दिल्ली	५
मध्य प्रदेश	३६	हिमाचल प्रदेश	४
मद्रास	४१	मनीपुर	२
मैसूर	२६	त्रिपुरा	२
उड़ीसा	२०	बडमान	१
पञ्जाब	२२	लंकादीव तथा अमीनदीव	१

इनमें से जम्मू-काश्मीर तथा अहमदनिकोवार के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित न होकर राष्ट्रपति द्वारा मनानीत किये जाते हैं। जम्मू-काश्मीर की विधान-सभा जिन सदस्यों के नाम का सिफारिश करेगी राष्ट्रपति उन्हीं को नियुक्त करेगा। इनके अतिरिक्त धारा ३३१ के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दो गैरलो एन्डिडन सम्प्रदाय के प्रतिनिधि लोक सभा के सदस्य मनानीत किये जाते हैं। इनके अतिरिक्त ग्रामाम के जन-आति क्षत्रा (पाटं वी) का प्रतिनिधित्व करने के लिये एक सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनानीत किया जाता है। अन्धकालीय तथा अमीनदीव का एक सदस्य भी राष्ट्रपति द्वारा मनानीत किया जाता है।

निर्वाचन की विशेषताएँ —ये निम्नलिखित हैं—

(१) प्रत्यक्ष चुनाव —लोकसभा के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष होगा परन्तु दो राज्या के प्रतिनिधि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से न चुने जाकर राष्ट्रपति द्वारा मनानीत किये जायेंगे। जम्मू काश्मीर तथा अहमदनिकोवार के प्रतिनिधि मनानीत होंगे।

(२) वयस्क मताधिकार —विधान द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को जो कि २१ वर्ष की आयु पूरी कर चुका है मत देने का अधिकार दिया गया है। इसका फल यह होगा कि करीबन १८॥ करोड़ व्यक्ति चुनाव के अवसर पर मतदान करेंगे। इस विधान के पूर्व १९३५ के अधिनियम द्वारा केवल १३ प्रतिशत व्यक्तियों को मत देने का अधिकार दिया गया था। उसके पूर्व तो यह और भी कम लोगों का मिला था। १९१९ के अधिनियम द्वारा केवल ३ प्रतिशत व्यक्तियों को यह अधिकार मिला था। इस संविधान के पूर्व निर्वाचक होने के लिए कई योग्यताएँ हानी चाहिये थी जैसे सम्पत्ति, आमदनी, साक्षरता, पद, उपाधि आदि। परन्तु नये संविधान में ये कुछ नहीं रहती गई हैं।

कोई व्यक्ति किसी निर्वाचनक्षेत्र (Constituency) में मत देने से इसक लिए उसमें केवल निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिये —

(अ) वह २१ वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

(ब) वह उस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक-सूची में नाम लिखे जाने तक १८० दिन रह चुका हो।

निर्वाचन में निम्नलिखित शर्तोंमें से न होने चाहिये :

(घ) वह भारत का नागरिक न हो।

(ङ) वह किसी न्यायालय द्वारा पागल न उलझाया गया हो।

(च) वह निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी अवसर के लिये मन्त्री न हो।

(३) संयुक्त निर्वाचन—संविधान लागू होने के पूर्व भारत में पृथक् निर्वाचन प्रणाली थी। इसका अन्तः साम्प्रदायिकता थी। परन्तु संविधान द्वारा संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की स्थापना की गई है। इसके अन्तर्गत साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का अन्त कर दिया गया है।

परन्तु संविधान द्वारा कुछ पिछड़ी हुई जातियों तथा कुछ अल्पसंख्यकों के लिये कुछ स्थान सुरक्षित कर दिये गये हैं। परन्तु यह व्यवस्था केवल १० वर्ष के लिये है। अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिये उनके जनसंख्या के आधार पर कुछ स्थान सुरक्षित कर दिये गये हैं। इसी प्रकार एन्टी-डिप्रिशन समुदाय के लिये यह व्यवस्था है कि अगर राष्ट्रपति यह मनसे कि उनका लोकसभा में अनुचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है तो वह उन समुदाय के दो सदस्यों को मननीय कर सकता है। यह व्यवस्था भी केवल दस वर्ष के लिये है।

निर्वाचन के लिये प्रदत्त :—संविधान में एक निर्वाचन-आयोग (Election Commission) की व्यवस्था है। इसकी नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। इसमें एक मुख्य-निर्वाचन आयोग तथा उसके मातहत निर्वाचन आयोग और सहायी निर्वाचन आयोग होंगे। निर्वाचन आयोग की स्थापना कर दी गई है।

निर्वाचन-आयोग के निम्नलिखित काम हैं :—

(१) मतदान के निर्वाचन के लिये निर्वाचकों की सूची तैयार करना;

(२) राज्य के विधानमंडलों के निर्वाचकों की सूची तैयार करना;

(३) देश में होने वाले अन्य निर्वाचनों का निरीक्षण एवं नियन्त्रण;

(४) राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन का निरीक्षण एवं नियन्त्रण।

(५) मंत्रों तथा राज्यों के विधान-मंडलों के निर्वाचकों से पैदा हुए सर्व विवादों तथा संदेहों के निर्णय के लिये निर्वाचन न्यायाधिकरण (Election Commission) की नियुक्ति करेगा।

इस आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य यह है कि निर्वाचन निष्पक्ष हो। निर्वाचन आयोगों की सेवा की शर्तों और पदावधि के लिये राष्ट्रपति द्वारा नियम बनाये गये। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद के जैसे कारणों और नैतिकी नीति के बिना नहीं हटाया जा सकता जैसे कारणों और नीति से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जा सकता है अर्थात् वह अपने पद से केवल तभी हटाया जा सकता है जब कि कदाचार अथवा अयोग्यता के कारण समद के प्रत्येक सदस्य की समस्त सदस्य प्रकृष्टा के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई के बहुमत द्वारा उसके विरुद्ध प्रस्ताव पाम होने पर वह राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटा दिया जायगा। किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त को बिना मुख्य निर्वाचन-आयुक्त की सिफारिश के अपने पद से नहीं हटाया जा सकता है।

निर्वाचन के लिये समस्त देश को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया। संविधान में कहा गया था कि निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण इस प्रकार किया जायगा कि प्रति ७। लाख जनसंख्या के लिये एक से कम सदस्य नहीं होगा तथा प्रति ५००,००० जनसंख्या के लिये एक से अधिक सदस्य नहीं होगा। परन्तु संविधान में द्वितीय संशोधन ऐक्ट के द्वारा यह कहा गया कि निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण इस प्रकार होगा कि प्रति ५००,००० जनसंख्या के लिये एक से अधिक सदस्य न हो। इन क्षेत्रों का निर्माण निर्वाचन आयोग का काम है। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। यह यह कि जनसंख्या तथा प्रतिनिधित्व के बीच जो अनुपात एक क्षेत्र में हो वही बरकरार अन्य सब क्षेत्रों में भी हो। प्रत्येक जनगणना के बाद यह निर्वाचन क्षेत्रों का फिर से सर्गाठन करेगा। परन्तु अगर किसी जनगणना का फल उम समय निकले जब कि एक लोक सभा घन चुकी हो तो नये निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत चुनाव तभी होगा जब कि यह लोक सभा भंग हो जायेगी। मसदा ने इसी उद्देश्य में एन ऐक्ट के पास किया है जिसको Delimitation Commission Act of 1952 कहते हैं।

निर्वाचन-आयोग का काम निर्वाचकों की सूची बनाना भी है। प्रत्येक क्षेत्र के निर्वाचकों की एक सूची होगी। इस सूची में केवल धर्म जाति या वर्ण के कारण किसी का नाम सम्मिलित होने से नहीं रोका जायेगा। एन ऐक्ट केवल एन ही क्षेत्र से निर्वाचक हो सकता है। अगर उसका नाम मूल्यों से एक से अधिक जगह हो जाये तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह उन सब क्षेत्रों से मतदान कर सकता है।

सदस्यता की योग्यता — किसी व्यक्ति में लोकसभा की सदस्यता के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिये —

(अ) भारत का नागरिक हो।

(ब) उसकी आयु कम से कम २५ वर्ष की हो।

(स) ससद् ने **The Representation of the People Act, 1951**, द्वारा अन्य योग्यताएँ रखी हैं। इस ऐक्ट के अनुसार जम्मू-काश्मीर राज्य तथा अण्डमान-निकोबार द्वीपों के स्थानों के प्रतिरिक्त, लोकसभा में अन्य स्थानों के लिए कोई व्यक्ति तब तक योग्य नहीं समझा जावेगा जब तक कि वह—

(१) किसी राज्य में अनुसूचित जातियों (**Scheduled Castes**) के लिये सुरक्षित स्थान से चुने जाने को उस राज्य की या अन्य किसी राज्य की ऐसी जातियों का सदस्य न हो तथा किसी सांसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो।

(२) किसी राज्य में (आसाम के स्वायत्त जिलों के प्रतिरिक्त) अनुसूचित जन जातियों (**Scheduled Tribes**) के लिये सुरक्षित किसी स्थान से चुने जाने को उस राज्य की या आसाम जनजाति क्षेत्रों के प्रतिरिक्त अन्य किसी राज्य की ऐसी जनजाति का सदस्य न हो तथा किसी सांसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक न हो।

(३) आसाम के स्वायत्त क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित किसी स्थान के चुने जाने को उनमें से किसी जनजाति का सदस्य न हो तथा किसी ऐसे सांसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक न हो जिसके अन्तर्गत कोई ऐसा जनजाति स्वायत्त क्षेत्र हो।

(४) किसी अन्य स्थान से चुने जाने के लिये किसी सांसदीय निर्वाचन क्षेत्र (**Parliamentary Constituency**) का निर्वाचक (**elector**) न हो।

निम्नलिखित प्रकार के व्यक्ति इसके सदस्य नहीं हो सकते हैं —

(१) अगर वे भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के नीचे कोई सार्वजनिक पद धारण किए हों।

(२) किसी न्यायालय द्वारा पागल करार दे दिये गये हों।

(३) अगल दिवालिये हा ।

(४) अगल भारत के नागरिक न हा ।

(५) The Representation of the Peoples Act, 1951 नीचे लिखी अयोग्यतायें जोड़ दी गई हैं ।

(घ) अगल वे निर्वाचन सम्बन्धी किसी अपराध के अपराधी हो,

(ब) अगल किसी अपराध के लिए दो वर्ष से अधिक की सजा पाये हा तथा उनको छूटे हुये अभी ५ वर्ष का समय न हुआ हो;

(स) अगल सरकारी नौकरी में घेईमानी करने पर निकाले गए हो,

(द) अगल किसी सरकार सम्बन्धित ठेके में हिस्सेदार हो, या किसी सरकार से सम्बन्धित कारखाने में कोई हित हो ।

(राज्य-परिषद् की सदस्यता के लिए भी यही अयोग्यताएँ हैं ।)

लोकसभा की अवधि —साधारणतया लोकसभा की अवधि ५ वर्ष है और इसकी समाप्ति पर पुनर्निर्वाचन होगा । परन्तु लोकसभा इसके पूर्व भी भंग की जा सकती है । (प्रधानमंत्री के मांग करने पर राष्ट्रपति इसे भंग देगा ।) परन्तु यदि सकट-काल की घोषणा लागू हो ता उस दशा में लोकसभा की अवधि ५ वर्ष से अधिक बढ़ाई जा सकती है । इस दशा में सदस्य विधि के द्वारा इसकी अवधि एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ा सकती है । परन्तु किसी भी दशा में सकट काल की घोषणा की समाप्ति के पश्चात् ६ माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकेगी ।

लोकसभा के पदाधिकारी —लोकसभा में दो पदाधिकारी होते हैं— अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष । इनका निर्वाचन लोकसभा अपने सदस्यों में से ही बहुमत द्वारा करती है । उपाध्यक्ष का काम अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसने स्थान पर काम करना है । ये अपने पद पर साधारणतः तब तक रहेंगे जब तक लोकसभा भंग न हा जावे । नयी लोक सभा अपने अध्यक्ष का फिर चुनाव करेगी । परन्तु अध्यक्ष नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन तक अपना स्थान नहीं छोड़ेगा ।

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अगल लोकसभा के सदस्य न रहे ता उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा । वे अपने पद में इस्तीफा भी दे सकते हैं । उनके विरुद्ध लोकसभा अविश्वास का प्रस्ताव भी पास कर सकती है । ऐसे प्रस्ताव की कम

में कम १४ दिन पूर्व सूचना देनी होगी। अगर यह प्रस्ताव बहुमत से पास हो जावे तो उन्हें अपना पद त्यागना पड़ेगा।

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को वेतन तथा भत्ते मिलेंगे। ये समय समय पर समद द्वारा निर्धारित किए जावेंगे। परन्तु जब तक ससद इस विषय में कानून नहीं बनाती, उनको वही वेतन तथा भत्ते मिलेंगे जो कि संविधान सभा ने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को मिलते थे।

लोकसभा के अध्यक्ष को वेचल निर्णायक मत देने का अधिकार है। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित हो तो उसे सभा को कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। परन्तु वह पीठा-सोन (preside) नहीं होगा। उसे ऐसे प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार है, परन्तु वह इस पर निर्णायक मत नहीं दे सकता है।

इंग्लैंड में यह अधिसमय (Convention) है कि अध्यक्ष निर्वाचन होने पर दलबन्दी से अलग हो जाता है। श्री मावलांकर (मूलपूर्व अध्यक्ष) ने एक स्थल पर लिखा है कि भारत में यद्यपि अध्यक्ष निष्पक्षता-पूर्वक अपना काम करता है, परन्तु वह इंग्लैंड की कामन्स सभा के अध्यक्ष की तरह दलबन्दी से पूर्णतया अलग नहीं है। ऐसा भारत में शर्त शर्तें होना।¹

अध्यक्ष का काम लोकसभा की बैठकों में सभापति का आसन ग्रहण करना, सभा के अन्दर नियमों का पालन करवाना, मत गिनना तथा उनका फल बतलाना आदि है। वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भी सभापति का आसन ग्रहण करेगा। उसे यह अधिकार है कि वह इस बात का निर्णय करे कि कोई बिल धन-विधेयक (Money Bill) है कि नहीं।

अगर लोकसभा की बैठक में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो सभा स्वयं अपने एक सदस्य को अध्यक्ष चुन लेगी। अगर इन दोनों पदाधिकारियों के पद खाली हो जावें तो राष्ट्रपति अस्थायी माल के लिए लोकसभा के किसी सदस्य को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर देगा।

गरुपूरति — लोकसभा तब तक अपना कार्य शुरू नहीं कर सकती है जब तक उसमें एक निर्दिष्ट संस्था में सदस्य उपस्थित न हों। यह संस्था, संविधान द्वारा, कुल सदस्य संख्या का दसवां हिस्सा रखी गयी है।

संसद के सदस्यों की उन्मुक्तियाँ तथा वेतन —संसद के सदस्य अपना कार्य ठीक प्रकार कर सके इसलिये उन्हें कई अधिकार तथा उन्मुक्तियाँ प्रदान की गई हैं। उन्हें भाषण की स्वतन्त्रता है। परन्तु उन्हें संसद द्वारा निर्मित कार्यवाही के नियमों का पालन करना पड़ेगा। उन पर संसद अथवा इसकी किसी समिति में दिये हुए किसी भाषण के ऊपर किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। समय-समय पर संसद उनके अधिकारों के सम्बन्ध में कानून बनावेगी। परन्तु जब तक ऐसे कानून नहीं बनते हैं सदस्यों को वह सब अधिकार दिए गए हैं जो कि इंग्लैण्ड में कामन्स-भरमा के सदस्यों को प्राप्त हैं। संसद के सदस्य घोर अपराध (felony) तथा देशद्रोह को छोड़कर अन्य किसी अपराध के लिये संसद के अधिवेशन काल में पकड़े नहीं जा सकते हैं। संसद विधि द्वारा अपने सदस्यों के वेतन तथा भत्ते निश्चित करती है। संसद के यह निश्चय किया है कि इनके सदस्यों को प्रति मास ६००) वेतन तथा अधिवेशन के समय २१) प्रतिदिन की उपस्थिति के अनुसार भत्ता मिला करेगा इसके प्रतिरिक्त इनकी रेल के प्रथम श्रेणी का पार भो मिलेगा जिससे ये भारतवर्ष में कहीं भी घा जा सकते हैं।

संसद का सचिवालय —संसद के प्रत्येक सदन का एक-एक सचिवालय (Secretariat) होता है। इनका काम उनके दैनिक कार्य का संचालन है। इनके विषय में संसद को सत्र नियम निश्चित करने का अधिकार है।

संसद की कार्यवाही —किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह एक ही संसद के दोनों सदनों का सदस्य हो जावे। इसी प्रकार कोई व्यक्ति एक ही समय संसद का तथा किसी राज्य के विधान-मण्डल का सदस्य नहीं हो सकता है। वह केवल एक ही स्थान पर रह सकता है। इन विषय में संसद विधि निर्माण करेगी।

अगर कोई संसद का सदस्य ६० दिन तक बिना आज्ञा के संसद के अधिवेशन में अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता का अन्त हो जावेगा और दूसरे व्यक्ति का उस स्थान के लिये निर्वाचन होगा।

संसद के अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति का है। वही उसको स्थगित तथा भंग भी करता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन को बुलावेगा। केवल यह शर्त है कि पहले अधिवेशन की आगिरी तारीख तथा उसके अधिवेशन की पहिली तारीख के बीच ६ महीने से अधिक समय व्यतीत न हो।

चुनाव के पश्चात् जब संसद के सदनों का प्रथम अधिवेशन होता है उस

दिन संसद् के प्रत्येक सदस्य को एक शपथ लेनी पड़ती है कि वह संविधान के प्रति श्रद्धा रखेगा तथा अपने पद के कर्तव्यों को ठीक प्रकार निवाहेगा। यह शपथ इन प्रकार है।

मैं...अनुक... जो राज्य-परिषद् (अथवा लोकसभा) का सदस्य निर्वाचित (या नामजद) हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ (या मृत्युनिष्ठा ने प्रतिज्ञा करता हूँ) कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का ध्यापूर्वक पालन करूँगा। इसके बाद दूसरा वान लोबनना के अध्यक्ष का निर्वाचन है। राज्य-परिषद् का उभापति भारत का उप-राष्ट्रपति होता है।

चुनाव के पश्चात् प्रथम अधिवेशन तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन में राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधन रूप में संबोधित करेगा। राष्ट्रपति के भाषण में देश की परिस्थिति का अवलोकन होता है तथा सरकार की नीति पर प्रकाश डाला जाता है।

संसद का अधिवेशन माधारणतः १०-३० वजे सुबह में ५ वजे शाम तक रहता है। पहले घंटे में प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं और फिर अन्य कार्य किया जाता है। संसद का अधिक समय सरकारी बिलों को दिया जाता है परन्तु कुछ दिन गैर-सरकारी बिलों को भी दिये जाते हैं। संसद् अपने समय में केवल दसमास गैर-सरकारी बिलों को देती है।

संसद के सदनों में प्रत्येक बात बहुमत से निश्चित होती है। माधारणतः किसी बिल के कानून बनने में दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। परन्तु धन-विधेयक बिना राज्य परिषद की स्वीकृति के भी पास हो सकता है। जब संसद के दोनों सदनों में किसी बिल के ऊपर मतभेद होता है तो उनकी मंजूरी बँठक होती है। उसमें भी बहुमत से ही निर्णय होते हैं।

संसद् के किसी सदन की कार्यवाही तब तक प्रारम्भ नहीं हो सकती जब तक उसमें गण-पूर्ति (Quorum) न हो। यह सदस्य संख्या का दसवाँ हिस्सा है।

संविधान लागू होने से १५ वर्ष तक संसद में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग हो सकता है। परन्तु नभापति या अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह किसी सदस्य को अपनी भाषा में ही बोलने का अधिकार दे दे अगर वह उपरोक्त दोनों भाषाओं में से किसी में भी नहीं बोल सकता है।

१५ वर्ष समाप्त होने पर सब कायवाही हिन्दी में ही हुद्या करेगी । समद की कायवाही में मन्त्री गण भाग लेने हैं तथा जिम सदन के सदस्य हा वहाँ मतदान भी करत हैं । महा-प्रायवादी की कायवाही में भाग लेने का अधिकार है परन्तु मन देने का नहा ।

समद के अधिकार --उन अधिकारों को निम्नलिखित श्रेणियों में बाटा जा सकता है ।

- (१) कानून निर्माण सम्बन्धी अधिकार (Legislative)
- (२) शासन सम्बन्धी अधिकार (Administrative),
- (३) राजस्व सम्बन्धी अधिकार (Financial) ।
- (४) मविधान में मशोधन का अधिकार (Power of Amendment) ।

इनमें से प्रत्येक का श्रमण वर्णन किया जावेगा ।

(१) कानून निर्माण सम्बन्धी अधिकार --प्रत्येक लोकतन्त्रात्मक सरकार में जनता के प्रतिनिधि ही कानून बनाने हैं । अतएव समद का प्रथम काम कानून बनाना है । समद उन सब विषयों पर कानून बना सकती है जो कि मधीय सूची में वर्णित हैं । समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर भी समद को राज्यों की अपेक्षा प्राथमिकता तथा प्रधानता दी गई है । अवशिष्ट विषयों पर भी समद कानून बना सकती है ।

केन्द्रीय शासित प्रदेशों में विधि निर्माण का अधिकार समद को ही है । स्वायत्त राज्यों के विषय में भी यदि राज्य परिषद ने दो तिहाई मत से प्रस्ताव पास करने पर समद इन राज्यों के लिए भी कानून बना सकती है । एम प्रस्ताव का प्रभाव एक समय में केवल एक वर्ष रहेगा । इस काल के अन्दर पाम कानून का प्रभाव इस एक वर्ष के समाप्त होने पर ६ मास और रहेगा ।

जब देश में राष्ट्रपति सकट की घोषणा कर दे उस अवसर पर समद राज्यों के सूची में वर्णित किसी विषय पर कानून बना सकती है । ऐसे कानून का प्रभाव सकट काल समाप्त होने के पश्चात् ६ महीने तक रहेगा । यदि किसी समय दो या अधिक स्वायत्त राज्यों के विधान मंडल ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि उनके सम्बन्ध में, राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर समद ही कानून बनाये ता समद ऐसा करेगी । यदि किसी अन्य स्वायत्त राज्य का विधान मंडल बाद को उस कानून को स्वीकार कर ले तो वह कानून उस राज्य में भी लागू हो जायगा ।

संसद को यह भी अधिकार है कि किसी बाहरी देश से ली हुई सन्धि अप्रवापिनी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किये हुये किसी निश्चय के पालनायें भारत के विनी भी क्षेत्र के लिये विधि निर्माण कर सकती है ।

(२) शासन सम्बन्धी अधिकार — जनता के प्रतिनिधियों का काम सरकार की नीति निर्धारित करना है इसके नाप-नाय यह देखना भी है कि-इम नीति का कार्यपालिका अनुसरण कर रही है । इसलिए व्यवस्थापिका कार्यपालिका को नियमित भी करती है । अगर ऐसा न हो तो कार्यपालिका मनमानी करने लगे । इसलिए जनता के प्रतिनिधियों का यह काम है कि कार्यपालिका को ऐसा काम करने से रोके जो कि जनता के हितों के विरुद्ध है । भारतीय पद्धति की सरकार में यथायं कार्यपालिका अपने पद पर तभी तक रह सकती है जब तक उस पर समद का विश्वास है । अगर यह विश्वास उठ जावे तो मन्त्रपरिषद को इस्तीफा देना होगा । संसद शासन सम्बन्धी नीति पर नियन्त्रण, प्रश्न पूछ कर, प्रस्ताव पाम कर तथा वादविवाद (debates) के द्वारा रखती है ।

प्रश्न :—हर एक बैठक के शुरू में कुछ समय प्रश्नों को दिया जाता है । इन प्रश्नों का उद्देश्य सरकार से विविध विषयों के ऊपर जानकारी प्राप्त करना है । सरकार का ध्यान जनता के कष्टों की ओर अप्रवापिनी सरकारी कर्मचारों द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग की ओर आकर्षित करना भी हो सकता है । प्रश्नों की सूचना कुछ दिनों पूर्व देनी होती है । सरकार कभी-कभी प्रश्नों का उत्तर नहीं भी देती है । यह कहा जाता है कि उत्तर सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा । सदस्यों को अधिकार है कि प्रश्नों के उत्तर शासन अधिक स्पष्ट करने के हेतु वे पूरक-प्रश्न भी पूछ सकते हैं । पूरक-प्रश्नों की पहिले से सूचना नहीं देनी होती है ।

इन प्रश्नों का बहुत महत्व है । इसके कारण सरकार को सर्वदा चौक-प्रा रहना पड़ता है । सरकारी अधिकारी मनमानी करने से डरते हैं तथा भ्रष्ट नहीं होते हैं । अप्रत्यक्ष रूप से इन प्रश्नों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है ।

प्रस्ताव :—प्रस्तावों तथा प्रश्नों में भेद है । प्रस्तावों का उद्देश्य सरकार से किसी विषय पर जानकारी प्राप्त करना नहीं परन्तु सरकार से कोई काम करने की सिफारिश करना है । प्रस्तावों के लिए भी पूर्व-सूचना आवश्यक होती है । पेश होने पर उनके ऊपर बहस होती है । अगर कोई प्रस्ताव पाम भी हो जावे तो सरकार पर निर्भर है कि उसको माने या न माने । माघारपत्र : सरकार उसको कुछ न कुछ मत्प अप्रत्यक्ष देगी ।

इससे अतिरिक्त अन्य प्रकार के प्रस्ताव भी होने हैं। कभी-कभी ससद में काम स्थगित करने के लिए (Adjournment motion) प्रस्ताव रखा जाता है। ऐसा किसी महत्वपूर्ण प्रश्न, या किसी विशय घटना पर बहस करने के लिए किया जाता है। कभी-कभी जब सरकार का किसी प्रश्न का उत्तर न्यायजनक नहीं होता तब भी ऐसा प्रस्ताव पेश किया जाता है। एम प्रस्ताव प्रश्न के घंटे (Question hour) के पश्चात् रखे जाते हैं। सभापति या अध्यक्ष का अधिकार है कि वह अगर उस बात का महत्वपूर्ण नहीं समझता है तो प्रस्ताव का अस्वीकार करे। इस दशा में प्रस्ताव पेश नहीं होगा। अगर अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त हो गयी तो बैठक के आखिरी समय में इस पर बहस होती है। अगर यह पास हो जावे तो सरकार के विरुद्ध निन्दा के प्रस्ताव (Vote of Censure) के समान है इसलिए सरकार की ओर में कीर्तिशय रहती है कि इस प्रस्ताव पर बहस ही होती रहे और निश्चित समय के अन्दर इस पर मत लेने का अवसर न आवे। इस प्रकार प्रस्ताव talked out हो जाता है। साधारणतः सरकार का ओर से यह कहा जाता है कि वह कष्ट को दूर करने की चेष्टा करेगी और इस प्रकार प्रस्ताव पर मत लेने का अवसर नहीं उठता है।

तीसरे प्रकार का प्रस्ताव अविश्वास का प्रस्ताव (Vote of no-confidence) कहलाता है। अगर यह पास हो जावे तो मन्त्रपरिषद् का इस्तीफा देना होगा। ऐसा प्रस्ताव तभी पेश हो सकता है कि जब कि सदस्यों की एक निश्चित संख्या उसके पक्ष में खड़ी हो। इसके लिए एक विशेष दिन निश्चित किया जाता है। परन्तु ऐसे प्रस्ताव का अवसर साधारणतः कभी नहीं आता है। मन्त्रपरिषद् ससद के अविश्वास के कारण नहीं परन्तु जनता के अविश्वास के कारण त्यागपत्र देती है। इसलिये चुनाव के फलस्वरूप ही मन्त्रपरिषद् बदलते हैं।

यादविवाद -- इसमें तात्पर्य यह है कि सरकारी नीति सम्बन्धी किसी विशेष बात पर ससद में बहस होती है। ऐसी बहस का निश्चय माता सरकार ही स्वयं करती है या विरोधी दल इसकी माँग रखता है। इस पक्ष पर सरकार की नीति की विरोधी दल विस्तृत झगड़ना करते हैं और सरकारी पक्ष भी अपनी नीति की विस्तृत व्याख्या करते हैं। इन बहसों में यह लाभ है कि सरकार को यह मालूम हो जाता है कि जनता में उसकी नीति के लिये क्या भावना है।

(३) महाभियोग का अधिकार:—समद को, जैसा हम लिस चुके हैं, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का अधिकार भी संविधान द्वारा दिया गया है। इस अधिकार का आशय यह है कि यदि कोई राष्ट्रपति संविधान का प्रतिफलन करे तो समद, जो कि देश की पूर्ण जनता की प्रतिनिधि है, उसे अपदस्थ कर संविधान की रक्षा करे। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव जनसदों के किसी भी सदन में प्रारम्भ ही सकता है।

(४) राजस्व सम्बन्धी अधिकार.—सत्रहवीं सताब्दी में जब यूरोप में प्रजातन्त्रवादी विचार फल रहे थे तब यह भांग उठी कि no taxation without representation। तब से यह बात नब मानते हैं कि राजस्व तथा वित्त के ऊपर जनता के प्रतिनिधियों का अधिकार है। इसी कारण सर्वत्र लोकतन्त्रात्मक पद्धति में इस विषय पर व्यवस्थापिका का ही अधिकार है। भारत में भी समद को यह अधिकार दिया गया है। इन प्रकार देश का आय-व्यय समद ही निश्चित करती है। बिना संसद की स्वीकृति के कोई नया कर नहीं लगाया जा सकता है, किसी प्रकार का खर्च (निर्वाय अनिर्वाय व्यय के) नहीं किया जा सकता है, न सरकार कोई ऋण ले सकती है। परन्तु एक बात नहीं भूलनी चाहिये कि मन्त्रिपरिषद् संसद में बहुमत बल का नेता होने के कारण जो कुछ चाहता है करवा लेता है। इसलिये यथार्थ में वित्त के ऊपर समद का अधिकार नाममात्र का होता है। परन्तु सम्बन्धी कोई भी विरुद्ध केवल मन्त्रिपरिषद् की ओर से ही पेश हो सकता है और इसके लिये राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। अन्य कोई सदस्य इस प्रकार का बिल पेश नहीं कर सकता।

(५) संशोधन का अधिकार.—जैसा कि पहिले बतलाया जा चुका है संशोधन का प्रस्ताव केवल संसद में ही प्रस्तुत हो सकता है। संसद के किसी भी सदन में ऐसा प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। केवल उन विषयों को छोड़कर जो कि राज्यों के अधिकारों से सम्बन्धित हैं, अन्य सब मामलों में संविधान में परिवर्तन समद के दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत होने पर और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर ही जाता है। राज्यों के अधिकारों से सम्बन्धित विषयों पर संशोधन के लिये आधे से अधिक स्वायत्त राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। राज्यों को अपने विधान में भी परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है।

विधान प्रक्रिया (Legislative Procedure) (१) साधारण बिल की प्रक्रिया — जब किसी विषय में कोई कानून बनाना होना है, तो सर्वप्रथम उक्त विषय में सम्बन्धित मन्त्रपरिषद् का विभाग (गैर-सरकारी होने पर सदन स्वयं ही) एक प्रारूप (draft) बनाता है। इसको बिल कहते हैं।

कोई भी बिल, सिवाय धन सम्बन्धी तथा आर्थिक तथा विलो के, मसद् के किसी भी सदन में आरम्भ हो सकता है। धन-सम्बन्धी तथा आर्थिक बिल केवल लोकसभा में ही आरम्भ हो सकते हैं। जब बिल एक सदन में पार हो जाता है, तब वह दूसरे सदन में जाता है। अगर वहाँ भी पास हो गया तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर कानून बन जाता है।

दोनों सदनों में आपस में किसी बिल के ऊपर मतभेद हो सकता है। अगर कोई बिल एक सदन में तो पार हो गया हो, परन्तु दूसरे सदन द्वारा प्रस्वीकृत कर दिया जावे, या दूसरा सदन उसमें कुछ संशोधन कर दे जो कि पहले सदन को मजूर न हो या दूसरा सदन उक्त बिल को छ महीने तक रोकें रखे, तो इस मतभेद के होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलावेगा। इस बैठक में उपस्थित सदनों का बहुमत प्राप्त करने पर वह बिल दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत समझा जायगा। परन्तु धन-विषयको पर यह ध्यान लागू नहीं होगी।

परन्तु संयुक्त बैठक में—(१) यदि बिल दूसरे सदन द्वारा बिना किसी संशोधन के उस सदन को लौटा दिया गया है, जिसमें कि वह पार हो चुका है, तो सिवाय उन संशोधनों के जो कि बिल के पास होने में देरी के कारण आवश्यक हो गये हैं, और कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा,

(२) यदि बिल दूसरे सदन द्वारा कुछ संशोधनों सहित वापिस किया जाता है, जो कि पहले सदन को मान्य नहीं है, तो इन संशोधनों के तथा ऐसे संशोधनों के जो कि पार होने में देरी के कारण आवश्यक हो गये हैं, अन्य किसी संशोधन पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

जब कोई बिल सिवाय धन-विषयक के दोनों सदनों द्वारा पार होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिये भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि वह अपनी अनुमति दे अथवा न दे। बिना उसकी अनुमति के बिल कानून नहीं बन सकता है। वह बिल को अपनी सिफारिशों के सहित मसद् के पुनर्विचारार्थ यथाशीघ्र वापिस भी कर सकता है। अगर बिल फिर से मसद् द्वारा राष्ट्रपति की सिफारिशों सहित या उनके बिना पार किया जाता है तो

राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं रोकेगा। संविधान में यह स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रपति कितने समय के अन्दर बिल को सतद् के पुनर्विचारार्थ लौटा दे। इस-लिये एक तीसरी सम्भावना भी है। राष्ट्रपति विधेयक को अनिश्चित समय के लिये अपने पास पड़ा रहने दे। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की बड़ी शक्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

परन्तु राष्ट्रपति की यह बड़ी शक्ति (veto power) सामद-शक्ति के सिद्धान्तों से साम्य नहीं रखता है। इंग्लैंड में राजा को विशेषाधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति न दे परन्तु सन् १७०७ से लेकर आज तक ऐसा एक भी दृष्टान्त नहीं मिलता है जब कि उसने अपनी अनुमति न दी हो। यहाँ तक कि भव विद्वानों के अनुसार उसका अनुमति न देना अवैधानिक होगा।

(२) धन-विधेयक विषयक प्रक्रिया :—धन-विधेयकों से तात्पर्य निम्न-लिखित विषयों में सम्बन्ध रखने वाले बिलों से है :

(क) किसी कर का लगाना, हटाना, बदलना या उसमें कमी करना।

(ख) भारत सरकार के ऋण लेने या किसी प्रायिक भार (Financial Obligation) से सम्बन्ध रखने वाले किसी कानून में बदलाव करने सम्बन्धी कोई नियम।

(ग) भारत की सचिव-निधि अथवा प्राकस्मिकता निधि की अभिरक्षा (custody) या ऐसी किसी निधि में धन डालना या उसमें से निकालना।

(घ) भारत की सचिव निधि में से धन का विनियोग (appropriation)।

(ङ) किसी व्यय को भारत की सचिव निधि पर भारित घोषित करना, अथवा ऐसे किसी व्यय की राशि को बढ़ाना।

(च) भारत की सचिव निधि के या भारत के लोक लेखे (public accounts) के मध्य धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या निष्ठा करनी अथवा मय-राज्य के लेखाओं (accounts) का लेखा परीक्षण (audit) करना।

(छ) ऊपर उल्लिखित विषयों में से किसी का धान्पणिक कोई विषय।

अगर वही यह सन्देह हो कि कोई बिल धन विधेयक है कि नहीं तो लोकसभा के अध्यक्ष का निश्चय अन्तिम होगा।

/ धन विधेयक बिल लोकसभा में ही आरम्भ हो सकते हैं। बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के ऐसा बिल पेश नहीं किया जा सकता है। ऐसा बिल लोकसभा में पास होकर राज्य-परिषद् में जाता है। अगर राज्य परिषद् उसे १४ दिन के अन्दर अपनी सिफारिश सहित लोकसभा की वापिस कर देती है तो लोकसभा उन सिफारिशों पर विचार करेगी। इसको यह स्वतन्त्रता है कि यह उन सिफारिशों का माने या न माने। अगर नहीं मानती तो बिल बिना इन सिफारिशों के पास समझा जावेगा। अगर राज्य-परिषद् १४ दिन के अन्दर बिल को वापिस नहीं कर देती है तो बिल स्वयमेव पास समझा जायगा। इस प्रकार दोनों में धन विधेयक पर मतभेद होने की स्थिति में संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देवेगा।

राज्य परिषद् को धन-सम्बन्धी बिलों के सम्बन्ध में कोई भी अधिकार नहीं है। इंग्लैण्ड में लार्ड सभा को भी १०-११ से धन सम्बन्धी बिलों में कोई अधिकार नहीं रह गया है। वह ऐसे बिलों को केवल ३० दिन तक रोक सकती है। भारत में केवल १४ दिन समय दिया गया है। इंग्लैण्ड में भी धन विधेयक कामन्स सभा में ही आरम्भ होते हैं। अमेरिका में धन-विधेयक निचले भवन में ही आरम्भ होते हैं परन्तु ऊपर भवन को उसमें सशोषण का अधिकार है। इस अधिकार का प्रयोग वह खूब सलकर करता है। ऐसे उदाहरण हैं जहाँ कि मिवाय बिल के नाम (title) के अन्य सब बातें ऊपरी भवन द्वारा बदल दी गई थी।

(३) वित्तीय प्रक्रिया (Financial Procedure) — हर साल वित्तीय वर्ष के आरम्भ में राष्ट्रपति ससद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार का वार्षिक वित्त विवरण रखवायेगा। इसमें भारत सरकार के उस वर्ष के धाय व्यय का अनुमान होगा। इस विवरण में दो तरह के व्यय का अनुमान होता है —

- (१) वह व्यय जो कि अनिवार्य है।
- (२) वह व्यय जिसके लिए ससद की आज्ञा मांगी जाती है।

अनिवार्य व्यय के ऊपर ससद में बहस हो सकती है, पर इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। दूसरे प्रकार के व्यय को ससद चाहे तो पास करे या

कम कर दे, या मन्वीकार कर दे। अनिवार्य व्यय से तात्पर्य उस व्यय से है जो कि संविधान में भारत को संचित निधि (Consolidated Fund) पर हिसलाया गया है। इसमें नीचे लिखे व्यय आते हैं।

(क) राष्ट्रपति की उपलब्धियाँ, भत्ते तथा उसके पद से सम्बन्धित अन्य व्यय।

(ख) राज्य-परिषद के सभापति तथा उप-सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते।

(ग) भारत सरकार के ऋण पर दिया जाने वाला व्याज तथा अन्य व्यय।

(घ) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ते तथा पेंशन फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन तथा संविधान लागू होने के पूर्व ब्रिटिश भारत के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन।

(ङ) भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ते तथा पेंशन।

(च) किसी न्यायालय के निर्णय के कारण भुगतान के लिए अपेक्षित राशि।

(छ) सघीय लोक-सेवा-भाषा से सम्बन्धित खर्च।

(ज) राजाओं का प्रिवी-भत्त।

(झ) संसद से विधि द्वारा इस प्रकार अनिवार्य घोषित किया हुआ कोई और व्यय।

उपरोक्त व्ययों के प्रतिरिक्त अन्य व्ययों के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश से लोकसभा में मांगें रखी जावेंगी। लोकसभा के इन मांगों को स्वीकार कर लेने पर भारत सरकार के सब प्रकार के व्यय के लिए लोकसभा में एक विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) रखा जाता है। बिना इसके पास हुए संचित निधि में से खर्च नहीं किया जा सकता है।

अगर वर्ष के बीच में कोई खर्च का नया मद मा जावे जिसका कि बजट में उल्लेख नहीं है, या किसी विषय पर बजट में स्वीकृत राशि से अधिक खर्च हो जावे तो राष्ट्रपति अनुपूरक तथा पछिकाई मांग (Supplementary and additional grants) कर सकता है। इन मांगों की प्रक्रिया भी साधारण मांगों की तरह है।

लोक सभा को यह भी अधिनियम है कि वह वित्तीय प्रक्रिया के पूरे हानक पर ही सरकार का कुछ पेशगी धन अलग उसका काम चलाने के लिए स्वीकार करे। वित्त प्रक्रिया के सम्बन्ध में तीन बातें ध्यान में रखनी चाहिए —

(१) कोई भी धन-विधेयक बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के पेश नहीं हो सकता है।

(२) ऐसा विधेयक केवल लोकसभा में प्रारम्भ हो सकता है तथा राज्य परिषद का इसके ऊपर कुछ भी अधिकार नहीं है।

(३) लोकसभा का यह अधिकार है कि वह बजट को स्वीकार करे अथवा अस्वीकार करे या किसी ध्येय-राशि का कम करे। परन्तु वह न कोई नए कर का सुझाव रख सकती है और न कोई व्यय राशि का बड़ा कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव केवल किसी मन्त्री द्वारा राष्ट्रपति की सिफारिश से पेश किया जा सकता है।

जब बजट पास हो जाता है तब धन के लिए उगाये जाने वाले करों के प्रस्ताव वित्तीय विधेयक (Financial Bill) के रूप में पेश किए जाते हैं। ये केवल लोक सभा में ही प्रारम्भ हो सकते हैं।

संसद पर एक आलोचनात्मक दृष्टि — भारत की संसद एक स्वतन्त्र राज्य की संसद है। इसलिए यह किसी प्रकार के बाहरी नियन्त्रण से बंधा नहीं है। परन्तु भारत में संपारमक सरकार है इस कारण राष्ट्रीय संसद के अधिकार राज्यों के अधिकारों से सीमित हैं। परन्तु समय-समय पर संसद की प्रधानता है तथा संवैधानिक घोषणा होने पर यह राज्य-सूची पर भी कानून बना सकती है। अधिकांश अधिकार भी इसी को प्राप्त हैं। संसद द्वारा बनाया हुआ कोई भी कानून अगर न्यायालयों द्वारा अर्थ में घोषित कर दिया जाय तो यह फिर लागू नहीं होगा। हम लिये चुके हैं कि सभ्य सरकार में न्यायपालिका संविधान की संरक्षक होती है। एकारमक सरकार में न्यायपालिका को इस प्रकार का अधिकार नहीं होता है उदाहरणार्थ इंग्लैंड।

संसद में लोकसभा के लिए अथवा अर्ध-अधिकार दिया गया है। इस प्रकार की व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति निवृत्त है। कुछ लोग के विचार हैं भारत की जनता अल्प तथा भ्रष्ट है। इसलिए यह अधिकार सभा का टाक नहीं है। परन्तु लोकतन्त्रात्मक सरकार का आधार है यह सिद्धान्त है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपने अर्थ-सुरे की पहचान है। राज्य-परिषद का निवृत्त

अप्रत्यक्ष रखा गया है। सघात्मक देशों में साधारणतः ऊपरी नदन में प्रत्येक राज्य के बराबर प्रतिनिधि होते हैं परन्तु भारत में ऐसा नहीं है।

लोकसभा के लिये मानुपातिक-प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) को नहीं अपनाया गया है। इसके लिए यह कहा गया है कि इस प्रणाली का दोष यह है कि इनसे देश में अनेक दल बन जाते हैं क्योंकि प्रत्येक का विश्वास तो रहता ही है कि उसके कुछ न कुछ प्रतिनिधि चुने जायेंगे। ऐसी अवस्था में स्थायी मन्त्रिपरिषद् निर्मित नहीं हो सकती है। परन्तु यह नहीं भूलना चाहिये कि बिना इस प्रणाली को अपनाने हुए जनता का वास्तविक-प्रतिनिधित्व अनाम्बव है। कुछ लेखकों ने इंग्लैंड के लिए भी मानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाने को लिखा है, उदाहरणार्थ रामजे म्यूर।

निर्वाचन में साम्प्रदायिक-प्रतिनिधित्व तथा पृथक् निर्वाचन प्रणाली के लिये भी स्थान नहीं रखा गया है।

लोकसभा जनता की प्रतिनिधि है तथा राज्य-परिषद राज्य की। संविधान द्वारा राज्य-परिषद को पूर्णतया शक्तिहीन बनाया गया है। साधारण बिलों के ऊपर अगर राज्य-परिषद कोई संशोधन करे जिसे लोकसभा न माने तो संयुक्त बैठक की व्यवस्था है। परन्तु लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्य-परिषद के सदस्यों की संख्या से अधिक होती है, इसलिए साधारणतः संयुक्त बैठक में भी लोकसभा की ही बात रहती। धन-विधेयकों पर तो राज्य-परिषद का इतना भी अधिकार नहीं है। अधिक न अधिक उन्हें १४ दिन तक रोक सकती है।^१

संविधान द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति दे, या इसे संसद के विचारार्थ एक संदेश सहित फिर लौटा दे। इसको veto कहते हैं। परन्तु अगर संसद लौटाये हुए बिल को फिर से साधारण बहुमत से पास कर दे तो राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं रोक सकता है। ऐसी शक्ति अन्य देशों में भी कार्यपालिका के मुखिया के पास है। इंग्लैंड में सम्राट को absolute veto का अधिकार है। परन्तु यह कभी प्रयुक्त नहीं होता है। कुछ लेखकों के मत में अब यह अधिकार रह नहीं गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति को भी veto का अधिकार है। परन्तु अगर वहाँ की कांग्रेस फिर से उस बिल को दो तिहाई बहुमत द्वारा पास

१. इस विषय पर आगे पूरी प्रकार से विचार किया गया है।

कण्डला राष्ट्रपति अपना अनुमति नहीं रख सकता है। क्योंकि भारत में गणतंत्र-संस्था है इसलिए राष्ट्रपति अपने veto का मन्त्रपरिषद् की राय से प्रयोग करता।

समस्त व दो सदन के मुख्य अध्यक्ष — प्रधान मंत्री न ६ मई १९५३ को मदन कदासना की संयुक्त बैठक में कहा था कि संविधान दोना सदन का समान मानता है बल्कि वितीय विषय गोणमभा व ही अधिकार सन के अन्तगत है। विताय विषया के निष्पद करन में गोणमभा का अध्यक्ष ही अधिकारम निष्पाय है। परंतु यह कहन में कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि भारतीय संविधान में ऊपरा सदन न बवल विताय सदन है अपितु गोणमदन है तथा संविधान निमाताशा का उद्देश्य ही इस गोण सदन बनान का था।

राज्य परिषद् यद्यपि राज्या की प्रतिनिधि सभा है तथापि इसकी यह स्थिति भी सुदृढ़ नहीं है। क्योंकि यह नहीं भूना चाहिए कि राज्य परिषद् में सभ का इकाइया का समान प्रतिनिधित्व नहीं है जैसा कि हम अमरिकी द्वितीय सदन (सोनट) में पाते हैं। राज्य परिषद् में विभिन्न राज्या का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर रखा गया है। भारत की राज्य परिषद् में यह भावना दृष्टिगोचर नहीं होती कि यह सघोय इकाइया की संरक्षक है जैसा कि अमरिकी सदन में होता है।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि मन्त्रपरिषद् के सदस्य राज्य-परिषद् भी हो सकते हैं और प्रधान मंत्री भी राज्य-परिषद् का ही सदस्य हो सकता है परंतु मन्त्रपरिषद् गणसभा के प्रति उत्तरदायी है न कि राज्य परिषद् के प्रति। इस कारण यह स्वाभाविक है कि गणसभा का महत्व अधिक हो जायगा। इसके साथ ही साथ लोकसभा का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप

1 कुछ लोगका न जिया है कि भारत के राष्ट्रपति का veto कियो विरु को बंधन स्वगिन कर सकता है। परंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति इससे बही अधिक है

The veto power of our President is a combination of the absolute suspensive and pocket vetoes Basu Ibid p 340

2 The Constitution treats the two Houses equally except in certain financial matters which are to be the sole view of the House of the People In regard to what these are the speaker is the final authority Pt Nehru in May 6th 1953

से होता है और लोकसभा जगता की प्रतिनिधि है, इन कारण भी लोकसभा का महत्व बढ़ जाता है ।

राज्य-परिषद् को, जैसा बतलाया जा चुका है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में तथा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्तावित करने में भाग लेने के अधिकार दिये गये हैं । परन्तु इनके अतिरिक्त राज्य-परिषद् के कोई कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार नहीं हैं ।

व्यवस्थापन के क्षेत्र में भी मन्द् के दोनों सदनों के समान अधिकार नहीं हैं । वित्तीय व्यवस्थापन के सम्बन्ध में लोकसभा को निम्नलिखित प्रभाव है तथा राज्य सभा के अधिकार अत्यन्त ही सीमित हैं । वित्तीय तथा अन्य सम्बन्धी विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है । इन मदन में पारित होने पर यह द्वितीय सदन को भेजा जाता है । द्वितीय सदन इन विधेयक को चौदह दिन के अन्दर अपनी निफारितो सहित लोकसभा को वापिस करदे । लोकसभा इन निफारितों को माने या न माने । यदि राज्यपरिषद् १४ दिन के भीतर इसे वापिस नहीं करती तो यह उभो रुन में दोनों सदनों द्वारा पारित मन्दा जायगा जिस रूप में यह लोकसभा में पास हुआ था ।

साधारण विधेयको के सम्बन्ध में यद्यपि दोनों सदनों के अधिकार समान रख गये हैं तथा मतभेद होने पर मन्दा बँटन में लोकसभा की मन्दा मन्दा, राज्यपरिषद् से लगभग दुगुनी होने के कारण यह स्वाभाविक है कि लोकसभा का ही दृष्टिकोण माना जायगा ।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि लोकसभा ही मन्दा का प्रभावी तथा प्रमुख सदन है । इन स्थिति में परिवर्तन सम्भव नहीं है । अमेरिका के मन्दिधान निर्माताओं का भी यही विचार था कि यहाँ का निचला सदन जो प्रतिनिधि सभा कहलाता है प्रमुख सदन होगा । किन्तु वहाँ कालान्तर में इसके विपरीत, अनेक कारणों से ऊपरी सदन प्रमुख सदन हो गया । परन्तु भारत में ऐसा होना असम्भव है । इसका कारण यह है कि यहाँ सांसदीय व्यवस्था है । फलस्वरूप कार्यपालिका का मुख्य उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति ही रहेगा ।

भारत का नियन्त्रक महालेखा परीक्षक :—इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है । उसका वेतन तथा सेवा की गते संनद विधि द्वारा निश्चित करेगी । प्रत्येक व्यक्ति जो इस पद में नियुक्त किया जायगा राष्ट्रपति के सम्मुख अपने पद की शपथ लेगा । अपने पद से अवकाश ग्रहण करने के बाद नियन्त्रक महालेखा परीक्षक भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार

क अधीन और कोई पद नहीं ग्रहण कर सकता है। वह अपन पद में केवल उसी प्रकार हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय का चीफ न्यायाधीश अर्थात् जब संसद के दोना सदन एक ही अधिवेशन में सब सदस्यों के बहुमत तथा उपास्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत में राष्ट्रपति से उमका हटान की योजना कर।

नियन्त्रक महात्वा परीक्षक का काम बहुत महत्वपूर्ण है। वह यह देखता है कि प्रत्येक विभाग उतना ही खर्च करे तथा उही विषया पर खर्च कर जितना कि संसद ने निश्चित किया है। अधिवेशन में यह कहा है कि वह सब राज्यों तथा अन्य अधिकारियों के लक्षाओं के सम्बन्ध में ऐस कृतव्या का पालन करेगा जैसा कि संसद निश्चय करे। परन्तु जब इस विषय में संसद कानून नहीं बनाती है तब तक उसके काम नहीं होंगे जो कि अधिवेशन लागू होने के पूर्व भारत के महालेखा परीक्षक के काम में। सब तथा राज्यों के लक्षाओं को किस प्रकार रखा जावे इसका निश्चय वह राष्ट्रपति के अनुमोदन में करेगा। उसके सब लेखा सम्बन्धी रिपोर्टों को संसद में रखवावेगा। राज्य लेखा सम्बन्धी रिपोर्टों को राज्यपाल उस राज्य के अधिवेशनमण्डल के सामने रखवावेगा।

नियन्त्रक महात्वा परीक्षक को संसद में भाग लेने का अधिकार है परन्तु मतदान का नहीं।

मई १९५३ के प्रारम्भ में संसद द्वारा एक विधेयक [The Comptroller and Auditor General (Condition of Service Bill) 1953] स्वीकृत किया गया है जिसके अनुसार इस पदाधिकारी का कार्यकाल ५ वर्ष के स्थान पर ६ वर्ष कर दिया गया है। यह भी इस विधेयक द्वारा निश्चित किया गया है कि अवकाश ग्रहण करने पर उसे ₹२००० प्रति वर्ष पेंशन मिलेगी।

परिशिष्ट

(अ) भारत संसार में सबसे बड़ा लोकतन्त्रात्मक देश है। यहाँ निर्वाचकों की सहायता, गत निर्वाचन (१९५७) में १९२१ २९ ९२० थी। पिछले निर्वाचन के समय इनकी सहायता केवल १७ करोड़ ३२ लाख थी। विभिन्न राज्यों में निर्वाचकों की सहायता इस प्रकार थी।

आघ	१,७६,६०,६६५	पजाब	११,१२,७४३
आसाम	४३,७५,०८९	राजस्थान	८६,९३,०३१
बिहार	१,९५,६३,७४७	उत्तर-प्रदेश	३,४७,७०,४३४
बम्बई	२,४३,८६,५२५	पश्चिमी बंगाल	१,५१,८१,०६१
केरल	७५,५९,०४७	दिल्ली	९,७६,३६१
मध्य प्रदेश	१,३८,८०,२०९	हिमाचल प्रदेश	६,८४,६२८
मद्रास	१,७५,९९,०५६	मनीपुर	३,३०,१११
मैसूर	१,०१,२३,६१८	त्रिपुरा	३,४५,८४९
उड़ीसा	७९,५१,८०५		

(ब) १९५७ के निर्वाचन में लगभग ४९*२ प्रतिशत मतदाताओं ने मत दिया। गत निर्वाचन में केवल ४४*२ प्रतिशत ने भाग लिया था।

लोक सभा के लिये समस्त देश में ३८५ एक सदस्यीय तथा ८ द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र स्थापित किये गये थे। ७४ स्थान परिगणित आतियों तथा ०९ स्थान परिगणित जन-जातियों के लिये सुरक्षित रखे गये थे। इस चुनाव में कोई भी निर्वाचन क्षेत्र त्रिसदस्यीय क्षेत्र नहीं था।¹

भारत की विद्याल जनसंख्या के कारण निर्वाचन अत्यन्त ही बड़ा काम है। निर्वाचन आयोग को इस बार लगभग २९,६०,००० लोहे की मतपेटियाँ बनवानी पड़ी और दस लाख से भी अधिक कर्मचारी को चुनाव कार्यों में लगाता पड़ा।

इस बार निर्वाचन के लिये ३ लाख से कुछ अधिक निर्वाचन घरों (polling stations) की आवश्यकता हुई। गत चुनाव में केवल १,९६,०८४ निर्वाचन-घर थे।

(स) निर्देशन पत्र—निर्वाचन के लिये लड़े होने वाले प्रत्याशी (candidate) के लिये यह आवश्यक था कि वह निर्वाचन अधिकारी द्वारा घोषित नियत विधि से पूर्व अपना निर्देशन पत्र दो मतदाताओं के हस्ताक्षर सहित, एक नाम प्रस्तुत करने वाला (proposer) तथा दूसरा अनुमोदन करने वाला (seconder) तथा उस पर अपनी लिखित सहमति के निर्वाचन अधिकारी को स्वयं भयना इन उपर्युक्त दो व्यक्तियों में से किसी एक द्वारा जमा करदे। यदि वह सदस के लिये प्रत्याशी था तो उसे ५००) अपने निवेदन पत्र के साथ जमा करना होता था।

¹ ये आँकड़े Hindustan Year Book 1957, p. 630-631 में लिये गये हैं।

इन निवेदन पत्रा की निर्वाचन अधिकारी द्वारा जांच होगी है और जो ठीक समझे जाते हैं वेचल वही प्रत्याशी निर्वाचन में खड़े हो सकते हैं। इनके पश्चात् इनको कुछ समय इनके लिये भी दिया जाता है कि यदि वे चाहें तो प्रपना नाम वापिस ले सकते हैं।

(द) मतदान पूर्णतः गुप्त होता है। प्रजासत्तत्र की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि मतदाना स्वतन्त्रतापूर्वक तथा निर्भयता से मतदान करें। इस लिये गुप्त मतदान आवश्यक है।

निर्वाचन के पश्चात् मतगणना होने पर जिसे सर्वाधिक मत प्राप्त होने है वह निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है।

यदि कोई प्रत्याशी निर्वाचन से असन्तुष्ट है कि निर्वाचन ठीक प्रकार नहीं हुआ तो उसके लिये यह व्यवस्था की गई है कि वह निर्वाचन-पत्रिका (election petition) देकर निर्वाचन-न्यायालय के सम्मुख प्रपना मामला रख सकता है। इस निर्वाचन-न्यायालय का निर्णय अन्तिम होता है।

प्रश्न

(१) मध ससद् के विरोधाधिकारो की शक्तिया का वर्णन कीजिये। क्या मसद् मविधान में सदाधन कर सकती है? यदि कर सकती है तो किस प्रकार? (यू० पी० १९५१)

(२) लोकसभा के निर्माण का वर्णन कीजिये। इस सभा के अधिकारों की तुलना राज्यपरिषद के अधिकारों से कीजिये। (यू० पी० १९५२)

(३) नक्षेत्र में विधान-प्रक्रिया क्या है, इसको समझाइये।

(४) लोक सभा और राज्य-परिषद के पारस्परिक सम्बन्ध बतलाइये। (यू० पी० १९५४)

(५) भारतीय समद के अधिनियम बनाने के अधिकारों का सक्षिप्त वर्णन कीजिये। (यू० पी० १९५५)

(६) भारतीय लोकसभा की रचना और उसके अधिकारों का वर्णन कीजिये। (यू० पी० १९५६)

(७) भारतीय समद के दोनो सदनों, लोक सभा और राज्य-सभा के पारस्परिक सम्बन्धों का वर्णन कीजिये। (यू० पी० १९५८)

राज्यों का शासन

प्रत्येक मध्य में एक मध्य सरकार तथा कुछ राज्यों की सरकार होती है। भारत में ऐसा ही है। मध्य सरकार का हम वर्णन कर चुके हैं। अब राज्यों के शासन-प्रबन्ध को देखना चाहिये। जैसा पहले बतलाया जा चुका है राज्य-पुनर्गठन विधेयक के कारण, संविधान में जो संशोधन हुआ, उनके फलस्वरूप भारत संघ के अन्तर्गत राज्यों को दो कोटियों में रखा गया है। इनमें से प्रथम कोटि राज्य स्वायत्त राज्य हैं। इनके नाम ही छाप वहाँ उत्तरदायित्वपूर्ण शासन है। कार्यपालिका विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है। मध्य की ही प्रकार वहाँ भी सांख्यिक पद्धति की सरकारें स्थापित की गई हैं। एतद्वय भाधारण रूप में मध्य सरकार तथा इन राज्यों की सरकारों में काफी साम्य है। कानून बनाने की पद्धति तथा विधान-सभाओं की कार्य-प्रणाली संघ की ही तरह है।

इन राज्यों के अन्तर्गत जम्मू-काश्मीर की विशेष स्थिति है। इस राज्य का शासन इसके द्वारा स्थापित संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा निमित्त हुआ है। इसलिये हम इसका पृथक वर्णन करेंगे।

उपर्युक्त राज्यों के अतिरिक्त ७ केन्द्र द्वारा शासित क्षेत्र हैं। ये स्वायत्त राज्य नहीं हैं और इनका शासन केन्द्र द्वारा नियुक्त प्रशासक के द्वारा होता है।

स्वायत्त राज्यों का शासन - (१) कार्यपालिका

राज्यपाल :—इन राज्यों का प्रधान राज्यपाल कहलाता है। संविधान में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। इसने यह न समझना चाहिये कि राज्यपाल वयार्थ सचिव है। वयार्थ में शक्ति तो मन्त्रिपरिषद् के हाथ में है। राज्यपाल तो केवल वैधानिक प्रधान है। सब काम उनके नाम में किया जायगा, परन्तु सब मन्त्रिपरिषद् द्वारा किया जायगा। इसलिये हमने भारत में कहा था कि संघ के राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की स्थिति में कोई अन्तर

नहीं है। परन्तु राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह परराष्ट्रनीति सम्बन्धी सैनिक तथा सशस्त्रकालीन अधिकार नहीं है। इसके प्रतिरिक्त राज्यपाल कुछ विषयों में राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी भी है।

नियुक्ति — राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति का है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जब मध के प्रधान का चुनाव होता है तो राज्य के प्रधान का चुनाव क्या न हो? अमेरिका में राज्या के गवर्नर का जनता द्वारा सीधा चुनाव होता है। भारत में यह पद्धति स्वीकार न कर ब्रिटिश उपनिवेशों में प्रचलित पद्धति का स्वीकार किया है। कनाडा तथा अन्य उपनिवेशों में गवर्नर की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है। मन्त्रिधान मन्त्रों में कुछ सदस्यों का यह मत था कि राज्यपाल का जनता द्वारा निर्वाचन होना चाहिये। परन्तु इसके विरुद्ध निम्नलिखित लक्ष्य दिए गए और अन्त में यही निश्चित हुआ कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जावेगा।

(१) राज्यपाल केवल वैधानिक प्रधान है इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि वह राज्य के समस्त मतदानार्थी द्वारा निर्वाचित हो।

(२) अगर राज्यपाल का जनता द्वारा निर्वाचन हुआ तो उसमें तथा मन्त्रिपरिषद में मध के बहूत अधिक सम्भावना रहेगी। क्योंकि वह इस बात का पूरी भ्रूण मकता कि मन्त्रियों की ही तरह वह भी जनता का प्रतिनिधि है।

(३) मन्त्र जनता द्वारा निर्वाचित होने में व्यर्थ ही समय तथा धन की हानि होती है।

(४) निर्वाचन में यह भी सम्भव था कि राज्य की सरकार की एकता तथा स्थायित्व सफट में ही जाते। राज्यपाल भी दम्बन्दी में पड़ जाता।

(५) राष्ट्रपति द्वारा अगर राज्यपाल मनोनीत होगा तो राज्या के ऊपर मध सरकार की शक्ति और मजबूत हो जायेगी।

इन कारणों से यही उचित समझा गया कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो तथा दूसरे राज्य का निवासी हो। इससे वह राज्य के अन्दर की दल बन्दी में ऊपर रहेगा।

राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर रहेगा। परन्तु साधारणतः उसका कार्यकाल ५ वर्ष होगा। इससे पूर्व अगर वह अपना पद छोड़ना चाहे तो वह राष्ट्रपति का त्यागपत्र दे सकता है। अपना कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी राज्यपाल तब तक अपने पद पर काम करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले।

पद के लिए योग्यताएँ तथा शर्तें — राज्यपाल नियुक्त होने के लिए दो योग्यताएँ आवश्यक हैं वह व्यक्ति भाग्य का नागरिक होना चाहिये तथा उसकी आयु कम से कम पैंतीस वर्ष की पूरी होनी चाहिए ।

राज्यपाल न तो सत्तद् के किसी मदन का, और न के किसी राज्य के विधान-मण्डल के किसी सदस्य का सदस्य होना चाहिये । अगर वह इन दोनों में से किसी का सदस्य हुआ तो राज्यपाल के पद ग्रहण की तारीख से उसकी सदस्यता समाप्त हो जावेगी । राज्यपाल अन्य कोई स्थान का पद नहीं धारण कर सकता है ।

वेतन — राज्यपाल का वेतन, भत्ते आदि समुद्र कानून द्वारा निर्धारित करेगी । परन्तु जब तक समुद्र इनके विषय में कानून नहीं बनाती तब तक राज्यपाल को ५,५०० रुपये मासिक वेतन तथा अन्य भत्ते आदि दिये जायेंगे । उसको बिना किराया दिये एक निवास-स्थान दिया जावेगा । उसके कार्यकाल में उसके वेतन, भत्ते आदि में कोई कमी नहीं की जावेगी ।

यदि दो या अधिक राज्यों के लिये एक ही राज्यपाल की नियुक्ति हो तो इन राज्यों के बीच उसके वेतन आदि का सब जित्त अनुपात में बाँटा जाय, इनका निरन्तर राष्ट्रपति द्वारा किया जायगा ।

शपथ :—प्रत्येक राज्यपाल को अपने पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के सम्मुख निम्नलिखित प्रतिज्ञा करना होगी तथा उस पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे ।

मैं... समुद्र, ईश्वर की शपथ लेना हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक... (राज्य का नाम) के राज्यपाल का कार्यपालन (अथवा राज्य के कर्तव्यों का निर्वहन) करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से नविधान और विधि का परिदक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और मैं... (राज्य का नाम) की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा ।

अधिकार :—राज्यपाल के अधिकारों की चार भागों में बाँट सकते हैं । इनमें से प्रत्येक का उल्लेख वर्णन किया जावेगा ।

(१) कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार :—नविधान में यह कहा गया है कि राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है । इस शक्ति का प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करेगा । राज्य की कार्यपालिका

शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिनके बारे में उस राज्य का विधान मण्डल वाचन बना सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वे सब विषय जो कि राज्य सूची में वर्णित हैं इनके क्षेत्र के अन्तर्गत हैं। समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर क्योंकि सभ ससद को प्राथमिकता तथा प्रधानता दी गई है इसलिए नूतन विषयों पर राय की कार्यपालिका शक्ति राज्य की कार्यपालिका शक्ति के ऊपर है। राज्य के सरकार की मारी कार्यपालिका कापवाही राज्यपाल व ही नाम से की हुई वही जायेगी।

राज्यपाल मुख्य मंत्री की नियुक्ति करेगा तथा उनकी राय के अनुसार अन्य मंत्रियों की। यह राज्य की सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिये तथा मंत्रियों में उसका विभाजन करने के लिए नियम बना देगा। राज्य के मध्य मंत्री का कतव्य है कि वह राज्यपाल का मन्त्र परिषद के निर्णय की सूची देता रहे।

राज्यपाल को कुछ उच्च सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार है उदाहरणार्थ राज्य का महाअधिवक्ता (Advocate General) पब्लिक सर्विस कमिशन के सदस्य आदि।

(२) कानूनी सम्बन्धी अधिकार -- राज्यपाल राज्य के विधान-मण्डल का एक भाग है। उसको राज्य के विधान मण्डल के एक सदन या दोनो सदनों के अधिवेशन को समय समय पर आमन्त्रित करने का अधिकार है। परन्तु पहले अधिवेशन की आखिरी तारीख तथा दूसरे अधिवेशन की पहली तारीख के बीच ६ महीने से अधिक समय नहीं होना चाहिये। उसे विधान मण्डल को स्यमित करने तथा भंग करने का भी अधिकार है। उस विधानमण्डल के एक सदन अथवा दोनो सदनों को सम्बोधित रूप से सम्बोधित (Address) करने तथा उन्हें लिखित सन्देश भेजने का अधिकार है। जिन राज्यों में विधान मण्डल में ऊपरी-सदन (राज्यपरिषद) है वहाँ राज्यपाल उसमें कुछ सदस्यों को मनोनीत करेगा जिनको साहित्य विज्ञान, कला, मह वारी आन्दोलन तथा सामाजिक सेवा के बारे में विशेष ज्ञान या अनुभव है। वह अगर यह सोचे कि विधान सभा में ऐंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व समुचित रूप में नहीं हुआ है तो वह उस समुदाय के कुछ सदस्य विधान सभा में मनोनीत कर सकता है।

प्रत्येक विल जो कि राज्य के विधानमण्डल द्वारा पाम हो गया हो राज्यपाल के सामने उसकी अनुमति के लिए उपस्थित किया जायगा। बिना इस

अनुमति के वह कानून नहीं हो सकता है। राज्यपाल किसी ऐसे बिल को अनुमति दे या न दे। राज्यपाल किसी ऐसे बिल को जो कि धन विधेयक (Money Bill) नहीं है, अपनी सिफारिश के साथ फिर से विधान-मण्डल को लौटा सकता है। परन्तु अगर विधानमंडल ने इस बार इस बिल को फिर से पास कर दिया तो राज्यपाल को अपनी अनुमति देनी ही पड़ेगी।

राज्यपाल किसी बिल को जो कि विधानमण्डल द्वारा पास हो गया हो, राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित कर सकता है। अगर कोई बिल ऐसा है जो कि राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों को दब करता है तो राज्यपाल ऐसे बिल को मस्यदा राष्ट्रपति के विचारार्थ रोकता। राष्ट्रपति राज्य द्वारा उसके विचारार्थ रक्षित किसी बिल को अपनी स्वीकृति दे या न दे। धन-विधेयक के अनिश्चित, किसी अन्य विधेयक को राष्ट्रपति राज्य के विधान-मंडल को अपने संदेश सहित लौटा सकता है। राज्य के विधान-मण्डल को ऐसा संदेश मिलने के ६ महीने के अन्दर उस पर फिर से विचार करना पड़ेगा। अगर वह बिल फिर से पास हो गया तो वह फिर से राष्ट्रपति के सम्मुख उसकी मम्मति के लिये भेजा जायगा। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह अपनी मम्मति दे या न दे। अगर उसकी मम्मति प्राप्त न हुई तो वह बिल रद्द हो जायगी।

अगर राज्य का विधान-मंडल अधिवेशन में न हो तो राज्यपाल आवश्यकता होने पर उन सब विषयों पर अध्यादेश बना सकता है, जिन पर कि राज्य के विधान मंडल को कानून बनाने का अधिकार है। ऐसे किसी अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो राज्य के विधान-मण्डल द्वारा बनाए हुए किसी कानून का, किन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश राज्य के विधान-मंडल के सम्मुख रखा जायगा। विधान-मण्डल के अधिवेशन आरम्भ होने के ६ मन्ताह बाद अध्यादेश रद्द हो जायगा। इसके पूर्व ही यह रद्द हो सकता है अगर, विधान-मण्डल इसको रद्द कर दे तो राज्यपाल भी इसको किसी समय लौटा सकता है।

कुछ विषयों पर राज्यपाल बिना राष्ट्रपति के अनुदेशों के अध्यादेश नहीं बना सकता है। ये निम्नलिखित हैं—

(१) उस राज्य के साथ या भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतन्त्रता पर लोकहित की दृष्टि से कोई युक्तियुक्त रोक लगाना चाहता हो। इस विषय का कोई बिल भी बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के राज्य विधान मण्डल में पेश नहीं किया जा सकता है।

(२) अगर अध्यादेश में ऐसे उपबन्ध हों जैसे कि किसी बिल में होना पर वह उसे राष्ट्रपति के विचाराय रक्षित करना आवश्यक समझता है। जैसे राज्य के उच्चन्यायालय की शक्ति कम करने वाले।

(३) अगर अध्यादेश में ऐसे उपबन्ध हों जैसे किसी बिल में होने पर उसके लिये सचिवालय के अधीन राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती। उदाहरणार्थ, राज्य के अन्तर्गत किसी सम्पत्ति पर बकाया करने के लिये, उन वस्तुओं पर कर लगाने के लिये जो कि ममद ने समुदाय के जीवन के लिये आवश्यक घोषित कर दी है जो सम्बन्धी सूची में वर्णित विषय पर है पर जो मसतु द्वारा बनाए गए किसी कानून के विरुद्ध पड़ते हैं या कुछ विशेष प्रवस्थाओं में पानी तथा बिजली पर कर लगाने के लिये [भाग २८८ (२)]।

(३) न्याय सम्बन्धी अधिकार — राज्यपाल का यह अधिकार है कि राज्य के किसी कानून के विरुद्ध किसी अपराध के लिये दण्डित व्यक्ति को दंड को बहू क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है तथा कुछ समय के लिये रोक सकता है। परन्तु अगर कोई व्यक्ति सच-सरकार के कानून का उल्लंघन करने के अपराध में दण्डित हुआ है तो राज्यपाल उस अपराध में कुछ नहीं कर सकता है। उसे प्राणदण्ड क्षमा करने या कम करने का भी अधिकार नहीं है। अधिरी दोनों मामला में जैसा पहले बताया जा चुका है राष्ट्रपति का ही अधिकार है।

(४) राजस्व सम्बन्धी अधिकार — विधान सभा में कोई भी धन विधेयक उगवी मिकारिष के बिना पेश नहीं किया जा सकता है राज्य की आकस्मिकता निधि में से किसी आकस्मिक व्यय के लिये विधान सभाल कि आज्ञा के पहले ही रूपवा दे सकता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष (financial year) के आरम्भ में वह विधान सभाल क सम्मुख उस वर्ष के अनुमानित आय तथा व्यय का विवरण प्रस्तुत करेगा। इनको वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual financial statement) कहते हैं।

मन्त्रपरिषद् — राज्य के मन्त्रपरिषद् का संक्षेप में ही वर्णन किया जायगा क्योंकि इसमें तथा सघोय मन्त्रपरिषद् में सैदान्तिक दृष्टि से करीबन पूरी समानता है। सघ म तथा राज्यों में दोनों स्थलों में मासदीय पद्धति स्थापित की गई है। अतएव दोनों जगह मन्त्रपरिषद् के ही हाथ में वास्तविक शक्ति है।

सविधान में कहा गया है कि राज्यपाल को अपना काम करने में (विशेष कुछ विशेष कृत्यों के) सहायता और सभ्रगा देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान मुख्य-मन्त्री होगा। सभ के मन्त्रिपरिषद् का प्रधान प्रधान-मन्त्री कहलता है। मुख्य-मन्त्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति वह मुख्य-मन्त्री की राय से करेगा। मन्त्री अपने पदों पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त रहेंगे।

मन्त्रिपरिषद् विधान-सभा के प्रति मामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ब्रह्म यह स्वाभाविक है कि मुख्य मन्त्री विधान-सभा में बहुसंख्यक दल का नेता होगा। अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति उनके द्वारा की जावेगी न कि राज्यपाल द्वारा जो उसके द्वारा दिए गए नामों को मान लेगा। मन्त्रिगण क्योंकि विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी है इसलिए जब तक विधान-सभा का उनमें विश्वास है वे अपने पदों पर रहेंगे। अगर राज्यपाल किसी ऐसे मन्त्रिपरिषद् को भंग कर दे जिसका विधान में बहुमत है तो उसको नए मन्त्रिपरिषद् का निर्माण करने में बाध्य कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

सविधान में यह नहीं कहा गया है कि मन्त्रिपरिषद् में कितने सदस्य होंगे इसलिए उनकी संख्या का निर्णय मुख्य-मन्त्री सरकार के काम की उचित व्यवस्था तथा राज्य की भाषिक अवस्था ध्यान में रखते हुए करेगा। परन्तु संविधान में यह कहा गया है कि बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में मुख्यमन्त्री द्वारा एक मन्त्री की नियुक्ति पिछड़ी हुई जातियों तथा आदिम जातियों के हितों की रक्षा करने तथा उनकी उन्नति के लिए काम करने के लिए की जावेगी। इससे यह नहीं सोचना चाहिये कि अन्य राज्यों में सरकार का यह कर्तव्य नहीं है।

मन्त्रिपरिषद् की सदस्यता के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति विधान-मंडल का सदस्य हो। कोई मन्त्री जो ६ महीने तक विधान-मंडल का सदस्य न रहे, उस काल की मन्त्रिपरिषद् पर मन्त्री नहीं रहेगा।

मन्त्रियों का पेंशन तथा भत्ते समय-समय पर राज्य का विधान-मंडल कानून द्वारा निर्धारित करेगा। परन्तु जब तक ऐसा नहीं होता उनको वही वेतन मिलेगा जो कि सविधान आरम्भ होने के पहले मिलता था।

प्रत्येक मन्त्री को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल द्वारा पद की तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करवाई जायेगी।

सविधान में कहा गया है कि सरकार के काम को सविधापूर्वक चंगन के लिए राज्यपाल उमका मन्त्रिया के वाक विभाजन करने के लिए नियम बनायेगा। यथाय में मन्त्रिया के बीच काम का विभाजन मुख्य मन्त्री करता है। प्रत्येक मन्त्री के अधीन एक-दा विभाग होता है। मन्त्रिया के नीचे उपमन्त्री, सल्लियामेन्टरी सेक्रेटरी भी हैं। इनके अतिरिक्त प्रत्येक विभाग में सल्लटनी डिप्टी सल्लटरी अल्लिस्टेंट सेक्रेटरी आदि होते हैं। ये सरकारी नौकर होते हैं (Permanent Civil Servants) तथा इनकी नौकरी पर मन्त्रिमण्डल के बनने विगटन का असर नहीं होता है।

मन्त्रपरिषद् का काम — इनका काम सविधान के अनुसार राज्यपाल का मन्त्रणा देना तथा सहायता देनी है। किसी न्यायान्य में यह नहीं पूछा जा सकेगा कि किस मन्त्री ने राज्यपाल का क्या सलाह दी।

मन्त्री का काम राज्यपाल को उनसे निष्चया की सूचना देना है जो कि मन्त्रपरिषद् ने सामन सम्बन्धी अथवा कानून सम्बन्धी मामला में लिए हैं। अगर राज्यपाल चाहे तो वह इन मामलों पर किसी और सूचना का मांग सकता है। वह किसी विषय को जिस पर एक मन्त्री ने निश्चय कर लिया है परन्तु मन्त्रपरिषद् ने नहीं, फिर से मन्त्रपरिषद् के सामने विचाराय रख सकता है।

मन्त्रपरिषद् का काम मन्त्रणा देना ही नहीं अपितु यथाय में राज्यपाल के नाम में सब काम करना है। इनकी वही स्थिति है जो कि मन्त्रीय मन्त्रपरिषद् की। परन्तु इसमें एक अन्तर है। सविधान द्वारा राज्यपाल का कुछ कार्यों को स्वविवेक से करने का अधिकार दिया गया है। इन सब मामलों में राज्यपाल बिना मन्त्रिमण्डल के परामसा के काम करेगा। किन् विषयों में वह स्वविवेक से काम करेगा यह उसी के निश्चय में छाड दिया गया है। उनका निश्चय इस विषय में अन्तिम होगा। सविधान में यह स्पष्ट नहीं है कि किन् विषयों में राज्यपाल का स्वविवेक से काम करने का अधिकार है। तथापि ऐसा लगता है कि सामान के गवर्नर के अतिरिक्त अन्य किसी राज्यपाल को स्वविवेक से काम करने का अधिकार प्रयोग करने का अवसर नहीं मिलेगा। सामान में राज्यपाल कुछ आदिम जाति-अन्धों का सामन प्रबन्ध राष्ट्रपति के प्रतिनिधि की स्थिति में करता है। उनके लिए वह मन्त्रपरिषद् की सलाह तथा मन्त्रणा नहीं देगा।

मन्त्रिया का काम अपने अपने विभाग के दिन प्रतिदिन के कामों को देखना है। उनमें करने में वे स्वतन्त्र हैं। परन्तु नीति सम्बन्धी विषयों का

निश्चय मन्त्रिपरिषद् द्वारा ही किया जावेगा। प्रत्येक मन्त्री का कर्तव्य है कि वह मन्त्रिपरिषद् के निर्णय को माने। अगर वह ऐसा करने में असमर्थ है तो उसे मन्त्रिपरिषद् से त्यागपत्र देना होगा। मन्त्रियों को विधान-मण्डल में अपने विभाग के कामों से सम्बन्ध रखने वाले बिलों को पेश करना, प्रश्नों का उत्तर देना तथा अपने विभाग के कामों को समझाना आदि काम करने पड़ते हैं।

राज्यपाल तथा मन्त्रिपरिषद् में सम्बन्ध — हम पहले कह चुके हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। राज्यपाल को मनोनीत करने के पक्ष में एक तर्क यह भी था कि वह सब शक्ति से हीन, केवल वैधानिक प्रधान है। इससे यह स्पष्ट हो जाना है कि राज्यपाल अपने मन्त्रिपरिषद् की राय से ही काम करेगा। दूसरे शब्दों में सब शक्ति मन्त्रिपरिषद् के ही हाथों में है तथा राज्यपाल जैसा मन्त्रिपरिषद् कहेगा वैसा करेगा। अर्थात्, राज्यपाल केवल वैधानिक प्रधान-मात्र है।

यद्यपि राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वह मुख्य-मंत्री की नियुक्ति तथा उसकी सलाह से अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करे और यह भी कहा गया है कि मन्त्रिपरिषद् उसके प्रसाद-पर्यन्त अपने पद पर रहेगा तथापि यद्यपि में राज्यपाल को मन्त्रियों की नियुक्ति तथा, उसको अग्रदरज करने में केवल नाममात्र की स्वतन्त्रता है। मन्त्रिपरिषद् के विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होने के कारण राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्य-मंत्री का पद ग्रहण करने को आमंत्रित करेगा। मुख्य-मंत्री अपने मन्त्रिपरिषद् के अन्य सदस्यों को चुनेगा। मन्त्रिमण्डल तब तक अपने स्थान में बना रहेगा जब तक इसका विधान सभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त है। अगर राज्यपाल किसी ऐसे मन्त्रिपरिषद् को अग्रदरज कर दे तो उसके लिए दूसरा मन्त्रिपरिषद् निर्माण करना असम्भव हो जायगा।

इससे यह स्पष्ट हो गया कि राज्यपाल केवल वैधानिक प्रधान है। परन्तु इससे यह निर्णय नहीं निकलना चाहिये कि वह केवल शोभायें हैं और उसका कोई काम नहीं।¹ अगर राज्यपाल योग्य तथा अनुभवी व्यक्ति हुआ

1. सविधान सभा में एक सदस्य ने कहा था "The function of the Governor shall be to lubricate the machinery of Government, to see that all the wheels are going well by reason not of his interference, but of his friendly intervention."

ता वह राज्य के शासन का सुचारु रूप में चलायें में बहुत अधिक सहायता पहुँचा सकता है। दख्खन्दी के झगडा का दूर कर मन्त्रिपरिषद् का काफी सहायता दे सकता है। वह मन्त्रि-परिषद् को ऐसे काम करने से रोक सकता है जो कि अन्य दला को हचिकर नहीं है।

राज्यपाल का सबसे मुख्य काम यह दखना है कि मन्त्रि-परिषद् इतना अधिक दख्खन्दी की भावना से ओत-प्रोत न हो कि जनता के हितों का ध्यान ही न रखे। अगर मुख्य-मन्त्री कभी विधान-सभा भंग करने की प्रार्थना करे तथा राज्यपाल यह अनभव करे कि यह जनता के हित में नहीं होगा तो वह इस प्रार्थना का अस्वीकार कर सकता है। अथवा, अगर कभी मन्त्रि परिषद् का विधान सभा में तो बहुत ही हा परन्तु जनता में उभरी नीति में असन्तुष्ट उत्पन्न हो गया हो तो राज्यपाल विधान-सभा को भंग कर नये निर्वाचन करवा सकता है।¹

महाधिवक्ता (Advocate General) —जिस प्रकार मधीय सरकार में राष्ट्रपति विधि-सम्बन्धी मामला में सलाह के लिए महान्यायाधी की निर्वाचित करता है उसी प्रकार वैसे परामर्श के लिए राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। इस पद के लिए बड़ी व्यक्ति नियुक्ति हो सकता है जो कि उच्च न्यायाधी होने की योग्यता रखता है। उमकी जो वेतन तथा भत्ते मिलेंगे इनका निश्चय राज्यपाल करेगा। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त रह सकता है।

(२) व्यवस्थापिका

प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान-मण्डल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्या में दामदना से तथा कुछ अन्य राज्या में एक सदन में मिलकर बनेगा। पञ्जाब, बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास, मध्य प्रदेश, मैसूर तथा उत्तर प्रदेश में दो सदन हैं। बिचला सदन विधान-सभा तथा ऊपरी सदन विधान-परिषद् कहलाता है। अन्य राज्या में केवल एक ही सदन है। यह सदन विधान-सभा कहलाता है। परन्तु जिन राज्या में दो सदन हैं वहाँ की विधान-सभा

1. परन्तु बंगाल के उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में राज्यपाल के विषय में कहा—“Under the present Constitution the power to act in his discretion or in his individual capacity has been taken away and the Governor, therefore must act on the advice of his minister”

सब सदस्यों के बहुमत से तथा उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से यह पास करे कि विधान-परिषद् हटा दी जावे तो मन्द कानून द्वारा उस राज्य से विधान-परिषद् को हटा सकेगी। इसी प्रकार जिन राज्यों में एक ही सदन है वहाँ मन्द कानून द्वारा दूसरे सदन का सृजन कर सकेगी।

कुछ राज्यों में द्वि-सदनीय विधान-मंडल की व्यवस्था है। इसका कारण यह है कि दूसरा सदन अनेक दृष्टियों से उपयोगी माना गया है। जैसे, यह निचले सदन से भेजे गये विधेयकों पर पुनर्विचार करता है, विनियम हितों की रक्षा करता है तथा उन्हें प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। इनमें अधिक अनुभवी व्यक्तियों को भाग लेने का अवसर मिलता है, आदि।¹

विधान-परिषद् :—यह विधान-मंडल का ऊपरी सदन होगा। किसी राज्य के विधान-परिषद् में साधारणतः उन राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के चौथाई भाग से अधिक सदस्य नहीं होंगे। परन्तु यह संख्या कितनी भी तरह ४० से कम नहीं होगी। किसी राज्य के विधान परिषद् की रचना, जब तक संसद कानून द्वारा कोई और प्रवन्ध न करे, निम्नलिखित प्रकार से होगी।

(क) कुल सदस्य संख्या का तीसरा भाग, उस राज्य की नगर-पालिकाओं, जिला-मंडलियों तथा अन्य ऐसी स्थानीय संस्थाओं के, जैसा कि संसद विधि द्वारा निर्दिष्ट करे, सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचन-मंडलों द्वारा चुना जायगा।

(ख) कुल सदस्य संख्या का बारहवां भाग उस राज्य में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बने हुए निर्वाचन-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा, जो भारत के किसी विश्वविद्यालय के नाम से कम तीन वर्ष से स्नातक (graduate) हैं या इसके बराबरकी संसद द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य योग्यता प्राप्त किये हों।

(ग) कुल सदस्य संख्या का बारहवां भाग ऐसे निर्वाचन-मंडलों द्वारा चुना जायगा जो कि उस राज्य के भीतर रहने वाले ऐसे व्यक्तियों से बने होंगे जो कि उस राज्य में माध्यमिक शिक्षालयों या इससे उच्च शिक्षालयों में तीन साल से अधिक से अध्यापन कार्य कर रहे हों।

(घ) कुल सदस्य संख्या का तीसरा भाग राज्य की विधान-सभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से निर्वाचित होगा जो कि सभा के सदस्य नहीं हैं।

1. इस विषय के विस्तार-पूर्वक वर्णन के लिये लेखक की पुस्तक 'नागरिक शास्त्र के आधार' देखिये।

(३) शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जायेंगे। ये ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें माहित्य विज्ञान उला, सहकारी आन्दोलन या सामाजिक सेवा के विषया में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो।

/ उपरोक्त उपलण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन निर्वाचित होने वाले इससे ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुने जायेंगे जैसे कि मसद कानून बना कर तय करे। परिषद के सब सदस्यों का चुनाव अनुवाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एक परिवर्तनीय विधि द्वारा होगा।

विभिन्न राज्या के विधान परिषदा की मख्या निम्नोक्त होगी।

विहार	७२	मंसूर	५२
बम्बई	८२	पंजाब	६०
मध्य प्रदेश	७२	उत्तर प्रदेश	७२
मद्रास	४२	पश्चिमी बंगाल	५१

राज्य पुनगठन के पूर्व मंसूर तथा मध्य प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका नहीं थी।

कार्य काल :—विधान परिषद स्थायी मस्था है। इसका कभी भी विघटन नहीं होगा। हर दूसरे साल बाद एक तिहाई सदस्य नये चुने जायेंगे। पहले चुनाव पर एक-तिहाई २ वर्ष के लिये, एक तिहाई ४ वर्ष के लिये तथा एक तिहाई ६ वर्ष के लिये चुने जायेंगे। इसके बाद प्रत्येक का कार्यकाल ३ वर्ष होगा।

सदस्यों के लिए योग्यता — निम्नलिखित योग्यताएँ आवश्यक हैं —

- (१) वह भारत का नागरिक हो।
- (२) वह ३० वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

(३) Peoples' Representation Act, 1951 द्वारा यह निश्चित हुआ है कि विधान-परिषद के निर्वाचित सदस्य होने के लिये यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति उस राज्य की विधान-सभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक हो। मनोनीत-सदस्य होने के लिये उन्ने साधारणतः उस राज्य का निवासी होना चाहिये।

•• सदस्य होने के लिये निम्नलिखित अयोग्यताएँ नहीं होनी चाहिये —

- (१) वह सभ-सरकार या किसी राज्य सरकार के अनीन कोई लाभ का पद धारण किये हुये हो। मन्त्रियों का पद ऐसा नहीं समझा जाता है।

- (२) वह पागल न हो ।
 (२) वह उनमूक दिवालिया हो ।
 (३) वह भारत का नागरिक न हो ।

(५) वे प्रयोग्यताएँ जो कि सगद् की सदस्यता के सम्बन्ध में Peoples Representation Act, 1951 में दी हुई हैं ।

अगर कभी यह प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति सदस्यता के लिये प्रयोग्य तो नहीं है तो राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया कि वह निर्वाचन-आयोग की राय से इस बात का निर्णय करे और उसका निर्णय अन्तिम होगा ।

सदस्यों के स्थानों की रिक्तता :—कोई भी मनुष्य एक ही समय में किसी राज्य के विधान-मण्डल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है और न एक समय में एक ही व्यक्ति दो राज्यों के विधान-मण्डलों का सदस्य हो सकता है । उसे एक से इस्तीफा देना होगा ।

अगर कोई सदस्य अपने सदन के अधिवेशन से बिना उनकी आज्ञा के ६० दिन तक लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसका पद रिक्त हो जाएगा । सदस्य अपने पद में त्यागपत्र भी दे सकते हैं ।

गणपूर्ति :—कुल सदस्य संख्या का इस्वा हिस्सा या १० सदस्य जो अधिक हों वही विधान-परिषद् का कोरम होगा ।

पदाधिकारी :—एक सभापति तथा एक उपसभापति होगा । इनका निर्वाचन परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से ही किया जावेगा । सभापति को केवल निर्णायक मत देने का अधिकार है । नतीजे बँटते तथा भत्ते मिलेंगे । इनका काम वैसा ही है जैसा कि राज्य-परिषद् के सभापति तथा उपसभापति का । विधान-परिषद् इनकी अपने पद से बहुमत-प्रस्ताव द्वारा हटा सकती है । परन्तु ऐसे प्रस्ताव के लिये १४ दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी ।

विधान सभा :—यह राज्यों में व्यवस्थापिका का निचला सदन है । सविधान में धारा १७० में कहा गया है कि इसमें अधिक से अधिक ५०० तर्फ कम से कम ६० सदस्य होंगे । इनका राज्य के निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा । परन्तु इसके अतिरिक्त जेता नीचे बतलाया जाएगा विधान-

सभा में मनानान सदस्य भी हा बनने है । यह उपबन्ध एंग्लो इण्डियन समुदाय के हित में रखा गया है ।

निर्वाचन क्षेत्रों का बनाने समय इस बात का ध्यान रखा जायगा कि समस्त क्षेत्रों में प्रतिनिधिया तथा जनता में एक हा अनुपात हा । साधारण भाषा में जहाँ तक सम्भव होगा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में बराबर जनसंख्या रखा जायेगी । प्रत्येक मतगणना के पश्चात् प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में जो कुछ आवश्यक परिवर्तन करने होंगे उनका राज्य का विधान मण्डल कानून द्वारा तय करेगा ।

प्रत्येक राज्य के विधान-सभा में अनुसूचित जातियों तथा जन जातियाँ के लिये उनकी जनसंख्या के आधार पर स्थान सुरक्षित रखे गये हैं । आमतौर पर विधान सभा में कुछ स्थान वहाँ के स्वायत्त जिला (Autonomous districts) के लिये उनकी जनसंख्या के आधार पर सुरक्षित रखे गए हैं । जिला के नगरपालिका क्षेत्र तथा कन्टोनमेंट के अतिरिक्त इन स्वायत्त जिला से कोई भी ऐसा प्रतिनिधि नहीं चुना जायगा जो कि अनुसूचित जनजाति का न हो ।

एंग्लो इण्डियन समुदाय के लिये भी विशेष उपबन्ध हैं । अगर राज्यपाल समझे कि इस समुदाय का विधानसभा में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है तो वह इस समुदाय के जितने ठीक समझे उनमें सदस्य मनोनीत कर सकता है ।

अल्पमतों के सम्बन्ध में य सब विशेष उपबन्ध विधान लागू होने के तब तक पश्चात् समाप्त हो जायेंगे । परन्तु आमतौर के स्वायत्त जिला सम्बन्धी उपबन्ध स्थायी रूप में रहेंगे ।

विधानसभा के लिये प्रत्येक चुनाव होगा । प्रत्येक वयस्क का (जा २१ वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो) मत देने का अधिकार होगा पर उमर निम्नलिखित बातें हानी चाहिए — वह भारत का नागरिक हो, पागल न हो, राज्य में निश्चित अवधि से निवास कर रहा हो, किसी अपराध आदि १५, ३ मताधिकार से वंचित न कर दिया गया हो ।

विधानसभा की सदस्यता के लिये योग्यताएँ — इसके लिए निम्नलिखित योग्यताएँ हानी चाहिए —

(१) भारत का नागरिक हूँ, तथा, २५ वर्ष की आयु पूरी कर चुका हूँ।

(२) सदन ने Peoples' Representation Act, 1951 द्वारा यह निर्दिष्ट किया है कि—

(घ) राज्य के अन्दर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित किसी स्थान से चुने जाने को वह इन जातियों या जनजातियों का सदस्य होना चाहिए तथा उस राज्य की विधान-सभा के किसी निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचक होना चाहिए।

(ब) आसाम के स्वायत्त जिले के लिए सुरक्षित किसी स्थान के लिए (शिलोंग की म्युनिसिपैलिटी तथा कैन्टोनमेन्ट के अतिरिक्त) चुने जाने को उसे उस जिले की किसी जनजाति का सदस्य होना चाहिए तथा ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचक होना चाहिये जिसमें कि उस जिले के लिये एक स्थान सुरक्षित हो।

(स) किसी अन्य स्थान के लिए चुने जाने को उसे राज्य में किसी विधान-सभा के निर्वाचन-क्षेत्र (Assembly Constituency) में निर्वाचक (elector) होना चाहिए।

विधान-सभा के सदस्य पद के लिए वही प्रयोग्यताएँ हैं जो कि विधान परिषद् की सदस्यता के लिये। अगर प्रयोग्यता का प्रश्न उठा तो राज्यपाल निर्वाचन-आयोग की राय से उसको तय करेगा।

कार्यकाल.—विधान-सभा का कार्यकाल साधारणतः ५ वर्ष होगा। परन्तु इसके पूर्व भी यह राज्यपाल द्वारा भंग की जा सकती है। असाधारण काल में इसका कार्यकाल बढ़ सकता है। संघट की घोषणा होने पर संसद विधि द्वारा इसका कार्यकाल बढ़ा सकता है। परन्तु एक समय में केवल एक वर्ष के लिए ही बढ़ेगा। संघटकाल के समाप्त होने के ६ महीने के अन्तर्गत ही इसका विघटन हो जायगा।

पदाधिकारी :—इसके दो पदाधिकारी होंगे—अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। इनको विधानसभा अपने ही सदस्यों में से चुनेगी। इनको पद से हटाया नहीं जा सकता है। इसके लिए वही प्रक्रिया है जो कि विधान-परिषद् के समानांतर अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने के लिए है। इसके बैसे ही अधिकार तथा कर्तव्य



हैं जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के। अध्यक्ष को केवल निर्णायक मत देने का अधिकार है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को वेतन तथा भत्ते मिलेंगे। विधान-मंडल की मसूदा बैठक में अध्यक्ष ही महापति का आभन प्रकृण करेगा।

गणित्पूरुत —विधानसभा का कोरम कम से कम १० तथा अधिक से अधिक कुल सदस्य सख्या का दसवाँ हिस्सा, या इन दोनों में से जो अधिक हा वह रखा गया है।

राज्यों में विधान सभाओं की सदस्य संख्या —मसद ने विधि द्वारा विभिन्न राज्यों की विधान-सभाओं की सदस्य सख्या निश्चित कर दी है।

आंध्र	३०१	मद्रास	२०५
आसास	१०८	मैसूर	२०८
बिहार	३३०	उड़ीसा	१४०
बम्बई	३०६	पंजाब	११४
केरल	१०६	राजस्थान	१७६
मध्य प्रदेश	२८८	उत्तर प्रदेश	४३०
पश्चिमी बंगाल	२३८		

विधान मंडलों के सदस्यों की उन्मुक्तियाँ तथा वेतन आदि —विधान मंडल के सदस्यों को सविधान के उखबन्धा तथा विधान-मंडल की प्रक्रिया के नियमों के अधीन रहते हुए वाक्-स्वातन्त्र्य का अधिकार दिया गया है। विधान-मंडल या उसकी समिति में कही हुई किसी बात या दिए हुए किसी मत के विषय में किनो सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं चल सकेगी। विधान मंडल इन सब विषयों पर विधि बनायेगा। परन्तु जब तक इस विषय पर विधान-मंडल कानून बनाने है उनके तथा उनके सदस्यों की वही अधिकृतियाँ तथा उन्मुक्तियाँ रहेंगी जो कि इंग्लैंड में कामन्स सभा की हैं।

विधान-मंडल के सदस्यों को वेतन तथा भत्ते मिलेंगे। इनका निश्चय राज्य का विधान मंडल समय समय पर विधि द्वारा करेगा। जब तक इस विषय में विधि निर्माण नहीं होता है सदस्यों को वही वेतन तथा भत्ते मिलेंगे जैसा कि सवधान लागू होने के पूर्व प्रांतीय सभाओं के सदस्यों को मिलते थे।

विधान-मण्डल के प्रत्येक सदस्य को पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल के सम्मुख एक शपथ लेनी होगी। बिना इस शपथ के लिए अगर वह नदन में बैठे तो वह दण्ड का भागी होगा।

विधान-मंडल का अधिवेशन — राज्यपाल सदन-समय पर विधान-मंडल के सदस्यों या किसी भी सदस्य को, ऐसे स्थान और समय पर जैसा कि वह ठीक समझे बुलायेगा। परन्तु पहले अधिवेशन की आखिरी बैठक तथा नये अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच में ६ महीने से अधिक समय नहीं बीतना चाहिये। उनको यह भी अधिकार है कि वह किसी भी सदन या सदस्यों को स्थागित कर सकता है तथा विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल प्रत्येक नये चुनाव के पश्चात् प्रथम अधिवेशन में उदा प्रतिपत्तियों के प्रथम अधिवेशन में विधान-मण्डल के सदन अथवा जहाँ दो सदन हैं, दोनों को युक्त रूप से सम्बोधित करेगा और उनको बुलाने का कारण बतलायेगा। वह विधान-मण्डल को किसी बिल के सम्बन्ध में या किसी अन्य कारण से सदन भंग कर सकता है। विधान-मण्डल इस संदेश पर यथाशीघ्र विचार करेगा।

विधान-मण्डल में प्रत्येक बात का निश्चय बहुमत द्वारा होगा। अगर किसी अधिसूत्र पर मत-साम्य हो जावे तो अध्यक्ष या समापति को निर्णायक मत देने का अधिकार है। किसी भी सदन को कार्यवाही तक तक नहीं हो सकती है, जब तक गणपूर्ति न हो।

मन्त्रियों तथा महाधिवक्ता को सदनो को बैठक में भाग लेने का अधिकार है। परन्तु मन्त्री मतदान केवल उन्हीं सदन में कर सकेंगे जिसके वे सदस्य हैं। महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार नहीं है।

विधान-मण्डलों में हिन्दी, अंग्रेजी तथा उस राज्य की भाषा का प्रयोग हो सकता है। १५ वर्ष पश्चात् अंग्रेजी का प्रयोग बन्द हो जावेगा। अगर कोई सदस्य इन तीनों में से कोई भी भाषा न जानता हो तो वह अध्यक्ष या समापति की आज्ञा से अपनी भाषा का प्रयोग कर सकता है।

विधान-मण्डल का प्रत्येक सदन, संविधान के उपबन्धों के अधीन, अपनी अपनी कार्यवाही के लिए नियम की रचना कर सकता है। जब तक ऐसे नियम नहीं बनाये जाते हैं वे ही नियम लागू होंगे जो कि संविधान के पूर्व थे।

प्रत्येक सदन का अपना मन्त्रिवालय होगा। इसके कार्यवाहियों की नियुक्ति सदा सेवा सम्बन्धी नियमों की रचना राज्य का विधान-मण्डल करेगा। परन्तु जब तक ऐसा नहीं होगा तब राज्यपाल अध्यक्ष तथा सभापति भगवत कर इनके लिये नियम बनावेगा।

विधान-मण्डल के अधिकार — इस विषय में इतना कहना पर्याप्त होगा कि इसका मुख्य काम राज्य सूची में तथा समवर्ती सूची में वर्णित विषयों के ऊपर कानून बनाना होगा। परन्तु समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर ससद् के बनाए हुए किसी कानून के विरुद्ध विधान-मण्डल कानून नहीं बना सकते हैं। विधि-निर्माण के अतिरिक्त दूसरे शासन-सम्बन्धी अधिकार हैं। यह कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है। मन्त्रपरिषद् विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी है। इसके दत्त सम्बन्धी अधिकार हैं। राज्यों के क्षेत्र में विधान-मण्डल के वही अधिकार हैं जो कि संघ-क्षेत्र में ससद् के हैं।

वैधानिक प्रक्रिया — इसका भी संक्षेप में वर्णन किया जायगा। क्योंकि ससद् तथा विधान-मण्डलों की प्रक्रिया में कोई विशेष अंतर नहीं है।

(१) साधारण विधेयक सम्बन्धी प्रक्रिया — साधारण बिल जहाँ विधान-मण्डलों में दो सदन हैं किसी भी सदन में आरम्भ हो सकेगा। साधारणतः यह कानून तभी बनेगा जब कि यह दोनों सदनों द्वारा पारित हो जावे तथा इसकी राज्यपाल की अनुमति मिल जावे। यदि कोई बिल विधान-सभा द्वारा पारित हो गया हो परन्तु विधान-परिषद् उसको अस्वीकार कर दे या परिषद् में रखे तीन मास में अधिक समय व्यतीत हो जाता है या परिषद् उसमें ऐसे संशोधन कर दे जा कि विधान सभा की स्वीकार नहीं है, तो वह बिल, विधान-सभा द्वारा दुबारा पास होकर फिर से परिषद् में भेजा जावेगा। अगर इस बार परिषद् उसको अस्वीकार कर दे, या एक माह तक न लौटावे या ऐसे संशोधन कर दे जा कि स्वीकार न हो तो बिल उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जावेगा जिसमें वह विधान द्वारा पारित किया गया था।

(२) धन विधेयक की प्रक्रिया — धन विधेयक केवल विधान-सभा में ही आरम्भ हो सकता है धन-विधेयक का अर्थ यहाँ पर भी वही है, जैसा कि ससद् के सम्बन्ध में बताया गया था। अगर केवल यही है कि वहाँ पर वे सब बातें सघ सरकार से सम्बन्ध रखती थी, यहाँ पर राज्य सरकार से सम्बन्ध रखते हैं। इसलिए पुनः उन बातों को दोहराने में कोई लाभ नहीं। कोई

विधेयक धन-विधेयक है या नहीं इसका निर्णय विधान-मण्डल का सम्बन्ध करेगा ।

जब विधान सभा किसी धन-विधेयक को पास कर देती है तब वह विधान-परिषद् में भेजा जाता है । परिषद् उन विधेयक को चौदह दिन के भीतर अपनी सिफारिशों सहित विधान सभा को लौटा देगी । सभा को यह अधिकार है कि वह उन सिफारिशों को माने या न माने । अगर विधान-परिषद् उस विधेयक को १४ दिन के अन्दर वापिस नहीं करती है तो यह बिल की समान्ति पर दोनों सदनों द्वारा पास समझा जावेगा ।

राज्यपाल की अनुमति :—प्रत्येक विधेयक विधान-मण्डल में पास होने के बाद राज्यपाल की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जावेगा । राज्यपाल इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें कर सकता है—

(१) वह अपनी अनुमति दे दे ।

(२) वह अपनी अनुमति न दे ।

(३) धन-विधेयक के अतिरिक्त किसी अन्य बिल को वह अपनी सिफारिशों सहित विधान-मण्डल को वापिस भेज दे । अगर विधान-मण्डल इस बिल को उतकी सिफारिशों सहित या बिना इसके फिर पास कर दे तो राज्यपाल को अपनी अनुमति देनी पड़ेगी ।

(४) राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति के विचारार्थ रोक ले । सब विधेयक जो की सविधान द्वारा प्रतिष्ठित राज्य के उच्चन्यायालय की शक्तियों को कम करते हैं, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए अवश्य रणित किये जावेंगे ।

(५) इस प्रकार रणित किसी धन-विधेयक को राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे या न दे । परन्तु अन्य विधेयकों को वह अपनी सिफारिशों सहित विधान-मण्डल के पुनर्विचारार्थ वापिस भेज देगा । विधान-मण्डल ६ महीने के अन्दर इस पर फिर विचार कर सकता है । अगर वह फिर से पास हो जावे तो उस बिल में राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने को बाध्य नहीं है ।

वित्तीय प्रक्रिया :—विधान-मण्डलों की वित्तीय प्रक्रिया विष्कूल सदन की ही तरह है । अतएव उसका वर्णन नहीं किया जावेगा । जो काम वहाँ राष्ट्रपति करता है वह यहाँ राज्यपाल करेगा । जो कुछ वहाँ संघ सरकार के सम्बन्ध में कहा गया है यहाँ राज्य-सरकार से सम्बन्ध रखेगा ।

विधान-मण्डलों की विशेषताएँ

(१) जिन राज्यों में दो सदन हों वहाँ उपरी सदन अत्यन्त शक्तिहीन होगा। विधान सभा को महत्ता दी गई है। दोनों सदन में मतभेद होने पर पक्षक बैठक की व्यवस्था नहीं है। धन विधेयक पर उपरी सदन केवल १४ दिन की देर कर सकता है तथा अन्य विधेयक पर अधिक से अधिक ६ महीने की।

(२) विधान-मंडल में उच्चतम न्यायालय तथा उच्चन्यायालय के न्यायधीशा द्वारा अपने कर्तव्य पालनाय किये हुए कार्यों के विषय में कोई भी बहम नहीं हो सकती है।

(३) विधान-मंडल राज्य सूची के अन्तर्गत सब विषयों पर कानून बना सकते हैं। ससद साधारणकाल में इन विषयों पर कानून नहीं बना सकती है। परन्तु इनमें से किसी विषय पर भी अगर राज्य परिषद् दो तिहाई बहुमत से पास कर दे तो ससद कानून बना सकती है। सत्र-काल में तो ससद राज्य सूची में वर्णित सभी विषयों पर कानून बना सकती है।

(५) विधान-मंडल द्वारा याम कुछ विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति उनके कानून बनाने के लिए आवश्यक है। इनका वर्णन राष्ट्रपति के अधिकारों के सम्बन्ध में कर चुके हैं। कुछ विषयों पर विधान मंडलों में कोई विधेयक तब तक पेश नहीं किया जा सकता है, जब तक कि राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति न हो। इनका उल्लेख भी पहले कर दिया गया है।

जम्मू काश्मीर की शासन व्यवस्था

अभी तक हम भारत सभ के स्वायत्त राज्यों के शासन प्रबन्ध का वर्णन कर रहे थे। संविधान में कहा गया है कि ये उपबन्ध जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर लागू नहीं होंगे। जम्मू तथा काश्मीर की भारत-सभ में अनेक कारणों से विशेष स्थिति रखी गई है। यहाँ का संविधान एक संविधान निर्माण सभा द्वारा बनाया गया है। इस सभा की स्थापना काश्मीर सरकार द्वारा की गई थी। जनवरी २६, सन १९५७ में यह संविधान काश्मीर में लागू हुआ है।

राज्य पुनर्गठन के पूर्व काश्मीर 'स' वर्ग का राज्य था। हम यहाँ चुके हैं कि ये 'स' वर्ग का यह भूतपूर्व देशी राज्यो से बने थे। इन्हें भी स्वायत्त-शासन का अधिकार प्राप्त था। साधारणतः यह कहा जा सकता है कि इनके

शासन-प्रबन्ध तथा 'क' वर्ग के राज्यों के शासन-प्रबन्ध में बहुत साधारण अन्तर था। 'ग' वर्ग के राज्यों में कार्यपालिका का मातृया राज्यपाल न कहलाकर राजप्रमुख कहलाता था। इनकी स्थिति वैधानिक प्रधान की स्थिति थी। इसको मलाह देने के लिये मन्त्रिमण्डल होता था। इसका निर्माण उसी प्रकार होता था तथा इसके कर्तव्य व अधिकार वही थे जो कि 'क' वर्ग के राज्यों में मन्त्रिमण्डल के होते थे। इन राज्यों में दिवान-मण्डल भी होते थे। मंसूर के अतिरिक्त अन्य 'ख' वर्ग के राज्यों में एक सदेनात्मक विधान-मण्डल था। मंसूर के अतिरिक्त अन्य 'ग' वर्ग के राज्यों में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रथम ग्राम चुनावों (१९५०) के पश्चात् कुछ कौन्सिलरों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी। इन कौन्सिलरों का काम इन राज्य-सरकारों को नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श देना था। इनके अतिरिक्त यदि राज्य-सरकारें चाहें तो अन्य किसी विषय पर भी इनकी राय उपलब्ध हो सकती थी।

उपर्युक्त 'ख' वर्ग के राज्यों में जम्मू तथा काश्मीर का विशेष स्थान था। राज्य पुनर्गठन के पश्चात् भी जम्मू तथा काश्मीर का संघ के अन्तर्गत एक विशेष स्थान है। इस राज्य ने अक्टूबर, १९५७ को भारत संघ में प्रवेश किया। प्रवेशपत्र द्वारा संघ को इस राज्य द्वारा केवल तीन विषय—सुरक्षा, यातायात तथा वैदेशिक सम्बन्ध दिये गये थे। केवल इन्हीं विषयों पर संघ को विधि बनाने का अधिकार था। परन्तु प्रदेश पत्र में यह भी उल्लिखित था कि अन्य विषयों पर भी संघ सरकार विधि बना सकती थी जिनको राष्ट्रपति राज्य-सरकार से परामर्श करके अपने आदेश में वर्णन कर दे। सन् १९५१ में एक संविधान सभा की काश्मीर में स्थापना हुई। इसने वशात् राजतन्त्र का अन्त कर दिया। परन्तु महाराज करणसिंह को ही राज्य का प्रधान चुना गया। इनकी सदर-इरियासत कहा गया। भारत तथा जम्मू काश्मीर के मध्य एक समझौता हुआ और सन् १९५४ में काश्मीर की संविधान सभा द्वारा इनको मान लिया गया। सन् १९५४ में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा यह प्रभावी हुआ। संविधान सभा ने काश्मीर के लिये संविधान का निर्माण किया जो, जैसा बतलाया जा चुका है, २६ जनवरी १९५७ से लागू हो गया है। इसके अनुसार वहाँ के शासन की निर्मातृत्व मुख्य विशेषताएँ हैं

इन संविधान द्वारा यह धारणा की गई है कि जम्मू-काश्मीर भारत का अविच्छिन्न (integral) अंग है तथा रहा होगा। संविधान द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा

मकाना है। मविधान का उद्देश्य एक समाजवादी समाज की स्थापना है। इस प्रकार हम दम्पने हैं कि काश्मीर तथा भारत का एक ही उद्देश्य है।

यहाँ के मविधान की मशाधन ध्यमथा न विषय में यह उपबन्ध है कि राज्य की विधान मभा में टी एमा प्रस्ताव पत्र किया जायगा। जब विधान मभा व दाना सदना में दा निहाई वटुमन न यह प्रस्ताव पारित हा जाय तो उमरे पश्चात् यह सदर इन्ध्यामत की म्वीश्रुति व लिये भेजा जायगा और म्वीश्रुति मिन्ने वर यह मिधि हा रूप ग्रहण कर लेगा। परन्तु कुछ वाता पर जम्मू-काश्मीर की विधान मभा का सनावन वग्ने का अधिकार नहीं है। उदाहरणार्थ, काश्मीर भारत का अविच्छिन्न अंग है तथा भारतीय मविधान के उन उपबन्धा का जा कि इस राज्य में भी लागू हाती है।

जम्मू-काश्मीर में गामदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। इस-प्रिय वहाँ का शासन उत्तरदायित्वपूर्ण शासन है। कार्यपालिका का मुग्धिया सदर-इ-रियामत बहलता है। यह पद निर्वाचित पद है। इगवा निवाचन काश्मीर की विधानमभा द्वारा किया जाता है। सविधान म कहा गया है कि राज्य का मुग्धिया वह व्यक्ति हागा जिसे राष्ट्रपति राज्य विधान मभा की सिफारिश पर मान्यता प्रदान करेगा। सदर इ-रियामत का वाय काल ५ वष गया गया है। इग समय वहाँ युवराज वणमिह सदर इन्ध्यामत है। हाती नियुक्ति नवम्बर १९५० में हुई थी।

क्योकि शासन का स्वरूप गामदीय है इसलिए वामनविन कार्यपालिका मन्त्रिमण्डल है जो कि विधानमभा व प्रति उत्तरदायी है। इग समय काश्मीर में प्रथी गुलाम मोहम्मद प्रधान मन्त्री है।

काश्मीर की व्यवस्थापिका द्वि-सदनात्मक है। निचला सदन वमरं मता धिदार द्वारा निवाचित हाता है। इसकी सदस्य मख्या १०० मवी गई है। परन्तु हागों में २१ स्थान उन सदस्यों व लिये रिक्त मये गये हैं जा कि काश्मीर के उग भाग का प्रतिनिधि न करेग जिस पर अभी पारिस्तान का मैनिक अधिकार है। मन्त्रिमण्डल का निमाण दस निवले सदर--विधानमभा--में जिस दल का बहुमत हागा उगना नेता करेगा। उपरी सदन में ३६ स्थान है। इगना निर्वाचन प्रत्येक नही हागा।

राज्य का अधना एन उच्च-यायालय है। परन्तु इस न्यायालय म अधीने भारत के सर्वोच्च न्यायालय म आयेंगे।

काश्मीर के नागरिक भारत के नागरिक हैं तथा उन मसम्त मूठ अधिकारा का प्रयोग करने हैं जा कि भारत न सविधान द्वारा प्रदान किए गये हैं।

संघीय क्षेत्रों का शासन-प्रबन्ध

उपरोक्त वर्णित स्वायत्त राज्यों के अतिरिक्त भारत मध्य में कुछ संघीय क्षेत्र भी हैं। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा, अण्डमान तथा लकड़ादीव द्वीप-समूह इस वर्ग में आते हैं। ये मधीय क्षेत्र, जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट हो जाता है, स्वायत्त राज्य नहीं हैं और इनका शासन केन्द्र के अधीन है। इनकी वही स्थिति है जो कि राज्य पुनर्गठन के पूर्व 'श' वर्ग के राज्यों की थी।

संविधान में कहा गया है कि प्रत्येक मधीय क्षेत्र (Union territory) का प्रशासन राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त एक प्रशासक के द्वारा करेगा। (पारा २३९) राष्ट्रपति इस उद्देश्य से यदि चाहें तो किसी राज्य के राज्यपाल को किसी सन्निकट मधीय-क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। परन्तु राज्यपाल इस प्रशासन के लिए अपने मन्त्रिमंडल से स्वतन्त्र रूप से काम करेगा।

इन संघीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में संसद् को व्यवस्थापन का पूर्ण अधिकार दिया गया है। परन्तु इसके अतिरिक्त संविधान में यह भी कहा गया है कि अण्डमान-निकोबार तथा लकड़ादीव द्वीप-समूह में शांति, उन्नति तथा अच्छे शासन के हित में राष्ट्रपति नियम (regulations) निर्माण कर सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा निर्मित नियम उस समय लागू हुए किसी विधि-को अप्रभावी कर देगा।

इन संघीय क्षेत्रों के लिए उच्च-न्यायालय स्थापित करने का अधिकार संविधान द्वारा ससद को प्रदान किया गया है।

राज्य पुनर्गठन के पूर्व दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा में एक विधान सभा थी तथा चीफ कमिश्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को मंत्रणा देने के लिए एक मन्त्रिमंडल होता था। परन्तु अब यह व्यवस्था हटा दी गई है। इनमें न विधान सभा है और न मन्त्रिमंडल ही।

क्षेत्रीय परिषद् :—दिसम्बर १९५६ में ससद द्वारा एक ऐक्ट पारित किया गया जिसे The Territorial Council Act, 1956 कहते हैं। इस ऐक्ट के द्वारा हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, तथा त्रिपुरा में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में एक क्षेत्रीय परिषद् (Territorial Council) होगी। इन क्षेत्रीय परिषदों में सदस्यों का वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। हिमाचल प्रदेश में ४१, तथा त्रिपुरा और मनीपुर प्रत्येक में ३० निर्वाचित सदस्य होंगे। मनीपुर

में १२ स्थान प्रनमचित जानिया क गिय मुरगिन रख गये हैं। इन निवाचिन सदस्यो क अतिरिक्त कन्द्रीय सरकार प्रत्येक परिषद में दो सदस्य मनानीत कर सकनी है। निवाचन क गिय इन क्षेत्रो का निवाचन भूभा म विभजन किया जायगा। मद्र काय कन्द्रीय सरकार क धानानुमार किया जायगा।

प्रत्येक व्यक्ति जो कि बस्यक हा तथा Peoples Representation Act, 19५0 क अनुमार मन प्रदान की योग्यता रखता है इन क्षेत्रोय परिषदो के सदस्यता क योग्य है यदि वह किसी क्षेत्रीय परिषद के लिए निवाचन है।

प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद म एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष हागा जिसका इत परिषद द्वारा निवाचन किया जायगा। इन अधिकारियो का क्षेत्रीय परिषद एक निश्चित मन मस्या द्वारा अपने पदा म हटा भी सकनी है।

इम एक द्वारा क्षेत्रीय-परिषदा क निम्नलिखिन मुख्य कृत्य है

(१) एमी चर तथा अचर सम्पत्ति और मस्याका का प्रबंध तथा रक्षा जो कि इम परिषद का हस्तान्तरित कर दिय जाय,

(२) उन मडका पूरा भवना तथा तालावा का निमाण रक्षा तथा सफाईकार ना इस हस्तान्तरित कर दिय जाय

(३) वसा का राखण तथा रक्षा

(४) प्राथमिक तथा माध्यमिक गिथालया का प्रबंध इनसे भवना का निर्माण तथा त्रणोद्वार तथा गिथालया की टूनिग आदि।

(५) ओपवाक्या तथा अस्पताला की स्थापना तथा प्रबंध,

(६) बाजारा तथा मला की स्थापना और इसका प्रबंध,

(७) मराया तथा सगय मालिका पर नियन्त्रण,

(८) जल का प्रबंध

(९) भूमि मरधान,

(१०) जानवरों का रक्षा तथा उनक इलाज का प्रबंध

(११) पशुजा की अत्याचार से रक्षा,

(१२) जन-स्वास्थ्य तथा सफाई

(१३) पचापत की दख रेस तथा उन पर नियन्त्रण

(१४) तथा कोई मन अन्य विषय जा कि कन्द्रीय सरकार इस परिषद को हस्तान्तरित करे।

उपयुक्त सूची को देखने से यह स्पष्ट है कि इन क्षेत्रीय परिषदों के अधिकार उस प्रकार के हैं जैसा कि सामान्यतः स्थानीय संस्थाओं (म्युनिसिपैलिटी या ट्रिम्बुट बोर्ड्स) को दिए जाते हैं। इन विषयों में भी ये परिषदें प्रशासक के नियन्त्रण में काम करेंगी। केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार है कि वह यदि चाहे तो इन क्षेत्रीय परिषदों से मजसत अधिकार ले सकती है।

दिल्ली में एक निगम (Corporation) को स्थापना की गई है जो कि यहाँ के स्थानीय विषयों का प्रबन्ध करेगा। अन्डमान तथा लकादीव द्वीप समूह का शासन प्रशासक के द्वारा ही किया जाएगा।

प्रश्न

- (१) नये संविधान के अनुसार राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन कीजिए। (यू० पी० १९५१)
- (२) नये संविधान के अनुसार राज्य की विधान सभा का निर्माण कैसे होता है? उसकी शक्तियों तथा विशेषाधिकारों का वर्णन कीजिए। (यू० पी० १९५२)
- (३) उत्तर प्रदेश की विधान सभा और विधान परिषद् के संगठन और पारस्परिक सम्बन्धों का वर्णन कीजिए। (यू० पी० १९५४)
- (४) उत्तर प्रदेश की सरकार में राज्यपाल का क्या स्थान है?
- (५) उत्तर प्रदेश की विधान सभा के निर्वाचन प्रणाली का वर्णन कीजिए। (यू० पी० १९५५)
- (६) उत्तर प्रदेश की व्यवस्थापिका सभा में कानून बनाने की क्या विधि है। समझाकर उदाहरण द्वारा बतलाइये। (यू० पी० १९५६)
- (७) उत्तर प्रदेश में द्वि-भवन विधान मण्डल की व्यवस्था क्यों की गई है? इनके पारस्परिक सम्बन्धों का वर्णन कीजिए। यदि प्रदेश दूसरे भवन को तोड़ना चाहे तो यह किस प्रकार सम्भव है। (यू० पी० १९५७)
- (८) उत्तर प्रदेश के राज्य शासन में राज्यपाल का क्या स्थान है। उसकी शक्तियों का उल्लेख कीजिए। (यू० पी० १९५८)
- (९) उत्तर प्रदेश के विधान मण्डल के अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। (यू० पी० १९५९)

न्यायपालिका

प्रत्येक संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है । इसका काम व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है । अगर इन अधिकारों की रक्षा नहीं की जावेगी तो व्यक्तित्व का विकास सम्भव नहीं है क्योंकि अधिकारों से तात्पर्य ही व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक दशाओं में है । लॉर्ड ब्राइमन एक स्थान पर कहा कि किमी सरकार की उत्तमता का सर्वोत्कृष्ट चिन्ह अच्छा न्याय विभाग है । क्योंकि साधारण नागरिक के हित तथा सुरक्षा के लिए यह भावना आवश्यक है कि उसके साथ उचित न्याय शीघ्र किया जावगा ।

सब सरकारें तो न्यायपालिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हैं । इसका काम संविधान की रक्षा करना हो जाना है । इसलिए इसका 'संविधान का संरक्षक' कहा जाता है । इसका कार्य यह देखना है कि व्यवस्थापिका कोई ऐसा कानून न बनाय जो कि संविधान के विरुद्ध हो इसलिए यह संविधान की रक्षा करती है । अगर कोई कानून इसके अनुसार संविधान के विरुद्ध हो तो वह अवैध घोषित कर दिया जाता है । इसके साथ ही साथ यह इस बात की भी देखती है कि सब सरकारें तथा राज्यों की सरकारें अपने अपने क्षेत्र के बाहर नहीं जाती हैं । अगर सब सरकारें तथा राज्यों की सरकारों में प्रथवा राज्यों में आपस में कोई झगडा होता है तो उगका निणय न्यायपालिका ही करती है ।

साधारणतः सघातक संविधान में दो न्यायपालिकाएँ होती हैं—सब की तथा राज्यों की । अमेरिका में ऐसा ही है और वहाँ वे एक दूसरे से अलग हैं । परन्तु भारत में ऐसा नहीं किया गया है । अंग्रेजी शासन काल में समस्त देश के लिए एक ही सुप्रीम न्यायपालिका का प्रबन्ध था । नये संविधान में भी ऐसा ही रखा गया है इसका कारण यह बतलाया गया है कि कानून तथा उसके शासन में समस्त देश में कोई विभिन्नता न रहे । भारत का सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय कहलाता है । राज्यों में उच्च न्यायालय हैं । परन्तु ये सब सब सरकार के अधीन हैं ।

उच्चतम न्यायालय — स्वतन्त्रता के पूर्व भारत के फंसलो की अग्निम अपील इंग्लैंड के प्रिन्सी कौंसिल में होती थी । परन्तु अब उच्चतम न्यायालय ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय है । नवविधान में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधिपति तथा जब तक मजद विधि द्वारा इस मस्या को नहीं बढ़ाती अधिक से अधिक नव अन्य न्यायाधीश होंगे । परन्तु अब ससद द्वारा यह मस्या १० कर दी गई है । इन न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है । मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय तथा राज्यों के उच्चन्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों की सलाह लेगा, जिनसे राय लेना वह आवश्यक समझे । अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में, इनके अतिरिक्त मुख्य न्यायाधिपति में सलाह लेना आवश्यक है ।

इनके मलावा इस बात का प्रबन्ध किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर मुख्य न्यायाधिपति राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, तदर्थ न्यायाधीशों (ad hoc judges) को कुछ समय के लिये नियुक्त कर सकता है । सर्वोच्च न्यायालय तथा नवविधान लागू होने के पूर्व के सपीय-न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जा सकती है ।

योग्यताएँ — सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिये यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, किसी राज्य के उच्च न्यायालय में कम से कम लगातार ५ वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय में कम से कम लगातार दस वर्ष तक अधिवक्ता (advocate) रह चुका हो, या राष्ट्रपति की राय में पारगत विधिवेत्ता (jurist) हो । प्रत्येक न्यायाधीश को ६५ वर्ष की आयु पूरी करने पर पद से अवकाश ग्रहण करना पड़ेगा ।

वेतन :— मुख्य न्यायाधिपति को ५००० रुपया मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों को ४००० रुपया मासिक वेतन मिलेगा । इसके अतिरिक्त उन्हें रहने के लिए बिना किराये का मकान तथा अन्य भत्ते मिलेंगे ।

शपथ :— प्रत्येक न्यायाधीश पद-ग्रहण से पूर्व राष्ट्रपति के सम्मुख पद की शपथ लेगा कि वह नवविधान के प्रति निष्ठा रखेगा तथा निष्पक्ष रूप में बिना भय या द्वेष के न्याय करेगा ।

स्वतन्त्रता :— न्यायपालिका के लिये यह आवश्यक है कि वह स्वतन्त्र रहे नही तो मज्जा न्याय असम्भव है । इस उद्देश्य से नवविधान में कई उपबन्ध रखे गए हैं ।

(अ) समद या किसी राज्य के विधान-मण्डल में उच्चतम न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश द्वारा अपने कृतव्य-
ालनायें किये गये किसी कार्य पर विचार नहीं हो सकता ।

(ब) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन तथा भत्ते आदि उनके
वकाल में घटाए नहीं जा सकते हैं । यह व्यय भारत की सचिव निधि में से
रखा जावेगा । अनएव समद इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है ।

(स) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपनी पदावधि के पूर्व केवल दो
पेरिया में हट सकते हैं । या तो त्यागपत्र दे दें या समद के दोनों सदन पृथक्-
थक या एक ही अधिवेशन में, अपने समस्त सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित
दस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा राष्ट्रपति से यह प्रार्थना करें
के कोई न्यायाधीश अयोग्यता अथवा बर्दाचार (misbehaviour) के
रण अपने पद से हटा दिया जाव ।

(द) अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने तथा कार्य सम्बन्धी नियमों को
नाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को दिया गया है । मुख्य न्यायाधिपति
उसकी आज्ञा में कोई अन्य पदाधिकारी उस न्यायालय के कर्मचारियों की
न्युक्ति करेगा । परन्तु राष्ट्रपति यह नियम बना सकता है कि कोई व्यक्ति जो
के पहले उच्चतम न्यायालय से लगा न हो बिना मधीय सेवा आयोग की राय
के नियुक्त न किया जावे । कर्मचारियों की सेवा की शर्तें भी न्यायालय स्वयं
रख करेगा । परन्तु वन हट्टी भत्ते तथा पन्शन के नियमों के लिए राष्ट्रपति
अनुमोदन चाहिये । उच्चतम न्यायालय को समद द्वारा बनाये हुए कानून
अधीन तथा राष्ट्रपति के अनुमोदन में अपने कार्यप्रणाली तथा प्रक्रिया
सम्बन्धी नियम बनाने का अधिकार है । जैसे अपने कर्मचारियों के बारे में, या
नीतों बनाने के लिए प्रक्रिया के बारे में, या किसी मूल अधिकार को पूर्ण
नाने के लिये उस न्यायालय में कार्यवाही के बारे में या उस न्यायालय में
कार्यवाहियों में सम्बन्धित गवें तथा फीस के बारे में तथा इसी प्रकार के अन्य
वषयों पर नियम बनाने का अधिकार है ।

(ध) अवन्यग्रहण करने के पश्चात् भी न्यायाधीशों को किसी भी
यायालय में बर्नालत करने का अधिकार नहीं दिया गया है ।

(र) स्थान — उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों
में, जिन्हें भारत की मुख्य न्यायाधिपति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर
नेश्चित करे, बैठेगा ।

अभिलेख न्यायालय — उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। इसलिए इसे अपने अपमान (contempt) के लिए दण्ड देने की सब शक्तियाँ होंगी। अभिलेख न्यायालय (Court of Record) ने यह तात्पर्य है कि उनकी सब कार्यवाही तथा कृत्य प्रामाणिक माने जाते हैं और उसे अपमान के लिए दण्ड देने का अधिकार होता है।

अधिकार — संविधान द्वारा इसको निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं।

(१) प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction) :— प्रत्येक संघीय-संविधान में संघ तथा इनके राज्यों के बीच अधिकार विभाजन होता है। इनमें से प्रत्येक का क्षेत्र निश्चित है। परन्तु इन दोनों में आपस में अपने-अपने क्षेत्र विस्तार के सम्बन्ध में विवाद उठ सकते हैं। ऐसे अवसर पर यह आवश्यक हो जाता है कि कोई ऐसी मत्ता हो जो कि ऐसे विवादों का निर्णय करे। संघ सरकार में यह मत्ता न्यायपालिका होती है।

भारतीय संविधान में संघीय-न्यायालय का निम्नलिखित विवादों पर उक्त सीमा तक प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार होगा जहाँ तक उनका सम्बन्ध किसी वैध अधिकार से है :—

(५) भारत सरकार तथा किसी राज्य या राज्यों के बीच।

(७) एक ओर भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्य और दूसरी ओर किसी राज्य या राज्यों के बीच।

परन्तु उच्चतम न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार को संविधान की धारा १३१ के द्वारा कुछ सीमित किया गया है। उदाहरणार्थ इन क्षेत्राधिकार के अन्दर कोई ऐसा विवाद सम्मिलित नहीं होगा जो संविधान लागू होने के पूर्व की गई किसी संधि या समझौते के कारण उत्पन्न हुआ हो तथा वह संधि या समझौता संविधान लागू होने के बाद भी मान्य हो। इसी प्रकार यदि किसी राज्य के साथ यदि इस प्रकार की संधि हुई हो जिसके अनुसार किया प्रकार का विवाद-विशेष उच्चतम न्यायालय के सम्मुख नहीं प्रस्तुत किया जायगा, तो वह भी इसक क्षेत्राधिकार के बाहर हो रहेगा। इसके अतिरिक्त वित्त आपाग में संबंधित बातें (धारा २८०), राज्यों के मध्य जलपूर्ति सम्बन्धी मामले (inter state water supply), नागरिकों के बीच विवाद, राजदूत सम्बन्धी मामले आदि भी इस क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

(२) मूल अधिकारों का मरना — उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षण है। संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह इन अधिकारों के साथ उच्चतम न्यायालय के समक्ष जा सकता है। इस उद्देश्य का पूर्ति के लिये हम न्यायालय का विचार प्रचार के लिये निवारण के अधिकार हैं जिनका वर्णन हम पहले कर चुके हैं। इस प्रकार अन्य न्यायालयों के निर्णयों का दहरा करना है।

(३) अपीलीय क्षेत्राधिकार — स्वाधीनता के पूर्व भारत के मूल न्यायालय में अपील इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में होती थी। अतएव यह कौंसिल ही सर्वोच्च अपील न्यायालय थी। परन्तु सितम्बर १९४९ में भारत का सर्वोच्च अपील न्यायालय एक कौंसिल बना रहा। अत उच्चतम न्यायालय ही सर्वोच्च न्यायालय है। इसके निर्णय के विरुद्ध किसी अन्य न्यायालय में अपील नहीं हो सकती है। परन्तु यह स्वयं अपने आदेशों तथा निर्णयों का पुनर्विलोकन कर सकता है। उच्चतम न्यायालय में माधुर्यत उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील होती है परन्तु इनका यह अधिकार है कि यह नैतिक न्यायालयों के अतिरिक्त भारत में अन्य किसी न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील की शक्ति दे दे।

(४) उच्चतम न्यायालय में संविधानिक, व्यक्तिक-सम्बन्धी तथा दण्ड सम्बन्धी (Constitutional Civil and Criminal) विवादों को अपील हो सकता है। संविधानिक विवादों को अपील हम न्यायालय में तथा गुनी जायगी जब कि किसी राज्य का उच्च न्यायालय यह प्रमाण दे कि इन विवादों में संविधान-सम्बन्धी वाद प्रस्तुत नहीं हैं। अगर उच्च न्यायालय इस प्रकार का प्रमाणपत्र न दे तो उच्चतम न्यायालय स्वयं ही एका प्रमाणपत्र दे सकता है।

व्यक्तिक-सम्बन्धी विवादों में उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं हो सकती है जब कि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करे कि वाद विषय की शक्ति या मूल्य सीमा द्वारा स्वयं से कम नहीं है। यदि यह मामला उच्चतम न्यायालय में अपील के योग्य है।

दण्ड सम्बन्धी मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध तब अपील हो सकती है यदि उच्च न्यायालय ने अपील में निचले न्यायालय द्वारा मुक्त किया हुआ किसी अभियुक्त का मृत्यु-दण्ड दिया है या निचले न्यायालय में किसी मामले का अपने परीक्षण के लिए मगाने अभियुक्त का मृत्यु-दण्ड दिया है, या उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने लायक है।

(४) राष्ट्रपति को परामर्श देना — राष्ट्रपति किसी विधि या तथ्य सम्बन्धी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न को उच्च न्यायालय के विचार के लिए नीप सकता है। उच्चतम न्यायालय ऐसे प्रसंगों पर उचित मुनवाई के बाद अपनी राय देगा। अभी राष्ट्रपति द्वारा केरल सरकार द्वारा पारित शिक्षा-विधेयक उच्चतम न्यायालय को परामर्श के लिए भेजा गया था और न्यायालय ने उसपर अपनी राय दी। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति को अवश्य ही मानना पड़ेगा ऐसा संविधान में नहीं कहा गया है और न यही कहा गया है कि राष्ट्रपति इस विषय में स्तब्ध है।

(५) पुनरावृत्ति का अधिकार :— उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार भी है कि अपने द्वारा दिए गए किसी निर्णय का पुनः अवलोकन कर सके तथा उसकी त्रुटियाँ हटा दे।

उच्चतम न्यायालय के अधिकारों में सशुद्ध विधि द्वारा वृद्धि कर सकती है। इस न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के अन्दर सब न्यायालयों पर बंधनकारी होगी।

संविधान में उच्चतम न्यायालय का स्थान :— भारतीय उच्चतम न्यायालय देश की न्यायपालिका का उत्तमार्ग है। संविधान के द्वारा इसको विशेष अधिकार सम्पन्न इसलिये किया गया है कि जिससे यह देश के संविधानक व्यवस्था में अपनी भूमिका ठीक प्रकार से निभा सके।

न्यायपालिका के मूल सिद्धांत के रूप में इसका कार्य यह देखना है कि कानून ठीक प्रकार लागू किए जाते हैं तथा कोई भी नागरिक न्याय से वंचित नहीं किया जाता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था का यह आधारभूत सिद्धान्त है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिये न्याय सुलभ हो तथा सभी के लिए न्याय समान हो। इसलिये यदि किसी को यह विचार हो कि उसके साथ न्याय नहीं किया गया है वह उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है। तथा यह उसे किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील करने की अनुमति दे सकता है। उच्चतम न्यायालय नागरिक के मूल अधिकारों का संरक्षक है।

इसके विषय में एक विद्वान ने कहा था कि यह संसार के सब उच्चतम न्यायालयों में अधिक शक्तिशाली है। इसी प्रकार भारत के महान्यायाधीश श्री सीतल-

1. The Indian Supreme Court was described as having "more power than any other supreme court in any part of the world" — A. K. Aiyer.

वाद के एक अवसर पर कहा था कि दसक अधिवार राष्ट्रमण्डल के विभी भी दस के उच्चतम न्यायालय अथवा अमेरिका के उच्चतम न्यायालय न अधिक है । अमेरिका के उच्चतम न्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार भारतीय उच्चतम न्यायालय के अधिक विस्तृत है । परन्तु अपीलीय क्षेत्राधिकार भारतीय उच्चतम न्यायालय का अधिक विस्तृत है ।

अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के सम्बन्ध में कहा जाता है कि वह देश की व्यवस्थापिका का तीसरा गदन हो गया है इसने अपने न्यायिक पुनर्विगठन के अधिकार का एक प्रकार प्रयोग किया है कि देश की ऐसी स्थिति हो गई है । भारतीय उच्चतम न्यायालय को भी न्यायिक पुनर्विगठन का अधिकार है । यदि देश में कोई व्यवस्थापिका ऐसी विधि का निमाण कर जा संविधान का उल्लंघन करती हो या कोई वायपात्रिका का ऐसा आदेश दे जो संविधान का अतिक्रमण करती हो इन दोनों दशाओं में उच्चतम न्यायालय एक विधि अथवा आदेश का अर्थ घोषित कर देगा । परन्तु भारतीय उच्चतम न्यायालय का यह अधिकार प्रत्यक्ष रूप से संविधान द्वारा नहीं दिया गया है ।

भारत का उच्चतम न्यायालय विभी कानून का दमन्य अर्थ घोषित कर सकता है कि यह संविधान की धारा ३३ का उल्लंघन करता है परन्तु यह एक कारण उक्त अर्थ नहीं घोषित कर सकता है कि बुरा (bad) कानून है । भारतीय उच्चतम न्यायालय के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह आधिक तथा सामाजिक नीति के निर्धारण में व्यवस्थापिका के काम में रोक अटका सके । भारत में न्यायपालिका की स्थिति दूरतः तथा अमेरिका के बीच है । इस न्यायिक पुनर्विगठन का अधिकार है परन्तु यह अधिकार उनना व्यापक नहीं है जितना अमेरिका में । उच्चतम न्यायालय ने स्वयं अपने एक निर्णय में कहा है कि भारत में न्यायपालिका को वह भूमिका (role) नहीं हो सकती जो कि अमेरिका में है । भारत में अन्ततोगत्वा व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता है न कि न्यायपालिका की । समस्त संविधान में संशोधन के द्वारा न्यायपालिका की शक्ति का अप्रभावी कर सकता है ।

“ It can firmly be said that the jurisdiction and powers of this court in their nature and extent are wider than those exercised by the highest court of any country in the Commonwealth or by the Supreme Court of the U.S.A ”

राज्यों की न्यायपालिका

उच्च न्यायालय —नाधारणतः सभ राज्यों में दोहरी न्यायपालिका होती है—न्यायाधीश तथा राज्यो की। परन्तु जैसा हन पहले लिख चुके हैं भारतीय संविधान द्वारा दोहरी न्यायपालिका की स्थापना नहीं की गई है। इसका कारण यह कहा गया है कि मममत्त देश में एक न्याय व्यवस्था होनी चाहिये।

संविधान द्वारा प्रस्तावित राज्यों के लिये एक उच्च न्यायालय का उपबन्ध किया गया है। केन्द्र द्वारा प्रस्तावित राज्यों के लिये उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार सन्द् की दिया गया है। जिन राज्यों में नवीन संविधान लागू होने के पूर्व उच्च न्यायालय थे, इन संविधान के लागू होने पर वहाँ के उच्च न्यायालय मान लिये गए हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अनिलय न्यायालय है और इसको ऐसे न्यायालय के सब अधिकार दिए गए हैं। अधीन न्यायालय इसके फैसलों को प्रामाणिक मानेंगे।

प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधिपति तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायाधीशों की अधिक से अधिक किन्तु नौ संख्या हो, इनको राष्ट्रपति आदेश द्वारा समय-समय पर नियत करेगा। इसलिए विभिन्न राज्यों में संख्या अलग-अलग होंगी।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिये निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए।

- (१) भारत का नागरिक होना,
- (२) भारत राज्य क्षेत्र के अन्दर कम से कम दस वर्ष तक कोई न्यायिक पद (Judicial Office) धारण किया होना,
- (३) भारत के किसी उच्च न्यायालय में कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधिपति तथा राज्य के राज्यपाल अथवा राजप्रमुख के परामर्श में करता है। अन्य न्यायाधीशों को नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधिपति तथा राज्य के मुख्य न्यायाधिपति की राय में करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति उनको कानूनो जोखता तथा चरित्र आदि पर ध्यान रखता है। प्रत्येक न्यायाधीश ६० वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है।

गत्या क मृत्यु यायाधिपति का ८००० रुपया मामिक तथा अय यायाधागा को २५०० रुपया मामिक वनत मित्रता ह अयथा प्रथम करन क पचात् अनको पगत भी मित्रता । गत्य त भाग्य क मर्या यायाधिति म पगत क र मित्री यायाधागा का एक उत्र यायाध्य म मर उ च यायाध्य म म्यानात र्न कर सकता । प्रथम यायाधागा पर प्रथम म पूव रा यथा क मामत पद को गवय र्ता ।

यायाधीन अग्न चात् ता अयन पर म म्नाका र सकता ह । अग्न ममद् क र्ता मरुत अयन ममम्ल मर्या क वटुमन म तथा उपस्थित मर्या के दा तिराद् वटुमन म मित्री यायाधागा क विमृष्ट अयाधिता अथवा कयचार का आराध करव गत्य त म उम हान की प्रायना करन ह ना गत्यपति म अयन पर म हटा सकता ।

मरुत का प्रत्यक्षिणा गया र वि यायाधागा स्वतन्त्र म्नाकारण यायाधागा का पर म हान क गिण मर विप व्यम्या का म ह । उनक वनत तथा भला म विधान मर्या कर्ई कमाना कर सकता र त उनक मरुत म कर्ई गत्यधित म विधान मर्या म हा सकता । गत्या क विधान मर्या द्वारा पाग का भी वि विज्ञेय क वि उत्र यायाध्य र अयिगर पर उर्या प्रभाव र्ता र विता रात्य त का स्वीकृति क कानन त्नी हा सकता ह । पर म अयनाग ग्रहण करन क वात् क विगा भा यायाध्य म वरायन न्ता कर सकत ।

न्यायाधिकार — उच्च न्याया क अधिकार दुष्ट मागरण परितनना क अ नारुत वता र जा नान मविधान गग हान क पूव थ । उच्च यायाद्या क अ धरार वाका विमृत ह । व गत्य क अर्य लोधाना तथा फोजगरा दाना प्रकार क मामता म अर्थात् की मरुत ऊची अर्यात् ह । मविधान गग हान क पूव कर्त्ता वावई तथा मराम क उ च यायाद्या क पाप प्रारम्भिक तथा अयागम दाना प्रकार क अधिकार थ । व लोधाना मुक्त्प जिनका मूय दा हजार रुपय म अधिन हाता था इनम आरम्भ कर सकत व क फोजगरा क मरु म भा जा प्रयाउमा द्वारा भज जान व मम आरम्भ हा सकत थ । अय उ च यायाद्या का प्रारम्भिक अधिकार न्ता थ । व वर्य अयागम यायाध्य थ । नग मविधान द्वारा इम अर्या म कर्ई परितनन न्ता क्रिया गया ह । पर नु इनक हाग उत्र यायाद्या क अरिहार अत्र म उछ वट्टि ह ह एक ता यहू मि अद र मरुत तव मरुती वमूग म मरुति वर मामत उ च यायाद्या क प्रारम्भिक अश धरार क अयवय अ गग ह । म म्यात र् मू

होने के पूर्व यह अधिकार नहीं था। दूसरे यह कि अब नवीन सविधान द्वारा प्रत्येक उच्च न्यायालय को लेख निकालने का अधिकार दे दिया गया है। इससे पूर्व केवल कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के उच्च न्यायालयों का यह अधिकार था। अन्य उच्च न्यायालय केवल बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख ही निकाल सकते थे। परन्तु अब सब उच्च न्यायालयों को यह अधिकार प्रदान किया गया है। यह अधिकार इसलिए प्रदान किया गया है ताकि व्यक्तियों के मूल अधिकारों का उचित प्रकार से संरक्षण हो सके। उच्च न्यायालय किसी कानून को अगर सविधान के उपबन्धों के विरुद्ध ही अल्प घोषित कर सकता है।

प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने राज्य क्षेत्र के अन्दर सब अन्य न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों (Tribunals) पर निरीक्षण का अधिकार है। परन्तु सैनिक न्यायालय इसके निरीक्षण में नहीं रहेंगे। अपने अधीन न्यायालयों के ऊपर उच्च न्यायालय के नीचे लिखे अधिकार हैं:—(क) अधीन न्यायालयों से विवरणी (Call for returns) मंगा सकता है। (ख) अधीन न्यायालयों की कार्यप्रणाली तथा कार्यवाहियों को निश्चित करने के लिये नियम बना सकता है। (ग) अधीन न्यायालय के अधिकारियों द्वारा रखी जानेवाली पुस्तकें, प्रविष्टियाँ तथा लेखाओं के रखने का ढंग निश्चित कर सकता है। (घ) अधीन न्यायालयों के शेरिक, क्लर्क, अन्य कर्मचारी तथा बकॉल आदि को पीस निश्चित कर सकता है, (ङ) किसी मुकदमे को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेज सकता है।

हरतान्तरण का अधिकार—यदि उच्च न्यायालय यह समझे कि किसी अधीन न्यायालय में कोई ऐसा मामला है जिसमें कि सविधान के निर्वाचन (Interpretation) सम्बन्धी कोई प्रश्न अन्तर्गत है तथा जिसका निर्धारित होना मामलों के निबटाने को आवश्यक है तो वह उस मुकदमे को अपने पास मंगा लेगा। या तो वह उस मामले को स्वयं निपटा देगा या उस विशेष प्रश्न को निर्धारित कर मामले को फिर से निचले न्यायालय में भेज देगा। दूसरी दशा में निचला न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्रागे कार्यवाही करेगा।

उच्च न्यायालय के पदाधिकारी आदि—उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों तथा सेवकों को नियुक्तियाँ मुख्य न्यायाधिपति या उसकी आज्ञा से उस न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीन करता है। परन्तु राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के लिये जो कि पहले से न्यायालय में नहीं लगा है यह नियम बना

सकता है कि वह लोक सेवा के आयोग के परामर्श बिना नियुक्त न हो। इन पदाधि-
कारियों की सेवा की शर्तें राज्य के विधान भण्डाल द्वारा इस सम्बन्ध में बनायी
हुए कानूनों के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायाधीशपति द्वारा निश्चित की जाती
हैं। वेतन भत्ता तथा छुट्टी आदि में सम्बन्धित नियमों के लिये राज्यपाल
को अनुमोदन चाहिये। वेतन आदि का यय राज्य की सचि त निधि पर भारत
है।

संसद् को यह अधिकार है कि वह उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का बन्ध
सकती है या उनके अधिकार को कम कर सकती है।

राज्यों में अधीन न्यायालय — उच्च न्यायालय के अधीन जित्त में कई
न्यायालय हाते हैं। फौजदारी तथा दीवानी के अलग अलग न्यायालय होते हैं।
इनके अतिरिक्त माल की अदालतें (राजस्व न्यायालय) भी होती हैं।

दण्ड न्यायालय — जिले में सबसे बड़ा दण्ड न्यायालय सेशन कोर्ट कह-
लाता है। इसके न्यायाधीश को सेशन जज कहते हैं। सेशन जज की महायतार्थ
सहकारी सेशन जज भी होते हैं। इन न्यायालयों में जज मुकदमों का निणय
जुरी या असेसरो की सहायता में करते हैं। इन न्यायालयों के अधिकार फौज-
दारी मामलों में उच्च न्यायालय के समान ही हैं। परन्तु इसके द्वारा दिए हुए
दण्ड के लिए उच्च न्यायालय का अनुमोदन आवश्यक है। इसके अधिकार
प्रारम्भिक तथा अपीलिय दोनों प्रकार के हैं।

सेशन जज के अधीन तीन श्रेणी के मजिस्ट्रेट होते हैं। प्रथम श्रेणी के
मजिस्ट्रेट का २ वर्ष की सजा तथा १००० रुपया तक जुर्माना करने का अधि-
कार है। द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट का ६ माह की सजा तथा ३०० रुपया तक
जुर्माना करने का अधिकार है। तृतीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट १ माह की सजा तथा
५० रुपया जुर्माना कर सकता है। मजिस्ट्रेट वैतनिक तथा अवैतनिक दोनों
प्रकार के होते हैं। अवैतनिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति राज्य की सरकार करती
है। इनके पास साधारण मुकदमों ही आते हैं।

वैतनिक मजिस्ट्रेटों में जिलाधीश (District Magistrate) का प्रथम
श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अधिकार होते हैं। इसके नीचे डिप्टी कलेक्टर तथा सहा-
सोलदार और नायब तहसीलदार की कचहरियाँ होती हैं। प्रेसीडेन्सी शहरों
में प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट होते हैं। बड़े शहरों में मिटी मजिस्ट्रेट भी होते हैं।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कचहरी में उसके भातहत कचहरियाँ के निणयों की

अपील हो सकती है। प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध तेराज जज की अदालत में तथा इनके निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील हो सकती है।

अभी तक जिला अधिवारियों के पान कार्याचारियों और न्यायाधिकारियों दोनों प्रकार के अधिकार मयुक्त रूप में हैं। परन्तु नागरिकों की स्वतंत्रता के हित में यह कहा जाता है कि इनका पृथक्करण होना चाहिये। इस उद्देश्य में कुछ राज्यों ने पहला कदम उठाया है।

व्यवहार न्यायालय :—जिले में दीवानी की सबसे बड़ी अदालत जिला न्यायाधीश की अदालत होती है। साधारणतः एक ही व्यक्ति तेराज जज तथा जिला न्यायाधीश दोनों पद धारण किए रहता है। जिला न्यायाधीश को दीवानी मामलों में प्रारम्भिक तथा अपीलीय दोनों प्रकार के अधिकार हैं। इसमें केवल उन मुकदमों की अपील हो सकती है जिनका मूल्य ५०००) से कम होता है। इसके अधिक मूल्य के मुकदमों को उच्च न्यायालय में अपील के लिये जाते हैं।

जिला न्यायाधीश के मातहत अन्य अदालतें होती हैं जिनके ऊपर उनको निरीक्षण का अधिकार है। सिविल जज जिला न्यायाधीश के मातहत है। उसको लगभग वही अधिकार प्राप्त हैं जो कि जिला न्यायाधीश को। इनके नीचे मुन्सिफ की अदालत होती है। मुन्सिफों को साधारणतः २०००) मूल्य तक के मुकदमों और विशेष अधिकार दिए जाने पर ५०००) मूल्य तक मुकदमों का अधिकार रहता है। परन्तु इनको अपीलीय अधिकार नहीं हैं बड़े जिलों में इनके अतिरिक्त स्पेशल-कांज-कोर्ट (सफीया अदालत) भी हैं। इनमें साधारणतः ५००) और विशेष अवसरों पर १०००) मूल्य तक के मुकदमों मुने जाते हैं। कलकत्ता, चम्बई तथा मद्रास में ये अदालतें २०००) मूल्य तक के मुकदमों मुन सकती हैं। इनके निर्णय की अपील नहीं होती है।

जिला न्यायाधीश आदि की नियुक्ति :—राजविधान में यह कहा गया है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद-स्थापना तथा पदोन्नति उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्यपाल या राजप्रमुख करेगा। कोई व्यक्ति जो संघ की या राज्य की सेवा में पहिले से नहीं लगा है, तभी जिला-न्यायाधीश हो सकता है जब कि वह कम से कम सात वर्षों तक अधिवक्ता या वकील रहे चुका है तथा उनकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की है। जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य पदों पर नियुक्ति के लिये राज्य-

पाल उस राज्य के लोकसेवा आयोग तथा उच्च न्यायालय में परामर्श करेगा। राज्य के अन्तर्गत सब अधीन न्यायालयों तथा उनके कम-कारियों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण तथा निर्देशन का अधिकार है।

माल की अदालत — राज्य में माल की सबसे बड़ी अदालत याद अवि रैवेन्यू है। इसके नीचे कमिश्नर की अदालत होती है। जिसे माल की सबसे बड़ी अदालत जिला मजिस्ट्रेट की होती है। इसके नीचे डिप्टी कमिश्नर तथा तहसीलदार की अदालतें हैं। इन अदालतों में मालगुजारी सम्बन्धी मामले मुने जाते हैं।

न्याय-पंचायत — जिन मूलों में पचासत प्रथा स्थापित की गई है वहाँ पचासती अदालतें भी हैं। इन अदालतों के सदस्यों का चुनाव गाँव की पचासत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। गाँव के मामूली मुकदमों—दीवानी तथा फौजदारी—की मुकदमें इन अदालतों में होते हैं।

प्रश्न

उच्चतम न्यायालय के कृपा तथा अधिकारों का वर्णन कीजिये। इस न्यायालय का भारतीय नविवान में क्या विशेष महत्व है? (यू० पी० १९५३)

(२) सभी राज्यों में न्यायपालिका का क्या महत्व है? भारत में न्याय-पालिका कहाँ तथा इन कृतियों का पूरा करती है?

(३) उच्च न्यायालयों के मगटन तथा अधिकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिये।

(४) जिले में न्याय का प्रथम किन प्रकार होता है? समझा कर लिखिये।

(५) भारत के उच्चतम न्यायालय के मगटन तथा अधिकारों का स्पष्ट वर्णन कीजिये। (यू० पी० १९५६)

(६) हमारे नविवान में उच्चतम न्यायालय का क्या स्थान है? उसके अधिकारों का वर्णन कीजिये। (यू० पी० १९५७)

जिले का शासन-प्रबन्ध

जिलाधीश—प्रत्येक राज्य कई जिलों में बाँटा गया है; हमारे उत्तर प्रदेश में ५१ जिले हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सब जिलों में आबादी बराबर हो या उनका क्षेत्रफल बराबर हो। कुछ जिले छोटे तथा कुछ बड़े हैं। इसी प्रकार आबादी की दृष्टि से भी उनमें काफी अन्तर है। प्राथिक दृष्टि से भी उनमें घसमानता है। परन्तु प्रत्येक जिले में शासन-बन्ध एक सा ही होता है। हर जिले में सरकार के कई विभाग होते हैं, जैसे, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, पब्लिक वर्क्स आदि। इनमें से प्रत्येक का जिले में एक प्रधान होता है। जिले में सबसे मुख्य अधिकारी जिलाधीश कहलाता है। वह जिले में सरकार की शक्ति का प्रतीक है। वह प्रत्येक दृष्टि से जिले का मुख्य अधिकारी है। साधारण बोल-चाल में वह जिले का मालिक है। उसका मुख्य काम लगान वसूल करना तथा जिले में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखना है। साधारण जनता की शिकायतों में वही सरकार है। उनके बड़े प्रकार के न्याय होते हैं। जिले का प्रत्येक विभाग कुछ मात्रा तक उसके निरीक्षण में रहता है। एक लेखक के अनुसार वह जिले में सरकार का मुख, कान, मूँह तथा हाथ है।

स्वराज्य प्राप्ति में पूर्व साधारणतः इण्डियन निविल सर्विस के सदस्य जिलाधीश बनाये जाते थे। कुछ अवसरों पर प्रांतीय निविल सर्विस के बहुत पुराने सदस्य भी कभी-कभी बिनी जिले के जिलाधीश बना दिये जाते थे। परन्तु मुख्य जिलों के जिलाधीश सर्वदा इण्डियन निविल सर्विस के ही सदस्य होते थे। ब्रिटिश सत्ता के ये जिलाधीश प्रतीक थे। अब जिलाधीश भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सदस्य होंगे। इस समय कई प्रांतीय सर्विस के सदस्य भी जिलाधीश पद पर नियुक्त हैं।

जिलाधीश के अधिकार—उसके अधिकार अनेक हैं। मृविद्यार्थ उनको हम नीचे लिखे वर्गों में बाँट सकते हैं।

(१) जिले में शान्ति तथा सुव्यवस्था बनाये रखना—सामाजिक जीवन के लिए शान्ति आवश्यक है। सरकार के मुख्य कर्तव्यों में से एक यह है कि

तत्पश्चात् नागरिक को इस बात का विश्वास हो कि वह अपना काम बिना क्लेश वाधाओं के कर सकता है। इसके लिये शान्ति तथा व्यवस्था बनी रहनी चाहिये। जिले के अन्दर यह काम जिलाधीश का है। इस हेतु जिले की पुलिस को उमके साथ सहयोग करना पड़ता है। तथा उसके आज्ञानुसार काम करना जाना है। पुलिस जिलाधीश का एक हाथ है। जिले में तत्पश्चात् पुलिस-अफसर इस दृष्टि से मातहत है। शान्ति तथा व्यवस्था का बनाये रखने के लिये वल्लेक्टर को बहुत अधिकार दिये गए हैं। वह मभा या जुलूमों पर रोक लगा सकता है। बरफू आडर तथा धारा १४४ लगा सकता है। वह समाचार पत्रों को भी देखभाल करता है। वह बन्दूक आदि के लाइसेन्स पर भी रोक रखता है। जिले में शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये यह जिले का दौरा करता है। जनता के प्रतिनिधियों से मिलता है। उनकी तकलीफों का मुनता है उन्हें दूर करने की चेष्टा करता है। आज्ञाकारी गणों को बड़े तथा यकाभा की कमी के कारण इन बातों का प्रबन्ध करने के लिए जो राशनिंग तथा मप्लार्ड विभाग लगे गए हैं वे भी जिलाधीश के अधीन हैं।

(२) मालगुजारी वसूल करने का अधिकार — वल्लेक्टर सब्द का अर्थ ही वसूल करने वाला होता है। वह जिले की मालगुजारी वसूल करता है। यह भी उसके मुख्य कामों में से एक है। उसको यह अधिकार नहीं कि वह मुद्रा या बढ़ा सके। परन्तु अकाल बाढ़ आदिके समय वह सरकार से यह सिफारिश कर सकता है कि इसमें कमी या छूट कर दी जावे। इसलिए जिले के अन्दर सब कार्य से सम्बन्धित सब अधिकारी उसके मातहत हैं। उसके नीचे काम को करने के लिये डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार नायब तहसीलदार, कानूनगो तथा पटवारी होते हैं। इस प्रकार जिलाधीश इस संगठन का मुखिया है। लगान वसूल करने के साथ साथ जिलाधीश किसानों के हिता तथा समस्याओं का भी ध्यान रखता है। अतिवृष्टि या अनाकृष्टि या कमी और बारण से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने में वह किसानों की सहायता करता है। जिले का आवकारी महकमा उमके अधीन होता है। मादय-वस्तुओं के विक्री का लाइसेन्स वही मजूर करता है। इसके साथ-साथ रजिस्ट्रेशन विभाग भी उमी के अधीन होता है। जिले का सजाना भी उसी की मातहत में होता है।

(३) न्याय सम्बन्धी अधिकार — हम पहले ही यह चुके हैं कि जिलाधीश प्रथम श्रेणी का मैजिस्ट्रेट होता है। उसे २ वर्षों तक की कैद तथा १००० रुपये तक जुर्माना करने का अधिकार है। द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेटों के निणया के विरुद्ध वह अपील मुनता है। मैजिस्ट्रेटों की अदालतें उसके अधीन हैं।

जिलाधीश जिले में मान के नुक़दमों की मददें बड़ी बढ़ावत हैं। नीचे की मान की बढ़ावती में उनके नाम करीबों पाती हैं। इनके नियंत्र के विरुद्ध कमिश्नर की बदालत में अपील हो सकती है।

कई लोगों का कहना है कि जिला अधिकारियों के हाथ में इन प्रकार के मामल तथा न्याय दोनों अधिकार को मनुक़न रूप से नहीं होना चाहिये। इनका काम केवल शासन करना होना चाहिये, न कि न्याय करना भी। कहीं कि अगर शासन तथा न्याय सम्बन्धी अधिकार एक ही व्यक्ति के हाथ में होने लो सच्चा न्याय सम्भव नहीं है। इसी कारण बहुत मनस में मुधारकों ने इन बात की मांग की है कि कार्यकारिणी तथा न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाये। इनके अतिरिक्त अगर न्याय का काम पृथक कर दिया जाये तो ये अधिकारी शासन कार्य की ओर ध्यान दे सकते हैं। संविधान के नीति-निर्देशक तत्व वाले भाग में यह कहा गया है कि न्याय तथा शासन संबंधी कार्यों को सीधे-सीधे से चलन-चलन किया जावेगा। कुछ राज्यों में इन दिशा में कदम उठाया गया है।

(४) निरीक्षण का अधिकार:—जिले में कई विभाग होते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जेल, पुलिस, जंगल, पब्लिक वर्क्स आदि। इनमें से प्रत्येक का जिले में एक एक प्रधान होता है। ये प्रधान प्रदेश सरकार के अधीन हैं तथा जिलाधीश इनका प्रधान नहीं है और न ये विभाग उनकी अधीनता में हैं। तथापि ये सब विभाग जिलाधीश को अपने-अपने कार्यों की सूचना देते रहते हैं और इन विभागों के ऊपर उनका असीमित रूप में, कुछ न कुछ नियंत्रण रहता है। यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि जिलाधीश जिले में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठित है। अतएव यह स्वाभाविक है कि उनका पद मदमें अधिक महत्वपूर्ण हो।

इन सरकारी विभागों के अतिरिक्त स्थानीय संस्थाओं, जैसे जिला-बोर्ड, नगरपालिका आदि के कामों पर भी जिलाधीश नियंत्रण रखता है। १९३९ तक तो जिलाधीश ही जिला-बोर्ड का मभापति होता था। परन्तु अब ऐसा नहीं होता है। अगर जिलाधीश इन संस्थाओं के कार्य में मनुष्य नहीं है तो वह उनकी सूचना सरकार को दे सकता है। अब जिलाधीश तथा प्रादेशिक सरकार के मध्य सीधा सम्बन्ध स्थापित हो गया है। कमिश्नर के बहुत से अधिकार जिलाधीश को मिल गए हैं।

जिलाधीश के अधिकारों की सीमा — जिलाधीश अपने अधिकारों के सम्बन्ध में अपने ऊपर के अधिकारियों की अधीनता में काम करता है। वह राज्य सरकार के अधीन है और उसे अपने कामों की सूचना समय-समय पर भेजना है। दण्ड के मामलों में उसके निर्णय के विरुद्ध मेदान्त जज के यहाँ अपील होती है। माल के मुकदमा की अपील उनके यहाँ में कमिश्नर की अदालत में जाती है।

जिले के भाग — प्रत्येक जिला कई छोटे-छोटे भागों में बटा रहता है। इनको 'सब डिवीजन' कहते हैं। प्रत्येक सब डिवीजन एक सब-डिवीजनल-अफसर के अधीन होता है। यह अफसर साधारणतः प्रान्तीय सिविल सर्विस का सदस्य होता है। कुछ अक्सर पर भारतीय सर्विस का नया भर्ती हुआ सदस्य भी इस पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। इन सब-डिवीजनल अफसरों को प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के अधिकार होते हैं। इनमें से कुछ अफसर तो जिले के हेड-क्वार्टर में रहते हैं तथा कुछ अपने-अपने सब डिवीजनों में रहते हैं। ये अधिकारी जिलाधीश के अधीन होते हैं। इनका काम अपने सब-डिवीजनों में घूरी है जो कि जिलाधीश का जिले में होता है, अर्थात् मालगुजारी वसूल करना, शान्ति व्यवस्था बनाये रखना तथा कचहरी करना। जिलाधीश समस्त जिले का प्रशासन इन अधिकारियों की सहायता से करता है।

— सब-डिवीजनल अफसर की अधीनता में तहसीलदार तथा नायब-तहसीलदार होते हैं। प्रत्येक जिला कुछ तहसीलों में बटा होता है। तहसील के अफसर को तहसीलदार कहते हैं। तहसील में तहसीलदार के वही काम हैं जो सब-डिवीजनल अफसर के सब-डिवीजन में होते हैं। वह तहसील की शान्ति तथा व्यवस्था के लिये उत्तरदायी है तथा उसका न्याय सम्बन्धी अधिकार और मालगुजारी वसूल करने के अधिकार होते हैं। तहसीलदारों को साधारणतः द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के अधिकार होते हैं। तहसीलदार की सहायता के लिये उनके नीचे नायब-तहसीलदार होता है। इसका काम मालगुजारी वसूल करने के काम में उसकी सहायता करना होता है।

प्रत्येक तहसील में कुछ परगने होते हैं। प्रत्येक परगना कुछ गाँवों के मिलने से बनता है। परगने में मालगुजारी वसूल करने के लिये कानूनगो होता है। प्रत्येक गाँव में एक पटवारी तथा एक मुखिया होता है। मुखिया गाँव के प्रबन्ध के लिये उत्तरदायी है। पटवारी का काम मालगुजारी आदि का हिसाब रखना है। इसके अतिरिक्त गाँव में एक चौकीदार भी होता है। इसका काम गाँव के अशान्ति आदि की सूचना पुलिस थाने में देना है।

डिवीजन — बड़े जिलों के मिलने से डिवीजन बनता है। यह प्रशासनिक क्षेत्र एक कमिश्नर के अधीन होता है। इसीलिए इन कमिश्नरों को कहा जाता है। प्रायः सभी राज्यों में डिवीजन है। परन्तु बम्बई राज्य में सन् १९५० में कमिश्नरियों को हटा दिया गया है। मद्रास में भी कमिश्नर के पद को हटा दिया गया है। कुछ लोगों के मतानुसार कमिश्नर तथा कमिश्नरियों को हटाने से प्रशासन में कोई अनुविधा नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसीलिए कमिश्नरियों की सभ्यता बम कर दी थी तथा कमिश्नर के जिले के प्रशासन के ऊपर निगरानी सम्बन्धी अधिकारों में कमी कर दी थी। क्योंकि यह तर्क उपस्थित किया गया था कि राज्य सरकार तथा जिलाधीशों के मध्य इन कड़ी को कोई आवश्यकता नहीं है और उनके मध्य सीधा सम्बन्ध स्थापित होना चाहिये। परन्तु अब पुनः उत्तर प्रदेश सरकार ने कमिश्नरियों की संस्था बम कर दी है तथा कमिश्नरों को उनके पुराने अधिकारों से विभूषित कर दिया है।

कमिश्नर प्रशासनिक सेवा का पुराना तथा अनुभवी कर्मचारी होता है। कमिश्नर का कार्य जिलाधीशों के कार्यों का निरीक्षण करना है। वह इन बातों को देखता है कि जिलाधीश राज्य सरकार की आज्ञाओं के अनुसार काम रहे हैं। जिले तथा राज्य सरकार के बीच वह सम्पर्क बनाता है। इसलिए राज्य सरकार की आज्ञाओं को द्वारा जिला अधिकारियों को पहुँचाई जाती है तथा जिले में राज्य सरकार के पान उन्हीं की द्वारा पत्र आदि भेजे जाते हैं। वह जिलाधीश तथा पुलिस कप्तान के कार्यों के मध्य सम्बन्ध में महामक होता है। कमिश्नर की सरकार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आयोजना सम्बन्धी सभी विषयों की निगरानी का अधिकार प्रदान किया गया है। इनके अतिरिक्त कमिश्नर या प्रधान कार्य मालगुजारी सम्बन्धी है। वह इनकी बमूली का निरीक्षण करता है। उसे यह अधिकार है कि विशेष अवसरों पर मालगुजारी की बमूली रोक दे या उनमें कमी कर दे। माल के मुकदमें उनकी मद्रालत में होते हैं। इस विषय में जिलाधीशों के निर्णय के विरुद्ध उनके यहाँ अपील होती है।

इन अधिकारों के अतिरिक्त कमिश्नर को स्थानीय संस्थानों के ऊपर देखभाल करने का अधिकार भी प्राप्त है। वह इनके दण्ड का निरीक्षण भी करता है। प्रतिवर्ष वह इनके काम के ऊपर एक रिपोर्ट देता है जिसमें उनके वार्षिक कार्य का सक्षिप्त विवरण तथा आलोचना रहती है।

पुलिस का प्रबन्ध :—राज्य का मुख्य कार्य प्राचीन-काल से ही आन्तरिक शान्ति को बनाये रखना तथा देश की वास्तु शासन में रक्षा बनाना

गया है। आन्तरिक शान्ति व त्रिय प्रत्येक दश में पुष्टिम विभाग होता है। इसी देश में पुष्टिम मन्त्रीय विषय नहीं है परन्तु राज्य सरकार व अधीन है। जिन्ड में पुष्टिम विभाग का प्रधान कमिश्नरी पुष्टिम-मुपरिन्टेन्डेन्ट कहलाता है। इसका माधारण दाय पुष्टिम वपान वद कर सम्पादन करने है। यह जिन्ड माधारण पुष्टिम तथा स्वकिया-पुष्टिम दाना का प्रधान है। माधारणत यह ट्रिन्डियन पुष्टिम मन्त्रिय का मदम्य होता है। परन्तु कभी कभी प्रान्तीय पुष्टिम मन्त्रिय व अनुभवः कमिश्नरी भी इन दश पर नियुक्त हो जाते हैं। पुष्टिम मुपरिन्टेन्डेन्ट की शान्ति में उभरा कार्य में महायता देने व त्रिये ट्रिन्टी मुपरिन्टेन्डेन्ट होने है। ये प्रान्तीय पुष्टिम मन्त्रिय व मदम्य होता है।

ये जिन्ड व पुष्टिम अधिकांगी जिन्डधीन की महायता व त्रिए है नाकि वह जिन्ड की शान्ति व्यवस्था बनाएष्व तथा जहाँ आवश्यकता प्रतीते हा इनकी महायता है। अतएव जिन्ड में शान्ति व्यवस्था बनाए रखन के त्रिये पुष्टिम का जिन्डधीन की आज्ञा का प्रकृता पढना है। पुष्टिम मुपरिन्टेन्डेन्ट का यह कर्तव्य है कि वह जिन्डधीन का जिन्ड की शान्ति व्यवस्था सम्बन्धी शान्ति को रखर दना है। परन्तु जहाँ नर आन्तरिक-अनशासन, प्रबन्ध आदि का सम्बन्ध है पुष्टिम मुपरिन्टेन्डेन्ट पुष्टिम विभाग के अपने न उंच कमिश्नरी व अधीन है। इनक आन्तरिक सामन में जिन्डधीन का कर्तव्य अधिनार नहीं है।

प्रत्येक राज्य में एक पुष्टिम विभाग होता है। इसका प्रधान एक मन्त्री होता है। पुष्टिम तथा त्रिय विभाग एक ही मन्त्री व अधीन होते हैं। यह आवश्यक विभागों में से एक है। मन्त्री व नीच पुष्टिम विभाग का मुख्य अधिपर इन्स्पेक्टर जनरल कहलाता है। यह भारतीय पुष्टिम मन्त्रिय का पुराना तथा अनुभवः मदम्य होता है। यह राज्य व अन्दर पूर पुष्टिम विभागों का माडिक है। माधारण पुष्टिम तथा स्वकिया पुष्टिम शान्ति उभरे अधीन है। मन्त्री का अपने कार्यों व त्रिये राज्य विधान मन्त्री व प्रति उत्तरदायी है। इन्स्पेक्टर-जनरल मन्त्री व प्रति उत्तरदायी है।

इन्स्पेक्टर जनरल व अधीन कुछ ट्रिन्टी इन्स्पेक्टर-जनरल होते हैं। प्रत्येक ट्रिन्टी इन्स्पेक्टर जनरल के अधीन एक-एक रेञ्ज होती है। एक रेञ्ज में कई जिन्ड होते हैं। माधारणत एक रेञ्ज में ८-१० जिन्ड होते हैं। एक ट्रिन्टी इन्स्पेक्टर-जनरल हेड-क्वार्टर में होता है। एक स्वकिया-पुष्टिम व त्रिये नियुक्त होता है।

प्रत्येक जिला पुलिस के काम के लिये छोटे टुकड़ों में बाटा जाता है। इन क्षेत्रों को सर्किल कहा जाता है। एक जिले में करीबन ५ से ८ सर्किल तक होते हैं। प्रत्येक सर्किल एक पुलिस इन्स्पेक्टर के अधीन होता है। हर सर्किल में कई थाने होते हैं जो कि सब इन्स्पेक्टर की मातहत में होते हैं। इस के अतिरिक्त हर थाने में कुछ सिपाही तथा रिपोर्ट लिखने के लिये मन्दी होते हैं। कई गाँवों के बीच एक थाना होता है। गाँव के चौकीदार का कर्तव्य है कि वह अपराध आदि की सूचना इन थानों में देता रहे। हर थाने के मातहत कुछ पुलिस चौकियाँ होती हैं। ये हेड-क्वार्टर के अधीन होती हैं।

नगरों में पुलिस सुपरिन्टेन्डेण्ट की अधीनता में एक कोतवाल होता है। यह प्रांतीय पुलिस मविन का सदस्य होता है। छोटे नगरों में यह केवल इन्स्पेक्टर भी हो सकता है। प्रेसीडेन्सी नगरों के पुलिस प्रधान को पुलिस कमिश्नर कहते हैं। इस अधिकारी का सम्बन्ध सीधे राज्य सरकार से है। यह इन्स्पेक्टर जनरल के अधीन नहीं है। प्रत्येक नगर में सिटी-कोतवाल की अधीनता में कई थाने होते हैं। मुख्य थानों में इन्स्पेक्टर और बाकी में सब-इन्स्पेक्टर होते हैं।

रिजर्व पुलिस :—जिले के हेड-क्वार्टर में कुछ पुलिस सदा रहती जाती है। इनको रिजर्व पुलिस कहते हैं। जिले में किसी भी स्थान पर यदि वहाँ का पुलिस दल स्थिति पर काबू करने के लिये पर्याप्त न समझा जावे, तो रिजर्व पुलिस में से वहाँ भ्रामरी भेजे जाते हैं।

रेलवे-पुलिस — रेलवे-व्यवस्था अपने कामों के लिए अलग पुलिस रखता है। इनका काम गाड़ियों में, स्टेशनों में ज्ञान-माल की रक्षा करना है। इसका संगठन जिले के पुलिस मगठन से भिन्न होता है। इसके पास अपने अलग अधिकारी होते हैं।

सुफिया-पुलिस — भारत में इनकी व्यवस्था २०वीं शताब्दी के आरम्भ में की गई। इसका काम गुप्त अपराधों, पडपंत्र, आदि का पता लगाना है। इसके संगठन के लिए एक डिप्टी-इन्स्पेक्टर जनरल होता है। प्रत्येक जिले में सुफिया पुलिस-सुपरिन्टेन्डेण्ट की अधीनता में होती है। उसके नीचे डिप्टी सुपरिन्टेन्डेण्ट तथा इन्स्पेक्टर और सब-इन्स्पेक्टर होते हैं।

भारत में पुलिस विभाग पर जगता की श्रद्धा कम है इसका मुख्य कारण यह है कि विदेशी शासन काल में पुलिस ने जनता का विश्वास प्राप्त करने की

चुटा नही की है। इसका मुख्य काम जनता में आनक जमाना था। अब भी पुलिस को सब बुराइयाँ दूर नहीं हो गई परन्तु क्रािस मन्त्रिमण्डल इन बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न कर रहे है।

५. जेल विभाग — यह विभाग भी राज्य सरकार के अधीन है। इसका प्रधान एक मंत्री होता है। पुलिस तथा जेल विभाग एक ही मंत्री के अधीन होते हैं। इसमें नाँव एक इन्स्पेक्टर-जनरल होता है। यह अधिकारी मैडिकल सर्विस का पुराना सदस्य होता है। जेल विभाग के अन्य सब कर्मचारी इसकी अधीनता में काम करते हैं।

जेल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं —

(१) केन्द्रीय जेल — इन जेलों में वे अपराधी रखे जाते हैं जो कि लम्बे काँठ के लिये दंडित होते हैं। ये प्रत्येक जिला में नहीं होते हैं, परन्तु कुछ मुख्य-मुख्य स्थानों में स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक केन्द्रीय जेल में एक सुपरिन्टेन्डेंट, जेलर वाइंडर आदि होते हैं।

(२) जिला जेल — हर जिले में अपराधियों को रखने के लिये जिला जेल होती है। मिडिल-मजंन इन जेलों का निर्माण करता है। इसमें अनिक्कन, लर मैडिकल आफसर तथा वाइंडर आदि होते हैं।

(३) हवालात — इनमें वे कैदी रखे जाते हैं जिनका मुकदमा चल रहा है तथा जिनका पैसला नहीं हुआ हो।

(४) कैम्प जेल — इनकी स्थापना तब की जाती जब कि कैदियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है।

जेल में स्त्री तथा पुरुषों को अलग-अलग रखा जाता है। स्त्रियों के भाग में वाइंडर आदि कर्मचारी सब स्त्रियाँ ही होती हैं। बच्चा के लिए भी अलग प्रबन्ध है। उन्हें अडे कैदियों के साथ नहीं रखा जाता है। बालक अपराधियों के मुधार के लिए भी अलग जेलों की व्यवस्था है, जिनका रिफॉर्मेटरी स्कूल कहा जाता है परन्तु इनकी संख्या नगण्य है।

हमारे देश में जेलों में बहुत अधिक मुधार की आवश्यकता है। विदगी सामवा ने इस ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया। क्रािसी मन्त्रिमण्डल ने इस दिशा

में कुछ बदल उठाया या परन्तु अधिक नहीं। यह आवश्यक है कि जेल के अन्दर कैदियों के साथ शिष्ट तथा सम्य व्यवहार होना चाहिये; उनके शारीरिक तथा मानसिक आमोद का प्रबन्ध होना चाहिये। खाना स्वास्थ्य-कर होना चाहिए। इन सब सुधारों के बिना हमारे जेलों की दशा अच्छी नहीं हो सकती।

प्रश्न

- (१) जिले के प्रशासन के लिए किस प्रकार संगठन किया जाता है ?
- (२) जिलाधीश के क्या-क्या अधिकार हैं ?

स्थानीय सस्थाएँ

महत्त्व — स्थानीय-सस्थाओं से तात्पर्य उन सस्थाओं से है जिनके द्वारा जनता के प्रतिनिधि अपने स्थानीय मामलों का प्रबन्ध करते हैं। इस प्रकार जनता को शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है। इस प्रथा को स्थानीय स्वराज्य या स्थानीय स्वाशासन कहते हैं। स्थानीय स्वराज्य का बहुत महत्व है।

केन्द्रीय सरकार से यह आशा रखना कि वह समस्त देश का शासन ठीक प्रकार से कर सकेगी व्यर्थ है। क्योंकि सरकार के राष्ट्रीय महत्व के काम ही इतने अधिक बढ़ गए हैं तथा जटिल हो गए हैं कि वह छोटी छोटी स्थानीय समस्याओं पर ध्यान नहीं दे सकती है। स्थानीय सस्थाएँ ही मनुष्य के दैनिक जीवन के लिये आवश्यक सुविधाओं का प्रबन्ध कर सकती हैं।

केन्द्रीय सरकार के सदस्य स्थानीय मामलों में बहुत दिलचस्पी नहीं लेंगे क्योंकि उनका ध्यान राष्ट्रीय मामलों में ही उलझा रहता है। वे अपने को राष्ट्र-किये चना हुआ समझते हैं, इसलिए स्थानीय मामलों के प्रति उनमें न काम लेनी की इच्छा रहती है और न उत्तरदायित्व का भावना।

अगर सब काम केन्द्रीय सरकार के ही हाथों में रहे तो पूरी सरकार एक नौकरशाही में परिणत हो जावेगी। ये सरकारी कर्मचारी अधिकतर मन माना काम करने हैं। नौकरशाही का सबसे बड़ा दोष लाल पीता (red tape) कहलाता है। सरकारी अफसरों के अन्दर सहानुभूति कम रहती है। वे पथ काम करने में देर लगाते हैं क्योंकि प्रत्येक काम कायदे के अनुसार होना चाहिए।

स्थानीय कामों को वे ही ठीक प्रकार समझ सकते हैं जो कि वहाँ के रहने वाले हों। बाहरी आदमी इन कामों को ठीक प्रकार नहीं कर सकता है।

स्थानीय सस्थाओं के द्वारा नागरिकों को राजनैतिक शिक्षा मिलती है। उनमें कई गुणों की वृद्धि होती है। वे यह समझते हैं कि उत्तरदायित्वपूर्वक काम करना चाहिए। प्रजातन्त्र में इन सस्थाओं का महान महत्व है। ये नागरिकों को शासन प्रबन्ध का ज्ञान देकर उन्हें देश के शासन में भाग लेने योग्य बनाती हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि —नाथारण्यतः यह समझा जाता है कि स्थानीय संस्थाओं का प्रारंभ अंग्रेजी काल में ही हुआ तथा प्राचीन और मध्यकालीन भारत में ऐसी संस्थाओं का कोई भी चिह्न नहीं था। यद्यपि यह सत्य है कि उस समय इनका स्वरूप आज से भिन्न था परन्तु यह कहना कि वे अंग्रेजी काल से पूर्व नहीं थे, प्रमत्त है।

प्राचीन भारत में नगर तथा गाँवों दोनों के प्रबन्ध के लिए संस्थाएँ थीं। इन संस्थाओं को इन क्षेत्रों का उचित प्रकार से प्रबन्ध करने के लिये आवश्यक भूखण्ड मिले थे। इनका प्रबन्ध सराहनीय था।

नगर के प्रबन्ध के लिये कई कमेटियाँ होती थीं। इनमें से एक कमेटी प्रधान होती थी। प्रत्येक कमेटी को किसी न किमी बात का प्रबन्ध करना पड़ता था, जैसे, रोशनी, सफाई, शिक्षा, दूकानों का प्रबन्ध इत्यादि। विदेशी चात्रियों ने इस प्रबन्ध की प्रशंसा की। उदाहरणार्थ, मेगस्थनीज जो कि चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था, पाटलिपुत्र नगर के प्रबन्ध की प्रशंसा करता है।

गाँव में भी उनके प्रबन्ध के लिए संस्थाएँ थीं। इनको पंचायत कहते थे। प्रत्येक गाँव की पंचायत के नीचे कई कमेटियाँ होती थीं। ये गाँव की विभिन्न बातों का प्रबन्ध करती थीं। इन पंचायतों का भूखण्ड क्षेत्र वास्तव में बहुत व्यापक था। गाँव के सब प्रकार के मामले पंचायत ही निपटा देती थी। उन्हीं कारण यह था कि गाँवों का जीवन उन समय सामूहिक था तथा गाँव स्वावलम्बी (self-sufficient) थे। अपनी आवश्यकता की चीजें स्वयं ही पैदा कर लेते थे। गाँव की यह भवस्था उन्नीसवीं शताब्दी में आकर बदलने लगी। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के पश्चात् गाँव की स्थिति में परिवर्तन होना आरम्भ हुआ। पूँजीवादी व्यवस्था में गाँव स्वावलम्बी रह ही नहीं सकते थे। इसी कारण ब्रिटिश काल में ग्रामपंचायतें मूल हों गईं। मुसलमानी काल में भारत की ग्रामीण संस्थाएँ बनी रही।

अंग्रेजी काल :—अंग्रेजी काल में स्थानीय स्वराज्य का प्रारम्भ सन् १७८७ ई० से प्रारम्भ होता है। इन वर्ष मद्रास में एक कारपोरेशन (निगम) की स्थापना की गई। कुछ काल पश्चात् इसी प्रकार के निगम कलकत्ता तथा बम्बई में भी स्थापित किए गए। सन् १८४२ में स्थानीय स्वराज्य कुछ अन्य नगरों में स्थापित किया गया। परन्तु यह कहना प्रत्यक्षपूर्व नहीं होगा कि स्थानीय स्वराज्य का वास्तविक आरम्भ सन् १८७० से होता है। उन वर्ष भारत सरकार ने अपने एक प्रस्ताव में यह कहा था कि सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि

कामों से सम्बन्धित निधि के ऊपर स्थानीय मन्थानों का अधिकार होना चाहिए। सन १८८२ में भारत सरकार ने स्थानीय स्वराज्य के ऊपर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया। उस साल लार्ड रिपन भारत के वाइसराय थे। इस प्रस्ताव में निम्नलिखित बात थी —

(१) इस समय तक स्थानीय स्वराज्य केवल नगरों तक ही सीमित था। इस प्रस्ताव द्वारा गांवों में भी इस प्रकार की मन्थानों की स्थापना करने को कहा गया। नगरों में भी स्थानीय मन्थानों की स्वाधीनता में वृद्धि की गई है।

(२) इन मन्थानों में सरकारी मददों का बहुमत न हो। अधिक से अधिक उनकी मर्यादित मददों की संख्या की तिहाई होनी चाहिए।

(३) इन स्थानीय मन्थानों पर प्रान्तीय सरकार का नियंत्रण अन्तर्गत ही होकर बाहर से हो। इसका अध्यक्ष भी गैर-सरकारी ही हो।

इस एक्ट के द्वारा कुछ उन्नति तो अवश्य हुई परन्तु विशय नहीं था कि इन मन्थानों में सरकार बहुत अधिक हस्तक्षेप करती थी। इनकी आर्थिक अवस्था शोचनीय थी। इनके जो मददों निवर्तित होते थे वे बहुधा अधिभारियों के पिट्ट में बर्तित हुए। इन मन्थानों का सम्भाषित अधिकार गैर-सरकारी न हाकर जिम्मेदार ही बना रहा। इस प्रकार ये मन्थाने स्वतन्त्रतापूर्वक काम नहीं कर सके।

सन १९१८ में सरकार ने एक नए प्रस्ताव द्वारा स्थानीय मन्थानों में विषयों में कई सधार किए। इनमें से मुख्य मुख्य निम्नलिखित थे।

(१) इन मन्थानों में गैर-सरकारी समस्या का बहुमत हो तथा सरकारी समस्याओं को अल्पाधिकार न हो।

(२) इन मन्थानों का सम्भाषित गैर-सरकारी हो तथा उसका निर्वाचन हो।

(३) इन मन्थानों के निर्वाचकों की योग्यता में कमी कर दी जावे ताकि अधिक लोग चुनाव में भाग ले सकें।

(४) इन मन्थानों को कर घटाने-बढ़ाने तथा प्रान्तीय सरकार की अन्तर्गत नए कर लगाने का अधिकार हो।

सन १९१९ में गामन-मुक्त एक्ट पास होने पर स्थानीय स्वराज्य विभाग प्रान्तीय सरकार के एक मंत्री को सौंपा गया। स्थानीय स्वराज्य के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण काम था। इसने इन मन्थानों के अधिकार बढ़ाये तथा इनमें जनता के प्रतिनिधि आने लगे। सरकारी व्यय भी कम हो गया।

मयूक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में सन् १९१६ में एक म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट पाम हुआ था। इस ऐक्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात् स्थिति परिवर्तन को ध्यान रखते हुए कई संशोधन कर दिये हैं। जैसे साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व हटा दिया गया है। वरकर मताधिकार की स्थापना की गई है। अध्यक्ष का जनता द्वारा सीधे चुनाव प्रथा की स्थापना की गई है। सन् १९२९ में हमारे प्रान्त में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट पाम हुआ था। सन् १९५० ई० में इसमें भी महत्वपूर्ण संशोधन हुए।

स्थानीय संस्थाओं के रूप—नगरों के प्रबन्ध में सम्बन्धित समस्याएँ निम्नोक्त प्रकार की होती हैं—

कारपोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, टाउन एगिया कमिटी, नोटिफाइड एगिया कमिटी, इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट, कंग्रेसमेट बोर्ड तथा पोर्ट ट्रस्ट।

गाँवों के प्रबन्ध से निम्नलिखित समस्याएँ सम्बन्धित हैं :—

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, सब-डिविजनल बोर्ड तथा ग्राम पंचायत। इनका प्रभुत्व वर्णन किया जायगा।

नगर-निगम (Corporations)

अंग्रेजी काल में केवल तीन प्रेजिडेन्सी नगरों—बलरत्ता, बम्बई तथा मद्रास में ही नगर निगम स्थापित किए गए थे। परन्तु अब कुछ अन्य नगरों में भी इनकी स्थापना हो गई है। पटना, जबलपुर, नागपुर में नगर निगमों की स्थापना हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, काशी तथा आगरा में भी नगर निगमों की स्थापना होने वाली है। इसके लिये एक अधिनियम बन गया है, जिसे उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम १९५९ कहा गया है। अक्टूबर, १९५९ में इन नगरों में इस हेतु निर्वाचन होगा।

नगर निगम या नगर महापालिकाओं को एक उच्च कोटि का नगरपालिका कहा जा सकता है। इनके आय-व्यय के माधुन तथा इनकी शक्तियाँ साधारण नगरपालिकाओं से अधिक होती हैं अन्यथा दोनों के बीच कोई विशेष भेद नहीं है। नगरपालिकाएँ जो कार्य अपने क्षेत्र में करती हैं वही कार्य महापालिकाएँ बड़े बड़े नगरों में करती हैं। हम सक्षेप में महापालिका अधिनियम (१९५९) के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो महापालिका का गठन होगा उनका संक्षिप्त

वर्णन करेंगे। अन्य स्थानों पर भी थोड़े बहुत हेर फेर के अनन्तर कारपारसना का बैसा ही मगटन है।

उत्तरप्रदेश में महापालिका अधिनियम द्वारा दस पाँच नगरों में शब्द्वर के निर्वाचनों के पश्चात् महापालिकाओं का स्थापना हो जायगी। महापालिका एक निर्वाचित समिति होगी। प्रत्येक महापालिका में एक नगर प्रमुख, कुछ मभासद (इनकी मस्या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जायगी), तथा कुछ विशिष्ट सदस्य होंगे। विशिष्ट सदस्यों की मस्या लगभग मभासदों की मस्या का नववाँ भाग होगा। मभासदों में से कुछ स्थान परिगणित जातियों (scheduled Caste) के लिये कुछ स्थान रक्षित रहेंगे। महापालिका का कार्यकाल ५ वर्ष निर्दिष्ट किया गया है। परन्तु राज्य सरकार यदि चाहे तो इसे अधिक से अधिक १ वर्ष और बढ़ा सकती है तथा किसी सम्भार मकद के कारण यह एक वर्ष और बढ़ाया जा सकता है।

महापालिका के सदस्यों का कार्यकाल भी ५ वर्ष रखा गया है। मभासदों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। इसके लिये नगर का कई निर्वाचन क्षेत्रों में बाँट दिया जायगा। परन्तु विशिष्ट सदस्यों का निर्वाचन मगानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल-मञ्चमणीय मत द्वारा मभासदों द्वारा किया जायगा। इन मभासदों द्वारा तथा विशिष्ट सदस्यों की योग्यताएँ अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट कर दी गई हैं। विशिष्ट सदस्य होने के लिये यह आवश्यक है कि वह ध्ववित नगर में निर्वाचक हो तथा ३० वर्ष की आयु से कम न हो। मभासद होने के लिये यह योग्यता आवश्यक है कि वह नगर में निर्वाचक हो तथा परिगणित जातियों के लिये रक्षित स्थान से नियुक्त होने के लिये यह आवश्यक है कि वह परिगणित जाति का सदस्य हो। वे व्यक्ति जो दिवालिया हों, ६ माह से अधिक के लिये मजा पाये हों और तब से ५ वर्ष का समय न बीता हो, महापालिका में कोई लाभ का पद धारण किए हों, या सरकारी नोकरी आदि में हों, सरकारी नोकरी से अष्टाचार आदि के लिये निकाले गये हों, या कोई हों, आदि योग्यताओं के होने पर महापालिका की सदस्यता के लिये निर्वाचित नहीं हो सकते हैं।

प्रत्येक महापालिका में एक नगर प्रमुख तथा एक उपनगर प्रमुख होगा। नगर प्रमुख की अनुपस्थिति में उप नगर प्रमुख उम पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। नगर प्रमुख तथा उप नगर प्रमुख के लिये निम्नलिखित योग्यताएँ आवश्यक हैं —

- (१) वह नगर में निर्वाचक हो,
 - (२) तीन वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो,
 - (३) उसमें नमानद तथा विविष्ट नदस्य पद के लिये उल्लिखित क्षमताएँ न हों,
- तथा (४) यदि वह नमानद या विविष्ट नदस्य होने के लिये निर्वाचन में हारा हो, तो तब से ६ माह का समय बीच चुका हो।

नगरप्रमुख का कार्यकाल १ वर्ष रखा गया है, परन्तु वह यदि चाहें तो पुनः निर्वाचन के लिये खड़ा हो सकता है। इनका निर्वाचन समानुपाती पद्धति से एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान द्वारा होगा। उप नगरप्रमुख का कार्यकाल महापालिका के बराबर ही रखा गया है।

नगरप्रमुख महापालिका की बैठकों में सभापति वा यासन बहज करेगा। साधारण दस्तों में उसे मतदान का अधिकार नहीं है परन्तु किसी समय समान मत होने पर उसे निर्णायक मत (casting vote) का अधिकार दिया गया है। वह यदि महापालिका का अन्य प्रकार सदस्य न हो तो पदेन (ex officio) सदस्य होगा। उसे ऐसे भत्ते (allowances) दिये जायेंगे, जैसा कि महापालिका राज्य सरकार की पूर्ण सहमति से निर्दिष्ट करे। नगरप्रमुख तथा उप नगरप्रमुख की नागरिक जीवन में विविष्ट स्थान होगा परन्तु इन्हें प्रशासकीय अधिकार नहीं दिये गए हैं।

महापालिका की प्रतिवर्ष कम से कम ६ बैठकें होंगी तथा किन्हीं दो बैठकों के बीच २ माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए।

कार्यकारिणी समिति — प्रत्येक महापालिका एक की कार्यकारिणी समिति (executive committee) होगी। इसके निम्नोक्त सदस्य होंगे।

उप नगर प्रमुख जो कि इस समिति का पदेन सभापति होगा तथा १२ नदस्य जिनका निर्वाचन महापालिका अपने सभासदों तथा विविष्ट सदस्यों में से करेगी।

इन १२ सदस्यों वा निर्वाचन महापालिका अपने निर्वाचन के पश्चात् प्रथम बैठक में करेगी। प्रतिवर्ष इनमें से आधे नदस्य अपने स्थान रिक्त कर देंगे। इनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन दिया जायगा। जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया हो वे पुनर्निर्वाचन के लिये खड़े हो सकते हैं। इन नदस्यों का निर्वाचन समानुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति से एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा किया जायगा।

वायव्यवारीणी समिति वा महापालिका व नगठन में मुख्य स्थान हागा । यह इसरी तत्रसे प्रमुख समिति हागी ।

इसके अतिरिक्त महापालिका में एक विकास समिति (development committee) हागी । यदि महापालिका विजरी, नगर ड्रानपोर्ट तथा अन्य जन हितवारी सेवा-जा वा संचाग्न करे तो उनसे सम्बन्ध में अन्य समितियाँ स्थापित की जा सकती हैं । विकास समिति वा सभापति उप नगर प्रमुख हागी तथा उसके अतिरिक्त महापालिका व सभामदा तथा विशिष्ट सदस्यो में से निर्वाचित १० सदस्य तथा दो काग्रप्टेड (co-opted) सदस्य हाये । यदि महापालिका अन्य समितिया की स्थापना करना चाहे तो उसे राज्य सरकार से आज्ञा प्राप्त करनी हागी । इन समितिया में अधिक से अधिक १८ सदस्य हागे तथा इनमें से ही एक सभापति तथा एक उप सभापति चुना जायगा । उपर्युक्त सभी समितिया की कम से कम प्रतिमाग एक बैठक अवश्य हागी ।

मुख्य नगर अधिकारी — वास्तव में यह महापालिका वा मुख्य प्रशासनीय अधिकारी हागा । इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायगी । परन्तु यदि राज्य सरकार किसी ऐसे व्यक्तिको नियुक्त करे जा कि सरकारी सेवा वा सदस्य नहीं है ता उस दशा में इसकी नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयाग द्वारा स्वीकृत हानी चाहिए । मुख्य नगर अधिकारी की नियुक्ति पहलू समय राज्य सरकार तीन वर्षों से अधिक के लिये नहीं करेगी । परन्तु इसके पश्चात इसकी नियुक्ति वा पुनर्नवीकरण किया जा सकता है । परन्तु किसी भी समय एक समय में नियुक्ति तीन वर्षों में अधिक के लिये नहीं की जायगी । मुख्य नगर अधिकारी के विरुद्ध यदि महापालिका की कुल सदस्य मख्या वा ५१८वां भाग यह प्रस्ताव पास करे कि सरकार उसे वापिस बुला ले ता उस हटा दिया जायगा । उसको महापालिका कोष से धन दिया जायगा जा कि राज्य सरकार द्वारा निश्चित किया जाय । महापालिका की कार्यपालिका शक्ति मुख्य नगर अधिकारी को ही दी गई है । महापालिका के अन्य सब कर्मचारी (मुख्य लेखा परीक्षक व अतिरिक्त) उसके नियंत्रण में रहेंगे । किसी मसूट के समय जनता को सेवा अथवा सुरक्षा वा महापालिका की सम्पत्ति की रक्षा के लिये वह कोई एसा काम कर सकता है जा उस आवश्यक प्रतीत हा । परन्तु वह इस कार्य की सूचना कार्यसमिति तथा महापालिका वा सुरत देगा । महापालिका वा उसको समितियाँ यदि चाहे ता मुख्य नगर अधिकारी को अपने कुछ कृत्य इस्तान्तरित भी कर सकती है । उसको महापालिका के उन सब कर्मचारिया की जिनका वेतन दो सौ रुपए प्रति माह से अधिक नहीं है । (वेक उनसे अतिरिक्त जा कि मुख्य लेखा परीक्षक के प्रत्यक्ष आगत है) नियुक्ति वा भी अधिकार है ।

कलकत्ता नगर निगम में कार्यपालिका अधिकारी की नियुक्ति कारपोरेशन द्वारा ही की जाती है। परन्तु अन्य सब नगरपोरेटनों में यह नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

मुख्य नगर अधिकारी के अनिश्चित महापालिका में बड़े अन्य कर्मचारी होंगे। महापालिका निम्नोक्त पदों पर नियुक्ति कर सकती है—उप नगर अधिकारी महापक नगर अधिकारी, नगर अभियन्ता (engineer) नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य नगर लेखा परीक्षक तथा अन्य ऐसे कर्मचारी जिनकी आवश्यकता प्रतीत हो। इन पदों पर नियुक्ति नगर प्रमुख लोक सेवा आयोग की राय में करेगा। इन विभिन्न अधिकारियों का कार्यक्षेत्र इन अधिनियम द्वारा निश्चित कर दिया गया है।

महापालिका के कर्त्तव्य तथा अधिकार—साधारणतः यह कहा जा सकता है कि महापालिका के वे ही कर्त्तव्य हैं जो कि अन्य नगरों में नगर पालिकाओं द्वारा सम्पादित किए जाते हैं। परन्तु इनके अधिकार मुख्य क्षेत्रों में नगरपालिकाओं से अधिक विस्तृत हैं। उत्तरप्रदेश में महापालिका अधिनियम के द्वारा इनमें कुछ कर्त्तव्यों को अनिर्धार्य कोटि में रखा गया है। इनके अतिरिक्त कुछ कर्त्तव्य ऐच्छिक भी हैं।

मीमा-चिह्नों का निर्माण, मार्गों (streets) तथा सार्वजनिक स्थानों का नामकरण, गन्दगी को हटवाना, रास्तों को गफाई, नालियों तथा सार्वजनिक सौबालियों तथा मूत्रालयों का निर्माण, जल का प्रवन्ध तथा वितरण, जल को गफाई का प्रवन्ध, रास्तों में रोडनी का प्रवन्ध, अस्पतालों का निर्माण, छूत को बीमारियों को रोक धाम, टीके लगाने का प्रवन्ध, जन्म-मरण का हियाव, भोजन, पानी आदि की शुद्धता को जानने के लिये रसायनशास्त्रियों की स्थापना, बेम्ह्यावृत्ति आदि पर प्रतिबन्ध, धमदान, मुदांघाट, कत्रगाहों का प्रवन्ध, बाजार तथा बचडगालाओं (slaughter houses) का निर्माण, आग बुझाने के लिये पानी का प्रवन्ध, टूटी फूटी इमारतों को तोड़ना, प्राथमिक शिक्षा तथा नर्सरी शिक्षा के लिये स्कूलों की स्थापना, स्वास्थ्य मस्याओं को अनुदान, पदार्थों के लिये चिकित्सालयों की स्थापना, काँजी हाउस बनाना, रास्तों, नालियों, पुलों आदि का निर्माण, रास्तों में वृक्षारोपण, नगर नियोजन तथा नगर सुधार महापालिका न्यायालय तथा सार्वजनिक इमारतों की देखभाल आदि।

उपर्युक्त कर्त्तव्यों के अतिरिक्त महापालिका यदि चाहे तो निम्नलिखित कर्त्तव्यों में से भी सभी या कुछ कर्त्तव्यों को कर सकती है। इनमें से मुख्यः

है पागलखाने, कोठी खाने, अनायालया, आदि का स्थापना तथा प्रबन्ध, गर्भ-वती स्त्रियों, बच्चा तथा स्कूल के विद्यार्थियों के लिये दूध का प्रबन्ध, तैरन के तालाब तथा स्नान के लिये घाटों का निर्माण, डेयरी का प्रबन्ध, मनुष्यों तथा पशुओं के लिये सार्वजनिक स्थान पर पीने के पानी का प्रबन्ध, शिक्षालयों तथा सांस्कृतिक सस्थाओं का अनुदान, नुमाइश, दगल आदि का प्रबन्ध, थियेटर भवन आदि का निर्माण, महापालिका के कर्मचारियों के लिये भवन निर्माण तथा गैस आदि देने का प्रबन्ध, ट्रामवे या मॉटर ट्रान्स्पोर्ट का प्रबन्ध करना, पुस्तकालय, म्यूजियम की स्थापना आदि, पशुओं के लिये अस्पताल, जानवरो तथा पक्षियों का विनाश, मानपत्र देना, चरागाह के मँदानों को रखना, भूमि तथा भवना का सर्वे, यात्री व्यूरो का प्रबन्ध, महापालिका के काम के लिये छापाखाना तथा वर्क-शाप खोलना, कम्पोस्ट खाद बनाने का प्रबन्ध, व्यापार तथा उद्योग की उत्तति करना, महापालिका बैंक की स्थापना, श्रमिक कल्याण वेन्द्रों की स्थापना, भोख मॉयने के विरुद्ध अभियान, परियणित तथा पिछडी जातियों की सामाजिक अमुद्धिधाओं को दूर करने में सहायता देना, इत्यादि, इत्यादि। यदि राज्य सरकार चाहे ता इनमें से किसी भी ऐच्छिक कृत्य को अनिवार्य कृत्य को कोटि में रख सकती है।

उपर्युक्त कृत्यों की सूची देखने से स्पष्ट हो जाता है कि महापालिकाओं को कितने विस्तृत अधिकार दिये गए हैं।

महापालिकाओं की आय के साधन - महापालिकाओं की आय के लिए इन्हे अनेक प्रकार के कर लगाने का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक महापालिका निम्नोक्त कर लगायेगी — सम्पत्ति पर कर, मशीन से चलने वाली गाड़ियों के अतिरिक्त अन्य गाड़ियों पर कर, सवारी गाड़ियों पर कर, नावों पर कर, सवारी आदि के लिये पशुओं पर कर। इनके अतिरिक्त महापालिकाएँ निम्नलिखित कर भी लगा सकती हैं — यापार, वेशे आदि पर कर, शहर में आने वाले तथा बाहर जाने वाले माल पर चुगो, गाड़ियों तथा सवारियों पर चुगो, वृत्तों पर कर, अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर कर, समाचार पत्रों में छपे विज्ञापनों के अतिरिक्त अन्य विज्ञापनों पर कर, थियेटर कर, तथा कोई अन्य प्रकार का कर जो कि राज्य के विधान मण्डल के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत है।

इन उपर्युक्त करों के अतिरिक्त महापालिकाओं को इस अधिनियम के द्वारा यह भी अधिकार दिया गया है कि वे आवश्यकता होने पर ऋण भी ले सकती हैं। परन्तु इसके लिए उन्हें राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी।

परन्तु ऋण केवल स्थायी निर्माण कार्य (a permanent work) के लिये ही लिया जा सकता है। ऋण कितना हो, व्याज की क्या दर हो आदि बातें राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जायेंगी। कोई भी ऋण महापालिका ३० वर्ष में अधिक काल के लिये नहीं लेगी।

महापालिकाओं की कुछ भाग इनके द्वारा निर्मित भवनो, दुकानो, आदि में किराये के रूप में, बूचडखानो, मार्बजनिङ टान्मपोर्ट, प्रदर्शनी, थियेटर, आदि में भी होगी। समय समय पर इनको राज्य सरकार की ओर से भी आर्थिक सहायता मिलती रहेगी।

राज्य सरकार का नियन्त्रण:—महापालिकाओं की कर्मचारियों की नियुक्ति में तथा ऋण लेने में हम देख चुके हैं कि सरकार नियंत्रण रखती है। इनके अनिश्चित सरकार अन्य कई प्रकार से महापालिकाओं पर नियंत्रण रखती है। अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित बातों पर राज्य सरकार का नियंत्रण रहेगा:—

- (१) राज्य सरकार महापालिका अथवा इसकी किसी भी समिति की किसी कार्यवाही के विषय में सूचना मांग सकती है।
- (२) यह मुख्य नगर अधिकारी से महापालिका प्रशासन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की सूचना मांग सकती है।
- (३) यह महापालिका के किसी भी विभाग अथवा कार्य के निरीक्षणार्थि कर्मचारी की नियुक्ति कर सकती है जो अपनी रिपोर्टें राज्य सरकार को देगा।
- (४) यह महापालिका को किसी कार्य के करने का आदेश दे सकता है।
- (५) यदि महापालिका राज्य सरकार की आज्ञानुसार किसी कार्य को करने में अक्षम है तो राज्य सरकार किसी व्यक्ति को नियुक्त कर वह काम करवा सकता है।
- (६) राज्य सरकार इसी प्रकार किसी संकट (emergency) की स्थिति में अपने द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा काम करवा सकता है।
- (७) महापालिका तथा इनकी समितियों के प्रस्ताव मुख्य अधिकारी द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित किये जायेंगे।
- (८) यदि राज्य सरकार यह मोचे कि महापालिका का कोई प्रस्ताव या आदेश अनिहित में नहीं है तो यह उसका लागू करना रोक सकती है।

(९) यदि कितना समय राज्य सरकार को यह विचार हो जाय कि महापात्रिका अपन कृषि या विद्यालय में प्रथम है अथवा यह अपनी क्विन्ट्या का दुग्धसाग कर रही है तो राज्य सरकार उग भग कर सकती है तथा अधिवाधिक ६ मास व अन्तगत ए निर्विचन करायगी

(१०) यदि तब विचारित महापात्रिका टिक प्रकार से काम न कर ला राज्य सरकार महापात्रिका का भग कर दुग्ध अधिवाधिर अपन हाथ म ल सकती है। पर उ विगी भी ला में २ वष म अधिक समय तक महापात्रिका भग ली रगी।

उपयुक्त कथन म स्पष्ट है कि राज्य सरकार का महापात्रिका पर नियंत्रण वापी विस्तृत तथा व्यापक है। यद्यपि यह सच है कि स्थानीय गस्थाप्रा को अपन कार्य क्षेत्र व अन्तगत अधिवाधिर स्वतन्त्रता लोपी चात्रिये प्रियगे उगमें उत्तरदायित्व का भावता बढ सक ग्यापि भारत की वर्तमान परिस्थितिया में वाददा लृण यह ली बडा जा सकता कि गव्यारी नियंत्रण स्थानीय गस्थाप्रा पर अवाश्यक हस्तगत है।

गगामय रूप म भारत म गभा वाग्पारगाड का गगगन था बनुन अपर क माध दुगी प्रार का है। अन्तगत उवा पथक कणन आवश्यक नती है।

गगग व
 ग्यात्रिका
 गी नगर
 म ग्युगिगिगिगिगी वी स्थपता करता गगग गगग व हाथ में है। यही
 गी प्रार
 उगक
 ता काम
 करन व गिग एक अपगड दिपुकन करनी है गिगको एडमिगिगुटर बहने
 है उगगगगाव लगगऊ में गगा किय गया है।

उत्तर प्रदेश म ग्युगिगिगिगिगिगी का गगगन तथा उन्व अधिवाधिर गनु १० १३ वलक पर आधारित है। इन लक म गनु १९६९ तथा गनु १९५१ में गगोधा विग गए थे? गनु १९६० व लक व गगगधन मुख्यत गिगिचन गगवपी व उगगगगाध गगुकर गिगिचन वगव गगाधिवाधिर तथा गगगपति का प्रगगा गिगिचन आत्रि। परन्तु ता गविधान व गगग हाँ पर यह आवश्यक

प्रतीत हुआ कि म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट में और संशोधन विधे जाय। इस उद्देश्य में अक्टूबर मन् १९५२ में प्रादेशिक विधान मंडल में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया जो कि फरवरी मन् १९५२ में कानून हो गया। इसको The U. P. Municipalities (Amendment) Act, 1952 कहते हैं। एक आर्डर भी प्रादेशिक सरकार ने निर्वाचन नामावली तैयार करने तथा उनमें संशोधन करने को निकाला। इसको U. P. Municipalities Preparation and Revision of Electoral Rolls Order (1953) कहते हैं।

संगठन — म्यूनिसिपैलिटी में जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं। अलग-अलग म्यूनिसिपैलिटीयों में इनकी संख्या अलग अलग है। पहले इन सदस्यों को निर्वाचित करने का अधिकार सब वर्गों को नहीं था। शिक्षा तथा सम्पत्ति की योग्यता रखी गई थी। परन्तु अब प्रत्येक व्यक्ति जिसका उस क्षेत्र में प्रादेशिक विधान-सभा के लिये निर्वाचक नामावली में नाम है, निर्वाचक है। निर्वाचक होने के लिये वही योग्यता चाहिए जो विधान-सभा के निर्वाचक होने के लिये है।

निर्वाचक को भारत का नागरिक होना चाहिये। उस पागल या दिवालिया न होना चाहिये। ऐसा व्यक्ति जिसको १ वर्ष से अधिक जेल हो गई हो, निर्वाचक नहीं हो सकता है। जेल जाने की अयोग्यता जेल में छूटने के ४ वर्ष बाद हट जायेगी। अगर सरकार चाहे तो इनमें पहले भी इसमें पूर कर सकता है।

म्यूनिसिपैलिटीज का चुनाव साधारणतः ५ वर्ष के लिए होता है। परन्तु सरकार को यह अधिकार है कि वह चुनाव को स्थगित कर दे या अगर लोकहित में आवश्यक जान पड़े तो नियत समय से पहले ही चुनावों को करवा दे।

म्यूनिसिपैलिटी की सदस्यता के लिए प्रत्येक वह व्यक्ति खड़ा हो सकता है जिसका नाम निर्वाचक सूची में हो। परन्तु नीचे लिखे व्यक्ति सदस्यता के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं : कोडी, दीवालिये, वे लोग जिन्होंने म्यूनिसिपैलिटी का कर या श्रृण नहीं चुकाया है, सरकारी नौकरी, अथैतिक मजिस्ट्रेट, मजिफ या प्रिन्सिपैल कलेक्टर।

जब म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव की घोषणा होती है तब एक निर्वाचक नामावली तैयार की जाती है। इसमें सब बोटरी के नाम दर्ज किए जाते हैं। अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वह एक निश्चित तारीख तक इस मूल को १०) देकर सुधारवा सकता है। नारा नगर कुछ क्षेत्रों (wards) में बांटा

जाना है। प्रत्येक शत्रु म म म दस्य चुन जान है। यह प्रादर्शन मन्काग निर्दिष्टन करेगा कि इन शत्रु का क्या मल्या है तथा प्रत्येक में कितन म दस्य है।

एक निर्दिष्टन तारीख तत्र उम्मीदवारा को घणन निर्देश-पत्र (Nomination Paper) प्रस्तान तथा अनुमोदन क हस्ताक्षर महित जमा कर देना होता है। उसके साथ ५०) भा जमा करना पडता है। इन पत्रा की एक निर्दिष्टन दिन जांच की जाना है। अगर बोर्ड गलती हुई या निर्देश-पत्र गृह कर दिया जाना है।

मनदान म न रूप (बैर) म होता है। बाट रिटनिंग प्रफमर क सामन गिन जन है। जा अधिक मन पाना है वह निर्वाचित होता है। अगर चुनाव में कोई गन्वडी शाना इसकी रिपान जिगधीय के यहाँ होती है। इसके साथ एक निर्दिष्टन रकम भी जमा करनी हाती है। अगर अपराध मिद्ध हो जावे तो अपराधी ५ वष तत्र क लिय म दस्यता क वास्तो फिर खडा नही हा सकता है। अगर अपराध मिद्ध न हुआ या जमा की हुई रकम दूसरे दर को दी जाती है। अगर मिद्ध हो गया तो धिक्कायत करने वाले का लौटा दी जाती है। अगर पूरा चुनाव ही ठीक प्रकार नही हुआ या द्वारा चुनाव हाता है। म्यूनिसिपैलिटी म अल्पमायका क म दस्य के लिये स्थान मरक्षित नही हाग। परन्तु दलित वर्गों के म दस्य क रिण स्थान मरक्षित हाग। इसका म्यूनिसिपैलिटी की कुछ म दस्य मल्या म वही अनुपात होगा जा उम नगर में दलित वर्गों का जनमख्या का वहाँ की कुल जनमख्या म हागा।

पदाधिकारी -- म्यानसिपैलिटी का मस्य अधिकारी प्रधान (Chairman) कहलाता है। उसका चुनाव म दस्यता द्वारा होता है। यह चार वष क लिये चुना जाता है। यह चाह ता अपने पद में इस्तीफा द सकता है। बाड उसके विरुद्ध अधिभाग म प्रस्ताव पास कर सकता है जिसको अगर राज्य-सरकार मान ले ता प्रमान को पदत्याग करना पडेगा। प्रधान सरकार से एमे खबर पर वोट को भंग करने की प्रायना कर सकता है। अगर सरकार यह मान ले तो फिर नए चुनाव होंगे। सरकार भी प्रमान को उसका काम ठीक न होने पर हटा सकती है। प्रधान के अलावा एक या दो उप प्रधान भी होते हैं।

प्रधान धाई की बैठको म मभापति का पद ग्रहण करता है। उसका नाम बोर्ड का शासन प्रबंध ठीक रहना है। उमे म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारिया को नियुक्त करने का अधिकार है। कुछ अधिकारी बोर्ड की अनुमति से वह

निर्भूत करता है। वह उनको हटा भी सकता है। प्रति वर्ष वह कमिश्नर के पाग बोर्ड की काम की रिपोर्ट भेजता है।

प्रधान के प्रतिरिक्त नगरपालिकाओं में उप-प्रधान भी होते हैं। इनका निर्वाचन सदस्यों द्वारा आपस में ही किया जाता है। माधारणतः दो उप-प्रधान होते हैं। एक को Senior Vice Chairman तथा दूसरे को Junior Vice Chairman कहते हैं।

जिन म्यूनिसिपैलिटीयों की आमदनी ५०,००० से अधिक है उनमें एक इन्जीनियरिंग आफसर तथा एक मेडिकल आफसर होता है। मेडिकल आफसर प्रांतीय सचिव का होता है। कम आमदनी वाली म्यूनिसिपैलिटी में एक या दो अर्थशास्त्रज्ञ मंत्री रखे जाते हैं? इनके प्रतिरिक्त म्यूनिसिपैलिटी अन्य कर्मचारी जैसे इन्जीनियर, वाटर वर्क्स सुपरिन्टेन्डेन्ट, इलेक्ट्रिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, ओवर-मियर आदि भी नियुक्त कर सकती हैं। इनके प्रतिरिक्त कुछ अन्य कर्मचारी भी होते हैं जैसे मैनिटरी इन्स्पेक्टर, टोल इन्स्पेक्टर आदि।

समितियाँ:—म्यूनिसिपैलिटी अपना काम सुविधा-हेतु समितियों के द्वारा करती है। प्रत्येक समिति को कोई विभाग सौंप दिया जाता है। इनकी नियुक्ति बोर्ड करता है। इनमें कुछ को-ऑप्टेड (Co-opted) सदस्य भी हो सकते हैं। एक समिति में १० सदस्य तक होते हैं। प्रत्येक का एक सभापति भी होता है। मुख्य समितियाँ ये हैं। शिक्षा-समिति, स्वास्थ्य समिति, अर्थ-समिति, वाटर-वर्क्स समिति, चुगौना-समिति, वकस-समिति आदि। प्रत्येक समिति अपना काम बोर्ड के निपटण तथा अनुमोदन से करती है।

कार्य:—म्यूनिसिपैलिटीयों के कामों को अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांट सकते हैं। मुख्य अनिवार्य कार्य निम्नलिखित हैं : (१) शहर के भीतर सड़कों का प्रबन्ध करना, उनकी मरम्मत तथा सफाई करवाना, उनमें रोशनी का प्रबन्ध करना। शहरों में जो गलियाँ होती हैं उनकी भी इसी तरह परवाह करनी होती है। (२) शहर में सफाई का प्रबन्ध करना, गन्दगी को हटवाने का इन्तजाम करना, नालियों की सफाई। औषधालय स्थापित करना तथा टीके लगवाना। (३) साफ पानी का प्रबन्ध तथा बाजार में सड़ी-गली चीजों को विकने से रोकना। (४) शिक्षा का प्रबन्ध करना। (५) जन्म-मरण का हिमायत रचना। (६) आग बुझाने का प्रबन्ध।

ऐच्छिक काम निम्नलिखित हैं : (१) जन साधारण के मनोरंजनार्थ पार्क, तालाब, आदि बनवाना : (२) पुस्तकालय, वाचनालय, भ्रमण-व्यय की स्थापना।

है। इन सब दुःराइयों को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि शिक्षा का अधिक प्रचार हो। चरित्रवान मनुष्य इन संस्थाओं में आवें। मदस्य गण सेवा के लिये आवें न कि स्वार्थ-साधन के लिये। दलबन्दी की भावना भी दूर होनी चाहिये। इन संस्थाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। उन्हें आमदनी बढ़ाने के नए साधन उपलब्ध होने चाहिये। उनके काम में अनावश्यक सरकारों-हस्तक्षेप भी नहीं होना चाहिये।

टाउन एरिया कमेटी—उन नगरों में जिनकी आबादी २०,००० से कम तथा १०,००० से अधिक हो सरकार टाउन एरिया कमेटी स्थापित कर सकती है। इनके साधारणतः वही काम हैं जो कि बड़े नगरों में म्यूनिसिपैलिटियों करती हैं। टाउन एरिया कमेटी में ५ से ७ सदस्य होते हैं। ये ४ वर्ष के लिये होते हैं। एक सभापति होता है जो या तो सदस्यों द्वारा चुना जाता है या सरकार द्वारा मनोनीत होता है। इन कमेटियों के अधिकार म्यूनिसिपैलिटियों से कम हैं, इनके आय के साधन भी कम हैं तथा इनमें सरकारी हस्तक्षेप है। इनका मुख्य काम सड़कों का निर्माण, मरम्मत, पानी रोशनी तथा स्वास्थ्य का प्रबन्ध है। इनको सरकार की ओर से तथा जिला बोर्डों से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अन्य आय के साधन कर, नजूल भूमि से आमदनी तथा जुर्मानों से प्राप्त रकम हैं।

जिन नगरों की आबादी १०,००० से कम तथा ५,००० से अधिक हो बड़े सरकार नोटीफाइड एरिया कमेटी स्थापित कर सकती है। इस कमेटी में ३ या ४ सदस्य होते हैं जो या तो निर्वाचित या कमिश्नर द्वारा मनोनीत या दोनों होते हैं। एक सभापति होता है। इसके काम भी टाउन एरिया कमेटी की तरह होते हैं।

इम्प्रोवमेण्ट ट्रस्ट :—नगरों को एक योजना के अनुसार पुनर्निमित्त करने के लिए बड़े-बड़े नगरों में इसकी स्थापना की गई है। इसका काम सड़कों को चौड़ी करना, हवादार मकानों को बनवाने में सहायता देना, अत्यन्त घनी बसी हुई बस्तियों का पुनर्निर्माण करना जिससे वहाँ हवा तथा सूर्य की रोशनी ठीक ढंग से आ सके इत्यादि बातों का प्रबन्ध करना है। इसके अतिरिक्त इसका काम गरीब जनता के रहने के लिये छोटे परन्तु सुले हुए मकानों का प्रबन्ध करना भी है। इन सब कामों के लिये यह राज्य सरकार के सम्मूख निर्माण सञ्चाली योजनाएँ रखती हैं।

इन ट्रस्टों का काम एक कमेटी द्वारा होता है। इसका एक प्रधान होता

हैं। कमेट्री के सदस्य मनोनीत होने हैं कुछ ता सरकार द्वारा तथा कुछ नगर की म्यूनिसिपैलिटी द्वारा। इनकी आय के मुख्य साधन ये हैं।—भूमि बेचने में ग्रामदानी, सहकारी सहायता तथा ऋण।

/ इन ट्रस्टों के काम में जनता में अधिक सतोप नहीं है क्योंकि इनकी योजनाओं को कार्यान्वित करने में बहुधा गरीबों की हानि हो जाती है। जो मकान तोड़ जाते हैं उनके ठिये बहुत कम पैसा मिलता है। मकान निर्माण के लिये भूमि बहुधा महगी बेची जाती है। इस प्रकार अमीर आदमी ही उस भूमि को खरीद सकते हैं। इसका फल यह होता है कि विरायेंदारा की सख्या बढ़ती जाती है तथा मकान मालिकों की कम जाती जाती है। परन्तु यह सब दोष होते हुए भी इन ट्रस्टों ने नगरपुर्ननिर्माण में काफी लाभदायक काम स्वास्थ्य तथा सफाई की दृष्टि से किया है।

वैण्टूनमेण्ट बोर्ड —कुछ ऐसे नगर हैं जहाँ वि फौज की छावनायाँ हैं। ऐसे नगरों में छावनी का क्षेत्र म्यूनिसिपैलिटी के अधिकार से बाहर रहता है। इन क्षेत्रों का प्रबन्ध वैंटूनमेण्ट बोर्ड करता है। यह बाड रोगनी, पानी स्वास्थ्य तथा सफाई का प्रबन्ध करता है। इस प्रकार उसका काम करीबन म्यूनिसिपैलिटीया की ही तरह है। वैंटूनमेण्ट बोर्ड के कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं तथा कुछ निर्वाचित। अधिकतर मनोनीत सदस्यों की ही सख्या अधिक होती है। उनका अध्यक्ष एक ऊँचा फौजी अफसर होता है। ये बोर्ड राज्य-सरकार के नियंत्रण में न होकर भारत के सेना विभाग के नियंत्रण में काम करते हैं।

पोर्ट ट्रस्ट —य उन नगरों में स्थापित है जो बड़-बड़ बन्दरगाह हैं जैसे कलकत्ता बम्बई मद्रास। पोर्टट्रस्ट का काम उन समस्याओं को हल करना है जो कि बन्दरगाहों की विशेषताएँ हैं। इसलिए इन नगरों में कारपोरेशन तथा इन्फ्रामेण्ट ट्रस्ट के अतिरिक्त पोर्टट्रस्ट भी है।

पोर्टट्रस्ट में कुछ सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं तथा कुछ कारपोरेशन द्वारा भजे जाते हैं। कुछ सदस्य व्यापारिक संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं। साधारणतः मनोनीत सदस्यों की संख्या निर्वाचित सदस्यों से अधिक है। परन्तु कलकत्ते के पोर्टट्रस्ट में निर्वाचित सदस्यों की ही संख्या अधिक है। इनके सदस्यों का कमिश्नर या ट्रस्टी बना जाता है। पोर्टट्रस्ट के निम्नलिखित मुख्य काम हैं माल का लादना तथा उतरवाना माल गार्दामा का बनवाना तथा देशभाल रखना, धातु बनवाना, यात्रियों के आने-जाने तथा ठहरने की सुविधाओं का ध्यान रखना स्वास्थ्य तथा सफाई का प्रबन्ध करना तथा व्यापार के लिये

नाव तथा जहाजों का प्रबन्ध करना आदि। पोर्टट्रस्ट के धाम के मुख्य तीन स्रोत हैं—माल की लदाई तथा उतरवाई पर कर, जहाजों पर कर लगाये गये कर तथा गोदामों के किराये।

पोर्टट्रस्ट अपना काम ठीक ढंग में कर सकें तथा माल की हिकाजत रत नके इसलिए उनकी अपनी पुलिस रखने का अधिकार है। इन संस्थाओं में सरकारी हस्तक्षेप अन्य स्थानीय संस्थाओं से अधिक है।

जिला बोर्ड—जो काम नगरों में म्युनिसिपैलिटीज या टाउन एरिया कमीटीज आदि करती हैं वही काम ग्रामीण क्षेत्रों में जिला बोर्ड करते हैं। इन बोर्डों की स्थापना भारत में १८७० ई० के परचातु हुई। जिला-बोर्डों का कार्यक्षेत्र म्युनिसिपैलिटीज आदि क्षेत्रों से अलग है। उत्तर प्रदेश में केवल जिला बोर्ड ही थे परन्तु कुछ अन्य राज्यों में जिला बोर्डों के नीचे सब-डिविजनल बोर्ड या तालुका बोर्ड भी पाये जाते हैं। कहीं-कहीं इन सब-डिविजनल बोर्डों के नीचे लोकल बोर्ड भी हैं। जिला बोर्ड सारे जिले के ग्रामीण क्षेत्र की देखभाल के लिये हैं। सब-डिविजनल बोर्ड १००-५० गाँवों की देखभाल करता है। लोकल बोर्ड केवल २-४ गाँवों की देखभाल करता है।

जिला बोर्डों का संगठन—जिला बोर्डों के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार १९४८ ई० के पूर्व केवल पोर्टे ही व्यक्तियों को या क्योंकि निर्वाचक होने के लिये धन तथा शिक्षा की योग्यताएँ रखी गई थी। परन्तु अब वे सब व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं जो कि ग्रामीण विधान सभा के लिए निर्वाचक होने की योग्यता रखते हैं। अर्थात् वयस्क मतदाताधिकार हो गया है। इसलिए कोई भी २१ वर्ष की आयु से अधिक आय वाला भारतीय नागरिक जो उस जिला बोर्ड की सीमा के अन्दर रहता हो निर्वाचक हो सकता है। परन्तु वह पागल, दिवालिया न हो। इनके प्रतिरिक्त जो व्यक्ति ६ महीने से अधिक काल की सजा वाटे हो और इन वाटे ५ वर्ष पूरे न हो चुके हों, या किसी निर्वाचक सम्बन्धी अपराध के कारण अप्रोग्य घोषित किया गया हो, वह भी निर्वाचक नहीं हो सकता है। निर्वाचकों के लिये यह जरूरी है कि जिला बोर्ड की निर्वाचक नामावली में उनका नाम दर्ज हो। अगर उनका नाम गलती से छूट गया हो तो उसे चाहिये कि वह निदिघन तिथि के भीतर अपना नाम दर्ज करवा ले अन्यथा वह मतदान नहीं कर सकेगा।

1. यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि १ मई १९५९ से उत्तर प्रदेश में जिला बोर्डों का काम समाप्त हो गया है और इनके स्थान पर जिला परिषदों (ग्रामराम) की स्थापना कर दी गई है।

प्रत्येक निर्वाचक को अधिकार है कि वह जिला-बोर्ड की सदस्यता के लिये सम्मोदवार हो सकता है। केवल नीचे लिखी अयोग्यताएँ न होनी चाहिये —

(१) सरकारी नौकर हो। (२) जिला बोर्ड की नौकरी में हो। (३) गैर के किसी ठेके आदि में उसका हिस्सा हो। (४) वह अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय भाषा न जानता हो। (५) सरकारी नौकरी पान के अयोग्य हो। (६) वकालत करने में रोक दिया गया। (७) पिछले वर्ष का कर न दिया हो।

जिला बोर्ड का कार्यकाल ३ वर्ष रखा गया है। परन्तु सरकार इस कार्य-काल को बड़ा सकती है। वह साधारण चुनावों को भी स्थगित कर सकती है। कोई व्यक्ति एक बार में ही बोर्ड का सदस्य हो सकता है।

जिला बोर्ड में कई पदाधिकारी होने हैं। इनमें से कुछ तो बैतनिक हाते हैं तथा कुछ अवैतनिक। कर्मचारियों में वरकें आदि के अतिरिक्त निम्नलिखित मुख्य हैं। मंत्री, स्वास्थ्य अफसर, इंजीनियर तथा मब-ओवरमियर, टैक्स अफसर कई शिक्षक, कुछ डाक्टर आदि।

बोर्ड का मुख्य कर्मचारी अध्यक्ष कहलाता है। मन् १९२२ के कानून के अनुसार उसका निर्वाचन बोर्ड के सदस्य करते थे। परन्तु यह प्रथा मनाशित कर दी गई है। अब उसका चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जावेगा। इस पद की अवधि ३ वर्ष रखी गई है। कोई भी जिला-बाड का निर्वाचक जिसकी आयु कम से कम ३० वर्ष हो इस पद के लिये खड़ा हो सकता है। इस प्रकार सीधा चुनाव रखने में बाड के अन्दर दलबन्दी कुछ मात्रा तक दूर हो जावेगी। अध्यक्ष अपने पद में इस्तीफा दे सकता है। उसके विरुद्ध अधिश्वास का प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है। अगर राज्य सरकार इस प्रस्ताव को मान ले तो अध्यक्ष का पद रिक्त करना पड़ेगा। ऐसा होने पर अध्यक्ष सरकार में बोर्ड भंग करा कर नए चुनाव की प्रार्थना भी कर सकता है। अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों में एक या दो अध्यक्ष चुन लिये जाते हैं। उनका कार्यकाल १ वर्ष होता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ये इसका कार्य करते हैं। अध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण है। बाड की सफलता बहुत कुछ मात्रा तक उसके ऊपर भी निर्भर है। उसके वर्तमान निम्नलिखित हैं —

(क) वह बोर्ड की बैठक बुलाता है तथा इसमें सभापति का आमन ग्रहण करता है। यह बाड की कार्य-कारिगो समिति का भी सभापतित्व करता है।

बोर्ड की बैठकों में मिनिस्टर-मजिस्ट्रेट, इंजीनियर, इन्स्पेक्टर आफ् म्यूल्स आदि को परामर्श देने के लिये निर्मात्रित कर सकता है।

(ख) वह समस्त बोर्ड के शासन-प्रबन्ध की देख रेख करता है।

(ग) बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन, उपलब्धियाँ, भत्ते, सेवा की शर्तों आदि प्रश्नों का निबन्ध करता है।

(घ) वह बोर्ड के काम की रिपोर्ट तैयार करता है, हिमाय-विताय सम्बन्धी लेख तैयार करता है तथा गमिन्टर और जिलाधीन के पान इनको भेजता है।

(ङ) अन्य वे काम जो बोर्ड द्वारा उनको नोंगे जायें।

जिला बोर्ड के कार्य :—इनका ऐक्ट द्वारा अनिवार्य तथा ऐच्छक दो भागों में बाँटा गया है। मुख्य अनिवार्य कार्य नीचे लिखे हैं :—

(१) नहरों, पुलों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत करना। इस प्रकार घाताघात के साधनों को उन्मत्त करना। (२) नहरों के किनारे पेड़ लगाना तथा उनकी रक्षा करना। (३) औषधालय स्थापित करना तथा उनकी सहायता करना। (४) चैचक, हँजा, प्लेग आदि के टीके लगाना; (५) शिक्षा के लिये स्कूल आदि स्थापित करना। (६) अकाल से बचाव का प्रबन्ध तथा अकाल के समय सहायता करना। (७) कुएँ, तालाब, नहरें आदि का निर्माण तथा मरम्मत (८) काँजी हीजो का प्रबन्ध करना। (९) मेलों, प्रदर्शनी आदि का लगवाना तथा प्रबन्ध। (१०) पडाव, मराय आदि का प्रबन्ध। (११) नदियों में बावों का प्रबन्ध। (१२) बाजार, पार्क, मनाथालय की स्थापना तथा प्रबन्ध। (१३) वृषि तथा पशुपालन के सम्बन्ध में शिक्षा प्रचार। (१४) हानिकारक व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाना। (१५) पीने के पानों का प्रबन्ध करना।

इन अनिवार्य कार्यों के अनिश्चित आर्थिक स्थिति अच्छी होने पर बोर्ड कुछ अन्य कार्य भी कर सकती है। जैसे, जनसंख्या की गणना, जन्म-मृत्यु का हिमाय रक्थना, ट्राम वेम आदि धराना, नहरें बनवाना, नई सड़कों का निर्माण, प्रौढ़-शिक्षालयों का प्रबन्ध आदि। परन्तु साधारणतः जिला बोर्ड की आर्थिक स्थिति इतनी खराब होती है कि वे अपने अनिवार्य कर्तव्य ही ठीक प्रकार नहीं कर सकते हैं।

कार्य-सह्यति :—मुख्यार्थ जिला बोर्ड का काम कई कमेटियों द्वारा किया जाता है। इन कमेटियों को बोर्ड ही नियुक्त करता है तथा इनमें बोर्ड के

हा मदस्य हात है। इन् कमटी में ३ या ४ सदस्य होते हैं। इन्हा में से एक सभा-पति चुना जाता है। परन्तु कार्यकारिणी समिति का सभापति बोर्ड का अध्यक्ष ही होता है।

जिला बाट की समितियां में सभ्य प्रदान कार्यकारिणी-समिति कहलानी है। १९४१ ई० के पूर्व बाट की एक अर्ध-समिति होती थी। अब इसके स्थान पर ही कार्यकारिणी समिति प्रानी है। उस समिति के सदस्य-बार्ड का उपाध्यक्ष अध्यक्ष राड की अन्य समितियां के सभापति तथा बाट के सदस्य द्वारा चुने हुए अन्य सदस्य होते हैं। इस कार्यकारिणी समिति का सभापति बाट का अध्यक्ष होता है। बाट का मंत्री ही इसका पदन (ex officio) मंत्री होता है। यह समिति वह सब काम करती है जो कि बार्ड द्वारा सौंपे जा सकें। यह सब काम जा पहिले अर्ध-समिति करती थी अब यहाँ करती है। इसके मुख्य काम नीचे लिखे हैं।

- (१) सदस्य के मत निश्चित करना।
- (२) किसी सदस्य के विरुद्ध दावा करना।
- (३) बार्ड की किसी अन्य समिति से रिपोर्ट मागना।
- (४) तहसील समितियां की व्यय राशि का निश्चित करना तथा उन्हें अधिन्याय देना।
- (५) बार्ड के किसी कर्मचारी का ठके दान का अधिकार देना।
- (६) नए कर लगाने की योजना तैयार करना।
- (७) अन्य स्थानीय समस्याओं में मध्यस्थ करना।
- (८) आवश्यक कर्मचारियों के अनिश्चित अन्य कर्मचारियों का बतल तथा समस्या निश्चित करना।
- (९) मंडका का निर्माण तथा सम्भल करना।
- (१०) बोर्ड के आय व्यय का बिट्टा तैयार करना।

कार्यकारिणी समिति के अनिश्चित दूसरी मुख्य समिति शिक्षा-समिति है। इसका काम बार्ड के शिक्षालया का प्रबन्ध करना, अध्यापकों का नियुक्त करना आदि है। इसमें १२ सदस्य होते हैं। इनमें से आठ बोर्ड के सदस्य अपने में से चुनते हैं। ४ बाहर से लिये जाते हैं। इन बाहर वाले सदस्यों में से एक दो सदस्य हो सकते हैं जो कि इन्स्पेक्टर के अनिश्चित शिक्षा विभाग के कर्मचारी हों।

बोर्ड के सदस्यों में से एक जिला बोर्ड के मध्यापको का प्रतिनिधि होगा। इस समिति का मन्त्री डिप्टी-इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स होता है। यह समिति अपने सदस्यों में से एक सभापति चुन लेती है। यह अपने काम की रिपोर्ट बोर्ड के सामने रखती है। अगर यह समिति ठीक प्रकार कार्य न कर रही हो तो बोर्ड सरकार से इसके भंग करने की प्रार्थना कर सकता है। इस समिति का कर्तव्य उत्तरदायित्वपूर्ण है। इसलिए इसके सदस्यों को अपना काम ईमानदारी के साथ करना चाहिये।

बोर्ड जिले की विभिन्न तहसीलों में अपना कार्य ठीक प्रकार से करने के लिए तहसील कमेटियाँ नियुक्त करता है। किसी तहसील समिति में उस तहसील से निर्वाचित बोर्ड के सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त बोर्ड अगर चाहे तो उनमें अन्य सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इन समितियों को वही अधिकार होंगे जो बोर्ड उनको देगा।

बोर्ड की आय तथा व्यय—जिला बोर्डों की आय के मुख्य साधन निम्न-लिखित हैं:—

(१) **शुल्क**—यह कर राज्य सरकार द्वारा मालगुजारी के साथ किसानों तथा जमींदारों से बमूल कर लिया जाता है तथा बाद को जिला बोर्ड को दे दिया जाता है। यह कर भूमि-कर पर उपकर है। १९४८ के संशोधन के पूर्व इसकी दर १ घाना रुपया थी परन्तु अब यह पहले से बड़ा दो गई है।

(२) जिला बोर्ड अपने क्षेत्र के अन्तर्गत रहने वाले किसी व्यक्ति या व्यापारी पर कर लगा सकती है। परन्तु उस व्यक्ति की आयदानी कम के कम २००) वार्षिक होनी चाहिये। इस कर की दर ४ पाई प्रति रुपये से अधिक नहीं हो सकती है।

(३) बाजारों, मेलों तथा नुमायश आदि पर कर।

(४) सवारियों पर टैक्स।

(५) पशुओं की विक्री पर कर।

(६) स्कूलों से फीस के रूप में आय।

(७) फ़ैक्टरियों पर टैक्स।

(८) पुलों तथा नावों से आय।

(९) पेट्रोल से आय।

(१०) भूमि बेचने से आय।

(११) दलालों, भाडतियों आदि पर टैक्स।

(१२) काँजा हाउस स आय ।

(१३) राज सरकार के द्वारा आर्थिक महायता ।

(१४) ऋण ।

इन विविध श्रोता से हुई आमदनी को बोर्ड निम्नलिखित बातों पर व्यय करता है —

(१) सड़कों का दफाना, मरम्मत करना तथा उनके किनारे वृक्ष लगाना ।

(२) पानी के लिये तालाब, कुओं का प्रबन्ध करना ।

(३) नदियों पर पुल बनाना तथा उनकी मरम्मत करना ।

(४) शिक्षालयों पर व्यय, जैसे शिक्षका का वेतन आदि ।

(५) औषधालय तथा चिकित्सकों पर व्यय ।

(६) कृषि, उद्योग आदि की उन्नति के लिये व्यय ।

(७) मेन, पैठ, नूमायश आदि पर व्यय ।

(८) बोर्ड के कर्मचारियों का वेतन ।

जिला बोर्ड की आय उनके कामों के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कम है । यह उनके ठीक प्रकार से अपने उत्तरदायित्व को पूरा न करने का एक मुख्य कारण है । बोर्ड को अपनी आय बढ़ाने के लिये कुछ उपाय करना चाहिये उदाहरणार्थ बोर्ड को अपने क्षेत्र के अन्दर उद्योग-धंधों की स्थापना के लिये लोगो को उत्साहित करना चाहिये तथा उनको महायता देनी चाहिये । इनसे कर रूप में आमदनी होगी । बोर्ड अपनी आय बढ़ाने के लिये डेरी, पोर्टी फार्म आदि खोल सकते हैं । मले, पैठ प्रदर्शनियों से भी आमदनी बढ़ सकती है; बस रेल तथा अन्य सवारी के साधनों से भी आय बढ़ेगी । इनके अतिरिक्त राज्य-सरकार को अपनी आर्थिक महायता में कुछ और वृद्धि कर देनी चाहिये ।

सरकारी नियन्त्रण — स्थानीय संस्थाएँ यद्यपि अपने क्षेत्र के अन्दर स्वायत्त अधिकार का प्रयोग करती हैं तथापि इसके साथ साथ वे सरकारी नियन्त्रण से स्वतन्त्र भी नहीं हैं । नगर-पालिकाओं तथा जिला बोर्ड दोनों ही सरकारी नियन्त्रण में हैं । कमिश्नर तथा कलेक्टर को नगर पालिकाओं के कार्यों में हस्तक्षेप का अधिकार है । अधिकार इन कर्मचारियों को इसलिए दिये गये हैं ताकि स्थानीय संस्थाएँ अपने कामों को ठीक ढंग से करें । नगरपालिकाएँ समय समय पर जिलाधीश को अपने कामों की रिपोर्ट भेजती हैं । विवादग्रस्त मामला पर जिलाधीश अपनी राय दे सकता है । उसको इनके आय व्यय पत्र पर भी परामर्श देने का अधिकार है । वह इनके कार्यों के सम्बन्ध में एक वार्षिक रिपोर्ट भी देता है ।

जिला बोर्ड पर भी सरकारी नियन्त्रण है। कुछ सरकारी अधिकारियों को बोर्ड की बैठकों में शामिल होने का अधिकार है, जैसे वल्लेक्टर, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, जिले के स्वास्थ्य विभाग का अधीन अधिकारी आदि। इसके प्रतिरिक्त प्रादेशिक अधिकारी को बोर्ड के विभिन्न विभागों के निरीक्षण का अधिकार है। उदाहरणार्थ, शिक्षा विभाग का सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्वास्थ्य विभाग का प्रादेशिक अधिकारी निरीक्षण कर सकते हैं। इनके अलावा कमिश्नर तथा मुख्यतः जिलाधीश को बोर्ड के कामों पर नियन्त्रण का अधिकार है।

उत्तर-प्रदेश की सरकार जिला बोर्डों की समस्याओं तथा उन साधनों और उपायों पर विचार कर रही है जिन्हें अपनाकर वह आय के प्रतिरिक्त साधनों की व्यवस्था कर सके। इस सरकार द्वारा नियुक्त दोनों समितियों अर्थात् स्थानीय विकास सहायता-अनुदान समिति (Local Bodies Grants-in-Aid Committee) तथा स्थानीय वित्त-समिति (Local Finance Enquiry Committee) ने इस विषय का अध्ययन किया और उनकी सिफारिशों उत्तर प्रदेशीय सरकार के विचाराधीन हैं। जिला बोर्डों के पुनर्गठन तथा उनकी आय के साधनों में वृद्धि में सुझाव रखने के लिये एक उच्च स्थानीय समिति को नियुक्त की गई है। इसकी रिपोर्ट इस वर्ष के अन्त तक आ जावेगी।

जिला परिषद् — उत्तर प्रदेश में १ मई, १९५८ से जिला बोर्डों का विघटन कर दिया गया है। इनके स्थान पर एक अन्तरिम व्यवस्था की गई है और इसे हेतु एक अध्यादेश जारी किया गया है। यह "उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद अध्यादेश १९५८" कहलाता है। इसके अनुसार १ मई, १९५८ से उत्तर प्रदेश के नगरीय जिला बोर्डों, (जिनके अन्तर्गत, भदोही का उप-जिला बोर्ड भी है) तथा इन बोर्डों की समस्त कमेटियों ने एक मई, १९५८ से अपने काम समाप्त कर दिया है। इन बोर्डों का काम, इनके स्थान पर अन्तरिम जिला परिषदों की स्थापना तक, जिले के कलेक्टर द्वारा किया जायगा परन्तु अब जिलों में अन्तरिम जिला परिषदों का निर्माण हो गया है। इन परिषदों का संघटन निम्नलिखित है।

इस परिषद में निम्नलिखित सदस्य हैं —

- (१) जिले की जिला नियोजन समिति के सब सदस्य;
- (२) पाँच सदस्य जो कि उन व्यक्तियों के निर्वाचक-मण द्वारा निर्वाचित हैं, जो ३० अप्रैल, मन् १९५८ की मूलपूर्व जिला बोर्ड के सदस्य तथा प्रेसिडेंट थे अथवा जो राज्य सरकार द्वारा नाम निश्चित हों;

(३) वाराणसी के जिला परिषद में दो सदस्य भदोही के उपजिला वार के सदस्य द्वारा भी निर्वाचित होकर भेजेगे ।

सरकार द्वारा कलेक्टर को आन्तरिक जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है और वही इसका बैठकों का सभापतित्व करेगा । जिला बोर्ड का प्रेग्रीडेन्ट जिला परिषद का उप-सभापति होगा ।

ये जिला परिषदें जिला नियोजन समिति के कार्या को सहायित करगीं । आन्तरिक जिला परिषदों का भार अधिकांश जिले का जिला नियोजन अधिकारी होगा ।

जिला बोर्डों का विघटन सरकार ने एक कमेटी की राय से किया जो कि इसी उद्देश्य से बिठायी गई थी । सरकार ने नियोजन के कार्य को बढ़ाने के उद्देश्य से यह पग उठाया है । इन जिला परिषदों का अन्तिम रूप क्या होगा यह अभी तक पूर्ण रूपसे ज्ञात नहीं है क्योंकि इन विषय में अभी कोई प्रधि नियम नहीं बना है । परन्तु यह समाचार है कि जिला कौन्सिल में दो सदस्य की व्यवस्था करने का विचार है । निचले सदन को जिला परिषद तथा उपरि सदन को जिला सदन का नाम दिया जाएगा । किन्तु चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होगा । इन वष इनके संगठन के सम्बन्ध में राज्य सरकार विधेयक प्रस्तुत करने वाली है ।'

गाँव पंचायत — भारत में पंचायत व्यवस्था अत्यन्त प्राचीन है । प्राचीन काल में तथा मध्यकाल में गाँवों में पंचायत ही दैनिक जीवन के सभी प्रश्नों को हल करती थी । परन्तु अंग्रेजी राज्य की स्थापना के पश्चात् केन्द्रीयकरण की ओर अधिक ध्यान दिया गया । इसके फलस्वरूप गाँवों की स्वतन्त्रता जाती रही । गाँधी जी ने अपने कार्य-क्रम में गाँवों को पुनः धात्मनिर्भर बनाने की ओर काफी जोर दिया । उनके प्रभाव के कारण ही कांग्रेस सरकार ने पंचायतों की स्थापना की और पदम उठाया है ।

अंग्रेजी काल में भी प्रान्तों में पंचायत ऐक्ट बने थे । उदाहरणस्वरूप, यू०पी० (अब उत्तर प्रदेश) में १९२० में ऐसा ऐक्ट बना था । पन्नाव में इससे पहले ही पंचायत ऐक्ट बन चुका था । अन्य प्रान्तों में भी ऐसे ऐक्ट बने । परन्तु उक्त समय में पंचायतें स्थापित की गई थीं उतकी स्वाधीनता केवल नाममात्र की थी । सरकारी कर्मचारियों का हस्तक्षेप बहुत अधिक था । इनके सदस्यों को तहसीलदार पतौनीत करना था । ऐसी अवस्था में यह स्वाभाविक था कि ये पंचायतें कुछ

काम न कर सकी। जब सन् १९३७ में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल की स्थापना हुई तब सर्वप्रथम इस विचार को कार्यान्वित करने के लिये योजना बनाने का प्रस्ताव हुआ कि ग्रामी के स्वायत्तता के हेतु पंचायतों की स्थापना की जावे। परन्तु इसके पूर्व कि यह योजना बने कांग्रेस सरकार ने पद त्याग कर दिया। जब कांग्रेस फिर पदार्हूट हुई तब पंचायत स्थापना की योजना कार्यक्रम में परिणित की गई। भारत के संविधान की ४०वीं धारा में यह कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिये भयंकर होगा, तथा उनको ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक हो। इसी को ध्यान में रखते हुये विभिन्न प्रादेशिक सरकारों ने इस दिशा में कार्य किया। इन पंचायतों का संगठन राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। पश्चिमी बंगाल के अतिरिक्त सभी राज्यों में तथा अधिकतर केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों में पंचायत ऐक्ट बन चुके हैं। उत्तर-प्रदेश में २७ दिसम्बर सन् १९४७ में ही पंचायत ऐक्ट पास हो गया था। पश्चिमी बंगाल तथा दिल्ली राज्य की सरकार इस प्रकार का अधिनियम बनाने जा रही हैं। समस्त देश के ५८१=१८ गाँवों में से २९४४६० अब तक पंचायत कानून के अन्दर आ गये हैं। उत्तर प्रदेश के तो सभी गाँव (१२४३२३ गाँव) ३६१३९ गाँव पंचायतों के अन्तर्गत आ गये हैं।

गाँव सभा :—सन् १९४७ के अधिनियम द्वारा प्रत्येक गाँव में जिसकी जनसंख्या १००० या इससे अधिक थी एक गाँव सभा की स्थापना की गई थी। यदि किसी गाँव की आबादी उतने कम थी तो उसे किसी पास के गाँव के साथ मिला दिया गया था। परन्तु यदि तीन मील की दूरी तक कोई अन्य गाँव न था तो उस दशा में गाँव के लिये १००० से कम जनसंख्या होने पर भी एक गाँव सभा स्थापित की गई थी। परन्तु दिसम्बर १९५४ में एक संशोधन पास किया है तथा गाँव सभाओं के संगठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिये गये हैं। इस संशोधन के अनुसार प्रत्येक नम्बरी गाँव में अर्थात् जिसकी जनसंख्या २५० है, एक गाँव सभा होगी। जिन गाँवों की जनसंख्या २५० से कम है उन्हें निकटवर्ती गाँवों में मिला दिया जावेगा। उत्तर-प्रदेश में नम्बरी गाँवों की संख्या ५५००० से ६०,००० के बीच होगी।

प्रत्येक गाँव का निवासी—स्त्री तथा पुत्र्य—बिना किसी-भेद भाव के इस सभा का सदस्य हो सकता है, भगर वह २१ वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। परन्तु निम्नलिखित व्यक्ति इसकी सदस्यता के अयोग्य हैं :

जो भारत के नागरिक न हो, जिसका मसतिम्क विकृत हो तथा जो गाँव सभा क्षेत्र के साधारणतः निवासी न हो।

प्रत्येक गाँव-सभा का एक प्रधान तथा उप प्रधान होता है। गाँव सभा के पदाधिकारी तथा पचायत और न्याय पचायत के निम्नलिखित व्यक्ति सदस्य नहीं हो सकते हैं—वाड़ी, सरकारी नौकर, भीषण अपराध के लिये दंडित अनन्तुन दिवालिये नैतिक अपराध तथा निर्वाचन मन्त्री अपराध के लिये दण्डित। न का निर्वाचन के सभा के सदस्य अपने में से ही करेंगे। प्रधान की आयु कम से कम ३० वर्ष होनी चाहिये। इसका कार्यकाल २ वर्ष होगा परन्तु यह १ वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। गाँव सभा का उप प्रधान गाँव-पचायत के द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित होगा। उप प्रधान के पद की अवधि उमक चुनाव की तारीख से एक वर्ष होगी। प्रधान तथा उप प्रधान का अपने कार्यकाल में पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि विधेय रूप से बुलाई गई किसी षठक में जिसकी कम से कम १५ दिन पूर्व स नोटिस दी गई हो, उसके विरुद्ध उपस्थित तथा मत देते हुए सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दिया जावे। प्रत्येक गाँव सभा की एक कार्य-नारिणी होती है। इसको गाँव पचायत कहते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव गाँव सभा अपने सदस्यों में से करती है।

गाँव सभा की बैठक के लिये कम से कम सदस्य संख्या का पाँचवाँ भाग उपस्थित होना चाहिये। वर्ष में इसकी दो बैठकें होती हैं—एक तो रबी की फसल के बाद तथा दूसरी मरीचकी फसल के बाद। इनको क्रमशः रबी की बैठक तथा मरीचकी बैठक कहते हैं। इनके अतिरिक्त सभा की असाधारण बैठक भी बुलाई जा सकती है। यदि कुल सदस्य संख्या का पाँचवाँ भाग ऐसी बैठक की माँग करेता ३० दिन के अन्दर ऐसी बैठक सभापति द्वारा बुलाई जावेगी।

गाँव सभा के निम्नलिखित मुख्य कर्तव्य हैं —

(१) ग्राम विकास की योजना बनाना उसको स्वीकार करना तथा इस काम की देय रोग करना।

(२) खरीक की बैठक में धानामी वर्ष के आय-व्यय के अनुमानों तथा निर्माण कार्य के प्रस्तावों पर विचार करना तथा उमें स्वीकार करना। रबी की बैठक में गत वर्ष के आय व्यय के ऊपर विचार होता है।

(३) अपने प्रधान, उप प्रधान, गाँव पचायत तथा न्याय-पचायत के सदस्यों का चुनाव तथा उन्हें पद से हटाना।

(४) गाँव बोप को स्थापना करना तथा उसकी देख-रेख और वार्षिक लेखा-परिक्षण (आडिट) करना।

(५) पंचायत की कार्य के लिये अपने क्षेत्र के अन्तर्गत कर, शुल्क आदि लगाना ।

गाँव-पंचायत—यह गाँव नमा की जायेंकाष्ठी समिति है। इनका चुनाव गाँव नमा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इनका काम गाँव-नोकरी से सम्बन्धित दैनिक कार्यों को करना है। गाँव-नमा तो साल भर में केवल दो ही बार मिलती है। इसलिए गाँव-पंचायत को ही सब काम करने होते हैं। इसके सदस्यों की संख्या गाँव की जनसंख्या पर निर्भर है। इसलिए अलग-अलग गाँवों में यह अलग-अलग होगी। गाँव पंचायत में प्रधान तथा उप-प्रधान के अतिरिक्त कम से कम १५ तथा अधिक से अधिक ३० सदस्य हो सकते हैं। गाँव नमा के नमाति ही इसके भी प्रधान तथा उप-प्रधान होते हैं। १००० जन-संख्या तक १५ सदस्य, २००० जन-संख्या तक २० सदस्य, ३००० जन-संख्या तक २५ सदस्य तथा ३००० जनसंख्या से ऊपर ३० सदस्य होंगे। गाँव नमा के प्रधान तथा उप-प्रधान ही गाँव पंचायत के पदेन प्रधान तथा उप-प्रधान होंगे। गाँव पंचायत के प्रधान व उसके सदस्यों के कार्य की अवधि साधारणतः ५ वर्ष होगी। परन्तु राज्य-सरकार विरोध परिस्थितियों में इसे ६ वर्ष कर सकती है। उप-प्रधान के कामकाल की अवधि केवल एक वर्ष ही है।

पंचायतों के लिए चुनाव संपूर्ण-निर्वाचन प्रथा द्वारा होंगे। परन्तु परिगणित जातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखे गये हैं। निर्वाचन के हेतु गाँव निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा जाएगा। जिलाधीन एक निर्वाचन-अध्याज तथा कुछ उप-निर्वाचन अध्याजों को नियुक्त करता है। इनके अतिरिक्त पीपल्स-मफ़्तर भी होते हैं। मतदान गुप्त नहीं है परन्तु हाथ उठाकर दिया जाता है। इनको पीपल्स-मफ़्तर गिन देता है तथा निर्वाचन अध्याज को इसके सूचना देता है। बराबर मत मिलने पर इसका निर्णय हाटरी द्वारा किया जाता है।

गाँव-पंचायत की प्रत्येक महीने कम से कम एक बैठक होनी चाहिये। प्रत्येक पंचायत अपने सदस्यों की विविध कार्यों को करने के लिये छोटी-छोटी समितियों बना सकती है। इन्में कार्य-सन्वादन में सहायित रहती है। ये समितियाँ निम्नलिखित हैं—

१. शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, नफाई समिति, धान रक्षा समिति, विकास समिति तथा अन्य समिति।

२. पंचायत के कार्य—इस कार्य को दो भागों में बाँटा जा सकता है—
अनिवार्य तथा ऐच्छिक।

प्रत्येक गाँव पंचायत का अपने क्षेत्र में निम्नलिखित विषयों पर अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार प्रबन्ध करना होगा। ये गाँव-पंचायत के अनिवार्य कार्य हैं —

(१) ग्राम गलियों को बनवाना, मरम्मत करना, ठीक दशा में रखना तथा उनकी सफाई और रोशनी का प्रबन्ध करना,

(२) हाइड्रो महायता;

(३) सफाई का प्रबन्ध तथा छूत की बीमारियों को फैलने से रोकने का प्रबन्ध,

(४) गाँव-सभा की इमारतों या अन्य सम्पत्ति की देखभाल करना;

(५) जन्म, मृत्यु तथा विवाह का रजिस्टर रखना;

(६) ग्राम गलियों, सार्वजनिक-स्थानों तथा सार्वजनिक सम्पत्ति पर से हस्तक्षेप (encroachments) को दूर करना;

(७) मनुष्य तथा पशुओं की लाशों को फेंकने के लिये स्थान निश्चित करना;

(८) अपने क्षेत्र के अन्दर मेला, हाट तथा बाजार का प्रबन्ध करना;

(९) बालक तथा बालिकाओं के लिये प्रारम्भिक स्कूलों का प्रबन्ध करना;

(१०) सार्वजनिक-चरागाहों तथा भूमि का अपने क्षेत्र के निवासियों के हितार्थ प्रबन्ध करना।

(११) सार्वजनिक कुओं, तालाबों आदि को पीने, कपड़ा धोने तथा नहाने के पानी के लिये बनाना, मरम्मत करना तथा उन्हें ठीक दशा में रखना,

(१२) नई इमारतों के बनाने के लिये तथा पुरानी इमारतों के मरम्मत के लिये नियम निर्माण करना;

(१३) खेती, व्यापार तथा उद्योगों की महायता करना।

(१४) आग बुझाने का प्रबन्ध करना;

(१५) दीवानी तथा फौजदारी न्याय का प्रबन्ध और पंचायती अदालत के लिये पंचों को चुनना;

(१६) मनुष्यों तथा पशुओं की गणना का प्रबन्ध;

(१७) शिक्षा-केन्द्रों का प्रबन्ध;

(१८) खाद इकट्ठा करके लिये स्थान नियत करना;

(१९) कानून द्वारा सौंपा कोई अन्य कार्य करना;

(२०) कुमायूँ की पहाड़ी पट्टियों में वनों एक तथा फैसर-ए-हिन्द जंगल तथा देनाप भूमि, पानी के नालों और पनघटों का प्रबन्ध करना;

इन उपरोक्त कार्यों के प्रतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी गाँव पंचायत क सकती हैं। ये इसके ऐच्छिक कार्य हैं।

(१) ग्राम रास्तों के दोनों ओर तथा सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ लगाना और उनकी रक्षा करना;

(२) पशुओं की नस्ल सुधारने का तथा उनकी चिकित्सा का प्रबन्ध;

(३) गड़ों को भरवाने का प्रबन्ध;

(४) स्वयं सेवक दल की स्थापना जो कि गाँव को देखभाल करेगा तथा पंचायती म्दालत को उसके कार्यों में सहायता देगा।

(५) खेतियों को सरकारी ऋण लेने में सहायता करना तथा उसको उतारने में उसको राय देना;

(६) अच्छे बीज तथा खेत के औजार रखने के लिये भंडार बनाना तथा सहकारिता की उत्पत्ति;

(७) अकाल तथा अन्य विपत्तियों के विरुद्ध सहायता का प्रबन्ध करना;

(८) जिला बोर्ड से उन कार्यों को रोक्ने के लिये कहना जो कि गाँव समूह के अधिकार के बराबर हैं;

(९) आबादी क्षेत्र को बढ़ाना;

(१०) पुस्तकालय तथा वाचनालय को बनाना तथा उनका प्रबन्ध करना;

(११) अखाड़ा, क्लब आदि मनोरंजनार्थ स्थापित करना;

(१२) ताड़ तथा कूड़े के इकट्ठा करवाने तथा फेंकवाने का प्रबन्ध;

(१३) आबादी के २२० गज के अन्दर चमड़े की रगाई आदि बन्द करना या उसको नियंत्रित करना;

(१४) विभिन्न सम्प्रदायों के बीच सद्भावना बढ़ाने के लिए सस्थाएँ स्थापित करना;

(१५) सार्वजनिक रेडियो तथा ग्रामोफोन का प्रबन्ध करना;

(१६) गाँव वालों के नैतिक या भौतिक उत्पत्ति के अन्य कोई कार्य;

(१७) जिला-बोर्डों के अनुसार गाँव के हित में ऐसे काम करना जो जिला-बोर्डों के अधिकार क्षेत्र में हैं;

(१८) कोई ऐसे अन्य कार्य करना जिन पर खर्च करने की प्रादेशिक सरकार गाँव सभाओं को आज्ञा दे दे ।

१ (१९) आबारा मवेशिया, आबारा कुत्ता जगली पशुओं और बन्दरा को बचाने और उनका निवर्तन का प्रबन्ध करना

विहार सरकार ने ग्राम स्तर पर प्रथम बार की आधार भूत इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों को मान्यता दे दी है और उसने जिलाधीशों को आदेश दिया है कि स्थानीय विनाम के सारे कार्य पंचायतों के द्वारा कार्यान्वित होने चाहिये । इसके अतिरिक्त विहार राज्य सरकार ने राजस्व बसूली का कार्य भी पंचायतों के हाथ में सौंपने का निश्चय किया है । १९२५ पंचायतों को कमिशन के आधार पर यह कार्य दिया भी जा चुका है ।^१

अधिकार — इन अनिवार्य तथा ऐच्छिक कार्यों को करने के लिए गाँव पंचायतों को कुछ अधिकार दिये गये हैं । वे निम्नलिखित हैं —

(१) गाँव पंचायत को अपने क्षेत्र के अन्दर समस्त सार्वजनिक जल तथा थल मार्गों पर अधिकार है अर्थात् वे प्रादेशिक सरकार या जिलाबोर्ड के अधीन न हों । जल तथा थल मार्गों की रक्षा करना, मरम्मत करना या नये मार्ग बनवाना गाँव पंचायत के अधिकार में है । यह किमी रास्ते को चौड़ा करवा सकती है, यह अर्थात् उचित समझे तो बन्द भी करवा सकती है । रास्तों पर आई हुई झाड़ियों तथा पेड़ों की डालियों को कटवा सकती है । इसको यह भी अधिकार है कि किमी सोने के पानी को बपड़ा घोलने नहाने आदि के लिये इस्तेमाल करने से रोक लगा दे ताकि पानी पीने के लिए गन्दान होने पाये ।

(२) गाँव पंचायत सफाई के लिये किमी भूमि या इमारत के स्वामी को यह आज्ञा दे कि वह अपनी भूमि या इमारत से गन्दगी को हटाये, मरम्मत करे, गालियाँ बनाये, गड्ढा को भरवाये, कुत्ता को साफ करवाये या उसको भरवाये, घास झाड़ियों को कटवाये तथा कूड़ा करकट आदि को साफ करे । परन्तु इसी आज्ञा दते समय पंचायत उस मनुष्य की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखेगी तथा उसे काफी समय देगी । जिस मनुष्य को ऐसी नोटिस मिलेगी वह ३० दिन के अन्दर जिला मेडिकल अफसर से इसके विरुद्ध अपील कर सकता है जिसका नणय इस मामले में अंतिम होगा ।

(३) बालक तथा बालिकाओं को प्रारम्भिक शिक्षा-हेतु स्कूल स्थापित करने तथा उसकी रक्षा करने का अधिकार है। गाँव वालों के स्वास्थ्य के लिये यूनानी या आयुर्वेदिक औषधालय स्थापित कर सकती है।

(४) अगर गाँव-पंचायत अपने क्षेत्र में रहने वाले किसी प्रादमों से किसी सरकारी कर्मचारी, जैसे भ्रमीन, सिपाही, पटवारी, टीका लगाने वाले, सिंचाई विभाग के पतरोल या अन्य किसी विभाग के चपरासी, के विरुद्ध कोई दुराचार की रिपोर्ट पावे तथा उसके विरुद्ध पंचायत के पास प्रमाण हो, तो वह उन कर्मचारी की शिकायत उचित अधिकारी के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये कर सकती है।

(५) अपने क्षेत्र के अंदर, प्रादेशिक सरकार की आज्ञा होने पर, गाँव-पंचायत को अपने कर्तव्यों के पालन करने में सरकारी कर्मचारियों की सहायता का अधिकार है।

गाँव कोष :—प्रत्येक गाँव-सभा का एक कोष होता है। इसी में से पंचायत अपने कर्तव्यों का पूरा करने के लिये द्रव्य लेती है। इस कोष में नीचे लिखी रकमें जमा होती हैं।

- (१) पंचायत राज ऐक्ट द्वारा लगाये गये करों से प्राप्त रकमें ;
- (२) प्रादेशिक सरकार द्वारा गाँव सभा को सौंपी गयी रकमें ;
- (३) इस ऐक्ट के लागू होने के पूर्व की पंचायतों की बची हुई रकम ;
- (४) किसी न्यायालय की आज्ञा से इस कोष में जमा की हुई रकम ;
- (५) कूड़ा, पशुओं की लाशों, गोबर आदि की बिक्री से प्राप्त रकम ;
- (६) नजूल की सम्पत्ति या भूमि की धामदनी का वह भाग जो प्रादेशिक सरकार पंचायत को दे दे ;

- (७) जिला बोर्ड या अन्य अधिकारियों द्वारा दी हुई रकमें ;
- (८) ऋण या दान से प्राप्त रकम ;
- (९) प्रादेशिक सरकार द्वारा मजूर कोई अन्य रकम ;

पंचायत राज्य अधिनियम के अनुसार गाँव सभा को अपने क्षेत्र में तीन प्रकार के कर लगाने के अधिकार दिये गये हैं : (१) मालगुजारी तथा लगान पर कर जो कास्तकार के लगान पर अधिक के अधिक एक आना प्रति रुपया है, (२) व्यापार और पैसे पर कर, जिसके अनुसार ५०० रुपये से अधिक की धामदनी वालों पर एक आना रुपया लिया जा सकता है; (३) मकान कर जो उपयुक्त दोनों कर न देने वालों अधिनियमों से ही लिया जा सकता है। इसके

अतिरिक्त गाँव सभा को अपने क्षेत्र में मजदूरो तथा कपडा, गल्ला और चीनी के व्यापारिया और सवारिया को गाडियाँ रखने वालो, आदि से भी साधारण अनुमति शुल्क (लाइसेंस फी) लेने का अधिकार है ।

गाँव सभाओं की आय बढ़ाने के उद्देश्य से फीस में कुछ नई मदें बढ़ा दी गईं । गाँव सभा के नियन्त्रण में चलाए जाने वाले बाजार हाट या मेठे में माल बेचने वाला पर विक्री फीस लगायी जा सकेगी यदि ये व्यापार या पेशा सबधी कर न देते ह। जानवरा की विक्री पर रजिस्ट्री फीस और कसई छाना या लैमे लगाने व स्थाना के प्रयोग की फीस भी ली जा सकती है । जिन गाँव सभाओं की ओर से पानी देने या व्यक्तिगत सौचालय या नालियों की सफाई करने का प्रबन्ध होगा वहाँ पर पानी तथा सफाई टैक्स भी लगाया जा सकेगा । गाँवों में चलते फिन्ते सिनेमा प्रदर्शन पर भी फीस लयेगी ।

गाँव-पंचायतों की आमदनी के स्रोत बहुत साधारण हैं । उनके कर्तव्यों के अनुपात से उनकी आय बहुत कम है । इससे यह होगा कि पंचायतें अपने कर्तव्यों का उचित प्रकार पालन नहीं कर सकेगी । अगर वे कुछ लाभदायक काम कर सकती हैं तो यह आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रादेशिक सरकार को उनकी आमदनी बढ़ाने के मापन प्रस्तुत करने चाहिये । यह सत्य है कि नवीनतम सशोधन द्वारा इस दिशा में कुछ सुधार हुये हैं ।

न्याय पञ्चायत — पञ्चायत राज अधिनियम द्वारा न्याय पञ्चायतों की भी स्थापना की गई है । इनका उद्देश्य यह है कि गाँव निवासी अपने छोटे-मोटे झगडा का निणय स्वयं ही कर लें । उनका व्यय तथा परेशानी बच जाय ।

पञ्चायत राज अधिनियम में हुए नवीनतम संशोधनों के द्वारा जैसा हम देख चके हैं गाँव सभा क्षेत्रों में परिवर्तन कर दिया गया है । इसी कारण न्याय पञ्चायतों के क्षेत्रों में परिवर्तन कर दिया गया । संशोधन पूर्व साधारणतः तीन से पाँच गाँव सभाओं को मिलाकर एक न्याय पञ्चायत की स्थापना की जाती थी । अब साधारणतः ९ गाँव सभाओं पर एक पञ्चायत होगी परन्तु विशेष परिस्थितियों में ५ से १२ गाँव सभाओं पर एक न्याय पञ्चायत हो सकती है ।

प्रादेशिक सरकार या निर्धारित अधिकारी प्रत्येक जिले को कई मण्डलों (Circle) में बाटगा तथा इनमें से प्रत्येक में एक न्याय पञ्चायत होगी । न्याय पञ्चायतों के लिये प्रत्येक गाँव सभा अपने यहाँ से गाँव पञ्चायत के लिए निर्धारित सदस्यता के अतिरिक्त ५ या इससे कम जितने अधिनियम के अनुसार निश्चित किए जायें, व्यक्तियों को और निर्वाचित करगी । इसके पञ्चायत निर्धारित

अधिकारी उन निर्वाचित व्यक्तियों में से उतने पड़े-लिखे व्यक्तियों को जितने वह गाँव सभा न्याय पञ्चायत के लिये भेजने की अधिकारी है, वह पञ्च मनो-नीत कर देगा ।

प्रत्येक न्याय पञ्चायत में पञ्चों की संख्या ऐसी रखी जायगी जो १ से नोट जाय अर्थात् १५, २० या २५ । एक से लेकर ६ गाँव सभाओं तक ~~कुछ~~ न्याय पञ्चायत के पञ्चों की संख्या १५, ७ से लेकर ९ तक की संख्या २० तथा ९ से अधिक गाँव सभाओं वाली न्याय पञ्चायत के पञ्चों की संख्या २५ होगी । इस संख्या का गाँव सभाओं के मध्य विभाजन इस प्रकार होगा, यदि पाँच सभाओं की न्याय पञ्चायत है तो उसमें १५ सदस्य होंगे अतएव प्रत्येक में ३-३ पच चुने जायेंगे । यदि इन सभाओं की संख्या ६ है तो प्रत्येक सभा में २-२ पच चुने जायेंगे और शेष जो ३ बचता है उनके लिये ऐसे गाँव सभाओं में से एक-एक पच चुना जायगा जिनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है ।

प्रत्येक न्याय पञ्चायत में एक सरपंच तथा एक सहायक सरपंच होगा । इनका चुनाव पञ्चगण अपने में से ही करेंगे । इन अधिकारियों के लिये यह आवश्यक है कि उन्हें वायेंवाहियों को लिखने की योग्यता हो । प्रत्येक पच के पद की अवधि उसके चुनाव की तारीख से ५ वर्ष है परन्तु राज्य सरकार इसे १ वर्ष बढ़ा सकती है । पच को अधिकार है कि वह इस अवधि के पूर्व पद त्याग सकता है । वह विशेष दस्ता में अपने पद से राज्य सरकार या निर्धारित अधिकारी द्वारा हटाया भी जा सकता है ।

सरपंच न्याय पञ्चायत के सामने अपने अग्रे वाले समस्त वादों और जाँच के निषटारों के लिए पाँच-पाँच पचों को बंध बनाएगा । इन पचों का निर्माण स्थाई होगा । कोई पच, सरपंच या सहायक किसी ऐसे वाद (नामले) की सुनवाई में या जाँच में भाग नहीं लेगा जिसमें वह या उसका निकट सम्बन्धी, मालिक, नौकर, कृषी, ऋणदाता या शासी एक पक्ष में हो या जिसमें उनमें से किसी का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ हो ।

न्याय-पञ्चायतों के अधिकार —पञ्चायत राज्य ऐक्ट (१९८७) के ग्राम पञ्चायत ऐक्ट के नीचे पञ्चायतों के अधिकार अत्यन्त साधारण थे । परन्तु इस नये ऐक्ट द्वारा इन अधिकारों में काफी वृद्धि की गई है । न्याय पञ्चायतों के निम्नलिखित अधिकार हैं :

(१) इस ऐक्ट के अधीन पेश किया हुआ फौजदारी मुकदमा, जान्ते फौजदारी (Criminal Procedure Code) के किसी बात के होते

हुए भी उस सर्किल के सरपंच के सामने पेश होगा जिसमें कि अपराध किया गया हो।

निम्नलिखित फौजदारी मामले पंचायती अदालत में पेश हो सकते हैं —

1/ फौज में न होते हुए भी फौजी पोशाक पहनने का अपराध, लड़ाई जगडा करना, सम्मन की तामील करने से छिप जाना, सरकारी कर्मचारी के प्रश्नों का उत्तर न देना, रास्ते में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना पानी की टकी या सोते को गन्दा करना आग, जानवर आदि के मामलों में असावधानी, गन्दी क्रियाएँ या गाने, भूमि तथा मकान में अनाधिकार प्रवेश करना, 10 रुपये तक की चोरी इत्यादि।

पञ्चायती अदालत वा केंद्र की सजा देने का अधिकार नहीं है। यह केवल जुर्माना कर सकती है। इनको 100) तक जुर्माने का अधिकार है। पञ्चायती अदालत अगर यह समझे कि किसी व्यक्ति में शान्ति भंग होने का भय है तो वह उससे 100) मचलका 15 दिन तक के लिए ले सकती है। परन्तु न्याय पंचायतें पुराने अपराधियों के मुकदमों की सुनवाई नहीं कर सकती हैं।

(२) न्याय पंचायत निम्नलिखित प्रकार के किसी दीवानी मुकदमों की सुनवाई कर सकती है यदि उसका मूल्य एक नौ रुपया से अधिक न हो ;

(क) कोई दीवानी मुकदमा जो अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी मविदा क अतिरिक्त किसी अन्य मविदा पर दाय धन के लिये हो ;

(ख) किसी चल सम्पत्ति या उसकी कीमत धापमी के लिए काई दीवानी मुकदमा ;

(ग) किसी चल सम्पत्ति को दोषपूर्ण ढग से लेने या क्षतिग्रस्त करने के लिए कोई दीवानी मुकदमा ;

(घ) अनाधिकार पशु प्रवेश के द्वारा उत्पन्न क्षतियों के लिये कोई दीवानी मुकदमा ;

राज्य सरकार यदि चाहे तो न्याय पंचायत को 500 रुपये मूल्य तक के दीवानी मुकदमों की सुनवाई का अधिकार दे सकती है।

(३) माल के मुकदमों में न्याय पंचायतों को निर्णय देने का अधिकार नवीनतम मसौघन द्वारा नहीं रह गया है। उन माल के मुकदमों में जो इस अधिनियम द्वारा इनके क्षेत्र के अन्तर्गत हैं, यदि उनमें कोई विरोध नहीं है

(uncontested) है, तो न्याय पंचायतों को परीक्षण (enquiry) का अधिकार है। परन्तु उन मुकदमों में जिसमें विरोध (contested) है यह अधिकार भी नहीं है।

इन अदालतों के निर्णय की अपील नहीं होती है। उनमें निर्णय बहुमत से होता है। इनके फैसलों को, कुछ विरोध दस्ताजों में मुक्तिफ या सब-डिवीजनल अफसर, निगरानी कर सकते हैं।

सरकारी नियन्त्रण :—प्रत्येक स्थानीय संस्थाओं की तरह गांव पंचायतों भी सरकारी नियन्त्रण में हैं। पंचायत ऐक्ट में यह बतलाया गया है कि प्रादेशिक सरकार का क्या नियन्त्रण है। इस नियन्त्रण का उद्देश्य यह है कि पंचायत अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करें।

प्रादेशिक सरकार गांव सभा की अचल सम्पत्ति, भूमि, आदि का निरीक्षण कर सकती है। गांव-पंचायत के किसी कागज को माँग सकती है। गांव सभा, गांव-पंचायत या पंचायती-अदालत से सम्बन्धी किसी भी मामले की जांच पड़ताल भी करवा सकती है। प्रादेशिक सरकार को यह भी अधिकार है कि वह किसी गांव पंचायत या पंचायती अदालत को अधिकारों के दुरुपयोग करने पर भंग कर सकती है। इसी प्रकार इनके किसी सदस्य को भी प्रादेशिक सरकार सदस्यता से हटा सकती है। सरकार द्वारा नियुक्त उचित अधिकारियों को यह शक्ति भी है कि गांव पंचायत या पंचायती अदालत द्वारा प्राप्त किसी प्रस्ताव या आज्ञा को अगर उसमें जनता की हानि होती है तो रूकवा दे।

सरकार ने इन संस्थाओं के निरीक्षण के लिए पंचायती इस्पेक्टर, पंचायत अफसर तथा एक डायरेक्टर को नियुक्त की है।

भारतीय स्थानीय संस्थाओं पर एक दृष्टि —भारत में स्थानीय संस्थाओं का कार्य अभी तक सराहनीय नहीं रहा है। सार्वजनिक सेवा की ओर कम ध्यान तथा अपने स्वार्थों की ओर अधिक ध्यान, साधारणतः इनका काम रहा है। अंग्रेजी काल में ये स्थानीय संस्थाएँ बहुत ही सीमित क्षेत्र के अन्दर काम कर सकती थीं। परन्तु इस सीमित क्षेत्र में भी इन्होंने कोई विशेष काम नहीं किया। इन संस्थाओं में आये दिन भ्रष्टाचार, घूस खोरी आदि के उदाहरण मिल सकते हैं। दलबन्दी, चारित्रिक-हीनता, स्वार्थपरता आदि के कारण ये संस्थाएँ महत्वपूर्ण काम नहीं कर सकती हैं। परन्तु हमारा यह कर्तव्य है कि इन दोनों को दूर किया जावे, जिससे कि ये संस्थाएँ हमारे राष्ट्रीय जीवन में अपना पूरा भाग ले सकें। इसके लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं :—

सबसे पहिले आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा का देश में अधिक प्रचार हो। जनता अगर शिक्षित होगी तो शीघ्र बहुकावे में नहीं आवेगी। उसमें अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना जागृत होगी तथा वह सार्वजनिक कामों में उदासीन नहीं रहेगी अपितु उसमें भाग लेगी। इसका फल यह होगा कि देश में जागरूक जनमत बनेगा। इसके फलस्वरूप इन सस्याओं में वे व्यक्ति होंगे जो सार्वजनिक सेवा की ओर अधिक ध्यान देंगे तथा स्वार्थ-माधन की ओर कम।

दूसरी आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने स्वार्थों को सब से ऊपर नहीं रखें। अगर हम केवल अपने स्वार्थों का ही ध्यान रखेंगे तो समाज तथा देश की भलाई नहीं कर सकते हैं। सामाजिक जीवन के बहुत से दोष इस कारण उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने को समाज का केन्द्र समझता है। इस प्रकार की भावना सहयोग के रथान में सघर्ष को जन्म देती है, तथा त्याग के स्थान में स्वार्थ को।

तीसरी आवश्यकता इस बात की है कि जो लोग स्थानीय सस्याओं में निरवाधन के लिए उम्मीदवार होते हैं वे सच्चरित्र हो तथा उनमें नैतिक भावना का अभाव न हो। क्योंकि नैतिक भावना का अगर अभाव होगा तो त्याग की प्रवृत्ति जाती रहेगी।

चौथी आवश्यकता यह है कि सरकार को स्थानीय-सस्याओं के क्षेत्र में, अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। अगर स्थानीय-सस्याओं की यह भावना हो जावे कि उनकी स्वतन्त्रता केवल नाम मात्र की है तो वे उत्तरदायित्वहीन हो जावेंगे।

अन्तिम आवश्यकता यह है कि इन सस्याओं के आय के माधनों में वृद्धि होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सी बातें तो ये सरथाएँ इसी कारण नहीं कर पाती हैं क्योंकि इनके पास आवश्यक साधन नहीं हैं।

प्रश्न

(१) म्युनिसिपैलिटीज़ के क्या अधिकार तथा कर्तव्य है? उनकी क्या समस्याएँ हैं?

(२) उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के सगठन तथा अधिकारों पर एक निबन्ध लिखिये। (यू० पी० १९५१)

(३) पंचायत राज पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। (यू० पी० १९२४)

(४) उत्तर प्रदेश में जिला बोर्डों के क्या कर्तव्य हैं ?

(यू० पी० १९५५)

(५) स्पानीय स्वशासन से प्राप्त क्या मन्सते हैं ? अपने प्राप्त में नगर-पालिकाओं के अधिकार तथा कर्तव्यों का वर्णन कीजिये ।

(यू० पी० १९५५)

(६) स्पानीय स्वतन्त्र शासन का क्या महत्व है ? उदाहरण सहित बताइये ।

(यू० पी० १९५६)

(७) उत्तर प्रदेश में ग्राम-स्वराज्य की क्या व्यवस्था की गई है ? ग्राम पंचायत के संगठन और अधिकारों का उल्लेख कीजिये ।

(य० पी० १९५७)

सरकारी नौकरियाँ

हमारे दैनिक जीवन में सरकार में तात्पर्य विभिन्न कार्यों के लिये नियुक्त सरकारी कर्मचारियों में हैं। प्राचीन काल तथा मध्यकालीन राज्यों में इन कर्मचारियों की संख्या उतनी अधिक नहीं थी जितनी कि हम आजकल देखते हैं। इसका कारण यह था कि उस समय सामाजिक व्यवस्था तथा जीवन दोनों इतने अविभक्त नहीं हुए थे जितने कि आज हैं विशेषतः औद्योगिक शक्ति के पदचान राज्य के नये वस्तुओं का सृष्टि हुई तथा इनका उचित प्रकार से करने के लिए अधिकाधिक कर्मचारी नियुक्त किये गये।

इन कर्मचारियों का दैनिक शासन में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि इन्हीं के द्वारा सरकार को नीति कार्यान्वित्त हानी है। जनता का इन्हीं के द्वारा सरकार से सम्पर्क होता है, अतएव यह स्वाभाविक है कि शासन जनता को दैनिक जीवन में सरकारी कर्मचारी तथा सरकार में कोई भेद भी न देखे। इन सरकारी कर्मचारियों की योग्यता, कार्यकुशलता, मर्यादा तथा नैतिकता पर बहुत अधिक ध्यान तब सरकारी नीति को सफलता निभर रहती है। इसलिये प्रत्येक आधुनिक राज्य इस ध्यान की चेष्टा करता है कि योग्य तथा चरित्रवान व्यक्ति ही सरकारी नौकरियों में छोटे जायें।

सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियाँ हैं। छोटे-छोटे चपरामियाँ से लेकर बड़े बड़े विभागों के सेक्रेटरी आदि सब सरकारी कर्मचारी हैं। इनके कार्य तथा वेतन में इनके पद के अनुसार विभेद स्वाभाविक है। सरकारी नौकरियों से तात्पर्य उन कर्मचारियों में है जिनकी नौकरियों की दशाएँ निश्चित हैं तथा जिनकी नौकरियों पर मन्त्रिमंडल के धनने विगडने का प्रभाव नहीं होता है। चाहे कोई भी दल चुनाव में जीते सरकारी कर्मचारी अपने पद में बने रहते हैं। इनका काम मन्त्रिमण्डल द्वारा निर्धारित नीति का अनुसरण मात्र है।

भारतीय नौकरियों का औद्योगिक काल में विकास — जब ईस्ट इण्डिया कंपनी ने सन १६०१ में भारत से व्यापार आरम्भ किया, तब कई व्यापारी इस उद्देश्य से भारत आये। इनका काम भारत में जहाँ सम्भव हो, वहाँ व्यापारिक-केन्द्र (trading posts) स्थापित करना था। इनको 'factors'

कहते थे, इतीलिए व्यापारिक-केन्द्र factories कहलाने लगे। Factor शब्द का अर्थ व्यापारिक एजेंट (commercial agent) है।

कम्पनी भारत में केवल व्यापार के उद्देश्य से आई थी और कई वर्षों तक इसने सर टॉमस रो की राय के अनुसार अपनी नीति निर्धारित की। सर टॉमस रो ने १६१६ सन् में कम्पनी का लिखा था कि इसका उद्देश्य भारत में व्यापार होना चाहिये न कि विजय। इस समय कम्पनी के कर्मचारी व्यापारी हुआ करते थे। परन्तु कालान्तर में कम्पनी व्यापार के अतिरिक्त शासन भी करने लगी। इसको दीवानी अधिकार मिल गये। कम्पनी के स्वभाव में इस परिवर्तन के कारण सन: सन: कम्पनी के कर्मचारी व्यापारी से बदल कर शासन कर्ता (administrators) हो गये। इस प्रकार भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व सरकारी नौकरियों का जन्म हुआ।

भारत में प्राथमिक-मार्ग में सैनिक-सेवाओं (Civil Service) का जन्म वारेन हेस्टिंग्स तथा लार्ड कानिंगहम के सुधारों द्वारा हुआ। वारेन हेस्टिंग्स ने लगान वसूली प्रथा में कुछ सुधार किये। इसी प्रकार न्याय प्रथा में भी उत्तम सुधार किये। जब कानिंगहम भारत का गवर्नर-जनरल हुआ उसने भी सुधार किये। उसके अनुसार भारतीयों को उच्च नौकरियों में नहीं रखना चाहिये था क्योंकि "Every native of Hindostan, I really believe is corrupt." कानिंगहम की नीति के अनुसार भारतीय उच्च नौकरियों के अयोग्य ठहराये गये। यद्यपि यह नीति उचित नहीं थी, और कई अंग्रेजों ने, जैसे मैल्कम, एलफिन्स्टन आदि ने भी इसको ठीक नहीं बतलाया तथापि यह सन् १८३२ तक चालू रही। उस वर्ष नया चार्टर ऐक्ट द्वारा भारतीयों को भी बड़ी नौकरियों के योग्य मान लिया गया। परन्तु भारतीय कमी भी ५०० प्रति भाग से अधिक ऊँचे पद पर नहीं पहुँच पाए। सन् १८५४ से बड़ी नौकरियों में नियुक्ति योग्यता परीक्षा के द्वारा होने लगी। इसका उद्देश्य यह था कि योग्य व्यक्ति ही इन नौकरियों में चुने जाएँ। यह परीक्षा इंग्लैंड में होती थी। सन् १८५८ में महाराणी विक्टोरिया ने अपनी घोषणा में कहा कि नौकरियों में रंग, जाति या धर्म के कारण कोई भेद-भाव नहीं किया जावेगा। परन्तु इसमें भी भारतीयों को अधिक लाभ नहीं हुआ। क्योंकि बहुत ही कम भारतीय नवपुत्रक चलायत जाति का

1. "Let this be received as a rule, that if you will profit, seek it at sea and in quiet trade, for without controversy, it is an error to affect garrisons and land wars in India."

2. Blunt, *The I. C. S.*, p. 1.

व्यय उठा सकते थे। फिर धर्म की भी रक्षावट थी। बहुत थोड़े से भारतीय इस मार्ग से उच्च नौकरियों में आये।

सन् १८७० में गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट द्वारा यह तय हुआ कि कुछ भारतीय इन नौकरियों में बिना परीक्षा में उत्तीर्ण हुए ही गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्ति कर दिये जायें। यह उपबन्ध ९ वर्ष बाद सन् १८७७ से कार्यान्वित हुआ और इस प्रकार स्ट्रेचुटरी सिविल सर्विस का आरम्भ हुआ। गवर्नर जनरल को यह अधिकार मिला कि वह जितने व्यक्ति इंग्लैंड में स्टेटरी याव स्टेट फार इंडिया द्वारा चुने जाते थे उनका छठवाँ हिस्सा बिना परीक्षा के भारत में नियुक्त करे। परन्तु इस प्रकार जो नियुक्ति हुए वे अयोग्य सिद्ध। अंग्रेजों के अनुसार यह इस बात का प्रमाण था कि भारतीय उच्च नौकरियों के अयोग्य हैं, परन्तु यथार्थ में कारण था कि जो व्यक्ति इस प्रकार प्रकाशित हुए थे वे योग्यता के कारण नहीं परन्तु वशसम्यग् आदि के कारण नियुक्त किए गए थे।

इन नियमों के विरुद्ध बहुत प्रसन्नोप था। इस कारण कमीशनरन १८८६ में नियुक्त किया गया। इसके प्रधान सर चार्ल्स एचिसन (Sir Charles Haddon) ने इस बात

के लिए सुरक्षित किया जाय जो कि प्रान्तीय सिविल सर्विस से इसमें भंजं जायेंगे। सन १८९२ में इस रिपोर्ट की निष्कर्षों के आधार पर नौकरियों में भर्तियों के नियम बनाये गए। इनके अनुसार १०८ पद ऐसे रखे गये थे कि भारतीय नियुक्त होते, परन्तु ये घटा कर ९३ कर दिये गये और बाढ़ को केवल ६१ कर दिये गये। एचिसन कमीशन ने नौकरियों को तीन वर्गों में बाँट दिया—इण्डियन सिविल सर्विस, प्राविन्सियल सिविल सर्विस तथा सर्वोर्डिनेट सर्विस। इनमें वे प्रान्तीय तथा सर्वोर्डिनेट सर्विस में भारतीय नियुक्त होते थे।

इण्डियन सिविल सर्विस की प्रवेश परीक्षा इंग्लैंड में होती थी। सन १८९३ में हाउस ऑफ कामंस में यह प्रस्ताव पास हुआ कि यह परीक्षा भारत में भी हो। परन्तु भारत सेक्ट्रेरी के विरोध के कारण यह सम्भव नहीं हो सका। सन १९१२ में एक कमीशन नियुक्त किया गया। लार्ड इसलिंगटन जो कि न्यूज़ीलैंड के गवर्नर थे, इसके सभापति थे। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में अधिक भारतीयों को उच्च नौकरियों में स्थान देने का सुझाव रखा। यह रिपोर्ट सन् १९१७ में छपी। भारतीयों ने इसको असन्तोषजनक बतलाया।

अगस्त १९१७ में ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि भारतीयों का शासन में अधिक से अधिक सम्पर्क, इसकी नीति है। इनके वर्षे माण्टेग्गु तथा चेम्सेफोर्ड ने अपनी संयुक्त रिपोर्ट में यह कहा गया कि इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों का अनुपात ३३% होना चाहिये तथा ११% प्रति वर्ष बढ़ाना चाहिये। इनके अनुसार सन १९२० में यह अनुपात निश्चय किया गया। सन १९२५ से भारत में भी इन नौकरी में प्रवेश के लिए परीक्षा होने लगी तथा यहाँ से छाटे हुए उम्मीदवार की दो वर्षे विलायत में ट्रेनिंग के लिए जाना होता था। ताकि सब प्रान्तों तथा सम्प्रदायों का इन नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व हो, इसलिए भारतीयों के लिए सुरक्षित स्थानों में से एक तिहाई के लिये मनोनित करने का उपबन्ध किया गया।

उच्च नौकरियों के भारतीयकरण के प्रश्न तथा अन्य कठिनाइयों—जैसे भारतीय सिविल सर्विस के लिए अंग्रेज उम्मीदवारों की उदासीनता, मंत्रियों तथा इन उच्च कर्मचारियों में विरोध, आदि पर जांच करने के लिए कमीशन—**Royal Commission on the Superior Civil Services in India**—सन १९२३ में नियुक्त हुआ। इसके सभापति लार्ड ली (Lee) थे, अतएव यह ली कमीशन कहलाता है। इसने निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें की :—

(१) इण्डियन सिविल सर्विस, इण्डियन पुलिस सर्विस, इण्डियन फारेस्ट सर्विस, तथा इण्डियन इंजीनियरिंग सर्विस (नहर विभाग) के लिये भारत से केंद्री ही नियुक्ति करे। परन्तु अन्य अखिल-भारतीय नौकरियों जैसे, इण्डियन एड्युकेशनल सर्विस, इण्डियन इंजीनियरिंग सर्विस, इण्डियन मेडिकल सर्विस (असैनिक) आदि प्रान्तीय सरकारों के अधीन कर दिये जायें। यह इसलिए किया गया क्योंकि ये विभाग हस्तान्तरित कर दिये गये थे।

(२) ली कमीशन के अनुसार भारतीयकरण की गति बढ़ा देनी चाहिये थी। इसने कहा, "In the days of the Islington Commission the question was 'how many Indians should be admitted into the Public services? It has now become what is the minimum number of Englishmen which must be recruited?" ली-कमीशन ने सिफारिश की कि इण्डियन सिविल सर्विस में सन् १९३९ तक तथा इण्डियन पुलिस में सन् १९४९ तक ५० प्रतिशत भारतीय हो जायें। इण्डियन फारेस्ट सर्विस तथा इण्डियन

इजीनीयरिंग सर्विस में भी भारतीय अधिक लिये जायें। इन सिफारिशों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया।

(३) अंग्रेज कर्मचारियों के विषय में यह सिफारिश थी कि उनके भत्ते में वृद्धि दी जाये। उन्हें overseas भत्ता मिले। कार्यकाल में ४ बार इंग्लैंड जाने का खर्च मिले। अगर किसी अंग्रेज कर्मचारी का नौकरी करते हुये देहान्त हो जावे तो उसके परिवार को इंग्लैंड जाने के लिये भारत-सरकार खर्च दे। इन कर्मचारियों की पेन्शन बढ़ा दी जावे।

(४) एक पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति की जावे। इसमें ५ सदस्य हों। सन् १९२५ में इसकी स्थापना की गई। इसका काम नौकरियों में भर्ती करना तथा उसके बारे में कुछ अन्य बातों पर निश्चय करना था।

देश में राजनैतिक चेतना बढ़ती गई। स्वराज्य की माँग दिन पर दिन जोर पकड़ती गई। अंग्रेजी सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की। इसका मुख्य काम भारत में सभ शासन स्थापित करने के विषयों में रिपोर्ट देना था। इसने नौकरियों के भारतीयकरण पर भी विचार प्रकट किये। १९३५ ऐक्ट के द्वारा नौकरियों को अर्थात् तथा रक्षा सम्बन्धी इन दो भागों में बाँटा गया।

असैनिक नौकरियों (civil service) के तीन वर्ग किए गए।

- (१) अखिल भारतीय सर्विस,
- (२) केन्द्रीय सर्विस,
- (३) प्रान्तीय सर्विस तथा सर्वोर्डिनेट सर्विस।

अखिल भारतीय सर्विस के सदस्य भारत-सेक्टरों के द्वारा नियुक्ति होते थे। इसमें सबसे मुख्य इंडियन सिविल सर्विस तथा इंडियन पुलिस सर्विस थे। इनको security services कहा जाता था। इनमें अंग्रेजों की संख्या अधिक थी। ये ही दो नौकरियाँ अंग्रेजी काल में सबसे मुख्य थी। इन्हीं के ऊपर भारत में अंग्रेजी सरकार की नींव थी। इन दोनों में भी इंडियन सिविल सर्विस अधिक मुख्य थी। सब बड़े-बड़े पदों पर उसी सर्विस के लोग थे, जैसे जिलाधीश, कमिश्नर, जिला जज, प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकार के कौन्सिलर। इस सर्विस के उच्च अधिकारी ही वेगाल बम्बई तथा मद्रास के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों के गवर्नर होते थे। इनको बहुत अधिक वेतन तथा कई अन्य सुविधाएँ प्राप्त थीं। इस सर्विस का इतना अधिक आकर्षण था कि अगर कोई भारतीय इसमें छाँटा जाता था तो अपने को कुतकृत्य समझता था। इसमें कोई सदेह नहीं कि इसमें योग्य व्यक्ति थे। परन्तु उनका दृष्टिकोण अभागी था।

केन्द्रीय सर्विस में भर्ती भारत सरकार तथा पब्लिक सर्विस के द्वारा करती थी। केन्द्रीय सेक्रेटारिएट, रेलवे, भारतीय तार तथा डाक, कस्टमून सर्विस इस वर्ग में थे। इनका वेतन भी अच्छा था। इनमें नौ काफी अंग्रेज थे।

प्रान्तीय-सर्विस में अधिकतर भारतीय थे। यह प्रान्तीय-सरकार के अधीन थी। इसका सम्बन्ध उन मामलों में था जो कि प्रान्तीय सरकारों के हाथ में था।

सर्वोद्दिनेट सर्विस सबसे निम्न श्रेणी की थी। इनमें वेतन कम था। इसमें सब भारतीय थे।

स्वाधीनता के पश्चात् नौकरियों की अवस्था :—स्वाधीनता प्राप्त के बाद सरकारी नौकरियों में कुछ परिवर्तन हुए हैं। सर्वप्रथम तो यह कि इंडियन मिडिल सर्विस के स्थान में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की स्थापना की गई। सब नौकरियों के सम्बन्ध में वे सब नियम लागू हैं जो नए संविधान के विरुद्ध नहीं हैं। वे सब सरकारी कर्मचारी जो कि अंग्रेजी काल में स्थित-भारतीय सर्विस में थे तथा स्वाधीनता के पश्चात् भी भारत सरकार के नौकरी में हैं, वेतन, भत्ते तथा पेन्शन आदि के सम्बन्ध में पुराने नियमों के अधीन रहेंगे। (धारा ३१४)। एक विशेष बात यह दृष्टिगोचर होती है कि भारत में सब नौकरियों से अंग्रेज चले गये हैं, यद्यपि भारत सरकार उनको उनके कार्यकाल समाप्ति तक रखने को प्रस्तुत थी।

नए संविधान के लागू होने पर भी सरकारी नौकरियाँ तीन वर्गों में विभाजित हैं—अखिल भारतीय, संघीय तथा राज्यों की नौकरियाँ। (१) अखिल भारतीय सर्विस में एडमिनिस्ट्रेटिव तथा पुलिस हैं। इनका संविधान में वर्णन है। इनके अतिरिक्त इंडियन फौरन सर्विस भी है। इसके कर्मचारी विदेशों में भारतीय दूतावासों में विभिन्न पदों पर नियुक्त होते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव तथा इंडियन पुलिस सर्विस के सदस्य राज्यों में विभिन्न पदों पर काम करते हैं, जैसे जिलाधीश, पुलिस, सुपरिन्टेन्डेण्ट आदि। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव के सदस्य ही राज्यों में तथा संघ में सेक्रेटरी, आदि होंगे। संसद् अन्य भारतीय सर्विस की स्थापना कर सकती है अगर राज्य परिषद् दो-तिहाई बहुमत से इस बात की सिफारिश करे। (२) संघीय सर्विस में रेलवे, कस्टमून, बॉडिट, भारतीय डाक तथा तार, उच्चतम न्यायालय तथा भारतीय लोकसेवा आयोग के कर्मचारी आते हैं। कस्टमून इन्फर्नर तथा सेन्ट्रल एक्साइज सर्विस अब रेवन्यू सर्विस कहलाती है। (३) राज्यों की नौकरियों में राज्यों के अधीन विषयों के सम्बन्धी विभाग हैं। जैसे, पुलिस, शिक्षा, जंगलात, नहर, आचारी आदि।

भारतीय सविम तथा मद्य सविम व कमचारिया की नियमित भारतीय राज्य सेवा आयोग परीक्षा द्वारा करता है। राज्या की सविम म नियमित राज्या क राज्य सेवा आयोग द्वारा की जाती है। भारतीय नौकरी क सम्बन्ध में समस्त तथा राज्य का नौकरिया के सम्बन्ध म राज्या व विधान मण्डल की नियम बनान का अधिकार है परन्तु जब तक समस्त या विधान मण्डल नियमों का निर्माण नया करत तब तक राष्ट्रपति या राज्यपाल का नियम बनान का अधिकार लिया गया है। सरकारी कर्मचारी राष्ट्रपति या राज्यपाल क प्रमाण-पत्र अपन पत्र पर रजग अर्थात् उनका कार्यकाल निश्चित है और उमक पूर्व क रजग कर्मचार अथवा असमयता के कारण ही हटाए जा सकते हैं। विधान की ३११ की धारा म कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जाकि भारतीय सेवा का या राज्य की सेवा का सम्बन्ध है अपनी नियुक्त करत वा अधिकारी (authority) से निचर किसी अधिकारी द्वारा पदच्युत नही किया जावगा और न पद म हटाया जावगा। उसके विरुद्ध कोई भी निर्णय तब तक नही किया जब तक कि उसके विरुद्ध का जान वाली कार्यवाही क सिवाय उमे कारण दिखान का पूरा अवसर न द दिया गया हो। परन्तु कुछ दशाभा म यह अवसर नही दिया जायगा --जब कि वह गुरु आचार के कारण पदच्युत हुआ हो या निकाय गया हो जिसक नियम-संग्रह पर वह दोष सिद्ध हुआ हो। जबकि उम दणित करत वा अधिकारी का यह समाधान है कि यह ठीक नही कि उम कारण निखान का अवसर दिया जावे जब राष्ट्रपति या राज्यपाल का समाधान है कि राज्य की भुम्भा क निम म यह अवसर नही देना चाहिये।

सर्वोच्च सविम म कुछ पत्र पर नियमित राज्य सेवा आयोग व सिफारिश पर होती है। कुछ पत्र पर विभिन्न विभागों का अपन कर्मचारी नियमित करत का अधिकार है।

लोक सेवा आयोग

सरकारी कर्मचारी (Services) अपना कार्य लोकप्रकार से कर सक तथा योग्य व्यक्ति हो छाट पाय इस कारण इनकी नियुक्ति क नियम विनियम व्यवस्था की जाती है। सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि उनकी नौकरी की योग्य कार्यवाही उनको के नियम अति निश्चित हो। दूसरे साथ यह भी आवश्यक है कि उनकी नियुक्ति का अधिकार किसी निष्पक्ष अधिकारी को हो। इन्हीं सब कारणों से सब के नियम तथा प्रत्येक राज्य के नियम विधान द्वारा एक एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। परन्तु यदि दा या अधिक

राज्य चाहे कि उनका एक ही संयुक्त लोक सेवा आयोग हों तथा यह प्रस्ताव उन दोनों राज्यों के विधान-मण्डलों द्वारा मान लिया जाये, तो संसद संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की शक्ति दे सकती है। राष्ट्रपति की आज्ञा में संघ लोक सेवा-आयोग किसी राज्य की प्रायश्चात पर उस राज्य की सर्व या किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति में लिये कार्य करना स्वीकार कर सकता है।

लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति यदि वह संघ-आयोग या संयुक्त आयोग है तो, राष्ट्रपति द्वारा तथा यदि वह राज्य-आयोग है तो, राज्य के राज्यपाल द्वारा की जावेगी। इन सदस्यों में से चाहे सदस्य ऐसे व्यक्ति नियुक्ति किये जायेंगे जो कि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम दस वर्षों तक पद धारण कर चुके हैं।

लोक सेवा आयोग का सदस्य पद ग्रहण की तारीख से ६ वर्षों की अवधि तक, अथवा यदि वह संघ-आयोग का है तो १५ वर्ष आयु की प्राप्ति होने तक, तथा यदि वह राज्य आयोग या संयुक्त-आयोग का है तो, साठ वर्षों की आयु की प्राप्ति होने तक, जो भी इनमें से पहले हो, पद धारण करेगा। परन्तु सदस्य अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। सेवा आयोग का कोई सदस्य अपने पद राष्ट्रपति द्वारा केवल कदाचार के कारण हटाया जा सकता है। ऐसे अवसर पर उच्चतम न्यायालय उस सदस्य के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को जांच करेगा तथा उन्हें ठीक बताने पर ही वह सदस्य पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जायेगा। जब तक जांच की रिपोर्ट न आ जाये वह सदस्य अपने पद से निलम्बित किया जा सकता है। नीचे लिखी बातें भी कोई सदस्य अपने पद से हटाया जा सकता है। अगर वह दिवालिया हो जावे, अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर कोई वैतनिक नोकरी करता है; राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण अपने पद पर रहने के असमर्थ है।

संघ आयोग तथा संयुक्त-आयोग के बारे में राष्ट्रपति तथा राज्य-आयोग के बारे में उस राज्य का राज्यपाल आयोग के सदस्यों की तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या तथा इनकी सेवाओं की शर्तों पर निर्णय करेगा। परन्तु लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा की शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् कोई ऐसा परिवर्तन न किया जावेगा जो उसके लिए अलाभकारी हो। आयोग के सदस्यों का वेतन तथा अन्य व्यय भारत तथा राज्यों के संवित निधि में दिये जाते हैं। लोक-सेवा आयोगों को कार्यकारिणी के हस्तक्षेप से स्वतन्त्र रखा गया है ताकि वे अपना कार्य ठीक प्रकार सम्पादित कर सकें।

कोई व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति कर पुनः उसी पद पर नियुक्ति नहीं हो सकता है। सघ-आयोग का सभापति भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नौकरी के लिए अपात्र है। राज्य-आयोग का सभापति सघ-आयोग का सभापति या सदस्य प्रयत्न किसी अन्य राज्य-आयोग का सभापति हो सकता है। परन्तु यदि अन्य सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है। सघ आयोग का सदस्य इसका अर्थवा किसी राज्य-आयोग का सभापति हो सकता है, परन्तु अन्य सरकारी नौकरी के अयोग्य है। राज्य आयोग का कोई सदस्य सघ-आयोग का सभापति या सदस्य तथा किसी अन्य राज्य-आयोग का सभापति हो सकता है परन्तु अन्य कोई सरकारी नौकरी के योग्य नहीं है। इन प्रतिशोधों का उद्देश्य यह है कि ये सदस्य अपना काम निष्पक्ष तथा निर्भयतापूर्वक करें।

मेरा आयोग के कृत्य —सन्तत राज्य के लोक सेवा-आयोगों का कर्तव्य क्रमशः सघ तथा राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करना है। सघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य है कि अगर कोई दो या अधिक राज्य, ऐसी किन्हीं सेवाओं के लिए, जिनके लिए विशेष योग्यता वाले उम्मीदवार चाहिये, मिली-जुली भर्ती की योजनाओं के बनाने तथा प्रवर्तन करने में सहायता माँगे तो उनकी सहायता करे। अधिधान द्वारा यह आवश्यक कर दिया गया है कि निम्नलिखित विषयों पर सघ-सरकार सघीय लोक सेवा आयोग से तथा नौकरी की सरकारें राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श लें (धारा ३२०) —

(क) धर्मनिरपेक्ष सेवाओं में और धर्मनिरपेक्ष पदों के लिए भर्ती की रीति में सम्बन्धित समस्त विषयों पर;

(ख) असैनिक सेवाओं की नियुक्ति, पदोन्नति तथा बदली तथा इस विषय पर अनुसरण किए जाने वाले सिद्धान्तों पर,

(ग) धर्मनिरपेक्ष सेवाओं के अनुशासन में सम्बन्धित विषयों पर,

(घ) सैनिक पद पर काम करने वाले किसी व्यक्ति के इस दावे पर कि कर्तव्य पालन में किए गए कार्यों के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध चलाई गई किन्हीं कानूनी-कार्यवाहियों में जो खर्च उसे अपनी रक्षा पर करना पड़ा है वह सरकार द्वारा किया जाय ;

(ङ) किसी धर्मनिरपेक्ष पद पर काम करने वाले व्यक्ति का अपने कर्तव्य पालन में हुई क्षति के बारे में निवृत्ति वेतन (पेंशन) दिए जाने के लिए किसी दावे पर, तथा ऐसी ही जाने वाली राशि का क्या हो, इस प्रश्न पर।

इन कर्तव्यों के प्रतिरिक्त, संविधान में यह कहा गया है कि तृतीय लोक सेवा आयोग के कर्तव्य ससद् द्वारा तथा राज्यों के आयोग के कर्तव्य उनके विधान-मंडलों द्वारा बढ़ाये जा सकते हैं। तृतीय लोक सेवा आयोग प्रति वर्ष राष्ट्रपति को अपने वार्षिक कार्य का विवरण देगा। राष्ट्रपति इस विवरण की एक प्रतिलिपि संसद् में प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा। अगर कोई ऐसी घटना हो जहाँ कि आयोग का परामर्श स्वीकार नहीं किया गया तो राष्ट्रपति ऐसी घटना के कारणों का विवरण भी उस रिपोर्ट के साथ रखवायेगा। राज्यों में राज्यपाल विवरण को विधान-मण्डल में रखवायेगा।

अगर देश में योग्य तथा ईमानदार व्यक्ति सरकारी सेवाओं में भर्ती करना है तो कार्यकारिणी को चाहिए कि लोक-सेवा आयोग के कार्य में हस्तक्षेप न करे तथा उनके परामर्श के अनुसार व्यक्तियों को भर्ती करे। योग्य कर्मचारियों के अभाव में कोई भी सरकार ठीक प्रकार काम नहीं कर सकती है। संविधान द्वारा इस बात का प्रयत्न किया गया है कि लोक सेवा आयोग स्वतन्त्रतापूर्वक अपना काम कर सके। इनकी स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करेगी कि इनके सदस्य भी निष्पक्ष, ईमानदार तथा निर्भीक हों। यह वास्तविक प्रतीति होता है कि राजनैतिक दलों ने सम्बन्धित व्यक्ति इनके सदस्य न नियुक्त हों।

भारतीय सेना विभाग

अभी तक हम अर्थनैतिक सेवाओं का वर्णन कर रहे थे। अब सेना विभाग की ओर ध्यान देना चाहिए। राज्यों में प्रारम्भ से ही अपनी रक्षा की ओर तर्जमा ध्यान दिया है। सेना का काम देश को वाह्य आक्रमण से बचाना है। सेना कभी-कभी आन्तरिक अशांति से भी बचाव करती है। पुनायी वार्षिक अफलातून (३२.९-३४.७ ई० पू०) ने सैनिकों की तुलना कुत्तों (watchdogs) से की है।

अंग्रेजी काल में सेना.—जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापारियों ने भारत में अपनी फॅक्टरियाँ स्थापित की, उन्होंने उनकी रक्षा के लिए चौकीदार (guards) तैनात किये। परन्तु औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात् भारत की राजनैतिक अवस्था का खाम उठाने के लालच से जब अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों में युद्ध हुए तब अंग्रेजों ने सेना का गठन किया। सन् १७९३ में अंग्रेजी सेना में १३,००० अंग्रेज तथा ५७,००० भारतीय थे। सन् १८२४ में अंग्रेजों ने भारतीय-सेना का पुनर्गठन किया।

सन् १८५७ में कम्पनी के शासन का अन्त होने पर ब्रिटिश सरकार ने

भारत में सेनाओं का फिर से संगठन किया। सेना तीन भागों में बाँटी गई—
बंगाल सेना, मद्रास की सेना तथा बम्बई की सेना। सन् १८९५ में इन तीन
सेनाओं के स्थान पर ४ कमानों (commands) की स्थापना की गई—पंजाब
सेना, मद्रास तथा बम्बई। परन्तु सन् १९०७ में लार्ड किचनर (भारत का
मुख्य सेनापति) ने इस संगठन को असन्तोषजनक बतलाया तथा भारतीय सेना
को दो भागों में बाँट दिया—उत्तरी सेना तथा दक्षिणी सेना। इसमें से प्रत्येक
एक जनरल अफसर (General officer) के अधीन थी। सन् १९१८ में
यह उचित समझा गया कि जनरल अफसरों के अधिकार बढ़ा दिये जायें। उन्हें
शासनोप (administrative) अधिकार दे दिये गये और इस प्रकार
शार्प हेडक्वार्टर्स के ऊपर से कुछ बोज़ कम किया गया। सन १९२० में फिर से
कमानों की स्थापना की गई। प्रत्येक एक जनरल अफसर कमान्डिंग के अधीन
रखी गई। नवम्बर १, १९३८ को पश्चिमी कमान ताड़ दी गई।

सन् १९३८ में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना के सम्बन्ध में जाँच करने
को एक समिति नियुक्त की जो कि चैटफील्ड समिति (Chatfield
Committee) कहलाती है। इस समिति ने यह सुझाव रखा कि भारतीय
सेना को आधुनिक ढंग में संगठित किया जावे, इसको आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों
की शिक्षा दी जावे, इसका काम भारत की वाह्य सुरक्षा होना चाहिये, भारत
को शोला बरत (munitions) के मामले में दीर्घ ही आत्मनिर्भर हो जाना
चाहिये।

सन् १९४७ में जब भारतवर्ष का भारत तथा पाकिस्तान में विभाजन हुआ
ता इसके साथ साथ भारतीय सेना भी भारत की सेना तथा पाकिस्तान सेना
इन दो भागों में बाँट दी गई। इस काम के लिये तथा फिर से विभाजित सेनाओं
को संगठन के लिये एक सुप्रीम कमान्ड स्थापित किया गया था। यह ज्वाइंट
डिफेंस कौंसिल के अधीन था। इसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि थे। यह काम
समाप्त होने पर सुप्रीम कमान्ड नवम्बर १९४७ में तथा डिफेंस कौंसिल अप्रैल
१९४८ में खतम हो गई।

ब्रिटिश सरकार तथा भारत की सरकार के बीच एक समझौता किया गया।
इसमें यह तय हुआ कि भारत से अंग्रेजी फौज हटा ली जावेगी। इसका फल स्वरूप
सन् १९४७ से ब्रिटिश फौज यहाँ से हटनी शुरू हुई तथा १९४८ के फरवरी
मास के अन्त तक सब अंग्रेजी फौज भारत से हटा ली गई थी।

अंग्रेजी काल में सेना का संगठन—इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी
कि सेना के जब उच्च पदों पर अंग्रेज अफसर थे। भारतीय अफसरों की संख्या बहुत

कम थी। सेना प्रत्येक धर्म में समरतीय थी। एक लेखक के अनुसार यह केवल इसी धर्म में भारतीय थी कि इमना खर्च भारत को उठाना पड़ता था।

भारतीय सेना के सेनापति को नियुक्ति मन्त्रालय द्वारा की जाती थी। यह सेनापति के प्रतिरिक्त वाइसरॉय की कौन्सिल का सदस्य भी होता था। उल्टे-रसा-सदस्य (Defence Member) कहते थे। वह मल, जल तथा नम इन तीनों सेनाओं का सेनापति था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में, भारत-मेम्बेटरों भारतीय सेना के लिये भी उत्तरदायी था। इस प्रकार भारतीय सेना पूर्णतः जर्मनी सरकार के अधीन थी। इसका मुख्य काम भारत में अंग्रेजी सरकार की बनाने रखना था। इसलिये राष्ट्रीय-मत इसके पूर्णतया विरुद्ध था।

भारतीय सेना जैसा लिखा जा चुका है चार कमानों (Commands) में बँटी थी। प्रत्येक कमान का अफसर लेफ्टिनेण्ट-जनरल होता था। प्रत्येक कमान में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होते थे। इनका अफसर मेजर-जनरल कहलाता था। इनके बाद ब्रिगेड, और ब्रिगेडों के नीचे स्टेशन (Stations) होते थे। इनके अफसर क्रमशः ब्रिगेडियर तथा कर्नल या लेफ्टिनेण्ट-कर्नल होते थे।

द्वितीय युद्ध के पूर्व हमारे हवाई तथा समुद्री बड़े बहुत ही छोटे थे। हवाई बड़े में २११ भारतीय तथा २,१७३ अंग्रेज थे। जहाजी बड़े में १८५४ भारतीय थे। परन्तु यह सब निम्न पदों पर थे। जर्म पदों पर सब अंग्रेज थे। इन अफसरों की संख्या १७१ थी। यल सेना के कई भाग थे—स्यामी ब्रिटिश सेना, स्कॉटिश, भारतीय सेना, रजिस्त सेना, सहायक सेना, टेरिटोरियल फोर्सेज, तथा देशी रियासतों की सेना।

वर्तमान सैनिक-संगठन :—स्वाधीनता के पश्चात् भारतीय सेना का पूर्णरूपेण भारतीयकरण हो गया है। फरवरी १९४८ तक सब अंग्रेजी फौजें यहाँ में चली गई थी। अब उच्च पदों पर, कुछ को छोड़ कर भारतीय है। कुछ अंग्रेज अफसर तथा टेकनीशियन्स अभी हैं। परन्तु उनकी संख्या घटतन्त न्यून है।

मन्त्रिमंडल में एक रक्षा मंत्री है। यह भारत की रक्षा नीति के लिये संसद् को उत्तरदायी है। रक्षा मंत्री का काम सेना की नीति निर्धारित करना तथा यह देखना है कि वह कार्यान्वित की जाती है। इस मंत्री के प्रतिरिक्त कॅबिनेट की एक समिति इस विभाग की समस्याओं पर विचार करने के लिये है। इसकी डिफेन्स कमिटी कहा जाता है। इन कमिटी का सभापति प्रधान मंत्री ही होते हैं। रक्षा मंत्री तथा तीन अन्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। इनके प्रतिरिक्त तीनों सेनाओं के सेनापति तथा डिफेन्स मेम्बेटरों भी इसकी बैठकों में भाग ले सकते हैं। रक्षा सम्बन्धी मामलों में इसका निर्णय अन्तिम होता है। परन्तु यह अपने कुछ

निर्णयों को पूरे मन्त्रिमण्डल के सामने उसका समर्थन प्राप्त करने के लिये रखती है। सेना की नीति सम्बन्धी मामलों में यह कमेटी सबसे महत्वपूर्ण है।

/ इसके अतिरिक्त कई अन्य कमिटियाँ हैं। सबसे ऊपर जो कमेटी है उसका 'डिफेंस मिनिस्ट्रम' कमेटी (रक्षा मन्त्री की समिति) कहते हैं। इसके मध्य रक्षा मन्त्री तीनों सेनापति फाइनेन्सियल एडवाइजर तथा डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं। इन कमेटी के निर्णय अन्तिम होते हैं परन्तु जहाँ पर महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी प्रश्न होते हैं यह उनका वेविनेट का डिफेंस कमेटी को परामर्श हेतु भेज देती है।

डिफेंस मिनिस्ट्रम कमेटी के नीचे कई अन्य समितियाँ हैं। इनमें सबसे मुख्य तीन हैं—चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, माइनिट्रिय एडवाइजरी कमेटी तथा मेडिट्रल कमेटी। इन सब कमिटियों की इसलिये स्थापना की गई ताकि जब काम शीघ्रता से तथा मुचाकूप से होता रहे।

पहले नभ जल तथा यह इन तीनों सेनाओं के लिये एक सेनापति होता था। परन्तु १५ अगस्त १९४७ से प्रत्येक का सेनापति अलग-अलग है। भारत की सरकार जल तथा नभ सेना की वृद्धि के लिए पूर्णरूपेण प्रयत्नशील है भारत का समुद्र तट बहुत लम्बा है, इसलिए हमारी जल सेना खूब मजबूत होनी चाहिए। ये सेनापति मन्त्रिमण्डल के सदस्य नहीं होते हैं। ये रक्षा-मन्त्री के अधीन हैं।

१. **जल सेना** -- इसका सेनापति सबसे मुख्य अफसर है। उसके नीचे एक आर्मी हेडक्वार्टर है। इसमें छ विभाग हैं, जिनका काम सेना का विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना है। इनके नाम हैं जनरल स्टाफ विभाग, एडज्यूटण्ट जनरल विभाग, क्वार्टर मास्टर जनरल विभाग, इंजीनियर-इन-चीफ विभाग तथा मिलिट्री सेक्रेटरीज विभाग।

आर्मी हेडक्वार्टर के अधीन भारतीय सेना को तीन कमानों में बाँटा गया है। इनका पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी कमान कहा जाता है। प्रत्येक कमान का मुख्य अफसर एक लफिन्नेण्ट जनरल होता है। कमानों को एरिया में विभाजित किया गया। प्रत्येक एरिया एक मेजर जनरल के अधीन है। एरिया में नीचे सब एरियाज होते हैं। प्रत्येक सब एरिया एक ब्रिगेडियर के अधीन है। जल सेना के कई भाग होते हैं जैसे आम्बुकार, आर्टिलरी, इंजीनियरिंग, टर्नैन्ट्री एम्बु-केशन कार आदि, आदि। देशी रियासतों की सेना भी भारतीय सेना में मिला दी गई है। स्थायी सेना के अतिरिक्त टैरिटोरियल आर्मी तथा नेशनल वॉलेंट कार भी है।

टैरिटोरियल आर्मी -- अथर्वी काल में भारत में एक टैरिटोरियल फोर्स था। इसका उद्देश्य आवश्यकता होने पर सेना की सहायता करना था। अर्थात्

सकलकाल में यह द्वितीय रक्षा पक्ति होता था। परन्तु यह अत्यन्त मरुचित था और इसकी ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया था। स्वतन्त्रता के पश्चात् भारतीय सरकार ने इसके स्थान पर टेरिटोरियल आर्मी स्थापित करने का निश्चय किया। भारतीय सस्रद ने सितम्बर १९४८ में इंडियन टेरिटोरियल आर्मी ऐक्ट पास किया। टेरिटोरियल सेना पहिले से अधिक बड़ी होगी। इनमें दो तरह के दस्ते होंगे। (१) प्रांतीय (Provincial) इनमें देहातों में भर्ती होगी। प्रति वर्ष इसका एक कैम्प होगा, जो कि दो या तीन महीने का होगा। (२) शहरी (Urban), इसमें गगर-क्षेत्रों में भर्ती होगी। प्रति सप्ताह इनकी ड्रिल होगी तथा प्रति वर्ष कुछ दिनों के लिये एक कैम्प होगा।

इन सेना में नव भारतीय भर्ती हो सकते हैं। अक्टूबर १९४९ में इनकी भर्ती आरम्भ हो गई है। भारत को ८ भागों में (Zones) में बांटा गया है। इन सेना का काम संकट काल में द्वितीय रक्षा पक्ति का होगा।

नेशनल कैंडेट कोर :—अंग्रेजों के काल में विद्यापियों को कुछ नैतिक शिक्षा देने के लिये यूनीवर्सिटी ट्रेनिंग कोर था। परन्तु १९४८ में सरकार ने इसके स्थान पर नेशनल कैंडेट कोर स्थापित किया है। सन् १९४६ में एक कमेटी १० हदयनाथ बुजुर्ग के सभापतित्व में स्थापित की गई थी। इनकी रिपोर्ट के ऊपर ही नेशनल कैंडेट कोर की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भारत के नवयुवकों को कुछ नैतिक शिक्षा देना तथा उनमें सैनिक शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करना है। इस योजना के अनुसार लड़कियों को भी नैतिक शिक्षा दी जावेगी। इस कोर के भाग हैं—मीनियर तथा जूनियर। मीनियर भाग में यूनीवर्सिटी के विद्यार्थी लिये जाते हैं। जूनियर भाग में स्कूल तथा कॉलेजों के विद्यार्थी हैं। इनमें भर्ती के लिये कोई अवदंती नहीं है।

भारतीय नभ सेना :—इसका मुख्य उद्देश्य सेनापति नभ-सेना कहलाता है। इसके नीचे एर हेंडकवाटर है। १५ अगस्त १९४७ में पूर्व नभ-सेना भी बहुत ही नाभारण थी। अंग्रेजों ने इसके विकास की ओर नाम-मात्र का ही ध्यान दिया था। अंग्रेजी हवाई सेना की एक टुकड़ी भारत में स्थित थी। परन्तु स्वतन्त्रता मिलने के बाद सरकार ने नभ-सेना की ओर ध्यान दिया है और इन दिशा में कुछ उन्नति हुई है। परन्तु अब भी हमारे देश की नभ-सेना अन्य बड़े राष्ट्रों के मुकाबले में अत्यन्त कमजोर है। इसलिये इसके विकास की ओर बहुत अधिक आवश्यकता है।

हवाई बेटे की शिक्षा के लिये कई स्कूल खोले गये हैं जैसे, जोधपुर तथा अम्बाला। कोयम्बटूर में ड्राउट-ट्रेनिंग के लिये स्कूल है। भारत में टेकनिकल

ट्रेनिंग के लिये भी एक कॉलेज खोला गया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

/ भारतीय जल सेना —स्वतन्त्रता के पूर्व हमारी जल-सेना भी अत्यन्त हीन थी। अब इसके विकास की ओर भी अधिक ध्यान दिया जा रहा है इसका प्रधान भी सेनापति कहलाता है। इसने नीचे एक हेडक्वार्टर्स है। इसमें ५ विभाग हैं—स्टाफ विभाग, पर्सोनल विभाग तथा एडमिनिस्ट्रेशन विभाग, मॅटीरियल विभाग तथा नेवल एवियेशन विभाग।

जल सेना के लिये नवयुवकों को शिक्षा देने के लिये कोचीन, विजगापट्टम जामनगर तथा लोनावाला में स्कूल खोले गये हैं। आजकल नौ-सेना के प्रफरों की प्रारम्भिक शिक्षा नेशनल डिफेंस एकेडेमी देहरादून में होती है। उच्चशिक्षा के लिए विलायत भेजा जाता है। परन्तु अफसरों की उच्च शिक्षा के लिये विजगापट्टम में एक कॉलेज खलने वाला है। भारत सरकार की जलसेना के विचारार्थ एक दसवर्षीय योजना है। इस काल की समाप्ति पर यह आशा है कि भारतीय जलसेना राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल होगी।

सैनिक शिक्षा की व्यवस्था —सेना के विकासार्थ यह आवश्यक है कि सैनिक शिक्षा का उचित प्रबन्ध हो। मसूर के सब देशों में इस प्रकार की व्यवस्था है। अमेरिका, रूस, इंग्लैण्ड में तो सैनिक-शिक्षा हेतु अत्यन्त ही उच्च कोटि के शिक्षालय हैं। बिना उच्च शिक्षा के अच्छे अफसरों का होना असम्भव है। हमारे देश में तो यह और भी आवश्यक है कि योग्य अफसरों की शिक्षा की ओर पूरा ध्यान दिया जावे। क्योंकि अंग्रेजों-काल में तो अंग्रेज ही उच्च पदों पर थे। इसलिए भारतीयों को उच्च पदों पर काम करने का अनुभव नहीं के बराबर है। योग्य अफसरों की कमी को पूरा करने तथा उनकी उचित शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिए भारत सरकार पूना के निकट खडकवागला नामक स्थान पर एक सैनिक शिक्षालय खोल दिया है इसका नाम भारतीय रक्षा शिक्षालय (National Defence Academy) है। इसका शिलान्यास ६ अक्टूबर, १९४९ को प० नेहरू ने द्वारा किया गया था। इसमें सेना, नौ सेना तथा नभ सेना के अफसरों को शिक्षा दी जावेगी। इसमें मत् १९५५ से शिक्षा प्रारम्भ हो गई है। इस एकेडेमी में १५०० छात्र शिक्षा पावेंगे। इसने निर्माण में ६५ करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

इस राष्ट्रीय एकेडेमी के अतिरिक्त कई अन्य शिक्षा संस्थाएँ हैं। नौसेना तथा नभ सेना के शिक्षालयों का वर्णन हम कर चुके हैं। वॉलिंगटन (नीलगिरी

पहाड़) में एक स्टाफ कालिज खोला गया है। रड़को में फौज के इंजीनियरों की शिक्षा का प्रबन्ध है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य स्कूल भी हैं। परन्तु इतना होते हुए भी यह कहना अनुपयुक्त नहीं होगा कि सैनिक-शिक्षा में अभी हम बहुत पिछड़े हैं और इस ओर और अधिक देना चाहिये।

प्रश्न

(१) संघीय लोक सेवा-भाषा के विधान का वर्णन कीजिये। कौन ऐसे विषय हैं जिनमें संघ सरकार के लिये उत्तरी सम्भति लेना आवश्यक है ?

(सू० पी० १९५१)

(२) अखिल भारतीय सेवाओं पर टिप्पणी लिखिये।

(सू० पी० १९५२)

(३) लोक सेवा भाषाओं में आप क्या समझते हैं ? केन्द्रीय लोक सेवा भाषाओं के संगठन तथा कार्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिये।

(सू० पी० १९५८)

संघ तथा राज्यों में अधिकार विभाजन तथा सम्बन्ध

जैसा पहिले लिखा जा चुका है, प्रत्येक सघात्मक संविधान में, सघ सरकार तथा राज्यों की सरकारों के बीच अधिकार विभाजन किया जाता है। यह विभाजन संविधान द्वारा किया जाता है। इस प्रकार दोनों के क्षेत्र निश्चित कर दिये जाते हैं। इस विभाजन का आधार यह होता है कि सर्वदेशीय महत्व के विषय तो सघ सरकार के अधीन रखे जाते हैं और स्थानीय महत्व के विषय राज्यों की सरकारों के अधीन। इस प्रकार यह चेष्टा की जाती है कि सम्पूर्ण देश के तथा विभिन्न स्थानों के हित, दोनों ही ठीक प्रकार से पूरे हो सकें। न्यायपालिका का यह कर्तव्य है कि वह सघ तथा राज्यों को एक दूसरे के क्षेत्र में अनाधिकार हस्तक्षेप न करने दे। न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है। सघ तथा राज्यों के मध्य अधिकार विभाजन निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है। (१) संविधान में सघ सरकार के अधिकारों का वर्णन कर दिया जाता है और शेष सब अधिकार (residuary powers) राज्य सरकारों को दिये जाते हैं। ऐसा समुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया के संविधान में है। (२) संविधान में सघ तथा राज्य दोनों की शक्तियों का वर्णन कर दिया जाता है। इनके अतिरिक्त यदि कोई अधिकार और हों, जिनको अवशिष्ट अधिकार कहा जाता है, सघ को दे दिये जाते हैं। ऐसा हम कॅनेडा के संविधान में पाते हैं।

विधायिनी सम्बन्ध (Legislative Relations) — भारत के संविधान में अधिकार विभाजन कुछ विशेष रूप से किया गया है। इसका कारण यह है कि संविधान निर्माताओं ने १९३५ के Government of India Act का बहुत मात्रा तक अनुसरण किया है। अवशिष्ट अधिकार सघ को दिये गए हैं। यह कॅनेडा की तरह है। संविधान द्वारा समस्त विषयों को तीन सूचियों में बाँटा गया है—सघ सूची राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। सघ-सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल सघ भसद का है। राज्य-सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के विधान मण्डलों को है। समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर समद तथा राज्यों के विधान-मण्डल, दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। परन्तु यहाँ पर भी समद का प्रधानता तथा

प्राथमिकता प्रदान की गई है। अगर समवर्ती सूची में वर्णित किसी विषय पर संसद् तथा किसी राज्य द्वारा बनाये कानून में विरोध हो तो संसद् का ही कानून लागू होगा। परन्तु अगर राष्ट्रपति राज्य द्वारा निर्मित किसी कानून को अपनी स्वीकृत दे देता है जिसका कि संसद् द्वारा निर्मित किसी कानून से विरोध हो तो उन दशा में उस राज्य के अंदर विधान मंडल का बनाया हुआ कानून ही लागू होगा। अगर संसद् चाहे तो वह इस प्रकार के कानून को रद्द कर सकती है या उसमें संशोधन कर सकती है। संसद् राज्य सूची में वर्णित विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है। इसमें संसद् की ही प्रधानता होगी।

विधान द्वारा इस प्रकार अधिकार विभाजन के भाव-भाव संपन्न राज्यों के क्षेत्र में कई अवसरों पर हस्तक्षेप का अधिकार भी दिया गया।

(घ) अगर राज्य परिषद् दो-तिहाई उपस्थित सदस्यों के मत से यह पान कर दे कि कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का ही गया है तो संसद् उस प्रस्ताव में वर्णित विषय पर कानून बना सकती है। ऐसा प्रस्ताव एक बार में एक वर्ष तक लागू रहेगा। अगर राज्य-परिषद् दुबारा से प्रस्ताव को पान कर दे तो इस अवधि को फिर एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है। संसद् द्वारा ऐसे प्रस्ताव के अधीन बनाया हुआ कानून, प्रस्ताव को अवधि समाप्त होने के बाद भी ६ महीने तक लागू रहेगा। (धारा २४२)

(ङ) संकटकाल की घोषणा के उपरान्त संसद् को राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार है। ऐसी अवस्था में संसद् द्वारा निर्मित कानून संकटकाल की घोषणा के समाप्त होने के बाद भी ६ महीने तक लागू रहेगा। (धारा २५०)

उपरोक्त दोनों अवस्थाओं में राज्यों के विधान-मण्डलों को भी उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार रहेगा। परन्तु संसद् के कानून में विरोध होने पर संसद् का कानून ही मान्य होगा और राज्य द्वारा निर्मित कानून प्रामाण्य ही जावेगा।

(च) अगर दो या अधिक राज्यों के विधान-मंडल इस भाव्य का प्रस्ताव पान कर दें कि राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर संसद् ही कानून बनावे तो उन राज्यों के लिये उन विषयों पर संसद् कानून बना सकती है और उन राज्यों के विधान मंडलों को उन कानूनों में संशोधन का या उन्हें रद्द करने का अधिकार नहीं होगा। ऐसा कानून किसी अन्य राज्य में भी प्रभावी होगा, अगर वहाँ

का विधान-मण्डल भी एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चय करे कि इस विषय पर ससद् ही कानून बनावे । (धारा २५२)

(द) ससद् को किसी अन्य देश या देशों के साथ की हुई सन्धि या करार अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन या मन्त्रालय में किये गये किसी निश्चय के पालन के लिये भारत के सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिये कोई विधि बनाने की शक्ति है । (धारा २५३)

हम पहले लिख चुके हैं कि भारत का संविधान एक अत्यन्त शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना करता है । देश की व्यवस्था को देखते हुए यह आवश्यक समझा गया । सभ को संविधान द्वारा अधिकार दिए गये हैं । अखण्ड अधिकार भी सभ को दिये गये हैं । समवर्ती सूची में वर्णित अधिकारों में भी सभ का ही प्राथमिकता तथा प्रधानता दी गई है । इसके अतिरिक्त कई उपबन्ध हैं जिनके द्वारा साधारण काल में भी ससद् राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बना सकती हैं । सकटकाल में तो ससद् के अधिकार बहुत ही बढ जाते हैं । संसद् के किसी अन्य विधान में इस प्रकार के सकटकालीन अधिकारों का उपबन्ध नहीं है ।

सभ तथा राज्या के अधिकारों को बहुत ही विस्तृत रूप से संविधान द्वारा तीन सूचियों में वर्णित किया गया है । इस प्रकार के विस्तारपूर्वक वर्णन का लाभ यह होगा कि इनमें आपस में झगड़ों की कम सम्भावना रहेगी और इस कारण संविधान में कानूनियत की कमी की गई है ।

सभ सूची — इस सूची में वह विषय वर्णित हैं जो सार्वदेशीय महत्त्व के हैं । इसमें ९७ विषय वर्णित हैं । मुख्य विषय निम्नलिखित हैं : भारत की रक्षा, भारत की जल, बल तथा नभ सेनाएँ, शस्त्रास्त्र, अणुसक्ति, दूसरे देशों सम्बन्ध युद्ध तथा शान्ति, नागरिकता तथा देवीयकरण, रेल, डाक और तार, नेतार, सभ का लोक ऋण, विदेशों के साथ व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार और वाणिज्य, बीमा, अफोम की खेती, रिजर्व बैंक, मुद्रा जनगणना, निर्गम कर आदि ।

राज्य-सूची — इसमें वर्णित विषय स्थानीय महत्त्व के हैं । इसमें ६६ विषय वर्णित हैं । मुख्य विषय निम्नलिखित हैं : सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, न्याय प्रशासन, कारागार स्थानीय-शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, शवदाह और श्मशान, सड़कें, पुल आदि, कृषि, वन, बाजार तथा मेले, राज्य लोक-सेवाएँ, कृषि आय पर कर आदि ।

समवर्ती सूची — इस सूची में उन विषयों को रखा है जो कि सभ तथा

राज्य दोनों के महत्व के हैं। इसमें ४७ विषय वर्णित हैं। मुख्य ये हैं: दण्ड-विधि, दण्ड-प्रक्रिया, निवारण-निरोध, विवाह और विवाह-विच्छेद, दिवाला, न्याय और न्यायी, पशुओं के प्रति निर्दयता के निवारण आर्थिक और सामाजिक योजना, श्रमिकों का कल्याण, मृत्यु-निवन्धन, कारखाने, वाष्पमन्थ, विद्युत्, समाचार-पत्र, पुस्तकें तथा मुद्रणालय, शरणाधिकियों की सहायता और पुनर्वास आदि।

अन्य संघों में शक्ति विभाजन :—अगर हम सत्तार के अन्य सघात्मक संविधान को देखें तो यह ज्ञात होगा कि भारत के बराबर शक्तिशाली केन्द्र प्रान्यन्त्र कही नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सघ सूची में ३० से भी कम विषय वर्णित हैं। अवशिष्ट अधिकार राज्यों को दिए गए हैं। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिसके द्वारा राज्यों के अधिकार सघ ले ले। कुछ विषयों में सघ तथा राज्यों के सम-वर्ती अधिकार हैं। और इन विषयों में सघ की प्राथमिकता है।

आस्ट्रेलिया में केन्द्र को बहुत कम अधिकार हैं। केवल ६ विषय संघ-सूची में वर्णित हैं—(१) सघ सरकार की राजधानी (seat), (२) सघ की नौकरियाँ, (३) कस्टम, आबकारी तथा निर्यात कर, (४) जहाजी मेना तथा यल सेना, (५) मुद्रा, (६) संशोधन के कुछ अधिकार। इन विषयों के प्रति-रिक्त संघ का अन्य विषयों में एकाधिकार नहीं है। राज्यों को अपना विधान भी कुछ मात्रा तक संशोधन करने का अधिकार है। समवर्ती सूची में कई विषय हैं और इनमें सघ की ही प्रधानता है।

कैनेडा में अवशिष्ट अधिकार सघ को दिए गए हैं। सघ तथा राज्यों के विधायिनी-अधिकारों का संविधान में वर्णन है। समवर्ती सूची में केवल दो विषय हैं—कृषि तथा आवासन (Agriculture and Immigration) कैनेडा तथा भारत के संविधान में यह समानता है कि दोनों में अवशिष्ट अधिकार केन्द्र को दिये गये हैं। कैनेडा में भी केन्द्र का ही शक्तिशाली है। वहाँ राज्यों को प्रान्त कहा जाता है। केन्द्र को प्रान्तीय विधान-मण्डल के कार्य में हस्तक्षेप करने का भी अधिकार है।

संघ तथा राज्यों में प्रशासन-सम्बन्ध

संविधान में २५६ धारा में २६३ धारा तक इस सबय का वर्णन किया गया है। उपबन्धों द्वारा सघ सरकार को राज्यों के क्षेत्र में कुछ अवसर पर, हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया है। संविधान में यह भी कहा गया है कि अगर संघ द्वारा अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में दिए गए किन्हीं आदेशों का

पालन करने में कोई राज्य असफल होगा, तो राष्ट्रपति यह मान सकता है कि उस राज्य में संविधान के उपबन्धों के अनुकूल शासन नहीं चलाया जा सकता है और वह उस राज्य के अधिकारों को अपने हाथ में ले सकता है (घाग ३६५)। संविधान द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होना चाहिये जिसमें समूह द्वारा बनाए हुए कानूनों का पालन सुनिश्चन रहे। राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होना चाहिए जिसमें सब की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन या प्रतिफल प्रभाव न हो। सघ को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्यों को समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए आदेश दे सके। सब राज्यों को ऐसे संचार-साधनों (means of communication) के निर्माण तथा बनाये रखने के लिए आदेश दे सकता है जो कि राष्ट्रीय या सैनिक महत्व के हों। सघ राज्यों को उनकी सीमाओं के अन्तर्गत रेलों की रक्षा के लिए भी आदेश दे सकता है। इन कारणों से राज्य की सरकार का जो अतिरिक्त स्वर्च होगा वह सघ द्वारा दिया जायगा।

राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य की सरकार की सम्मति में उस सरकार को या उसके पदाधिकारी को ऐसे काम, जो सघ के क्षेत्र में हैं, सौंप सकता है। समूह कानून द्वारा पुरी राज्य सरकार या उसके पदाधिकारियों को ऐसे विषय पर अधिकार दे सकती है या उन पर कर्तव्य आरोपित कर सकती है जो कि राज्य सरकार के क्षेत्र के बाहर हैं। ऐसा करने पर जो अतिरिक्त स्वर्च होगा वह सघ द्वारा वहन किया जायेगा।

सघ की सरकार को यह अधिकार है कि वह भारत के बाहर किसी राज्य की सरकार से करार कर उस सरकार के कामों को अपने हाथ में ले सकती है।

भारत के राज्य-क्षेत्र में सघ जगह सघ की और प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं (public acts), अभिलेखों (records) और न्यायिक कार्यवाहियों (judicial proceedings) को पूरा बिरताम और पूरी मान्यता दी जावेगी।

समूह को यह अधिकार है कि कानून द्वारा राज्यों के आपत में किसी नदी के पानी के ऊपर झगड़ों के समझौते का प्रबन्ध करे। समूह कानून द्वारा ऐसे झगड़ों को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के बाहर रख सकती है।

राष्ट्रपति आदेश द्वारा एक परिषद् की स्थापना कर सकता है जिसके नीचे लिखे कर्तव्य होंगे :

- (१) राज्यों के आपसी दागडों की जांच करना और उन पर नम देना ;
- (२) ऐसे विषयों का अनुसन्धान करना जिनमें कुछ या सब राज्यों के दा-संघ और एक या अधिक राज्यों के हित सम्बन्ध हैं।
- (३) किसी ऐसे विषय पर सिफारिश करना ।

इहाँ तक केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों का सम्बन्ध है उनका शासन नम न करों के अधीन है।

संघ तथा राज्यों में वित्तीय सम्बन्ध

भारत की वित्तीय व्यवस्था का इतिहास :— सन् १७७३ में पूर्व भारत में बंगाल, मद्रास तथा बम्बई प्रेसीडेन्सियाँ वित्त के विषय में पूर्ण स्वतन्त्र थी परन्तु धीरे धीरे इनकी स्वतन्त्रता कम होने लगी। सन् १८८३ में इनकी स्वतन्त्रता का पूर्णरूपेण अन्त हो गया। यह केन्द्रीयकरण की पराकाष्ठा थी। परन्तु १८७० ई० के पश्चात् पुनः विदेशीकरण आरम्भ हुआ। प्रान्तों की कुछ भाग के साधन दे दिये गये। लाई रिपन तथा गार्डे कर्वन के काल में यह और आगे बढ़ा।

प्रथम युद्ध के पश्चात् १९१९ में गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया एक्ट द्वारा प्रान्तों को कुछ स्वायत्त शासन के अधिकार दिए गए। इसलिए यह किन्तु गया कि वित्त के विषय में भी प्रान्तों को केन्द्र से स्वतन्त्र करा जाय। इस कारण पार्स के साधनों का केन्द्र तथा प्रान्तों के बीच विभाजन किया गया। प्रान्तों के धार के स्रोत भूमिकर, आवकारी, जंगल, स्लाम्प, तथा रजिस्ट्रेशन, रखे गये। केन्द्र के धार के स्रोत इस्टम, आयकर, नमक, रेल, धफीम, मिलीटरी रिसेप्ट्स (Military Receipts) तथा डाक और तार रखे गए परन्तु इस व्यवस्था में केन्द्र की आमदनी कम हो गई। इस कारण नेस्टन एवार्ड द्वारा ही तय हुआ कि प्रान्त केन्द्र को सालाना १३८ लाख रुपया दे। यह १९२८-१९२९ में सतत हो गया।

जब १९३५ का एक्ट बना तो उसके द्वारा भी धार के स्रोत केन्द्र तथा प्रान्तों के बीच विभाजित किए गए : इस एक्ट द्वारा यह निश्चित हुआ कि धार कर म से कुछ भाग प्रान्तों को दिया जावे। जिन प्रान्तों में जूट उत्पन्न होती थी उनको जूट-निर्वाह कर का कुछ भाग मिले। इसके अतिरिक्त प्रान्तों को केन्द्र द्वारा नमक कर, आवकारी आदि से हुई धार भी दी जाने वाली थी ताकि विभिन्न प्रान्त स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर पूरी प्रकार ध्यान दे सकें। उनको इन उपरोक्त करों से आमदनी के अतिरिक्त केन्द्र द्वारा कुछ और सहायता दी जाने का प्रकण्ड

हुमा। एक कमनी बंटी जिसके सभापति सर ओटो नेमियर थे। इसने इस विषय में अपनी सिफारिश सरकार के सामने रखी। इस कमेटी ने इस विषय में भी सिफारिश की कि आयकर तथा जूट निर्यात कर का विम्व प्रकार विभाजन किया जाय।

सविधान द्वारा स्थापित वित्त व्यवस्था —सविधान द्वारा सघ तथा राज्यों की आय व साधना का वर्णन दिया गया है।

(१) सघ की आय के साधन निम्नलिखित हैं। कृषि आय को छोड़ कर अन्य आय कर सीमा शुल्क जिसने भ्रन्दर निर्यात शुल्क भी है तम्बाकू पर उत्पादन कर व्यक्तियों तथा कम्पनियों के मूल धन पर कर, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति के बारे में शुल्क रेल या समुद्र या वायु सेना से आने वाले वाणी वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा कर रेल के जन भाडे पर कर, मुद्राक शुल्क (Stamp duty) को छोड़कर स्टॉक एक्सचेंज तथा बादा बाजार कर विनिमय पत्र चेक हुण्डी, बीमा पत्र आदि पर मुद्राक शुल्क, समाचार पत्रों के श्रय या विक्रय पर तथा उनमें प्रकाशित होने वाले विज्ञापना पर कर, किमी न्यायालय में लिय जाने वाले फीमों को छोड़कर इस सूची में के विषयों में बिसी के बारे में फीस।

२) स्वायत्त राज्यों की आय के साधन —भ राजस्व कृषि आय पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकारी के विषय में शुल्क, कृषि भूमि के विषय में सम्पत्ति शुल्क भूमि और भवनो पर कर ससद द्वारा लगाई सीमाओं के अधीन खनिज अधिकार पर कर, अफीम भाग शराब तथा अन्य नशीली वस्तुओं पर उत्पादन कर किमी क्षेत्र में वस्तुओं के प्रवेश पर कर विद्युत कर समाचार पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं व फ्रय विक्रय पर कर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को छोड़कर श्रय विज्ञापना पर कर, सड़को पर उपयोग के योग्य यानों पर कर पशुओं और नौकाओं पर कर पत्र, वृत्तियों व्यापार, धार्मिक विद्यालयों और नौकरियां पर कर प्रति व्यक्ति कर, विलास की वस्तुओं पर कर, दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी।

(३) समवर्ती आय के साधन —न्यायिक मुद्रकों (Judicial stamp) द्वारा सगृहीत मुद्रकों या फीमों को छोड़कर अन्य मुद्राक शुल्क (stamp duty) समवर्ती सूची में के विषयों में फीमों के बारे में फीस किंतु इनके अतिरिक्त किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीमें नहीं हैं।

राज्य सरकारों को सघ की सहायता —हम लिख चुके हैं कि १९३५ के ऐक्ट में इस प्रकार के उपबन्ध थे जिनके द्वारा प्रान्तों को सघ सरकार से आर्थिक

सहायता दी जाती थी। नेमियर समिती (Niemeyer Committee) ने मध द्वारा राज्यों की सरकारों को कितनी राशि दी जाने इसको निर्दिष्ट कर दिया गया था। नये संविधान के द्वारा इन बात का प्रबन्ध किया गया है मध सरकार द्वारा राज्यों की सरकारों को वित्तीय सहायता दी जावे। यह कहना ठीक ही होगा कि नागरिकता नये संविधान द्वारा इन विषय में बना ही प्रबन्ध किया गया है जैसा कि १९३५ के एंक्ट में था।

प्रश्न यह उठता है कि मध द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता क्यों दी जावे? इसका उत्तर है क्योंकि राज्यों की आय इतनी नहीं है कि वे अपने विविध कर्तव्य जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य जनहित के कार्य ठीक प्रकार कर सकें। इसलिये यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि उनकी सभ सरकार द्वारा कुछ सहायता दी जावे। सभ सरकार की आय की नहीं ऐसी है कि उनसे आयदानी घटती ही जावेगी, जैसे आयकर, बस्टम आदि दूसरी ओर राज्यों के कुछ साधन ऐसे हैं जिनसे आयदानी घटती जावेगी जैसे गराब पर कर, कई सरकारों में अपने-पहले मर्यादित कर कर दिया है। इन बातों की दृष्टि में रखते हुए यह उचित ही है कि राज्यों को सभ द्वारा सहायता दी जावे।

मध तथा राज्यों में आदना वित्तीय-सम्बन्ध तो यह होगा कि मध अपनी सनस्त आवश्यकताएँ अपनी आय में न पूरी कर ले तथा इसी प्रकार राज्यों के साधन उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त हो। परन्तु कार्यक्षम में ऐसा होना पड़ता है। तब भी इन बातों का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये कि राज्य की सरकारें बहुत अधिक मात्रा तक मध सरकार के ऊपर आधिक सहायता के लिये निर्भर न हों। क्योंकि इस प्रकार की आधिक-निर्भरता स्वायत्त शासन के हित में नहीं है।

सभ तथा राज्यों के बीच करो के वितरण के लिये संविधान में निम्नलिखित उपबन्ध है :—

(१) कुछ कर ऐसे हैं जो कि सभ द्वारा आरोपित किये जायेंगे परन्तु अपने क्षेत्र में स्वायत्त राज्यों द्वारा संगृहीत होंगे तथा खर्च किये जायेंगे। केन्द्रीय क्षेत्रों भीतर ये सभ सरकार द्वारा ही संगृहीत होंगे। इसमें ऐसे मुद्राक-शुल्क (Stamp duty) तथा औषधीय और प्रसाधन सामग्री (Medicinal and toilet preparations) ऐसे उत्पादन शुल्क हैं जो कि सभ-सूची में पणित हैं। ऐसे करों की आयदानी भारत की सविध निधि का भाग नहीं होगी परन्तु उन राज्य को दी जायेगी।

(२) निम्नलिखित गुरुक और कर भारत सरकार द्वारा चारागित और समहित किय जायेंग बिन्दु राज्या कामीय लिए जायग ।

(क) कृषि भूमि व अग्रादा अथ सम्पत्ति व उत्तराधिकार विषयक गुरुक

(ग) कृषि भूमि व अग्रादा अथ सम्पत्ति विषयक सम्पत्ति गुरुक

(ग) रेल समुद्र या वायु म वाहिन वस्तुधा पर या यात्रिया पर सामा कर

(घ) रेल भाडा और वस्तु भाडा पर कर

(ङ) स्टोक एक्मधेज तथा वायण बाजारा क मोदा पर स्टाम्प दृष्टी म अथ कर

(च) मसाचर पत्रा क त्रय चित्रय तथा उदम प्रकाशित विज्ञापना पर कर

एन मय करा से हुई प्राय मिवाय के प्राय क्षत्रा क निम्न का छोड़ कर उन राज्या म व ट दी नावगी जिनम व कर उम सात्र वसूत्र ह्य । इस बटवार क लिए मय कानन बनावगी ।

(३) कुछ कर एम ह जा कि सय द्वारा लगाय जायग तथा कमले जायग परन्तु उनकी प्राय सय तथा राज्या क बीच बट जायगा —

(क) कृषि आय व प्रतिरिक्त अथ आय पर कर

(ग) अगर समुद्र निश्चिन कर तो औपरीय तथा प्रसाधनीय सामग्रा के प्रतिरिक्त अथ वस्तुधा पर मय सूची में वणित उत्पादन गुरुक (excise duty) राज्या क बीच मसद् द्वारा निर्मित विधि क अनुमार बाटा जायगा ।

(४) अगर मसद् चाहे ता वह ऊपर वणित (२) तथा (३) भाग के करा म स किनो को भी किसी समय सय क प्रयोजना के लिए अधिकार (surcharge) द्वारा बढ़ा सकतो है और इस प्रकार जो प्रतिरिक्त प्राय होगी वह केवल मय क सचित निधि का भाग होगी ।

आय करके बटवार का प्रबंध — गविधान में इस विषय में निम्नलिखित उपर है आय कर क केवल गुरुक आयम (net proceeds) का ही वितरण होगा अर्थात् इस कर की वमूली में जा व्यय होगा वह इसम स पहुँचे ही बाट दिया जावेगा । इस गुरुक आयम म भी वह भाग निवाय दिया जावेगा जा कि केन्द्रीय क्षत्रा को मित्रन बाटा माना जायगा तथा इसके प्रतिरिक्त इसमें

से संप सरकार द्वारा कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन तथा पेन्शन आदि (उपलब्धियाँ) का भाग भी निकाल लिया जावेगा। इसके पश्चात् जो राशि बचेगी इसमें राष्ट्रपति के आदेशानुसार स्वायत्त राज्यों को भाग मिलेगा। परन्तु जब वित्त आयोग स्थापित हो जावेगा तब राष्ट्रपति इसकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, आय-कर के वितरण के लिए आदेश देगा।

संध द्वारा राज्यों को अनुदान — इन अनुदानों को नीचे लिखे चार वर्गों में रखा जा सकता है :—

(१) संविधान में यह कहा गया है कि आसाम, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल तथा बिहार को पटसन या पटसन में बनी वस्तुओं पर निर्यात शुल्क (Export duty) के स्थान से संध द्वारा प्रति वर्ष कुछ अनुदान दिया जावेगा। जब तक भारत सरकार इन वस्तुओं पर निर्यात शुल्क वसूल करती है या संविधान प्रारंभ होने में दस वर्ष तक, या इन दोनों में से जो भी पहले हो उसके होने तक, यह अनुदान भारत सरकार द्वारा इन चार पटसन पैदा करने वाले राज्यों को दिया जावेगा। १९३५ के ऐक्ट द्वारा भी ऐसा उपबन्ध था। इन चार प्रान्तों को निर्यात शुल्क का ६२½% भाग मिलता था।

(२) ससद् विधि द्वारा विभिन्न स्वायत्त राज्यों को भारत की संचित निधि में ऐसे अनुदान देने का उपबन्ध कर सकती है, जैसा कि वह उन राज्यों की सहायतायें आवश्यक समझे।

(३) अगर कोई स्वायत्त राज्य अपने अन्तर्गत अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए या अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को ऊँचा करने के लिए भारत सरकार के अनुमोदन से विकास योजनाएँ को लागू करता है तो इसमें जो खर्च होगा वह भारत सरकार द्वारा दिया जावेगा।

(४) आसाम राज्य को भारत सरकार द्वारा स्वायत्त जिलों के प्रशासन तथा उनके प्रशासन स्तर को ऊँचा करने में, जो खर्च हो वह अनुदान के रूप में दिया जावेगा। इस विषय में ससद् विधि निर्माण करेगी और जब तक विधि नहीं बनती है, अनुदान राष्ट्रपति के आदेश से दिया जावेगा। जब वित्त-आयोग स्थापित हो जावेगा तो राष्ट्रपति कोई आदेश इसकी सिफारिशों पर विचार किए बिना नहीं देगा।

वित्त-आयोग :— इस आयोग का काम राष्ट्रपति को वित्त-सम्बन्धी मामलों पर परामर्श देना होगा। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह संविधान के प्रारंभ से दो वर्ष के भीतर एक ऐसे आयोग की स्थापना करे। इसके पश्चात्

प्रत्येक पांच वर्षों के पदचान् अथवा उगम पहिले ऐसे समय पर जब राष्ट्रपति आवश्यक समझें यह स्थापित किया जावेगा। इसमें एक महापति तथा चार सदस्य होंगे। इनकी योग्यताएँ समूह विधि द्वारा निश्चिन करेगी। प्रथम आयोग की स्थापना १ नवम्बर १९५१ को की गई। इसमें निम्नलिखित सदस्य थे।

(१) श्री के० गी० नियांगी (महापति)

(२) श्री बी० पी मेनन,

(३) श्री कौञ्जल चन्द्र राव,

(४) श्री डा० बी० के० मदन,

(५) श्री एम० वी० रमचारी।

आयोग का कर्तव्य निम्नलिखित बातों पर राष्ट्रपति की परामर्श देना था
(क) मघ तथा राज्यों के बीच में उन कार्यों के वितरण के बारे में जिनका विभाजन मविधान द्वारा निश्चिन किया गया है तथा राज्यों के बीच उनके भाग ढ बँटवारे के बारे में।

(ख) भारत की मघिन निधि में से राज्यों की अनुदान देने में पालनीय सिद्धान्तों के बारे में।

(ग) भारत सरकार तथा किसी राज्य की सरकार के बीच किए गये करारों के उपबन्धों के पालन करने अथवा उनमें कोई बदलाव करने के लिए।

(घ) राष्ट्रपति द्वारा कोई वित्त-सम्बन्धी विषय के बारे में।

राष्ट्रपति मविधान के उपबन्धों के अधीन वित्त-आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को तथा उग पर की कार्यवाही के विवरण को, समूह के प्रत्येक सदस्य के समक्ष रखवाता। राष्ट्रपति के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह आयोग के परामर्श अनुरूप ही निर्णय ले। परन्तु यह आवश्यक है कि वह किसी निर्णय लेने के पहिले आयोग में परामर्श अवश्य ले।

मविधान में कहा गया है कि वित्त-आयोग अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगा तथा अपने कृत्यों के पालन में उसे वे शक्तियाँ होंगी जो समूह विधि द्वारा उसे दान कर।

मघ तथा राज्यों में धर-वितरण आदि का वर्तमान प्रबन्ध -- वित्त-आयोग स्थापित होने तक मघ तथा राज्यों के बीच आयकर किस प्रकार वितरित है इसका निश्चय करना था। इसलिये सरकार ने दो कमेटियाँ नियुक्त की।

एक के समापति श्री एन० आर० सरकार से तथा दूसरे के श्री वी० पी० अडारकर से । परन्तु इन दोनों की रिपोर्ट सन्तोष-जनक न होने के कारण यह कार्य श्री सी० डी० देशमुख (भूत पूर्व वित्त-मंत्री) को सौंपा गया । श्री देशमुख का निर्णय साधारण परिवर्तनों के अतिरिक्त वैसा ही है जैसा कि नेमियर-निर्णय था । इस निर्णय के अनुसार यह निश्चित किया गया था कि आयकर के शुद्ध-भाग का ५०% भाग राज्यों में निम्न प्रकार से वितरित हो

मद्रास	१७.५%
बम्बई	२१%
बंगाल	१३.५%
उत्तर प्रदेश	१८%
पंजाब	५.५%
बिहार	१२.५%
मध्य प्रदेश	६%
आसाम	३%
उड़ीसा	३%

श्री देशमुख का निर्णय १ अप्रैल १९५० में लागू हुआ तथा ३१ मार्च, १९५२ तक लागू रहेगा यह निश्चित किया गया था ।

श्री देशमुख द्वारा ही इसका निर्णय किया गया कि पट्टन के निर्यात-शुल्क के बदले में पश्चिमी बंगाल, आसाम, बिहार तथा उड़ीसा को कितना अनुदान मिलेगा ।

पश्चिमी बंगाल	१०५ लाख रुपया वार्षिक
आसाम	४० लाख रुपया वार्षिक
बिहार	३५ लाख रुपया वार्षिक
उड़ीसा	५ लाख रुपया वार्षिक

वित्त आयोग की सिफारिशें :—वित्त आयोग की रिपोर्ट १३ फरवरी १९५३ को श्री देशमुख द्वारा मसद में प्रस्तुत की गई । सिफारिशें भारत सरकार द्वारा मान ली गई तथा ये १ अप्रैल १९५३ में लागू हुई ।

मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(१) आय-कर के शुद्ध-भाग का ५५% भाग राज्यों में निम्न प्रकार से वितरित होगा :—

आसाम	२.२५%
बिहार	१.७४%
बम्बई	१७.१%
हृदरावाद	४.५%
मध्य भारत	१.७५%
मध्य प्रदेश	५.४५%
मद्रास	१५.२५%
मैसूर	२.२५%
उडामा	३.५%
पेप्पू	७.५%
पंजाब	३.२५%
राजस्थान	३.५%
सौर प्द	१%
आन्ध्रप्रदेश-कोचीन	२.५%
उत्तर प्रदेश	११.५%
पश्चिमी बंगाल	११.२५%

(२) पटसन के निर्यात शुल्क के बदले बंगाल, आसाम, बिहार तथा उड़ीसा को निम्नलिखित वार्षिक अनुदान मिले, बंगाल १५० लाख आसाम ७५ लाख बिहार तथा उड़ीसा १५ लाख रुपये ।

(३) राज्यों को सघ की कुछ एग्साइज ड्यूटीज (Excise Duties)—तम्बाकू, दियामलाई तथा बेजोटेबिल प्राइवेट्स—का भाग दिया गया ।

(४) जिन राज्यों को आयोग उपयुक्त समझे उनको मध द्वारा कुछ अधिक सहायता दी जाय ।

(५) कुछ कम उन्नत राज्यों की प्रारम्भिक शिक्षा के विकासार्थ मध द्वारा सहायता दी जाय ।

द्वितीय वित्त आयोग —भारत सरकार द्वारा एक नवीन वित्त आयोग की स्थापना की गई थी । इस आयोग ने राष्ट्रपति के सम्मूल निम्न विषयों में सिफारिश की थी ।

(१) केन्द्र और राज्या में आयकर का वितरण और राज्या के हिस्से का राज्यों में बंटवारा ।

(२) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क इत्यादि केन्द्रीय करों का बंटवारा ।

(३) पटसन और पटसन के माल के निर्यात शुल्क की आय के हिस्से के बदले आसाम, बिहार, बंगाल, और उड़ीसा को कितनी रकम दी जाय।

(४) वे मिहान्त जिनके आधार पर भारत की सचिव निधि में से राज्यों को अनुदान दिये जायें।

(५) वे कौन से राज्य हैं जिन्हें अपने राजस्व में से अनुदान की आवश्यकता है। अन्य बातों के अलावा पंचवर्षीय योजना की आवश्यकताओं को देखकर तथा यह देखकर कि ये राज्य अपने साधनों से धन एकत्र करने का जिनना प्रयत्न कर रहे हैं, तय करना कि इन्हें कितनी सहायता कर दी जाय।

(६) कृषि भूमि को छोड़कर और मंपत्ति पर लगने वाले मपदा शुल्क की आय को किम आधार पर बाँटा जाय।

(७) १५ अगस्त, १९४७ और ३१ मार्च, १९५७ के बीच केन्द्र ने राज्य को सरकारों को जो कर्ज दिया है उसकी व्याज दर और अदापनी को भातों में क्या किसी प्रकार के संशोधनों की आवश्यकता है।

नये वित्त आयोग को द्वितीय पंचवर्षीय योजना तथा राज्यों के पुनर्गठन को ध्यान में रखते हुए, हर राज्य के हिस्से को नये सिरे से तय करना था।

वर्तमान स्थिति—वित्त आयोग ने करों के वितरण के सम्बन्ध में निम्नोक्त मुख्य सिफारशों की हैं जो वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में लागू हुई—

आयकर के शुद्ध आगम का ६०% भाग राज्यों में निम्नोक्त प्रकार में वितरित हो—

आंध्र	८.१२%	मैसूर	५.१४%
आसाम	२.४४%	उड़ीसा	३.७३%
बिहार	९.९४%	पंजाब	४.२४%
बम्बई	१५.९०%	राजस्थान	४.०९%
केरल	३.६४%	उत्तर प्रदेश	१६.३६%
मध्य प्रदेश	६.३०%	पश्चिमी बंगाल	१०.०८%
मद्रास	८.४०%	जम्मू तथा काश्मीर	१.१३%

इन राज्यों के अतिरिक्त केन्द्रीय शासित प्रदेशों को १% दिया जायगा।—

(२) राज्यों को सघ की इन्साइज ड्यूटी—तम्बाकू, दियामलाई, धेजी-टेबिल, प्रोडक्ट्स, चीनी, चाय, कौफी, कागज, तथा धेजीटेबिल तेल के ऊपर—का २५% भाग दिया जाय।

(३) वित्त आयोग ने यह भी सिफारिश की पटसन के निर्यात शुल्क के बदले पश्चिमी बंगाल को १५२ ६९ लाख, बिहार को ७२.३१ लाख, आसाम को ७५ लाख तथा उड़ीसा को १५ लाख रुपये का अनुदान दिया जाय।

(४) कृषि भूमि के अतिरिक्त सम्पत्ति पर इस्टेट ड्यूटी का वितरण जिस आधार पर राज्यों के मध्य किया जाय इसका भी आयोग ने सिफारिश की है। ये अनुदान १०.६० सन् के अन्त में बन्द हो जायेंगे।

(५) इसी प्रकार राज्य सरकारों ने गेल्स टैक्म के स्थान पर कपड़े (textile), चीनी तथा लम्बाकू पर अतिरिक्त इक्साइज ड्यूटी से जो आय होगी इसका वितरण राज्यों के मध्य किसी आधार पर हो इसको भी आयोग ने सिफारिश की है।

(६) रेलभाड़े म टैक्म से जो आमदनी होगी उसके वितरण की भी सिफारिश की गई है।

संचित निधि -- इस अध्याय में कई समय 'संचित-निधि' का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर उचित प्रतीत होता है कि इसका अर्थ बतलाया जाय।

सविधान द्वारा यह व्यवस्था की गई है (धारा, २६६) कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त सब राजस्व, राजहृतिया को निकाल कर उधार द्वारा और अर्थोपाय पेशगियों द्वारा लिए सब उधार, तथा उधारों के प्रतिदान में उस सरकार को प्राप्त सब धनो की एक संचित निधि बनेगी जो भारत की संचित निधि के नाम से जाना होगी तथा राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त सब राजस्व, राजहृतिया को निकाल कर उधार द्वारा और अर्थोपाय पेशगियों द्वारा लिए गए सब उधार तथा उधारों के प्रतिदान में उस सरकार को प्राप्त सब धनो की एक संचित निधि बनेगी जो राज्य की संचित निधि के नाम से जाना होगी।

भारत की सरकार तथा राज्यों की सरकार द्वारा या और से प्राप्त अन्य सब नावर्जनिक धन यथाशक्ति भारत के या राज्य के लोक लेखे में जमा किये जायेंगे।

संचित निधि में से धन केवल विधि की अनुबूलता से या इस सविधान में वर्णित रीति से ही निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं।

संचित निधि के अतिरिक्त भारत सरकार तथा राज्यों की सरकारें एक प्राकस्मिक निधि की भी स्थापना करेंगी। भारत सरकार के लिए ऐसी निधि की स्थापना ससद् विधि द्वारा करेगी। इसी के द्वारा यह भी निश्चय होगा कि इसमें समय-समय पर कौन सी राशियाँ डाली जायें। इस प्राकस्मिकता निधि

में से राष्ट्रपति मन्त्र की आज्ञा मिलने में पूर्व व्यय कर सकता है। यह निधि राष्ट्रपति के हाथ में रखी गई है।

इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को भी एक आत्मिक निधि होगी। इसकी स्थापना का अधिकार राज्यों के विधान मण्डल को दिया गया है। यह निधि राज्यपाल के हाथों में रहेगी और यह इनमें से विधान-मण्डल की आज्ञा के पूर्व आत्मिक कार्यों के लिए खर्च दे सकता है।

प्रश्न

(१) संघ तथा राज्यों के मध्य संविधान द्वारा किस प्रकार अधिकार विभाजन किया गया है? संघ तथा सरदार राज्य सरकारों के अधिकार-क्षेत्र का वर्णन कीजिये।

(२) वित्त भागीग के क्या अर्थ हैं? इस भागीग की क्या विशेषताएँ हैं?

(३) संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय सम्बन्ध पर एक टिप्पणी लिखिए?

अनुसूचित क्षेत्रों तथा जन-जातियों के लिए विशेष प्रबन्ध

बिहार, उड़ीसा मध्य प्रदेश, मद्रास राजस्थान तथा भारतम में कई पिछड़े हुए वर्ग हैं जिनको जनजाति कहते हैं। सभ्यता की दृष्टि से ये अत्यन्त पिछड़ी हुई अवस्था में हैं। इनकी आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ भी शोचनीय हैं। इनकी उन्नति की दृष्टि से सविधान से इनके शासन व निम्ने विशेष उपबन्ध हैं।

ये अनुसूचित क्षेत्र सविधान द्वारा दो भागों में विभक्त किये गये हैं तथा उनके लिये अलग-अलग शासन-व्यवस्था का प्रबन्ध किया गया है। एक भाग में तो आगाम के जनजाति क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के ऐसे क्षेत्र रखे गये हैं। दूसरे भाग में भारतम के जनजाति क्षेत्र रखे गये हैं। इनके शासन का प्रथम पर्वान क्रिया जायगा।

भारतम के अतिरिक्त अन्य अनुसूचित क्षेत्रों का निर्देश्य — राष्ट्रपति को सविधान द्वारा यह अधिकार दिया है कि वह भारतम द्वारा यह घोषणा कर कि विभिन्न राज्यों में कौन अनुसूचित जनजातियाँ हैं तथा कौन अनुसूचित क्षेत्र हैं। इन घोषणा में वह चाह तो केवल निम्नलिखित परिचयन कर सकता है।

(क) कि कोई सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र या उसका कोई उल्लिखित भाग अनुसूचित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र का भाग न रहेगा।

(ख) किसी अनुसूचित क्षेत्र को उदल नयेगा। किन्तु कबल सीमाओं का शोधन करके ही बदल सकेगा।

(ग) किसी राज्य को सीमाओं के किसी परिवर्तन पर धरना सध म किसी नये राज्य के प्रवेश पर धरना नये राज्य की स्थापना पर। एत किसी क्षेत्र का अनुसूचित क्षेत्र या उसका भाग पापित कर सकेगा जो पहिल म किसी राज्य में समाविष्ट नहीं है।

इनका शासन — प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका अधिन का विस्तार उसमें ८ अनुसूचित क्षेत्रों तक होगा। परन्तु, उन राज्य के राष्ट्रपति को जिनमें अनुसूचित क्षेत्र हैं अतिरिक्त या जय भी राष्ट्रपति चाहें, इसके शासन प्रबन्ध के बारे में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देनी होगी। सध की कार्यपालिका का यह अधिकार है कि वह राज्य की कार्यपालिका को इन क्षेत्रों के शासन के बारे में आदेश

दे सकती है। इस प्रकार राज्यों की कार्यपालिका इस विषय में सध कार्यपालिका के अधीन की गई है। राज्यपाल यह आदेश दे सकता है कि ससद् या उस राज्य के विधान मण्डल का कोई कानून उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग में बिल्कुल ही लागू नहीं होगा या कुछ परिवर्तनों के साथ लागू होगा। राज्यपाल को यह भी अधिकार है कि वह ऐसे क्षेत्रों की शान्ति और सुशासन के लिये नियम बना सकेगा। वह अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा भूमि के हस्तान्तरण या उसके विवरण के सम्बन्ध में नियम बना सकता है। ऐसे नियम तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि उन्हें राष्ट्रपति की अनुमति न मिल जावे। राज्यपाल ऐसे नियमों को बनाने के पूर्व उन राज्य में जनजाति मंत्रणा परिषद् से परामर्श लेगा।

जनजाति मंत्रणा परिषद् — प्रत्येक राज्य में, जितने अनुसूचित क्षेत्र हैं, तथा राष्ट्रपति के आदेश पर ऐसे राज्यों में भी, जहाँ अनुसूचित जनजातियाँ हैं यद्यपि अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, एक जनजाति मंत्रणा परिषद् स्थापित होगी। इसमें बीस से अधिक सदस्य नहीं होंगे। इसके सदस्यों में से जहाँ तक सम्भव हो तीन चौथाई उस राज्य की विधान सभा में से अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे। परन्तु अगर विधान मण्डल में प्रतिनिधियों की संख्या इस निर्दिष्ट संख्या से कम है तो शेष स्थान उन जातियों के अन्य सदस्यों द्वारा भरे जायेंगे।

इस परिषद् का कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की जनजातियों के कल्याण और उन्नति से सम्बन्ध रखने वाले ऐसे विषयों पर राय दे जो कि उसको राज्यपाल द्वारा माँगे जायें।

राज्यपाल को परिषद् के सम्बन्ध में निम्नलिखित विषयों पर नियम बनाने का अधिकार है --

(क) सदस्यों की संख्या, उनकी नियुक्ति तथा परिषद् के सभापति तथा पदाधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति।

(ख) परिषद् के अधिवेशनों के संचालन तथा उनकी साधारण प्रक्रिया।

(ग) अन्य सब प्रासंगिक विषयों पर।

इन क्षेत्रों के विषय में उपरोक्त वर्णित उपबंधों को ससद् जब चाहे तब मनोपित कर सकती है। ऐसा संशोधन संविधान का संशोधन नहीं समझा जावेगा। अर्थात् ससद् साधारण विधि से ही इनमें संशोधन कर सकती है।

आसाम के जनजाति क्षेत्र —आसाम के जन-जाति क्षेत्रों के बारे में सविधान में अन्य राज्यों के जन जाति क्षेत्रों से अलग उपबन्ध है। इसका कारण यह है कि आसाम के जन-जाति धर्म तथा संस्कृति की दृष्टि से सर्वथा भिन्न हैं। इस कारण यह स्वाभाविक था कि उनके शासन के लिये विशेष व्यवस्था हो। अतः की अन्य जन-जातियाँ साधारणतः हिन्दू समाज के अन्तर्गत आ जाती हैं परन्तु आसाम की जन-जातियाँ अपना अलग अस्तित्व रखती हैं।

आसाम के जनजाति क्षेत्रों को दो भागों में बाँट दिया गया है—इनको क्रमशः 'क' तथा 'ख' भाग कहा जाता है।

'क' भाग में ६ क्षेत्र हैं। इनमें से प्रत्येक एक स्वायत्त क्षेत्र है। इनके नाम हैं—

(१) मयुक्त खासी-जयतिया पहाड़ी।

(२) गारो पहाड़ी जिला।

(३) नुसाई पहाड़ी जिला, (समझने के लिए विधेयक पारित कर यह निश्चय किया है कि इस जिले का नाम मिजा जिला (Mizo District) कर दिया जाय)।

(४) नागा पहाड़ी जिला।

(५) उत्तरी कछार पहाड़ियाँ।

(६) मिक्किर पहाड़ियाँ।

'ख' भाग में निम्नलिखित क्षेत्र हैं —

(१) उत्तरी-पूर्वी सीमान्त इलाका जिनके अन्तर्गत बालिपारा सीमान्त इलाका, निराय सीमान्त इलाका, अबोर पहाड़ी लिया और मिनिम पहाड़ी जिला भी हैं।

(२) नागा जनजाति क्षेत्र।

राज्यपाल, राष्ट्रपति की अनुमति से, 'ख' भाग में वर्णित जनजाति क्षेत्रों का शासन उन्हीं उपबन्धों द्वारा कर सकता है जो कि 'क' भाग के लिए लागू होंगे। परन्तु जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक राष्ट्रपति इन जन-जाति क्षेत्रों का शासन आसाम के राज्यपाल द्वारा करवायेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में अपने हतबल से काम करेगा। इन क्षेत्रों को स्वायत्त शासन का अधिकार इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि अभी तक भारतीय अधिकारियों को इनके कुछ भागों के बारे में पूरा परिचय नहीं है।

'क' भाग के जनजाति क्षेत्रों का शासन — इस भाग के प्रत्येक जनजाति क्षेत्र का एक स्वायत्त जिला होगा। यदि किसी जिले में भिन्न-भिन्न जन-जातियाँ हैं तो राज्यपाल इन जन जातियों के अनुसार जिले को स्वायत्त प्रदेशों (autonomous regions) में बाँट देगा। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह दो स्वायत्त जिलों को मिलाकर एक कर दे, या एक को दो में बाँट दे, या किसी स्वायत्त जिले के क्षेत्र को घटा दे, या बड़ा दे।

प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए जिला परिषद् होगी। इसमें चौबीस से अधिक सदस्य नहीं होंगे। इसमें कम से कम तीन-चौथाई का वयस्क-मतदाताधिकार के आधार पर निर्वाचन होगा। प्रत्येक स्वायत्त प्रदेश के लिये एक प्रादेशिक परिषद् होगी। स्वायत्त प्रदेश का शासन प्रादेशिक परिषद् में तथा जिले का सामान जिला-परिषद् में निहित होगा। राज्यपाल जिला-परिषद् तथा प्रादेशिक-परिषद् के प्रथम गठन के लिए नियम बनायेगा। इसके पश्चात् ये परिषदें स्वयं अपने गठन के लिये नियम बना लेंगी।

इन परिषदों को चार प्रकार के अधिकार हैं — कानून सम्बन्धी, न्याय-सम्बन्धी, वित्त-सम्बन्धी तथा शिक्षा सम्बन्धी।

कानून सम्बन्धी — इन परिषदों को अपने अपने क्षेत्र के अन्दर निम्न-लिखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है —

(१) किसी रक्षित वन की भूमि को छोड़कर अन्य भूमि को ऐसे प्रयोग के लिये जिससे किसी ग्राम-नगर निवासियों के हितों की उन्नति सम्भव हो, बाँटना (allotment), दखल, या उपयोग या अलप्य रखना।

(२) रक्षित वन न होने वाले किसी वन का प्रबन्ध।

(३) कृषि प्रयोजनार्थे किसी नहर या जलधारा का प्रयोग।

(४) श्रम की प्रथा या अन्य प्रकार की स्थानान्तरणशील (shifting) कृषि की प्रथा का विनियम (regulation)।

(५) ग्राम अथवा नगर मन्त्रियों या परिषदों की स्थापना और उनकी शक्तियाँ।

(६) ग्राम या नगर प्रशासन से सम्बद्ध कोई अन्य विषय जिनके अंतर्गत ग्राम या नगर पुलिस और लोक-स्वास्थ्य तथा स्वच्छता भी हैं।

(७) प्रभुत्वों या मुखियों की नियुक्ति तथा उत्तराधिकार।

(८) सम्पत्ति का दायभाग (inheritance)।

(९) विद्याह ।

(१०) सामाजिक कृषियाँ ।

परन्तु इन सब विषयों पर उपरोक्त परिषदों द्वारा निर्मित कानून तब तक भू नहीं होंगे जब तक उन्हें राज्यपाल की अनुमति प्राप्त न हो जाय। जिला परिषद का अपने क्षेत्र के अन्दर निवास करने वाले जन-जातियों से भिन्न लोगों, साहूकारी तथा व्यापार पर नियन्त्रण के लिए नियम बनाने का भी अधिकार है।

न्याय सम्बन्धी — जिला परिषद तथा प्रदेस-परिषद् को अपने अपने क्षेत्र के अन्दर न्याय परिषदों या न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। इनमें ऐसे मामलों सम्बन्धित जिनमें दोनों पक्ष इन क्षेत्रों के भीतर की जन-जातियों के ही हैं। इन प्रथम परिषदों तथा न्यायालयों से अपील प्रदेश परिषद या जिला परिषद में होगी। मामलों के उच्च न्यायालय को इनके ऊपर ऐसे अधिकार होंगे जैसे कि राज्यपाल समय समय पर प्रादेश दे। राज्यपाल इन परिषदों को व्यवहार प्रक्रिया संहिता १९०८ (Code of Civil Procedure) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता १८९८ (Code of Criminal Procedure) के अधीन कुछ शक्तियाँ प्रदान कर सकता है जैसे मृत्यु रद्द, राजीवन बालापानी का / रूप से अधिक के लिये बाराबाह। राज्यपाल जब चाहे तब इन शक्तियों को छीन सकता है या उनमें बदलाव कर सकता है।

वित्त सम्बन्धी — जिला परिषद तथा प्रदेश परिषद का अपने अपने क्षेत्र के अन्दर सब भूमि का वारे में उन सिद्धान्तों के अनुसार लगान लगाने और वसूल करने का अधिकार होगा जो साधारण सामान सरकार द्वारा माने जाते हैं। ये अपने क्षेत्र के अन्दर भूमि तथा इमारतों पर कर तथा एक क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों पर पक्ष कर (Tolls) लगा सकती हैं। इनके प्रतिस्वत इनको नीचे लिखे कर लगाने तथा वसूल करने का भी अधिकार है वृत्तियाँ, व्यापारियाँ, प्राचीनिकारों और गौशाला पर कर, पशुओं, यातों और नावों पर कर, किसी बाजार में बर्तन दिवने के लिये वस्तुओं के प्रवेश पर कर तथा नावों के जाने वाले व्यक्तियों और माल पर पक्ष कर, पाठशालाओं और शालाओं या सड़कों के बनाय रखने के लिये कर। इन प्रतिस्वत जिला परिषद का अपने क्षेत्र के अन्दर जो शक्ति है उसकी सामदनी का एक भाग दिया जायगा। इसका निश्चय सामान सरकार तथा जिला परिषद के बीच एक करार द्वारा किया जायगा। अगर इनके वारे में कोई झगडा हो तो राज्यपाल उसका निश्चय करेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

प्रत्येक जिला में एक जिला निधि तथा प्रदेश में एक प्रदेश निधि होगी जिसमें प्रबन्ध जिन्हें तथा प्रदेश द्वारा प्राप्त मद धनो का जमा किया जावेगा। इन निधियों के प्रबन्ध के लिये जिला परिषद् तथा प्रदेश परिषद् राज्यपाल के अनुमोदन से नियम बनायेंगे।

शिक्षा सम्बन्धी, आदि अधिकार—जिला परिषद् को अपने क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों, औपशाल्यों, बाजारों काजीहों, नौघाट, मीन-क्षेत्र (Fisheries) मइकों और जल पयों की स्थापना, निर्माण और प्रबन्ध करने का अधिकार है। यह इम्का भी निश्चय करेगी कि प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में दी जावे तथा किस रीति में दी जावे।

जांच आयोग—राज्यपाल इन जिलों के या प्रदेशों के शासन की जांच के लिये किसी समय भी एक आयोग नियुक्त कर सकता है। विशेषतः ऐसा आयोग निम्नलिखित बातों की जांच करेगा :—(१) शिक्षा और शिक्षितता की सुविधाएँ तथा उनके प्रबन्ध, (२) इन क्षेत्रों के बारे में किसी नये विधान की आवश्यकता तथा, (३) इन परिषदों द्वारा बनाये गये विधियों, नियमों आदि का। यह आयोग अपनी जांच की रिपोर्ट राज्यपाल को देगा। इन बातों के प्रतिरिक्त राज्यपाल इन जिला की सीमाओं के बारे में, नये जिले बनाने के या दो जिलों को मिलाकर एक करने के बारे में, उनके क्षेत्रों को घटाने या बढ़ाने के बारे में भी जांच करने के लिये आयोग स्थापित कर सकता है। स प्रकार के आयोगों की रिपोर्ट को राज्यपाल विधानमण्डल के सामने रखवायेगा। राज्यपाल एक मन्त्री को विशेषतया इन क्षेत्रों के कल्याण के लिये नियुक्त कर सकेगा।

संविधान में जन जातियों तथा जनजाति क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबन्ध

इन विशेष उपबन्धों की व्यवस्था इस कारण की गई है ताकि ये पिछड़े हुए वर्ग जल्दी से अन्य भागों के समतल हो जावें। संसद तथा विधानमंडलों में इन अनुसूचित जनजातियों को (सिवाय आसाम के 'ख' भाग के) विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह उपबन्ध संविधान प्रारम्भ होने से दस वर्ष तक रहेगा।

जिन राज्यों में ऐसे क्षेत्र हैं उन्हें इनके विकासाय तथा कल्याणाय योजनाएँ बनाने को उत्साहित किया गया है। इन योजनाओं के भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने पर उन्हें वार्यान्वित करने का पूरा सर्व भारत सरकार

सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों समाप्ता जावे, इनका निश्चय करेगा। स्वयंसेवक राज्यों के बारे में वह इनके राज्यपाल से परामर्श करके इनका निश्चय करेगा। १० अगस्त १९५० को राष्ट्रपति ने एक आदेश द्वारा आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला तथा पूर्वी बंगाल राज्यसंघ, हैदराबाद, त्रावनकोर-कोचीन, राजस्थान तथा नीराष्ट्र में कौन-कौन अनुसूचित जातियाँ हैं इसकी घोषणा की। राष्ट्रपति द्वारा इन प्रकार निर्मित सूची में संसद् को परिवर्तन करने का अधिकार है।

लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिये स्थान उनकी जनसंख्या के आधार पर रक्षित रहेंगे। इसी प्रकार राज्यों की विधान सभाओं में भी उनके लिये स्थान सुरक्षित रखे गए हैं परन्तु यह व्यवस्था संविधान प्रारम्भ होने के दस वर्ष बाद समाप्त हो जावेगी। मध्य तथा राज्य की नौकरियों में भी नियुक्तियाँ करने में इन जातियों के सदस्यों के दावे का ध्यान रखा जावेगा। सितम्बर १९५० में इनके लिये केन्द्रीय नौकरियों में सुरक्षित स्थानों की संख्या निर्दिष्ट कर दी गई है।

राष्ट्रपति अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिये एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त करेगा। इसका काम संविधान द्वारा इन वर्गों के लिये जो विशेष व्यवस्था की गई है उससे सम्बद्ध बातों की जाँच करना तथा राष्ट्रपति को उसके बारे में रिपोर्ट देना होगा। राष्ट्रपति इसकी रिपोर्ट को संसद् के दोनो सदनों के समक्ष रखवाएगा। यह पदाधिकारी आंग्ल-भारतीय समुदाय तथा पिछड़े वर्गों के विषय में जाँच करेगा। इन उपबन्ध के अनुसार नवम्बर १८, १९५० को राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिये एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई। इसके अधीन ६ सहायक कमिश्नर हैं। इनमें से प्रत्येक एक-एक क्षेत्र विशेष के लिये कार्य करता है। कमिश्नर द्वारा अभी तक राष्ट्रपति को चार रिपोर्टें दी जा चुकी हैं।

राष्ट्रपति संविधान लागू होने के दस वर्ष पश्चात् एक आयोग की नियुक्ति करेगा जो कि अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के शान्त के सम्बन्ध में उसको रिपोर्ट देगा। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति इस काल के पूर्व भी कर सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति साम्प्रतिक तथा भविष्य की दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की दशा की जाँच करने के लिये भी एक आयोग स्थापित कर सकता है। इन आयोग की रिपोर्टें संसद् के सम्मुख रखी जावेगी।

आंग्ल भारतीय समुदाय :— अगर राष्ट्रपति यह सोचे कि लोकसभा में इस समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है तो वह इसके अधिक से

अधिक दो सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वह इस समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व न होने पर विधान सभा में जितने उचित समझें उतने इस समुदाय से सदस्य मनोनीत कर सकता है। यह विशेष व्यवस्था संविधान प्रारम्भ होने के १० वर्षों के पश्चात् लागू नहीं रहेगी।

अंग्रेजी सरकार के अधीन आंग्ल-भारतीयों के लिये कुछ सरकारी सेवाओं में बहुत अधिक स्थान थे जैसे रेलवे, कस्टमस, डाक तार विभाग। इस समुदाय के अधिकतर सदस्य अपनी आजीविका के लिए सरकारी नौकरी करते आए हैं। इसलिए यह उचित समझा गया है कि नये संविधान के लागू होने पर एकदम इनकी स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना चाहिये। इस लिये संविधान द्वारा यह उपबन्ध किया गया कि इसके प्रारम्भ के पश्चात् प्रथम दो वर्षों में मध्य की रेल, कस्टमस, डाक तार सम्बन्धी सेवाओं में उस समुदाय के लोगों की नियुक्तियाँ उसी आधार पर की जावेंगी जिस आधार पर १५ अगस्त १९४७ ई० से पूर्व की जाती थी। संविधान लागू होने के प्रत्येक दो वर्ष की समाप्ति पर समुदाय के लिए रक्षित स्थानों में इन प्रतिशत कमी की जावेगी। तथा १० वर्ष की समाप्ति पर इन प्रकार के रक्षणों का अन्त ही जावेगा।

आंग्ल-भारतीय समुदाय के शिक्षण के लिये विशेष अनुदानों का प्रबन्ध किया गया है। संविधान लागू होने के बाद तीन वर्ष तक इनका शिक्षण-संस्थाओं को विभिन्न राज्यों में वही अनुदान मिलते रहेंगे जैसे कि ३१ मार्च १९४८ ई० को अन्त होने वाले वित्तीय वर्ष में दिए गए थे। इस काल पश्चात् प्रति तीन वर्षों की समाप्ति पर इन अनुदानों में १० प्रतिशत कमी की जावेगी। परन्तु संविधान प्रारम्भ होने से १० वर्ष की समाप्ति पर ऐसी रियायतों का अन्त ही जावेगा। परन्तु किसी आंग्ल-भारतीय शिक्षण संस्था को इन प्रकार के विशेष अनुदान तब तक नहीं दिए जायेंगे जब तक इसमें कम से कम ४० प्रतिशत आंग्ल-भारतीयों के अतिरिक्त अन्य वर्गों के विद्यार्थी प्रति वर्ष प्रवेश न पायें।

पिछड़े वर्गों के लिए कमीशन -- राज्य की नीति में निदेशक तत्व वाले भाग में यह उपबन्ध है कि राज्य जनसंख्या के पिछड़े वर्गों की उन्नति-अधिकारों या मासृतिक-की ओर विशेष ध्यान देगा। इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान की ३४० धारा में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत-राज्य क्षेत्र के अन्दर सामाजिक तथा शिक्षा की दृष्टि में पिछड़े हुए वर्गों की दशा की जांच करवाने के लिये एक कमीशन की नियुक्ति करेगा। यह कमीशन इस बात की

निकारित करने कि उन्नति के हेतु नए तथा राज्य सरकारों को बना करना चाहिये। तथा इन उद्देश्य में उनकी क्या अनुदान (Grants) देना चाहिये। दिसम्बर १९५२ में गृह-मन्त्री ने लखनऊ में यह घोषणा की कि नीचे ही इन कमीशन की नियुक्ति की जायेगी। जनवरी १९५३ में राष्ट्रपति ने अपने आदेश द्वारा इन कमीशन को नियुक्त किया। इसके निम्नलिखित सदस्य थे :

- (१) श्री बाबा साहेब कालेलकर (उपनिधि)
- (२) श्री एन० एन० कजरीलकर
- (३) श्री भीका नाई
- (४) श्री सिवदास सिंह बोरसिया
- (५) श्री राजेंद्र प्रसेल
- (६) श्री अब्दुल क़य्यूम खन्ना
- (७) श्री लाला जगन्नाथ
- (८) श्री नरेष्वा
- (९) श्री अरनांगम् दे

इन कमीशन के निम्नोक्त कर्तव्य थे :—

(अ) इन बात का निर्णय करना कि कितन आधार (criterion) पर कितने वर्ग विशेष धनदा जनसंख्या के नाप को पिछड़ा वर्ग कहा जा सकता है।

(ब) सम्पूर्ण भारत के लिए ऐसे वर्गों की तालिका प्रस्तुत करना।

(स) इनको दत्ता तथा शक्तिदाओं की जाँच करना तथा इस बात को सिफारिश करना कि संघ सरकार तथा राज्य सरकारों को इनकी दत्ता में सुधार करने के लिए क्या करना चाहिए।

इन मायोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को ३१ मार्च, १९५५ को दी। सरकार ने इस रिपोर्ट के आधार पर पिछड़े वर्गों के हित में कुछ महत्वपूर्ण पग उठाए हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक-एक केन्द्रीय परामर्शदात्री बोर्ड का निर्माण किया गया है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी इसी प्रकार के एक बोर्ड की स्थापना का विचार है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कमीशन के सिफारिशों को पूरा करने के लिए अनेक योजनाएँ हैं।

प्रश्न

(१) अनुसूचित क्षेत्रों में क्या तात्पर्य है ? आनाम के प्रतिरिचय अन्य अनुसूचित क्षेत्रों का कितन प्रकार निरचय किया जायेगा तथा वहाँ की क्या दायित्व व्यवस्था होगी ?

- (२) आसाम के अनुसूचित क्षेत्रों के लिये संविधान में क्या विशेष व्यवस्था है।
- (३) आंग्ल-भारतीय समुदाय के हितों को किस प्रकार सुरक्षित रखा गया ?
- (४) पिछड़े वर्गों के कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।

अध्याय १८

राजभाषा

स्वतन्त्रता के पूर्व भारत की राजभाषा अंग्रेजी थी। क्योंकि उस समय हमारे शासक अंग्रेज थे और यह स्वाभाविक था कि विदेशी शासक अपनी ही भाषा को सरकारी-भाषा भी बनावे। नये संविधान द्वारा देवनागरी लिपि में हिन्दी राजभाषा बना दी गई है। परन्तु अंकों का रूप अन्तर्राष्ट्रीय ही होगा। यह इसलिए किया गया क्योंकि दक्षिण भारत के प्रतिनिधियों का कहना था कि यही अंक माने जाय। हिन्दी भाषा का प्रचार करना तथा उनका विकास करना संघ का कर्तव्य बना दिया गया है।

परन्तु एकदम से हिन्दी को सब कामों के लिये व्यवहृत कर देना उचित नहीं था। क्योंकि बहुत काल से सब काम अंग्रेजी में ही होता आया है। बहुत से लोगों को हिन्दी का ज्ञान नहीं है या अल्पतः स्वल्प है। तीसरे हिन्दी अभी अंग्रेजी के बराबर उन्नत भाषा नहीं है। इन सब कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए संविधान में यह उपबन्ध है कि १५ वर्ष के लिये संघ की सरकारी भाषा अंग्रेजी भाषा ही रहेगी। परन्तु राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उक्त काल के पन्दर ही मासों द्वारा संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिये अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिन्दी भाषा का तथा देव नागरी अंकों का प्रयोग अधिकृत कर दे। इसके साथ ही साथ यह भी उपबन्ध है कि १५ वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर भी संसद् विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सरकारी प्रयोजनों के लिये अधिकृत कर सकती है। संसद् अन्तर्राष्ट्रीय अंकों के स्थान में देवनागरी अंकों का प्रयोग विधि द्वारा १५ वर्ष की कालावधि समाप्त होने पर करवा सकती है।

हिन्दी भाषा के लिए आयोग :—संविधान के प्रारम्भ के ५ वर्ष पश्चात् तथा फिर इसके १० वर्ष बाद, राष्ट्रपति आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा। इसमें एक सभापति तथा निम्नलिखित भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्य होंगे : अत्तमिना, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, काश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगू, पंजाबी, मलयालम, मराठी तथा हिन्दी।

इस आयोग का काम यह होगा कि राष्ट्रपति को सरकारी कामों में हिन्दी भाषा के उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के सरकारी कामों के लिये अंग्रेजी भाषा के प्रयोग से, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा के, तथा अन्य ऐसी विषयों के जो राष्ट्रपति इसका साँपे, बारे में सिफारिश करे। इस आयोग का सिफारिशों एक समिति के स्वरूप में रखी जावेगी। इस समिति में २० सदस्य लोकसभा में तथा १० राज्यपरिषद् से चुने जावेंगे। इस समिति का काम भाषा आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना होगा। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् आदेश निकालेगा।

७ जून, १९५० को भारत सरकार द्वारा हिन्दी कमीशन की स्थापना की घोषणा की गई थी। यह कमीशन श्री वी० जी० खेर की अध्यक्षता में बना था। उनके अतिरिक्त इसमें २० सदस्य थे। हिन्दी के प्रयोग के विषय में अपनी सिफारिश करते हुए कमीशन का देश की औद्योगिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक प्रगति और सांवेजनिक सेवाओं में अहिन्दी क्षेत्रों के निवासियों की उचित भाषा तथा हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें देती थी। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने यह निश्चय किया कि अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को राजभाषा के रूप में व्यवहृत करने में जल्द धन देना चाहिये।

प्रादेशिक भाषाएँ — कोई राज्य अपने में सरकारी कामों के लिये उक्त राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से एक या अधिक को या हिन्दी को विधि द्वारा अंगीकार कर सकता है। परन्तु जब तक इस बारे में कोई विधि का निर्माण नहीं किया जाता है तब तक सरकारी कामों के लिये अंग्रेजी प्रयुक्त होगी।

राज्यों के बीच में तथा उनके और संघ के बीच में संचार के लिये राजभाषा अंग्रेजी ही रखी गई है। परन्तु दो अधिक राज्य आपस में करार द्वारा हिन्दी का प्रयोग कर सकते हैं।

घरर किसी राज्य के अन्दर जनसंख्या की पर्याप्त मात्रा यह चाहती है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा राज्य द्वारा मान ली जावे तो राष्ट्रपति आदेश दे सकता है कि वह भाषा राज्य के अन्दर में उक्त किसी भाषा में सरकारी कामों के लिये मान ली जावेगी।

➤ **उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा**

जब तक नसद विधि द्वारा प्रवृत्त न करे उच्चतम न्यायालय तथा उच्च-न्यायालय में सब कार्यवाहियाँ अंग्रेजी में होंगी। इसके अतिरिक्त नसद में

या किसी विधान-मंडल में पेश किये जाने वाले सब बिल, या उनके संशोधन, या सुमद् अथवा विधान-मंडलों द्वारा पान कोई अधिनियम, या कोई अध्यादेश, या कोई नियम इत्यादि के प्राधिकृत पाठ (authoritative texts) अंग्रेजी में होंगे।

राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति में हिन्दी या अन्य किसी भाषा को जो राज्य के अन्दर सरकारी काम के लिये प्रयुक्त (authorise) कर सकता है। परन्तु उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय, आदेश आदि अंग्रेजी में दिये जायेंगे।

अगर किसी राज्य में बिल, ऐक्ट या अध्यादेश आदि के लिये अंग्रेजी के अतिरिक्त कोई अन्य भाषा प्रयोग की जाती है तो वहाँ यह आवश्यक होगा कि राजकीय सूचना-पत्र में इन सब का अंग्रेजी अनुवाद छपा जाय।

इन उपदण्डों का संशोधन — इस विषय में संविधान में यह कहा गया है कि — ~~राज्यपाल~~ के अन्तर्ह वर्ष बाद तक कोई संशोधन नहीं पेश किया जायेगा। राष्ट्रपति या समिति की राय ले लेगा।

राष्ट्रीय जागृति

जब १७ वीं शताब्दी के आरम्भ में अंग्रेज व्यापारी भारत में आए, तब यह निर्मा ने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन देशी व्यापारियों की सन्तान भारत में शासन करेगी। परन्तु अठारहवीं शताब्दी के मध्य में भारत में अंग्रेजों का व्यापारिक न भूमि विजय प्रारम्भ कर दी तथा १९ वीं शताब्दी के आरम्भ में वे सर्वोत्तम हुए। जो आटे में भारतीय राज्य उनका अधीन नहीं हुआ। वे भी धीरे-धीरे उनके अधीन होने लगे थे। क्योंकि भारत में कोई भी राज्य इतना शक्तिशाली नहीं बचा था जो कि अंग्रेजों की शक्ति का पराजित कर सकना अंग्रेजों की सफलता का सबसे मुख्य कारण यह भी था कि भारत में शक्ति का नितान्त अभाव था। भारतीय नरेश आपसी वैमनस्य के कारण निर्मल हो गए थे। इसमें अतिरिक्त, यह बात भी नहीं भूलना चाहिये कि अंग्रेजों की युद्ध कला भी हमसे उच्च काटि की थी। वेबल भारत में ही नहीं परन्तु अन्वेषणियाई देशों में भी जहाँ वहाँ यूरोपीय पहुँचे, जैसा चीन, वे अपनी उच्च युद्धकला के कारण सफल रहे। उनके अस्त्र-शस्त्र भी उच्च काटि के थे। भारत में अंग्रेजों की विजय का फल यह हुआ कि न केवल उन्होंने हमारे देश का जीता ही परन्तु हमारा उन्हीं के दासता में जकड़ लिया।

अंग्रेजों की शक्ति का अर्थ तथा भारतवासियों को अस्मत्त्व समझने से उनके प्रत्येक भारतीय वस्तु के लिए निर्गदर था। उनकी आघातित सफलता के कारण भारतीय भी उनसे इतना अधिक प्रभावित हुए कि प्रत्येक यूरोपीय वस्तु के लिए उनके हृदय में महान् आदर की भावना घर कर गई। उनका फल यह हुआ कि भारतीय सम्यता के प्रति उनके हृदय में निर्गदर भर गया और उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता का अस्वाभाव्य अनुकरण आरम्भ किया। भारतीयों के मन में भारतीय सम्यता तथा समृद्धि के प्रति विरक्ति हो गई। ईसाई पादरियों ने ईसाई धर्म के प्रचार के साथ-साथ भारतीयों के धर्म-विश्वासों के ऊपर भी आक्रमण किया। इनके अनुसार भारतीय-धर्म केवल अंध विश्वास मात्र थे। ईश्वर तक पहुँचने का ठीक रास्ता केवल ईसाई धर्म था। इस प्रकार हम वाद में विदेशियों ने न केवल हमारे देश का ही

जीता परन्तु उनका प्रयास हमारे मन को भी जीतने का था और इसमें भी वे काफी मात्रा तक सफल हुए थे।

परन्तु इस समय भारत में कुछ धार्मिक आन्दोलन प्रारम्भ हुए। इनका विस्तारपूर्वक वर्णन आगे किया जावेगा। इन धार्मिक आन्दोलनों ने हमारी सुप्तप्राय चेतना को पुन जगाया। बंगाल में राजा राममोहन राय (१७७२-१८३३) ने ब्रह्म समाज आन्दोलन चलाया। इसके विषय में श्रीमती ऐनी बेसेन्ट ने लिखा है कि इसने बंगाल को, जो कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने सत्ता-शून्य कर दिया था, फिर से चतन्व्य किया। उत्तर-पश्चिमी भारत में स्वामी दयानन्द मरस्वती (१८२४-१८८३) ने आर्य समाज आन्दोलन चलाया। स्वामी जी ने कहा कि हिन्दुओं का प्राचीन वैदिक धर्म सब धर्मों से ऊँचा है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश में ग्रन्थ धर्मों की आलोचना की तथा यह दिखलाने का प्रयास किया है कि हिन्दू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। स्वामी जी का आन्दोलन यद्यपि मुख्यतः धार्मिक था, परन्तु इसके साथ-साथ यह राष्ट्रीय भी था। इसने भारत की राजनैतिक जागृति में महत्वपूर्ण काम किया। श्री रामकृष्ण परमहंस (१८३४-१८८६) तथा उनके शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने भी भारतीयों को जगाने में महत्वपूर्ण काम किया। इन दोनों धार्मिक नेताओं ने भारतीयों को यह ज्ञान दिया कि भारत आध्यात्मिकता की दृष्टि से ससार में सबसे बड़ा-चड़ा है। यह सच्चे धर्म का घर है। धर्मोत्थोर्ककल समाज ने जिसका प्रारम्भ सन् १८८२ में मद्रास में हुआ, भारत को जगाने में काफी काम किया। श्रीमती ऐनी बेसेन्ट ने जो कि १८५३ ई० में भारत आयी, इस आन्दोलन में भाग लिया तथा अपने मृत्युपर्यन्त वे इसके लिए पूर्णरूपेण प्रयत्नशील रही। इन सब धार्मिक आन्दोलनों का प्रभाव यह हुआ कि भारत में एक नवीन जागृति प्रारम्भ हुई। यहाँ के निवासियों में धारम-विश्वास तथा आत्म-गौरव के भाव जगे। यह भावना कि हम यूरोपीय सभ्यता के सम्मुख बिलकुल ही गिरे हुए हैं, दूर हुई। तथा इनके साथ साथ सामाजिक कुरीतियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित हुआ और यह बात समस्त में भागे लगी कि बिना इन सामाजिक बुराइयों को दूर किए हुए हमारा उत्थान सम्भव नहीं है। यद्यपि ये सब

1. इसके विषय में लेखक ने लिखा है कि It was "at once a religious and national revival. It sought to bring new life to India and the Hindu race." Hans Kohn, History of Nationalism in the East. p 62.

ग्रान्दान्दलन मुख्यत धार्मिक थे परन्तु गाय-भाष इन्हान हमारे अन्दर राष्ट्रीयता का भी संचार किया । अतएव हमारे राजनैतिक जागृति के इतिहास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है ।

इसी समय यूरोप में कई विद्वानों ने प्राचीन भारतीय सभ्यता तथा सस्कृति के ऊपर शोध-कार्य किया तथा अपनी खोजों के फलस्वरूप उन्होंने भारत के महान अतीत को सवा के सामने रखा । उनके अनुसार भारत की सम्पत्ता, साहित्य तथा दर्शन सब बहुत ही उच्च कोटि के थे । इन पाश्चात्य विद्वानों में मुख्य मैकममूलर विलियम्स, रीय बर्नाफ आदि थे । भारतीयों के ऊपर इनकी पुस्तका का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा । अपने अतीत शौरव के प्रति हमारे मन में सम्मान की भावना जगी । हमें यह लगने लगा कि हमारी सभ्यता के सम्मुख यूरोपीय सभ्यता कुछ भी नहीं है ।

धर्म ने राष्ट्रीयता के विकास में केवल भारत में ही नहीं परन्तु कई अन्य देशों में भी महत्वपूर्ण भाग लिया है । उदाहरणार्थ, दक्षिण-पूर्वी योरोप में भी राष्ट्रीयता की जागृति में धर्म का बहुत बड़ा हाथ रहा है । ऊपर के मक्षिप्त वर्णन से यह स्पष्ट होगा कि भारत में 'धर्म ने राष्ट्रीयता को प्रेरणा दी ।'

भारत में राष्ट्रीय-चेतना के जागृत होने में धार्मिक-आन्दोलनों के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य कारण हैं —

• **अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव** — भारतवर्ष में शासनतंत्र चलाने के लिए उच्च अफसर तो अंग्रेज होते थे परन्तु निम्नकोटि के सरकारी कर्मचारी भारतीय ही हो सकते थे । इसलिए हमारे विदेशी शासकों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की स्थापना की ताकि उन्हें कर्क मिल सकें । परन्तु इस शिक्षा का प्रभाव अत्यन्त महत्वपूर्ण हुआ । एक तो यह कि इससे भारतवर्ष में एक कोने से लेकर दूसरे कोने में शिक्षित समुदाय में भाषा की एकता स्थापित हो गई । इसके फलस्वरूप जो विभिन्न भाग के निवासियों में भाषा की विभिन्नता के कारण विचारों के आदान-प्रदान में व्यवधान था, वह दूर हो गया । दूसरे, अंग्रेजी भाषा के द्वारा भारतीयों का पाश्चात्य-विचारों से परिचय हुआ । उस समय योरोप में राष्ट्रीयता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, उदारवाद आदि जोरों पर थे । भारतीयों का भा इन विचारों से परिचय हुआ । विद्वान तथा दार्शनिक जैसे मिल स्पेन्सर, ह्यूमो आदि के विचारों ने भारतीयों को प्रभावित किया । इस प्रकार हमारे देवधामियों की प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों का ज्ञान मिला ।¹

1. "Mr Herbert Spencer's individualism and Lord Morley's liberalism are as it were, the only battery of guns which India

बहुत से भारतीय शिक्षा या धर्म उद्देश्यों ने इगलैंड गये। वहाँ उन्होंने देखा कि स्वतन्त्र-देश के नागरिक किस प्रकार अपने अधिकारों का उपभोग करते हैं। वहाँ उन्होंने यह अनुभव किया कि बिना स्वतन्त्रता के व्यक्तित्व का विकास सम्भव नहीं है। वहाँ जाकर उन्हें यह ज्ञात हुआ कि बिना स्वराज्य के जीवन का उपभोग नहीं हो सकता है। ये भारतीय जब विदेश में वापिस आए तो वहाँ के परमन्त्र वातावरण में उनकी मान प्रष्टने लगी। अतएव उनमें अन्तर्गत स्वाभाविक या।

मैकौले ने जो कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए उत्तरदायी था, यह पहले ही देख लिया था कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव भारत में राजनैतिक अधिकार को माँग करेगा।

देश में एकता की स्थापना — यद्यपि यह नितान्त नव्य है कि नाट्यतिक दृष्टि में भारत प्राचीनकाल तथा मध्यकाल में एक था तथापि यह भी उतना ही सत्य है कि राजनैतिक दृष्टि में भारत की एकता सर्वदा अस्थिर रही। अशोक, समुद्रगुप्त या बाद की अक्षर या औरंगजेब ने भारत के एक बड़े भाग पर अपनी प्रभुत्व स्थापित किया था परन्तु यह स्थायी नहीं हो सका। परन्तु अंग्रेजों के भारत विजय के फलस्वरूप सम्पूर्ण भारत राजनैतिक दृष्टि में एक इकाई हो गया। इन प्रकार भारत में पहली बार स्थायी रूप से राजनैतिक एकता स्थापित हुई। इस राजनैतिक एकता का फल यह हुआ कि स्थानीय भक्ति का स्थान सम्पूर्ण देश के प्रति भक्ति ने ले लिया। यह एकता की भावना, हम लिख चुके हैं कि अंग्रेजी शिक्षा के फलस्वरूप दृढ़ हुई। इनके अतिरिक्त अंग्रेजों ने समस्त देश में रेल तथा सड़कों का जाल-बिछा दिया। यातायात के साधनों के सुविधा के कारण देश के एक भाग से दूसरे भाग में जाना सरल हो गया। अतएव यह स्वाभाविक था कि देश के विभिन्न भाग एक दूसरे के अधिक सम्पर्क में आए और इसमें एकता की भावना और अधिक दृढ़ हो गई। अंग्रेज-शासकों ने भारत में यातायात के साधनों में उन्नति, धार्मिक-शोषण तथा सैनिक दृष्टि में की थी। परन्तु परोक्ष में उतसे यह लाभ हुआ कि एकता की भावना संगठित हो गई।

आर्थिक कारण — बहुधा यह प्रश्न पूछा जाता है कि अंग्रेजों का समग्र पार ने भारत में क्यों आए ? इसका कारण कुछ विदेशियों ने शोख की प्रवृत्ति बनाया है तथा किन्हीं ने विजय की इच्छा। परन्तु सार्थक कारण यह है कि

अंग्रेज भारत में व्यापार करने आये। परन्तु जब इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति हुई उसके पश्चात् उत्पादन व्यवस्था में आमूल-परिवर्तन हो गया। इंग्लैण्ड में कारखाना को बच्च माल की अधिकाधिक आवश्यकता होने लगी तथा अगने आवश्यकता यह थी कि इन कारखाना में बना हुआ सामान बेचा जाय। न क बने हुए माल के सामने छोटे छोटे गृह उद्योगों द्वारा बनाया हुआ माल अधिक महंगा होगा। इसलिए जब भारत में अंग्रेजी माल आने लगा और विदेशी सामानों ने हमारे ऊपर कोई चुंगी नहीं लगाई ना इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि भारत में उद्योग घटने लगे और वेकारी बढ़ी तथा अधिकाधिक लोग और कोई माध्यम न होने के कारण गरीबी की आरंभ हुई। अंग्रेजों की आर्थिक नीति यह थी कि भारत का आर्थिक-आपण इंग्लैण्ड के पूँजीपतियों के हित में हो। उन्हें भारत की परवाह नहीं थी। भारत की अवस्था का अनुमान इसमें लगाया जा सकता है कि मन् १९३४ में लॉर्ड वेण्टर ने लिखा *The misery hardly finds a parallel in the history of commerce The bones of cotton weavers are bleaching the plains of India*

अंग्रेजी काल में खेतों की बाई उन्नति नहीं हुई। इसका कारण यह था कि भूमि के सम्बन्ध में अंग्रेजी सरकार कोई प्रगतिशील नीति नहीं अपनाती थी। जमींदारी प्रथा के कारण बहुत से लोग भूमिहीन हो गये थे। येज दश में बड़े उद्योग-धंधों के स्थापित करने के लिए भी तैयार नहीं थे। १७७० ई० में दश में भयानक अकाल पड़ा। परन्तु सरकार ने इससे उत्पन्न कठिनाइयों का दूर करने की कोई विशेष चिन्ता नहीं की। इसी समय द्वितीय प्रफमान युद्ध में भारत का करोड़ों रुपया खर्च किया गया। सन् १८८० में सर विलियम हण्टर ने कहा कि भारत में ४ करोड़ व्यक्ति केवल एक समय खाते हैं। तीसरी शताब्दी के प्रारम्भ में एक अंग्रेज अफसर के अनुसार भारत में ७ करोड़ व्यक्ति भरपेट खाना नहीं पाते थे।

सरकारी नौकरियों में सब उच्च पदा पर अंग्रेज आसिन थे। भारतीयों को केवल निम्न कार्टि की नौकरियाँ से ही सतोप करना पड़ता था। यद्यपि सन् १८३३ में यह कह दिया गया था कि नौकरियों में भेद भाव नहीं किया जायगा। तथापि यह भेद भाव बना रहा। शिक्षित भारतीयों में इस कारण शोभ होना स्वाभाविक था।^१ सन् १८५८ की महारानी विक्टोरिया

१. शिक्षित भारतीयों की सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के शब्दों में यह भावना हो गई थी कि "They are the helots of the land, the hewers of wood and the drawers of water . . ."

की घोषणा में भी यह प्राप्तासन था कि नौकरियों में योग्यता के अनुसार नियुक्ति होगी परन्तु कार्यरूप में यह सिद्धान्त कभी भी पूरी तरह लागू नहीं हुआ ।

इण्डियन सिविल सर्विस परीक्षा में सन् १८६९ में श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का नाम हटाया गया किन्तु वे नौकरी में नहीं लिए गये । इससे बंगाल में बहुत असंतोष हुआ बाद को सरकार ने उनको सन् १८७१ में नौकरी में ले लिया किन्तु दो वर्ष बाद वे नौकरी से हटा दिये गये । श्री बनर्जी ने विलायत जाकर बैरिस्टरी पाम की । भारत लौटने पर उन्होंने सन् १८७६ में 'इण्डियन एसोसियेशन' नामक मन्था की स्थापना की । जब आई० सी० एस० में उम्र २१ से घटाकर १९ कर दी गई तो भारतीयों के लिये इसमें बैठना असम्भव हो गया । भारत में अत्यन्त आशङ्कित हुआ । इण्डियन एसोसियेशन ने देश में इस कार्य के विरुद्ध जन-मत संगठित किया । कलकत्ते में २४ मार्च सन् १८७७ को एक बृहत् सभा हुई । इसके पश्चात् कई अन्य नगरों में भी सभाएँ हुईं, जैसे लाहौर, प्रमृतनगर, मेरठ, इलाहाबाद, अहमदाबाद, सूरत, बम्बई, मद्रास आदि । इन सभाओं से देश में राजनैतिक चेतना बड़ी तथा भारतीयों ने संगठन का महत्व समझा ।

समाचार-पत्र.—राष्ट्रीयता के विकास में भारतीय समाचार-पत्रों का भी बड़ा हाथ रहा है । देश की दुर्दशा की ओर इन्होंने जनता-ध्यान आकर्षित किया, ब्रिटिश नीति के दुष्परिणामों से इन्होंने लोगों को अवगत कराया तथा इनके कारण देश में ब्रिटिश विरोधी जनमत संगठित हुआ । भारत में जो समाचार-पत्र अँग्रेजों के घेरे के सरकारी नीति के समर्थक थे । भारतीय पत्र सरकारी नीति के आलोचक थे । इसलिये समय-समय पर ब्रिटिश सरकार ने इनकी स्वतन्त्रता पर कई नियम बनाकर कुठराघात किया । परन्तु इसमें सरकार को लाभ कम हुआ और हानि अधिक, क्योंकि भारतीय जनमत इन कारणों से अधिक-अधिक अँग्रेजों का विरोधी होता चला गया ।

साहित्य :—भारतीय भाषाओं में जो साहित्य का सृजन हुआ उसने भी राष्ट्रीयता के विकास में सहायता दी । कुछ सीमा तक यह राष्ट्रीय भावना का फल यह था और कुछ सीमा तक राष्ट्रीय भावना इसकी फल थी । बंगाल में इस समय जिस साहित्य की सृष्टि हुई उसने जनता में नए चेतना का संचार किया । किन्तु बाबू के उपन्यासों में सर्वत्र स्वतन्त्रता की महिमा गाई गई है । बन्धुमातरम् नामा उनके उपन्यास धानन्दमठ से लिया गया है । हिन्दी में भी इस समय राष्ट्रीयता के विचार लेखों आदि द्वारा प्रकट किए जा रहे थे ।

अंगरेजों का भारतीयों के प्रति घृणा — भारत में सन् १८५७ से पूर्व अंगरेजों का व्यवहार भारतीयों के प्रति अच्छा था वे भारतीयों के साथ मिलकर रहते थे। कई अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ विवाह किया। परन्तु १८५७ के विद्रोह पश्चात् यह अवस्था न रही। अंग्रेज भारतीयों को सदेह की दृष्टि से बने लग गये। उनका व्यवहार इतना अधिक बुरा हो गया था कि वे भारतीयों को मनुष्य ही न समझते थे। वे अलग रहते थे। भारतीयों से उनका कोई सम्पर्क नहीं था और न वे उनसे सम्पर्क स्थापित ही करना चाहते थे। वे भारतीयों को खबर तथा जगली समझते थे।

इस समय अंग्रेजों का जो व्यवहार भारतीयों के प्रति था वह इतना बुरा तथा घृणित था कि किसी भी सम्यक् समाज को उसके ऊपर लज्जा होनी चाहिए। अंग्रेजों के लिए भारतीयों की हत्या करना साधारण बात हो गई थी। ऐसे कई उदाहरण हैं। इन सब घपराधों के लिए उन्हें या तो कोई सजा नहीं मिलती थी या बहुत साधारण सी सजा मिलती थी। सन् १८९० में भारतीय सिविल सर्विस के एक अंग्रेज सदस्य ने लिखा था कि, "It is an ugly fact which it is no use to disguise that the murder of the natives by Englishmen is no infrequent occurrence" इस काल में अंग्रेजों का आचरण तीन विद्वान्तों पर आचार्य है।

(१) यूरोपियन का जीवन कई भारतीयों के जीवन से अधिक मूल्यवान् था।

(२) भारतीय बल भय समझता है, और कुछ नहीं।

(३) अंग्रेजों का काम भारत में आकर आनन्द करना है न कि वहाँ के निवासियों का हित-साधन।^१

अंग्रेजों के व्यवहार के कारण भारतीयों में भी उनके प्रति घृणा असन्तोष तथा क्षोभ की भावना जागृत हुई।

लार्ड लिटन का शासन — लार्ड लिटन ने अपने वाइसरॉय काल में कई ऐसे काम किए जिससे भारत में अमन्तोष और बढ़ा। विशेष में वे निम्न-
 १. १८७७ में दिल्ली में दरबार किया जब लाखों

१. Gairat—An Indian Commentary, pp 116-117

भारतीय भूत ने कड़प-कड़प कर मर रहे थे । परन्तु इनका एक अष्टा फल यह हुआ कि देशवासियों के मन में भी अखिल भारतीय कांग्रेस स्थापित करने का विचार पैदा हुआ ।

उनने द्वितीय अफगान युद्ध में भारत का करोड़ों रुपया व्यय किया

उनके समय में भारतीय भाषा ने समाचार-पत्रों पर कई प्रकार की रकबा-वट्टें लगाईं । इन ऐक्ट को नाघारणत 'बन्धन ऐक्ट' कहते हैं ।

इसने इंग्लैंड के कपड़ों की मिलों के लाज के लिए भारत में कर्ई के निर्यात पर से कर उठा लिया ।

उमने एक आम्स ऐक्ट पाम करवाया । इसके द्वारा कोई भी भारतीय बिना लाइसेन्स के हथियार नहीं रख सकता था, परन्तु यह ऐक्ट अंग्रेजों पर लागू नहीं था ।

इलबर्ट-बिल :—भारतीय मजिस्ट्रेट तथा जजों को अंग्रेजों के मुकदमे करने का अधिकार नहीं था । मन् १८८७ में जद लाड रिपन ने एक बिल द्वारा यह भेद-भाव दूर करने का प्रयत्न किया तो इस बिल के विरुद्ध भारत में अंग्रेजों ने एक तूफान खड़ा कर दिया । अंग्रेजों के विरोध के कारण यह बिल रह ही गया । परन्तु इसने भारतीयों ने दो बातें सीखीं: एक तो यह कि बिना संगठित रूप से आन्दोलन किए उनकी मांगें पूरी नहीं हो सकती हैं तथा दूसरी यह कि अंग्रेजों में ग्वास की प्राप्ता करना व्यर्थ है ।

उपरोक्त कारणों से भारत में राजनैतिक चेतना दिन पर दिन बढ़ती गई । देशवासियों का आत्म-विश्वास तथा आत्म-शौर्य इस कारण और भी जाग्रत हुआ क्योंकि इस समय कुछ पूर्वीय देशों ने करघट बढ़ाई । सबसे महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि जापान ने पश्चिमी देशों की देसा-देसी अपने देश में राजनैतिक तथा आर्थिक परिवर्तन किए । इसने उसकी शक्ति अत्यन्त बढ़ी । यहाँ तक कि कुछ वर्ष पश्चात् वह रूस को युद्ध में हरा देने में सफल हुआ ।

राजनैतिक आन्दोलन का विकास :—भारत में अंग्रेजों की दुर्नीति के कारण काफी असन्तोष उत्पन्न हो गया था । इलबर्ट बिल की असफलता के कारण भारतीयों में नई जान पाई और उन्हें नै संगठितरूप में कार्य आरम्भ किया । मन् १८८२ ई० में कलकत्ते में इण्डियन एसोसियेशन की मुना हुई, इसमें समस्त बंगाल के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे । मन् १८८४ में मद्रास

में महाजन मना की एक प्रांतीय बैठक हुई। बम्बई में मन् १/८५ ६ प्रथम मास में बम्बई एसोसियेशन की स्थापना हुई। परन्तु ये सब प्रांतीय थे।

सन १८८६ में कुछ लोगोंने एक अखिल भारतीय मन् की स्थापना का विचार किया। इसमें सब से मर्य भाग श्री० ए० ओ० ह्यम ने लिया। ये भारतीय मिथिल-मंत्रिमण्डल एक अवकाश प्राप्त मर्य थे। इन्होंने इस मन् की स्थापना के पूर्व भारत के वाइसराय लार्ड डफरिन से सलाह ली थी। वाइसराय ने उन्हें इस प्रकार के मन् की स्थापना के लिए उत्साहित किया। यह निश्चित हुआ कि इस मन् का कार्य सामाजिक न होकर राजनैतिक होगा। यह सरकार का ध्यान शासन की बुराइयों की ओर आकर्षित करेगी। यह मन् हुआ कि इस मन् की प्रथम बैठक २८, २९, तथा ३० दिनम्बर को होगी। पहले यह बैठक पूना में होने वाली थी, परन्तु वहाँ हँसा फौजने के कारण यह बम्बई में हुई। इसके प्रथम सभापति श्री उमेशचन्द्र बनर्जी थे।

इस सम्मेलन में ७० प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इनमें से केवल दस मुसलमान थे। यही संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम से प्रसिद्ध हुई। जिस समय कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई करीबन उसी समय बलकृष्ण में राष्ट्रीय कांग्रेस का एक बैठक हुई। इसमें भी भारत के कई प्रांतों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुये थे। परन्तु दूसरे वर्ष से राष्ट्रीय कांग्रेस में ही मिल गई।

कांग्रेस शुरू में केवल भारतीय शिक्षित तथा मन् वर्ग की संस्था थी। प्रति वर्ष इस मन् के प्रतिनिधि एक बार एकत्रित होते थे तथा अंग्रेजी सरकार के सामने कुछ मांगें रखने के जैसे कि नीकरिया में अखिल भारतीयों की लिखा जान तथा उन्हें शासन में अधिक भाग लेने का अग्रसर हो। उस समय इनकी मांग स्वराज्य नहीं थी यह तो बाद का हुआ। कांग्रेस के जन्म के विषय में कुछ विद्वानों का यह कहना है कि श्री ह्यम ने इसकी स्थापना इस कारण की क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेजों ने विद्वत् इतना अखिल अग्रगण्य ही गया था कि यह भय था वही एक विद्रोह कर न कर पड़े। इसलिये यह प्रयत्न किया गया कि भारतीय आन्दोलन वैधानिक रूप ले। इसको 'Save the British Empire' मित्रात्त कहा जाता है। लाला लजपत राय का कांग्रेस के जन्म के बारे में यही विचार था।^१ इस विचार में मन् का एक अंश

* 1 But one thing is clear that the Congress was started more with the object of saving the British Empire from danger than with that of winning political liberty for India"—Lala Lajpat Rai, Young India, p 126

प्रवक्ष्य है। परन्तु यह पूर्णतया सत्य नहीं। कांग्रेस का जन्म जिस कारण भी हुआ हो, धीरे-धीरे यह राष्ट्रीयता के सपना में प्रमुख सत्ता ही गई तथा इसका ध्येय भारत की स्वतन्त्रता ही गया।

सन् १८८५ में कांग्रेस की पहली बैठक में इसके सभापति ने इसके प्रमुख उद्देश्य बतलाये थे —

(१) साम्राज्य के विभिन्न भागों में बसे हुए भारतवासियों के बीच सम्पर्क तथा मंत्री स्थापित करना।

(२) देश के नमस्त प्रेमियों के बीच में जाति, धर्म तथा प्रांतीयता की भावनाओं को दूर करना।

(३) मुख्य-मुख्य समस्याओं पर शिक्षित भारतीय वर्ग के विचारों का स्पष्टीकरण।

(४) आगामी वर्ष के लिए लोकनेत्री कामों को बतलाना।

इस प्रकार से सन् १९०६ तक कांग्रेस के ये ही उद्देश्य रहे। उस वर्ष प्रथम बार कांग्रेस के सभापति पद से श्री दादा भाई नौरोजी ने यह कहा था कि कांग्रेस का उद्देश्य भारत में स्वराज्य प्राप्त करना है। परन्तु स्वराज्य का अर्थ उस भाति का राज्य या जैसा कि इंग्लैंड के अन्य उपनिवेशों में स्थापित था। इन उद्देश्यों के प्रतिरिक्त कांग्रेस ने देश की बढ़ती हुई गरीबी के विरुद्ध भी आवाज उठाई, यह माँग की कि भूमि पर कर कम किया जावे। कांग्रेस ने अपने दसवें अधिवेशन में सरकार की औद्योगिक नीति के विरुद्ध भी आवाज उठाई। इसने अपने अधिवेशनों में प्रवासी भारतीयों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की भी निन्दा की। इन कामों के साथ-साथ कांग्रेस ने भारतीयों के अधिकार तथा स्वतन्त्रता के लिए भी माँगें रखी।

कांग्रेस के आन्दोलन का यह फल हुआ कि सन् १८९२ में इंडिया कोसिल ऑफ एक्ट पास हुआ। इसका उद्देश्य शिक्षित भारतीयों की कुछ माँगें पूरी कर उनके विरोध को दूर करना था। परन्तु इसमें शिक्षित वर्ग को सन्तोष नहीं हुआ।

कांग्रेस इस काल में केवल उच्च वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करती थी। इसके नेताओं का जनता के साथ सम्पर्क नहीं था। इनका अंग्रेजी सासन पर परा विश्वास था और वे अंग्रेजी सभ्यता में रह कर ही राजनैतिक अधिकार चाहते थे। परन्तु धीरे-धीरे कांग्रेस के अन्दर एक उपदल पैदा होने लगा जो

कि इस नरम-दली नीति से असन्तुष्ट था। इस उग्रदल के पैदा होने का मुख्य कारण यह था कि भारत में अग्रजी सरकार ने विरुद्ध अग्रन्तोप बढ़ता ही जा रहा था। इससे कई कारण थे। सन १८९७ में एक भीषण प्रकाल पड़ा जिसके फलस्वरूप कई लाख व्यक्ति मरे। सरकारी सहायता अग्रन्तोपजनक थी। उसी समय बम्बई में बड़े से जोरो के साथ प्लेग फैला। इसमें भी सरकारी सहायता असन्तोपजनक थी। सरकार के विरुद्ध भावना ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया था कि पूना में दो नवदुबको न दो अग्रजी अफसरों को गोली मार दी। इस घटना पर सरकार ने महाराष्ट्र के लोगों से वस कर बढ़ा लिया। श्री बाल गंगाधर तिलक को १८ महीने के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया। सरकारी नीति के फलस्वरूप अग्रन्तोप और बढ़ा। सन १८९८ में बंगाल में गुरुपुर नामक स्थान में तीन गोरा नें श्री सुरेशचन्द्र सरकार नामक एक डाक्टर का मार डाला। परन्तु इनको मृत्युदण्ड न दिया जाकर केवल ७ वर्ष के कठोर कारावास दण्ड दिया गया।

लाड कर्जन के काल में सरकार की नीति से भारत में क्रोध तथा असन्तोप बढ़ता गया इन काल में सरकार ने कई ऐसे कानून पास किए जिनको देश का जनता भाग अत्यन्त ही प्रतिश्रियावादी मनषता था। लाड कर्जन उन साम्राज्यशासियों में से था जो कि भारतवासी को अत्यन्त हीन दृष्टि से देखता था। सन् १९०५ में लाड कर्जन ने बंगाल के दो भागों में विभाजित करने की योजना अस्तुत की। यह अक्टूबर में लागू की गई। इस योजना का बंगाल में धार विराध किया गया। सारे देश में इससे विरुद्ध आवाज उठाई गई। बंगाल विभाजन का उद्देश्य राजनैतिक आन्दोलन को अशक्त करना तथा हिन्दू और मुसलमानों के बीच विराध पैदा करना था। सरकार के विरोध में देश में स्वदेशी आन्दोलन चला। यह देशवासियों ने धीन से मोक्षा जहाँ कि इस समय अमेरिकन माल बायकाट किया जा रहा था। सरकार ने दमननीति को अपनाया। सरकारी नीति के कारण कांग्रेस के अन्दर उग्र-दल शक्तिशाली होने लगा। इनके नेता तिलक, विपिन चन्द्र पाल तथा लाला लाजपत राय थे। सन् १९०५ में जब सूरत में कांग्रेस हुई वहाँ नरमदल तथा उग्रदल अलग अलग हो गए और कांग्रेस में फूट पड़ गई। कांग्रेस नरमदल के हाथ में रही, दूसरा दल इसमें से निकाल दिया गया।

इसी समय बंगाल, पंजाब तथा महाराष्ट्र में एक आतंकवादी आन्दोलन आरम्भ हुआ। इसका नाम सरकार की दमन नीति का उत्तर गोली बम से देना था। देश में कई आतंकवादी दल थे। देश के बाहर भी कुछ आतंककारी

संगठन में। इनका उद्देश्य बाहर से हथियार आदि भेजना था। सरकार ने इस आन्दोलन को कुचलने में नृशून्यता तथा बर्बरता का पूर्ण उपयोग किया। उपरदलीय कांग्रेसियों को भी सरकार ने नहीं छोड़ा। तिलक को बर्मा में बंद कर भेज दिया गया। लाला लाजपत राय को हिन्दुस्तान से निकाल दिया गया तथा विपिन चन्द्र पाल को बठौर कारावास का दण्ड दिया गया। सरकार ने कई दमनकारी कानून पास किए। उदाहरणार्थ १९०८ में Criminal Law Amendment Act तथा Newspapers Act, १९१० में Press Act, सन् १९११ में Seditious Meetings Act आदि। इन सब कानूनों का उद्देश्य आतंकवादी तथा उपवादी आन्दोलन को कुचलना था। इस दमन नीति के साथ साथ दूसरी ओर सरकार नरमदलीय कांग्रेसियों को यह भाववाचन दे रही थी कि वेह भारत में शीघ्र ही कई सुधार लागू करने वाली है। तीसरी ओर सरकार मुसलमानों को प्रोत्साहित कर रही थी कि वे अपना प्रत्येक संगठन बनावें तथा हिन्दू आन्दोलनकारियों से कोई सम्पर्क न रखें।

मुसलमानों का संगठन:—घपने शासन के आरम्भिक-काल में अंग्रेजों ने मुसलमानों की तथा उनके हितों की उपेक्षा और हिन्दुओं के ऊपर विशेष कृपा रखी। क्योंकि उस समय अंग्रेजों की नीति मुसलमानों को प्रयत्न करने की थी। मुसलमानों को सेना में या सरकारी नौकरियों में स्थान पाने का कोई अवसर नहीं था।^१ मुसलमान अधिकतर अंग्रेजी शिक्षा से वंचित थे। इसलिए वे भी समाज में पिछड़े गए।

१८ वीं शताब्दी के अन्त में मुसलमानों में कुछ-कुछ घपनी दशा का ज्ञान होने लगा। सम्यद अहमद इलही ने भारत में मुसलमानों में एक दैनिक सुधार आन्दोलन चलाया। परन्तु मुसलमानों की राजनीतिक जागृति में सबसे अधिक हाथ सर सम्यद अहमद खान (१८१७-१८९८) का रहा है। उनका विचार था कि उनके सम्प्रदाय वालों को अंग्रेजी शिक्षा की ओर अधिक से अधिक बढ़ना चाहिए। सन् १८५५ में उन्होंने प्रदीपक मोहम्मद कौलिज की स्थापना की। उनका विचार था कि मुसलमानों को अंग्रेजों के साथ मिलकर रहना चाहिये और इसी में उनका कल्याण है। इसलिए जब

1. Sir William Hunter ने लिखा, "We believed that their exclusion was necessary to our safety." Indian Muslims p. 163

सन् १८८५ में काँग्रेस को स्थापना हुई तब मैसूर अहमद ने इसका विरोध करने का बनावट के राजा गिरप्रसाद के साथ एक दूकान मगडन स्थापित किया। अंग्रेजों ने जब देखा कि काँग्रेस अधिकाधिक राष्ट्रीय तथा सरकार विरानी होनी जा रही है तो उन्होंने मगडनाना को साम्प्रदायिक-मगडन बनाने में खूब सहायता दी। सन् १९०२ में एक डिफेंस एसोसिएशन नामक मगडनाना स्थापित हुई। इनका उद्देश्य मगडनाना में राजभक्ति का प्रचार करना तथा उनका काँग्रेस में अग्रगण्य रखना था।

बीसवीं शताब्दी में मगडनाना साम्प्रदायिकता को उखाड़ने के लिये विशेष प्रयत्न किए गये। अंगरेजों के विभाजन के पीछे भी उद्देश्य यह था कि हिन्दू और मुसलमानों में वैमनस्य बढ जावे। पूर्वी बंगाल का मगडनाना गूना कहा गया। सन् १९०६ में अंगरेजों वाइसरॉय के पास एक मुस्लिम लिटमटल लेकर पहुंचे और यह प्रार्थना की कि मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व दिया जावे। इस लिटमटल के पीछे अंग्रेजों का शब्द स्पष्ट था। उनका प्रयास था कि हिन्दू तथा मुसलमानों के बीच जिन प्रकार का एक गार्ड बना दी जावे और इनमें के अन्त में सफर हूँ। वाइसरॉय ने लिटमटल को अस्वागतन दिया कि उनकी मांगों का भरिय में सुझारा के समय ध्यान रखा जावेगा।¹ इस दिन के बारे में (अक्टूबर १, १९०६) वाइसरॉय ने लिखा 'This has been a very eventful day as someone said to me an 'epoch in Indian history' "

१० दिग्भर सन् १९२६ में दाका व तथाप सलीमउल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। इनके निम्नलिखित उद्देश्य थे :

- १) भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजी सरकार के प्रति राजभक्ति बढ़ाना।
- (२) भारतीय मुसलमानों का राजनीतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करना और मांगों का सरकार के समक्ष रखना।
- (३) मुसलमान तथा अन्य सम्प्रदायों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बढ़ाना।

1 वाइसरॉय ने लिटमटल में कहा, 'You justly claim that your position should be estimated not only on your numerical strength, but in respect to the political importance of your community and the service it has rendered to the Empire'

मिण्टो-मॉर्ले सुधार तथा प्रथम महायुद्ध —सरकार ने देखा कि सब उपाय करने पर भी घमन्तोप में किन्ही प्रकार की कमी नहीं पा रही है तो उसने १९०९ में मिण्टो-मॉर्ले सुधारों की घोषणा की। इनका वर्णन हम पहले अध्याय में कर चुके हैं। इन सुधारों का उद्देश्य भारत में उदारतामयिपुत्र्य पूर्ण शासन स्थापित करना नहीं था और न उनका उद्देश्य भारतीयों के हाथ में संपादन शक्ति देना था। उनका उद्देश्य नरमदल को बस में करना तथा हिन्दू मुसलमानों के बीच खाई को गहरा करना था। इसलिये इसके द्वारा जहाँ एक ओर लेजिस्लेटिव कौन्सिलों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई वहीं दूसरी ओर साम्प्रदायिक-प्रतिनिधित्व प्रणाली को मान लिया गया। उदाहरण के लिये इस समय नेतृत्व-बिहीन था; उसके सब नेता जेलों में थे। सन् १९१० के बाद सरकार की नीति में परिवर्तन होने लगा क्योंकि योरोप में युद्ध के बाद दिन पर दिन अधिकाधिक घने होते जा रहे थे। १९११ में मंत्रिमंडल जॉर्ज पञ्चम भारत आये और बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। सन् १९१२ में नौकरियों में अधिक भारतीयों को भर्तियों के सम्बन्ध में एक रायल कमीशन नियुक्त किया गया। इस समय मुसलमानों में राजनैतिक चेतना बढ़ी। मुस्लिम लीग के अन्दर एक उपदल का जन्म हुआ। इसके नेता मौलाना मोहम्मद अली थे। सन् १९१३ में लीग ने भी स्वराज्य (Self-government) को अपना उद्देश्य बतलाया। लीग तथा कांग्रेस में इस समय काफी सहकारिता थी। परन्तु इस समय देश में अँग्रेजों के विरोध में कोई आन्दोलन नहीं हुआ।

प्रथम महायुद्ध में भारत ने इंग्लैंड की सहायता की। अँग्रेजों ने कुछ इस प्रकार के आश्वासन दिये कि युद्ध के पश्चात् भारत की स्वतन्त्रता प्रदान की जावेगी। लाखों भारतीयों ने मित्र-राष्ट्रों के लिए युद्ध में अपने प्राण दिये और करोड़ों रुपया भारत ने दिया। इस समय देश में फिर आन्दोलन आरम्भ हुआ। १९१४ में कांग्रेस के सभापति श्री भूपेन्द्रनाथ बसु ने अपने सभापति पद से कहा कि भारत के शासन में आमूल परिवर्तन होने चाहिये। ऐनी बेसेंट ने कहा कि भारत स्वतन्त्रता चाहता है। इस समय लोकमान्य तिलक जेल से छूट गये थे। सन् १९१५ में श्री गोखले तथा श्री फिरोजशाह मेहता की मृत्यु से नरमदल की आपात पहुँचा। सन् १९१६ में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस में दोनों दल मिल गए। इस अधिवेशन के बाद भारत में 'होम रूल' आन्दोलन ऐनी बेसेंट तथा तिलक के नेतृत्व में आरम्भ हुआ। सरकार ने ऐनी बेसेंट को नजरबन्द कर दिया (१९१७)। इससे देश में होम रूल आन्दोलन

और बढ़ा। परन्तु कुछ काल बाद ऐनी बेमैट रिहा कर दी गई। होम रुल आन्दोलन अधिकतर वैधानिक ही रहा।

युद्धकाल में मुसलमानों तथा कांग्रेस में सहयोग बढ़ना ही गया। जन १९१६ में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। इनके एक स्वरूप इन दोनों दलों ने सुधारों की एक मधुस्त योजना स्वीकार की। इसको साधारणतः काँग्रेस-लीग पैक्ट कहा जाता है। इस समझौते के द्वारा मुसलमानों के नेताओं ने स्वराज्य की माँग को मान लिया और हिंदुओं ने साम्प्रदायिकता निर्वाचन पद्धति को स्वीकार कर लिया।

मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों वैधानिक रूप से कार्य करने में विश्वास करती थीं। इनके अतिरिक्त भारत में आतङ्कवादियों तथा क्रांतिकारियों के दल भी थे तथा देश के बाहर भी इनके संगठन थे। इन संगठनों का जर्मनी तथा टका न जैंगरेजा का विरुद्ध उकसावा। इनके पाग ब्राह्मण से कुछ हथियार भी भेजे गये परन्तु बंगाल, पंजाब तथा उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत तीनों स्थानों में जहाँ क्रांतिकारियों ने जैंगरेजा के विरुद्ध बगावत की चेष्टा की थी वे असफल रहे। भारतीय जनता की यद्यपि इनके प्रति महानुभूति थी परन्तु भारतीय नेता इनके प्रति विरक्त थे और वे वैधानिक उपायों से अपने लक्ष्य तक पहुँचना चाहते थे।

अगस्त १९१७ में भारत मंत्री ने ब्रिटिश सरकार की भारत के प्रति नीति को एक घोषणा द्वारा स्पष्ट किया। नवम्बर १९१७ में भारत मंत्री मि० घोष्टेम्प भारत प्रायें और १९१८ में मोण्टेग्म्यू-चेम्सफोर्ड योजना से भारत में उपायों को न तोष नहीं हुआ। उन्होंने इसको निराशाजनक बताया।^१ परन्तु नरमदल वालों ने इस योजना को सन्तोषजनक बताया जो कि प्रथम उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना की ओर अग्रसर होगी। अगस्त १९१८ में कांग्रेस का बम्बई में एक अधिवेशन हुआ। परन्तु नरमदल वालों ने इसमें भाग नहीं लिया और नवम्बर १९१८ में अग्नी अलथ काफ़ेन्स को। इस प्रकार भारतीय लिबरल फ़ेडरेशन का जन्म हुआ। बाद की दिसम्बर १९२० में लिबरल पार्टी ने १९१९ के ऐक्ट के अधीन नए चुनावों में भाग भी लिया।

१ 'अ मनी ऐनी बेमैट न कहा, The scheme is ungenerous for England to offer and unworthy for India to accept'

गाँधी युग तथा जन आन्दोलन — सन् १९१९ के पश्चात् भारत में कांग्रेस का आन्दोलन केवल समाज के निम्नित तथा उच्चवर्गों तक ही सीमित नहीं रहा परन्तु यह जन आन्दोलन हो गया। इसका ध्येय महात्मा गाँधी जी हैं। गाँधी ने दक्षिणी अफ्रीका में गैरा की भारतीय-विरोधी नीति का मफलतापूर्वक विरोध किया था। उनका चरम प्रयत्न प्रमत्तयोग था और उनका नारा अहिंसा तथा सत्य था। अफ्रीका में भारतीयों की बहुत दुर्दशा थी और आज भी भारतीय वर्गों के गैरे धानकों के कारण तथा उनकी संकुचित मनोवृत्ति के फलस्वरूप नागरिक व अधिकारों से वंचित हैं। गाँधी जी ने इस नीति के विरुद्ध वहाँ जन आन्दोलन चलाया था। दक्षिणी अफ्रीका की सरकार की भारतीय विरोधी नीति के कारण भारत में बहुत प्रसन्नोप बड़ा। इस काल में अंग्रेजी के विरुद्ध जो भारत में आन्दोलन हुआ उसका एक कारण प्रवासी भारतीयों की दुर्दशा भी थी। दक्षिणी अफ्रीका से वे भारत आ गए थे क्योंकि उन्होंने यह देख लिया था कि प्रवासी भारतीयों की दशा में तब तक कोई सुधार सम्भव नहीं है जब तक भारत एक स्वतन्त्र राष्ट्र नहीं हो जाता है।

युद्ध के पश्चात् भारतीयों की भाषा के विरुद्ध अंग्रेजी सरकार ने स्वराज्य तथा स्वतन्त्रता के बदले भारत में दमनकारी नीति को अपनाया। सरकार का यह विचार था कि रूस तथा अफगानिस्तान के एजेण्ट भारतीयों को भड़का रहे हैं। इसलिए मार्च १९१९ में कुछ कानून पास किए गए जिसके द्वारा नागरिकों की स्वतन्त्रता का मूल्य कुछ नहीं रहा। इनको साधारणतः रोलट बिल (Rowlatt Bills) कहते हैं।

इन बिलों के विरुद्ध देश-व्यापी आन्दोलन हुआ। इसका नेतृत्व गाँधी जी ने किया। सरकार ने दमन के द्वारा आन्दोलन को कुचलना चाहा परन्तु इनमें यह सफल न रही। गाँधी जी ने जनता से हड़ताल करने की अपील की थी। भारतीय जनता ने दमनपूर्ण रूप से भाग लिया। पंजाब में फतल खनाब होने के कारण अधिक अश्रुत्या खराब थी। इनके साथ साथ युद्धतोर बीमारियों के कारण भी जनता का कष्ट बढ़ गया था। ऐसी दशा में वहाँ प्रसन्नोप स्वाभाविक था। युद्ध में पंजाब के प्रान्त से हजारों की संख्या में नवयुवक सेना में भर्ती हुए थे। परन्तु युद्ध के बाद सरकार वहाँ के प्रति उदासीन थी। १ अप्रैल १९१९ को अमृतसर में २०,००० जनता की सभा के ऊपर फौज ने तब तक गोली चलाई जब तक कि उनकी गोलियाँ समाप्त न हो गईं। वह गोलिकाण्ड अत्यन्त नृशमनापूर्ण था। इसके फलस्वरूप

असहयोग-आन्दोलन -- गांधी जी ने देश के सम्मुख अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन का कार्यक्रम रखा। इस विषय में कांग्रेस में कई मत थे। परन्तु सितम्बर, १९२० में जलकले के विरोध अधिवेशन में बहुमत ने गांधी जी का साथ दिया। इस अधिवेशन में गांधी जी ने अपने व्याख्यान में कौमिल-प्रयोग का विरोध किया तथा मनु १९१९ के सुधारों में अलग रहने को नहीं समझा कि वे स्वराज्य की ओर नहीं ले जा रहे हैं। सितम्बर १९२० में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के विचार पूर्णतः स्वीकार किये गये। इस अधिवेशन में ही यह भी स्पष्ट रूप में स्वीकृत किया गया कि कांग्रेस का ध्येय स्वराज्य है।

इस अधिवेशन के पश्चात् देश में असहयोग आन्दोलन आरम्भ हुआ। इस आन्दोलन के कारण कई हजार व्यक्ति जेल गए, विद्यालयों ने बहुत बड़ी संख्या में स्कूल तथा बालिका छोड़ दिए, दकानों ने बकायत छोड़ दी, उपाधिवालों ने नरकारी उपाधियों को लौटा दिया। इनके साथ-साथ देश में स्वदेशी का प्रचार हुआ तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। सरकार ने पूरी शक्ति से आन्दोलन को कुचलने का प्रयास किया, परन्तु मनु १९२१ में आन्दोलन और बढ़ा। प्रिन्स ऑफ वेल्स के भारत यागमन पर कांग्रेस में उनका बहिष्कार करने को कहा। जहाँ-जहाँ सुधारक गया जनता ने हड़ताल में उनका स्वागत किया।

आन्दोलन जोरी पर था, परन्तु ४ फरवरी १९२२ को चोरी-चोर नामक एक छोटे से ग्रहण में कांग्रेस २००० के अल्प ने, २१ पुलिस-वालों को तथा एक पानेदार को घाने में ही जला दिया। इस घटना का गांधी जी पर अत्यन्त प्रभाव पड़ा और उन्होंने आन्दोलन का स्थगित कर दिया (१२ फरवरी)। अंग्रेजी सरकार ने इनके बाद ही गांधी जी को पकड़ लिया। गांधी जी के अत्याग्रह स्थगित करने के कारण उनकी लोक-प्रियता में कुछ कमी अवश्य हो गयी थी। आन्दोलन के आरम्भ में गांधी का नारा था 'एक-दुप में स्वराज्य'। लोगों ने जब इसकी प्राप्ति के लिए इतना त्याग किया और जब वे समझते थे कि नफरत सन्निकट है, गांधी जी ने आन्दोलन वापिस ले लिया। गांधी जी को ६ वर्ष के कारावास का दण्ड मिला।

1. गांधी ने स्वराज्य की परिभाषा देते हुए कहा, --It means a state such that we can maintain our separate existence without the presence of the English. If it is to be a partnership, it must be a partnership at will."

2. "We were angry when we learnt of this stoppage of our

साम्प्रदायिक दंगे —आन्दोलन स्थगित हो गया । धारा का स्थान विराधा ने ले लिया । लोग नहीं समझ पाये कि क्यों आन्दोलन आरम्भ हुआ तथा क्यों वह स्थगित किया गया । आन्दोलन स्थगित होने से हिन्दू तथा मुसलमानों के बीच पुनः मतभेद उत्पन्न होने लगा । अली वन्दु तथा श्री जिन्ना कांग्रेस से बिलकुल अलग हो गये । कुछ काल के बाद खिलाफत आन्दोलन भी बन्द हो गया क्योंकि टर्की में कमाल पाशा ने अपना शासन स्थापित कर लिया था । खलीफा के लिये वहाँ कोई स्थान नहीं रह गया था । इसी समय हिन्दू महासभा की पुनः स्थापना की गई । इन प्रकार देश का वातावरण दूषित होना लगा था । फरवरी १९२१/१९२६ तथा १९२७ में साम्प्रदायिक दंगे हुए । श्री जवाहरलाल नेहरू व अनुमार आन्दोलन स्थगित हो जाने के कारण जनता की रूढ़ि हुई हिंसा वृत्ति इन साम्प्रदायिक दंगों के रूप में फूट पड़ी ।

स्वराज्य पार्टी —क्याकि जनता व मजदूर कोई अन्य कार्यक्रम नहीं था तथा देश में साम्प्रदायिक दंगे हो रहे थे इसलिए यह स्वाभाविक था कि कुछ लोग फिर से कौंसिल में प्रवेश की सोचें । इस मत को लागू में मुख्य श्री० सा० आर० दास०, श्री मोतीलाल नेहरू, श्री विठ्ठल भाई पटेल आदि थे । इन लोगों का विचार था कि ये सरकार का धारा सभाओं के अन्दर से उलटें । वे सरकार के प्रत्येक काम का विरोध करेंगे । कौंसिलों के अन्दर व प्रसहयोग का नारा था, क्योंकि कौंसिलों के बाहर प्रसहयोग असम्भव था ।

सन् १९२३ में स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई । निर्वाचनों में कई प्रान्तों में इस दल को अच्छी सफलता मिली । इसी वर फरवरी में गांधी जी रिहा कर दिए गये थे । दिसम्बर १९२४ में गांधी जी ने स्वराज्य पार्टी के कार्यक्रम को मान लिया । स्वराज्य पार्टी ने उनके रचनात्मक कार्यक्रम का स्वीकार कर लिया—बर्खास्त हो जायें अत्याचार तथा हिन्दू मुस्लिम एकता का प्रयत्न । स्वराज्य

struggle at a time when we seemed to be consolidating our position and advancing on all fronts" J. Nehru, Autobiography p 81

1 "The drift to sporadic and futile violence in the political struggle was stopped, but the suppressed violence had to find a way out, and in the following years, this perhaps aggravated the communal trouble" Autobiography p 86

पाटी ने कॉमिलो के अन्दर अस्वच्छा काम किया, परन्तु ये सरकार को अपने कार्य-क्रम से विचलित नहीं कर सके। इन पाटी के पीछे सपास सानि-
 श्री सी० आर० दास थे। जून १९२५ में देगदण्ड का देहागत हो गया। इससे
 स्वराज्य पार्टी की दहड़ बढ़ी हानि हुई। इस समय स्वराज्य पार्टी के अन्दर भी
 मत भेद पैदा हो रहा था। एक भाग सरकार से सहयोग करने की मोच रहा
 था। इन सबका फल यह हुआ कि स्वराज्य पार्टी अस्तित्व होने लगी और १९२६
 के निर्वाचनों में पहले की तरह सफल नहीं रही।

साइमन कमीशन.—जब देश में एक प्रकार की नाराजगी फैली थी
 थी तथा विदेशी-सरकार के प्रति किसी प्रकार का आन्दोलन नहीं था उस
 समय ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की। १९१९
 के ऐक्ट के अनुसार १० वर्ष बाद (अर्थात् १९२९) एक कमीशन इस बात
 की जाँच करने की नियुक्त होता कि क्या ऐक्ट कार्यरत में बितना सफल
 हुआ। परन्तु इंग्लैंड की सरकार ने दो वर्ष पूर्व ही एक कमीशन नियुक्त कर
 दिया। इसके सम्बन्धित सर थॉमस साइमन थे। अतएव यह साइमन-कमीशन
 कहलाता है। इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। इस कारण देश
 में प्रत्येक दल ने (सिवाय मद्रास के अलिप्त दल तथा मुसलमानों के छोटे दलों
 के) इसका विरोध किया। श्री जिन्ना ने कहा कि किसी भी आत्मसम्माननी
 भारतीय के लिए इस कमीशन के दहिष्कार के अतिरिक्त अन्य कोई सुझाव
 नहीं है। अंग्रेजी सरकार ने कहा कि भारत में हिन्दू तथा मुसलमान सम्प्रदाय
 में मतभेद न होने के कारण कमीशन में किसी भारतीय को सम्मिलित
 सम्भव न था। कमीशन के विरोध में विभिन्न सम्प्रदाय तथा राजनीतिक दल
 एक थे। केंद्रीय एसेम्बली में फरवरी, १९२८ को कमीशन के विरुद्ध एक
 प्रस्ताव पास किया गया।

साइमन कमीशन वा सर्वत्र हड़ताल तथा काले झंडों द्वारा स्वागत किया
 गया। सम्पूर्ण भारत में हजारों कठों से यह नगर निकल रहे थे 'गोरेक'।
 सरकार ने सब जगह प्रदर्शनकारी पर लाठी-प्रहार किया। लाहौर में लाला
 लाडपतराय पुलिस की लाठियों से तिवार हुए। लखनऊ में ५० नेहरू तथा
 ५० पन्त की लाठियों की चोटें सहनी पड़ी।

सन् १९२८ में भारत भर में फिर से एक क्रान्तिकारी जागृति हुई।
 नवयुवकों में एक नया उत्साह आया। स्थान-स्थान पर नवयुवकों की समितियाँ
 स्थापित हुईं। इसी समय देश में मजदूर आन्दोलन ने भी जोर पकड़ा।
 मजदूरों की हड़तालें हुईं। किसानों में भी एक नयी जागृति आयी। नवयुवकों
 में भी एक नयी चेतना वा संचार हो रहा था। भारत के पूर्णजीवित तथा व्यापारी

मा प्रिटिस नीति के विरुद्धी हा रहे थे। देश में आन्तरिक उमडा। लाहौर में तिम पुर्णिक अफसर ने लाका लाजस्वलय पर बार बिया था उसको गोलो मार दा गई। भगतसिंह तथा बी. ड० दत्त ने प्रवम्बलो में बम फका तथा 'इन्व'राव जिन्दाशाद का नारा लगाया।

★ **नेहरू रिपोर्ट** —अंग्रेजी सरकार का कहना था कि भारतीय सम्मिलित रूप में कोई विधान बना ही नहीं सकते हैं। इसी बात पर दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। प० मानीलाल की अध्यक्षता में एक समेटी स्थापित हुई। इसने अंग्रेजी रिपोर्ट में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग रखी। यह अगस्त १९२८ में लखनऊ में एक सर्वदलीय सम्मेलन के सम्मुख रखी गयी। नेहरू रिपोर्ट को बाप्रेस ने मान लिया परन्तु लीग ने इसे नहीं माना— श्री जिन्ना कुछ शर्तें मनवाना चाहते थे। बाप्रेस के अन्दर भी एक छोटे से वर्ग ने इस रिपोर्ट से इस कारण असन्तुष्ट प्रवृत्त बिया क्योंकि इसने पूर्ण-स्वतन्त्रता श्रेय नहीं रखा था। ब्रिटिस-सरकार ने इस रिपोर्ट पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया।

समिन्धय अधिष्ठा आन्दोलन —मार्च १९२९ में भारत में बेकारी तथा गरीबी बढ़ रही थी। मजदूरों की दसा शोचनीय थी क्योंकि वस्तुजा के मूल्य बहुत बढ़ गए थे। मध्यवर्ग भी असन्तुष्ट था। देश में कई स्थानों में मजदूरों की हड़तालें हुईं। सरकार ने मजदूर आन्दोलन को कुचलने के लिये कम्युनिस्ट पार्टी के मूल्यवाचकताओं का पकडा तथा उन पर मुहदमा चलाया। यह मेरठ-पहयन्त्र केस कहलाता है।

इंगलैंड में मजदूर दल की सरकार बन गई थी (मई, १९२९)। परन्तु भारत के मामले में इस दल तथा अन्य दल की नीति में भाषा के प्रतिरिक्त धन्य कोई भेद नहीं था। भारत से वाइसराय इगैंड गए तथा वर्ग से लोट पर लाउंड इ विन ने घोषणा की कि ब्रिटिस सरकार ब्रिटिस भारत तथा रियासतों की एक वा फेज बुलायेगी परन्तु ब्रिगिन ने इसमें भाग लेना शक्य समझा।

दिसम्बर १९२९ में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पास बिया गया तथा मौफी जी ने अंगरेजी सरकार से कहा कि अगर ३१ दिसम्बर तक भारत का स्वतन्त्रता प्रदान न की गई तो वे सम्मिलित अन्धता जिन्दाशाद आरम्भ करगे। २६ जनवरी १९३० को देश भर में स्वाधीनता की प्रतिज्ञा पढ़ी गई। (तब से ही यह दिवस स्वाधीनता-दिवस के नाम से हर वर्ष मनाया जाता है।) कांग्रेस के सदस्यों ने घासतमात्रों से इन्तोजा

दे दिया। गांधी जी ने १८ मार्च को दांडी की ओर प्रस्थान किया और ६ अप्रैल को नमक कानून तोड़ा। देश भर में आन्दोलन चला। गांधी जी ५ मई को पकड़ लिए गए। सरकार ने दमनवक्र पूरी शक्ति से चलाया। कई स्थानों पर गोलियाँ चलाई, निहत्थे तथा अहिंसात्मक सत्याग्रहियों पर लाठियों की वर्षों की गई। करीबन एक लाख व्यक्ति जेलों में भर गए। सरकार को डूब नीति से असंतुष्ट और बड़ा। इसी समय साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसने भाग में भी काम किया। परन्तु इन आन्दोलन में उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त के प्रतिरिक्त, मुत्सद्धानों ने भाग नहीं लिया।

गोलमेज सभा तथा गांधी इरविन समझौता :—नवम्बर १९३० में प्रथम गोलमेज सभा की बैठक इंग्लैंड में हुई। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया क्योंकि इसकी माँगें सरकार द्वारा अस्वीकार कर दी गई थी। इंग्लैंड के प्रधानमन्त्री ने एक घोषणा भारत के सम्भावित विधान के बारे में की। जनवरी, १९३१ में गांधी जी तथा कांग्रेस के १९ अन्य प्रमुख सदस्य छोड़ दिये जाँकि वे इस घोषणा पर विचार विनिमय कर सकें। गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से लाई इरविन ने मार्च १९३१ को एक समझौता किया। सरकार सत्याग्रहियों को रिहा करने को तैयार हो गई, कांग्रेस ने आन्दोलन बन्द कर दिया। कांग्रेस ने दूसरी गोलमेज सभा में भाग लेने का वचन भी दिया।

द्वितीय गोलमेज सभा का अधिवेशन सितम्बर से दिसम्बर १९३१ तक हुआ इसमें कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने भाग लिया। परन्तु यह सभा भारत के विषय में कुछ निर्णय नहीं कर सकी। इनका कारण यह था कि विभिन्न भारतीय समुदायों की माँगें एक दूसरे से इतनी भिन्न थी कि आपस में कोई समझौता असम्भव था। अंग्रेजी सरकार ने इन प्रतिक्रियावादी दलों को खूब उकसाया। फल यह हुआ कि गांधी जी इंग्लैंड में वाली हाथ बापिन लौट आए।

४ जनवरी १९३२ को भारत सरकार ने गांधी जी की गिरफ्तार कर लिया। इसका कारण यह था कि ब्रिटिश-सरकार समझौते की नीति के स्थान में दमन की नीति का अनुसरण करना चाहती थी। गांधी जी के गिरफ्तार होने से देश में आन्दोलन फिर आरम्भ हुआ। सरकार ने गोली तथा इण्डों ने

1. गांधी जी ने इस विषय में कहा था, "It is with deep sorrow and deeper humiliation, that I have to announce utter failure to secure an agreed solution of the communal question."

इसका दवाना चाहा पुलिस का अत्याचार चरम सीमा पर पहुँचा । परन्तु आन्दोलन चलता रहा । विदेशी माल का बहिष्कार बहुत मफ़्त हुआ । सरकार के कामों में मुस्लिम लोग न भी महायता पहुँचाई । बम्बई में भीषण हिन्दू मुस्लिम दंगा हुआ । मुसलमानों ने विदेशी माल का बहिष्कार का राध किया ।

मैकडोनल्ड एवाड तथा पूना पैक्ट — ८ अगस्त १९३२ को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ने भारत में साम्प्रदायिक प्रश्नों को हल करने के लिए एक निर्णय दिया जो मैकडोनल्ड एवाड कहलाता है । इस निर्णय के द्वारा साम्प्रदायिक-प्रतिनिधित्व बना रहा । इसके साथ-साथ अछूतों का हिन्दुओं से अलग करने के लिए उन्हें भी अलग निर्वाचन अधिकार द दिये गये । गाँधी जी ने जेल में ही इसके विरुद्ध आन्दोलन-अनशन किया । पूना में हिन्दुओं तथा अछूतों के कुछ नेताओं के बीच समझौते की वार्ता चली । इसके फलस्वरूप एक 'पैक्ट' पर दोनों ने हस्ताक्षर कर दिये जो कि पूना पैक्ट कहलाता है । इस पैक्ट द्वारा यह तय हुआ कि हरिजनता के लिए प्रांतीय तथा केन्द्रीय धारा गणना में कुछ स्थान रखे जायें तथा उन्हें सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाये । इस वदले में अछूतों ने दूयक निर्वाचन की माँग त्याग दी । सरकार ने इस पैक्ट को मान लिया, इसलिए गाँधी जी ने अपना उपवास तोड़ दिया । गाँधी जी के उपवास का फल यह हुआ कि दश में राजनीति आन्दोलन जारी न चला ।

तीसरी गोली मेज सभा — इसका अधिवेशन नवम्बर-दिसम्बर १९३२ हुआ । इसमें कांग्रेस न भाग लिया । इस अधिवेशन की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार ने एक ध्वेन-पत्र प्रकाशित किया । इन माँगनाओं से भारत में कोर्ट सन्तोष नहीं हुआ ।

आन्दोलन का अन्त और कौमिल प्रवेश — दश में आन्दोलन घीमा पह रहा था । गाँधी जी ने १९३३ में फिर से हरिजनों के उद्धार के लिए २१ दिन का अनशन करने का निश्चय किया । वे ८ मई को जेल से छोड़ दिए गए । गाँधी जी ने सामूहिक आन्दोलन के स्थान पर व्यक्तिगत आन्दोलन को राय दी । माघ, १९३४ में कांग्रेस ने आन्दोलन वापिस ले लिया ।

इसी बीच कांग्रेस ने फिर से कौमिल प्रवेश कार्यक्रम को मान लिया था । प्रवेश के अन्दर एक भाग था जो कि कांग्रेस की इस नीति से अमन्तुष्ट था । दश में साम्यवादी दल भी इसने अमन्तुष्ट थे । सन् १९३३ के चुनावों में कांग्रेस को अच्छी सफलता प्राप्त हुई ।

१९३५ का ऐक्ट — इस ऐक्ट का वर्णन हम पहले अध्याय में कर चुके हैं। कांग्रेस के अन्दर दक्षिण पक्षियों को यद्यपि इस ऐक्ट में पूर्ण सन्तोष नहीं था तथापि वे इसके अन्तर्गत होने वाले चुनावों में भाग लेने को उत्सुक थे। कामपत्ती नेता इस कार्यक्रम से सन्तुष्ट नहीं थे। परन्तु कांग्रेस ने चुनावों में भाग लेने का निश्चय किया। १९३७ के चुनावों में कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिली।

कांग्रेस ने मन्त्रिमण्डल बनाने से पूर्व यह धारणा रखी कि गवर्नर जनके कामों में अटूचित हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह बात वाइसराय तथा गाँधी जी के बीच एक समझौते द्वारा तय हुई। इसके पश्चात् ६ प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बना। दो प्रान्तों में कांग्रेस ने समुक्त मन्त्रिमण्डल बनाया।

कांग्रेस में मतभेद :—कांग्रेस में दो विचार धाराएँ हो गई थीं। एक तो वे गाँधीवादी। इसके प्रतिनिधि पुराने नेता थे, जैसे सरदार पटेल, श्री राजेन्द्रप्रसाद, श्री आचार्य जयप्रकाश, राजा जी, पं० गोविन्द वल्लभ पन्त आदि। दूसरी ओर कांग्रेस के अन्दर एक जोशीली दामनग्य विचार धारा पैदा हो गई थी। इस समय इसका नेतृत्व श्री मुनाशचन्द्र बोस कर रहे थे। पं० नेहरू इन दोनों दलों के बीच में थे। श्री बोस अंग्रेजों के विरुद्ध एक आन्दोलन चाहते थे जो कि आसन्नता पड़ने पर हिंसात्मक भी हो सकता था। उनको समाजवादियों तथा साम्यवादियों का सहयोग प्राप्त था। सन् १९३९ में जब श्री मुनाश बोस गाँधी जी के विरोध करने पर भी पश्चात्ति सोतारमैया को हटाकर दुबारा राष्ट्रपति चुने गये तब इनको कांग्रेस दक्षिण पक्षियों ने पकड़ नहीं लिया। गाँधी जी ने कहा 'पश्चात्ति ही हार मरी हार है'। त्रिपुरी कांग्रेस (१९३९) में इन्होंने श्री बोस के विरुद्ध एक प्रस्ताव पास किया। बोस ने कांग्रेस छोड़ दी और अपना एक दल बनाया। इसका नाम Forward Bloc रखा।

द्वितीय महायुद्ध—नवम्बर, १९३९ में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ। अंग्रेजी सरकार ने बिना भारत की अनुमति के इसको युद्ध में सम्मिलित कर दिया। इसके विरोध स्वरूप कांग्रेस मन्त्रिमण्डली ने परतनाग कर दिया।

1- इस ऐक्ट तथा इसकी बाद की घटनाओं के लिए पृष्ठा अध्याय देखिए।

(अक्टूबर १९३९) । मुस्लिम लीग ने भारत भर में इन अवसर पर मुक्ति दिवस मनाया ।

पश्चिमी याराय की फामिस्त सत्ताओं ने कुछ महीने के अन्दर ही रोंद दिया । प्रजातन्त्रीय दशा की स्थिति बिनर्तीय थी । कांग्रेस की कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव द्वारा यह कहा कि अगर भारत-सरकार को केन्द्रीय विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी बना दिया जाय तो कांग्रेस युद्धकालीन सहायक के लिए तैयार थी । इस उत्तर में वाइसराय ने अगस्त ८, १९४० को एक घोषणा की । यह अत्यन्त-पत्रक थी और कांग्रेस ने व्यक्तिगत उत्थापन प्रारम्भ किया । (नवम्बर १९६०) ।

मार्च १९६१ में युद्ध के सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण बातें हुईं । प्रथम तो यह कि जून १९६१ में जमनी ने हम पर आक्रमण कर दिया । दूसरी बात यह हुई कि दिसम्बर के महाने में जापान ने भी मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । जब दिसम्बर १९४१ में भारतीय कांग्रेस का वारदोती अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस ने उन सब देशों में अपनी महानुभूति प्रकट की जो कि अपनी स्वतन्त्रता के लिए फासिज्म के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे । परन्तु कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि केवल एक स्वतन्त्र भारत ही देश की रक्षा के लिए समुचित प्रवन्ध कर सकता है । जापान ने दक्षिणीपूर्वी शिमा को बहुत क्षीघ्र विजय कर लिया । अंग्रेजों का इस अवसर पर भारत के पूरा सहयोग की आवश्यकता हुई । इसलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने शांति और सौम्यता में यह ऐलान किया कि सर स्टुफोर्ड क्रिप्स भारतीय सत्ताओं से बातचीत करने भारत जायेंगे चर्चित ने यह भी कहा कि युद्धोपरान्त भारत को औपनिवेशिक-स्वराज्य प्रदान किया जावेगा ।

क्रिप्स मिशन मफूट नहीं हुआ । इसकी असफलता के कारणों का हम वर्णन कर चुके हैं । इसके पश्चात् कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया कि अंग्रेज भागते छोड़ें और ९ अगस्त १९४२ का नए अध्याय का प्रारम्भ हुआ ।

कांग्रेस के नेताओं के पकड़े जाने पर देश में क्षाम, असन्तोष तथा गुस्ता फैला । लोग ने जा कुछ ठीक समझा वह किया । रेलवे स्टेशन, अकालाने, पुलिस चौकियाँ, सैकड़ों की मर्या में जग दिए । रेल की पटरियाँ उखाड़ दी तथा तार काट दिये । परन्तु अंग्रेजी सरकार इस आन्दोलन को कुचलने के लिये तैयार बँठी थी । अमानुषिक अवैरता में सरकार ने दमन

प्रारम्भ किया। सरकार के अनुसार कांग्रेस, जर्मनी तथा जापान में मिली हुई थी परन्तु यह नितान्त प्रसृत्य था। कांग्रेस की सहानुभूति प्रजातन्त्रीय राष्ट्रों से थी। गांधी जी का विचार था कि भारत से अंग्रेजों सेनाएँ हटा ली जायें तो जापान फिर आक्रमण नहीं करेगा और करेगा भी तब भारत अपनी रक्षा ठीक ढंग से कर सकेगा।¹

कांग्रेस सरकार ने भारत छोड़ो प्रस्ताव के बाव भी समझौता की बात चलाना चाहती थी। परन्तु सरकार ने नेताओं को पकड़ लिया और इस कारण से देश में क्षोभ उत्पन्न हुआ। गांधी जी का कहना था जो कुछ जनता ने किया उसका उत्तरदायित्व सरकार पर है। इस आन्दोलन में भी मुस्लिम लीग अलग रही। इसने इसको हिन्दुओं का आन्दोलन बतलाया।

आजाद-हिन्द-सेना — इनका आरम्भ सितम्बर १९४२ में हुआ। जब जापान ने मलाया, सिंगापुर विजय किये तब एक बहुत बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक तथा अध्यापक कैदी बना लिये गये थे। इन्हीं में से आजाद हिन्द सेना का संगठन किया गया। इस सेना में भारतीय सेना के सैनिकों के प्रतिरिक्त दक्षिण-पूर्वी एशिया में रहने वाले कई अन्य भारतीय भी भर्ती हुए। इसका उद्देश्य भारत को अंग्रेजों की दासता से मुक्त करना था।

— १९४३ के जुलाई मास में श्री सुभाष चन्द्र बोस ने इस सेना का संचालन अपने हाथ में लिया। श्री बोस भारत से सन् १९४१ में अलोप हो गये। वे यहाँ से अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुँचे और वहाँ से बाद को आजाद फौज के संगठन के लिए आये। उनको इस सेना ने नेता जी कहना आरम्भ किया। वे इसके मुख्य सेनापति थे। उनके अनुसार यह सेना पूर्णतया भारतीय थी और इनका उद्देश्य भारत की स्वतन्त्रता थी। जर्मनी और जापान से इस कार्य के लिये सहायता लेना वे अनुचित नहीं मन्सते थे। उनका कहना था कि द्वाधुनिक इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहाँ कि किसी देश ने बिना विदेशी सहायता के स्वतन्त्रता प्राप्त की हो।²

1. "The presence of the British in India is an invitation to Japan to invade India Their withdrawal removes the bast. Assume, however, that it does not, free India will be better able to cope with the invasion. Unadulterated non-co operation will then have full sway."

2. "I have yet to find one single instance in modern history where an enslaved nation has achieved its liberation without

मन् १९४२ से ६१ तक आजाद फौज न अग्रजा न विरुद्ध क' यद्धाम भाग लिया । परन्तु इसका आर्थिक सफलता नहीं मिली । तथापि यह निम्नदर्शक कि हमन वन्ही बहाली म' ग'य'श्रा म भावा' लिया ।

धो सभाप बोम न एक अस्थायी सरकार की भी स्थापना का था । इसका जापान जमना आदि दंगा न मान लिया था ।

रश की अस्थायी - भारत छोड़ो आन्दोलन क फलस्वरूप उस समय दंग म एक कान में दूसर कान तक उत्तरेना का गहर गीठ गड । परन्तु कुछ समय बाद जब आन्दोलन धीमा हो गया तब रश क उपर कई निपत्तिया आइ । उनम सबसे मुख्य बंगाल का र्भिमि र था (१६२१४४) । इस र्भिमि का उत्तरदायित्व अग्रजी सरकार उम' क' काग मितिमिया तथा वन्ही क व्यापारी बग पर ह । यह बहून म कार्भ मराव त' = रि व्यापारा उम न अपन स्वाथ क सम्मुख रश क लिना का गीण ममता अत्र भा म्मन'रता प्राप्ति के प' जा' उनका मनायति म' रार्भिमि'नन नया हुया = । यह र्भिमि र' फल स्वरूप य' अन्तमा' रमाया जाना ह रि जा'त' ग'व'स' अर्थिक प्रश्न म'य' क' ग्राम रण । 'ग' भर म' र'म' ममय' अ'न'त'वा' व'म'य' का म'र'न' व

नताला का रिहाड तथा व'र'न' अ'ग'ार' ग'न' ? म' य'द' का अ'र'न' 'ध' । भारत म भा'म'का अ'म'र' 'ध'रा' व'र'ग'र'क' न'ता' रि'हा'क'र' 'य' ग'य' । गांधी जा' तो १०६८ म' ग'र'र' 'ध' ग'य' व' । कि'र' म' म'म'प'न' क' प्र'य'न' ह'य' । गांधी जी तथा जि'ना' ग'ान'ध'र' म' ग'ता' हु' । परन्तु यह अ'ग'र'र' र'ग' । ज'उ' १०६९ म' ग'ड' व'र'न' न' क'र' म'ग'ार' र'ग' । 'त'र' 'ध'र' विचार' प्र'तिम'य' 'नु' ग'िम'र'ग' में ए'र' का फ'र'ा' अ'ग'र' ग' । य' 'ग'म' का जा'त' क' कारण' अ'म'प'र' र'ता' ।

अ'ग'र'र' म' न'य' च'न'ारा' क' फ'ल'स्वरूप' म'ज'दु'र' 'र'ग' का अ'र'ज'य' हु'इ । ग'ित'वर' १०७४ म' व'र'न' न' ए'र' 'धा'प'णा' का जि'गर' फ'ल'स्वरूप' भारत म भा' न'ए' च'न'ार' हु'य' । र'ग'ि'र'ग' त' भी भा'ग' लिया । ८ अ'ग'स्त' म' व'र'ग'र'म' ग'ा'रा'ग'म'भा'रा' म' व'हू'म'न' र'ग' । इ'न' म'य' द'वा'ता' म' य' 'र'प'ण' हो ग'या' था कि अ'र'ज' सरकार' भारत क' साथ' ए'र' म'म'ग'ीता' व'र'ना' चा'ह'ती ह' ।

ब्रि'टि'श' सरकार' न' र'ग'या' कि भारत म' न'र' 'ग'वि'न'श'ी'प'ण' हो रहा' य' । 'न'ाय' म'न'य'द' क' द'वा' भारत'य' जन'ता' का व'हू'न' लि'ना' त'र' 'ग'म'ता' म' न'दा'

foreign help of some sort And for an laved India it is more honorable to join hands with enemies of the British Empire than to curry favour with British leaders or political parties

रखा जा सकता था। आजाद-फौज के मामले को लेकर देश के एक कोने से दूसरे कोने तक हलचल मच गई। सरकार को यह आशा नहीं थी कि समस्त देश इस प्रकार आजाद फौज का साथ देगा। अंगरेजी सरकार ने सोचा था कि वह सेना के कुछ अफसरों पर मुकदमा चलायेगी, तथा उन्हें कठोर नज़र देकर भारतीयों के सम्मुख अपनी शक्ति का एक दृष्टान्त रखेगी। परन्तु इनको लेने के देने पड़ गए।

देश में असन्तोष केवल जनता तक ही सीमित नहीं रहा परन्तु सेना में भी धीरे-धीरे फैलने लगा। फरवरी, १९४६ में बम्बई में भारतीय नौ सेना के सैनिकों ने हड़ताल की। उनकी माँगें यह थी कि सब सैनिकों से एक प्रकार का ही बर्ताव हो चाहे वे अङ्गरेज हों या भारतीय हों। सब राजनैतिक कर्मी तथा आजाद सेना के बंदों छोड़ दिये जायें। यह हड़ताल बम्बई के प्रतिरिक्त अन्य स्थानों में फैली। इन हड़तालियों तथा अंगरेजी सेना में सघर्ष भी हुआ। देश में नौ सेना के हड़तालियों के साथ पूरी सहानुभूति थी। बम्बई में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। बम्बई के रास्तों में जनता तथा अंगरेजी फौज में टकराव हुई।

इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि अंगरेजी सरकार ने यह स्पष्ट रूप से देश लिया कि अगर भारत से समझौता नहीं किया गया तो घबड़ा-घबड़ा होना होगा वह यथार्थ में एक युद्ध होगा। इन कारणों से समझौते की तैयारी हुई।

कबिनेट मिशन तथा अन्तर्कालीन सरकार की स्थापना :—अंगरेजी सरकार ने कबिनेट मिशन को भारत भेजा। क्योंकि कांग्रेस तथा लीग में कोई समझौता नहीं हो सका चतुर्थ इस मिशन ने ही एक योजना भारतीय नेताओं के सामने रखी। इस योजना को कांग्रेस तथा लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। विधान तथा के लिए चुनाव हुए। इनमें लीग ने भी भाग लिया।

अगस्त १९४६ में एक अन्तर्कालीन सरकार की स्थापना हुई। इसमें लीग सम्मिलित नहीं हुई। लीग ने देश भर में 'डाइरेक्ट ऐक्शन डे' मनाया जिसके फलस्वरूप कई स्थानों में भीषण साम्प्रदायिक दंगे हुए। यह कहने में कोई चतुर्मति नहीं होगी कि लीग का आन्दोलन अंगरेजी सरकार के विरुद्ध नहीं कर हिन्दुओं के विरुद्ध था। बंगाल में इस समय लीगो मन्निवण्डल था। बंगाल

1. इन सब का प्रथम परिणाम में विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है।

में लीग को हिन्दुओं के विरुद्ध जेहाद करने का अच्छा अवसर मिला। इन दंगों की प्रतिप्रिया देश के अन्य भागों में भी हुई।

अक्टूबर माह में लीग अन्तर्कालीन सरकार में सम्मिलित हुई। इसका काम कांग्रेस के मार्ग में रोड़े अटकाना था। वाइसराय ने लीग को इसलिये सरकार का स्थान दिया ताकि इनके और कांग्रेस के मतभेद के कारण देश में कुछ भी अशांति न हो सके। ए० नहरू ने कहा कि वाइसराय लीग के शामिल होने के बाद एक एक कर कॅबिनेट के पहिए निकाल रहा है। जिन्ना ने कहा था कि लीग सरकार में पाकिस्तान प्राप्त करने के लिये सम्मिलित हो रही है। लार्ड बँबेल ने लीग को सरकार में सम्मिलित कर लिया परन्तु लीग ने संविधान सभा में भाग लेना स्वीकार नहीं किया था। इस प्रकार सरकार साम्प्रदायिकता को उत्साहित कर रही थी।

लन्दन कांफ्रेंस तथा १९४७ का ऐक्ट — मुस्लिम लीग के अन्तर्कालीन सरकार में सम्मिलित होने से कांग्रेस की कठिनाइयाँ और बढ़ गई। लीग ने सरकार में सम्मिलित होते समय भी इस प्रकार का वरार नहीं दिया था कि बट कॅबिनेट मिशन योजना का पूरी तरह मान ही लेगी। लीग एक संविधान सभा के स्थान में दो संविधान सभाओं की मांग कर रही थी।

इंग्लैण्ड के प्रधान मंत्री ने कांग्रेस तथा लीग के नेताओं को एक काँफ्रेंस के लिये लन्दन आमंत्रित किया। इस काँफ्रेंस का उद्देश्य कांग्रेस तथा लीग के बीच में इस प्रकार का कोई समझौता कराना था ताकि संविधान सभा ९ दिसम्बर से अपना काम आरम्भ कर सके। इस काँफ्रेंस में भी कांग्रेस तथा लीग में मतभेद न हो सका। जब संविधान सभा का अधिवेशन ९ दिसम्बर को हुआ तबसे लीग के सदस्य अनुपस्थित रहे। देश में इस समय साम्प्रदायिक दंगे हुए।

२० फरवरी १९४७ का ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि सन् १९४८ तक ब्रिटिश सरकार भारत में भारतीयों को ही शक्ति सौंप देगी। इसी दिन यह भी ऐलान किया गया कि लार्ड माउंटबैटन भारत के नए वाइसराय होंगे।

लार्ड माउंटबैटन २३ मच को नई दिल्ली पहुँचे। उन्होंने कांग्रेस तथा लीग के नेताओं से वार्ता की और इसके पल्लवस्वरूप ३ जून को एक नई योजना

रखी। इस माउण्टबेटन योजना के अनुसार भारत का दो क्षेत्रों में विभाजन निर्दिष्ट हो गया।

इन योजना के अनुसार बंगाल तथा पश्चात् भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन करने के लिये सीमा-समीकरण निर्धारित किये गये। गिल्गिट का जिला पूर्वी बंगाल में मिला दिया गया।

१४ अगस्त १९४७ को भारत तथा पाकिस्तान, ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत इन दो नए उपनिवेशों का जन्म हुआ। देश के विभाजन के फलस्वरूप स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। परन्तु विभाजन के बाद भी देश में खून बहा। हिन्दू तथा मुसलमानों ने जो कुछ किया, वह अपमानोप है। लाहौर गिरफ्तार तथा निरीहों के प्राण गये, लाहौर की सम्पति लूट हुई और लाहौर की अग्नि पर-दार छांटना पड़ा। यह ब्रिटिश-नीति का कटुफल था।

भारत उपनिवेश २६ जनवरी १९५० ने स्वतन्त्र राष्ट्र हो गया। परन्तु यह राष्ट्र-संघ का सदस्य बना रहा। संक्षेप में यह भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास है।

परिशिष्ट

(अ) देशी-रियासतों में राष्ट्रीय जागृति :—अगर के वर्णन में हमें देशी रियासतों में जो जागृति हुई उसका वर्णन नहीं किया है। देशी राज्यों में जनता ब्रिटिश-भारत की जनता के मुकाबले में अधिक पिछड़ी हुई थी। इसका कारण यह था कि ये रियासतें एक प्रकार से मध्य-युग में थीं। न इनमें विज्ञान ने प्रगति की थी और न उद्योग धर्मों ने। परन्तु कुछ रियासतें इन मामलों में उन्नत थी, जैसे मीरपुर तथा थादनकोर। राजनैतिक जागृति रियासतों में ब्रिटिश भारत से बाद प्रारम्भ हुई। इन सब रियासतों में जनता की किसी भी प्रकार के राजनैतिक अधिकार नहीं थे। इसलिए यह स्वभाविक था कि इनमें जनता का आन्दोलन इन अधिकारों की मांग करे। सर्वप्रथम सन १९२७ में एक संघन की स्थापना हुई। इसका नाम देशी राज्य लोक-परिषद् रखा गया। इसका उद्देश्य इन रियासतों के निवासियों के लिये राजनैतिक अधिकारों की मांग करना था। आरम्भ में कांग्रेस ने इन रियासतों के मामलों में कोई ध्यान नहीं दिया। परन्तु कुछ काल बाद कांग्रेस ने इनमें भी उत्तरदायी शासन की मांग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सन् १९३१ में लोक-परिषद् का उद्देश्य यह था कि देशी रियासतों के निवासियों को के सब अधिकार—राजनैतिक तथा सामाजिक—प्राप्त हो, जो कि ब्रिटिश भारत के

निवासियों का तबे विधान व अन्तर्गत दिये जायेगे तथा ग्वायान भारतीय सभ म शामिल है।

ज्या ज्या रियामता म जागृति बढती गई त्या-त्या लाक परिपद व त-वावधान के विभिन्न रियामता म जनता न बहाँ अत्याचारी शासन व बिच्छु आन्दोलन किये। तरंगा ने इन आन्दोलना को बचनन में गव उपाय अपनाये। ग्वायानता के निवासियों ने भी गालियाँ मारी तथा लाठियाँ मारी। उहाने भी अपने अधिकारों के लिये प्राण बिसर्जित किये। देशी रियामता व आन्दोलन में कांग्रेस ने प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया तथापि इसकी मदद पराजित रूप म सहानुभूति मिलती रही। देशी रियामता का उन्नीसवाँ व स्वतंत्रता संग्राम का ही एक भाग है। इस प्रकार यथाय म यह दो समझा व बिच्छु उन्नीसवीं अठारवीं माला जवाबद तथा इसके पिछे भारतीय तरंग।

(ब) साम्यवाद का जन्म — प्रथम महायुद्ध तक भारत में शायद ही कोई अपने को साम्यवादी कहता था। परन्तु सन १९१३ में रूसी क्रांति ने पहिली बार भारतीयों का इस नई विचारधारा से परिचय कराया। पहिली बार भारतीयों ने यह सुना कि रूस में जार (Tsar) की अत्याचारी सरकार के स्थान में एक मजदूर तथा किसानों की सरकार स्थापित हो गई। भारत में भी इसका प्रसार हुआ तथा भारतीय नवयुवक इस नयी विचारधारा की आशंका पिते हुए। इस समय तक भारत में भी मजदूर-आन्दोलन का आरम्भ हुआ तथा मजदूर सभाओं की स्थापना हुई। इनका उद्देश्य मजदूरों के हितों का संरक्षण था। मजदूरों की दशा अत्यन्त खराब थी। इस कारण मजदूर सभाओं ने कई हंगामे मगठित का।

काँग्रेस के अंदर भी कुछ लोग साम्यवादी विचार धारा में प्रभावित हुए थे। १० जवाहरलाल नेहरू तथा श्री सुभाष चन्द्र बोस अपने कामकाजवादी (Socialist) कहते थे और भारत में इस प्रकार के समाज की स्थापना की बात बतलते थे। इनके प्रतिरिक्त आचार्य नरेंद्र दत्त, श्री जयप्रकाश नारायण आदि भी कांग्रेस के अन्दर सामाजवादी थे। कांग्रेस में इस विचार धारा में प्रभावित होकर अपना लक्ष्य भारत में कर्ण-विहीन समाज की स्थापना रखा।

प्रश्न

(१) मक्षोप म मनु १८८५ में १९२१ तक के राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास लिखिये।

- (२) गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास लिखिए।
- (३) भारत में राष्ट्रीय जागृति के क्या कारण थे ? उनका विस्तार-पूर्वक वर्णन कीजिए।
- (४) १९०९ से १९३५ तक देश में कांग्रेस की क्या नीति थी ? इस पर प्रकाश डालिए। (यू० पी० १९४०)
- (५) देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन के सन् १९१६ से सन् १९२९ तक के इतिहास का सूक्ष्म में वर्णन कीजिए। (यू० पी० १९५८)

भारत में राजनैतिक दल

राजनैतिक दलों का महत्त्व — प्रजातन्त्र में राजनैतिक दलों का अत्यन्त महत्त्व है। सामान्यतः यह सभी स्वीकार करना है कि बिना इन दलों के प्रजातन्त्रवाद सम्भव ही नहीं है। इन दलों के द्वारा जनता को राजनीति की शिक्षा मिलती है। प्रत्येक राजनैतिक दल कुछ उद्देश्यों का एकर चलता है और चाहता है कि सरकार उन उद्देश्यों की पूर्ति करे। इसलिये प्रत्येक राजनैतिक दल सरकार पर अधिकार करना चाहता है। प्रजातन्त्र में यह निर्वाचन के द्वारा होता है। एक निश्चित समय के बाद निर्वाचन होता है। इसमें जनता प्रतिनिधियों को छांटती है और ये प्रतिनिधि जनता के नाम में शासन करते हैं। जिस दल का बहुमत होता है वही सरकार बनाता है।

भारत में भी कई राजनैतिक दल हैं। उनमें से कुछ अल्पत छोटे हैं तथा उनका यहाँ के जनजीवन में कोई प्रभाव नहीं है। एक दलों के अतिरिक्त, अन्य मुख्य मुख्य दलों का संक्षेप में वर्णन दिया जायगा।

अग्रिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस — गांधीजी का भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास तथा कांग्रेस का इतिहास एक ही है। यह सच है कि कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य दलों ने भी इस आन्दोलन में भाग लिया तथापि कांग्रेस का ही कार्य सबसे महत्वपूर्ण रहा है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस उस समय एक दल न होकर स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले सब दलों का संयुक्त मोर्चा थी। स्वतन्त्रता के बाद कांग्रेस से समाजवादी दल अलग हो गया है। इसके पूर्व कांग्रेस से साम्यवादी दल निकाल दिया गया था।

काँग्रेस की स्थापना सन १८८५ में हुई। आरम्भ में कई वर्षों तक यह केवल उच्च मध्य-वर्ग की संस्था थी। प्रति वर्ष इसका एक अधिवेशन किसी बड़े नगर में होता था और यह कुछ प्रस्ताव पास कर साल भर के लिये फिर निर्माजित हो जाती थी। इसका आरम्भ इसलिये हुआ ताकि यह मध्यवर्ग की माँगों को जैसे शासन में भाग लेने का अवसर मिले या सरकारी नौकरियों में भारतीयों को अधिक पद दिये जायें, इत्यादि, सरकार के सामने रखे। इस

प्रकार इसका काम अंग्रेजों सरकार से प्रार्थना करना था। कई वर्षों तक इसका यही काम रहा। परन्तु गर्ने गर्ने इनके स्वभाव में परिवर्तन होने लगा। इन सब कारणों का हम सिद्ध प्रमाण में वर्णन कर चूके हैं। वग-भग के कारण देश में जो असन्तोष उत्पन्न हुआ उनमें कांग्रेस के स्वभाव में और अधिक परिवर्तन हुआ। महायुद्ध के बाद देश में राजनीतिक चेतना बढ़ी। गान्धी जी ने मद्रप्रथम कांग्रेस को यथायं में जनता का संगठन बनाया। उन्होंने कहा कि हम अपना युद्ध गलत तथा अहिंसा के अर्थों से लड़ेंगे। कांग्रेस ने तदा अहिंसात्मक मार्ग का अवलम्बन किया। देश में कई लोग इनकी अहिंसात्मक नीति को पसन्द नहीं करते थे। उनके अनुसार यह शान्ति का मार्ग न होकर ब्रिटिश सरकार से समझौते का मार्ग था। आलोचकों का कहना था कि जब-जब जन-मान्दोलन शान्तिकारी होने लगा तब-तब कांग्रेस ने उसको दब कर दिया। अहिंसात्मक-मार्ग के अनुयायियों का कहना था कि केवल इसी प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्त ही सकती है। हिंसात्मक तरीकों को अपनाते के अर्थ यह होगा कि ब्रिटिश सरकार अपनी पूरी शक्ति में ऐसे आन्दोलन को कुचल देगी क्योंकि दारुद की उसके पास कमी नहीं है। अतएव केवल नैतिक शक्ति द्वारा ही उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है।

कांग्रेस के अन्दर कुछ लोग तदा में ही ऐसे रहे जो कि केवल वैधानिक उपायों का ही अवलम्बन करना चाहते थे। इनके अनुसार स्वराज्य ऐम्बेल्डिंग के अन्दर में जीता जा सकता था। ऐसे विचार के लोगों ने स्वराज्य पार्टी को स्थापना की थी तथा चुनावों में भाग लिया और ऐम्बेल्डिंगों में गए। परन्तु इनको स्वराज्य नहीं प्राप्त हुआ।

कांग्रेस के इतिहास में सन् १९१९ के बाद यह दिखलाई देता है कि आन्दोलन की नीति तथा वैधानिक नीति बारी-बारी से अपनाये गये हैं।

सन् १९२७ तक कांग्रेस में अपना उद्देश्य औपनिवेशिक स्वराज्य रहा। यद्यपि लोकमान्य तिलक ने 'स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है' का नारा लगा दिया था, तथापि सर्वप्रथम सन् १९२७ में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य अपना लक्ष्य बनाया। इनके पश्चात् सन् १९२८ में कांग्रेस ने पुनः औपनिवेशिक स्वराज्य को अपना उद्देश्य बतलाया। परन्तु जब ब्रिटिश सरकार ने यह भी नहीं दिया तो फिर ने सन् १९२९ में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया।

सन् १९३० के आन्दोलन के पश्चात् दूसरी गोलमेज सभा में कांग्रेस

ने भाग लिया परन्तु उसका हाथ केवल अक्षय्यता आयी। दस में फिर आन्दोलन हुआ जा कि मन १०-४ में बन्द हुआ। मन १०३५ के तैयार क प्रान्ता में लागू होने पर कांग्रेस ने चुनाव क पश्चात् ८ प्रान्ता में अपने मन्त्रिमण्डल बनाये।

द्वितीय महायुद्ध क प्रारम्भ होने पर जब अग्रणी सरकार ने भारत को बिना भारताया का राय के उसमें सम्मिलित कर दिया तब कांग्रेस-मन्त्रिमण्डल ने इसके विरोध-मन्त्र पद त्याग कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने मन् १९४० में व्यक्तिगत आन्दोलन जोर मन १९४० में 'भारत छोड़ो आन्दोलन' चलाया। मन १९४१ में मन समझौते की वाने हुई तथा अगस्त १९४३ का भारत को श्रीरत्नविधिक स्वराज्य प्राप्त हुआ तथा २६ जनवरी १९४० का भारत एक स्वतन्त्र राष्ट्र हा गया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति क पश्चात् कांग्रेस न विधान सभाया तथा ससद में बहुमत होने के कारण प्रान्तीय तथा केंद्राय सरकारें बनाई। १९४२ में निर्वाचनों के पश्चात् भी कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहा। उस समय कांग्रेस ही मतान्वु है।

कांग्रेस क विराधिया के अनुसार इसमें अनेक घुसाइया घा गई है। इसके सदस्या में मेवा तथा त्याग का भाव नहीं रह गया है। वे स्वाध-साधन में अधिक रत हैं। कांग्रेस तब एक सकारा सन्धा हा गई है तथा इसका उद्देश्य किमी भी प्रकार आगत पर अधिकार रखना है। इसके अन्दर एकता भी नहीं है दलबन्दी हा गई है। गांधी जी क आदेशा स पर दूर चला गया है। कुछ आलाचका का कहना है कि कांग्रेस पूजापतिया क प्रभाव य है और इसके द्वारा देश का कल्याण सम्भव नहीं है। इनके अनुसार ता स्वतन्त्रता के पश्चात् देश में कुछ भी उन्नति दृष्टिाचर नहीं हानी है। जाने तथा कपडे का प्रदन हल नहीं हुआ है। कांग्रेस सरकार की याजनाएँ कबल कगजी है। व्यवहार में उन्हें सफलता नहीं मिली।

परन्तु कांग्रेस के समर्थका का कहना है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् कांग्रेस ने देश के लिये जो कुछ सम्पन्न किया है उससे अधिक सम्भव नहीं था। आर्थिक अवस्था पहले से सुधार रही है। गले का प्रदन ता हल ही हो गया है। अभी कठिनाइयाँ तथा समस्याएँ हैं। परन्तु इनके लिए कांग्रेसी सरकार प्रयत्नशील है। पञ्चपाय योजना, सामुदायिक योजनाएँ तथा ग्राम-विकास की योजनाएँ शीघ्र ही देश की अवस्था को सुधार देंगी। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश की प्रतिष्ठा बढ गई। ५० नेहरू का दम तथा अन्य साम्यवादी देशों में जो भव्य स्वागत हुआ वह इस बात को सिद्ध करता है।

कांग्रेस के उद्देश्य :—कांग्रेस का राजनीतिक उद्देश्य स्वतन्त्रता की प्राप्ति या और वह एक प्रकार से पूरा हो चुका है। इस कारण से लोगों का कहना है कि अब कांग्रेस का काम पूरा हो चुका है और इसे अब भंग कर देना चाहिए। कांग्रेस देश में प्रजातन्त्र शासन की स्थापना चाहती है। इसमें किसी प्रकार का धार्मिक भेद-भाव नहीं होगा तथा धर्म और गरीब को बराबर अधिकार मिलेंगे।

धार्मिक क्षेत्र में कांग्रेस एक धर्म-रहित समाज की स्थापना अपना उद्देश्य बतलाती है। इसमें धार्मिक शोषण नहीं होगा। व्यक्ति की स्वतन्त्रता बनी रहेगी। इस बात का प्रयत्न किया जायगा कि मजदूरों की दशा में सुधार हो, देश में बेकारी न हो। सब लोग अपनी सामान्य-आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

इस वर्ष गावादी अधिवेशन में कांग्रेस ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि कांग्रेस का उद्देश्य देश में समाजवादी समाज की स्थापना है। कांग्रेस के अध्यक्ष (श्री डेवर) के अनुसार इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं : (१) समाज के हित में उत्पादन के साधनों का समाजीकरण, अर्थात् ये किसी की व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं रहेंगे। (२) राष्ट्र की सम्पत्ति, भाय तथा साधनों का न्यायपूर्ण वितरण। (३) समाज के प्रत्येक भग को अवसर की समानता प्रदान करना।

कांग्रेस ने कुछ भास पूर्व अपने नागपुर अधिवेशन में यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि देश में सरकार द्वारा महकारी वृष्टि व्यवस्था लागू होनी चाहिये। पं० नेहरू बहा कि इसके अतिरिक्त देश की खाद्य स्थिति सुदृढ़ करने का अन्य कोई साधन नहीं है। परन्तु कांग्रेस के अन्दर तथा बाहर अनेक व्यक्ति इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। उनके अनुसार समाजवादी व्यवस्था तथा सहायकारी वृष्टि दोनों ही व्यक्ति का स्वतन्त्रता के लिये घातक हैं।

सामाजिक क्षेत्र में कांग्रेस का उद्देश्य हरिजनोद्धार तथा साम्प्रदायिकता को हटाना है। यह मठ-निषेध के पक्ष में है तथा अन्य सामाजिक पुराणों को

1. कांग्रेस-विधान की प्रथम धारा में यह कहा गया है कि—

“The object of the Indian National Congress is the well-being and advancement of the people of India and the establishment of a united and self-governing political, and fellowship.”

हटाना चाहती है। शिक्षा-प्रचार तथा हिन्दी का प्रचार भी कांग्रेस अपना उद्देश्य रखती है।

गांधी जी ने सदा इस बात पर जोर दिया कि भारतवर्ष गांधी का देश है और यहाँ की अवस्था तब तक नहीं सुधर सकती है जब तक कि गांधी का उद्देश्य न हो। कांग्रेस अभी तक गांधी की उन्नति को—निष्ठा स्वास्थ्य, सफाई, कृषि-उद्योग आदि को—अपना कार्यक्रम में स्थान देती है।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कांग्रेस सब देशों के साथ मैत्री-पूर्ण सम्बन्ध रखना चाहती है और लटस्य रहना चाहती है। कांग्रेस के कुछ विरोधियों ने इस लटस्यता की नीति का केवल एक धोखा कहा है। उसके अनुसार कांग्रेस का स्थान अमेरिका तथा इंग्लैंड की ओर अधिक है। परन्तु अब ५० नेहरू की लटस्यता की नीति की वृत्ति, चीन आदि देशों ने भी सराहना की है। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई है। इसका श्रेय ५० नेहरू तथा उनकी नीति को है।

कांग्रेस दल के नेता अब यह देखने लगे हैं कि सत्तारूढ़ होने के पश्चात् इस दल में कई प्रकार की बुराइयाँ आ गई हैं। पद लोभ, गृहविषय, साम्प्रदायिकता, भ्रातृघ्नता आदि दोष इसमें भर गए हैं। इसके सदस्यों तथा अनेक कार्यकर्ताओं में भी वह आत्मत्याग नहीं रह गया है जिसके कारण कांग्रेस का इतना विकास हुआ। पण्डित नेहरू ने भी यह निश्चय किया था कि वे प्रधान-मंत्री-पद को त्याग दें तथा कांग्रेस के पुनर्संगठन की ओर ध्यान दें। उन्होंने यह विचार अपने सहयोगियों के समक्ष से छोड़ दिया परन्तु अब कांग्रेस के उच्च पदस्थ नेता कांग्रेस को उन दोषों से मुक्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिनके कारण कांग्रेस की प्रतिष्ठा दल में गिर रही है।

प्रजा समाजवादी दल (Praja Socialist Party) — इस राजनैतिक दल का निर्माण दिसम्बर १९५२ में हुआ। यह भारतीय समाजवादी तथा वृषक-मजदूर प्रजा पार्टी के मयुक्तीकरण से बना, अतएव इसका नाम प्रजा समाजवादी दल बन गया।

भारतीय समाजवादी दल का आरम्भ सन १९२६ में पटना में हुआ था। कई वर्ष तक यह दल कांग्रेस के ही अन्तर्गत रहा। यद्यपि कई महत्वपूर्ण विषयों में, जैसे आर्थिक उद्देश्य, श्रम तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मतभेद था, तथापि समाजवादी इससे पृथक नहीं हुए। परन्तु सन् १९४७ के पश्चात् समाजवादियों तथा कांग्रेस में मतभेद बढ़ता ही गया और सन् १९४८ में यह दल कांग्रेस

से प्रलग हो गया। इनके पूर्व इनका नाम कांग्रेस मनाजवादी दल था परन्तु प्रलग होने पर इनने अपने नाम के आगे से कांग्रेस शब्द हटा दिया।

कृपक पार्टी का मगडन आचार्य कृपलानी ने किया। आचार्य जी तथा अन्य कई कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं का यह विचार हुआ गया कि भारतीय कांग्रेस अपने आदिमों के अनुसार काम नहीं कर रही है। यह जनता की सेवा से विमुख हो गई है तथा पूँजीपतियों के हितों को ही मुख्यतः ध्यान में रख रही है। यह गांधी जी के मार्ग से विचलित हो गई है। इनने अन्तःकार बढ़ गया है। सरकार भी जनता की सेवा से विमुख हो गई है। इन्ही कारणों से कृपलानी जी ने सन् १९५१ में इन दल की नींव डाली।

जब सन् १९५२ में भारत में आम चुनाव हुए उस समय मनाजवादी दल तथा कृपक पार्टी दोनों ने ही अपने अपने उम्मीदवार निर्वाचनों में संघर्ष तथा प्रादेशिक विधान-मन्त्रियों के लिये लड़े किए। इन दोनों दलों का यह कहना था कि कांग्रेस के स्थान पर वे सरकार बना सकते हैं। परन्तु निर्वाचनों में कांग्रेस को ही बहुमत प्राप्त हुआ तथा इन दलों की प्रत्यन्त ही सीमित सफलता प्राप्त हुई। मन्त्रान में कृपक पार्टी ने भारतीय साम्यवादी दल के साथ संयुक्त मोर्चा बनाया था।

परन्तु इन दोनों दलों के नेताओं के अन्दर यह भावना घोर-घोर काम करने लगी कि कांग्रेस के विरुद्ध विपक्षी दलों को एक सगठन बनाना चाहिए तभी सफलता मिलेगी। साम्यवादी दल के साथ इन दोनों का सिद्धान्त रूप में मेल नहीं था और ये साम्यवादी दल के विरोधी थे। अतएव यह स्वभाविक था कि ये दोनों दल मिलाकर एक नया दल बनाते। इस उद्देश्य से इन दोनों दलों के नेताओं के मध्य बातचीत हुई तथा अन्त में दिसम्बर (ता० २६, २७) में बम्बई में एक संयुक्त सम्मेलन हुआ तथा प्रजा-मनाजवादी दल का निर्माण हुआ।

इस दल के विरोधियों का कहना है—विरोधकार साम्यवादियों का—कि यह एकता केवल अवसरवाद पर आधारित है। इसका कोई सैद्धान्तिक आधार नहीं है। क्योंकि मनाजवादी दल का आधार मार्क्सवाद है तथा कृपक पार्टी का आधार गांधीवाद तथा सर्वोदय की नीति है। परन्तु प्रजा मनाजवादी दल के नेताओं का कहना है कि सैद्धान्तिक दृष्टि से इन दोनों दलों में कोई विशेष भेद नहीं है। अतएव इस एकता का आधार सैद्धान्तिक है।^१

१. आचार्य कृपलानी ने बम्बई में २६ दिसम्बर को अपने भाषण में कहा: The new Party "is not formed in terms of any rigid political

इस दृष्टि का नाति यह है कि वैधानिक उपायों में यह कार्यक्रम का अन्तर्भाव के अन्तर्गत अथवा सरकार स्थापित करेगी कि इसमें अनुसार कार्यक्रम का नाति पूजापनियों का हित साधन करना है न कि जनता का। इस के सम्मुख वा गुमस्याएँ हैं उनमें न कार्यक्रम एक का भाग है न दूसरे में प्रथम है। यह कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रानि नाति में भाग अन्तर्गत है।

इस दृष्टि के निम्नलिखित उद्देश्य हैं

(१) भारत में वण विहान तथा वण हान समाज का वापस करना ।

(२) देश में किसान-वर्ग तथा मजदूर-समाज का संगठन करना । यह आदिवासी वण युद्ध का प्रजालास काय प्रयाग के अन्तर्गत मानता है ।

(३) मुख्य उद्योग धंधों तथा विद्या व्यापार का राष्ट्रीयकरण ।

(४) यह अन्तर्गत कार्यक्रम अन्तर्गतता का नाति का मानता है । इस दृष्टि के अनुसार भारत का अन्तर्गत कार्यक्रम में स्वतंत्र नाति का प्रवर्धन करना चाहिए तथा विरासत के नाम वापस लेना चाहिए ।

(५) यह सामन्तवादी व्यवस्था के विरुद्ध है ।

प्रजा समाजवाद दृष्टि के अन्तर्गत समाज का अन्तर्गत रहना है जो कि विना दृष्टि का अन्तर्गतता के अन्तर्गत है। दृष्टि के अन्तर्गतता में उन्तर्गत तथा अन्तर्गत अन्तर्गत है। दृष्टि के अन्तर्गतता का अन्तर्गतता का नाति में वापस लेना चाहिए तथा विरासत के नाम वापस लेना चाहिए । इनमें प्रथम अन्तर्गतता का अन्तर्गतता का नाति में वापस लेना चाहिए ।

समाजवाद दृष्टि — १० समाजवाद दृष्टि में मत १० ५ में समाजवाद दृष्टि का अन्तर्गतता का नाति में वापस लेना चाहिए । १० दृष्टि में प्रजा समाजवाद दृष्टि में प्रथम दृष्टि का अन्तर्गतता का नाति में वापस लेना चाहिए । प्रजा समाजवाद दृष्टि द्वारा अन्तर्गतता का अन्तर्गतता का नाति में वापस लेना चाहिए । प्रजा समाजवाद दृष्टि में मत १० ५ में समाजवाद दृष्टि का अन्तर्गतता का नाति में वापस लेना चाहिए । इस पर डा० अन्तर्गतता का अन्तर्गतता का नाति में वापस लेना चाहिए । इस दृष्टि का अन्तर्गतता का नाति में वापस लेना चाहिए । परन्तु प्रजा समाजवाद दृष्टि का अन्तर्गतता का नाति में वापस लेना चाहिए । इस बात पर १० दृष्टि का अन्तर्गतता का नाति में वापस लेना चाहिए ।

creed orism It is based upon identity of certain basic principles of a common goal and major socio-economic policies Both parties have accepted the idea that social change must be accomplished through peaceful means

ने पृथक दल बनाने का निश्चय किया। उनका कहना है कि ७ वर्ष में उनका दल भारत में सत्तारूढ हो जायगा।

वामपंथी समाजवादी — समाजवादी दल के अन्दर एक अग्रगण्य ही छोटा भाग ऐसा था जो कि दल की नीति से सन्तुष्ट नहीं था। इन लोगों ने यह कहना था कि समाजवादी दल श्रान्तिकारी दल नहीं रह गया है वरन् यह दक्षिणी-पन्थी हो गया है। इसकी नीति मानसवादी नहीं रह गई है। श्रीमती अरुणा आसफ़अली ने कहा कि कोई भी भन्ना समाजवादी इस दल के अन्दर नहीं रह सकता है। अभी इस दल का विरोध प्रभाव नहीं है।

साम्यवादी दल (Communist Party of India) :—इसका जन्म सन् १९२४ में हुआ था। परन्तु करीबन बीस वर्षों तक यह दल प्रबंध रहा। इस कारण इसको खल कर काम करने का अवसर सन् १९४३ के पूर्व नहीं मिला। सन् १९४७ में स्वतन्त्रता के पश्चात् इस दल ने श्री पी० सी० जोशी के नेतृत्व में नेहरू सरकार का स्वागत किया तथा यह नारा दिया कि इस सरकार से सहयोग करो। परन्तु कुछ समय बाद इसकी नीति में परिवर्तन हो गया। श्री रणदिवे इसके नए मन्त्री चुने गये। उनके काल में दो वर्षों तक साम्यवादी दल ने सरकार का सर्वत्र विरोध प्रारम्भ किया। इस काल में तेलंगाना में इस दल के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध खल कर विरोध किया गया। परन्तु यह संधर्ष की नीति असफल रही। इसके फलस्वरूप देश में इसका प्रभाव और भी कम हो गया। दल की नीति में पुनः परिवर्तन हुआ तथा श्री अजय घोष इसके नए मन्त्री निर्वाचित हुए तथा अभी तक है।

साम्यवादी दल का धर्म उद्देश्य भारत में पूँजीवादी व्यवस्था का पूर्ण रूपेण उन्मूलन करना है। इस प्रकार एक वर्ग-विहीन समाज की स्थापना होगी जिसमें मनुष्य का मनुष्य द्वारा शोषण का अन्त हो जायगा। उत्पादन में सब साधनों पर समाज का अधिकार होगा। इस उद्देश्य के पूर्ति के लिये साम्यवाद के प्रवर्तकों के मतानुसार, शान्तिपूर्ण या हिंसात्मक किसी भी प्रकार के मार्ग का अवलम्बन किया जा सकता है। भारतीय साम्यवादी दल का भी यही दृष्टिकोण था। परन्तु इस दल ने अन्ततः अधिवेशन के पश्चात् स्पष्ट रूप से यह घोषणा की है कि यह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति केवल वैधानिक तथा शान्तिपूर्ण उपायों से करेगा। इस दल ने प्रथम तथा द्वितीय निर्वाचनों में पूरा भाग लिया तथा दूसरे निर्वाचनों के पश्चात् केरल प्रदेश में इस दल द्वारा मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया गया है।

संघर्षशील देश का नीति-निर्देशक मंत्र मन्त्र प्रजातन्त्रीय राज-शासन का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन कर कार्य करना है। यह मन्त्र यह देश में एक साम्यवादी सरकार की स्थापना न करके मन्त्री प्रजातन्त्रीय सरकार की स्थापना करना ही बतलाता है। यह सरकार का मुख्य काम गेटी-नफ्त की समस्या को हल करना होगा। अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में यह दल का उद्देश्य अमेरिका की नीति का विरोध करना है। यद्यपि इसके अनुसार मगार की शांति का सबसे बड़ा भय अमराकी साम्राज्यवाद से है। देश के अंदर यह विभिन्न राष्ट्रीय वर्गों की अपने-आपके तथ्या आधारित उद्योग-प्रयत्न प्रसार की स्वतंत्रता का समर्थक है। यह दल के विरोधियों के अनुसार यह प्रजातन्त्र की स्थापना नहीं अपितु एक निरंकुश शासन की स्थापना करना चाहता है जिसमें कि केवल एक दल रहेगा और कोई नहीं। काम्य तथा प्रजा समाजवादी दोनों ही साम्यवादी देश के विरोध हैं।

अन्य वामपक्षीय दल — यह मन्त्र कुछ छोटे-छोटे मन्त्र दल भी है जो कि समाजवादी (Socialist) विचार-धारा से प्रभावित हुए हैं। परन्तु इन दलों का प्रभाव बहुत कम है। इन छोटे-छोटे दलों में सबसे मुख्य फार्वड ब्लाक है। इसकी स्थापना श्री सुभाषचन्द्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर की थी। यह दल का प्रभाव सीमित है। इस समय इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी सरकार की स्थापना है जो कि जनसाधारण के हित में तत्पर होगी। इसके अंदर दो विचारधाराएँ दृष्टिगोचर होती हैं। एक तीसरी मार्क्सवादी है और दूसरी को हम आतिशक्ति उदारवादी (Radical Liberalism) कह सकते हैं।

अन्य वामपक्षीय दलों के नाम हैं — बोलशेविक पार्टी, रिबो-यूनिवर्सरी कम्युनिस्ट पार्टी, वकम एंड पोर्नोसम पार्टी, रिबो-यूनिवर्सरी सोशलिस्ट पार्टी आदि।

लिबरल पार्टी — लिबरल पार्टी का जन्म सन् १९१८ में हुआ। उस समय तक लिबरल पार्टी की कोई अलग सत्ता नहीं थी क्योंकि उदारवादी नेता कांग्रेस के ही अंग थे। जब शुरू-शुरू में कांग्रेस बननी थी तब यह यथायथ उदारवादिया का ही मन्त्राधीन थी और यह वैधानिक उपायों के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त करना चाहती थी। परन्तु इन दिनों कांग्रेस के दृष्टिकोण में परिवर्तन होने लगा। छद्म-जनता के शासन का भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति प्रसंगीय और बढ़ा। कुछ नेताओं ने वैधानिक उपायों का छोड़कर अशान्तिपूर्ण उपायों को अपनाते पर जोर दिया। औपनिवेशिक

शिक स्वराज्य के स्थान में कुछ लोग पूर्ण स्वराज्य को अपना उद्देश्य बतलाने लगे। पहले पहल तो कांग्रेस के अन्दर नरम दल वालों का ही जोर रहा परन्तु बाद की नरम दल वालों का प्रत्येत हाँ गया। सन् १९१८ में ये नरम दल वाले कांग्रेस में अलग हो गये।

लिबरल पार्टी का प्रथम अधिवेशन सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ। इस नई पार्टी का नाम इण्डियन लिबरल फेडरेशन रखा गया। लिबरल फेडरेशन का लक्ष्य महा औपनिवेशिक स्वराज्य रहा है। यह दल इस उद्देश्य की प्राप्ति वैधानिक ढंगों से ही करने का पक्षपाती रहा है। इसीलिए जब-जब कांग्रेस में विदेशी शासन के प्रति आन्दोलन चलाने उदारवादी तत्त्व प्रलग रहे।

वर्षों में लिबरल पार्टी का जनता में कभी भी सम्पर्क नहीं रहा। एक तरह से यह पार्टी खोही नहीं। इनमें नेता ही नेता थे। इनके नेताओं में भारत के प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं, जैसे सर सुरेन्द्र नाथ बनर्जी, सर तेज बहादुर सप्रू, डा० जयकर, श्री चिन्तामणो, डा० कुंजल आदि।

प्रति वर्ष लिबरल पार्टी अपना अधिवेशन करती है। इनमें देश की विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श किया जाता है। राष्ट्रीयता के इतिहास में इस दल विशेष महत्व नहीं रहा है। आजकल इन दल का अस्त हो चुका है।

स्वतन्त्र दल.—श्री राजगोपालाचारी ने इस दल की शर्मा एक नाम पूर्व स्थापना की है। इस दल के प्रमुख नेताओं में राजा जी, श्री मनानी तथा श्री० रंगा हैं। इस दल का उद्देश्य देश में सनातनवाद, सहकारी खेती तथा राज्य के बड़े हुए प्रभाव-क्षेत्र का विरोध कर व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा करना है। स्वतन्त्रता दल के घोषणा-पत्र को देखने से यही प्रतीत होता है कि यह केवल एक अनुदार दल नहीं है अपितु एक प्रतिक्रियावादी दल है। इस दल का नविष्य क्या होगा यह कहना कठिन है। यह सम्भव है कि यह अन्य प्रतिस्पर्धा-वादी तत्वों तथा दलों के साथ मिलकर देश में एक संगठित प्रतिक्रियावादी विरोध-पक्ष बनाने का प्रयत्न करे।

साम्प्रदायिक दल:—यद्यपि तब तक जिन राजनैतिक दलों का वर्णन किया गया है वे किसी सम्प्रदाय-विरोध के या धर्म-विरोध के ऊपर आधारित नहीं हैं। परन्तु इसके विपरीत वे राजनैतिक तथा धार्मिक कार्यक्रम को लेकर चलते हैं। इस लिये उनकी सदस्यता भी किसी विशेष सम्प्रदाय या धर्मानुयायियों तक ही

ही सीमित नहीं है। प्रत्येक भारतीय जान कि उनके कायक्रम तथा सिद्धान्तों में विश्वास करता है उनका मद्दम्य हा मरना है। इन दलों के अतिरिक्त देश में कुछ अन्य दल भी हैं जो कि साम्प्रदायिक हैं। उदाहरणार्थ, हिन्दू महासभा, गौली दल तथा मुस्लिम लीग। भारतवर्ष के विभाजन के पश्चात् भारत में मुस्लिम लीग की शक्ति क्षीण हो गई है तथा यह समाप्तप्राय सी ही है। मुख्य मुख्य साम्प्रदायिक दलों का वर्णन नीचे किया गया है —

हिन्दू महासभा — इस शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में जब अंग्रेजी सरकार की नीति के फलस्वरूप मुगलमानों के नेता मुस्लिम लीग की स्थापना कर रहे थे उसी समय हिन्दू हिता के रक्षार्थ हिन्दू महासभा का जन्म हुआ। यह दल आरम्भ में राजनैतिक न था। परन्तु इसका उद्देश्य हिन्दुओं के सामाजिक तथा सांस्कृतिक हिता की रक्षा करना था। इस दल में हिन्दू जनता इसकी ओर कोई विशेष आकर्षित नहीं हुई क्योंकि काँग्रेस का अत्यधिक प्रभाव था। परन्तु जैसे जैसे मुगलमानों का शासन समाप्त हो रहा था वही वही हिन्दू महासभा का प्रभाव बढ़ा। परन्तु इनका होने पर भी हिन्दू महासभा कभी भी हिन्दुओं में अधिक जनप्रिय नहीं पाई। इसका कारण यह है कि हिन्दू जनता का यह विश्वास रहा है कि कांग्रेस उनके हिता का रक्षण ठीक प्रकार से कर रही है। इसके अतिरिक्त एक बात यह थी कि अंग्रेजी सरकार ने मुस्लिम लीग का मुगलमानों की प्रतिनिधि-मन्त्रियों माना परन्तु हिन्दू-महासभा के इस दाव का कभी भी स्वीकार नहीं किया कि यह हिन्दुओं की प्रतिनिधि संस्था है। इससे बढ़ते अंग्रेजी सरकार सदा काँग्रेस को ही हिन्दुओं की प्रतिनिधि मानती आई क्योंकि काँग्रेस ने सदा गान्धी देश का प्रतिनिधि होने का दावा रखा। हिन्दू-महासभा के नेताओं में प्रमूख नाम लाला लाजपत राय, प० मदन मोहन मालवीय, स्वामी श्रद्धानन्द, डा० मुजे आदि के हैं। वर्तमान समय में इसका नेता वीर सावरकर, श्री आनन्दजी गडकरी, श्री भागवतकर आदि हैं। इस समय भी हिन्दू महासभा के अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक नहीं है।

हिन्दू महासभा देश की अखण्डता में विश्वास करती है। इसलिए इसका प्रथम मुख्य उद्देश्य यह है कि देश के विभाजन का अन्त हो और भारत तथा पाकिस्तान के स्थान में एक ही भारत की स्थापना हो। इसका कहना है कि देश का विभाजन काँग्रेस की ही नीति का परिणाम है। इनके अतिरिक्त महासभा के अन्य मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं —

(घ) यह क्षेत्र में प्रजासत्ताक व्यवस्था की स्थापना करना चाहनी है जिनमें कि किसी भी प्रकार की जाति, वर्ण आदि का भेदभाव नहीं होगा। इस प्रजातन्त्र का आधार भारतीय सभ्यता होगी। देश के अन्दर एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना होगी।

(ब) देश की सैनिक शक्ति को बढ़ाना और इसलिए सब स्वस्थ नागरिकों को सैनिक शिक्षा देना।

(स) देश की आर्थिक, सांस्कृतिक तथा भौतिक उन्नति करना। देश में उद्योग-पेशों की स्थापना करना।

(द) हिन्दू धर्म की रक्षा करना।

(ध) अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सब अन्य देशों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखना तथा विश्व-शांति के लिए प्रयास करना।

अगर हिन्दू-महासभा सामाजिक क्षेत्र तक ही अपने को सीमित रखती तो शायद अधिक लाभदायक काम कर सकती। परन्तु राजनैतिक क्षेत्र में इसकी नीति प्रतिक्रियावादी है। यद्यपि यह एक प्रगतिशील कार्यक्रम को अपना ध्येय बतलाती है, परन्तु इसके अन्दर जमींदार, पूँजीपति आदि को देखने से लगता है कि इस क्षेत्र में इनका काम विशेष हितों की रक्षा ही होगी।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ.—संघ की स्थापना मन् १९२५ में डा० हेडगेवार द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य हिन्दू संस्कृति, हिन्दू धर्म तथा हिन्दू राज्य की स्थापना था। इस दल का प्रारम्भ महाराष्ट्र में हुआ था तथा अनेक वर्षों तक इसका प्रभाव उसी प्रदेश में सीमित रहा। परन्तु धीरे धीरे संघ का काम अन्य प्रदेशों में भी फैला। भारत के विभाजन के पश्चात् साम्प्रदायिक दंगों के फलस्वरूप जो वैमनस्य का वातावरण उत्पन्न हुआ उसमें संघ के विचारों तथा प्रभाव को प्रसारित होने का अवसर मिला। इस समय संघ के नेता श्री गोलवाकर हैं। संघ का उद्देश्य इनके अनुमादियों के अनुसार हिन्दू सभ्यता का पुनरुत्थान है। यह अपने को राजनैतिक दल नहीं बतलाता न इसके राजनैतिक उद्देश्य ही हैं। संघ का सगठन अर्थ सैनिक संगठन है। इसका प्रभाव अधिकतर विद्यार्थियों तथा छोटे दुकानदारों में है।

भारतीय जनसंघ :—भारतीय जनसंघ वास्तव में भारतीय न होकर एक हिन्दू साम्प्रदायिक राजनैतिक दल है। इसकी स्थापना मन् १९५१ में स्वर्गीय डा० ध्यानाप्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। यह वास्तव में राष्ट्रीय

स्वयं सचक मध का ही राजनीतिक पक्ष है। जनसभ एक प्रतिक्रियावादी दल है तथा सभी प्रगतिशील आर्थिक तथा सामाजिक सुधारों का व्यक्ति स्वातन्त्र्य तथा भारतीय सभ्यता के नाम म विरोधी है।

इस दल के निम्नान्त मुख्य उद्देश्य हैं—(१) भारत की भ्रष्टता की उस्थापना (२) भारत का राष्ट्रमण्डल से पृथक्करण, (३) भारत का आर्थिक विकास तथा औद्योगिक उन्नति (४) समाजवादी व्यवस्था तथा सरकारी खेती का विरोध, (५) कांग्रेस का प्रथम सयुक्त राष्ट्रमण्डल से वापिस लिया जाय, तथा (६) देश में अल्पसंख्यकों के हितों का समुचित संरक्षण।

देश के कुछ भाग में विशेषतः दिल्ली तथा पंजाब में जनसभ का प्रभाव बड़ा रहा है।

सिखों के दल—मिखा क अन्दर एक भाग तो ऐसा है जो कांग्रेस में है तथा उस विचार का अनुयायी है कि कांग्रेस राष्ट्रीय मस्या है तथा किसी साम्प्रदायिक मस्या की मिख हितों का विरोध रक्षार्थ आवश्यकता नहीं है। परन्तु इस विचारधारा का अनुयायियों के अतिरिक्त सिखा में दो दल हैं। एक तो अकाली दल है। इसके नेता मास्टर तारासिंह हैं। यह दल साम्प्रदायिक भावना से ओत प्रान्त है। यह कांग्रेस का विरोधी है। इसकी मांग सुक्षेप में यह है कि मिख-हितों के रक्षार्थ यह आवश्यक है कि सिख सम्प्रदाय की एक अलग सत्ता हो। इसको सबसे अधिक सन्तोष तब होगा जब कि एक मिखिस्तान बन जाय। अकाली दल मुत्सद राजनीतिक है। इसकी राजनीति का आधार धर्म है। दूसरा दल के नेता महाराजा पटियाला हैं। इस दल का कार्यन्वय राजनीतिक नहीं है। इनका प्रमुख उद्देश्य मिखों की सांस्कृतिक उन्नति है।

मुस्लिम लीग तथा अन्य मुस्लिम दल—हम पिछले अध्याय में यह बतला चुके हैं कि किस प्रकार सन् १९०३ में लीग का जन्म हुआ। लीग आरम्भ से ही एक प्रतिक्रियावादी तथा अराष्ट्रीय मस्या रही है। इसका उद्देश्य सदा साम्प्रदायिक रहा है। इसका जन्म भारतीय राष्ट्रीयता के विकास में रोड़ बटवाने के हेतु अंग्रेजों की कृत्नीत द्वारा किया गया था। कोई भी विदेशी शासन अधिक दिना तक किसी देश को दासता में नहीं रख सकता है अगर वहाँ के निवासी एक हाकर उमके विरुद्ध हो जायें। इसलिए अत्यन्त प्राचीन काँ सही सर्वत्र विदेशी शासकों ने फूट डालने की नीति

को अपनाया है। रोम के शासकों ने अपने साम्राज्य में इसी नीति को अपनाया था। इसको Divide and Rule की नीति कहते हैं। अंग्रेजों ने भी भारत में इसी नीति को अपनाया और इसमें कोई संदेह नहीं कि वे इसमें अत्यन्त सफल हुए अन्त में जब वे यहाँ से चले भी गये हैं, तब भी हम उनके प्रभाव से मुक्त नहीं हो सके हैं।

लीग ने स्थापना के पश्चात् सरकार के सम्मुख इस प्रकार की मांगें रखीं, जैसे कि मुसलमानों के हितों का सुरक्षण ठीक प्रकार में हो, उन्हें नौकरियों में अधिक स्थान दिये जाय, मुसलमानों के लिये अलग निर्वाचन-क्षेत्र वा निर्माण हो इत्यादि। क्योंकि सरकार मुसलमानों को राष्ट्रीय आन्दोलन में अलग रखना चाहती थी, इसलिये सन् १९०९ में बाल्लू मिन्टो सुधार द्वारा साम्प्रदायिक निर्वाचन का प्रारम्भ हुआ। परन्तु इस काल में देश में कई प्रसिद्ध मुसलमान नेताओं ने लीग का साथ नहीं दिया। कुछ प्रगतिशील विचार के नेताओं ने यह चिन्ता की कि लीग तथा कांग्रेस में मेल ही जावे। कुछ सीमा तक इनमें सफलता रही। सन् १९१५ में लखनऊ में कांग्रेस-लीग बैठ हुआ। इसके द्वारा लीग ने स्वतन्त्रता की मांग को धरती भी उद्देश्य स्वीकार कर लिया तथा कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन को मान लिया।

जब युद्ध के पश्चात् देश में असन्तोष बढ़ा तथा कांग्रेस का आन्दोलन और खिलौफत आन्दोलन हुए, उनका लीग ने विरोध नहीं किया। परन्तु इस काल में लीग ने अधिक प्रभाव जमावत-उप-उत्सर्ग हिन्दू का हो गया था।

जैना पहले दिसलाया जा चुका है सन् १९२३ से भारत में करीबन चार वर्षों तक कई स्थानों में हिन्दू मुस्लिम दंगे हुए। इन दंगों का प्रसंगी उत्तरदायित्व अंग्रेजी सरकार पर है। इनका अन्तर यह हुआ कि जो हिन्दू तथा मुसलमानों के बीच सन् १९१९ से एकता बली भा रही थी वह टूट गई तथा मुस्लिम लीग पुनर्जीवित हो गई। परन्तु इन समय भी लीग के अन्दर दो

1. पं० जवाहरलाल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'The Discovery of India' में लिखा है, "I cannot excuse or forgive the British authorities for the deliberate part they have played in creating disruption in India. All other injuries will pass; but this will continue to plague us for a much longer period."

विचारधाराएँ थीं। एक तो कुछ मात्रा तक राष्ट्रीय था परन्तु दूसरी पूर्णतया साम्प्रदायिक थी। जब सन १९२७ में साइमन कमीशन का आगमन का थापणा हुई उस समय साम्प्रदायिक भाग ने अपना एक अलग अधिवेशन किया तथा कमीशन के स्थापन में हुए प्रस्ताव पाम किया। इस समय उलमाओं भी साम्प्रदायिकता की भारत की और उहाँन नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। उन रिपोर्ट में सर्वोच्च निराशा के अन्तर्गत अन्तर्गत किया गया था। परन्तु उलमाओं ने यह माँग रखा कि पत्रक निर्वचन क्षेत्र हीन चाहिये। गीग के अन्तर्गत प्रतिक्रियावादियों का प्रभाव बढ़ता ही गया और अन्तर्गत यह हुआ कि राष्ट्रीय विचार वाद अन्तर्गत हा गया।

मुसलमान नाम साम्प्रदायिकता बढ़ता गया और इसका कारण अग्रजी सरकार का इस विचार धारा का प्रोत्साहन देना था। सन १९२९ में श्री मोहम्मद प्रली जिन्ना ने जो कि अपना राजनैतिक जीवन के आरम्भिक वर्षों में राष्ट्रीयता का समयक था गीग के लाहौर अधिवेशन में अपनी प्रसिद्ध १४ माँग रखा जो कि **Fourteen points** कहलती है। ये माँग नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों का पूर्णतया विरोधी है। इनमें से मुख्य निम्नलिखित थी —

(१) भारत का भावी विधान सघात्मक हो तथा अक्षिष्ट अधिकार शांति के पाम हो। प्रांतों की स्वायत्त शासन का अधिकार हो।

(२) सब विधान मण्डल में अल्पसंख्यकों के नियम स्थान सुरक्षित हो। केन्द्रिय विधान मण्डल में समरमानों के लिये एक तिहाई स्थान परक्षित हो।

(३) पञ्चक निवृत्तन प्रणाली हो।

(४) मद्र नौरिया में मुसलमानों के लिये उचित स्थान हो।

(५) समरमानों के धर्म मरुति भाषा आदि के संरक्षण का विधान शांति उचित प्रवृत्त हो आदि।

गोपमज सभाओं में मुस्लिम लोग ने पूरी तरह से अग्रजी सरकार का नायक दया। इसका फल यह हुआ कि अग्रजी सरकार ने राष्ट्रीय माँगों को यह कह कर ठुकरा दिया कि समरमान इसके विरुद्ध हैं। अग्रजी सरकार ने पूरा प्रयत्न किया कि हिंदू तथा मुसलमानों में समझौता न हो पाय।

सन् १९३२ में ऐक्ट द्वारा भारत में साम्प्रदायिकता को और प्रोत्साहन मिला। जब कांग्रेस ने ऐक्ट के अन्तर्गत चुनावों के दावे कई प्रांतों में पदग्रहण किया तथा मुस्लिम लीग की इन मांगों को सचनेत मजि-मठल बनाये जाय, स्वीकार नहीं किया तो लीग ने मुसलमानों में कहा कि देश में हिन्दू राज्य स्थापित हो गया है तथा मुसलमानों का धर्म, भाषा तथा संस्कृति सभी पक्षों में है। इस काल में देश भर में लीग का प्रभाव बढ़ा। अधिकाधिक मुसलमान इसमें आने लगे। जब कांग्रेस ने पद-त्याग किया तब लीग ने देश भर में मुक्तिदिवस मनाया।

इस काल में लीग की मांगें उत्तरोत्तर दृढ़ी हुईं। लीग नेताओं के भाषणों में राष्ट्रीयता के विरुद्ध विष्य बढ़ता ही गया। उन्होंने बहुत प्रारम्भ किया कि हिन्दू तथा मुसलमान मिल कर नहीं रह सकते हैं। सन् १९४० में श्री जिन्ना ने लीग के सभापति पद में भाषण देते हुए लाहौर में कहा था कि हिन्दू तथा मुसलमान दोनों की सम्प्रदाय, संस्कृति, भाषा और धर्म सब पूरक पृथक् हैं। इसलिए यह धारणा करना व्यर्थ है कि वे दोनों मिलकर एक राष्ट्रीयता को जन्म देंगे। उनका इतिहास भिन्न है, उनकी प्रेरणा के स्रोत भिन्न हैं।¹ इस प्रकार हम देखते हैं कि लीग अधिकाधिक राष्ट्रीयता की राशु होती जा रही थी। इसकी मांगें बढ़ती जा रही थी। अब यह बेशक विशेष प्रतिनिधित्व का नीकरियों में अधिक रक्षकों की ही मांग कर सतुष्ट न थी परन्तु अब यह कहने लग गई थी कि मुसलमान एक अलग राष्ट्र हैं। इसके दावे यह स्वतन्त्रता कि दा कि दूसरा पक्ष यह होता कि मुसलमानों का एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो। लाहौर अधिवेशन में ही लीग ने यह प्रस्ताव पाम किया कि देश के वे भाग जिनमें मुसलमानों का बहुमत है स्वतन्त्र राज्य माने जाय।

सबप्रथम सन् १९३० में लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग की थी। इसमें उनके अनुसार पंजाब, उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त प्रवेश, सिन्ध तथा बलूचिस्तान सम्मिलित होने चाहिये थे। तीन वर्ष बाद इंग्लैंड में कुछ मुसलमान विद्वानों ने एक पुस्तिका में यह सुझाव रखा कि उपरोक्त प्रांतों का एक अलग राज्य

1. Islam and Hinduism "are not religions in the strict sense of the word, but are in fact different distinct social orders, and it is only a dream that Hindus and Muslims can ever evolve a common nationality. The Hindus and Muslims have different religions; philosophies, social customs, literature."

है। इसका उद्धान पाकिस्तान का। "मैं प्रतिनिधित्व दगा" तथा आगाम और हैदराबाद का भाग मन्तव्यता के स्वतंत्र राज्य बनाता चाहता है।

इस प्रकार पाकिस्तान की मांग नतीस ली। परन्तु परन्तु यह एक अस्पष्ट विचार था। गीर वीर आग व नताया नि भारत-क म मका और तथा स्पष्ट हात गी। गीर वीर नि उ गीर दगता तास तथाथा। ताधारण मुगलता इतना अतिर प्रभाविन इथा कि वर और गीर वर भू- गया। सन १०११ म मद्रास अधिपता म गीर न पाकिस्तान ता अपना उद्देश्य स्वीकार किया। जय सन १०८२ म भारत काया आगान आ ता काग ते मुगलमान ज्ञानता म वता कि इमका उद्देश्य भारत में हिन्दू राज्य स्थापित करना है इमनिम मम महयाग न ग। मसमान इस आ शान्त म अरुग ही र।

म १०८० म १९८६ तक कसिग न गीर क गीर ममता क गिये वर वार वानाय की परन्तु सफलता प्राप्त न हुई। राजा गी गी नगभार्द दगार्द तथा अत म गाधी गी मभी अगक रह।

जय सन १०८६ म कसिग न गीर म आग तद मसिम गीर न उमर गामन यह माग रयी नि उत्तर पश्चिम म पजाब उत्तर-पश्चिमी सीमा प्राप्त मिथ तथा बलचिगता गीर पूव म दगा तथा आगाम पाकिस्तान में मसिमि गिय जाय। पजाब म तापय का मीर म भी था। गीर वर जानती था कि गतना सय मिगता असाध्य है। परन्तु दगरी गीर य भी स्पष्ट हो गया था किना गीर क म नग गिय भारत की ऐधानिक ममया ग नडीं होगवता है। जाग अघी स्विर्त म विगी भा प्रकार इटन का तयार नहं था। परन्तु काश्मिग विभाजन के तिय प्रस्ता नती थी। परन्तु धीरे धीरे उमरे अवायम्भावी का स्वीकार कर गिया। जय गुता १०८७ म ब्रिटिग पालिया- मण्ट न भारतीय रवा वता एगट पाग किया नर भारतवय म दा उपनिवदा की स्थापना की गई—भारत तथा पाकिस्तान।

इमक पदता य म्वाभाविन था कि गीर क सय नता पाकिस्तान चरे जाय। भारत म आग का अरुट प्रभाव कम हुआ गया। वर नताया न यह प्रयत्न किया था कि मसमाना का किर स नए रूप में मगटा किया ता ता नि उवने राजाति गीर नासनिग अधिका गुरुभित रह परन्तु अधिपता गिधित मसिम का विगी तय अरुग दल की स्थापना क यम म नती है।

गीर क अनिचिगन भारत म मसमाना क वरु अय दग भा रह है। ब्रिटिग युग म मुसिम जनता न ऊपर इका प्रभाव काग का अयथा अयउ

कम था। ये दल नया में राष्ट्रीय विचारों के रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस का नया साथ दिया और विभाजन का विरोध किया। स्वतन्त्रता के बाद भारत में मुस्लिम जनता के ऊपर इनका प्रभाव पहले से कुछ बढ़ गया है। इन दलों में मुख्य तमील-उर-उरनाये हिन्द, अहरार दल, मोमिन दल तथा शिवा दल हैं।

हमारे देश में चाहे हिन्दुओं के साम्प्रदायिक दल हों अथवा मुसलमानों के, दोनों के लिए कोई स्थान नहीं है। साम्प्रदायिकता केवल राष्ट्रीयता के ही विकास में बाधक नहीं है बल्कि यह देश में प्रगतिशीलता की भी गन्धु है। धर्म के नाम से प्रत्येक सुधार का विरोध करना साम्प्रदायिक दलों का काम रहा है। इसलिए अगर भारतीय जनता भागे बढ़ना चाहती है तो उसे इन साम्प्रदायिक दलों की ओर से मुँह मोड़ लेना चाहिए।

प्रश्न

- (१) कांग्रेस के क्या उद्देश्य हैं? संक्षेप में इसका इतिहास लिखिये।
- (२) प्रजा समाजवादी दल का किस प्रकार जन्म हुआ तथा इसके नया उद्देश्य हैं?
- (३) साम्प्रदायिक दलों के ऊपर एक निबन्ध लिखिए। भारत में इनका क्या भविष्य है?
- (४) साम्प्रदायी दल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।

(५० पी० १९५३)

धर्म तथा धार्मिक आन्दोलन

धर्म तथा जीवन में इसका महत्त्व —साधारणतः धर्म शब्द का तात्पर्य किसी विशेष प्रकार से किसी देवी देवता या ईश्वर की उपासना करना समझा जाता है। इस अर्थ में यह व्यक्ति तथा ईश्वर के मध्य सम्बन्ध है। परन्तु व्यवहार जगत में धर्म इनमें कहीं अधिक व्यापक अर्थ रखता है। धर्म से तात्पर्य न केवल एक विधि प्रकार की पूजा विधि या उपासना का ढंग ही समझना चाहिए परन्तु वह यथाथ में एक जीवन का ढंग (a way of life) भी है। प्रत्येक देश में अलग अलग जीवन की दशाएँ होने के कारण अलग अलग ढाँचे उचित या अनुचित समझे गई हैं। धर्म में तात्पर्य इन सब बातों से समझा जाता है। इस प्रकार धर्म जीवन में एक प्रकार का नियन्त्रण है। यह सिखाता है कि जीवन में क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए। यह कुछ नैतिक नियमों का पालन आवश्यक बतलाता है। ये सदाचार के नियम प्रसन्नता प्राप्ति के साधन हैं परन्तु इनके पालन में न केवल धर्म सत्तार में परमात्मा परात् भी सुख प्राप्त होता है।

धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई? धर्म प्रश्न का विवेचन करता रहा हमारा उद्देश्य नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार धर्म का जीवन में अत्यन्त महत्त्व है। वह हमें सदाचार की ओर प्रेरित करता है। वह मनुष्यों के मध्य सामाजिक

धर्म ही की देन है।

इन विचारों में सत्य का बड़ा अंग है। इस दृष्टि से सत्तार के सभी धर्मों में मूल बातें एक ही हैं इसलिए उनमें पर्याय में कोई भेद नहीं है। नौई भी धर्म यह नहीं सिखाता कि अत्यन्त भाषण करो। कोई भी धर्म दया के स्थान में विदमता नहीं सिखाता है। धर्म प्रकार सभी धर्म धर्मिन को उन गुणों को प्राप्त करने को रहते हैं जो कि सफल सामाजिक जीवन के लिए

आवश्यक है। प्रत्येक धर्म विनीत न किनी रूप में एक अर्थोचित तथा अनानवीय शक्ति में विस्तार रखता है। यह शक्ति सर्वोच्च सव्यक्तिमाली, जगत का आदि कारण मानी गई है। इसके रूप के विषय में प्रत्येक धर्म में अलग अलग विचार है। धर्मों में आपस में उपामना की विधि के विषय में भी भेद है। परन्तु विभिन्नताओं के होते हुए भी उनमें बहुत अधिक मात्रा तक समानता है।

धर्म के कारण समाज में जहाँ एक ओर अच्छाटप्या आई वहाँ दूसरी ओर कई बुराइयाँ भी आईं। विभिन्न धर्मों के अनुयायियों ने एक दूसरे के विरुद्ध जो कुछ किया है वह अवर्णनीय है। योरोप में कैथोलिक धर्मावलम्बियों ने प्रोटेस्टेण्टों को आग में जिन्दा जलाया। मुसलमानों ने धर्म के नाम में अन्य धर्म के मानने वालों को तलवार के धाड़ उतारा, ईसाइयों ने इनो प्रचार के अत्याचार किए। सभी धर्मों ने दूसरे धर्मों के समर्थकों पर जब अवसर मिला कुछ न कुछ अत्याचार किए हैं। हमारे ही देश में, हमारे ही जीवन में, धर्म के नाम में हिन्दू तथा मुसलमानों ने जो कुछ एक दूसरे के विरुद्ध किया वह विदित है।

धर्म समाज की प्रगति में बड़े अवनरो पर बाधक सिद्ध हुआ है। यूरोप में जब पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं शताब्दी में वैज्ञानिक-बाल (Scientific Knowledge) फैल रहा था, धर्म ने इसका विरोध किया तथा इसके अधार्मिक बतलाया। इसी प्रकार सब देशों में धर्म विनी भी प्रकार के परिवर्तन के विरुद्ध रहा है। धर्म के नाम में समाज में सुधारों का विरोध किया गया आज भी हमारे समाज में सुधारों का विरोध किया जाता है। आज भी हमारे हमारे समाज में कई लोग हजिजनों को मयबा स्त्रियों की अकन्या में विनी प्रकार के सुधार के विरोधी हैं क्योंकि उनके अनुसार यह हमारे धर्म के विरुद्ध है। धर्म अन्धविश्वास का जन्मदाता है। यह मानसिक दासता को जन्म देता है तथा विचारों की स्वतन्त्रता का शत्रु है। धर्म का आधार विश्वास है, न कि बुद्धि। हमारे समाज में बाल-विवाह, पुनर्विवाह, पर्दा-प्रथा सब धर्म के नाम में उचित बतलाये जाते हैं। धर्म के ही नाम में विधवा-विवाह, मित्रियों की शिक्षा, उनको अधिकार प्रदान करना आदि का विरोध किया जाता है। भारत में कुछ वर्ष पूर्व तक समुद्र यात्रा करना पाप समझा जाता था। बहूतों ने इसी कारण विदेश यात्रा ही नहीं की। जिन्होंने की भी उनमें से बहुत न लोगों ने भारत आकर प्रत्यर्पित किया। धर्म सरीर्णता का स्रोत है।

धर्म समाज की विभिन्न वर्गों में बाँट देता है। इन प्रकार सामाजिक एकता नष्ट हो जाती है। हिन्दू-समाज में वर्ण-व्यवस्था ने समाज को अत्यन्त

दिया जाता, यद्यपि पुरुष एवं मे अधिक विवाह इत पञ्जा है। धर्म के नाम से पण्डित तथा पुजारी और मूल्या और मौलवी भोजो-भाषी जन्मा को सुदते है। मर्क में, धार्मिकता कोई बुरी बात नहीं पण्णु धार्मिकता का अर्थ आडम्बर तथा भुगणकार नहीं होना चाहिये।

भारत के मुख्य धर्मों का वर्णन दिया जाता है —

हिन्दू-धर्म:—भारत में जन्मा का अधिकतर भाग हिन्दू धर्म का अनुयायी है। इसको शास्त्र धर्म कहा जाता है। इन अर्थ में यह ठीक है कि भारत जितने भी धर्म प्रचलित हैं उनमें यह सबसे प्राचीन है। इनके अनुयायियों को मूल्या-करोड़ी में है। कर्षीवन मन्तर की जन्म-रक्षा का पाँचवाँ भाग इनकी मानता है।

हिन्दू धर्म के अन्दर कई मतमतान्तर है। इन कारण इनको परिभाषा करना अत्यन्त है क्योंकि इनके अन्तर्गत ही कई विभेद है। इसका कारण यह है कि मन्तर की गति के माप-माप मौलिक हिन्दू-धर्म में कई दाने उड़नी चली गई।

हिन्दू धर्म का स्रोत वेद है। ये चार हैं—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। हिन्दुओं का विश्वास है कि वेद विभी मनुष्य की वृत्ति नहीं परन्तु भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। अर्थात् वे वेद उन स्तुतियों के समूह है जिनके द्वारा अर्थात् लोग अपने देवताओं की उपासना करते थे। अर्थात् प्रवृत्ति-सूत्रक ये। वेदों में सूर्य, इन्द्र, वरुण, अग्नि वायु आदि की स्तुतियाँ हैं।¹ यह स्वभाविक है कि वृत्ति-प्रधान देश में प्रवृत्ति की इन शक्तियों की उपासना की जावे। अर्थात् लोग इनको प्रमत्त करने के लिये यत्न करते थे। आरम्भ में अर्थात् का विचार था कि मन्तर की देवताओं ने ही सृष्टि की है। अर्थात् इन विविध देवताओं की उपासना इसलिए करते थे ताकि उन्हें मन्तर में मूल मिले और मृत्यो-परास्त भी उन्हें कष्ट न हो: इन समय यह विचार हो गया था कि मरने के बाद पुष्पात्मा व्यक्ति तो स्वर्ग को जाते हैं और दुरात्मा नरक में जाते हैं।

1. "In this religion the various powers of nature like fire (agni), wind (vayu) and the sun (surya), amidst which man lives and to whose influence he is constantly subject, are personified. They are looked upon as higher beings, whom it is man's duty to obey and to propitiate." Hiriya, Essential, of Indian Philosophy, p. 10.

धर्म धर्म आर्या म इस विचार का आरंभभाव हुआ कि इन विविध दस्ता-
न पीछे एक सवश्रष्ट शक्ति है और अथ नव शक्तिया उगी क विविध
रूप है। उमका एक स्थान पर तन एकम कहा गया है। यह सर्वोच्च शक्ति
रूपभू है और मारी मृष्टि म्मा म जन्मी है।

यहने-यहल आम अपन दवताआ का प्रमन्न करने क लिय उह धर्म तथा
धी चदाने थे। परन्तु वागन्तर म पूजा का दग अविचारिक जगि हो गया।
रह-बडे यज्ञ होने लग। इनका करन क लिय विशप पुगहित वग का भी जम
हुया। इस प्रकार कम काटा की वृद्धि हुई। दम काल म यह विश्वास भी
उत्पन्न हा गया था कि यज्ञा क द्वाग जा कुछ चाहा वह करया जा सकता है।

एक आर तो कमवाण की वृद्धि हा रही थी परन्तु दूसरी आर इमने
प्रतिश्रिया-स्वरूप उपनिषदा के विचारा का जम हुआ। उपनिषद का अथ गुप्त
विद्या या रहस्य म है। यह विद्या मवनाधारण क लिए नहीं थी परन्तु गुप्त
द्वारा केवल उन्हा को दी जाती थी जो कि इसक योग्य ममज्ञ जात थ। उपनिषदा
में कमवाण के ऊपर कोट महत्त्व नहीं लिया गया ह। य मुग्यन दशन (philo-
sophy) क अथ है। इतम मुग्य विचार यह है कि ब्रह्म हा चरम मत्य है।
उपनिषदा की चरम शिष्या है कि मैं ही ब्रह्म ह।

उपनिषदा क विचारा का साधारण जीवन म अविश्र प्रभाव नहा हुआ और
मवाण बढ़ता ही गया। नए-नए यज्ञ निरग और उनका करन की नई विधिया
पुरोहिताने निकारी। यज्ञा म यज्ञदान बहुत हान म्ग। इस प्रकार बाह्याडवर
पर अधिष्ठार दिया गया। हिन्दू धर्म का म्गी अवस्था दगम इमने मुगार
के उत्पन्न ग जैन तथा बौद्ध धर्मोंका जम हुआ। (इनका वगन बाद काशिया
गया है)। इन दो नए धर्मा के प्रभावस्वरूप हिन्दू धर्म म कई परिवर्तन हुए।
य दग वागण भी किए गए ताकि लोग पुरान धर्म का विलुप्त हा छाड न द।
इमगिण हिन्दू धर्म म नए देवताआ की मृष्टि की गई—शिव विष्ण तथा देवी।
इन तीना क अतुमाधिया न अलग अलग मत चलाए। परन्तु इमक साथ ही साथ
यह नही भूलन चाहिये कि य सध नए मत हिन्दू धर्म की शाखा मात्र है।
याा क स्थान म भक्ति की महिमा बढ़ने उगी। स्वग प्राप्ति का माधन इन
देवी देवताआ की प्रसन्नता हा गई।

हिन्दू धर्म की दो विशेषताये हैं एक तो यह कि कोई एक व्यक्ति इस धर्म
का सम्यापक नहीं कहा जा सकता है तथा दूसरे प्रत्येक हिन्दू एक ही मिष्ठान्त

का माने पर अन्वय नहीं है। परन्तु कुछ गेनी माने है जिनकी प्रत्येक हिन्दू मानता है—वेदा की अज्ञाता, आत्मा की अमरता ईश्वर की नाना तथा बर्नवाड में विद्वान्। इनके साथ साथ सभी हिन्दू पुनर्जन्म में विद्वान् गवने है। एक विशेष देवता का भवन होने हुए भा वे अन्य देवताओं का प्रति अज्ञा गवने है। वे यह भी मानते हैं कि सब देवी-देवता एक ही परम-ब्रह्म के विभिन्न रूप हैं।

जैन धर्म—यह वैदिक धर्म की एक शाखा नहीं है। शायद उत्तर वैदिक-काल में इसका आरम्भ हुआ। परन्तु ई० पू० छठी शताब्दी में महावीर द्वारा इसकी पुनर्जीवित किया गया। महावीर जैनों के आदि गुरु नहीं हैं। वे चौबीसवें तीर्थंकर माने जाते हैं। महावीर का जन्म करीबन ५४० ई० पू० में हुआ था और इनकी मृत्यु करीबन ४६८ ई० पू० में हुई। इनका जन्म राजपराने में हुआ था परन्तु उन्होंने करीबन तीस वर्ष की आयु में सब कुछ त्याग दिया तरह वर्ष की तपस्या के पश्चात् उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ और वे 'जिन' हो गए। इनका धर्म आत्म-विज्ञान में है। इनी में जैन शब्द निकला है। जैन धर्म वा भारत के बाहर किसी भी देशों में प्रचार नहीं हुआ और भारत में भी यह काले बौद्ध धर्म की तरह लोक-प्रिय नहीं हुआ। कालान्तर में जैनों के दो भाग हो गए—श्वेताम्बर तथा दिगम्बर। श्वेताम्बरों के साथ वेद श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। उनकी मूर्तियाँ भी नफेद बस्त्रों में ढँकी रहती हैं परन्तु दिगम्बर जैनों के साथ वस्त्र हीन रहते हैं, क्योंकि उनका यह विद्वान् है कि किसी भी वस्तु का अपने पास होना निर्वाण-प्राप्ति के मार्ग में बाधक है।

जैन धर्म जीव (spirit) तथा अजीव (matter) में विद्वान् करता है। परन्तु इनका हिन्दुओं की तरह ईश्वर में विद्वान् नहीं है। जीव शाब्दिक है। यह पुनर्जन्म में भी विद्वान् करता है और इनके साथ-साथ बर्नवाड की भी मानता है। जीव को अपने बर्नों के अनुसार अच्छे या बुरे फल भोगने पड़ते हैं। जैन धर्म अहिंसा पर बहुत अधिक जोर देता है। छोटे में छोटे जीव की हिंसा भी महापाप है।¹ जैनों के अनुमान नाना में किसी बात का भी लगाव नहीं होना चाहिये। शगर जीवन का चरम उद्देश्य प्राप्ति करना है तो

1. "Its chief doctrine is that there are souls in every particle of earth, air, water and fire, as well as in man, animals and plants; and its first ethical precept is "Do not destroy life."

Farquhar—Modern Religious Movements in India, p. 325.

सैराम्य का रास्ता अपनाना चाहिये। केवल इमी भाग में आत्मा को वैवन्व्यज्ञान की प्राप्ति होगी। यह वह अवस्था है जब आत्मा प्रत्येक दृष्टि में पूरा हो जाती है। इस अवस्था का निर्वाण कहा गया है। इसके लिये तीन चीजें आवश्यक बतलाई गई हैं—सम्यक दर्शन, सम्यकज्ञान तथा सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन

आत्मिय रूप धर्म की शिक्षाओं में पण विज्ञान में है। सम्यक् ज्ञान का अर्थ ग्रीक ज्ञान में है और सम्यक् चरित्र का अर्थ सदाचार में है। इन तीनों को धिरान्न कहा जाता है। इनके पालन करने में जीव' कर्म के बन्धना में नष्ट हो जावेगा और उसको निर्वाण की प्राप्ति होगी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन धर्म के वेदा का मानता है, न इसमें यज्ञ के लिये स्थान है और न यह हिन्दू समाज की वर्ण-व्यवस्था का ही मानता है। प्रभी तब भारतवर्ष में कई प्रायः इस धर्म का मानन है परन्तु उनकी मख्या प्रतिक नहीं है।

बौद्ध-धर्म — इस धर्म के स्थापक गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म कपिल-रम्भु में ई० पू० ५६३ में हुआ था। उनका जन्म भी राजधरने में हुआ था १६ वर्ष की आयु में उनका विवाह एक सुन्दरी राजकन्या के साथ कर दिया गया। इसमें उनके एक पुत्र भी हुआ। परन्तु गौतम सत्सार में विरक्त हो गए और एक दिन उन्होंने चुपचाप रात को गृहत्याग कर दिया। पहले उन्होंने जगल में जाकर घोर तपस्या की। परन्तु इससे शरीर के भ्रमकृत हो जाने के अतिरिक्त और कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने इस प्रकार की शरीर को कष्ट देने वाली तपस्या का छोड़ कर घ्यन का मार्ग अपनाया और इस बार इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध हो गए। बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार आरम्भ किया। उनकी शिक्षा भी कमकाण्ड के विरुद्ध है। बुद्ध का धर्म बहुत सरल था। उन्होंने नैतिकता पर विशेष जोर दिया। उनके बहुत से अनुयायी हो गए। उनके जीवन काठ में ही उनके धर्म का बहुत विस्तार हुआ। बाद का तो यह भारत के बाहर कई देशों में फैला। चीन, तिब्बत, जापान, लावा, बर्मा तथा मध्य एशिया में यह धर्म फैला। भारत के अन्दर भी इसका मूब प्रचार हुआ। बुद्ध की महाधीर की तरह वर्ण-व्यवस्था में विद्वान् नहीं करते थे। उनकी शिक्षा बना किसी भेद भाव के सत्ता के लिये थी। समर्थ में जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म तुलना-आन्दोलन थे। उस समय हिन्दू धर्म में कई बुराइयाँ आ गई थी और वे बुराइयों को दूर करने के लिये ही वे दो धर्म चले थे। उस समय यज्ञों में बहुत अधिक बलिदान की प्रथा चल गई थी। इन दोनों धर्मों ने इसका निरोध किया और आहिंसा को परम धर्म बनलाया।

बुद्ध ने ध्यान द्वारा चार मृत्यु मृत्यों का ज्ञान प्राप्ति किया और जनसाधारण के हितार्थ इत्यादि ही उपदेश लोगों को दिया। ये निम्नलिखित हैं—

(१) जीवन दुःखमय है।

(२) इस दुःख का कारण अविद्या है।

(३) यह दुःख दूर किया जा सकता है। क्योंकि अगर इसके कारणों को नाश कर दिया जावे तो यह दुःख भी नष्ट हो जावेगा। निर्वोण के लिये जन्म तथा मृत्यु के चक्र में छुटकारा पाना चाहिये।

(४) दुःख को हटाने का उपाय सम्यक् ज्ञान (प्रज्ञा) प्राप्त करना है।

बुद्ध की शिक्षाओं में सदाचार को प्रमुख बतलाया गया है। इसकी प्राप्ति के लिये शरीर को बलिया या दुःख नहीं देना चाहिये परन्तु बुद्ध ने दुःख दूर करने के लिये आठ बातें बतलाई हैं। इनको अष्ट-मार्ग (Eightfold path) कहते हैं। ये आठ बातें निम्नलिखित हैं: सौलया सदाचार, प्रज्ञा या सम्यक् ज्ञान, समाधि या सम्यक् ध्यान, सम्यक् वाक्, सम्यक् आजीविका, सम्यक् प्रयत्न, सम्यक् विचार तथा सम्यक् विद्वान।^१

बुद्ध का देहान्त ई० पू० ४८३ में ८० वर्ष की अवस्था में कुशीनारा नामक स्थान में हुआ।

कालान्तर में बौद्ध धर्म कई सम्प्रदायों में बँट गया। इनमें से प्रमुख हीनयान तथा महायान हैं। इन दो मठों के ठीक अर्थ के विषय में मन्देह है। शान्त हीनयान से सात्वत नीचा और महायान से उच्च का होगा। हीनयान वर्ग के अनुयायी बुद्ध को न ईश्वर का अवतार मानते हैं और न उनको पूजा करते। वे बुद्ध को एक मनुष्य मानते हैं जिनमें कई दैवी गुण थे। परन्तु महायान वर्ग वाले बुद्ध की पूजा करते हैं और उन्हें ईश्वर मानते हैं। इस पूजा के फलस्वरूप वे सोचते हैं कि निर्वाण की प्राप्ति होगी। महायान के ऊपर हिन्दू धर्म का प्रभाव प्रत्यक्ष है। एक विद्वान् के अनुसार इसमें भक्ति के मार्ग का प्रभाव दृष्टिगोचर है।

इस्लाम धर्म:—भारत के मुसलमानों का धर्म इस्लाम कहलाता है। यह धर्म भारत में पैदा नहीं हुआ परन्तु बाहर से भारत में आया। इसकी स्थापना अरब में हजरत पैगम्बर द्वारा की गई थी। पैगम्बर का नाम मोहम्मद

१. सुविधा के लिए इनका अंगरेजी अनुवाद यह है: Right conduct, right knowledge, right concentration, right speech, right livelihood, right effort, right mindfulness, right resolve.

था। उनका जन्म ५७० ई० में हुआ था। उनका देहांत ६३२ ई० में हुआ। छाटी उम्र से ही मोहम्मद माह्व की एकान्त में रहने और साधन की आदत थी। वह अपनी मायिका से कहते थे मनष्य कबल खउ-खुद से समय नष्ट करने लिये नहीं परन्तु अथ उच्च बातों के लिए बनाया गया है।¹

इस समय अरब में सब तथा शांति का नाम न था। अरब की जनसंख्या बड़े कबीलों (Tribes) में विभाजित थी। ये आपस में लड़ते रहते थे। इन लड़ाइयों में जो लोग पकड़े जाते थे उनको दास बना लिया जाता था। जीरता की अवस्था भी अच्छी नहीं थी। लड़कियों को मार डालने का रिवाज था। शराब पीने का रिवाज खूब प्रचलित था। अरब इस समय मूर्ति-पूजक थे। प्रत्येक कबीले के अलग अलग देवता थे। इनकी कल सख्या कई हजार होगी। अरब के कुछ भागों में यहूदी धर्म तथा ईसाई धर्म प्रचलित थे। इन दो धर्मों के आयायी भी आपस में लड़ते थे और एक दूसरे को नष्ट करने की मत्तन चेष्टा में रहते थे। मक्षप में कहा जा सकता है कि मोहम्मद माह्व ने देखा कि उनके शत्रुओं में अंधकार में डबे हुए उनमें न एकता है और न पान और इसलिए वह सब शांति में भी बचिने हुए। उनका उद्देश्य इन लड़ाइयों को दूर करना था।

पैगम्बर की शिक्षाओं में तीन सबसे महत्वपूर्ण हैं। उनका हम इस्लाम धर्म का निचाड कह सकते हैं। ये निम्नलिखित हैं —

(१) ईश्वर एक है। कुरान में लिखा है उस अल्लाह के नाम में जा रहमान (माँ की माँ मुहब्बत में भरा हुआ) और रहीम (दयावान) है कह दो कि अल्लाह एक है और सब कुछ उसी अल्लाह के सहारे है न वह खुद कभी जन्म लेता है और न किसी का जनता है कोई उम-जसा नहीं है। वह आप ही अपनी मिमाल है। कुरान में बार बार कहा गया है एक के अतिरिक्त दूसरा खुदा नहीं है।

(२) कुरान में दूसरा मुख्य विचार यह पाया जाता है कि सब आदमा एक है। पैगम्बर ने इस बात पर विचार जोर दिया कि आदिमियों में किसी भी प्रकार का भेद भाव नहीं होना चाहिए। अमीर गरीब स्वामी दास ऊँच नीचे सब भेद भाव निरर्थक है। आत्मी बड़ा छोटा इस प्रकार नहीं होता है। पर न सबका बराबर बनाया है। बड़ा वह है जो अच्छे काम करता

हैं। कुरान में कहा गया कि, "धर्मार्थ में तुम सब व्यक्ति एक ही उम्मत (Community) हो, मैं तुम सब का पालने वाला हूँ, तुम सब मेरी ही पूजा करो।"

(३) कुरान में इस बात पर भी बार-बार जोर दिया गया है— गमर में सब धर्मों के प्रति आदर करो क्योंकि सब धर्म सच्चे हैं। इसलिए कुरान में कहा गया है कि "हमने गमर के सब उम्मतों (Communities) में रमूल भेजा जिसका उपदेश यही था कि: ईश्वर की पूजा करो और बुराई से बचो।"

पैगम्बर ने अपनी शिक्षाओं के द्वारा अरबों को सभ्य बनाने तथा उनमें ज्ञान का प्रचार करने की चेष्टा की। उनकी शिक्षण लोगों के हृदय में घर कर गई और बहुत शीघ्रता से इनका प्रचार होने लगा। थोड़े ही समय में समस्त अरबवासी इन नये धर्म के अनुयायी हो गए। अरब में यह धर्म दूसरे देशों में फैला। इनके अनुयायियों ने अपना धर्म तलवार के बल पर फैलाया। भारत में भी इसका आगमन मुसलमान आक्रमणकारियों के साथ हुआ।

इस्लाम के अनुगार प्रत्येक मुसलमान को नीचे लिखे कर्तव्यों का पालन अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक मुसलमान को प्रतिदिन कलमा पढ़ना चाहिए। कलमा यह है—'ईश्वर एक है और मोहम्मद उसका रमूल है।' मुसलमान प्रति दिन पाँच बार नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज पढ़ते समय मुसलमान अपनी सूह मसके की ओर करते हैं। जीवन में एक बार कम से कम प्रत्येक मुसलमान को हज करना चाहिए अर्थात् मक्के की तीर्थयात्रा करना चाहिए। प्रत्येक मुसलमान को अपनी आमदनी का एक हिस्सा दान में देना चाहिए। रमजान के महीने भर मुसलमानों को रोजा रखना चाहिए।

इन कर्तव्यों की मूर्ती देखने में स्पष्ट हो गया होगा कि मोहम्मद साहब का उद्देश्य अपने देशवासियों का धराइयों से उद्धार करना था। इसमें वे बहुत माना तक सफल रहे। अरबों ने मूर्ति-पूजा को त्याग कर एक ईश्वर की प्रार्थना आरम्भ की। इसके फलस्वरूप उनमें एकता बढी। इसी एकता तथा सगठन के कारण अरब वाले हमरे देशों को विजय तथा इस्लाम का प्रचार कर सके।

मुसलमानों में पैगम्बर की मृत्यु के कुछ काल बाद दो मन्प्रदाय हो गए— शिया तथा सुन्नी। शिया मुसलमानों की मख्या मन्त्रियों की अपेक्षा बहुत कम

हैं। शिया केवल कुरान को मानते हैं तथा पैगम्बर के बाद उनके दामाद अली को ही (जो कि चौथा खलीफा था,) खलीफा पद का न्यायपूर्ण अधिकारी मानते हैं। सुन्नी कुरान के अतिरिक्त इस्लाम की पुरानी प्रथाओं (सुन्नत) को भी मानते हैं तथा पैगम्बर के बाद अबूबक्र, उमर तथा उसमान को भी खलीफा पद का न्यायपूर्ण अधिकारी मानते हैं। शिया इन तीनों को खलीफा नहीं मानते हैं। शिया हसन के शहीद होने की स्मृति में मोहर्रम मनाते हैं तथा ताजिये निकालते हैं।

मुसलमानों का ही एक सम्प्रदाय सूफी कहलाता है। सूफी सम्प्रदाय भक्तिमार्गी है। इसमें तथा हिन्दू अद्वैत वेदान्त में काफी साम्य है। सूफी भी एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। वे अवतारवाद तथा पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं। ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता प्रेम का है। भारत में कई प्रसिद्ध सूफी हुए हैं।

सिख धर्म—इस धर्म के प्रवक्ता गुरु नानक थे। वे पंजाब के रहने वाले थे। उनका जन्म सन् १४६९ में हुआ और उनकी मृत्यु सन् १५३८ में हुई। गुरु नानक का उद्देश्य हिन्दू धर्म में जो बहुत सारे आडम्बर तथा झूठी प्रथाएँ सम्मिलित हो गई थी उनका दूर करना था। उनकी शिक्षाओं का उद्देश्य हिन्दुओं के धर्म में सुधार करना था। इस दृष्टि से सिख धर्म हिन्दू धर्म की ही एक शाखा कहला सकता है।

गुरु नानक, कबीर अन्य भक्तिमार्गी साधुओं की शिक्षा में प्रभावित हुए थे। उनकी शिक्षाओं में वेदान्त तथा मुसलमानी धर्म का भी प्रभाव परिलक्षित होता है। उनकी शिक्षा यह थी कि ईश्वर एक है। इस ईश्वर तक पहुँचने का माग तीर्थयात्रा गंगा-स्नान आदि न बतलाकर उन्होंने चित्त की शुद्धि पर जोर दिया। मूर्ति-पूजा के भी वे विरोधी थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर के नाम का जाप करना चाहिए। यह नाम 'श्री सत' है। ईश्वर उनके अनुसार सर्वव्याप्त तथा सर्वशक्तिशाली है। वह दयालु भी है। सब उसकी दृष्टि में समान हैं। इस कारण सिख धर्म जाति-भेद में विश्वास नहीं करता है।

नानक ने यह भी कहा कि सब धर्मों के तथा उनके महात्माओं के प्रति आदर करना चाहिए। गुरु नानक ने इस बात पर भी जोर दिया कि बिना गुरु के ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सिख धर्म में गुरु की महिमा है। सिख कर्मवाद तथा तथा पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं।

गुरु नानक के बाद सित्तों के नौ गुरु और हुए। मिक्तों के पांचवें गुरु ने गुरु नानक तथा कई अन्य महात्माओं के धार्मिक पद्यों का सग्रह एक पुस्तक के रूप में कर दिया। यह 'आदि-ग्रन्थ' कहलाता है। गुरु गोविन्द सिंह ने इसमें कई और बातों का समावेश किया। यह नई पुस्तक 'ग्रन्थ साहिब' कहलाती है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके मरने के पश्चात् कोई अन्य गुरु की नियुक्त न की जावे तथा सिक्त 'ग्रन्थ-साहब' को ही अपना गुरु माने। इसी कारण उनके पश्चात् कोई अन्य गुरु नहीं हुए।

गुरु गोविन्द सिंह ने मुगल सम्राट औरंगजेब से अपने धर्मानुयायियों की रक्षा करने के लिए उन्हें एक सेना के रूप में संगठित कर दिया। यह खालसा सम्प्रदाय कहलाया। इस सम्प्रदाय के प्रत्येक सदस्य का उद्देश्य धर्म के रक्षार्थ प्राणों को उत्सर्ग कर देना तथा प्रत्येक अन्य सदस्य को अपना भाई समझना था। इस प्रकार गुरु गोविन्दसिंह ने मिक्त धर्म की रक्षा की। प्रत्येक खालसा सिक्त पाँच बिन्दुओं को धारण करता है, जो कि गुरु गोविन्दसिंह द्वारा नियत कर दिए गये थे—केश, कंघा, कृपाण कच्छ तथा कड़ा।

ईसाई धर्म :—इसके प्रवर्तक ईसा मसीह थे। उनका जन्म जेरुसलम में हुआ था। उस समय जेरुसलम रोमन साम्राज्य के अन्तर्गत था। ईसा के विचार शासक-वर्ग द्वारा ठीक नहीं समझे गए और ईसा को उन्होंने मूली पर चढ़ा दिया। पर धीरे-धीरे उनके विचार फैलने लगे। कालान्तर में रोम के सम्राट ने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का धर्म बना दिया। इसके फल-स्वरूप ईसाई-धर्म बहुत तीव्रता से योरोप में फैलने लगा। योरोप में यह अन्य देशों में भी जहाँ-जहाँ यूरोपीय पहुँचे, फैला। आज यह समार के प्रमुख धर्मों में से एक है। समार के प्रत्येक देश में इस धर्म के अनुयायी थोड़ी-बहुत संख्या में प्रवेश ही मिल जावेगे।

ईसा का धर्म प्रेम का धर्म है। उन्होंने यह सिखलाया कि सब जीवों के प्रति प्रेम का व्यवहार करो। उनका विचार था कि सब प्राणी परमात्मा की सन्तान हैं। उनका उद्देश्य मनुष्य समाज का नैतिक उत्थान करना था। उन्होंने कहा कि विनयशील व्यक्ति ही अन्त में समार के स्वामी होंगे (The meek will possess the land)। उनके अनुसार ईश्वर केवल मनुष्यों का राजा नहीं है परन्तु वह उनका पिता है। ईश्वर को प्रसन्न करने का उपाय यह है कि दीन-दुम्बियों की मर्यादा करो।

ईसा की शिक्षाएँ विशेषतः नैतिक हैं। इनमें चार मुख्य सिद्धान्त हैं। पहला सिद्धान्त प्रेम है। ईसा ने कहा कि अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम रखो।

पडासी में उनका अर्थ मानव मात्र में था। उनका दूसरा मित्रान्त मृत्यु है। इस कारण उन्होंने झूठी गवाही देना लागी को टगना तथा इस प्रकार के अर्थ यामा की अर्थान्त निन्दा की है। नीमरा मिद्वाल विनयशीलता है। मनुष्या को विभी भी प्रकार का गव नहा होना चाहिए। ईसा स्वय ही विनयशीलता की प्रति है। विनयी व्यक्ति के लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं। चौथा मिद्वाल यह है कि मनुष्य में बुद्धिमत्ता होनी चाहिए।

इसा मसीह भी मुखारक है। उन्होंने अपनी गि राजा के द्वारा यहूदी समाज में जो प्रचलित राइया थी उनको दूर करने की च्छटा की। उन्होंने यह कहा कि निधता के लिए स्वर्ग में म्यान है। धनी वहाँ कोई स्थान नहीं पावग। चाहे एक उँठ मुई के छद में से निकल जा। परन्तु एक धनी स्वर्ग के द्वार में से नहा चुग मरना है।

भारत में कहा जाता है कि नवप्रथम इस धर्म का प्रचार मत्त टामस ने किया था। चौथी शताब्दी में मीरिया के कुछ ईसाई भाग कर यहाँ आए थे और कारामण्डल तट में बस गए। अभी तक उनकी मतानें यहीं रहती हैं। ईसाई धर्म का प्रचार १६वीं शताब्दी से हुआ जब कि पुतगालवासिया न यहाँ अपना धर्म फैलाना आरम्भ किया। विगपकर निम्न वर्ग के लोग इस धर्म की ओर आकर्षित हुए। बाद का कुछ उच्च वर्ग के लोग भी ईसाई हो गए। ईसाईया न भारत में अँग्रेजी शिक्षा के प्रचार में अच्छा काम किया है। उन्होंने समाज के निम्नवर्गों तथा आदिवासियों की इगा मरारन का भी प्रयत्न किया।

पारसी धर्म — भारत में कुछ लोग इस धर्म के भी अनुयायी हैं। इनको पारसी कहते हैं। ये लोग अधिकतर बम्बई तथा गुजरात में हैं। पारसी सम्प्रदाय बड़ा उन्नतिशील है। यह पाश्चात्य शिक्षा तथा मभ्यता से बहुत अधिक प्रभावित है। पारसी लोग पारस में भारत में आए। इसका कारण यह था कि जब पारस अरबों द्वारा जीत लिया गया तथा वहाँ विजलाअम न इस्लाम धर्म फैलाया ना जित लागी न इस नए धर्म का स्वीकार नहीं किया। उनमें में बहुत से पारस में दूसरे देशों का भाग। भारतीय पारसी पारस व पुरान धर्म न अनुयायी हैं।

पारस व पुरान धर्म के प्रवक्तक का नाम जोरोआस्टर (Zoroaster) था। इसी धार्मिक पुस्तक का नाम जन्द अवेस्ता है। पारसी लोग का मत में बड़ा देवता अहुरमज्द कहलाता है। इसका अर्थ महान देवता है।

इस धर्म के अनुयायियों को अग्निपूजक (fire worshipper) भी कहते हैं। क्योंकि अग्नि या सूर्य अहुर-मन्द के ही रूप हैं। पारसी भी आत्मा को अमरता पर विश्वास करते हैं। इस धर्म में तथा हिन्दू धर्म में कई बातों में समानता है।

धार्मिक सुधार-आन्दोलन — उन्नीसवीं शताब्दी में भारत में कई धार्मिक सुधार-आन्दोलन चले। इन आन्दोलनों का उद्देश्य धर्म के नाम में जो कुरीतियाँ पैदा हो गई थी, उनको दूर करना था। हम यहाँ पर केवल हिन्दू धर्म तथा इस्लाम में सम्बन्धित सुधार-आन्दोलनों का वर्णन करेंगे।

प्रत्येक धर्म में कालान्तर में कई बुराइयाँ पैदा हो जाती हैं। इनका कारण यह है कि समय तथा परिस्थिति के परिवर्तन के साथ-साथ धर्म में परिवर्तन नहीं होता है। धर्म मुख्यतः एक अनुदार शक्ति (Conservative force) है। भारतीय धर्मों में भी, विशेषतः हिन्दू-धर्म में, इस प्रकार की अनेक बुराइयें भर गई थीं और लोग इन्हीं को यथाथे धर्म माने हुए थे जैसे, सती-प्रथा, वर्षा व्यवस्था, बच्चों की हत्या करना इत्यादि। जब विदेशी-शासन के स्थापित होने के फलस्वरूप ईसाइयों ने अपने धर्म का प्रचार करना आरम्भ किया तो उन्होंने हिन्दू-समाज की इन बुराइयों की ओर संकेत कर यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि भारतीय-धर्म असम्य है। इस समय भारतीय नवयुवकों में अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित वर्ग पाश्चात्य दर्शन तथा सम्प्रदाय में अत्यन्त प्रभावित हो गया और उन अपने देश के माहित, दर्शन, धर्म में केवल आंधकार के ओर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जब देश की ऐसी अवस्था थी उस समय इन धार्मिक सुधार-आन्दोलनों का प्रारम्भ हुआ। ये आन्दोलन हमारी राष्ट्रीय जागृति के प्रथम फल हैं। धर्म के रूप में हमारी राष्ट्रीय चेतना सर्वप्रथम प्रस्फूर्ति हुई। हमारे समाज के ऊपर पाश्चात्य गन्धता का प्रभाव इन धार्मिक आन्दोलनों का मूल-कारण है।

इन सब धार्मिक आन्दोलनों का उद्देश्य हिन्दू समाज में प्रचलित बुराइयों को हटाना था। वे जाति-पाँति के विरुद्ध थे तथा छद्मभ्रूत में विश्वास नहीं करते। सब मनुष्य एक ही ईश्वर की सन्तान हैं, इसलिए सब भाई-भाई हैं। इन सब आन्दोलनों ने मूर्ति-पूजा का भी विरोध किया और निराकार ब्रह्म की उपासना की शिक्षा दी। इनके अनुसार सब धर्मों में कुछ सत्य वा अंश हैं। अतएव इतको ग्रहण कर लेना चाहिए। इन धार्मिक आन्दोलनों ने हिन्दुओं के प्राचीन धर्म-ग्रन्थों—वेद तथा उपनिषदों से प्रेरणा ली। ये आन्दोलन धार्मिक

तथा सामाजिक उद्देश्य को लेकर चले और इनके साथ-साथ देश की राज-राजनैतिक जागृति में भी उनका महत्वपूर्ण हाथ रहा है।

ब्रह्म समाज —उन्नीसवीं शताब्दी के धार्मिक आन्दोलन में, ब्रह्म समाज का सबसे मुख्य स्थान है। इस आन्दोलन के प्रवर्तक राजा राममोहन राय (१७७२-१८३३ ई०) थे। राजा राममोहन हिन्दू धर्म में उन सब ऋषियों तथा कृतीतियों का दूर करना चाहते थे जो कि कालान्तर में इसमें धर कर गई थी। वे ईसाई धर्म से भी कुछ सीमा तक प्रभावित हुये थे। उनका जन्म एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उनके पिता वैष्णव तथा माता शक्ति थी। १२ वर्ष की अवस्था में वे अध्ययन के लिए पटना भेजे गये। वहीं वे नफी धर्म से अत्यन्त प्रभावित हुए। कुछ काल पश्चात् बनारस में उन्होंने सम्भूत का अध्ययन किया तथा १७९६ में प्रथम पटना प्रारम्भ किया। उन्होंने इस काल में ही विविध धर्मों का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। मन् १८०५ में उन्होंने ईस्ट इण्डिया कम्पनी में नौकरी कर ली और १८१४ तक वे इनमें रहे। यहाँ में अवकाश ग्रहण करने पर उन्होंने अपने धार्मिक विद्वानों का प्रचार करना प्रारम्भ किया।

राजा राममोहन राय केवल धार्मिक सुधार ही नहीं चाहते थे परन्तु वे समाज-सुधार भी करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सती प्रथा आदि सामाजिक कृतीतियों का विरोध किया। उन प्रथा क काल में उनका बहुत बड़ा हाथ है। धर्म के मामले में वे हिन्दूओं के प्राचीन धर्म को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। इसलिये वे उन अन्ध-विश्वासों के शत्रु थे जो कि हिन्दू-धर्म में प्रवेश कर गये थे। वे दहे-विवाह के भी विरोधी थे।

मन् १८२८ में उन्होंने कुछ मित्रों के साथ एक सगटन की स्थापना की जो कि 'ब्रह्म समाज' कहलाया। इसकी प्रति शनिवार को संध्याकाल में ७ से ९ तक बैठक होती थी, जिसमें कि भगवान की प्रार्थना की जाती है। जनवरी मन् १८३० में समाज के लिए प्रथम मन्दिर की स्थापना की गई। नवम्बर १८३० में राम-मोहन बिलायत को रवाना हुये और वही मन् १८३३ में उनका देहान्त हुआ गया। वे केवल धार्मिक सुधारक ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने समाज तथा शिक्षा की उन्नति के लिए भी बड़ा ही महत्वपूर्ण काम किया है।¹

1 "Ram Mohan Roy is the pioneer of all living advance, religious, social and educational in the Hindu community during the century."

सन् १८४२ में श्री देवेन्द्र नाथ टैगोर (श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर के पिता) ब्रह्म-समाज के सदस्य हो गये। वे अपनी मृत्यु-पर्यन्त इसके प्रचार के लिए प्रयत्नशील रहे। वे भी उस प्राचीन हिन्दू-धर्म को जो कि उपनिषदों में मिलता है पुनः स्थापित करना चाहते थे। परन्तु वे राजा राममोहन की तरह ईसाई-धर्म में प्रभावित नहीं हुये थे। कुछ वर्षों बाद सन् १८५३ में श्री केदारचन्द्र सेन ब्रह्म-समाज में सम्मिलित हुये। आरम्भ में श्री देवेन्द्रनाथ तथा उनमें बहुत मत रङ्ग परन्तु बाद को उनमें मतभेद हो गया। इसके कारण यह था कि श्री केदारचन्द्र सेन ईसाई धर्म में बहुत ही अधिक भाग्य तक प्रभावित थे। उन्होंने एक ब्रह्म समाज का संगठन किया जो कि भारतीय ब्रह्म-समाज कहलाया (सन् १८६६)। कुछ वर्षों के पश्चात् इसमें भी दो दल हो गये। एक तो केदारचन्द्र के अनुयायी तथा दूसरे उनके विरोधी। सन् १८७८ में उनके विरोधियों ने एक नया संगठन स्थापित किया जो कि भाषारण ब्रह्म समाज कहलाया। इस प्रकार ब्रह्म समाज की तीन शाखायें हो गईं।

ब्रह्म समाजियों के अनुसार केवल एक ईश्वर है। उनो ने इस गृष्टि की रचना की है तथा वही इसका मंगलक है। वह अमीम शक्तिशाली तथा सर्व-व्याप्य है। बिना ईश्वर की कृपा के मोक्ष संभव नहीं है। उनको उपासना प्रेम तथा मत्स्य में होनी चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति के लिये प्रार्थना करना चाहिए। ईश्वर परम पिता है। सब मनुष्य आपस में भाई-भाई है। ईश्वर पुण्यात्माओं तथा पापियों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। आत्मा अमर है और अपने कर्मों के लिये ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। सब धर्मों ने मत्स्य को ग्रहण करना चाहिए। ईश्वर मानकर किसी वस्तु आदि की पूजा नहीं करनी चाहिए।

प्रार्थना समाज :- ब्रह्म समाज के ही प्रभाव में सन् १८६७ में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके प्रमुख सदस्यों में श्री रामाडे, सर आर० जी० नडारकर तथा नारायण चन्द्रावरकर थे। इस समाज के उद्देश्य जातिप्रथा का अन्त, विधवाओं का पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन तथा बाल-विवाह का बन्द करना था। धर्म के विषय में इसके तथा ब्रह्म-समाज के विचार मुख्यतः एक ही हैं।

आर्य समाज :- आर्य समाज आन्दोलन सन् १८७५ में बम्बई में आरम्भ हुआ परन्तु कुछ वर्षों के पश्चात् यह पंजाब और उत्तरप्रदेश में विशेष कर फैला। इसके प्रवर्तक दयानन्द सरस्वती थे। उनका जन्म सन् १८२४ में काठियावाड़ में धमीर ब्राह्मण घराने में हुआ था। उनका वास्तविक नाम

मूलशक्ति वा। वचन स ही वे गम्भीर प्रवृत्ति के थे। १८४६ में वे घर म भाग निकले। अपने भ्रमण में कई माधु-न्यामिया तथा योगियों के सम्पर्क में आये। उन्होंने मन्मथ का गम्भीर अध्ययन किया। दयानन्द के ऊपर अंग्रेजी सम्यता तथा ईसाई धर्म का प्रभाव विरक्त नहीं पडा। वे अंग्रेजी भाषा में अभिज्ञ थे। उनका उद्देश्य युगान्ते हिन्दू धर्म का फिर से स्थापन था। हिन्दू-धर्म में जो प्रगड्याँ आ गई थी उनसे वे निवारना चाहत थे। उन्होंने अपना प्रचार-धाय मन् १८६६ में आरम्भ किया। अपने भाषणा में उन्होंने मूर्ति-पूजा का विरोध किया और इसका वेदों के विरुद्ध बताया। वे अपने व्याख्याना में हिन्दी का प्रयोग करते थे कि मन्मथ का। मन् १८७४ में उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ मत्याय प्रमाण की रचना की। इसमें धर्म के ऊपर उनकी गिणाई स्पष्ट है तथा धर्मों का आलोचनात्मक विश्लेषण है। वे यह सिद्ध करना चाहत थे कि वैदिक धर्म ही मूलभूत है। मन् १८७५ में बम्बई में आय समाज की स्थापना हुई। दो वर्ष पश्चात् लाहौर में इसकी स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कई स्थानों में भी आय समाज मन्दिरों का स्थापना की गई।

श्री दयानन्द की शिक्षाओं के निम्नलिखित आधार हैं।

(अ) ईश्वर एक है और पूजा मूर्तियों के द्वारा नहीं हो सकती है।

(ब) वेदों में सब कुछ सत्य है व ईश्वर व ही शब्द है।

(ग) वेद वेद तथा आवागमन का सिद्धान्त सिखलाने है।

(द) आयसमाजी नीच लिख इस नियमों में विद्वान् रहते हैं।

(१) ईश्वर ही ज्ञान का परम कारण है। आवागमन के बधना से स्रुष्टिकारा पाला ही मोक्ष है।

(२) ईश्वर मन्-चित्-आनन्द है। इसका कोई आकार नहीं है। वह न्यायपूर्ण तथा दयावान् है। सर्वव्याप्त तथा सर्वशक्तिशाली है। वह अजन्मा तथा अमर है। वेबुद्ध उमी की उपामना करनी चाहिए।

(३) वेद सत्य विद्या के भण्डार हैं। प्रत्येक धर्म को इनका अध्ययन, मनन तथा प्रचार करना चाहिए।

(४) प्रत्येक व्यक्ति सत्य ग्रहण तथा असत्य त्यागने को तत्पर रहे।

(५) प्रत्येक काम उचित अनुचित के विचार से करना चाहिये।

(६) समाज का उद्देश्य मानव-उन्नति की शारीरिक, आत्मिक तथा सामाजिक उन्नति कर संसार का भला करना है।

(७) प्रत्येक के साथ उनके गुणों के अनुसार प्रेम तथा स्वाभ्युत्थन व्यवहार करना चाहिये।

(८) भविष्य का नाग तथा विद्या का प्रचार करना चाहिए।

(९) प्रत्येक को सर्वनाधारण की उन्नति में ही अपनी उन्नति देखनी चाहिए।

(१०) व्यक्तिगत मामलों में प्रत्येक अनूष्य को आचरण की स्वतंत्रता होनी चाहिए, परन्तु सामाजिक मूल्यों में सम्बन्धित विषयों में सब नेतों को भुला देना चाहिये।^१

स्वामी दयानन्द द्वारा संस्थापित आर्य-समाज आन्दोलन न केवल धार्मिक आन्दोलन ही था अपितु यह एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आन्दोलन भी था। इसने देश में एक नवीन चेतना पैदा की तथा हिन्दुओं की आत्म-सम्मान की भावना को जगृत किया। इसने यह सिद्ध किया कि हिन्दू धर्म तथा संस्कृति अन्य धर्म तथा संस्कृतियों से उच्च है। आर्य समाज ने वर्ण-व्यवस्था के विरुद्ध प्रचार किया और इस प्रकार हिन्दू-समाज की एकता को दृढ़ किया। स्वामी दयानन्द एक सुधारक तथा नेता थे। उनका उद्देश्य देश और समाज की नवगोण उन्नति करना था।^२ उनके शिष्यों ने उनके कामों को जारी रखा। सन् १८८३ में स्वामी जी का देहान्त हुआ।

धियोसोमिजल समाज :- इस समाज की स्थापना पहले पहल न्यूयार्क में एक स्त्री महिला—मदाम ब्लेवान्सकी तथा एक अमेरिकन कनैल फालवाट द्वारा की गई थी (सन् १८७५)। सन् १८७९ में ये दोनों स्वामी दयानन्द द्वारा निर्मित कार्य जानें पर भारत आये। भारत में उन्होंने अपने विचारों का प्रचार किया। उन्होंने भारतीयों को बतलाया कि उनका धर्म उच्च कोटि का है तथा उनमें सत्य निहित है। परन्तु इनमें कई कुरीतियाँ आ गई हैं और इनको दूर करना चाहिये। सन् १८८२ में मद्रास प्रान्त में इन्दार नामक स्थान में इस समाज की स्थापना की गई। देश में दही शीघ्रता से इनके विचार फैले तथा कई अन्य स्थानों में इसकी शाखाएँ खुलीं। सन् १८९६ ई० में

1. Farquhar, Modern Religious Movements in India, p. 114.

2. "Pandit Dayanand Saraswati was a man of large views. He was a dreamer of splendid dreams. He had a vision of

श्रमतापनासमस्तमसा मन्मथ हा गत् । उन्नात इमव प्रचार म उन्ना काम
 विया । व द्वायरलेण की निदामिती या पालु भारत म द्वावर उन्नात निदू
 धम का स्वीकार कर लिया था । उन्नात ध्रुपत भाषणा तथा मेवा द्वारा हिन्दू
 धर्म का समर्थन किया । इस धर्म व धन्दर वा वरीनिता या गर्द का उनको
 भी उन्नात उचित बन गया । विद्यामोफिक समाज का हिन्दू धर्म व पुनः धान
 म तापी भाग रत्ता । इमने अनिरिकत उन्नात द्वा म कई गिण्डा-सम्भारग स्थापित
 ही । मत् १८०८ म एनी बीमत् न कागो में गन्तू निदू वात्त का स्थापना
 थी । उन्नात वहा इन्का उद्देश्य हिन्दू धर्म का मिश्रणना हागा । यही वाद
 का पत्त वर हिन्दू विनविद्यालय हा गया । सामाजिक चरारा का जोर भी इस
 समाज न हिन्दू धर्म का ध्यान आकर्षित किया । स्त्रिया व अधिवाय का भी
 समर्थन किया गया । जाति-भेद के मय भाव म एम समाज का किरवान
 नहीं हैं । सभी ईश्वर की सन्तान हैं इसीय धर्मा वगावर ह जोर सभी पर
 ईश्वर की समान कृपा हैं ।

विद्यामोफी वत्त मय धर्मों का श्रद्धा का दृष्टि म स्थित है । विनयत हिन्दू
 धर्म तथा बौद्ध धर्म का गन्धी विद्या का आकार मानत ह । मन्मथ लक्ष्मात्मरी का
 कथन था कि निन्द्य म गन्त वात्त वठ महान माधुभा के द्वारा उनका धान
 प्रप्ति हुई ह परन्तु यह निरिचित नहीं है कि व कभी तिन्त भी गई थी । उनका
 कहना था कि तिन्त म जो महाना है वे श्रमत् हु नया व हा मन्त का सञ्चार
 करत ह । उन्नात लक्ष्मात्मरी का विशय रूप म अपनी गिण्डा वदान को लाँगा ।
 उनवे म्म का नाम महारत्मा मारया था । इमने अनिरिकत श्रम महारत्मा भी य ।
 इनमें म एव का नाम वनदूमा था ।

विद्योमात्का म क्या मत्थ है तथा एव समत्थ है । इमरा हम निगय नहा
 करत हैं । मन्त ए उद्देश्य क्वल यह दिखयता ह कि एम आन्दोलन के द्वारा
 श्रम प्रकार हिन्दू धर्म म एक नई बनना का सञ्चार हुआ और गिण्डा हिन्दू

India purged of her superstitions, filled with the fruits of
 science, withshipping one God fitted for selfrule, having a
 place in the sisterhood of nations, and restored to her ancient
 glory. All this was to be accomplished by throwing overboard
 the accumulated superstitions of fifteen centuries and returning to
 the pure and inspired teachings of the Vedas

Dr. Griswold quoted in Social and Religious Movements,
 by Sriniwasachari

वर्ग के अन्दर यह भावना बहुत मात्रा तक दूर हो गई जि उनका धर्म केवल अल्पविश्वानों का समूह है। धियोगोप्ती ने यह निश्चयवादा कि ईसाईयों द्वारा हिन्दू धर्म पर लगे गये आक्षेप निराधार तथा असत्य है।

रामकृष्ण मिशन — इस मिशन की स्थापना अपने गुरु के नाम में स्वामी विवेकानन्द द्वारा की गई थी। उन्होंने कलकत्ते के निकट बेलूर नामक स्थान में तथा चम्पोडे के पास मायावती में मठ भी स्थापित किये। इन मठों का काम रामकृष्ण मिशन के लिये प्रचारक तैयार करता था।

स्वामी विवेकानन्द के गुरु का नाम श्री रामकृष्ण परमहंस था। परमहंस जी का जन्म २० फरवरी सन् १८३४ को बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। वे जाति के ब्राह्मण थे। उन्होंने बचपन में ही धार्मिक पुस्तकों तथा कृत्यों में प्रेम था। उनका वास्तविक नाम गदाधर चटर्जी था। उनको किसी प्रकार की शिक्षा नहीं मिली। अतएव न उनको अंगरेजी का ज्ञान था और न संस्कृत का। यहाँ तक कि वे साहित्यिक बंगला में भी अनभिज्ञ थे। वे अपने बड़े भाई के साथ एक मन्दिर में पुजारी का काम करते थे। उन्हें इस काम में बीच-बीच में समाधि प्राप्त हो जाती थी। क्योंकि वे अपने पुजारी-पद के कामों को ठीक प्रकार नहीं करते थे इसलिए उन्हें मन्दिर छोड़ देना पड़ा और वहाँ ही एक जंगल में रहने लगे। वहाँ उन्हें एक सन्यासिनी तथा बाद को एक सन्यासी ने निद्रि प्राप्त करने में सहायता दी। गदाधर चटर्जी सन्यासी हो गये और उनका नया नाम रामकृष्ण परमहंस पड़ा। परमहंस जी ने बाद को इन्द्राय तथा ईसाई धर्म का परिचय प्राप्त किया। उनका यह विश्वास था कि सब धर्म सत्य हैं। वे एक ही लक्ष्य पर पहुँचने के लिए अलग-अलग मार्ग हैं।

परमहंस जी के अनुसार ईश्वर निराकार है तथा अनूप्य के ज्ञान और पहुँच के परे है। परन्तु प्रत्येक वस्तु में ईश्वर वर्तमान है और जो कुछ संसार में होता है वह ईश्वर द्वारा ही किया जाता है। सब देवता एक ही ईश्वर के विविध रूप हैं।

परमहंस जी के शिष्यों में सबसे मुख्य स्वामी विवेकानन्द हुए। उनका वास्तविक नाम नरेन्द्र नाथ दत्त था। उनका जन्म ९ जनवरी १८२९ को हुआ था। पहले से नास्तिक थे परन्तु परमहंस जी के संसर्ग में धार्मिक हुए। जब सन् १८८६ में रामकृष्ण परमहंस का देहान्त हुआ तो नरेन्द्र नाथ ने सन्यास धारण कर लिया। करीबन ६ वर्षों तक वे एकान्त में भारतीय धर्म तथा दर्शन का अध्ययन करते रहे। सन् १८९२ में उन्होंने दक्षिण भारत में अपने गुरु की शिक्षाओं का प्रचार किया। सन् १८९३ में शिकागो में जो

मधु-धर्म सम्मेलन (Parliament of Religions) हुआ उसमें उन्होंने हिन्दू धर्म को व्याख्या की। उनका व्यक्तित्व तथा व्याख्यान का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। किन्तु उन्होंने धर्मिकता में प्रचार कार्य किया और वहाँ से इंग्लैंड जान हुए भारत लौटे। भारत में उन्होंने रामकृष्ण मिशन का पुनर्गठित किया।

स्वामी विवेकानन्द की शिक्षाया का निम्नलिखित चार भागों में रखा जा सकता है —

(१) प्रत्येक व्यक्ति का अपने ही धर्म में रहना चाहिए क्योंकि प्रत्येक धर्म सच्चा तथा श्रेष्ठ है।

(२) ईश्वर निराकार है। वह मनुष्य की बुद्धि से परे है। वह सर्व-व्यापक है। आत्मा ईश्वरीय है।

(३) क्योंकि हिन्दू सभ्यता सबसे प्राचीन तथा श्रेष्ठ धर्म में निस्सृत है अतएव यह सत्य है शिव है तथा मुन्दर है। हिन्दू राष्ट्र ममार का शिक्षक रहा है तथा भविष्य में भी रहेगा।

(४) प्रत्येक हिन्दू का अपनी शक्ति भर अपने धर्म तथा सभ्यता की पाश्चात्य सभ्यता तथा विचारों में रक्षा करनी चाहिए। पाश्चात्य सभ्यता आध्यात्मिक न होकर भौतिक तथा स्वायत्त है। परन्तु हिन्दुओं का पाश्चात्य शिक्षा तथा काम करने के ढंग का अपनाना चाहिए। बिना इसके उनका उत्थान नहीं हो सकता है।

स्वामी विवेकानन्द ने हिन्दुओं का इस बात की बार-बार याद दिलाई कि उनका धर्म तथा सभ्यता उच्च काटि के हैं। उन्होंने हिन्दुओं से कहा कि अपने आध्यात्मिक तथा दर्शन से समाज का विजय करना है।

रामकृष्ण मिशन ने समाज सुधार के मिलमिठ में श्रेष्ठ काम किया है। इसने दीना तथा दुखिया की सहायता की है तथा बूढ़ और अकाल के समर्थ भी अच्छी सेवा करते हैं।

अन्य आन्दोलन — हिन्दू समाज में ऊपर वर्णित मुख्य आन्दोलनों के अतिरिक्त कुछ और आन्दोलन भी हुए परन्तु उनका क्षेत्र इतना व्यापक नहीं था। इन गण आन्दोलनों में राधास्वामी मल्हान का नाम उल्लेखनीय है। इसकी स्थापना आगरा में श्री विश्वदवालय ने मन् १८६१ में की थी।

उनका कहना था कि ईश्वर ने स्वयं उनको गुरु पद प्रदान किया है। राधा-स्वामियों के चौथे गुरु ने आगरा के पास दयालबाग बसाया तथा वहाँ कई उद्योग स्थापित किए। इस मत के मानने वाले गुरु को मठमें पूज्य तथा ईश्वर-प्राप्ति का मार्ग समझते हैं। ये लोग जानि-मानि में भी दिश्वाम नहीं करते हैं।

एक दूसरा आन्दोलन देव-ममाज है। इनकी स्थापना ५० शिवनागवर्, अग्निहोत्री द्वारा की गई थी। श्री अग्निहोत्री पहले ब्रह्म-ममाज में थे। उनमें अलग होने पर उन्होंने देव-ममाज की स्थापना की। अपने अन्तिम दिनों में ये नास्तिक हो गए थे। इसलिए देव-ममाज भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। उनका देहान्त मन् १९२९ में हुआ।

दक्षिण-भारत में कई लघु मुधार-आन्दोलन हुए। परन्तु उनका वर्णन यहाँ व्यर्थ है।

मुस्लिम-मुधार आन्दोलन :—इस्लाम में भी कई ऐसी बातें आ गई थी जो कि वास्तविक धर्म के प्रतिकूल थीं। इसका एक कारण तो यह था कि शिक्षा के मामले में मुसलमान बहुत पिछड़े हुए थे। अतएव धार्मिक कुरीतियाँ उनमें स्वभावतः ही घुम गईं। इनके साथ-साथ बहुत से हिन्दुओं ने इस्लाम-धर्म ग्रहण कर लिया था। धर्म परिवर्तन के बाद भी वे पूर्णतया हिन्दू-प्रभाव में मुक्त न हो सके। उन्होंने इस्लाम के मतों की पूजा आरम्भ कर दी। इस प्रकार इस्लाम में मूर्ति-पूजा होने लगी। धार्मिक कुरीतियों को दूर करने तथा मुसलमान सम्प्रदाय को सामाजिक उन्नति के लिए कुछ धार्मिक आन्दोलन हुए जो कि नाश-नाश सामाजिक भी थे। इनमें से प्रमुख आन्दोलनों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है।

(अ) वहाबी आन्दोलन.—१८ वीं शताब्दी के अन्तिम काल में अरब में वहाबी आन्दोलन आरम्भ हुआ। भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा। राय-वरेली के संयद अहमद वेलवी (१७८९-१८३१) इस आन्दोलन के नेता थे। उन्होंने दश बातें का प्रयत्न किया कि इस्लाम में जो बहुत सी कुरीतियाँ आ गई थी उनको निकाल दिया जाय। उनका काफी प्रभाव फैला। बंगाल में इन आन्दोलन के फलस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया। पंजाब में वहाबियों ने मित्रों के विरुद्ध यज्ञ किया। जब पंजाब को अंग्रेजों ने जीत लिया, तो उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। अंग्रेजी सरकार ने इस आन्दोलन को पूरी तरह दबाया। यह आन्दोलन साम्प्रदायिक था। इसका उद्देश्य मौलिक इस्लाम का प्रचार करना था।

(ब) अलीग आन्दोलन — यह आन्दोलन सैयद अहमद खा (१८१७-१८९८) के नाम से सम्बन्धित है। हर सैयद अपने महधर्मिया की रक्षा में सुधार करना चाहते थे। उन्होंने देखा कि मुसलमान शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़े हैं तथा पाश्चात्य शिक्षा का नहीं ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने उनको पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करने को उत्साहित किया। इसी उद्देश्य से उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदन कालिज की स्थापना की। यह बाद को मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया। उनका विश्वास था कि अगर मुसलमान अंग्रेजी शिक्षा को अपनावेंगे तो उनकी सर्वांगीण उन्नति होगी। अपनी योरोपीय यात्रा के फलस्वरूप वे पाश्चात्य मन्थता से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे।

सर सैयद अहमद का विचार था कि मुसलमानों को अंग्रेजों के साथ सहयोग में रहना चाहिए। इसके लिए उन्होंने पूरा प्रयत्न किया कि मुसलमान क्रिश्चियन से अलग रहें। उन्होंने राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर पेंड्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की।

मुसलमानों की जागृति में सर सैयद अहमद ने महत्वपूर्ण काम किया, उन्हीं के प्रयत्न से फलस्वरूप मुसलमानों ने अंग्रेजी शिक्षा को अपनाया।

(स) अहमदिया आन्दोलन — इसके संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद (१८३८-१९०८) थे। वे पंजाब के गुरदासपुर जिले में कादियान गाँव में पैदा हुए थे। उनका कहना था कि वे ईसाइयों के मसीहा, मुसलमानों के मेहदी तथा हिन्दुओं के अन्तिम अवतार थे तथा ईश्वर के द्वारा तीनों धर्मों के पुनरुत्थान हेतु भेजे गए थे। लोगो ने उनकी शिक्षाओं को अधिक महत्व नहीं दिया। पंजाब में उनके अनुयायी थोड़ी गह्व्या में हैं। मिर्जा साहब अपने विचारों में प्रतिश्रयावादी थे।

गल्प में यह मुख्य-मुख्य धार्मिक आन्दोलनों का वर्णन है। इन आन्दोलनों ने हिन्दू तथा मुसलमान समाजों पर बहुत प्रभाव डाला। इन कारण इनका काफी महत्व है।

प्रश्न

- (१) धर्म का नागरिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? भारतीय समाजों को विशेष रूप से ध्यान में रख कर इस विषय पर विवेचन कीजिए।
(यू० पी० बोर्ड, १९५२)
- (२) ग्रीक तथा जैन धर्मों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

(३) टिप्पणियाँ लिखिए बहावी आन्दोलन, स्वामी विवेकानन्द, यमो-
नोफ़िज़ल सोलायटी, ब्रह्म समाज। (यू० पी० १९५३, १९५४)

(४) भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार-आन्दोलनों का राष्ट्रीय
जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? (यू० पी० १९५३)

(५) देश को सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक जागृति के प्रति निम्न-
लिखित किन्हीं दो तत्त्वों को देने का वर्णन कीजिये।

(१) ब्रह्म समाज, (२) आर्य समाज, (३) रामकृष्ण मिशन।

भारतीय समाज को समस्याएँ तथा उनके सुधार

मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है। मनुष्य से इतर जानवरों में भी सामाजिक भावना पाई जाती है। समाज से तात्पर्य मनुष्य का मनुष्य से सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध का स्वरूप स्थायी होता है। इस प्रकार छोटे से छोटा समाज-कटुम्ब है तथा सबसे बृहद समाज समस्त मानव जाति है। साधारण दोलचाल की भाषा में समाज से तात्पर्य ममस्त देश के निवासियों के पारस्परिक सम्बन्ध से होता है। परन्तु हमारे देश में धार्मिक विभेदों के कारण एक समाज के स्थान में कई समाज माने जाते हैं। बहुधा यह कहने सुना जाता है कि यह वान हिन्दू समाज के योग्य नहीं यद्यपि अन्य समाजों में प्रचलित है। इस आधार पर भारत में हिन्दू समाज मुसलमान समाज, ईसाई समाज पारसी समाज आदि हैं। यहां पर समाज से तात्पर्य धलग धलग धर्मों के अनुयायियों से है। कभी-कभी समाज शब्द इससे भी मकूचित अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे धार्मिक समाज में यह नहीं होना चाहिए या ब्राह्मण समाज में मदिरा-पान वर्जित है इत्यादि। यहां पर समाज से तात्पर्य विभिन्न वर्ण अथवा जातियों और उनमें प्रचलित प्रथाओं से है।

भारत में अभी तक व्यक्ति के जीवन में धर्म का बहुत अधिक प्रभाव है। जन्म में मृत्यु तक साधारण भारतीय के जीवन में प्रत्येक महत्वपूर्ण अवसर पर किसी न किसी रूप में धर्म का हाथ रहता है। जन्म के अवसर पर, यज्ञोपवीत के अवसर पर विवाह तथा बच्चों के जन्म के अवसर पर तथा अन्त में मृत्यु होने पर पुरोहित के बिना काम नहीं चलता है। साधारणतः बहुधा यह कहने हुए सुना जाता है कि हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण धर्म में प्रभावित है। इस कारण हम अन्य देश के निवासियों से सर्वथा भिन्न हैं। हमारी मान्यताएँ तथा नैतिक धारणा हमारी सम्प्रदाय तथा मकूचित हमारी राजनीति संक्षेप में हमारे सामाजिक जीवन के आधार ही अन्य देशवासियों से न केवल भिन्न है परन्तु उनसे उच्च भी है। कुछ विदेशियों ने भी इस दृष्टिकोण की पुष्टि की है।

साधारणतः धर्म से तात्पर्य विविध सामाजिक रीति-रिवाजों से लिया जाता है। परन्तु क्या धर्म केवल यही है? धर्म से तात्पर्य मकूचित अर्थ में व्यक्ति

का देवी-शक्ति ने सम्बन्ध हो सकता है। परन्तु अधिक व्यापक अर्थ में धर्म से तात्पर्य सामाजिक जीवन को नियमित करने वाली मनमन्य शक्तियों से है। इनके लिए अंग्रेजी में **Social Ethics** शब्द है। जहाँ तक धर्म का य तात्पर्य है उनमें एक भय है। वह यह कि वही हम यह न समझते त कि प्रत्येक सामाजिक नियम उचित है।

आज भारतीय जीवन में माधारणतः धर्म का अर्थ समाज में प्रचलित कृतियों तथा कुमन्वारों से है। यह कहना कि भारत के गाँवों में आज भी प्राचीन आदर्शों के अनुसार जीवन चलता है, सुनने में अच्छा लगता है परन्तु सत्य नहीं। क्योंकि भारत में अज्ञान के कारण जनसंख्या का बहुत भाग धार्मिक कुरीतियों और अन्धविश्वासों को मानने में ही जीवन की नायकता समझता है। इन दृष्टि में आज धर्म हमारे मार्ग में बाधक हो गया है। सत्य है कि धर्म का अर्थ यह नहीं होना चाहिए। परन्तु यह भी सत्य है कि माधारण जनता इसी को धर्म मान बैठी है।

इसलिए हममें अधिक दुःख नहीं करना चाहिए कि पाश्चात्य सभ्यता के संसर्ग से आज हमारे जीवन में धर्म का महत्व गौण होता जा रहा है। हमें यह देखना चाहिए कि हम मनुष्य वा मनुष्य के रूप में आदर करें। हमारी मान्यताएँ अपने पर आधारित न हों। अगर हम प्रत्येक मनुष्य में देवी अंग देखते ह तो हम अपने धर्म से नहीं हट रहे हैं। जहाँ तक प्राचीन सामाजिक प्रथाओं में परिवर्तन का प्रश्न है, कोई भी समझदार व्यक्ति इन बातों में मन्देह नहीं करेगा कि काल की गति के साथ-साथ जीवन की दशाएँ बदलती जाती हैं। अगएव सामाजिक दशाएँ भी परिवर्तित होनी चाहिए।

इन अध्याय में संक्षेप में भारतीय समाज की विविध संस्थाओं का वर्णन किया जायेगा। यद्यपि हिन्दू समाज तथा मुस्लिम समाज में कई विषयों पर एकता है। उनकी कई समस्याएँ एक हैं, तथापि उनका अलग-अलग वर्णन किया गया है। हिन्दू समाज में निम्नलिखित मुख्य बातों पर दृष्टिपात करना चाहिए—वर्ण व्यवस्था, हरिजनों की स्थिति, संप्रकृत कुटुम्ब प्रणाली, विवाह की समस्या तथा स्त्रियों का स्थान और उनकी समस्याएँ।

वर्ण-व्यवस्था.—दुर्गुण तात्पर्य हिन्दू समाज की जाति-व्यवस्था से है। वर्ण का अर्थ रंग है, परन्तु यह यहाँ पर जाति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। हिन्दू समाज में मुख्यतः ४ जातियाँ हैं—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। परन्तु इनके अन्तर्गत कई उपजातियाँ हैं। इनकी संख्या तीन हजार से ऊपर है।

सबप्रथम यह दखना चाहिए कि जातियाँ की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। इस विषय में तीन सिद्धान्त हैं। इनमें से कोई भी पूर्णरूप से सन्तोषजनक नहीं है।

1. एक सिद्धान्त यह है कि वर्णों की उत्पत्ति तब हुई जब कि प्रायः अनाथों के साथ सम्पर्क में आए। समाज में प्रायः सबके ऊपर थे। सबसे नीचे अनाथ थे। इन दोनों के बीच में वर्णमकर थे। दूसरे सिद्धान्त के अनुसार जातियों की उत्पत्ति जना (tribes) से हुई। इनका सबूत यह है कि जातियों में आपस में रान पान, विवाह आदि पर कोई प्रकार के प्रतिबन्ध हैं। तीसरा सिद्धान्त यह है कि विभिन्न जातियों की उत्पत्ति अलग-अलग पेड़ा के कारण हुई। इनमें से प्रत्येक सिद्धान्त में मृत्यु का एक अर्थ है।

पूर्व वैदिक काल में मुख्य भेद प्रायः तथा अनाथों में था। प्रायों में दो विशेष वर्ण थे ब्राह्मण तथा राजा (राजन्व)। इनके अतिरिक्त अन्य लोग विशा बहलात थे। उत्तर वैदिक-काल में शूद्र का वर्ण और हो गया था। ये वे अनाथ थे जो कि प्रायों के समाज में प्रवेश पा गए थे। इस काल में वर्णों में कठोरता (rigidity) आ गई थी। इसी काल में सर्वप्रथम वर्णों के मूल में यह सिद्धान्त बना कि इनकी उत्पत्ति देवी है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से क्षत्रिय बाहुधा से वैश्य नाभि से तथा शूद्र पुरो से उत्पन्न हुए। बद्ध के काल में इन चार वर्णों के अतिरिक्त कई उपजातियाँ उत्पन्न हो गई थी।

सर्व प्रथम वर्णों का आधार कम था। ब्राह्मणों का काम शिक्षा तथा पुरोहिनी था। क्षत्रियों का काम युद्ध तथा शासन था। वैश्य कृषि, व्यवसाय आदि काम करते थे। शूद्रों का काम अपने से ऊपर वर्णवाला की सेवा करना था। आरम्भ में यह वर्ण-व्यवस्था कठोर नहीं थी। एक वर्ण के लोग दूसरे वर्ण में जा सकते थे। उदाहरणार्थ विश्वामित्र तपस्या के प्रभाव से क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए थे। परन्तु कालान्तर में वर्ण-व्यवस्था कठोर हो गई। एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाना सम्भव नहीं था। कर्म के स्थान में जन्म सिद्धांत प्रचलित हो गया। बौद्धमतवाक्यमियों ने कर्म के सिद्धांत को ही माना। कुछ ब्राह्मणों ने भी इस सिद्धान्त को माना परन्तु साधारणतः जन्म सिद्धान्त ही स्वीकृत किया गया। धर्म शास्त्रों में वर्णों को जन्म के ऊपर रखा गया है।

प्रायः कर्म का सिद्धान्त कोई नहीं मानता। वर्ण-व्यवस्था हिन्दू समाज में जन्म के ऊपर ही आधारित है। ब्राह्मण के घर में उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण ही है चाहे वह निरक्षर भटाचाय होवे। इसी प्रकार शूद्र के घर में उत्पन्न

व्यक्ति शुद्ध है चाहे वह कितना ही बड़ा विद्वान क्यों न हो। हिन्दू-समाज में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी जाति में पैदा होना है। वह जन्म भर उसी जाति का सदस्य रहता है चाहे वह उसे छोड़ना ही क्यों न चाहे। यद्यपि जातियों का निश्चय जन्म से ही होता है तथापि आज भी योड़ी-सी नीमा तक अलग-अलग जातियों के पेशे निर्दिष्ट-में हैं। प्रत्येक जाति के लोगों को कुछ निश्चित नियमों का पालन करना होता है। अगर ऐसा न करें तो उनका जाति से बहिष्कार कर दिया जावेगा। अपनी जाति के बाहर शादी करना मना है। इसी प्रकार खान-पान के संबंध में भी नियम हैं। यद्यपि निश्चित वर्ग में अब इन नियमों की अवहेलना होने लगी है परन्तु जनसाधारण इनका अब भी पालन करते हैं।

वर्ण-व्यवस्था के विरुद्ध बहुत लोग हो गए हैं। परन्तु आज भी इन व्यवस्था के कई समर्थक हैं। उनके अनुसार इस व्यवस्था के निम्नलिखित लाभ हैं :—

जाति-व्यवस्था के कारण ही हिन्दू-समाज हजारों वर्षों के बाद आज भी जीवित है। अगर समाज इस प्रकार भगदिर नही होता तो कभी छिन्न भिन्न हो गया होता। बाहर से कई आक्रमणकारी भारत में आए। इनमें से कुछ को तो हिन्दू समाज ने अपने में मिला लिया। जो हिन्दू समाज में नहीं मिले जैसे मुसलमान, उनके प्रभाव ने समाज में विभ्रम फैलाना नहीं आने पाई। जाति-व्यवस्था ने सामाजिक परम्परा को जीवित रखा। नगर में कई अन्य प्राचीन जातियों का आज पता भी नहीं है, परन्तु हिन्दू समाज आज भी जैने का तैसा है। आक्रमणकारियों ने भारत का तन जीता परन्तु उनका मन नहीं जीत पाये।

क्योंकि जाति-व्यवस्था श्रम-विभाजन के सिद्धान्त पर आधारित था, इसलिए प्रत्येक जाति अपने विशेष कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती थी। बचपन से ही लोग अपने-अपने विशेष कार्य में लग जाते थे। पिता का कार्य उसके पश्चात् पुत्र करता था। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने काम को अच्छी प्रकार समझ जाता था और उसे उचित रीति से करता था।

आज का विविध वर्णों में अलग-अलग कामों के अनुसार विभाजन, समाज की एकता बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी था। विभिन्न वर्णों में आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं होती थी। नव अपना-अपना निर्दिष्ट काम करते थे। अंग्रेजों ने अपने आदर्श राज्य में भी तीन वर्णों की स्थापना की है। प्रत्येक वर्ण अपने विशेष काम करेगा।

प्रत्येक वर्ण अपने सदस्यों के दुःख-सुख में काम आते थे। आरस में एक ही वर्ण के लोगो में सहानुभूति, सौहार्द तथा प्रेम स्वाभाविक है। प्रत्येक वर्ण के अन्दर महारिता का मिथ्यात्व अपनाया जाता था। इससे यह लाभ था कि आवश्यकता के समय व्यक्ति अकेला नहीं रहता था परन्तु उसे दूसरा भी सहानुभूति उपलब्ध होती थी।

प्रत्येक जाति के अन्दर सब लोग समान समझे जाते थे। इस प्रकार प्रत्येक जाति का एक जनतन्त्रात्मक समूह बन गया। धनी-निर्धन का भेद भाव नहीं था। जाति का यह कर्त्तव्य समझा जाता था कि वह अपने अन्दर के निर्धन सदस्यों तथा अनाथ परिवारों की सहायता करे। इससे यह लाभ था कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोई न कोई साधन समूह द्वारा जुटा दिया जाता था। जीवन तब सामूहिक था न कि आजकल की तरह व्यक्तिगत।

जाति-व्यवस्था के जिन गुणों का ऊपर वर्णन किया गया है वे वर्तमान काल में नहीं पाये जाते हैं। आजकल तो जाति प्रथा दोषों का समूह है। इसलिए समाज सुधारकों का कहना है कि अगर हिन्दू-समाज अपनी उत्थिति चाहता है तो यह आवश्यक है कि वर्ण-व्यवस्था का अन्त कर दिया जावे। इन प्रथा के नीचे लिखे मुख्य दोष हैं —

जाति-व्यवस्था के कारण हिन्दू-समाज एक इकाई के रूप में काम नहीं कर सका है अपितु अनेकों वर्णों में विभाजित हो गया। हमारे भक्ति मूल्यत समाज के प्रति न होकर अपने जाति-विशेष के लिए हाती है। इससे हमारे एकता की भावना प्रभावित हो गई। एक जाति के लोग दूसरी जाति में न विवाह कर सकते हैं, न अन्य प्रकार के सामाजिक सम्बन्ध उनसे स्थापित कर सकते हैं। पान-पान में भी प्रतिबन्ध है। ये सब बातें एकता के स्थान में पृथक्ता का बढाती हैं। इस भावना का फल यह हुआ कि हिन्दू समाज विदेशियों का कभी भी एक हाकर सामना नहीं कर पाया। इसी कारण राष्ट्रीय एकता की भावना भी मृदुल नहीं हो पाई।

जाति-व्यवस्था के कारण हिन्दू-समाज का दृष्टिकोण अत्यन्त ही मर्यादित हो गया है। यह व्यवस्था प्रगतिशीलता की विरोधी है। इस कारण इससे समाज की उत्थिति में बहुत बड़ी रकावट डाली है। कुछ समय पहले तक बहुत से लोग इस तरह के विदेश-यात्रा नहीं करते थे कि वे जाति से यहिष्ट कर दिए जायेंगे।

जाति-व्यवस्था मूलतः अप्रजातन्त्रिय है। समानता के स्थान में यह असमानता को प्रोत्साहित करती है। इसके कारण समाज ऊँच तथा नीच में विभाजित हो गया है। इस ऊँच-नीच का आधार कर्म या योग्यता न होकर जन्म है। बहुत से मनुष्य केवल इस कारण समाज में अपने को दूसरों से उच्च समझते हैं क्योंकि वे ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं चाहे कर्म की दृष्टि से वे अत्यन्त हीन कोटि के हों। समाज के एक बहुत बड़े भाग को इस व्यवस्था के कारण कर्मों भी उत्पत्ति करने का अवसर नहीं मिला। कितने दुःख तथा लज्जा की बात है कि समाज के एक-सौथाई भाग को हमने मनुष्यों की तरह रहने नहीं दिया। इसीलिए हमारे देश में मज्जे प्रजातन्त्र की स्थापना में जाति-व्यवस्था एक बहुत बड़ा रोड़ा है। इसके कारण चुनावों के अवसर पर बहुत से लोग धार्मिक या राजनीतिक कार्यक्रम पर ध्यान न देकर उम्मीदवारों को जाति की ध्यान में रख मतदान करेंगे। इससे यह भय भी है कि कहीं जाति पर आधारित दल न बन जाएँ। कुछ सीमा तक म्युनिसिपैलिटियों, जिला-बोर्डों, विश्वविद्यालयों के अन्दर इस प्रकार के विभाजन दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे ब्राह्मण-नायक, या ब्राह्मण क्षत्रिय आदि। सच्चे प्रजातन्त्र की स्थापना के लिए यह प्रावश्यक है कि इस प्रकार की मकुचित मनोवृत्ति समूल नष्ट कर दी जावे।

जाति-व्यवस्था के कारण समाज की आर्थिक-प्रगति में भी बाधा पहुँची है। क्योंकि बहुत से व्यक्ति स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी पसन्द का काम नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक जाति का पेशा निश्चित है। अगर कोई अपनी जाति के बाहर का पेशा अपनाता है तो जाति उसकी ठीक नहीं समझती है। बिना स्वतन्त्रता के आर्थिक उत्पत्ति में स्वभावतः ही कमी हो जावेगी इसके साथ ही साथ यह भी दिखाई देता है कि समाज में इस व्यवस्था के कारण बहुत से लोग कठिन परिश्रम के परभाव भी अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं जबकि दूसरी ओर कुछ लोग बिना किसी प्रकार का काम किए ही आराम से जीवन बिताते हैं।

जाति-व्यवस्था स्त्रियों के अधिकार की शत्रु है। हमारे समाज में स्त्रियों की दृग्गति बहुत सीमा तक इसी व्यवस्था का परिणाम है। विवाह के मामले में स्त्रियों को यह किसी प्रकार के अधिकार प्रदान नहीं करती है। अन्य क्षेत्रों में भी यह स्त्रियों को पुरुष का समकक्ष बनाने की विरोधी रही है।

उपरोक्त बर्णित दोषों को देखने से यह स्पष्ट हो गया होगा कि जाति-व्यवस्था को बनाए रखना हिन्दू समाज के हित में नहीं है। हजारों-लाखों

व्यक्तियों ने जाति व्यवस्था के कारण तथा हिन्दू समाज में अपने साथ पशुतुल्य व्यवहार होने के कारण दूसरे धर्मों को अंगीकार कर लिया। आजकल शिक्षा-मन्त्रालय के कारण यह व्यवस्था पहले से अधिक तो अधिक हो गई है परन्तु अब भी इसका प्रभाव अशिक्षित वर्ग में पूरे की ही तरह है। जितना शिक्षा प्रचार होगा उतना ही इस व्यवस्था के दुर्गुण लोगों की समझ में आते जावेंगे। देश में औद्योगीकरण के प्रसार से भी इस व्यवस्था को भारी आघात पहुँचेगा।

उन्नीसवीं शताब्दी में ही कई मधारका ने इस व्यवस्था विरोध किया था। ब्रह्म-समाज आर्य-समाज थियोसोफिकल-समाज आदि ने इस व्यवस्था का अनुमोदन नहीं किया।

बीसवीं शताब्दी में भी इस व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई गई। महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति ने इस प्रथा को दासपण तथा हानिकारक बतलाया। इतना होने पर भी यह अभी पभावहीन नहीं हुई है। यद्यपि पहले से अब जाति-व्यवस्था कम बढोरा हो गई है तथापि अब भी यह पूरा प्रभावहीन नहीं हुई है। अब खान-पान में शिक्षित वर्ग के नवपुत्रक कम परतज करते हैं। अन्तजातीय विवाह भी कुछ-कुछ होने लगे हैं। परन्तु अभी भी पुगते मन्कारा का इतना प्रभाव है कि इस व्यवस्था के विरुद्ध शिक्षा तथा प्रचार की बहुत अधिक आवश्यकता है।

अछूतों की समस्या — हिन्दू समाज का चौथाई भाग अछूत कहलाता है। सर्वण हिन्दुआ का विचार है कि अछूत को छूने मात्र से ही महापतक होगा। कुछ स्थानों में उनकी छाया के छूने से भी अर्पवत्र होने का डर रहता है। हमारे समाज में अछूतों की समस्या जाति-व्यवस्था का ही कुरिणाम है। ब्रह्मा के पर से इनकी उत्पत्ति बनलाई जानी है। शत्रु की उत्पत्ति शायद अन्याय जातियों में हुई है। परन्तु बाद का इनमें समाज द्वारा मत्ताए हुए कई अन्य वर्ण भी मिल गए हगे।

हिन्दू समाज में अछूतों की दसा अत्यन्त ही शचनीय है। यद्यपि अब पहले से कुछ सुधार अवश्य है। परन्तु अब भी केवल पहला बढम ही उठाया गया है। नक्षेप में अछूतों को समाज द्वारा सब प्रकार के अधिकारों से वचित कर दिया गया था। उनका कतव्य सबण हिन्दुआ की सेवा बनलाया गया। इस प्रकार इनको उन्नति का अवसर ही नहीं दिया गया। अछूतों का सर्वणों की बस्ती के अन्दर रहने का अधिकार नहीं था और अब भी वे इन बस्तियों

के बाहर ही रहने हैं। उनके स्वास्थ्य तथा शिक्षा का कभी भी प्रबन्ध नहीं किया गया। वर्तमान समय में तो उनमें शिक्षा का प्रसार हो रहा है। इनमें बाल-वृद्ध भी शिक्षालयों में जाते हैं यद्यपि अब भी उन्नीस नव्या अल्पवय नून हैं। परन्तु पहले तो उनको इस अधिवार का उपभोग करने का अवसर ही नहीं था। शिक्षा प्राप्त करना उनका काम नहीं था। पहले यह कहा जाता था कि अगर कोई अछूत वेद नून ले तो उसे दण्ड देना चाहिए। अछूतों के वाले सब उन्नति के मार्ग बन्द थे। एक ओर जब हमारे धर्मशास्त्रकार यह निम्नला रहे थे कि सब जीवों में देवी अग हैं, दूसरी ओर अपने ही समाज में इतने बड़े भाग को वे पगुओं के स्तर में ऊँचा नहीं उठने देना चाहते थे। शताब्दियों के इस व्यवहार का फल यह हुआ कि अछूत न आर्थिक उन्नति कर पाए और न सांस्कृतिक। आर्थिक क्षेत्र में, न वे व्यापार-वाणिज्य कर करने में और न शिक्षा के अभाव में अच्छी नौकरियाँ पा सकते थे। उनके लिए केवल ऐंसे ही काम बचे, जैसे मोची, कुहार लुहार आदि। राजनीति के क्षेत्र से भी वे दूर रहे। और सबसे बड़ा कुफल यह हुआ कि उनका नैतिक पतन भी हो गया। उनमें कई वृगड्याँ आ गईं, जैसे, गराव पीना, अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन आदि। परन्तु इस अवस्था का उत्तरदायित्व ऊँचे वर्ग के हिन्दुओं पर है। उन्होंने अछूतों को सदा यह बतलाया कि अछूत पगुओं में घटे नहीं हैं। इनमें कोई गन्दह नहीं कि अस्पृश्यता हिन्दू-समाज का सबसे बड़ा कलक है। संसार में ऐसा लुग्रा-दूत का विचार अन्य किसी देश में नहीं पाया जाता है—कुछ-कुछ इसी प्रकार का व्यवहार अमेरिका में गोगी जनता ह्वशियों के साथ करती है।

हरिजन सुधार-आन्दोलन:— अछूतों को हरिजन नाम गांधीजों ने दिया। इनकी अवस्था सुधारने का प्रयत्न मंगठिन रूप से उध्रीसवीं शताब्दी में आरंभ हुआ। परन्तु इसके पूर्व भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब धार्मिक-सुधारकों ने अस्पृश्यता को निराधार ठहराया। उदाहरणार्थ, महावीर तथा गौतम बुद्ध जाति-व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे। मोक्ष का द्वार उन सबों के लिए समान रूप में खुले हैं जो उनको प्राप्त करने के लिए नैतिक जीवन व्यतीत करें, यह इनकी शिक्षाओं का सार था। परन्तु इन धार्मिक सुधारकों का प्रभाव स्थायी नहीं रहा क्योंकि जब इन धर्मों का हान हुआ और पुराना हिन्दू धर्म पुनः बलशाली हुआ तो जाति-व्यवस्था भी पुनः मंगठिन हो गई। यद्यपि मैं इस काल में इसकी जटिलता और कठोरता और भी बढ गई। इसके पश्चात् मध्यकाल तक फिर कोई आन्दोलन इस व्यवस्था के विरुद्ध नहीं चला। मध्य-काल में कई महात्मा तथा संतों ने इस व्यवस्था को नहीं माना। ये संतनक्ति-

मार्गी थे। उन्होंने मवा का ईश्वर की भक्ति का अधिकारी बननाया और मय जाति के राजा का अपना शिष्य बनाया। उदाहरणार्थ, १४वीं शताब्दी में स्वामी रामानन्द ने न बचक मय वर्णों के हिन्दूओं का परन्तु कई मुसलमानों का भी अपना शिष्य बनाया। उद का कबीर नानक नुवागम आदि भक्ति मार्गी मन्त। इन व्यवस्था का नष्ट माना। कबीर स्वयं जाति के जूरा थे। परन्तु इन गता के प्रयत्न से जाति-व्यवस्था से बाई प्रभाव नहीं पडा। यह ज्या की र्था बनी रही। यथाथ में हमकी कठोरता और बड गड। यही व्यवस्था बाद तब चरनी आई। इसी राज में भारत में मयमान आ गये थे तब उन्होंने यहाँ अपना शासन स्थापित कर लिया था। पन्द्रहवीं शताब्दी के बाद ईसाई भी भारत में आ गये थे। इन दोनों धर्मशास्त्रों ने अपने धर्म का प्रचार किया। इन दोनों धर्मों में उंच-नीच का भेद भाव नहीं है। हमारे यह स्वाभाविक था कि धीरे-धीरे हिन्दू-समाज की बनायी हुई जातियाँ इन धर्मों का स्वीकार कर लें। इनमें कोई भी मदद नहीं है कि जिन लोगों ने हिन्दू-धर्म का छात्रक हमनाम या ईसाई धर्म का स्वीकार किया उनमें बहूमत्या हिन्दू-समाज के अर्था की है।

१०वीं शताब्दी ने राजा राम महिन राय ने जाति-व्यवस्था के विरुद्ध प्रचार किया। आय समाज ने भी जाति भेद का नहीं माना। स्वामी दयानन्द ने कहा कि वेद हम व्यवस्था का ममयन नहीं करत हैं। आय-समाज ने अर्था की शिक्षा तथा सामाजिक उत्थान की आर ध्यान दिया परन्तु इसका प्रभाव अत्यन्त सीमित रहा।

बीसवीं शताब्दी में अर्थाद्वार का गांधी जी ने अत्यन्त महत्व दिया। भारत आने के बाद से ही उन्होंने जनता का ध्यान हम आर आकर्षित करना आरम्भ कर दिया। काँग्रेस ने गांधी जी के प्रभाव से अर्थाद्वार का अपने कार्य-धर्म में रण लिया। गांधी जी ने बार-बार यह कहा कि हिन्दू-समाज का हम कर्ण का दूर करना चाहिए। कई बार उन्होंने यह भी कहा कि जिना अर्थाद्वार के स्वराज्य समभव है। जब दूसरी आन्दोलन महा के बाद ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने अपनी घोषणा द्वारा अर्था को हिन्दू सम्प्रदाय ने, अलग सम्प्रदाय माना तब गांधी जी ने अनशन किया। इसका फल यह हुआ कि मिनम्बर १९३८ में पूना संकट हुआ और हरिजन हिन्दू-समाज से पूयक् सम्प्रदाय नहीं माने गये।

मन् १९३३ में गांधी जी ने हरिजन सेवा मय की स्थापना की। इस मय ने हम दिना में अर्था काम किया है। गांधी जी ने अपने भाषणा तथा

लेखों द्वारा हिन्दू समाज की सुप्तप्रान चेतना को जगाना चाहा और उन्हें यह समझाना चाहा कि वे ब्रह्मूतों के ऊपर सदियों से कितना प्रत्याचार कर रहे हैं। गाँधी जी के प्रयत्नों के फलस्वरूप हरिजनों के प्रति सर्वत्र हिन्दुओं का व्यवहार कुछ सीमा तक बदला। बड़े स्थानों में उन्हें मन्दिरों में प्रवेश करने को आजा मिल गई। हरिजनों में भी चेतना का संचार हुआ और उन्होंने अपने बुराईयाँ जैसे नगीली वस्तुओं का सेवन आदि, छोड़ने की ओर पग उठाया। उनमें शिक्षा का भी प्रसार हुआ।

नवीन संविधान द्वारा यह घोषणा कर दी गई है कि राज्य की दृष्टि में बिना किसी प्रकार भेद-भाव के सब व्यक्तियों को समान अधिकार हैं। अब ब्रह्मूत बिना रोक-टोक मन्दिरों में जा सकते हैं, तालाबों तथा कुओं से पानी भर सकते हैं, स्कूलों में भर्ती हो सकते हैं। संक्षेप में विधि द्वारा उन्हें वे सामाजिक, धार्मिक तथा राजनैतिक अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं जो कि राज्य के अन्दर नागरिकों को प्राप्त हैं। क्योंकि ब्रह्मूत समाज के पिछड़े हुए वर्ग हैं इसलिए संविधान में उनके लिये कुछ विशेष उपबन्ध हैं, जैसे विधान मण्डलों में उनकी जनसंख्या के अनुसार उनके लिये स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे। संविधान द्वारा संसद में ६० स्थान ब्रह्मूतों (scheduled castes) के लिये सुरक्षित रखे गये हैं। राज्यों के विधान मण्डलों में ४८३ स्थान उनके लिए सुरक्षित हैं। सरकारी नौकरियों में भी कुछ काल तक उनकी विशेष सुविधा दी जावेगी। इस प्रकार संविधान द्वारा यह प्रयत्न किया है कि हरिजनों के साथ असमानता का व्यवहार न हो। परन्तु केवल अधिकारों के इस प्रकार प्रदान करने से ही कुछ न होगा। आवश्यकता इस बात है कि समाज का यह उत्पीड़ित अंग अपने अधिकारों को समझे तथा उनका उपयोग कर सके। इसके लिये उनमें शिक्षा-प्रचार की अत्यन्त आवश्यकता है। इसको ओर भी सरकार ने ध्यान दिया है। परन्तु और अधिक काम की आवश्यकता है। शिक्षा द्वारा ही उनकी सांस्कृतिक तथा धार्मिक उन्नति सम्भव है। इस दिशा में भी भारत सरकार का कार्य सराहनीय है।

१५ मार्च, १९४५ को संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था जिसका उद्देश्य समस्त भारत में ब्रह्मूतों को अक्षरपुत्रों के अक्षरपुत्रों के रूप में मान्यता देना था। यह विधेयक ब्रह्मूतों को मन्दिरों में प्रवेश तथा पूजा का अधिकार, तालाब, कुएँ, नदी नालों तथा सार्वजनिक नलों के प्रयोग का अधिकार, किनी सार्वजनिक मार्गों, मूर्दाघाट, जहाज, होटल, भोजनालय आदि में प्रवेश करने का अधिकार, किसी भी पेशे को करने का अधिकार आदि प्रदान करता है। यदि कोई उनको इन

उपयुक्त अधिकारा से वंचित करे तो उस ६ महीने की सजा या ५०० रुपया दण्ड तक हा मकना है। यह विधेयक मई १९५५ में कानून हो गया है।

अज्ञानता का स्वयं भी अपनी उन्नति की ओर अग्रसर होना चाहिये। इसके लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि उनमें यह भावना जमकर बैठ जाये कि वे अन्य किसी भी वर्ण से नीचे नहीं हैं। वे भी भनुष्य हैं। इसी भावना का सुदृढ़ हो जाने पर वे स्वयं भी अपने अन्दर फली हुई गन्दगी का हटाने की चेष्टा करेंगे। उन्हें अपनी बुरा आदती को छोड़ देना चाहिए। उन्हें अपने अन्दर के ऊँच-नीच के भाव को हटा देना चाहिए। उन्हें समाज के अन्य वर्गों से अच्छे गुणों को ग्रहण करना चाहिए। संक्षेप में, उन्हें स्वयं भी इस बात की चेष्टा करनी चाहिए कि वे अपने अधिकारा का ठीक प्रकार से उपभोग कर सकें।

सयुक्त प्रणाली कुटुम्ब -- यह कहने में कोई अत्युक्त नहीं होगी कि भारतीय समाज की इकाई व्यक्ति न होकर कुटुम्ब है। हिन्दुओं में कुटुम्ब में नात्पय केवल पति पत्नी और बच्चा में ही नहीं है। पाश्चात्य देशों में कुटुम्ब का यही अर्थ है। हिन्दुओं में सयुक्त कुटुम्ब प्रणाली प्रचलित है। सयुक्त कुटुम्ब में अर्थ यह है कि एक ही परिवार में पति-पत्नी और उनके बच्चों के अतिरिक्त दादा दादी, चाचा-चाची, भाई भतीजे पुत्र और उनकी पत्नियाँ सब रहने हैं। कभी कभी एक परिवार में तीन तीन पीढ़ियाँ तक एक साथ ही रहती हैं। ऐसे कुटुम्ब की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं

(अ) इसके सदस्यों की मख्या बैयविक-कुटुम्ब की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। तीस-चालीस होना साधारण बात है। कभी कभी एक एक कुटुम्ब में गौ तक व्यक्ति होते हैं।

(ब) ऐसे कुटुम्ब की सम्पत्ति सम्मिलित होती है। कुटुम्ब के सदस्य जितना भी कमाते हैं वह सब सम्मिलित रूप से कुटुम्ब के उपर व्यय होता है। कुटुम्ब में सवा के लिये सम्मिलित भोजन की व्यवस्था होती है।

(ग) सबसे वयोवृद्ध पुरुष कुटुम्ब का मुखिया होता है। उसी का अनुगमन सवा को मानना पड़ता है। अर्थात् कुटुम्ब पितृ प्रधान होते हैं।

संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली हिन्दू समाज की विशेषता है परन्तु भारत में मुसलमानों में यह प्रणाली कुछ मात्रा तक प्रचलित हो गई है, यद्यपि उनमें यह हिन्दुओं के बराबर कठोर नहीं हुई है।

साम्भ :—संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली के निम्नलिखित लक्षण हैं —

क्योंकि सम्मिलित कुटुम्ब में कई व्यक्तिक कुटुम्ब साथ साथ मिलकर रहते हैं इसलिए इसे बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि इसके सदस्यों में परस्पर एक दूसरे के प्रति सहयोग, त्याग तथा सहानुभूति की भावना वर्तमान हो। इसका फल यह होता है कि बच्चे भी धारम्भ से इन गुणों की शिक्षा पाते हैं। ये ही गुण अच्छे नागरिक में भी प्रबन्धक हैं। संयुक्त कुटुम्ब नागरिकता की शिक्षा के लिये केवल प्रथम ही नहीं परन्तु प्रमुख पाठशाला भी है।

संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली का दूसरा लक्षण यह है कि इसमें उन व्यक्तियों का भी जो कि दुपटना, बीमारी, बुढ़ापा या अन्य किसी कारण से अपना तथा अपने बाल-बच्चों का भरण-पोषण नहीं कर सकते हैं, उनके बच्चों का भी पालन हो जाता है तथा उनकी आवश्यकताओं की एक बड़ी मात्रा तक पूर्ति हो जाती है। प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम जीवन निर्वाह का प्रबन्ध हो जाता है, जो कि, एक लेखक के शब्दों में धार्मिक प्रगति के लिये आवश्यक है। अनाथ बच्चों तथा विधवाओं की भी ऐसी प्रणाली में अच्छी प्रकार देखभाल हो जाती है। कुटुम्ब के सदस्य दुस्र सुत्र में एक दूसरे का साथ देते हैं।

संयुक्त कुटुम्ब के धन्य के साधन भी अधिक होते हैं। प्रत्येक सदस्य कुछ न कुछ कमाता है। इसका फल यह होता है कि कुटुम्ब की धार्मिक भवस्था अच्छी रहती है। समाज में कुटुम्ब की प्रतिष्ठा रहती है। प्रापति के समय सारा कुटुम्ब एक इकाई की तरह काम करता है।

संयुक्त कुटुम्ब होने के कारण कई खर्च के मदों कमी हो जाती है। जैसे अगर परिवार के सदस्य अलग अलग खाना बनाये तो उसमें अधिक खर्च होगा परन्तु संयुक्त परिवार में सारे कुटुम्ब का खाना साथ ही साथ बनता है। इसी प्रकार कई अन्य खर्च संयुक्त रूप से रहने के कारण कम हो जाते हैं।

उपरोक्त वणित नामों को देखते से यह लगता है कि यही व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है तथा यह चालू रखनी चाहिये। परन्तु कई विद्वान तथा सुधारकों का कहना है कि इस प्रणाली में दोष अधिक है। इसमें नीचे लिखे मुख्य दोष हैं :—

(१) क्योंकि प्रत्येक सदस्य का भावना रहती है कि बिना उसके हाथ पर हिलाने ही उसके जीवन की मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो ही जायगी। अतः उनमें आत्मनिभरता तथा काम न करने का इच्छा पैदा हो जाती है। इसका फल यह होता है कि बटम्व का सारा भार बाँट स उन लोगों को ही हन पड़ता पड़ता जो कि परिश्रम करते हैं। इसका दो परिणाम होते हैं। एक तो यह कि बटम्व में कुछ लोग निरक्षर तथा उत्तरदायित्वहीन हो जाते हैं। दूसरे यह कि जो लोग काम करते हैं उनमें कुछ बान बाँट दते भावना पैदा होना स्वाभाविक है कि काम तो ब कर और मोज़ दूसरे लोग करे।

(२) एक बटम्व में घर का संचालन क्या कि एक ही व्यक्ति के कंधे पर होता है इससे अर्थ सदस्यों में आत्मनिभरता का अभाव हो जाता है। यह सभी जानते हैं कि बिना आत्मनिभरता के अधिक उप्रति अग्रगम्य है। इसके साथ साथ अधिक स्वतंत्रता भी नष्ट हो जाती है।

(३) बटम्व में अर्थ में मनामात्रिय पदा हो जाता है। छोटी छोटी शक्तों में घर का शास्त्रि नष्ट हो जाती है। यह अर्थान्तिमय वातावरण बच्चों के ऊपर बुरा प्रभाव डालता है। अर्थान्ति के कारण समाज का मन लट्टा रहता है और जीवन में उत्साह नहीं रहता।

(४) समयत बटम्व प्रणाली में व्यक्ति के विकास का कम अवसर रहता है। प्रत्येक सदस्य कई नियंत्रणों के अधीन रहता है। विनापके स्त्रियाँ की सेवा अच्छी नहीं रहती। उनका सारा समय घर के ही कामों में व्यतीत होता है। वे स्वतंत्र वातावरण का अनुभव ही नहीं कर सकती हैं।

(५) सम्मिश्रित सम्पत्ति व्यवस्था होने के कारण लोगों में अधिक उत्पादन की इच्छा पैदा हो जाती है। यह भी अधिक उप्रति के अर्थ अहितकर है।

(६) समुक्त बटम्व प्रणाली बटुया निरन्तरता की आरंभ होती है। उन लोगों को अवस्था विनापके से साधनाय हो जाती है जिनमें अर्थ तो कम होनी है परन्तु सदस्य अधिक है। वे एक ज्यादा हाता है।

I Self reliance—the great virtue without which no economic progress is possible is discouraged Banerji, Indian Economics p 36 6th ed

(७) सम्मिलित सम्पत्ति होने के कारण जब कभी इनका बंटवारा होता है तब मुकदमेबाजी की नीबत आ जाती है ।

भविष्य —संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली भी जाति-व्यवस्था की तरह दिन पर दिन टूटती जा रही है । इसका एक कारण तो मनुष्यों में वैयक्तिक भावना की वृद्धि है । प्रत्येक व्यक्ति यह सोचने लगा है कि उसका कर्तव्य केवल अपने बोधी-बन्धों तक ही है । पारिचात्य देशों के उदाहरण का प्रभाव भी नगण्य नहीं कहा जा सकता । इसके साथ-साथ पातायात के साधनों में वृद्धि होने के कारण लोग नौकरियों की खोज में दूर-दूर तक जाने लगे हैं । आर्थिक कठिनाइयों के कारण भी यह व्यवस्था टूटती जा रही है । औद्योगीकरण के बढ़ने के साथ-साथ यह व्यवस्था टूटती जायगी ।

क्या इस व्यवस्था का टूटना अच्छा है ? इसका उत्तर बहुतों ने यह दिया है कि संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली भारत में वही काम करती है जो कि अन्य देशों में सामाजिक-बीम (social insurance) की प्रथा करती है ।¹ परन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि आर्थिक जीवन की जटिलता तथा औद्योगीकरण की वृद्धि दोनों ही संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली के विरुद्ध हैं ।

स्त्रियों की समस्या —सर्व-प्रथम हमें हिन्दू समाज में विवाह-प्रथा के ऊपर दृष्टिपात करना चाहिये । हिन्दुओं में विवाह केवल एक शारीरिक सम्बन्ध नहीं है, परन्तु यह दो भात्माओं का सम्बन्ध है । विवाह का आधार भी धर्म है । यह जीवन के मुख्य सत्कारों में से एक है । इसी कारण हिन्दू धर्म के अनुसार पति-पत्नी का एक दूसरे को त्याग कर दूसरा विवाह करना अनुचित समझा जाता है । अन्य समाजों में तलाक प्रचलित है परन्तु हमारे यहाँ अभी तक इसे उचित नहीं समझा जाता है । विवाह के लिये एक ही जाति का होना आवश्यक है । परन्तु गोत्र भ्रमण-भ्रमण होना चाहिए । जातियों के अन्दर उप-जातियाँ हैं । इसलिये इस दृष्टि से भी समानता होनी चाहिए । पुण्य को एक पत्नी के मर जाने पर दूसरे विवाह का अधिकार है और अधिकतर लोग ऐसा करते हैं । परन्तु सर्वत्र हिन्दुओं में विधवा को पुनर्विवाह का अधिकार नहीं है ।

1. "In a country where neither the Government nor any other institution makes arrangements for social insurance... the disruption of joint families may lead to many practical difficulties"—Banerji, *Ibid.*, p. 37.

विवाह के सम्बन्ध में निम्नोक्त विधेय समस्याओं पर ध्यान देना चाहिये —

(१) बाल विवाह -- यह बहुत अधिक प्रचलित है। शिक्षित वर्ग में तो अब माता-पिता इसका चलन नहीं हैं परन्तु अशिक्षित वर्ग में तथा गांवों में अभी तक इसका प्रचलन है। बाल विवाह का प्रारम्भ क्या हुआ इस विषय में निश्चित रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता है। शायद विदेशी आक्रमणकारियों की कन्याओं की रक्षा हेतु यह प्रथा चली हो। जिस कारण भी यह प्रथा चली हो यह पुष्ट नहीं है। यद्यपि यथायथ बालक तथा बालिका दोनों के लिये अत्यन्त हानिकर है। १९ वीं सताब्दी में ब्रह्म समाज तथा आर्य समाज ने इसका विरोध किया। एक समय श्री माताजी ने इसके विरुद्ध एक पुस्तिका प्रकाशित की। इन सब का फल यह हुआ कि एक ऐक्ट द्वारा यह पाप हुआ कि १० वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह नहीं किया जा सकता था। बंगाल राज्य में १९०१ में एक ऐक्ट द्वारा भी बालिकाओं का विवाह को कम से कम आयु १२ वर्ष रखी गई। परन्तु इन नियमों का अधिकतर पालन नहीं किया जाता था। सन १९३० में भारत-ऐक्ट पास हुआ। इसने द्वारा यह निश्चित हुआ कि १४ वर्ष से कम आयु की बालिका तथा १८ वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह करना अपराध माना जायगा तथा उन्मत्त लिये दण्ड मिलेगा। जैसा हम लिये चके हैं बाल विवाह प्रथा अब भी प्रचलित है। इसलिए यह आवश्यक है कि इसके विरुद्ध सब प्रचार किया जाये।

(२) बहु विवाह -- यद्यपि हिन्दुओं को एक से अधिक विवाह करने का अधिकार है परन्तु समाज में बहु विवाह अधिक प्रचलित नहीं है। पहले धनी लोग या जमींदार और राजे महाराजे एक से अधिक विवाह करते थे, और कुछ ग्रामी भी करते हैं। परन्तु सब साधारण में बहु विवाह का प्रचलन कभी भी अधिक नहीं था।

(३) दहेज प्रथा -- इससे यह घासप घुँस है कि लड़के वाले लड़की वाले को विवाह कराने के लिये पैसे माँगते हैं। इसके कई ढंग हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छा नौकर है, अतएव इतने हजार रुपए दो, कुछ कहते हैं लड़का आगे पढ़ना चाहता है उसका खर्च उठाओ, कुछ लोग कहते हैं हमारे लड़के के लिये मोटर खरीदो। सम्भोग में लड़की वाले का अपनी लड़की के हाथ पीठे करने में हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अमीर पिता तो यह सब कर सकता है परन्तु साधारण वर्ग के माता पिता का एक एक

लड़की के विवाह में कर्ज के बोझ में दौहरा हो जाना साधारण बात है। यह प्रथा अत्यन्त हीन है। इसका शोधार्थी शोध अन्त होना चाहिये। अभी तक इस प्रथा के विरुद्ध अधिक आवाज नहीं उठाई गई है। यह आवश्यक है कि इसके विरुद्ध खूब प्रचार हो गया सरकार किसी भी रूप में दहेज लेने या देने के विरुद्ध नियम बना दे।¹ इसी प्रकार गरीब माता-पिता ब्राह्मण² सकते हैं।

(४) विधवा विवाह :—पंडित-काल में विधवाओं को पुनर्विवाह को धाजा थी।³ परन्तु कालान्तर में विधवाओं का फिर से विवाह करना शास्त्रों के विरुद्ध समझा जाने लगा। गुप्त काल में तो ऊँचे वर्गों में सती-प्रथा प्रचलित हो गई थी। विधवाओं की अवस्था दिन पर दिन खराब होती चली गई। बाद को तो यह होने लगा कि पति के मृत्यु के बाद पत्नी को बलपूर्वक उसी के साथ जला देते थे। यह अमानुषिक प्रथा बड़ी गौरवपूर्ण समझी जाती थी। खैर यह है कि धाज भी कुछ लोग इनको हमारे नारी जीवन का सबसे महान आदर्श समझते हैं। सन् १८२९ में लार्ड बेंटिक ने सती-प्रथा को अवैध कर दिया।

विधवा की अवस्था हिन्दू परो में अत्यन्त रोचनीय है। साधारणतः यह समझा जाता है कि वह अपने ही बामों के कारण विधवा हुई। इसलिए सुवह-सुवह उसका मूंह देखना भी कहीं-कहीं पर खराब समझा जाता है।⁴ अवसरों पर विधवाओं को अलग रखा जाता है। प्रायिक-दृष्टि से भी कुटुम्ब में विधवाएँ भार-स्वरूप समझी जाती हैं। उनके जीवन में किसी प्रकार का उत्साह नहीं रह जाता है। जब कि पुरुषों को एक के बाद दूसरी शारी या अधिकार है, स्त्रियों को पति की मृत्यु हो जाने पर सतीत्व तथा नारीत्व के आदर्श के नाम में एकान्त जीवन व्यतीत करने को समाज बाध्य करता है।

श्री ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने सर्व प्रथम इस बात का आन्दोलन किया कि विधवाओं का पुनर्विवाह का अधिकार होना चाहिये। सन् १८५६ में भारत सरकार ने ऐक्ट द्वारा विधवा-विवाह को वैध मान लिया। ब्रह्म समाज तथा आर्य समाज ने भी विधवा-विवाह के पक्ष में प्रचार किया। शिक्षा के प्रचार तथा पाश्चात्य विचारों के प्रभाव से कई समाज सुधारकों का ध्यान इस ओर

1. अब केन्द्रीय सरकार ने एक दहेज विरोधी बिल पास कर दिया है।

2. An Advanced History of India, by Majumdar, Raychaudhury and Dutta, p. 31.

आकर्षित हुआ। २० वी सताब्दी में इस दिशा में और अधिक उन्नति हुई। सन् १९२७ से एक नियम द्वारा विधवाओं को सम्पत्ति में भाग मिलने लगा है।

देश में विधवाश्रम असाहाय विधवाओं की सहायतायें खुल गए हैं। इन दिशा में भी आर्य-समाज, देव-समाज आदि ने अच्छा काम किया है। यद्यपि हिन्दू समाज में बृद्ध मात्रा तक विधवाओं के पुनर्विवाह के प्रश्न पर दृष्टिकोण बदला है और विधवाओं की स्थिति कुछ सुधरी है तथापि अब भी कुसत्कारों का प्रभाव समाज के प्रभिकारा भाग के ऊपर है। इन दिशा में अभी और प्रचार तथा शिक्षा की आवश्यकता है क्योंकि पुरानी रुढ़ियाँ बड़ी कठिनाई से उन्मूलित होती हैं।

(५) वृद्ध-विवाह — अब भी बहुधा कई माँ बाप अपनी कम अवस्था की लड़कियों को बृद्धों को ब्याह देते हैं। वह प्रत्येक दृष्टि में अनुचित है। इनका कारण एक बहुत बड़ी मात्रा तक तो दहेज प्रथा है। वृद्ध पुरुष बहुत कम दहेज में विवाह कर लेगा। दूसरी बात यह भी है कि बहुत से माता-पिता कन्यादान का पुण्य कमाने को लालायित रहते हैं और सोचते हैं कि लड़की का भविष्य उनके ही भाग्य पर निर्भर है। समाज में इस प्रकार के विवाहों के विरुद्ध भी विचार बढ़ रहा है।

हिन्दू-समाज में विवाह के सम्बन्ध में रुढ़िवादी विचार कुछ मात्रा तक पहले की अपेक्षा शक्य हो गए हैं। परन्तु अब भी इस दिशा में बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है। अभी तक भी बहुत थोड़े से लोग अन्तर्जातीय विवाह करने को प्रस्तुत होगे। यद्यपि ऐसे विवाह हुए हैं तथापि उनकी संख्या अत्यन्त कम है। परन्तु जाति का बन्धन शिथिल हाने के साथ-साथ इस दिशा में प्रगति होगी। विभिन्न सम्प्रदायों के बीच में तो बहुत कम विवाह होते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहाँ ऐसे विवाह हुए हैं परन्तु साधारणतः उनका बड़ा विरोध है। जो लोग हिन्दू-समाज के अन्दर दस विषय में सब कुरीतियों को हटाना चाहते हैं वे दस प्रकार के विभिन्न सम्प्रदायों के बीच विवाह को उचित नहीं समझते हैं।

अब विवाह-बन्धन में लड़के-लड़कियों का भी मत जानने की चेष्टा की जाती है। शिक्षित वर्ग में तो बिना लड़के-लड़कियों की अनुमति के विवाह बहुत ही कम होते हैं। परन्तु अब भी लड़कियों के मत को कम महत्व दिया जाता है। प्रशिक्षित वर्ग में अभी भी विवाह अभिनायकों के द्वारा ही तथा

किया जाता है। सुखी कौटान्बिक जीवन के लिये विवाह के पूर्व लड़के-लड़कियों का मत अवश्य जान लेना चाहिये।

समाज में नारी का स्थान — यद्यपि मनुस्मृत में एक उक्ति है कि 'नारी नारियों की पूजा हीना है, बड़ा दयाता रमण करन है' तथापि वास्तव में हिन्दू-समाज में साधारण नारी का स्थान अत्यन्त ही विभन्न है। प्राचीन काल में स्त्रियों की अवस्था इतनी हीन नहीं थी। यद्यपि वे पुरुषों के दरावर कर्मा भी नहीं समझी गईं तथापि उनका घर तथा समाज दोनों में सम्मान था। उनकी निष्ठा ही जाती थी और विवाह वही होने पर किया जाता था। स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी। विद्वधारा, घोणा प्रयाला, गाँवों, मैदानों, विदुषी महिलाएँ थी। परन्तु धीरे-धीरे स्त्रियों की दशा विगड़ने लगी। उनकी स्वतन्त्रता कम होने लगी। गुप्त काल तक सती प्रथा समाज उच्च-वर्गों में काशी प्रचलित ही गई थी। परन्तु इनका सब हाने पर भी स्त्रियों की अवस्था बहुत खराब नहीं थी।

मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमणों के परचात् इन दिशा में और अवनति हुई। उक्त समय की अदरवाजों के कारण पर्दा-प्रथा का आरम्भ हुआ। स्त्रियों का श्रेय केवल घर के अन्दर रमना जाने लगा। सती-प्रथा बहुत प्रचलित हो गई। निष्ठा की ओर भी कम ध्यान जाने लगा। मध्य काल में स्त्रियों की दशा विगड़नी ही चली गई। कन्या का जन्म दुःख का अन्तर माना जाने लगा। धीरे-धीरे यह प्रथा चल गई कि कन्या का जन्म होते ही उसे मार दिया जाता था। यह प्रथा विशेषकर राजपूतों में बहुत ही प्रचलित थी। लॉर्ड वेल्सलिक ने इन असमानुषिक प्रथा को बन्द करने की ओर प्रयत्न पग उठाया था।

यह कहने में कोई अतृप्ति नहीं होगी कि हिन्दू समाज में यद्यपि काफ़ी जागृति हो गई है तथापि आज भी स्त्रियों की दशा कोई अच्छी नहीं है। विवाह के सम्बन्ध में जो कुप्रथाएँ प्रचलित हैं उनका वर्णन हम कर चके हैं। शिक्षा तथा गस्कृति की दृष्टि से भी स्त्रियों की अवस्था दयनीय है। सब भी बहुत से मौ-आप अर्थात् लड़कियों को शिक्षा में वधित रखते हैं। गाँवों की अवस्था तो इस विषय में बहुत खराब है। धार्मिक दृष्टि से भी स्त्रियों का स्थान अत्यन्त नीचा है। साधारणतः वे हर मामले में पुरुषों के ऊपर निर्भर हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। पर्दे का अर्थ भी बहुत प्रचलन है। यद्यपि पहले से स्थिति में बहुत सुधार हो गया है तथापि अब भी अन्य मध्य देशों की अपेक्षा हमारे यहाँ का नारी-समाज अत्यन्त ही पिछड़ा हुआ है।

मुधार-श्राद्धोत्सव — १० वीं शताब्दी में ब्रह्म-समाज तथा श्राय समाज ने स्त्रियाँ की दशा मुधारन क किये श्रावाज उठाई। राजा राममोहन राय का काम काफी महत्वपूर्ण है। उन्हीं के कारण अंग्रेजी-सरकार ने सती प्रथा को बंद कर दिया। श्रा कश्यपचन्द्र सेन ने विधवा विवाह का प्रश्न उठाया। सन् १६ में विधवाओं का पुनर्विवाह वैध मान लिया गया। श्राय-समाज ने बाल-विवाह र विरुद्ध तथा विधवा-विवाह क पक्ष में आन्दोलन किया। स्त्रियाँ की दशा में अधिक मुधार राजनैतिक आन्दोलन क बढ़ने स सन् १९२० क बाद जाना आरम्भ हुआ। टमक फूल स्त्रियाँ स्वयंश्रुती होने दशा को मुधारने में अधिक प्रयत्नशील नही थी। जय हान-मल आन्दोलन (१९१४-१०१०) आरम्भ हुआ तब भारतीय महिलाओं न सर्व-प्रथम श्रम अधिकारी क बारे में मोचना आरम्भ किया। जब गांधी न दण बान नृत्य लिया तो इस दिशा में और प्रगति हुई। उनक नेतृत्व में राजनैतिक आन्दोलन में स्त्रियाँ ने भी पुण्या के साथ भाग लिया। उन्होंने लाठिया तथा गोलियाँ महा और जेल गईं। इनका फल यह हुआ कि स्त्रियाँ क श्रम स्वयंश्रुती चेतना का आधार हुआ। उनका श्रुती होने दशा का भाग हुआ और इस कारण सन् १०२० के पश्चात् स्त्रियाँ की दशा न शीघ्रता क साथ मुधार जान आरम्भ हुआ।

स्त्रियाँ न राजनैतिक अधिकारों की माँग की। दिनांक १८ १९१७ को १ म मिन० मण्डलक—जा कि भारत मन्त्री थे—ने अखिल भारतीय-महिला का मण्डल मिला और उसने स्त्रियों के लिये राजनैतिक अधिकारों की माँग की। सन १९१० के एक्ट के द्वारा ३,१५,००० स्त्रियों को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। सन १०-३ में स्त्रियाँ न सर्वप्रथम प्रांतीय धारा-समाजों क चुनावों में भाग लिया। जब एम्बेन में गोलेमब सभाएँ हुईं उनमें भारतीय स्त्रियाँ क प्रतिनिधियाँ ने भाग लिया। सन १९३५ के एक्ट द्वारा स्त्रियों क राजनैतिक अधिकारों में वृद्धि हुई। करारन ६० लागू स्त्रियों को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। केंद्रीय धारासभा क उपरी सदन में स्थान तथा निचले सदन में स्थान उनक लिये सुरक्षित किये गये—मद्रास में ८, बम्बई में ६, बंगाल में ५, य० पी० में ६, पंजाब में ४, बिहार में ८, मध्य प्रांत में ३, वाराणसी में १, मिनर तथा उडुपिटा प्रत्येक में २।

जब न भारत में तथा मध्यांत लागू हुआ है इसके अधीन स्त्रियों का क अधिकार दिये गये हैं जा कि पुरुषों का प्राप्त है। राजनैतिक तथा सामाजिक अधिकारों में उनमें तथा पुरुषों में अब कोई भेद नहीं रहा। वे नौकरी कर सकती हैं। उ हें समान कार्य के लिये पुरुषों क समान ही वेतन मिलेगा।

चुनावों में उन्हें मत का अधिकार है। वे विधान-मण्डलों की सदस्यता के लिए खड़ी हो सकती हैं। वे मंत्री, स्पीकर, ऐम्बेसेडर हो सकती हैं।

स्त्रियों की स्थिति पहले से बहुत अच्छी है। शिक्षा का प्रचार उनके लिये हो रहा है। वे बड़े क्षेत्रों में नौकरों का रतनी हैं। डॉक्टर, नर्स, गिर्लफ्री, वकील, क्लर्क आदि, सभी प्रकार की नौकरियाँ वे करती हैं। मिलों में फौजदारियों में भी वे काम करती हैं। परों की प्रथा खत्म हो रही है। विवाह के मामलों में भी पहले से अधिक स्वतंत्रता है। अंतर्राष्ट्रीय, अन्तः-राष्ट्रीय तथा कुछ-कुछ अलग-अलग सम्प्रदायों के बीच की बिकल हो गई है। स्त्रियाँ अब अकेले पाना कर लेती हैं। पाकों में घूमती हैं तथा अनारंजन के स्थानों में जाती हैं। वे चुनाव में शिष्टान्त प्रकार के कार्य करने लगी हैं। विस्तृत तथा म्युनि-सिपल बोर्डों में भी महिलाओं के लिये स्थान सुरक्षित है। इनारे मन्त्रालयों में स्त्रियों ने सन् १९२० के पश्चात् प्रयत्नशील प्रगति की है। परन्तु अभी भी केवल समाज के ऊपरी भाग में यह सब हुआ है। जो स्त्रियाँ आज विधान सभाओं में हैं, या जैसी नौकरियों में हैं, या स्कूल और कॉलेज में प्रध्या-ध्यापिकाएँ हैं, वे सब समाज के ऊपरी वर्ग की हैं। समाज के निचले वर्गों में स्त्रियों की दशा पूर्ववत् है। वे घर के बाहर किसी काम में भाग नहीं लेती हैं, इसका कारण एक तो उनकी अशिक्षा है तथा दूसरा कारण उनकी शोचनीय आर्थिक दशा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्त्रियों को पदार्थ स्वतंत्रता समाज में तभी मिल सकती है जब वे आर्थिक-दृष्टि से स्वतंत्र हों। जदल-पुष्टियों के उपर अपनी दैनिक-आवश्यकताओं के लिये निर्भर है, पुरी स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है।

स्त्रियों की प्रमुख समस्याएँ:—बैते तो देश में इस समय कई समस्याएँ हैं जो कि क्षेत्र में काम कर रही हैं, परन्तु सबसे मुख्य तीन समस्याएँ हैं :

भारतीय स्त्री संघ (Women's Indian Association):— इसकी स्थापना १९१७ में हुई थी। इसका उद्देश्य स्त्रियों में शिक्षा प्रचार तथा सुधार और उनके लिये राजनैतिक अधिकारों को मांग रहे हैं। यह अभी तक काम कर रहा है। इसी के अन्तर्धान में स्त्रियों का निष्पन्न-मंडल सन् १९१७ में भारत-मन्त्री से मद्रास में मिला था।

भारत में स्त्रियों का राष्ट्रीय काँसिल (National Council of Women in India):— इसकी स्थापना सन् १९२५ में हुई थी। इसने विशेषकर समाज-सुधार की ओर ध्यान दिया है।

ग्रामिल भारतीय महिला सम्मेलन (All India Women's Conference) -- यह समस्या समाज प्रथम है। इसकी स्थापना सन् १९२६ में हुई थी। इस समस्या ने स्त्रियाँ मन्वन्विव विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है गया कर रही है। इस अनिश्चित इस स्त्रियाँ क वास्तु सम्पत्ति के अधिकारों में परिवर्तन की माँग की है। इसने अस्पृश्यता तथा जातिव्यथा के विरुद्ध भी काम किया है। इसका वापिक अधिवेशन होने है। उनका स्त्रियाँ की विभिन्न समस्याओं पर विचार विनिमय तथा प्रस्ताव पास किये जाने है। इस समय इसकी दश म करीबन २०० शाखाएँ तथा २०,००० में कुछ अधिक सदस्य है। यद्यपि इस समस्या ने स्त्रियाँ की दशा सुधारने में सराहनीय कार्य किया है तथापि यह करने में कोई दोष नहीं होगा कि इसकी सदस्यता केवल शिक्षित, उच्च वर्ग की महिलाओं तक सीमित है। सम्मेलन समाज के निचले स्तर की महिलाओं का नहीं छू सका है। सन् १९४४ में सम्मेलन द्वारा कई माँग रखी गई थी।

स्त्रियों की माँगें -- उन समाज का उद्देश्य महिलाओं के लिए सामाजिक तथा आर्थिक सुविधाएँ प्राप्त करना।

स्त्रियाँ की शिक्षा की उचित व्यवस्था की जावे शिक्षा इस प्रकार की हो ताकि लड़कियाँ भी लड़कों की ही तरह प्रत्येक क्षेत्र में काम सकें और नौकरी कर सकें।

पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने के लिए तथा जनमर्यादा की समस्या हल करने के लिए लड़के तथा लड़कियों को परिवार मन्वन्धी शिक्षा भी स्कूल कॉलेजों में देनी चाहिए।

स्त्रियाँ के लिए दश भर में जन्मा-घर तथा निशु घर खोले जायें। इसका अध्याधिक आवश्यकता है। हर वर्ष कई हजार बच्चे तथा माताएँ इसके प्रभाव के कारण मर जाते हैं। गभवती स्त्रियाँ के लिए बन्धु स्थापित किए जायें ताकि उनकी ठीक प्रकार से देखभाल हो सके।

केंद्रीय सरकार तथा प्रदेश की सरकारों द्वारा समाज सेवा म लगे हुए मस्याओं के कामों का संचालन तथा देख-भाल होना चाहिए। इसके लिए एक Ministry of Social Affairs हो। इसकी स्थापना समाज सेवा का कार्य उचित रूप में हो सकेगा।

स्त्रियों के विषय में जो कानून हैं उनमें शोषिता ने परिवर्तन किये जायें जिससे स्त्रियों की अवस्था सुधार सकें।

हिन्दू कोड बिल — भारतीय महिलाओं ने इन बातों की मांग की कि उनके सम्बन्ध में जो कानून हैं उनमें सुधार किये जायें। इन सुधारों की आवश्यकता देश में प्रति दिन अधिकाधिक लोगों को जात हो रही है। सन् १९३७ में एक नियम द्वारा स्त्रियों को सम्पत्ति के कुछ अधिकार दिये गए थे। चार वर्ष बाद एक कमेटी की स्थापना की गई— राव कमेटी जिसका नाम हिन्दू लों में सुधार मुसाले का था। इस कमेटी ने अपनी सिफारिशों को बिल के रूप में रखा। इनकी हिन्दू कोड बिल कहते हैं। इनके मुख्य उपबन्ध निम्नलिखित हैं :

(१) लड़कियों को भी पिता की सम्पत्ति पर लड़कों की तरह उत्तराधिकार हो।

(२) पत्नी तथा पुत्री को अपनी सम्पत्ति पर पूरा अधिकार हो। वे उसे बेच सकती हैं या किसी को दे सकती हैं या जो चाहे कर सकती हैं।

(३) पुरुष या स्त्री पहले विवाह की पत्नी या पति के रहने इनाम-विवाह नहीं कर सकते हैं।

(४) तलाक (divorce) का अधिकार कुछ निश्चित सीमाओं के अन्दर मान लिया जाय।

(५) स्त्री को मोद लेने के मामले में स्वतन्त्रता प्राप्त हो।

इन बिलों की धाराओं को देखने से स्पष्ट है कि हमारे समाज में स्त्रियों की दशा सुधारने के लिये इनका पास होना आवश्यक है परन्तु देश में कई लड़िवादी ऐसे हैं, जोर उनकी संख्या कम नहीं है, जो कि इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उनके अनुसार यह बिल हिन्दू-समाज की जड़ें काट रहा है। यह शास्त्र विरोधी है। हमारे विचार में इस प्रकार के बिल की नितान्त आवश्यकता है। बिना स्त्रियों को इस प्रकार के अधिकार दिए हुए उनकी स्थिति में पूरा सुधार होना असम्भव है।

देश में हिन्दू कोड बिल का अत्यन्त विरोध किया गया। अतएव कांग्रेस सरकार ने यह उचित समझा कि ऐसे बिल को जिसका कि इतना विरोध है पास न किया जाय। उसका विचार सगे-सगे स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन

करना है। इसी उद्देश्य से दिसम्बर १९५० में हिन्दू विवाह विधेयक समद में पेश किया गया।

१९५६ में यह विधेयक अधिनियम बन गया। इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार विवाह विधेयक अधिनियम के अन्तर्गत विवाहों की रजिस्ट्री कराने का अधिकार प्रदान किया गया है। यह स्त्री-मुधार की दशा में एक महत्वपूर्ण पग है।

स्त्री मुधार के विरोधी साधारणतः यह कहते हैं कि भारतीय नारी का आदर्श पाश्चात्य नारियाँ में नवधा भिन्न है। यमीता मावित्री का उदाहरण देते हैं। पश्चिम में उनसे विचार में नारियों का नैतिक चरित्र अत्यन्त पतित है। मुधारों के द्वारा हमारा यहाँ भी ऐसा ही हो जायगा। ऐसी बाने कुछ तो अज्ञान की उपज है। दूसरे से मध्यम क विरोधी यह नहीं देखते कि मुधारों का यथार्थ उद्देश्य यह है कि स्त्रियाँ भी समाज की सेवा की प्रकार कर सकें जिस प्रकार पुरुष करते हैं। यह कहना कि स्त्रियाँ का क्षेत्र केवल घर के भीतर ही सर्वथा अनुचित है। न यही सोचना चाहिए अगर स्त्रियाँ घर के बाहर के जीवन में भाग लेंगी तो न घर के कर्तव्यों से विमुख हो जावेंगी। हमें घर तथा समाज के बीच सामंजस्य स्थापित करना होगा।

अन्य सम्प्रदायों का सामाजिक जीवन — देश में छोटे छोटे धार्मिक सम्प्रदायों का जीवन जैसे सिक्ख जैन आदि, हिन्दुओं की ही तरह है। पारसियों का सामाजिक जीवन भिन्न है क्योंकि उनमें पाश्चात्य सभ्यता का बहुत अधिक प्रभाव है तथा वे शिक्षित हैं। उनमें स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी है। वे पढी-लिखी होती हैं तथा उन्हें तलाक का अधिकार भी है।

मुसलमानों का सामाजिक जीवन एक प्रकार से हिन्दुओं से भिन्न कहा जा सकता है क्योंकि उनमें और हिन्दुओं में धार्मिक विभिन्नता है। परन्तु दूसरी ओर उनके समाज में कोई समस्याएँ हिन्दुओं की ही तरह हैं।

इस्लाम के अनुसार नव मनुष्य बराबर है और उनमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। परन्तु मुसलमानों में भी हिन्दुओं के सम्पर्क के कारण कुछ माया तक जाति-भेद दिखाई देता है। यह उनका बहोर नही कि जितना हिन्दु समाज में है। उनके यहाँ सबसे ऊँचे मंदिर और शहर समझ जाते हैं। विवाह के समय इन भेदों का ध्यान रखा जाता है। इसके अतिरिक्त मुसलमान शिया

तथा सूची इन भागों में बँटे हैं। इनमें भी प्रायः में भेद है। परन्तु इतना होने पर भी मुसलमानों में छूपाछूत का प्रश्न किसी भी रूप में नहीं है। उनमें बहुत बड़ी एकाता की भावना है।

मुसलमान स्त्रियों की स्थिति हिन्दू स्त्रियों में इस धर्म में अच्छी है किन्तु उन्हें विवाह तथा सम्पत्ति के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में उनसे अधिक अधिकार है। मुसलमानों में विधवाओं के पुनर्विवाह की आज्ञा है। उच्च-वर्ग में यह बहुत कम प्रचलित है। कुछ अवस्थाओं में स्त्रियों को तलाक देने का भी अधिकार है। परन्तु साधारणतः पुरुष के लिए इस अधिकार का प्रयोग सुगम है। मुसलमान स्त्रियों को अपने पति तथा पिता की सम्पत्ति का भाग मिलता है।

मुसलमानों में एक पुरुष को चार विवाह करने की आज्ञा है। परन्तु हिन्दुओं की तरह इनमें भी इसका बहुत अधिक प्रचलन नहीं है। मुसलमानों में पर्दे की प्रथा हिन्दुओं से भी अधिक प्रचलित है। विद्या के क्षेत्र में भी उनकी प्रगति हिन्दुओं की अपेक्षा कम है।

हिन्दू स्त्रियों में जैसा हम लिख चुके हैं, राजनैतिक आन्दोलन के कारण एक नई चेतना संचरित हुई है। परन्तु मुसलमान स्त्रियाँ इससे पूर्णतः अलग हो रही हैं। इस कारण उनमें अभी तक अपने अधिकारों के बारे में वैसी चेतना नहीं उत्पन्न हो पाई। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन अमाभ्युदायिक संस्था है। कुछ मुसलमान स्त्रियाँ भी इसमें हैं परन्तु अधिकतर मुसलमान स्त्रियाँ इन सुधार संस्थाओं से अलग रही हैं। उनमें थोड़ा शिक्षा का प्रचार पहले से बढ रहा है। हम यही आशा कर सकते हैं कि मुसलमान महिलाएँ भी अपनी हिन्दू बहिनो की तरह उन्नति और प्रगति का मार्ग अपनावेंगी।

प्रश्न

- (१) भारतीय समाज की प्रमुख समस्याओं का संक्षेप में वर्णन कीजिये।
- (२) वर्ण-व्यवस्था से प्रायः क्या समझते हैं? इसके क्या गुण तथा दोष हैं? (यू० पी० १९५४)
- (३) स्त्रियों की समस्या के ऊपर विचार प्रकट कीजिये। किस प्रकार भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा में सुधार सम्भव है? यू० पी० १९५२)
- (४) सविधान में दलित वर्गों के हितों के संरक्षण के लिये क्या विधेय प्रबन्ध हैं? (यू० पी० १९५२)

(१) 'प्रसून्यता हमारे समाज का बहुत बड़ा अभिगाथ है' व्याख्या कीजिये। जन वीम वर्षों में इस अभिगाथ का दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये ? (यू० पी० १०५०)

(६) मलिन टिप्पण। जिसका हिन्दूवा वि०। (यू० पी० १९५८)

(७) दल का प्रमुख सामाजिक कृतिपा पर प्रकाश टालिए। इनका दूर करने के क्या उपाय हो रहे हैं। (यू० पी० १९५८)

(८) समुच्च कुटुम्ब प्रणाली में क्या गम तथा हानियाँ हैं ? इस प्रणाली का हमारे समाज में क्या भविष्य है कारण सहित लिखिये। (यू० पी० १९५७)

भारत की आर्थिक अवस्था

किसी भी देश का सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन वहाँ की आर्थिक अवस्था पर, बहुत अधिक मात्रा में, निर्भर रहता है। गरीब देश के निवासियों के जीवन की समस्याएँ समृद्ध देश के नागरिकों की समस्याओं से भिन्न होंगी। इसलिए उन दोनों के जीवन के प्रति दृष्टिकोण में भी भेद होगा। इन्हीं कारणों से यह आवश्यक है कि भारत की आर्थिक-अवस्था का अध्ययन किया जावे।

गरीबी :—सर्वप्रथम प्रश्न यह उठता है कि क्या हमारा देश आर्थिक दृष्टि से समृद्ध है, यथवा गरीब है ? इसका उत्तर देने के लिये कोई अधिक भ्रष्टाचार पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो कई ऐसी बातें दिखाई देंगी जो कि इस बात की ओर इंगित करती हैं कि हमारा देश आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। किसी भी नगर या गाँव को देखिये, चापको पग-पग पर ऐसी बातें दिखाई देंगी। इस आर्थिक दुरवस्था के कई कारणों होते हैं। हम में से अधिकांश व्यक्तियों का स्वास्थ्य खराब हो गया है। क्योंकि भारत में जनसंख्या के एक बड़े भाग को पेट भर खाना नहीं मिलता है। जनता का एक बड़ा भाग अस्वास्थ्यकर मकानों में रहता है। आर्थिक दुरवस्था के कारण भारत में अधिकांश व्यक्ति किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक-जीवन नहीं बिता सकते हैं। उनका भोजन समय ही समय के लिये भोजन इकट्ठा करने में ही लग जाता है और दूध की बात यह है कि तब भी यह प्राप्त नहीं होता। गरीबी के कारण बहुत से लोगों के लिये जीवन में प्रसन्नता के स्थान में देय तथा दुःख है। जीवन एक बरदान न होकर भार हो गया है।

भारत के प्राकृतिक साधन :—सर्वप्रथम हमें अपने देश के प्राकृतिक साधनों पर ध्यान देना चाहिये। प्रकृति ने भारत को प्रत्येक दृष्टि से समृद्ध बनाने का प्रयत्न किया है। यह बात भारत के प्राकृतिक साधनों पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाती है :

(१) भूमि :—भारत एक विशाल देश है। इसकी लम्बाई २००० मील तथा चौड़ाई १५०० मील है। इसका क्षेत्रफल १२,६९, ६४० वर्गमील है।

उत्तम भारत के क्षेत्र का चार भागों में बाँट सकते हैं--(१) उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला (२) सतलुज-गंगा का मैदान (३) दक्षिण का पठार तथा (४) मज्जिम क्षेत्र का मैदान। भारत में लगभग २५ करोड़ एकर भूमि उपलब्ध है। उत्तम भूमि में अन्नका प्रकार की पैदावार का मकान है तथा देश की आर्थिकताकी पूर्ति भूत मानि हो सकती है। भारत भूमि का ५ प्रतिशत भाग जंगल से ढका है यह कम ग कम ३३ प्रतिशत हाता चाहिये रा। इन्हींसे मन्वार का वना का क्षेत्र जंगल का प्रसरण करना च दिख।

(२) खनिज पदार्थ - भारत खनिज पदार्थों में काफी सम्पन्न है। यह स्पष्ट है कि आधुनिक आर्थिक व्यवस्था बिना इन खनिज पदार्थों के असम्भव है। खनिज तथा ही उद्योगों के लिए ये आवश्यक हैं। भारत में निम्नांकित खनिज पदार्थ मिलते हैं।

लोहा—बिहार उड़ीसा मंसूर बम्बई तथा मद्रास में मिलता है। भारत में लोहा का उत्पादन अनुमानत ४३१ लाख टन है। भारत में जो लोहा पाया जाता है वह बहुत अच्छा किस्म का है।

मैंगनीज -समाप्त में कम के बाद भारत का दूसरा स्थान है। देश के कुछ उत्पादन का ६० प्रतिशत मैंगनीज मध्य प्रदेश में तथा ३० प्रतिशत मद्रास में पैदा होता है। देश का वार्षिक उत्पादन १८१ लाख टन है।

ताँबा—समाप्त में ताँबे का उत्पादन में भारत का तरहवाँ स्थान है। यह मुख्यतः बिहार राज्य में सिहभूमि जिले में पाया जाता है। वार्षिक उत्पादन ६ लाख टन है।

अभ्रक—समाप्त का ८५% अभ्रक हमारे यहाँ पैदा होता है। विश्व में भारत का ८०% अभ्रक पैदा होता है। इसके अतिरिक्त मद्रास तथा राजस्थान में भी पैदा होता है।

सोना -समाप्त में सोने का उत्पादन में भारत का सातवाँ स्थान है। भारत का ०% सोना मैसूर की कोयलर स्थान में आता है। इसके अतिरिक्त भारत में नमक, गीरा थोडफ्रीम थोडाइड बावमाइर टम्पन मैंगनीसाल्ट इल्फेना, चाँदी, आदि भी पैदा होत है।

(३) शक्ति के स्रोत -भारत में मुख्यतः बायला पदार्थ तथा जलविद्युत का शक्ति के रूप में प्रयोग होता है।

कोयला—वार्षिक उत्पादन लगभग ३८० लाख टन है, जब कि संसार का वार्षिक उत्पादन लगभग १२२५० लाख टन है। विद्योपत्तों के अनुसार भारत में ४०० करोड़ टन कोयला होने की संभावना है।

पेट्रोल—भारत में पेट्रोल बहुत कम पाया जाता है। परन्तु विद्योपत्तों का अनुमान है कि आनाम, पञ्जाब पश्चिमी तट पर कच तथा सम्भार में पर्याप्त पेट्रोल मिल जायगा।

जलविद्युत्—हमारे देश की कोयला तथा पेट्रोल में स्थिति सर्वोपजनक नहीं है परन्तु जल विद्युत् में भारत की स्थिति अच्छी है। यह अनुमान लगाया जाता है कि भारत में ३५० लाख किलोवाट जल-विद्युत् मविद्युत् उत्पादन करने की क्षमता है।

उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि भारत प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से अधिक पिछड़ा नहीं है यद्यपि यह अमेरिका या रूस की तरह सम्पन्न भी नहीं है।

जनसंख्या की दृष्टि से देश की स्थिति, हमारी पिछड़ी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अच्छी नहीं कहा जा सकती। हमारे देश की जन-संख्या सन् १९५१ में लगभग ३५७ करोड़ थी। हमारे देश का जन्म-दर बहुत अधिक है। यह लगभग ३५-३६ है। इसके अधिक होने के कई कारण हैं। जैसे, धार्मिक तथा सामाजिक विचार, धातु-विवाह, गरीबी, जनसंख्या निरोध सम्बन्धी ज्ञान का अभाव, आदि। भारत की जनसंख्या अधिक है और यह देश की आर्थिक अवनति तथा निर्धनता का एक प्रमुख कारण है। यह कहा जा सकता है कि जितनी अधिक जनसंख्या होगी उतनी ही अधिक देश आर्थिक उन्नति कर सकता है। भारत जैसे देश में जनसंख्या का निरोध आवश्यक है।

भारत की निर्धनता के कारण—हम देश के प्राकृतिक साधन देख चुके हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इन साधनों के होते हुये भी भारत में निर्धनता क्यों है? संक्षेप में हमारी निर्धनता के निम्नोक्त मुख्य कारण हैं :

(१) हमारा देश करोड़ों डेढ़ सौ वर्षों तक पराधीन रहा है। विदेशियों ने भारत के उद्योग-धंधों को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय गृह-उद्योगों का अँग्रेजी शासन में पूरी तरह नाश किया गया है। नये उद्योग-धंधों की भी विदेशी-शासन ने उम्साहित नहीं किया। जो उद्योग

घरे देश में है उनमें से भी बहुतों में अभी तक विदेशियों का अधिकार बना हुआ है ।

(२) जनता का अधिकांश भाग भूमि पर निर्भर है । कृषि का ढग भी पिछड़ा हुआ है सिचाई आदि की व्यवस्था सतोष जनक नहीं है इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोगों की आय बहुत कम हो ।

(३) भारत की जनसंख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है, और क्योंकि नौकरी के अन्य कोई रास्ते नहीं हैं तथा उद्योग-धंधों की भी उन्नति नहीं हो रही है इसलिए भूमि के ऊपर ही अधिकाधिक भार बढ़ रहा है ।

(४) भारत की अधिकांश जनता अशिक्षित है । इससे एक ओर तो यह अभी तक कई सामाजिक कुरीतियों में फंसी हुई है, दूसरी ओर इसके कारण देश में योग्य टेक्नीशियन, इंजीनियर आदि का अभाव है । अशिक्षा के ही कारण हम लोग भाग्यवादी हो गये हैं ।

(५) हमारे देश में लोग मुकदमेवाजी तथा शादी-ब्याह आदि उत्सवों के समय व्यर्थ का खर्च करते हैं । इससे उनमें उपर खर्च का एक बड़ा लड़ जाता है ।

(६) हमारे देश में औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा का समुचित बंध नहीं है । इसके साथ ही साथ जनता को अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों का भी ज्ञान नहीं है । जो कुछ शिक्षा हमें उपलब्ध है वह वास्तव में व्यर्थ है । क्योंकि उसके बाद केवल दफ्तर में नौकरी करने के और कोई मार्ग खुला ही नहीं रह जाता है ।

(७) देश की की आर्थिक समस्या का सबसे बड़ा कारण पुँजीवादी व्यवस्था है । इसके कारण राष्ट्रीय आय का वितरण इस प्रकार होता है कि एक बहुत छोटे से वर्ग के हाथ में करीबन आलीस प्रतिशत भाग चला जाता है । कृषि की उन्नति के लिये जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और औद्योगिक उन्नति के लिए उद्योगों का राष्ट्रीयकरण अत्यन्त आवश्यक है । राष्ट्रीय सरकार ने जमींदारी उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है ।

उपरोक्त कारणों से हमारा देश निर्धन है । अतएव अगर हम इस निर्धनता का दूर करना चाहते हैं तो हमें इन गरीबी के कारणों को दूर करना चाहिये । इसके लिए आवश्यक है कि कृषि का वैज्ञानिक ढग अपनाया जाय, उद्योग-धंधों की वृद्धि हो, टेक्निकल शिक्षा का प्रबन्ध, नए व्यवसायों का

सोचना तथा शिक्षा का प्रसार किया जाय । इनके अतिरिक्त जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा गृह-उद्योगों का विकास भी आवश्यक है । नअंप में भारत की निर्धनता का कारण उत्पत्ति का नीमित होना है । इसलिये निर्धनता दूर करने का उपाय यह है कि उत्पत्ति को बढ़ाया जाय और यह देखा जाय कि इसका उचित प्रकार से वितरण होना है ।

(अ) कृषि

हमारा देश कृषि-प्रधान है । जनता का अधिकांश भाग गांवों में रहता है तथा कृषि में लगा है । हमारी जनसंख्या का लगभग ७० प्रतिशत भाग खेती पर निर्भर है । गांवों की जनसंख्या का ९० प्रतिशत भाग खेती पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर है । हमारी राष्ट्रीय आय का ८८ प्रतिशत कृषि से अर्जित होता है ।

भारत की भूमि काफी उपजाऊ है । माल में दो मुख्य फसलें होती हैं—सूरीफ की फसल तथा रबी की फसल । सूरीफ की फसल दरगात शुरू होती ही बोई जाती है और सितम्बर से मध्यम्वर के बीच में काट ली जाती है । रबी की फसल जाटों की फसल है । यह अक्टूबर-नवम्बर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में तैयार हो जाती है ।

यद्यपि हमारी भूमि उपजाऊ है और हमारे किसान परिश्रमी हैं तथापि हमारे देश में प्रति एकड़ उपज अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है । नीचे दी गई तालिका से यह स्पष्ट हो जायगा :—

देश	गेहूँ	चावल	ईस	कपास
जर्मनी	२०१७	—	—	—
इटली	१३८२	४४६८	—	१००
जापान	१७१३	३४४४	४७५३४	९६६
अमेरिका	८१२	२१८५	४३२७०	२६८
चीन	९८९	२४३३	—	२०४
भारत	६६०	१२४४	३४९४४	८९

यदि भारत में प्रति एकड़ उपज बढ़ जाय तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ जायेगी और हमारे किसान खुशहाल हो जायेंगे । यह कहा जाता है कि यदि भारत में केवल गेहूँ का उत्पादन प्रति एकड़ फाँट

कराया हो जाय तो दस की आय १०० कराड पीछे प्रतिवर्ष बढ़ जायगा। इसी प्रकार यदि प्रत्येक वस्तु का उत्पादन बढ़ जाय तो अनुमान लगाइये दस की आय कितनी अधिक बढ़ जायगी। इसमें हम इस महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारत के कृषक को निधनता का मुख्य कारण प्रति एक उत्पादन बहुत ही कम होना है। अतएव सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इतनी कम उपज का क्या कारण है ?

उपज के कारण — विद्वानों का अनुमान भारत में कम उपज का मुख्य कारण निम्नलिखित है —

(१) कृषि का अज्ञानिक ढंग — सस्य के अन्य सम्य तथा उन्नत-शील देशों में जैसे इंग्लैंड, रूस, अमेरिका आदि खेती पणत वैज्ञानिक ढंग में की जाती है। खेती मशीनों की सहायता से होती है, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मक्खाना-कटाई। इस कारण एक ही धम का अपव्यय नहीं होता है, दूसरे समय बच जाता है। नीमरे उपज अधिक होती है। इसका साथ साथ बहा पर पैदावार बढ़ाने के लिये अच्छी खाद का प्रयोग किया जाता है। अच्छे बीज बोए जाते हैं। परन्तु अगर हम अपने देश में देखें तो अब भी यहाँ ९० प्रतिशत खतिहर बंसे ही खेती करते हैं जैसे कि दस हजार वर्ष पूर्व उनके पुरखे करते थे। इससे यह स्वाभाविक है कि उपज कम है। पाश्चात्य देशों में पैदावार बढ़ाने के लिये गति धर्म नई नई विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। वहाँ हमारा अनुसन्धान गणना में इस विषय में काय होता है। परन्तु हमारे देश में इस प्रकार की प्रसन्नानशास्त्र तथा प्रयोगशास्त्रों का नितान्त अभाव है। जो कुछ पैदावार होती है उसका एक भाग कीड़े मकोड़े चूहे टिड्डियाँ आदि नष्ट कर देते हैं। इनका नष्ट करने का भी अभी तक ठीक प्रबंध नहीं हो पाया। हर वर्ष कई हजार टन अन्न इस प्रकार नष्ट हो जाता है।

(२) पेतों का छोटा होना — दूसरा दोष भारत में यह है कि खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं तथा वे भी एक ही स्थान में न होकर अलग अलग दिशों में होते हैं। इससे कई हानियाँ होती हैं। सिंचाई का ठीक प्रबंध नहीं हो सकता है, प्रायस में शगड़े तथा मकदमे बडते हैं, वैज्ञानिक ढंग प्रयुक्त नहीं किये जा सकते हैं, धम तथा समय नष्ट होता है।

(३) किमान का अशिक्षित होना — भारतीय किसान अधिकांश रूप से अज्ञानिक ढंगों से धनभिज्ञ हैं। वह समझता है कि अगर जमीन में उपज कम है तो यह उसका भाग्य का दोष है। अधिकांश के कारण वह अपना

घन धर्य के रीति-रिवाजों तथा विवाह आदि में नष्ट करता है। अग्निभा के कारण वह आधुनिक ढंगों को अपनाते में ही सितकता है।

(४) किसान का ऋण-ग्रस्त होना — अग्निभा से भी बड़ी कठिनाई किसान के भाग में उसका ऋण-ग्रस्त होना है। अधिकतर किसान ऋण के चंगुल में फसे रहते हैं। इसके लिये उन्हें बहुत ऊँचा ब्याज देना होता है। परिणाम-स्वरूप उनकी आमदनी का बड़ा भाग साहूकारों के पास चला जाता है। गाँवों में साहूकारी समस्याएँ नहीं हैं जो उचित ब्याज की दर पर किसानों को ऋण दें। इस निर्धनता के कारण किसान एक ओर तो आधुनिक साधनों का प्रयोग नहीं कर सकता है और दूसरी ओर निर्धनता के कारण ही उसका जीवन-स्तर अत्यन्त ही नीचा होता है जिसका उसके स्वास्थ्य पर अनिष्टकारी प्रभाव पड़ता है।

(५) लगान तथा मालगुजारी प्रथा :— अभी तक हमारे देश में जमींदारी प्रथा भी टूटि की उन्नति में बाधक थी। क्योंकि विविध रूपों में किसान की आमदनी का एक बड़ा भाग इनकी जेब में चला जाता था। जमीन के ऊपर किसान का कोई स्वामित्व न होने के कारण वह उसके सुधार के ऊपर अधिक ध्यान नहीं देता था। उनमें उत्साह (incentive) की कमी हो जाती है। परन्तु राष्ट्रीय सरकार द्वारा जमींदारी का उन्मूलन कर दिया गया है। इससे आशा है कि स्थिति में सुधार अवश्य हीना।

(६) सिंचाई की उचित व्यवस्था का अभाव :— हमारे देश में सिंचाई की भी अभी तक अनुचित व्यवस्था नहीं है। इसलिये किसानों को अधिकतर वादलों के सहारे रहना पड़ता है। कभी-कभी सूखा पड़ जाता है और कभी-कभी बहुत पानी बरस जाता है। दोनों दशाओं में खेती का अधिक हानि पहुँचती है। इसलिये किसान को ऋण लेना पड़ता है और उसकी निर्धनता बढ़ जाती है।

(७) भूमि क्षरण :— बरसात का पानी जब तेजी से खेतों में से बहता है तो यह अपने साथ-साथ मिट्टी के तत्वों को भी बहा ले जाता है जिसके फलस्वरूप भूमि का उपजाऊपन कम हो जाता है। इसके साथ ही हमारे देश में किसानों की यह भावना है कि वे बरसात के प्रारम्भ होने से पूरे खेतों में खाद जमा कर देते हैं और उनका यह विचार है कि बरसात का पानी इसे खेत भर में फैला देगा। परन्तु होता यह है कि पानी इसके भी तत्वों को बहा ले जाता है। इसलिये यह आवश्यक है कि खेतों में बरसात के पहले ऊँची मेड़ बना दी जाय जिससे बरसात के पानी के बहाव से उन्हें हानि न पहुँचे।

(८) किसानों का बुरा स्वास्थ्य — यद्यपि एक भारतीय कवि ने लिखा है कि "ग्रहा ग्राम जीवन भी क्या है !" परन्तु वास्तव में हमारे गाँवों का जीवन अनेक कारणों से, जैसे निर्धनता, अशिक्षा, बीमारी, मदगी आदि से उना खराब हो गया है कि उसमें 'ग्रहा' कहने की कुछ भी नहीं बचा है। इसका एक यह हुआ है कि हमारे कृषकों का स्वास्थ्य अत्यन्त ही गिर गया है और इसके फलस्वरूप वे उतना परिश्रम नहीं कर सकते हैं जितना कि अन्य देशों के किसान कर सकते हैं। इसका स्वाभाविक फल यह है कि परिवार गिरती जा रही है।

(९) पशुओं की बुरी दशा — किसानों के साथ-साथ उनके पशुओं की दशा भी अत्यन्त ही गिर गई है। पशुओं की दशा में इस गिरावट का मुख्य कारण चारे की कमी नष्ट में सुधार न होना, बीमारी, अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में रहना, आदि है। जनसंख्या बढ़ने से चराई की भूमि दिन प्रति दिन कम होती जा रही है। ऐसे पशु किसान को खेती में ठीक प्रकार से सहायता दे सकते हैं।

(१०) अच्छे बीजों तथा खाद की कमी — किसानों के पास अच्छे बीजों का अभाव है वे बाजार से सस्ते बीज खरीद कर बो देते हैं। इन बीजों से नफल बहुत ही कम होती है। सरकार ने स्थान स्थान पर बीज भंडार खोले हैं। किसानों को इन्हीं में से बीज खरीदने चाहिये। बीजों के लिये सहकारी बीज समितियाँ भी स्थापित करनी चाहिये।

अच्छे बीजों के साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि किसान अच्छी खाद प्राप्त करने की भी चपटा करें। यह स्पष्ट है कि बिना अच्छी खाद से अच्छी फसल नहीं हो सकती है। हमारे किसानों के पास इतना पैसा नहीं है कि वह खेतों में डालने के लिए खाद खरीदे तथा वैज्ञानिक खाद का प्रयोग करे। वह गोबर की खाद डालता है। परन्तु गोबर सुखा कर जलाने के काम में अधिकतर लाया जाता है। इससे खेतों के लिये कम बचता है। उपज बढ़ाने के लिये अच्छे खाद का प्रबन्ध आवश्यक है।

११) प्राकृतिक उपकरणों के साथ-साथ प्राकृतिक

हम देखते हैं कि

उ प्रदेशों में पूर्णत

हो सुखा पड़ जाता है। इससे फसल को अत्यन्त हानि पहुँचता है। इसके साथ-साथ टिट्टियों का आक्रमण, कीड़े-मकोड़ों से हानि, चूहों का उत्पात आदि भी

खेती को बहुत हानि पहुँचाते हैं। इन समस्याओं पर धर्मो तक हमारे देश में उचित प्रकार से ध्यान नहीं दिया गया है।

(१२) यातायात तथा विपणन की कठिनाइयाँ — किसान को अपनी उपज बाजार ले जाने तथा वहाँ में अपनी आवश्यकताओं को वस्तु लाने के लिए उचित यातायात के साधन होने चाहिये। परन्तु हमारे देश में यातायात के साधन अभी बहुत पिछड़ी अवस्था में हैं। गाँव को सड़कों में सम्मिलित करने में बसम्भव हो जाता है। इसलिए किसानों को अपना सामान ले जाने या लाने में बहुत कठिनाई होती है। इसके फलस्वरूप वे गाँव में ही अपनी फसल महाजन को बेचने को बाध्य हो जाते हैं और उन्हें उचित मूल्य नहीं मिलता है। यदि वे मण्डी भी पहुँचते हैं तो वहाँ भी वे ठगे जाते हैं। मण्डियों में उनके सामान को खतियों में रखने की भी सुविधा नहीं होती इससे भी उनका कष्ट बढ़ जाता है। इस कठिनाई का सबसे अच्छा हल यह है कि किसान सहकारी समितियों को सहायता दें।

मुधार के उपाय:—स्वतंत्र भारत के सम्मुख प्रथम समस्या धन्न की थी। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् यह समस्या अत्यन्त ही गम्भीर रूप में उपस्थित हुई। भारत सरकार को लाखों टन धन्न बाहर ले भंगाना पड़ा और हमारा करोड़ों रुपया विदेशों को इस कारण चला गया। इस समस्या का हल करने के लिये सरकार ने “अधिक धन्न उपजाओ” आन्दोलन चलाया। नई नूमि का हल के नीचे लाया गया। अच्छे बीज तथा उत्तम खाद का प्रबन्ध भी सरकारी ने किया। किसानों को खेती के बारे में बतलाने के लिये भी कुछ काम किया गया।

राष्ट्रीय सरकार ने खेतों को विभाजन तथा उप-विभाजन को रोकने के लिये कानून बनाए हैं। खेतों की चक्रवर्ती के लिये कई प्रादेशिक सरकारों ने अधिनियम बनाए हैं उदाहरणार्थ, बम्बई, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली आदि। इसी प्रकार सरकार ने सहकारी कृषि को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी पग उठाया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि ‘निम्न तथा मध्य वर्ग के किसानों को राज्य सरकारों द्वारा प्रोत्साहन तथा सहायता मिलनी चाहिये जिससे वे सहकारी कृषि समितियाँ बनायें।’ दिल्ली मद्रास, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के राज्यों में इस दिशा में कुछ काम हुआ है। सन् १९५३ में दिल्ली में भारत के विभिन्न प्रदेशों के कृषि मन्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ था तथा उसमें इस प्रश्न के ऊपर विचार किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में २४३ करोड़ रुपये तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३५० करोड़ रुपये कृषि मुधार तथा उत्थिति के लिए रखा गया है।

कृषि की उन्नति के लिये भूमि क्षरण (Soil Erosion) की समस्या को भी हल करना आवश्यक है। यह समस्या इतनी गम्भीर हो गई है कि कुछ विशेषज्ञों के अनुसार भूमि क्षरण भारत में कृषि का प्रमुख शत्रु है। अनुमानत १ करोड़ एक्ड भूमि को इससे द्वारा क्षति पहुँच रही है। भारत की सरकार इस समस्या पर ध्यान दे रही है। एक भूमि संरक्षण बाँडे स्थापित किया गया है। भारत सरकार द्वारा १९५४-५५ में कुछ योजनाओं को इससे लिए चालू करने की आज्ञा दी गई है। रेगिस्तान को रोकने के लिए जंगल लगाने के कार्य को प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत के कई राज्यों में भी इस समस्या का सलझान के लिये काम हो रहा है।

सरकार द्वारा सिंचाई की उचित व्यवस्था का भी प्रवर्ध किया जा रहा है। नहर कश्ओ सलाबा के अतिरिक्त इस समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार ने कई बहु-उद्देशीय योजनाएँ बनाई है। ये कई उद्देश्यों को पूरा करेंगी जैसे सिंचाई, बाढ रोकना बिजली पैदा करना आदि। ये योजनाएँ निम्नलिखित है।

योजना का नाम	मीचा जाने वाला क्षेत्र	बिजली का उत्पादन (किलोवाट)
१—दामोदर घाटी	७,६० ०००	३,५०,०००
२—मोर योजना	६,००,०००	४,०००
३—बोसी योजना	३० ०० ०००	१८,००,०००
४—महानदी योजना	२५,०० ०००	५,००,०००
५—रेहण्ड योजना	६,३५,०००	१,७०,०००
६—नमदा योजना	३७,००,०००	१०,००,०००
७—ताप्ती योजना	७,००,०००	४८,०००
८—चम्बल योजना	२,०० ०००	२ ००,०००
९—भाकरा योजना	४५ ०० ०००	१,६० ०००
१०—रामपद सागर योजना	१६,००,०००	७५ ०००
११—तु गभद्रा योजना	३,०० ०००	८०,०००
१२—मोडी कोटा योजना	१,० ०,०००	—
१३— लोघर भवानी योजना	२,००,०००	—
१४—भद्रा योजना	१,८०,०००	१७,०००
१५—जवाई योजना	१,१०,०००	४,५००
१७—नीयर योजना		१,००,०००

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भी सिंचाई के लिए काम किया गया। मार्च १९५४ तक २८ लाख एकड़ से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई है।

किसानों को साख की सहायता भी सरकार द्वारा दी गई है। इसके लिये अनेक उपाय किये गये हैं। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि सम्बन्धी अल्प-कालिक साख का प्रबन्ध प्रायः प्रादेशिक सरकारों तथा सहकारी समितियों द्वारा हुआ है।

कृषि की उन्नति के लिए तथा किसानों की अवस्था में सुधार के लिये जमींदारों उन्मूलन भी आवश्यक था। प्रादेशिक सरकारों ने इस दिशा में प्रशंसा योग्य काम किया है। बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, आन्ध्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, मध्य भारत, पंज, सौराष्ट्र, भोजपुर तथा विन्ध्य-प्रदेश में जमींदारी प्रथा की समाप्ति पूर्णतः या आंशिक रूप में की जा चुकी है।

कृषि की उन्नति के लिये यह भी आवश्यक है किसानों की कृषि सम्बन्धी शिक्षा तथा साधारण शिक्षा देने का प्रबन्ध हो। उन्हें वैज्ञानिक ढंग से खेती करने की उत्साहित किया जाय। उनके स्वास्थ्य में सुधार हो तथा जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो।

गाँवों का जीवन तथा उनकी समस्याएँ

इस स्थल पर यह उचित प्रतीत होता है कि हम अपने गाँवों की दशा का अवलोकन करें। भारत कृषि-प्रधान देश होने के कारण गाँवों का देश है। कार्य-शील जनसंख्या का ६८ प्रतिशत भाग खेती पर निर्भर है। हमारी जनसंख्या का अनुमानतः तीन-चौथाई भाग गाँवों में रहता है। भारत की आत्मा गाँवों में रहती है। बहुधा यह कहा जाता है कि आधुनिक भौतिक-सभ्यता से परे भारत के गाँव आदर्श जीवन के चित्र हैं। परन्तु वास्तव में गाँवों की दशा खोचनीय है। बीसवीं शताब्दी में भी ये अज्ञान में डूबे हैं। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्रत्येक दृष्टि से वे पिछड़े हैं। शिक्षा तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उनकी अवस्था अच्छी नहीं है। गाँवों का सुधार अत्यधिक आवश्यक है। अंग्रेजी शासन के पूर्व गाँवों की इतनी दुरवस्था नहीं थी। परन्तु अंग्रेजी काल में जब गाँव भी साम्राज्यवादी-शोषण की चक्की में पिसने लगे तो उनकी धार्मिक अवस्था प्रतिदिन बिगड़ती गई। उनके गृह-उद्योगों का नाश हो गया। परन्तु अंग्रेजी सरकार ने इनके पुनर्स्थापन की ओर ध्यान नहीं दिया।

जब गांधी जी ने भारतीय राजनैतिक-आन्दोलन का नेतृत्व अपने हाथ में लिया तो उन्होंने यह देखा कि गांधी में चेतना का संचार हुये बिना भारत की स्वाधीनता प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिये उन्होंने बारम्बार गांधी की अवस्था सुधारने पर जोर दिया। उन्होंने गृह-उद्योगों की पुनर्स्थापना पर जोर दिया ताकि गांधी स्वावलम्बी हो सकें। उन्होंने प्राथमिक-जनता की शिक्षा तथा स्वास्थ्य की ओर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। गांधी में भी राजनैतिक चेतना बढ़ी और हजारों किसानों ने आन्दोलन में भाग लिया।

अंग्रेजों सरकार ने सन् १९३४-३५ में १ करोड़ रुपये गांधी के विकासार्थ मजूर किया। जब सन् १९३७ में कांग्रेस ने पद-ग्रहण किया तो इनमें गांधी की दशा सुधारने की ओर विशेष ध्यान दिया। कांग्रेस मन्त्रिमण्डल ने गांधी को आर्थिक तथा सांस्कृतिक उन्नति को चेष्टा की। परन्तु इस दिशा में यह केवल पहला पग था। अगर कांग्रेस मन्त्रिमण्डल बने रहें तो इस दिशा में और प्रगति होती। परन्तु सन् १९३९ में कांग्रेस ने युद्ध प्रारम्भ होने पर पद त्याग कर दिया। अंग्रेजों सरकार इस काल में युद्ध के प्रतिरिक्त किसी अन्य बात की सोच ही नहीं रखी थी। इसलिए सन् १९४७ तक ग्रामसुधार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

जब में कांग्रेस ने फिर कार्य भार संभाला है इस दिशा में फिर प्रगति आरम्भ हो गई है। यद्यपि यह मर्याद है कि जितना सुधार का बोल पौटा गया है उसकी पूर्णता में काम काग हुआ है। तथापि फिर भी कुछ तो प्रबन्ध ही हुआ है। प्रादेशिक सरकारों ने अपने अपने प्रदेशों में ग्रामोत्थान के लिये चेष्टा की है। गांधी बालों की शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्न सम्बन्धी कठिनाइयाँ, अच्छे बीज तथा खाद आदि बातों की ओर ध्यान दिया जा रहा है। जमींदारी उन्मूलन की दशा में भी प्रगति हुई है। सहकारी समितियों की भी स्थापना की जा रही है। पंचायतों की भी स्थापना की जा रही है। इनसे दो लाभ होंगे। एक तो यह कि गांधी बालों के बहुत से मुकदमे बड़ी परत हो जायेंगे और उनका समापन व्यर्थ नष्ट होने से बच जायगा। दूसरा यह कि गांधी बालों अपनी समस्याओं को सलज्जाने में सक्रिय भाग लेंगे। पंचायतों का विविध कामों का वर्णन पहले किया जा चुका है।

गांधी के निवासियों को दो भागों में बाँट सकते हैं—किसान तथा भूमिहीन श्रमिक (landless labourers)।

प्रायःकल यह बहुधा कहा जाता है कि किसानों की अवस्था पहले से बहुत अच्छी हो गई है और वे पालामाल हो गये हैं। क्योंकि खाद-कमलों तथा अन्य

फसलों के भी दाम ही बड़ गये हैं। प्रत्येक वस्तु जैसे गेहूँ, चावल, चना, दाल, गन्ना आज बहुत महँगे हो गए हैं। इसमें नत्थ का एक अंश है। जिन किसानों के पास इतनी भूमि है कि वे उत्तम अपनी आवश्यकता से अधिक अन्न उत्पन्न करते हैं, उनकी प्रवस्था पहले की अपेक्षा अच्छी है। क्योंकि वे प्रतिरिक्त पैदावार को ऊँचे दामों में बेच सकते हैं। परन्तु जिन किसानों की भूमि से उनकी आवश्यकता को पूरा करने योग्य अन्न नहीं उत्पन्न होता है उनकी दशा और बिगड़ गई है क्योंकि उन्हें महँगे दामों में गल्ला खरीदना पड़ता है। ऐसे किसानों की संख्या कम नहीं है। जो विमान प्रतिरिक्त गल्ला पैदा करते हैं उनकी भी उतना लाभ नहीं हुआ जितना कि होना चाहिये क्योंकि वह अपना माल उपयुक्त स्थानों पर नहीं पहुँचा पाते हैं, और जमींदार या साहूकार को बेच देते हैं जो कि उन्हें उपयुक्त कीमत नहीं देते हैं। जब हम भूमिहीन श्रमिक की ओर दृष्टिपात करते हैं तो उसकी प्रवस्था और भी खराब पाते हैं, क्योंकि उसकी आय का साधन दूसरे के खेतों में मजदूरी करना है। इस कारण से वे केवल प्राये साल ही काम कर सकते हैं और बाकी समय उन्हें कोई काम नहीं रहता है।

उपरोक्त बातों (facts) को ध्यान में रखते हुए यह कहना असंगत नहीं होगा कि भारतीय किसान निधन हैं। संक्षेप में उनकी निधनता का कारण यह है कि खेती में उनको पर्याप्त धन नहीं होती है। खेती की पिछड़ी दशा के कारणों का वर्णन हम कर चुके हैं। किसान को सारी कठिनाई यह है कि वह अपनी पैदावार को उचित दामों में नहीं बेच सकता है। यातायात की अशुविधाओं के कारण बहुधा वह इनको मण्डियों तक न ले जाकर गाँव में ही जमींदार या साहूकार के हाथ बेच देता है। वे कभी भी उचित दाम नहीं देते हैं। वर्ष भर में किसान कई महीने बेकार रहता है। फसल कट जाने के बाद उसको काम नहीं रहता है। खाली दिनों को वह व्यर्थ नष्ट करता है। क्योंकि गाँव में कोई अन्य उद्योग न होने के कारण यह समय बेकार नष्ट हो जाता है। अधिकांश के कारण किसान को धरने समय का ठीक उपयोग ही नहीं मालूम है। इसी कारण वह अपने धन को उचित प्रकार से व्यय नहीं करता है। साल भर वह सूखी रोटी खाता परन्तु दादी-ब्याह के अवसर पर बर्दों में खया व्यय खर्च कर देता है। इसके लिए वह ऋण लेने से भी नहीं चूकता है। और एक समय ऋण लेकर वा कई वर्षों तक साहूकार के चंगुल से नहीं छूट सकता है। मुकदमों में भी किसानों का बहुत सा धन भ्रष्ट हो जाता है। खेती के प्रतिरिक्त किसानों की आय का दूसरा स्रोत पशुपालन है। परन्तु इनमें भी किसान पूरा लाभ नहीं उठा सकता है। उसके पशु चारे के कमी के कारण अभाव हो

है। बीमारी के कारण बहुत से पशु मर जाते हैं। अधिशा के कारण किसान उनकी मरल सुधारने की धेष्टा नहीं करता। मच तो यह है कि वह अपना जीवन तथा माय-साध अपने पशुओं का जीवन भाग्य के हाथों में छोड़ रहता है। भारत में पशुओं की मर्या कम नहीं है। परन्तु उनसे पूरा लाभ नहीं उठाया जा रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत का किसान न अपना खेत में और न अपने पशुओं में ही पूरा लाभ उठा सकता है। इन सबों के उपर यह बठिनाई है कि जो कुछ उसकी आय होती है उसका एक बड़ा भाग साहूकार या जमींदार हरेप लेता है। सरकारी लगान भी किसान के लिये बहुत भारी है।

सुधार के उपाय -- किसानों की अवस्था में सुधार आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित सुधार करने चाहिए

(१) किसानों को इस बात के लिये उत्साहित करना चाहिए कि वे सहकारी खेती (co operative farming) के लिये तैयार हो। बड़े बड़े खेतों में मशीनों के द्वारा खेती हो सकती है। सरकार उनकी मदद ट्रेक्टर स्टेजान खोलकर, अच्छे बीज तथा खाद के वितरण का प्रबन्ध कर, तथा उनको खेती के बारे में शिक्षा देकर कर सकती है।

(२) किसानों को साहूकारी के जगुल से मुक्त करने तथा उनकी उपज का उचित दामों में बिकवाने के लिये सहकारी समितियों की अधिका से अधिक मर्या में स्थापना की जाय। सहकारी समितियों के द्वारा ऋण ब्याज की सस्ती दरों में मिल जाता है। क्योंकि किसान स्वयं सहकारी समिति का सदस्य होता है इसलिए दोनों ओर ने एक दूसरे के प्रति सौहार्द्र की भावना रहती है। ऋण देने का उद्देश्य ब्याज कमाना न होकर किसान की महायता करना होता है। ये सहकारी समितियाँ किसान को पैदावार को भी उचित दामों में खरीदेगी। जो कुछ लाभ इस प्रकार समिति को होगा उसका किसान भी हिस्सेदार होगा।

(३) सरकार की ओर से किसानों के पशु धन में सुधार के लिए भी भरमक प्रयत्न होना चाहिये। किसानों में इस विषय का ज्ञान फैलाना चाहिए तथा पशुओं के अस्पताल खोलने चाहिये। किसानों को यह भी बतलाना चाहिए कि पशुओं से जीवन अवस्था में तथा मरने के बाद भी क्या क्या लाभ उठाए जा सकते हैं।

(४) जमींदारी का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना चाहिये। इसमें विनाशों का कोई प्रकार के लाभ होंगे। भूमिहीन श्रमिकों को भी भूमि देने का प्रयत्न करना चाहिये। विनोबा जो का भूमि-दान आन्दोलन इस दिशा में एक पग है।

(५) सरकार को गांवों में गृह-उद्योगों की स्थापना की ओर ध्यान देना चाहिये। इसमें किमान ग्याली समय में भी बंकार बैठा न रहकर कुछ काम करता रहेगा। गांवों में अंगर विजली का प्रवन्ध हो जावे तो इन छोटे छोटे गृह-उद्योगों को चलाने में बड़ी सहूलियत होगी।

(६) गांवों में शिक्षा की उन्नति तथा स्वास्थ्य की उन्नति के लिये भी पूर्णरूपेण प्रयत्नशील होना चाहिये। हमारी सरकार न इस दिशा में काम आरम्भ किया है। स्त्रियों को भी उपयोगी शिक्षा देनी चाहिये।

(७) देश में औद्योगिकरण की वृद्धि होनी चाहिये। जितना अधिक उद्योगों का विकास होगा उतना ही भूमि पर भार कम होगा। इस समय जब ६८ प्रतिशत वायंशील जनसंख्या का भाग कृषि पर निर्भर है, औद्योगिक व्यवसायों में केवल १४ प्रतिशत भाग लगा है। कम से कम ऐसा होना चाहिये कि कृषि तथा उद्योगों पर निर्भर जन-संख्या में दुगुने से अधिक का भेद न हो।

भूमि-दान आन्दोलन — जैसा कि इस पद में ज्ञात होता है भूमि-दान का अर्थ है कि स्वच्छा से भूमि का दान किया जाय। यह आन्दोलन देश में आचार्य विनोबा भावे द्वारा चलाया गया है। इसका जन्म १८ अप्रैल १९५१ को हुआ। इसके जन्म का प्रत्यक्ष कारण यह था कि भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के तेलंगाना जिले में किमान आन्दोलन ने हिमात्मक रूप धारण कर लिया था। किसानों ने जमींदारों की भूमि पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया था। सरकार ने उस भवेद्य कार्य को बल प्रयोग द्वारा रोकता। इससे जन-धन की हानि हुई। यह आन्दोलन भारतीय साम्यवादी दल द्वारा चलाया गया था। आचार्य भावे ने इस जिले का दौरा किया और यही पर उन्हें यह विचार आया कि भारत में भूमि की समस्या को गांधी जी के अहिंसात्मक सिद्धान्त के अनुसार हल करना चाहिये।

इस आन्दोलन के उद्देश्यों के विषय में आचार्य विनोबा भावे ने कहा है, "समाज के न्यायोचित संगठन में भूमि पर सबों का अधिकार होना चाहिये। यही कारण है कि हम दान की भीषण नहीं माँगते हैं, लेकिन भूमि में उस भाग को माँगते हैं जो कि न्यायोचित रूप में निर्धनों पर लागू है।" इस आन्दोलन

का ध्येय जो समान में भूमि का अन्यायपूर्ण वितरण है उसे शान्तिपूर्ण रूप में बदलना है।

आचार्य विनावा भाव ने अपने ग्रान्दोलन को चलाने के लिये देश के कई भागों को पद यात्रा की है। प्रत्येक राज्य में उन्हें कुछ न कुछ भूमि प्राप्त हुई है जिसे कि भूमिहीनों के मध्य वितरित कर दिया जाता है। दिसम्बर १९५७ तक उन्हें ४.८० लाख एकड़ भूमि प्राप्त हो चुकी थी। इसमें से ६.५४ लाख एकड़ भूमि विनशित कर दी गई थी। इस वितरण से दो लाख से अधिक कुटुम्बों को लाभ हुआ है।

यदि यह ग्रान्दोलन अपने उद्देश्यों में सफल हो जाय तो एक महान प्रयोग सफल हो जायगा। भारत सरकार ने इस ग्रान्दोलन को पूरी पूरी सहायता दी है। भूदान के साथ साथ अन्न ग्रामदान, सम्पत्ति-दान, जीवन दान, बुद्धि-दान तथा श्रमदान भी विनोय जी द्वारा प्रारम्भ कर दिये गये हैं।

मार्च १९५७ के अन्त तक भारत के विभिन्न प्रदेशों में विनोय जी को ३५४३ ग्रामों का दान मिल चुका है। इसका विवरण निम्नलिखित है।

ग्रामागम	७७		
आंध्र	२७०	मैसूर	१५
बिहार	९७	उड़ीसा	१९३३
बम्बई	३८०	राजस्थान	१४
केरल	४५१	उत्तर प्रदेश	६
मद्रास	२४८	पश्चिमी बंगाल	८
मध्य प्रदेश	६४		

यदि ग्रामदान ग्रान्दोलन को व्यापक सफलता मिली तो इससे देश का पुनर्निर्माण तथा ग्रामोत्थान के कार्य में अत्यन्त सहायता प्राप्त होगी। ग्रामदान द्वारा एक नवीन सामाजिक व्यवस्था की जो कि समानता तथा सहकारिता पर आधारित हो, स्थापना होने का समावना है।

(व) उद्योग-धन्धे

भारत आज संसार के प्रमुख औद्योगिक देशों की कौटि में नहीं है, परन्तु प्राचीन काल तथा मध्य काल में भारतीय उद्योग धन्धे बहुत उन्नति की अवस्था में थे और उस समय भारत इन दृष्टि में भी संसार के देशों में अग्रणी था। उस समय हमारे देश में गृह-उद्योग बहुत ही उन्नति कर चुके थे और यहाँ की

बनी वस्तुएँ बाहर के देशों में विक्रती थी। उम समय यहाँ धातु की नाना प्रकार की वस्तुएँ, तथा विविध प्रकार के रेशमी और सूती कपड़े बनने में थे। यहाँ की बनी वस्तुएँ योरोप में राजाओं तथा मनोरंजनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी। मध्यपूर्व के देशों से भी भारत के व्यापारिक सम्बन्ध थे। यह दशा अठारहवीं शताब्दी तक रही। जब शुरू में यहाँ यूरोपीय व्यापारी आये उनका उद्देश्य यहाँ की बनी वस्तुएँ ले जाकर यूरोप में मरने देशों में बेचना था न कि वहाँ की बनी वस्तुएँ हमारे देश बेचना।

अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप छोटे-छोटे कारखानों के स्थान में बड़े-बड़े कारखाने स्थापित हुए। इनमें मशीन माल में चलने लगी। इन मशीनों के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में वस्तुएँ पैदा की जाने लगीं। परन्तु भारत में इस प्रकार का कोई परिवर्तन वस्तुओं के उत्पादन में नहीं हुआ। इस कारण जब विदेशियों ने अपना माल भारत में बेचना शुरू किया तो वे अपनी चीजों को बहुत सस्ते दामों में बेच सकते थे। इस कारण भारत के उद्योग धंधों को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी। इसके प्रति रिक्टर ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट करने का पूरा प्रयत्न किया। कम्पनी के कर्मचारियों के अत्याचार ने हजारों कारीगर तबाह हो गये। विलायत में यहाँ की सरकार ने भारत की बनी चीजों पर बहुत ही अधिक कर लगाया। भारत के बने रेशमी तथा सूती कपड़े पर सत्तर से लेकर अरस प्रतिशत तक कर लगाया और बाद को उनका धाना ही बन्द कर दिया। इस समय भारत में भी रहन-सहन में पश्चात्कालीन सभ्यता के प्रभाव के कारण परिवर्तन हो रहा था। विदेशी सामानों की वैसादेसी यहाँ के पश्चिमी सभ्यता के प्रभावित धर्म ने भी विदेशी माल को अपनाया आरम्भ कर दिया। देश में राजाओं तथा रियासतों के नाश हो जाने से भी उद्योग-धंधों को बहुत हानि उठानी पड़ी।

1. "The pocomer muslin of Dacca, beautiful shawls of Kashmere and the brocaded silks of Delhi adorned the proudest beauties at the courts of the Caesars. When the barbarians of Britain were painted savages, embossed and filigree metals, elaborate carvings in ivory, ebony and sandal wood; brilliant dyed chintzes uniquely set pearls and precious stones, embroidered robes of gold and silver, and the like, excellent I saw in the East. In the West, in the days of the Crusades, the most beautiful of these silks was known to the world."—

इन बानों का परिणाम यह हुआ कि उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय उद्योग धंधे पूरा नष्ट हो गए और भारत केवल कच्चे रस्ते के देश हो गया। भारत से कच्चा माँट इंग्लैंड जान लगा और वहाँ से बनी वस्तुएँ (finished goods) भारत में आने लगी।¹ और बालायात की सुविधाओं में उपरति के कारण इंग्लैंड में अधिनाधिक माँट भारत में आने लगा। सन् १८५३ में इंग्लैंड से भारत में ८०२६००० पाँड का माल भेजा गया। इसमें ५२२०००० पाँड का कपड़ा था। अन्य प्रकार का विदेशी माल जैसे लोहे, तंबाकू पीतल के बरतन चूड़ियाँ चाकू कैंची कंधा शीशा आदि भी इतनी अधिक मात्रा में भारत में आने लगे कि यहाँ के सामान्य कारीगरों का रोजगार खत्म हो गया। इसका फल यह हुआ कि अधि-आधिक व्यक्ति भूमि पर निर्भर होते चके गये। संशोधन में अंग्रेजों की औद्योगिक तथा व्यावसायिक नीति का फल यह हुआ कि हमारे देश में उद्योग धंधा का पुराना संगठन तो नष्ट हो गया परन्तु उसके स्थान में नया तथा उत्तम संगठन नहीं बना।

भारत में उद्योग धंधों का विकास — सन् १८५० के बाद भारत में मशीन का उद्योग स्थापित होने शुरू हुए। सन् १८५०-१८५५ के बीच पहिली कपड़े की मिल स्थापित हुई। इसी समय पहली रेल की लाइनें भी बिछाई गईं। सन् १८७५ में भारत में ५१ कपड़ की मिलें हो गई थी। सन् १८९० में यहाँ जूट की मिलें खोल गई थी। इस प्रकार १९वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में धीरे-धीरे भारत में नये उद्योग धंधा की नींव पड़ रही थी। परन्तु इसी समय भारत अधिकाधिक कच्चा माल इंग्लैंड को भेज रहा था तथा बदले में वहाँ की बनी चीजें खरीद रहा था। २०वीं शताब्दी में भारत में लोहे तथा कागज के कारखाने खुले। पहले इतना उत्पादन बहुत कम था परन्तु यह धीरे-धीरे बढ़ता गया। देश में राजस्व-निर्वाह आंदोलन के बढ़ने के साथ-साथ स्वदेशी की भावना बड़ी तथा इनके परिणामस्वरूप भारत का औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। सन् १९१४ में भारत में २६४ कपड़ की मिलें तथा ६४ जूट की मिलें हो गई थी। कोयले का उत्पादन भी बढ़ रहा था। यह करीबन एक

1 In the 19th century, India became a country growing raw product to be shipped by British agents in British ships to be worked into fabrics by British skill and capital and to be re-exported into India by British merchants to their corresponding British firms in India and elsewhere." Ranade—Essays in Indian Economics, p 106

करोड़ अट्टावन लाख टन हो गया था। मन् १९१८ में १२४,००० टन फौलाद भारत में पैदा होने लगा था। मधेप में हमारी औद्योगिक उन्नति हो रही थी।

गांधी जी ने देश में गृह-उद्योगों की पुनर्स्थापना की ओर ध्यान दिया। उन्होंने खहर का प्रचार किया। वे बड़े उद्योगों के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की। इस काल में गृह-उद्योगों ने उन्नति की यद्यपि वह कई कारणों से मूल्यजनक नहीं हुई। द्वितीय महायुद्ध के काल में भारत ने नये उद्योगों की स्थापना हुई। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् हमारी सरकार ने इन ओर भी ध्यान दिया है। देश की उन्नति के लिए एक पंचवर्षीय योजना बनाई है। परन्तु अभी इस दिशा में अधिक गफ़लत नहीं मिली है। देश में इन समय एक अधिभ्रमक-संकट छा गया है। आशा है धीरे-धीरे अबस्था में सुधार होगा।

नीचे उद्योग-वर्गों की समस्याओं का वर्णन किया जायगा। उद्योग-धर्मों को दो कोटियों में विभाजित किया जायगा—गृह-उद्योग तथा बड़े पैमाने के उद्योग। दोनों का प्रमगः वर्णन किया जायगा।

गृह उद्योग

भारत में बड़े-बड़े कारखाने केवल ०.६ प्रतिशत जनता को काम देते हैं जब कि गृह उद्योगों में ९६ प्रतिशत जनसख्या लगी हुई है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में मौ वष की औद्योगिक उन्नति के पश्चात् भी गृह उद्योगों की ही प्रधानता है। इस समय यह अनुमान है कि लगभग २.१ करोड़ व्यक्ति गृह-उद्योगों में लगे हैं।

विस्तृत अर्थ में गृह-उद्योगों में तात्पर्य मब छोटे पैमाने वाले (small scale) उद्योगों में है। परन्तु मकुचित अर्थ में इसका तात्पर्य उन उद्योगों से है जिनका कारीगर अपने घर में या घर से गरी निमाँगशालाओं में एक दो सहायकों की सहायता से करता है।^१

१. "The cottage industries are defined as industries where no power is used and the manufacture is carried on in the home of the artisan." Wadia Merchant, Our Economic Problem, p. 492, f.u.

जैसा पहले लिखा जा चुका है गृह-उद्योग का उत्पन्न करने की सबसे बड़ी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये विमानों के महायुद्ध आभरणों का स्रोत है। विमानों का निर्माण करने में करीबन आठे समय लागी रहता है। यह समय व्यर्थ नष्ट होता है। अगर इस समय का किसी प्रकार ठीक उपयोग हा सके तो विमानों का बड़ा लाभ हा। इसके लिए ऐस गृह उद्योगों की उन्नति करना चाहिए जिनका निर्माण अपने ही गाँव में रॉटारोटो अवकाश के समय कर सकता है। जैसे उद्योग निम्नलिखित हैं हाथ की बनाई तथा बुनाई गुड बनाना, टोकरों तथा चटाई बुनना, रस्मी बनाना पशु पालन तल पेरना आदि। बहुत से व्यक्ति गाँवों से शहरों में जाना पसंद नहीं करते। क्योंकि शहरों में खर्च अधिक होता है तथा वहाँ रहने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐस लोग अपने समय का उचित उपयोग विभिन्न प्रकार के गृह उद्योगों द्वारा कर सकते हैं। इसमें उनका काम मिल जावेगा तथा जीवन की समस्या हल हो जावेगी। ऐस गृह उद्योग स्वल्प खर्च के रूप में किए जाने चाहिये, जैसे चमड़े का काम, धातु का काम मिट्टी का काम दर्रा या कम्बल बुनना आदि। इनके प्रतिरिक्त अन्य कई गृह उद्योग हैं जिनके लिए पुरानी आवश्यकता है और जो गाँवों तथा शहरों में विशेष बर्गों द्वारा किए जाते हैं। गृह-उद्योगों का एक लाभ यह भी है कि औरतें घर बैठे साली समय में लाभदायक काम कर सकती हैं। जपान में दिव्यामलाई बनाने का उद्योग इसी प्रकार से किया जाता है। पर औरतें इस प्रकार का काम करने लगेगी तो इसमें घर की आमदनी बढ़ जावेगी तथा जीवन-स्तर ऊँचा हो जावेगा। आजकल जो बड़े-बड़े कारखाने हैं उनमें हजारों व्यक्ति काम करते हैं तथा वहाँ का वातावरण धूल, गर्मी तथा शोर के कारण अत्यन्त दूषित हो जाता है। परन्तु गृह-उद्योगों में इस प्रकार के दूषित वातावरण का सामना नहीं करना पड़ता है।

कुछ मुख्य गृह-उद्योग

सूत कटाई तथा बुनाई — भारतवर्ष में यह उद्योग बहुत ही पुराना है। सूत बनाना तो अत्यन्त लाभदायक उद्योग नहीं रह गया है क्योंकि मिट्टी का बना सूत हाथों से बने सूत से अधिक मजबूत तथा पतला होता है। चर्पा आन्दा लन से सूत बनाने का उद्योग कुछ बड़ा अवश्य परन्तु इसकी उन्नति मिट्टी के मुकाबले में अत्यन्त कठिन है। परन्तु कपड़ा बुनने का उद्योग अभी तक प्रचलित है तथा इसमें और उन्नति हो सकती है। हाथ से कपड़ा बुनने के उद्योग तथा मिट्टी में कोई प्रत्यक्ष प्रतियोगिता नहीं है। क्योंकि हाथ से अधिकतम विशेष प्रकार का कपड़ा बुना जाता है—अत्यन्त महीन या अत्यन्त मोटा। इस

अतिरिक्त हाथ ने कपड़ा बुनने का उद्योग मिला में मृत पर ही निर्भर है। यह कहा जाता है कि अब भी देश में जितने कपड़े की सपता है उसका चौपाई हाथ का बना कपड़ा होता है। भविष्य में जब देश में कपड़े की मिलें बहुत से जावेंगी तब हाथ के बुने कपड़े की मायद मांग न रहे या बहुत घट जावे, जाव, परन्तु इस समय इसको पुनर्नगठित करने से कितानों में अत्यन्त लाभ होगा। भारत की सरकार तथा प्रादेशिक सरकारें दोनों ही इन उद्योग को बढ़ाने का प्रयत्न कर रही हैं।

गुड़ बनाने का उद्योग — देश में यद्यपि चीनी बहुतायत से पैदा होती है तथापि यह समस्त देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त इसके दाम भी काफी बड़ गये हैं। इनलिये गुड़ बनाने के उद्योग को प्रोत्साहित करना चाहिये। इससे किसानों को आमदनी बढ़ेगी और लोगों को राकड़ के स्थान में कम दामों में गुड़ उपलब्ध हो जावेगा। इन उद्योग का भविष्य बहुत अच्छा है। परन्तु एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बनाया जाय वह माफ हो। सरकार ने इस उद्योग में सुधार करने की ओर ध्यान दिया है।

टोकरा बुनना तथा चट्टाई बुनना — टोकरा बुनने का काम अधिकतर बनारस तथा इलाहाबाद के जिलों में होता है। चट्टाई बुनना मद्रास तथा आसाम में अधिक प्रचलित है। इस उद्योग के द्वारा भी किसान अपने गाली समय को व्यर्थ न कर अपनी आम बढाने का उपाय कर सकता है इस उद्योग को देश के अन्य भागों को भी प्रपानना चाहिए। औरतें घर बैठे-बैठे ये काम कर सकती हैं।

पशु-पालन:—पशुओं में कई लाभ हैं—एक तो यह कि इनके गोबर की खाद बनती है जो कि खेतों के लिए आवश्यक है, दूसरे यह कि इनमें घी, दूध, मखन की प्राप्ति होती है जिनकी देश में बहुत मांग है, दूसरे और इससे किसान को अच्छा लाभ हो सकता है। तीसरे यह कि पशुओं के मरने के बाद उनका खनड़ा बेचा जा सकता है, आदि। हमारे देश में पशुओं को नस्ल में सुधार करने, उनके स्वास्थ्य की जांच करने, आदि बातों की ओर कुछ तो किया गया है परन्तु यह अत्यन्त

1. प्रसिद्ध अंग्रेज अर्थशास्त्री Cole ने लिखा है, "Gandhi's campaign for the development of the home-made cloth industry—khaddar—is no mere fad of a romantic eager to revive the past, but a practical attempt to relieve the poverty and uplift the standard of the Indian villager." A Guide to Modern Politics, p. 234.

में हुई है उममे वं प्रतिभिन्न है। इस कारण जो माल वे बनाते हैं वह नये प्रकार का न होकर वैसा ही होता है जैसा कि उनके पूर्वज बनाते थे। उममे किमी प्रकार की नवीनता का अभाव होता है। दूसरी कठिनाई यह है कि इन कारीगरों को ठीक दम का कच्चा माल प्राप्तानी से उपलब्ध नहीं होता है। चूकि कच्चा माल नहीं मिलता है इसलिए गृह-उद्योगों में निमित्त वस्तुएं स्वभावत ही बहुत अच्छी नहीं होंगी। तीसरी कठिनाई यह है कि कारीगरों को रुपये की कठिनाई है। इस कारण माल नहीं खरीद सकते हैं और बुरे माल से ही काम चलाते हैं। जो कुछ रुपये वे उधार लेते हैं उसमें उन्हें बहुत अधिक ब्याज देना पड़ता है। जीवन् भर वे अपने ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं। चौथी कठिनाई यह है कि गृह उद्योगों में निमित्त वस्तुओं के ठीक प्रकार से प्रचार की व्यवस्था नहीं है। इस कारण उनके लिए मांग नहीं बढ़ रही है।

अगर गृह-उद्योगों को उन्नत करना है तो इन कठिनाइयों को दूर करना चाहिये। इसलिये कारीगरों की शिक्षा का उचित प्रबन्ध करना चाहिए। टेक्निकल शिक्षा की उनके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। इसका लाभ यह होगा कि वे नए-नए डिजाइन की वस्तुएं बना सकेंगे। इन वस्तुओं की अच्छी बिक्री होगी। इस शिक्षा के साथ कारीगरों को पुराने औजारों के स्थान में नये औजारों का प्रयोग करने के लिए उत्साहित करना चाहिए। इसलिये सरकार को औद्योगिक शिक्षण मस्थाएँ तथा निर्माणशालाओं की स्थापना करनी चाहिए। जहाँ नए औजारों का प्रयोग कारीगरों को सिखलाया जा सके। दूसरी बात यह है कि रूमा प्रबन्ध करना चाहिए जिससे कारीगरों को अच्छा कच्चा माल उचित दामों में मिलता रहे। इसके साथ-साथ उनको महकारी समितियों की स्थापना करनी चाहिये। तीसरी इन वस्तुओं की बिनी यजाने के लिए इनका उचित प्रकार से प्रचार करना चाहिए। सरकार के उद्योग-विभाग को विज्ञापन, मोटिस, छोटी-छोटी पुरितकाओं द्वारा इन वस्तुओं का प्रचार करना चाहिए। देश में ही नहीं परन्तु विदेश में भी इस प्रकार की बिक्री हो सकती है। सरकार की तरफ से या सहकारी-समिति की ओर से स्थान-स्थान पर ऐसे भंडार (Emporiums) खोलने चाहिए जहाँ कि गृह-उद्योगों द्वारा 'निमित्त वस्तुओं का प्रदर्शन तथा बिक्री का प्रबन्ध हो। गृह-उद्योगों की उन्नति के लिए यह भी आवश्यक प्रतीत होता है कि सरकार विदेशों से बड़ी सख्या में छोटी मशीनें खरीदे तथा उन्हें प्रयोग करने के लिए लोगों को उत्साहित किया जाय। सरकार ने जापान से कुछ इस प्रकार की मशीनें मँगाई थी। परन्तु वे बहुत योड़ी थी। इस प्रकार की मशीनों को चलाने के लिए सस्ती बिजली का भी प्रबन्ध:

हाना चाहिये। अगर गांधी मंत्रिणी पट्टन जाय तो इसमें गृह उद्योगों का बहुत लाभ होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में गृह उद्योगों की निम्नलिखित समस्याओं पर मुख्यतः विचार किया गया है—(१) संगठन (२) पूँजी (३) कच्चा माल (४) शोध (५) टक्कनिक शक्त (६) औजार तथा शक्ति की उपलब्धि (७) विप्रेरी तथा राज्य की इनके प्रति नीति।

कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मत है कि आधुनिक षाठ में गृह उद्योगों का अधिक महत्त्व देना उचित नहीं। क्योंकि बड़े उद्योगों के सामने गृह उद्योग अधिक दिन नहीं चले सकते हैं। इनमें व्यय में परेशी तथा श्रम की बर्बादी है। इन उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुएँ महँगी होती हैं। इसलिए गृह उद्योगों को बढ़ाकर देना चाहिये। परन्तु एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिये कि बड़े उद्योगों के विकास तथा उत्पादन प्रथम में नए नए सुधारों के कारण दिन प्रति दिन कम मजदूरी की आवश्यकता होगी। उदाहरणार्थ जितना कोयला १९१२ में व्ययित होकर था उतना अब १९६६ आदमी का देना पड़ेगा है। इस प्रकार जो व्यक्ति बड़े उद्योगों में से बकाए हुए वे गृह उद्योगों में लगे जावेंगे।^१ बड़े उद्योगों के स्थापना का एक दुष्परिणाम यह भी हुआ है कि थोड़े से व्यक्ति तो समाज में पूँजी के स्वामी हो गए हैं जब कि समाज का एक बड़ा भाग आर्थिक दृष्टि से दयनीय दशा का प्राप्त हो गया है। हमारे अमीर तथा गरीबों में इनका अधिक भेद औद्योगिक शक्ति के बाद ही हुआ है।^२ एक शक्ति न शक्ति है कि *The association of poverty with progress is the great enigma of our time* इन कारणों से अतिरिक्त गृह उद्योग इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि बहुत सी एमी चीजें हैं जो कि बड़े पैमाने में नहीं बनाई जा सकती हैं जैसे काँचक वस्तुएँ या एमी वस्तुएँ जिनमें शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में नहीं है जैसे काँचक के वाद्ययंत्र या बंदिया काशीन या एमी वस्तुएँ जिनमें व्यक्तिगत रचि (*Individual taste*) का अनुसार भिन्नता होगी। हमारे देश की वर्तमान अवस्था में गृह उद्योगों की उत्पत्ति की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ बड़े उद्योगों में इस पैमाने में नहीं चल रहे हैं कि वे बकारी की समस्या का हल कर दें तथा भूमि पर निर्भर व्यक्तियों की समस्या का नापी

१ 'The existence of cottage industries and handicrafts made by side with factory industries may not only absorb the population displaced by machines, but save them from degradation which idleness supported by unemployment doles involve' Wadia and Merchant *Our Economic Problem*, p 504

कम कर दें। ऐसी व्यवस्था में गांधी की आर्थिक समस्या को सुधान्त के लिए गृह-उद्योग अत्यन्त आवश्यक है।

बड़े उद्योग-धरों की स्थापना के कई नए नए सामाजिक दुष्परिणाम हैं। हजारों लोगों को घनी घनी हर्ड कमिनिंग में रखा रहना है। इनमें स्वाम्य्य तथा चरित्र दोषों पर ही अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। गृह-उद्योगों की स्थापना में यह नय नहीं है। गृह-उद्योगों में प्रत्येक कारीगर कांगी का निर्माण करने में एक आनन्द का अनुभव करता है, परन्तु बड़े-बड़े कारखानों में यह भी मशीन का ही एक अंग ही जाना है।

कार्गो समिति—जून १९५५ में योजना आयोग द्वारा श्री कार्गो की अध्यक्षता में एक समिति इनलिम्बे स्थापित की गई कि वह द्वितीय योजना में ग्राम तथा कृषु उद्योगों के सम्बन्ध में नीति बनाए। इस समिति ने निम्नलिखित मुख्य सुझाव दिये:—

(१) राज्य सरकारें महत्कार्य समितियों को बित्त तथा अनुदान देकर ग्राम उद्योगों की सहायता दें।

(२) ग्राम उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का ग्नुताम मूल्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट कर दी जाय।

(३) बड़े उद्योगों द्वारा उत्पादित इन वस्तुओं की, जिनकी प्रतिस्पर्धिता ग्राम-उद्योगों तथा गृह उद्योगों की उत्पादित वस्तुओं में होती है, अधिकतम उत्पादन मात्रा सरकार द्वारा सीमित कर दिया जाय।

(४) केन्द्रीय मन्त्रि-मण्डल में गृह उद्योगों के लिये एक दृष्टक नहीं हो।

(५) बड़े उद्योगों पर एक कर लगाया जाय और इस आय को गृह-उद्योगों की सहायता पर लगाया जाय।

(६) द्वितीय योजना काल में २६० करोड़ रुपये गृह-उद्योगों के विकास पर कम दिये जाय।

द्वितीय योजना तथा गृह उद्योग—द्वितीय योजना काल में गृह उद्योगों पर २०० करोड़ रुपये व्यय होगा। इनमें से २५ करोड़ रुपये भारत सरकार तथा १७५ करोड़ रुपये राज्य सरकारें देंगी। इसका विवरण इस प्रकार है:—

उद्योग	घनदान करोड रुपये में
हाथ करपा	५९५०
खादी तथा ग्रामोद्योग	५५५०
छाट उद्योग	५५००
दस्तकारियाँ	९००
रेशम के कौड़ों का धारन	५००
नाग्यल जटा उद्योग	१००
प्रमाणन मात्र कार्य, आदि	१५००
<hr/> योग	<hr/> २०० करोड

इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वितीय योजनाविधि में १८ करोड रुपये निर्वाहना के पुनर्व्यवस्थापन पर खर्च करेगी जिसमें से ११ करोड रुपये गृह तथा मन्व्यवर्ती उद्योगों पर तथा ७ करोड रुपये उनके औद्योगिक प्रशिक्षण में खर्च होगा।

बड़े उद्योग धन्ये

भारत का हम समार क प्रमय औद्योगिक देशा की काटि में नही रय सकन है। औद्योगिक अवर्तन का कारण यह नही है कि भारत में प्राकृतिक साधनों (Natural resources) की कमी है। विद्वाना का कहना है कि हम तथा अमेरिका के बाद भारत तथा चीन दो ही ऐम देश है जो कि स्वावलमी हो सकने है। हमारे देश के प्राकृतिक साधना को देखने हुए यह निम्नकोच कहा जा सकना है कि गाँति बाल में तथा युद्ध काठ में भी अगर हमारे साधनों का ठीक टग में उपयोग हो तो भारत को अन्य देशा का मुह नही ताकना होगा। आर्थिक दृष्टि म भारत का भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है।^१

भारत की वर्तमान अवस्था प्रकृति की कृपणता का फल नही परन्तु मनुष्य-वृत्त है। भारत के आर्थिक साधना को देखने में यह स्पष्ट है कि यहाँ औद्योगिक विकास सम्भव है। हमारे देश का चौथाई भाग वना में टका हुआ है। वना का

१ "India possesses large reserves of most of the important industrial minerals—coal, iron, several of the ferro-alloys which make good steel, and the subsidiary minerals—in ample quantity to make her a powerful and reasonably self-sufficient industrial nation" Prof. C. H. Behre, Foreign Affairs. (Oct. 1942).

आधिक-दृष्टि से अत्यन्त महत्व है। इनसे लकड़ी, जलाने के लिए इंधन (fuel) और पशुओं के लिए घास (fodder) प्राप्त होता है। इनके अतिरिक्त कई तरह की घास में कागज बनाया जाता है। वनों में ही तारपीन (Turpentine), लाख तथा वानिया की प्राप्ति होती है। वनों में देश की भाव-हवा तथा वर्षा पर भी बड़ा प्रभाव होता है। देश में कपास होती है। विभाजन के कारण कपास के उत्पादन में काफी कमी हो गई है। परन्तु इनका उत्पादन बढ़ाया जा है। सरकार इसकी पैदावार को बढ़ावा दे रही है। विभाजन के पूर्व ममार का ९७ प्रतिशत जूट भारत में ही पैदा होता था। परन्तु अब मुख्य-मुख्य जूट के क्षेत्र पाकिस्तान में ही चले गये हैं। सरकार इन बात का पूर्ण प्रयत्न कर रही है कि भारत में इसकी पैदावार बहुत बढ़ जावे। देश में चाय तथा तम्बाकू की भी बहुत पैदावार होती है। पशुधन भी भारत का अत्यन्त विशाल है, परन्तु उनकी नस्ल में सुधार की आवश्यकता है। भेड़ों में ऊन की प्राप्ति होती है। इस दिशा में और अधिक उन्नति हो सकती है।

खनिज पदार्थों में भी भारत निर्धन नहीं है। सर टॉमस हॉर्लैंड भूतपूर्व डाइ-रेक्टर जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, के मतानुसार भारत करीब सभी प्रकार के खनिज पदार्थों में भरा है। केवल इन दिशा में काम करने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण खनिज कोयला है। सन् १९४७ में करीबन ३ करोड़ टन कोयला निकाला गया था। यह मात्रा बहुत कम है। परन्तु यह नई-नई कोयला वाटने की मशीनों को प्रयोग करने से बढ़ाई जा सकती है। यह अनुमान है कि भारत में सब मिलाकर ४०० करोड़ टन कोयला होगा। लोहे में भी हमारा देश बहुत धनी है। विद्वानों का अनुमान है कि भारत में उतना ही लोहा होगा जितना कि संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका में। भारतीय लोहे में निलाबट बहुत कम है। इस दृष्टि से भारत अमेरिका से भी बड़ा है। भारत में मैंगनीज तथा अरक भी प्रचुर मात्रा में हैं। इन दोनों खनिज पदार्थों में हमारा देश अत्यन्त धनी है। इन पदार्थों के अतिरिक्त भारत में सोना, टिन, ताँबा, तथा अन्य कई खनिज पदार्थ भी हैं।

औद्योगिक शक्ति के पश्चात् मनुष्य या जानवरों के बदले कोयला तथा पानी से मशीनें चलाई जाती हैं। परन्तु अब भाप के बदले दिन पर दिन अधिक-आधिक विजली का प्रयोग मशीनें चलाने में किया जाता है। भारत में कोयले की कमी नहीं है। पानी भी बहुत है। इसलिए मशीनें चलाने के लिए संचालन-शक्ति की कोई कमी नहीं है। कोयले की तरह पेट्रोल (Petroleum) भी संचालन शक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में घरों में रोशनी के

लिए भी उनकी आवश्यकता है क्योंकि अभी तक विजयी बहुत जगह नहीं पहुँची है। पेट्रोल में हमारा देश अभी नहीं है।

ऊपर के वर्णन में इतना तो स्पष्ट हो गया होगा कि औद्योगिक विकास के लिए भारत में कच्चा माल है तथा शक्ति के साधन भी हैं। अब यह देयता चाहिए कि इतना सब होने हुए भी औद्योगिक विकास क्यों नहीं हुआ।

भारत की औद्योगिक अवनति के मूल कारण — इसका सबसे मुख्य कारण भारत पर अंग्रेजी साम्राज्यवाद का अधिकार था। भारत करीबन १५० वर्षों तक इंग्लैंड का दाम रहा। इस दामता के काल में यहाँ बड़े उद्योग-धंधों का विकास तो क्या होता था छोटे-छोटे उद्योग-धंधे थे उनका भी अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया। अंग्रेजों का उद्देश्य भारत का अधिक से अधिक अधिक घोषण करने का था। इसलिए उनकी नीति सदा यही रही कि भारत कच्चा माल निर्यात करे तथा वनी हुई वस्तुओं को इंग्लैंड में आयात करे। साम्राज्यवाद ने सब जगह यही नीति बरती क्योंकि साम्राज्यवाद का मुख्य पहलू अधिक घोषण ही है।

जब यहाँ कुछ उद्योग-धंधे आरम्भ हुए तो अंग्रेजों ने इस बात का प्रयत्न किया कि यहाँ मशीनों का बनाने वाले न स्थापित हों। इसी कारण हमें आज भी विदेशों में सब मशीनें मँगानी पड़ती हैं। हमारे देश में आयातभूत उद्योगों की भी भारी कमी है। बिना इस प्रकार के उद्योगों का स्थापित किए किसी देश का औद्योगिक विकास सम्भव नहीं। जो उद्योग-धंधे भारत में हैं उनमें से कई विदेशी पूँजीपतियों के हाथ में हैं। चाय तथा जूट पर विदेशियों का पूर्ण अधिकार है। कई कपड़ों की मिलें भी उन्हीं के हाथ में हैं।

क्योंकि देश में बहुत समय तक उद्योग-धंधे स्थापित नहीं हुए इस कारण हमारे देश में टेक्निकल आदमियों की बहुत बड़ी कमी है। देश में टेक्निकल इन्स्टीट्यूट्स भी इन्ने-गिने हैं। इसका फल यह है कि हमारे यहाँ कुशल-अभ्रम (Skilled labour) की कमी है। इस कारण भी औद्योगिक विकास में बाधा है। हमारे यहाँ के मजदूर अशिक्षित हैं, इस कारण उनकी कार्य-निष्पन्नता (Efficiency) अन्य देशों के मजदूरों की अपेक्षा बहुत कम है।

देश में रूँधी का भी अभाव है। हमारे यहाँ माह्रम की भी कमी है। लोग अपना अपना उद्योग में लगाना नहीं चाहते। उनकी यह डर लगा रहता है कि वही अपना डूब न जाय। यद्यपि पहले की अपेक्षा अब पूँजी बढ़ गई है परन्तु अब भी पूँजीपतियों के हस्त में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है।

भारत में सचालन-शक्ति की भी कमी नहीं है। परन्तु भव सरकार ने कई योजनाओं को आरम्भ किया है। इनके पूरे हो जाने पर इसकी कमी नहीं रहेगी।

औद्योगिक विकास के मार्ग में जिन बाधाओं का हमने वर्णन किया है वे सब ऐसी हैं जो कि हटाई जा सकनी हैं। इसलिए अगर हमारे देश को समार के घन बड़े देशों की तरह उन्नति करनी है तो अपने औद्योगिक विकास की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। आधुनिक समय में बिना औद्योगिक उन्नति के देश सम्पन्न तथा शक्तिशाली नहीं हो सकता है।

औद्योगीकरण से लाभ.—भारत में औद्योगिक-शक्ति की सबसे बड़ी आवश्यकता इसलिए है कि केवल इसी प्रकार हमारी निर्धनता दूर हो सकती है। भूमि पर निर्भर व्यक्तियों की संख्या कम हो जावेगी। इनमें किसानों की अवस्था में सुधार होगा। हजारों व्यक्तियों को रोजगार मिल जावेगा। इतने बेकारी की समस्या बहुत मात्रा तक हल हो जावेगी। रूढ़ि की अवस्था सन् १९१७ तक बहुत मात्रा तक हमारी ही तरह थी। परन्तु आज सन समार के शक्तिशाली तथा सम्पन्न राष्ट्रों में से एक है। सन् १८६७ के बाद जापान की उन्नति का सबसे मुख्य कारण उसका औद्योगिक विकास था। इसी प्रकार औद्योगिक विकास के फलस्वरूप हमारा देश भी उन्नति करेगा।

उद्योग-धर्मों में हमारी राष्ट्रीय श्रम बढ़ेगी। हमारे शहरों में हमारा जीवन-स्तर ऊँचा होगा। इन समय समार के उन्नत देशों की सामने हमारी प्रति व्यक्ति श्रम अत्यन्त ही कम है। सन् १९४७ में भारत सरकार के श्रम-विभाग के अनुमान यह २५० रुपया वार्षिक थी। हमारे देश की निर्धनता के कारण हजारों व्यक्ति अपने परिवार का ठीक प्रकार पालन नहीं कर सकते हैं, बाल-बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दे सकते हैं, नाका भाति की बीमारियों के इलाज हो जाते हैं और समस्त श्रम अथवा ही जीवन व्यतीत करते हैं। औद्योगीकरण में निर्धनता दूर होगी। परन्तु एक बात का ध्यान रखना होगा कि बड़े बड़े उद्योगपति तथा पूँजीपति ही सब लाभ को न खा जायें। इसलिए कई विद्वानों का कहना है कि केवल औद्योगीकरण में ही कुछ न होगा। इसके साथ ही आवश्यक है कि उद्योग-धर्मों का राष्ट्रीयकरण हो जाय। इस प्रश्न की विवेचना बाद की गई है।

आधुनिक उन्नति के साथ-साथ औद्योगिक-विकास के फलस्वरूप मानविक उन्नति भी होगी। हमारे देशवासी धार्मिक तथा सामाजिक सकीर्णता से बहुत

अधिक सीमा तक मुक्त हो जायेंगे। जाति-पाति के बन्धन मिथिल हो जावेगे तथा एक नई चेतना का संचार होगा। आर्थिक उन्नति के साथ-साथ हमारी मानसिक उन्नति भी होगी। संक्षेप में औद्योगीकरण से निम्नलिखित लाभ हैं—
“रहन-सहन के स्तर की वृद्धि, बेकारी और अर्द्ध-बेकारी का निवारण, कृषि की अवस्था में सुधार आत्म-निर्भरता और आर्थिक-स्वतन्त्रता। राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति औसत आय की वृद्धि और आर्थिक मनुजलन।”¹

देश में प्रमुख बड़े उद्योग धन्धे—जिनके देश में निम्नलिखित प्रमुख उद्योग हैं

(१) कपड़ा—भारत में कृषि के पश्चान् वनाई का उद्योग सबसे प्रमुख है। १८वीं शताब्दी तक यह बहुत ही उन्नत अवस्था में था परन्तु बाद की अंग्रेजों की नीति के कारण इसका ह्रास हो गया। हाथ की वनाई का उद्योग बीसवीं शताब्दी में फिर बड़ा और स्वदेशी आन्दोलन ने इसको बहुत प्रोत्साहन दिया। भारत में प्रथम इन्तन की मित्र मत् १८५८ में बम्बई में स्थापित हुई थी। १९वीं शताब्दी के अन्त तक इनकी मख्या काफी बढ़ गई थी। २०वीं शताब्दी में स्वदेशी आन्दोलन का भी इस उद्योग ने अच्छा लाभ उठाया। कपड़े की मिलों की मख्या बहुत बढ़ी। क्योंकि प्रथम महायुद्ध के समय विदेशों में कपड़ा आना बन्द हो गया था इसलिए देश में कपड़े के उद्योग को बड़ा लाभ हुआ और इसकी वृद्धि हुई। सन् १९३० में भारत सरकार ने इस उद्योग को रक्षा प्रदान की। इसमें भी प्रोत्साहन मिला। द्वितीय महायुद्ध के काल में इस उद्योग ने और उन्नति की और उद्योगपतियां का लाभ हुआ। सन् १९५३ में भारत में ४५३ मत्नी मिलें थीं। इनमें १,१२,४१,००० तक्वे तथा २०१,५०० कर्षे थे। इन मिलों ने ४८० करोड़ गज कपड़ा पैदा किया। इन मिलों में लगभग ६ लाख मजदूर काम करते हैं। देश के कपड़े के उद्योग के मुख्य केन्द्र बम्बई, अहमदाबाद, शोलापुर, वानपुर, नागपुर इन्दौर, मदीरी तथा कोयम्बटूर हैं।

प्रथम योजना में यह लक्ष्य रखा गया था कि इसके अन्त तक देश में ४७० करोड़ गज कपड़ा पैदा हो। योजना अन्त में देश में ५२० करोड़ गज वार्षिक उत्पादन हो गया था। अर्थात् प्रति व्यक्ति कपड़ा उत्पादन १५ गज हो गया था। द्वितीय योजना का लक्ष्य ७५० करोड़ गज कपड़ा प्रति वर्ष उत्पादन करना था। अर्थात् प्रति व्यक्ति १८ गज प्रति वर्ष। इनके अतिरिक्त प्रति वर्ष १९५ करोड़ पाँड मूत तथा रुई का ५९ लाख गॉट प्रतिवर्ष उत्पादन लक्ष्य रखा

1 भारतीय अर्थशास्त्र का परिचय, पृष्ठ ३५०।

गया है। हमारे विदेशी व्यापार में मूनी वस्त्र का निर्यात महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मन् १९५५ में ८३६ करोड़ गज कपड़े का निर्यात हुआ। द्वितीय योजना के अन्त में यह बढ़ कर १०० से ११० करोड़ गज तक हो जायगा।

(२) रेशम—देश में जो रेशम का कारखाना है वह मुख्यतः गृह उद्योग तक ही सीमित है। सरकार इस उद्योग के विकास को चेष्टा कर रही है। देश में रेशम की करीबन डेढ़ दर्जन मिलें हैं। देश में लगभग ३० लाख पाँड रेशम प्रति वर्ष पैदा होती है।

(३) ऊन.—भारत में ऊन की भी कई मिलें हैं। ये मुख्यतः पूर्वी पंजाब मद्रास, बिहार, ईदरावाद तथा उत्तर प्रदेश में हैं। इस उद्योग में उन्नति के लिए सरकार ने एक Wool Development Committee को स्थापना की है।

(४) जूट.—भारत में इस समय ८५ जूट की मिलें हैं। देश के विमा-जन के कारण इस उद्योग को घबका पहुँचा है। पाकिस्तान में मुख्यतः वे भाग चले गए हैं जिनमें कच्ची जूट पैदा होती थी। परन्तु भारत सरकार कच्चे जूट के उत्पादन को उत्साहित कर रही है। पश्चिमी बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा दक्षिणी भारत में जूट की पैदावार बढ़ाई जा रही है। प्रथम योजना काल में जूट उद्योग तथा जूट की खेती में उन्नति को परन्तु यह गतोपजन नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रथम योजना के लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो सकी १९५४ में जूट जाँच आयोग ने यह सिफारिश की इस उद्योग के लिए एक विकास परिषद् स्थापित होना चाहिए। द्वितीय योजना के जूट उद्योग के विषय में लक्ष्य यह है कि १९६०-६१ में ११०० हजार टन उत्पादन हो, ९०० हजार टन निर्यात कर दिया जाय। देश में पटमन का ५० लाख गाँठ उत्पादन हो।

(५) चीनी का उद्योग.—देश के प्रमुख उद्योगों में से एक है। पहले यह एक गृह उद्योग था। परन्तु विदेशी चीनी के आयात के कारण इनको बड़ा घबका पहुँचा। बाद को देश में चीनी की मिलें स्थापित की गयीं। इस उद्योग का आरम्भ पिछले तीस वर्षों में हुआ है और इसने बड़ी उन्नति की है। मन् १९२५-२६ में भारत में केवल २३ मिलें थीं। परन्तु जावा से भारत में सस्ते दामों में चीनी आती थी। अतएव भारत में चीनी का उद्योग तभी नग्न था जब कि विदेशी चीनी पर महसूल लगाया जाय। मन् १९२२ में Sugar Industry Protection Act पास किया गया। इसके बाद देश में इन उद्योग में बड़ी तेजी से उन्नति की। त्रितीय महायुद्ध के काल में इनका उत्पादन बढ़ने के बजाय कुछ घट ही गया। परन्तु युद्ध के बाद फिर उत्पादन बढ़ा है।

१९५२-५३ में १२,५००० टन चीनी पैदा हुई। भारत में इस समय चीनी की १३७ मिलें हैं और इनमें ३६,०००,००० रुपये की पूंजी लगी है। भारत में मगार के उत्पादन की २६% चीनी पैदा होती है। प्रथम योजना काल में चीनी का उत्पादन १४८९ लाख टन से बढ़ कर १६५ लाख टन हो गया। द्वितीय योजना में १९६०-६१ में उत्पादन का लक्ष्य २२५ लाख टन रखा गया है। गर्म के उत्पादन का लक्ष्य २२५ लाख टन रखा गया है। भारत में चीनी की खपत बहुत शीघ्रता से बढ़गी तथा इसका निर्यात भी थकेगा यदि चीनी के घासों में पमी की जा मने।

(६) कागज का उद्योग—भारत में आधुनिक ढंग से कागज बनाने का पहला कारखाना सन १८६७ में खूला था। भारत में १९२५ से इस उद्योग का संरक्षण प्राप्त हुआ और यह १९४७ तक रहा। इस काल में इस उद्योग ने अच्छी उन्नति की। १९२१ में देश में कागज की १७ मिलें थी और इनका उत्पादन प्रतिवर्ष १०४,००० टन था। परन्तु इनके स हफार काम नहीं चल सकता है। सन १९५५-५६ में भारत में २ लाख टन कागज बना। अख्तवारी कागज ४२०० टन पैदा हुआ। इस समय देश में २१ कागज की मिलें हैं। द्वितीय योजना का यह लक्ष्य है कि १९६०-६१ में ३५० हजार टन कागज और दसवीं तथा ३० हजार टन अख्तवारी कागज का उत्पादन हो।

(७) दियासलाई का उद्योग—भारत में दियासलाई के सबसे बड़े दो कारखाने (Wimco तथा Amco) विदेशी पूंजीपतियों के हाथ में हैं। दियासलाई के कुछ कारखानों की मर्यादा लगभग २०० है। परन्तु उनमें से धोंक इतनी छोटी है कि इन्हें कृतीय उद्योगों की श्रेणी में रखा जा सकता है। भारत में सन् १९५३-५४ में दियासलाई का उत्पादन २९३ लाख टन था। इस उद्योग में लगभग २०,००० व्यक्ति काम में लगे हैं।

(८) काँच—भारत में काँच के कारखानों परिसरों में बंगाल, बम्बई, उत्तर प्रदेश, मद्रास और बिहार में हैं। इनमें अधिकतर बोतल, शीशियाँ, चिप-नियाँ, दरवाजों और सिट्टिकियों के शीशे ही बनते हैं। सैन्यी की वस्तुओं, वैज्ञानिक अनुसंधानशालाओं या सेना की आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन नगण्य है। प्रथम योजना में काँच उद्योग पर भी ध्यान दिया गया था। द्वितीय योजना में भी इसके विकास का प्रयत्न है।

(९) सिमेंट—भारत में इस उद्योग में लगभग २९ करोड़ रुपये की पूंजी लगी है और इनमें लगभग ३३००० व्यक्ति काम करते हैं। प्रथम योजना के

समाप्ति पर देश में सिमेंट के २७ कारखाने हो गये थे और १९५५-५६ में इसका उत्पादन ४२८ लाख टन था। त्रितीय योजना में यह लक्ष्य रखा गया है कि सिमेंट का उत्पादन १९६०-६१ में १३० लाख टन वार्षिक हो जाय।

(१०) रसायन उद्योग—आधुनिक उत्पादन में रसायनों की आवश्यकता पग पग पर होती है। परन्तु हमारे देश में रसायन उद्योग अभी बहुत पिछड़ी अवस्था में है। इसलिए हम रसायनों के लिये विदेशों पर निर्भर हैं।

प्रमुख रसायन-उद्योग निम्नलिखित हैं—

(अ) गंधक-अम्ल—देश में इस समय इस उद्योग में ४६ मिलें हैं। इनमें लगभग २ करोड़ रुपए की पूंजी लगी है। वार्षिक उत्पादन शक्ति १५०००० टन है। प्रथम योजना में इस उद्योग के विस्तार पर ध्यान दिया गया था। द्वितीय योजना का लक्ष्य ४७० हजार टन वार्षिक है।

(ब) कौस्टिक सोडा—गंधक अम्ल की ही भांति कौस्टिक सोडा भी अनेक उद्योगों के लिए आवश्यक है। इसका उत्पादन हमारी आवश्यकताओं को देखते हये बहुत कम है। इसलिए विदेशों में इसे आयात करना होता है। पंचवर्षीय योजनाओं में इसके विकास पर भी ध्यान दिया गया है।

(स) सोडा ऐशः—सोडा ऐश या सज्जी की आवश्यकता कांच उद्योग तथा चर्म उद्योग में होती है। हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग ८६००० टन सज्जी का उत्पादन होता है। परन्तु हमारे देश में इससे कहीं अधिक इसकी आवश्यकता है।

उपरोक्त रसायनों के प्रतिरिक्त एल्मिनियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, फिट-करी, जिंक क्लोराइड, आदि भी देश में पैदा-बहुत पैदा होता है। परन्तु इस बात की तीव्र आवश्यकता है कि इनका उत्पादन सीधेता से बढ़ाया जाय और हम विदेशी आयात पर निर्भर न रहें।

(११) भारी उद्योगः—भारत में लोहे तथा फौलर का व्यवसाय अत्यन्त प्राचीन काल में था। आधुनिक काल में पहला लोहे का कारखाना सन् १८४७ में स्थापित हुआ। सन् १९०७ में टाटा आयरन ऐन्ड स्टील कम्पनी की स्थापना हुई। दिन पर दिन यह कारखाना उन्नति करता गया। आज यह एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। इसके प्रतिरिक्त देश में ७ अन्य बड़े कारखाने हैं। प्रथम महामुद्र तथा द्वितीय महामुद्र के काल में इस उद्योग ने बड़ी उन्नति की। पंचवर्षीय योजनाओं में इस उद्योग के विकास का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। भारत सरकार ने एक स्टील बोर्ड की स्थापना की है। इस बोर्ड के

अधीन तीन बड़े बड़े कारखाने हैं—दुर्गापुर, फरकेला तथा भिलाई। इन कारखानों का प्रतिवर्षक मँगूरक कारखाने का उत्पादन भी बढ़ाया जायगा। द्वितीय योजना में उपर्युक्त तीन कारखानों पर ३७० करोड़ रुपया व्यय किया जायगा। यह धारा है कि द्वितीय योजना के अन्त तक देश में कुल उत्पादन (सरकार तथा निजी मिलाकर) ८३ लाख टन इस्पात प्रतिवर्ष हो जायगा।

(१२) अन्य उद्योग — उपर्युक्त समष्टित उद्योगों के अतिरिक्त कुछ अन्य उद्योग भी भारत में स्थापित हुए हैं। एल्मूनिथम के भारत में दो कारखाने हैं। इसका उत्पादन लगभग ४००० टन है। मोटर उद्योग की भी स्थापना हो चुकी है। अधिकतर कारखानों विदेशों में मगाये पुर्जों को जोड़ते हैं। परन्तु दो कारखाने 'हिन्दुस्तान मोटर्स' तथा 'प्रीमियर आटोमोबाइल्स मोटर्स' का निर्माण भी करती हैं। रेलों के डिब्बों तथा इन्जनों का निर्माण चित्तूरजन फैक्टरी और टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। जहाज बनाने के लिये विजगापट्टम में एक कारखाना है। हवाई जहाजों का निर्माण भी होने लगा है। मशीनों के फल पुर्जे बनाने के भी भारत में कुछ कारखाने खुल गये हैं। इसी प्रकार विजली की वस्तुओं का भी देश में थोड़ा बहुत निर्माण होने लगा है। भारत में दवाइयों बनाने के भी कुछ कारखाने खुल गये हैं। देश में वनस्पति घी के भी कई कारखाने हैं। धी बहुत महंगा होने के कारण इस उद्योग ने खूब उन्नति की है। इनके अतिरिक्त देश में कई अन्य उद्योग हैं, जैसे, चमड़ा गावुन, मोजा-बनियाइन, शराब चाय कहवा तम्बाकू नमक, फिटम कम्पनियाँ, साइबिल आदि। इन उद्योगों में भी हजारों आदमों काम करते हैं और करोड़ों की पूंजी लगी है।

श्रीयोगिन विकास की योजना — सन १९३८ में कांग्रेस ने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य भारत के औद्योगिक विकास के लिये योजना बनाना था। इसने इस दिशा में उपयोगी काम किया। इस कमेटी का प्रधान श्री जवाहर लाल नेहरू थे। द्वितीय महायुद्ध के काल में इस कमेटी का काम रूक गया। परन्तु भारत सरकार ने एक प्लानिंग विभाग खोला (सन १९४४, जुलाई)। भारत के विभिन्न प्रान्तों ने युद्धांतर आर्थिक विकास सम्बन्धी योजनाएँ बनाईं। इसी काल में भारत का आठ उद्योगपतियों तथा अर्थशास्त्रियों ने देश के सम्मुख एक योजना रखी जो कि 'श्रीम्वर्ष योजना' कहलाती है। श्री एम० एन० राय ने अपने दल की ओर से एक योजना प्रस्तुत की जो 'People's Plan' कहलाती है। श्री एस० एन० ब्रह्मचारी ने जो कि वर्धा कॉमर्स पालिज के प्रिंसिपल थे गांधी जी के मित्रान्ता

पर आधारित एक योजना रखी जिसको **Gandhian Plan** कहा गया है। इस समय देश में योजनाओं की एक बाढ़ भी छा गई है।

सन् १९४७ में भारत एक स्वतन्त्र राज्य हो गया। परन्तु इसी काल में देश की आर्थिक प्रदस्था सुधरने के बजाय बिगड़ने लगी। उत्पादन कम हो गया। इसका कारण उद्योगपतियों के अनुहार मजदूरों का कम काम करना या अर्थात् मजदूरों की हड़तालें। इनके अतिरिक्त अन्य कारण भी थे। देश के विभाजन के कारण साम्प्रदायिक दंगे हुए। ऐसे अज्ञानि के समय उत्पादन में कमी स्वाभाविक ही थी। इसके अतिरिक्त जूट तथा कपास के उद्योगों के लिये कच्चे माल की कमी हो गई। उत्पादन में कमी का एक कारण यह भी था कि उद्योगपति एक प्रकार का दबाव सरकार के ऊपर डाल रहे थे कि वह राष्ट्रीयकरण का इरादा छोड़ दे। सरकार से कुछ वर्षों के लिये प्रयत्नशील है कि भारत का औद्योगिक विकास हो। वह कच्चे माल के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इसलिये सरकार ने विदेशी पूँजी को भी भारत में आमन्त्रित किया है। ६ अप्रैल, १९४८ को सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा अपनी औद्योगिक नीति का स्पष्टीकरण किया। यह कहा गया कि देश की सर्वांगीण उन्नति के लिए एक राष्ट्रीय प्लानिंग कमीशन की नियुक्ति होगी।

इन धारणों की नियुक्ति सरकार द्वारा मार्च १९५० में की गई। इन्होंने १९५१ में प्रथम पंचवर्षीय योजना देश के सम्मुख रखी। इस योजना का उद्देश्य देश के प्राकृतिक साधनों का इस प्रकार संगठन तथा प्रयोग करना था जिससे जनता का हित हो। इनका प्रथम उद्देश्य आर्थिक क्षेत्र में युद्धोत्तर काल में जो कठिनाइयाँ पैदा हो गई हैं, उनको हटाना तथा चोर बाजारी और मुनाफाखोरी को दूर करना है। योजना को नीहित सफलता प्राप्त हुई। प्रथम योजना की समाप्ति पर द्वितीय योजना प्रारम्भ हो गई है। जिसका उद्देश्य देश को आर्थिक उन्नति को और आगे बढ़ाना है। यह योजना १९६१ में पूरी होगी। उसके पश्चात् तृतीय योजना का प्रारम्भ होगा। इन प्रकार यह भासा है कि सुनियोजित आर्थिक प्रगति के फलस्वरूप देश में कुछ

1, "High and rising prices, shortages of raw-materials, essential consumer goods and of housing and the relief and rehabilitation of displaced persons constitute the immediate problems for which the First Five Year Plan must provide an answer." The First Five Year Plan (issued) by the Planning Commission, p. 23.

वर्षों पश्चात् वर्तमान आर्थिक कठिनाइयाँ नहीं रहगी। परन्तु इन योजनाओं के मार्ग में अनेक बाधाएँ हैं और इनके कारण योजनाओं से सीमित लाभ ही हो सकता है। जैसे, देश में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है तथा साधारण रसवासी अपना उत्तरदायित्व नहीं समझता है। अभी हम लोगों में सामूहिक पर्याण की भावना अत्यन्त ही अशक्त है। हम केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को ही देखते हैं। इसी का फल है कि व्यापारी वर्ग तथा उद्योगपति अपने लाभ (profit) के सामने देश तथा समाज को नगण्य समझने हैं। सरकारी कर्मचारियों में भी उतनी मात्रा में ईमानदारी नहीं है जितनी होनी चाहिये।

राष्ट्रीयकरण तथा औद्योगिक नीति — जैसा ऊपर कहा गया था केवल उद्योग धंधों को बढ़ाने से ही साधारण जनता को पूरा-पूरा लाभ नहीं होगा। क्योंकि इस प्रकार जो धन की उत्पत्ति होगी उसका अधिकांश भाग पूँजीपतियों की जेब में चला जाएगा। इसलिये कई विद्वानों के अनुसार उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण ही जाना चाहिये। राष्ट्रीयकरण से यह तात्पर्य है कि उद्योग-धंधे किसी व्यक्ति की निजी सम्पत्ति न हो कर समस्त समाज की सम्पत्ति हो अर्थात् उनका नियन्त्रण सरकार द्वारा किया जाय। उदाहरणार्थ, भारत में रेलें सरकार के नियन्त्रण में हैं तथा राष्ट्र की सम्पत्ति हैं। सन् १९८७ से एक बात यह भी दृष्टिगोचर हुई है कि भारतीय उद्योगपतियों की नीति लोकहितकारिणी नहीं है। उनका उद्देश्य जनता का शोषण है। चीजों के दाम दिन प्रतिदिन बढ़त जा रहे हैं। उद्योगपतियों का कहना है कि इसका कारण यह है कि मजदूरों का बतन बढ़ गया है तथा कच्चे माल का दाम बढ़ गये हैं। परन्तु यह भी नहीं भूलना चाहिये कि उनका मुनाफा भी कई गुना बढ़ गया है। कई उद्योगपतियों ने उत्पादन कम कर दिया है और इस प्रकार मुनाफा कई गुना बढ़ा लिया है। कपड़े, चीनी, मक्षेप में प्रत्येक वस्तु के दाम बढ़ गये हैं। इसलिये भी कई विद्वानों के अनुसार उद्योगों का राष्ट्रीयकरण ही जाना चाहिये। राष्ट्रीयकरण से राष्ट्र का हित भरी प्रकाश होगा। परन्तु कुछ लोग राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध हैं। उनका कहना है कि सरकार इन उद्योगों का अपनी अच्छी प्रकार नहीं चला सकती है जितनी अच्छी प्रकार कि उद्योगपति चलाने हैं। क्योंकि सरकारी अफसरों को इस बात का कतई भी अनुभव नहीं है। अगर राष्ट्रीयकरण किया जावेगा तो इससे उत्पादन घट जावेगा। राष्ट्रीयकरण से बहुत बर्बादी होगी। उद्योगपति तो अधिक लाभ के लिये उद्योगों को अच्छी प्रकार चलावेगें परन्तु सरकारी अफसरों को इस प्रकार का कोई उत्साह नहीं होगा।

1. पंचवर्षीय योजना तथा सामूहिक योजनाओं का वर्णन आगे किया गया है।

कांग्रेस सरकार को इन समय पूर्ण राष्ट्रीयकरण करने का उद्देश्य नहीं है। स्वर्गीय सरदार पटेल ने एक समय कहा था कि सरकार के पास न पैसा है और न इतनी योग्यता है कि वह राष्ट्रीयकरण की नीति का अनुसरण करे। पूर्ण राष्ट्रीयकरण के लिए कहा जाता है कि अपनी उचित समय नहीं आया है।

परन्तु भारत की सरकार ने कई उद्योग स्थापित किये हैं जिनको वह स्वामिनी है। उनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं—

(१) सिन्धी फरटिलाइजर फैक्टरी, इनकी स्थापना नितम्बर १९५१ में हुई।

(२) हिन्दुस्तान एयरलायट फैक्टरी

(३) चित्तूरजन लोकोमोटिव वर्क

(४) नेशनल इन्स्ट्रुमेण्ट फैक्टरी

(५) रेलवे कोच फैक्टरी

(६) पैनिपिलीन फैक्टरी

(७) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी

(८) टेलीफोन फैक्टरी

(९) हिन्दुस्तान मेशीन टूल फैक्टरी

(१०) डी० डी० टी० फैक्टरी

(११) यूरेनियम थोरियम फैक्टरी

(१२) लोहा तथा इस्पात के रुकवला, भिवरई तथा दुर्गापुर में कारखाने आदि।

१ जुलाई, १९५५ से भारत सरकार ने इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। अब इनका नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया हो गया है। यह एक महत्वपूर्ण पग इस दिशा में उठाया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा जीवन बीमा का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है और जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई है।

भारत सरकार ने सर्वप्रथम ६, अप्रैल १९४८ को अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा की थी। इसी नीति पर प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इसके पश्चात् भारत सरकार ने यह घोषणा की कि उनका उद्देश्य एक समाजवादी समाज का समूह है। इसके फलस्वरूप यह स्पष्ट था कि आर्थिक क्षेत्र में सरकारी उत्तरदायित्व बढ जायेगा। अतएव भारत सरकार ने ३० अप्रैल १९५६ को अपनी औद्योगिक नीति की नये रूप से घोषणा की। इसकी मुख्य विशेषतायें निम्नांकित हैं:—

(अ) सरकार का सतोपजनक आर्थिक उन्नति के लिये आवश्यक हो जाता है कि वह अधिकाधिक विस्तृत क्षेत्र में औद्योगीकरण का उत्तरदायित्व ले। अतएव भारी तथा रक्षा सम्बन्धी उद्योगों में तथा उन उद्योगों में जिनकी स्थापना में बहुत बड़ा मात्रा में प्रारम्भिक पूँजी का विनियोग करना पड़े, सरकारी क्षेत्र में ही रखना पड़ेगा।

(ब) क्योंकि सरकार यह चाहती है कि आर्थिक प्रगति और विकास तीव्र गति से हो इसलिये सरकार निजी क्षेत्र को भी अपना योगदान करने के लिये पूर्णतः उत्साहित करना चाहती है। इसलिये उद्योगों को तीन वर्गों में रखा गया है; (१) वे उद्योग जो पूर्णतः सरकारी क्षेत्र में हैं; वे उद्योग जिनका कार्य-भार धीरे-धीरे सरकार पर पड़ेगा परन्तु जिनके विकास में निजी क्षेत्र भी भाग ले सकते हैं; (२) व सब उद्योग जो पूर्णतः निजी क्षेत्र में रहेंगे।

(स) कूटीर और ग्रामीण उद्योगों की उन्नति भी देश की आर्थिक उन्नति के लिये आवश्यक है। बड़े उद्योगों तथा कूटीर और ग्रामीण उद्योगों के मध्य एक सामंजस्य स्थापित करना है। इन लघु उद्योगों से बकागी की समस्या के समाधान में महत्ता मिलेगी। इस अतिरिक्त कृषकों तथा ग्रामीण श्रमिकों की आय बढ़ाने तथा आर्थिक ढाँचे की नींव दृढ़ करने में भी ये बहुत मात्रा तक महत्त्वपूर्ण होंगे।

इस नीति की धोरणा ने यह स्पष्ट कर दिया कि शर्त शर्त आर्थिक क्षेत्र में सरकार का उत्तरदायित्व बढ़ता जायगा। भारत के उद्योगपतियों की यह नीति यही सुझाई और व इसके, यदि खुलकर नहीं तो छिपे छिपे, विरुद्ध ही है।

इस औद्योगिक नीति के आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित गणमिवक्तार्ण रखी गई हैं

(१) लोहा तथा इस्पात का उत्पादन, मशीनो तथा यन्त्रो का निर्माण आर भारी रसायनो के उत्पादन में विकास करना ;

(२) अलमुनियम, सीमेंट, रासायनिक खाद आदि के उत्पादन में विस्तार करना,

(३) जूट, कपास, चीनी आदि के उद्योगों में नई मशीनो का लगाना;

(४) प्रत्येक उद्योग का उत्पादन इतना बढ़ाना कि वह पूर्ण उत्पादन क्षमता तक पहुँच जाय; तथा


(५) उपभोग की वस्तुओं का भी उत्पादन बढ़ाना।

इन प्रापञ्चिकताओं की लूची को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार का ध्यान इस समय विशेष रूप से भारत की औद्योगिक क्षेत्र में रखा बढाना है।

भारतीय श्रमिक तथा उसकी समस्याएँ — भारतीय बल वाग्दानी के स्थापित होने का महत्वपूर्ण फल यह हुआ कि भारत में एक नया वर्ग उत्पन्न हुआ। यह वर्ग मिल-मजदूर कहलाता है। भारतीय-मजदूर वर्ग ग्रामों में पैदा होता है। परन्तु वहाँ खेती के साधन पर्याप्त न होने के कारण नदरों में नौकरी की लाल में भा जाता है। परन्तु गाँव में उत्तम सम्बन्ध बना रहता है। गाँवों में भूमि पर बहुत अधिक भार होने के कारण लोग शहरों में भा जाते हैं। शहरों में मजदूरों की दशा शोचनीय तथा दयनीय है। उनका वेतन कम है। शोच-प्रशोच के साधन दुष्प्राप्य हैं। दिन मनानों में वे रहते हैं वे बिलों में प्रच्छेद नहीं। खाने-पीने को कमी है। उनके बच्चों के लिये शिक्षा का प्रबंध नहीं। उनके स्वास्थ्य के लिये भी उचित प्रबंध नहीं है। इसका भी उनके चरित्र तथा स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव होता है। इन सब बातों के कारण वह कार्यक्षमता में अन्य औद्योगिक देशों के मजदूरों की अपेक्षा बहुत पीछे है। परन्तु इसमें उनका दोष न होकर उनकी अवस्था का दोष है। साधारणतः मजदूर अशिक्षित होता है इसलिये वह मजदूरों की बातों को बेर में लेता है।

भारत में मजदूरों की प्रथा में सुधार करने के लिये मजदूर आन्दोलन का जन्म हुआ। मजदूर आन्दोलन का जन्म भारत में २०वां शताब्दी में हुआ। परन्तु प्रथम महायुद्ध के पहले यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो पाया था। युद्ध के बाद यह आन्दोलन अधिक संगठित हुआ। बी. ए. मन् १९१८-१९२० के बीच में मजदूरों की कई हड़तालें हुईं। इस समय ही देश में कई मजदूर संघों की स्थापना हुई। सन् १९२१ में अखिल भारतीय मजदूर संघ (A. I. T. U. C.) की स्थापना हुई। परन्तु सन् १९२९ में जब मजदूर संघ पर साम्यवादियों का प्रभाव बढ़ा तो श्री एन० एन० जोशी ने शिष्टियत ट्रेड यूनियन फ़ेडरेशन की स्थापना की। इसका कार्यक्रम साम्यवादी नहीं था। सन् १९२१ में एक नया संघ बन गया। इसका नाम आल इण्डिया रेट ट्रेड यूनियन बॉयर्स रखा गया। सन् १९३१

1. The industrial worker is not prompted by the lure of city life or by any great ambition. The city as such has no attraction for him and, when he leaves the village, he has seldom an ambition beyond that of securing the necessities of life. Few industrial workers would remain in industry if they could secure sufficient food and clothing in the village; they are pushed, not pulled to the city." Whitley Commission's Report, p. 4.



मजदूरी का प्रयत्न हुआ और मजदूरों के मनसतल फेडरेशन की स्थापना हुई। यह उसी वर्ष इण्डियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन में मिल गया। अखिल भारतीय मजदूर सघ तथा इण्डियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन में एकता की वार्ता हुई। परन्तु एम० एन० राम ने इण्डियन फेडरेशन ऑन लैबर नामक अलग सघ की स्थापना की। इसने युद्ध काल में सरकार के युद्ध-बाय को पूरी सहायता दी।

युद्ध के पश्चात् मजदूर सघ में साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव अधिकाधिक बढ़ता गया। मजदूरों की दशा में कोई सुधार न होने के कारण उनमें असन्तोष बढ़ा और हड़ताल हुई। काँग्रेस मजदूर आन्दोलन के इस रुख में असन्तुष्ट थी। क्योंकि साम्यवादी मजदूर आन्दोलन युद्ध में विश्वास रखता है। लेकिन काँग्रेस का महयोग में विश्वास करती है। इसलिये मजदूरों को साम्यवादी प्रभाव से दूर रखने के लिये काँग्रेस ने इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन काँग्रेस की स्थापना मई सन १९१७ में की। इससे विरोधी बहते हैं कि यह नरसारी मस्वा है। परन्तु इसके समर्थकों का कहना है कि यह गांधी जी के सिद्धान्त के अनुसार मजदूरों की अवस्था में सुधार करना चाहती है। अखिल भारतीय मजदूर सघ की एतना नष्ट हो गई है। समाजवादियों ने हिन्द मजदूर के नाम से अपना अन्वय सघ बना दिया है। एक लख के अनुसार वामपंथियों में एकता का अभाव मजदूर आन्दोलन का बड़ा दर्भाण्य है।

मजदूर सघों की माँगें गणप में एर सरल थी हैं। वचाहत है कि हफ्ते में ४८ घण्टे में अधिक काम न हो। न्यूनतम वेतन (Minimum wage) निर्दिष्ट कर दिया जाय। मजदूरों के बच्चा के लिय शिक्षा का उचित प्रबन्ध हो। मजदूरों के रहने के लिय मालिकों की आर सघों की व्यवस्था की जाय। उच्च साल में कुछ काठ के लिये छुट्टी दी जाय। औरत मजदूरों को बच्चा होने समय दस माह की सन्तत छुट्टी दी जाय। चाट लग जान पर मजदूरों को हर्जाता दिया जाय। उनसे बीमे का प्रबन्ध हो। औरतों को जमीन के नीचे काम करने को न भेजा जाये। १४ वर्ष से कम उम्र के बच्चा को काम में न लगाया जाय। मधेप में मजदूरों का उद्देश्य ऐसी काम की दशाएँ स्थापित करना है ताकि मजदूर भी जीवन को ठीक प्रकार बिता सके।

मजदूर आन्दोलन के फलस्वरूप मजदूरों की दशा में कुछ सुधार हो गया। उनकी कुछ माँगें मान ली गई हैं। परन्तु अभी केवल पहला कदम उठाया है। सरकार का कर्तव्य है कि कानून द्वारा उद्योगपतियों को बाध्य करे कि वे मजदूरों की माँगों को मानें। सरकार ने इस सम्बन्ध में जो कानून बनाया है उसको इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन काँग्रेस के अतिरिक्त अन्य मजदूर सघों ने अस्त तोषजनक बतलाया है।

भारत में मजदूर आन्दोलन पाश्चात्य देशों की अपेक्षा अग्रगत है। इसके नीचे निम्न कारण हैं :

(१) मजदूरों में शिक्षा का अभाव । (२) मजदूरों में जाति, धर्म तथा भाषा की विभिन्नता । (३) मिलमालिकों का विराध । (४) मजदूरों में अवकाश का अभाव । (५) भारतीय मजदूरों की कलिष्णता (Migratory Character) । (६) मजदूर वर्ग में एकता का अभाव ।

व्यापार :—भारत का दूसरे देशों से व्यापारिक सम्बन्ध प्राचीन काल से बना था रहा है। आधुनिक काल में हमारा विदेशी व्यापार मुख्यतः हमारे लाभ के लिये न होकर इंग्लैंड के लाभ के लिये हुआ है। इसलिये अंग्रेजी काल में हमारा देश कच्चा माल निर्यात करता था और पक्का माल आयात करता था। इसका फल यह है कि हमारे उद्योग-धरो उन्नति नहीं कर सके। परन्तु अब परिस्थिति बदल गई है।

भारत का व्यापार दो प्रकार का है—आन्तरिक तथा विदेशी। आन्तरिक व्यापार को दो भागों में बाँटा जा सकता है—अन्तःप्रान्तीय तथा तटीय व्यापार। अन्तःप्रान्तीय व्यापार में तात्पर्य देश के विभिन्न भागों में स्थल-मार्गों के व्यापार से है। हमारे देश में इसका मुख्य विदेशी व्यापार से तिगुना बढ़ा गया है। इसलिए यह हमारे विदेशी व्यापार से अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें और अधिक उन्नति ही नसकी है। उद्योग-धरो तथा सेवा के विकास के साथ इसकी उन्नति स्वभावतः ही होगी। अभी तक रेलवे की भाँड़े सम्बन्धी नीति, बैंकिंग और इन्फोर्मेन्स व्यवस्था विदेशी व्यापार के लिये अधिक उपयोगी रही है। तटीय व्यापार से तात्पर्य उस आन्तरिक व्यापार से है जो कि देश के विभिन्न भागों के समुद्र स्थल के मार्ग से न होकर बन्दरगाहों द्वारा होता है। अर्थात् लट के किनारे-किनारे व्यापार। इसमें भी बहुत उन्नति ही नसकी है अगर हमारे बन्दरगाहों में मुधार से, नये बन्दरगाह बने तथा एक बड़ा व्यापारिक बंध बनाना जाय।

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् हमारे विदेशी व्यापार में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हमारा व्यापार कुछ बढ़ गया है। पाकिस्तान बन जाने के कारण भी कुछ परिवर्तन स्वभाविक है। युद्ध के पूर्व हम अपने कुल आयात का ६४% पक्का माल अयात करते थे। परन्तु अब यह केवल ५२% रह गया है। अब हमारे निर्यात का ६०% पक्का माल होता है। अब हमारा आयात में कच्चा माल अधिक होने लगा है। भारत के आयात का युद्ध के पूर्व मुख्य भाग सूती कपड़ा था। इसके प्रतिरिक्त अब चीजें जैसे मशीन, रेश के

इजन तथा मोटरगाड़ियाँ तेल, अनाज, धातुएँ, औजार, रंग, रासायनिक पदार्थ भी आयात होती थी। परन्तु अब आयात में प्रथम स्थान मशिनो का है। सूती कपड़ों का आयात घट गया है। इससे स्पष्ट है कि देश के अन्दर सूती कपड़ों का उद्योग बड़ा है। भारत अन्य देशों को जूट का सामान तथा चाय भेजता है। कुछ देशों को वह सूती कपड़ा भी भेजता है। भारत अब भी अपने कुल निर्यात का २५% कच्चा माल बाहर भेजता है। आयात का ३५% कच्चा माल होता है।

भारत का विदेशी व्यापार अन्य देशों की अपेक्षा अत्यन्त कम है। इसलिये इस क्षेत्र में उन्नति करनी चाहिये। इस क्षेत्र में हमारे पिछड़े होने का मुख्य कारण विदेशी शासन काल में हमारा औद्योगिक अवनति है। उद्योग धन्धों की वृद्धि तथा कृषि में सुधार से हमारा विदेशी व्यापार बढ़ेगा। अभी तक हमारा विदेशी व्यापार अधिकतर विदेशियों के हाथ में है। इससे हमारी अत्यन्त हानि होती है। बहुत सा रुपया विदेशों को चला जाता है। जहाजी कम्पनियों, बैंक, बीमा कम्पनियों तथा विनिमय बैंक सभी अधिकतर विदेशियों के हाथ में हैं। परन्तु अब इस स्थिति में सुधार हो रहा है।

यातायात — किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए यातायात के साधनों की उन्नति आवश्यक है। आधुनिक औद्योगिक संगठन के लिये उन्नत यातायात के साधन आवश्यक हैं। भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ के उद्योग-धन्धे बहुत उन्नत नहीं हैं इसलिये यहाँ बैलगाड़ियों से लेकर हवाई जहाज तक सभी प्रकार के साधन पाये जाते हैं।¹ परन्तु हमारे देश में अन्य उन्नत औद्योगिक देशों के बराबर यातायात में उन्नति नहीं हुई है। इसका दोष भी हमें विदेशी साम्राज्यवादी नीति के उपर ही रखना चाहिये।

भारत में यातायात के साधन उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक अत्यन्त ही पिछड़ी अवस्था में थे। रेलों का तब तक आरम्भ नहीं हुआ था और सड़कें बहुत छोटी सी थीं। इनमें से भी अधिकतर सड़कें वर्षों-श्रतु में आवागमन के लिए बेकार हो जाती थीं। यातायात के साधनों का इतनी अवनति

1 'Cheap and efficient transport is indispensable for the economic development of the country'. In an under developed country of vast distances like India, with a majority of its population dependent on agriculture and with industries of all forms of transport exist from the bullock cart to a modern motor car. *Five Year Plan*, p. 169

अवस्था में होने के कारण देश को कई प्रकार की हानियाँ उठानी पड़ी हैं। इससे न केवल हमारी औद्योगिक उन्नति में ही बाधा पड़ी है परन्तु हमारी मानसिक सकीर्णता भी बनी रही। लार्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम भारत में आधुनिक यातायात के साधनों का प्रारम्भ किया। तब से देश में एक आर्थिक तथा सामाजिक शान्ति इनके फलस्वरूप हो गई।^१ यातायात के साधनों को हम चार भागों बाँट सकते हैं—रेल, सड़कें, नहर तथा नदियाँ जोर आकाश मार्ग।

(१) रेल — यह सबसे मुख्य आवागमन का साधन है। सन् १८४७ में सबसे पहले रेल बनाने के लिए दो अंग्रेजी कम्पनियों को ठेका दिया गया। परन्तु भारत में रेलों का असली बनना सन् १८५३ के बाद शुरू हुआ। इसके बाद रेलों के बनाने में बड़ी उन्नति हुई। इस समय देश में ३८,२७५ मील रेल की लाइनें हैं। इस समय देश में ९ प्रमुख रेल की लाइनें हैं। यद्यपि इनमें कोई सन्देह नहीं कि रेलों का हमारे देश में प्रारम्भ अंग्रेजी शासकों ने अपनी प्रसाम्नीय तथा मनिक सुविधा के लिए किया था तथा उन्होंने भाड़े की नोति ऐसी प्रसाम्नीय थी कि उससे देश के औद्योगिक विकास में बाधा पहुँची, तथा यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि रेलों से देश को कई लाभ हुए। उन्होंने इसे एकता के सूत्र में बाँधा, देश में शान्ति स्थापित की तथा देश के व्यापार, कृषि तथा उद्योग-धंधों को लाभ पहुँचाया। हमारे देश में रेलों की और वृद्धि करनी चाहिये। हमारे यहाँ प्रति १००० मील पीछे केवल २५ मील ही रेल की लाइनें हैं। यह अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में रेलों के विकास पर ४०० करोड़ रुपये खर्च किया गया।

(२) सड़कें :— इस समय देश में २,५०,००० मील लम्बी सड़कें हैं। इनमें से ४ मुख्य सड़कें हैं। अन्य सड़कें इन्हीं की सहायक सड़कों के रूप में हैं। भारत में सड़कों की बड़ी कमी है। उनकी दशा भी सन्तोषजनक नहीं है। और सड़कें बननी चाहिये, विशेषकर जो गाँवों को नगरों से संयुक्त करें। इससे किसानों को बहुत लाभ होगा तथा कृषि की उन्नति होगी।

(३) नहर तथा नदियाँ :— भारत में नदियों की समस्या काफी है तथा ये काफी लम्बी लम्बी नाँ हैं। परन्तु कई कारणों से इस प्रकार के यातायात का अधिक विचार नहीं हुआ है। रेलों के बनने के कारण भी जल मार्गों में यातायात को धक्का पहुँचा है।

(४) आकाश मार्ग :— हमारे देश में इसका प्रारम्भ पिछले २२ वर्षों से हुआ है। सबसे पहले १९२१ में भारत ने कुछ विदेशी कम्पनियों के जहाजों

आकाश मार्ग से जाने लगे। मनु १९२८ में टाटा ने एक कम्पनी स्थापित की। तब से कई कम्पनियाँ स्थापित हो चुकी हैं। अधिकतर आकाश मार्ग का मनुष्यों तथा ज्वक रास्ते उपयोग किया जाता है। इस दिशा में अभी बहुत उन्नति की आवश्यकता है। पञ्चर्षीय योजना में इसके विकास का उपबन्ध रखा गया है। भारत सरकार ने हार्ड जट्टाज यातायात का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। निजी कम्पनियों को प्रतिबन्ध दिया गया। इससे स्थान पर दो नियमों का स्थापना हो गई है।

इन मध्य माधना के अतिशय मनुष्य, व्यवहार घाटा गया कंट, पैल-गानी आदि अन्य यातायात के माधन है।

भारत में बेकारी — देश में बेकारी का समस्या एक अत्यन्त ही भीषण समस्या के रूप में अस्थित हो गई है। यह समस्या केवल भारत में ही नहीं परन्तु अन्य देशों में भी कम या अधिक रूप में वर्तमान है। अनेक अवसादियों का अनुमान यह एक ऐसा समस्या है जिसका कोई एक भी नर नहीं निकलता है। परन्तु कुछ ऐसे देश भी हैं जिनका यह दावा है कि उन्होंने अपनी अवस्था इस प्रकार सुगठित की है उसमें बेकारी के लिए कोई स्थान नहीं है और उन्होंने इन प्रकार सुगठित की है कि उगम बेकारी के लिए कोई स्थान नहीं है और उन्होंने इसे सम्पूर्ण रूप से दूर कर दिया है और भविष्य में भी यह समस्या नहीं उत्पन्न होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बेकारी की समस्या का किसी प्रकार दूर करना ही चाहिए। लार्ड बेव्रिज (Lord Beveridge) का अनुमान बेकारी का मध्य में उदा दोष भीतिक गहाकर नैतिक है। पिना बेकारी नरके नियम हूप देश की प्रगति नहीं हो सकती है। जहाँ बेकारी प्रथित होती है वहाँ प्रा० लास्की (Prof. Laski) के अनुमान व्यक्ति अपनी स्वतन्त्रता का उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि स्वतन्त्रता आशा पर आधारित है और जहाँ बेकारी हागा वहाँ आशा के लिये कोई स्थान नर रह जाता है।

हमारे देश में दो प्रकार की बेकारी है — (१) ग्रामीण बेकारी तथा (२) नगर में बेकारी। हम इनका पथर पृथक वर्णन करेंगे।

ग्रामीण क्षेत्र में बेकारी — गाँवों में बेकारी दो प्रकार की है — स्थायी तथा अस्थायी या मौसमी। ग्रामीण बेकारी का कारण यह है कि अनेक व्यक्ति भूमिहीन हैं। इन्हें भूमिहीन उपक कहा जाता है। यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि इन हिस्सों का एक बड़ा भाग भी जिनके पास जमीन है पूर्णरूप से बेउपयोग भूमि पर ही आधारित नहीं है। उन्हें अपनी आस के लिये कुछ और काम करना पड़ता है। ग्रामों में ऐसे लोग भी हैं जो कि कारीगर बहो जा सकते हैं। ये छोटे उद्योग-धंधा आदि में लगे रहते हैं। परन्तु इन्हें अपने व्यवसाय

से इतनी घाय नहीं होती कि उनका उचित प्रकार से पालन हो सके। दूसरी प्रकार की अर्थात् अस्थायी बेकारी का यह कारण है कि साल में कई महीने किसान के पास कुछ काम नहीं रहता। क्योंकि वह बारिश पर निर्भर रहता है इसलिए साल में कई महीने खेती का काम बन्द रहता है।

ग्रामीण बेकारी के निम्नोक्त मुख्य कारण हैं —

(१) हमारे यहां की कृषि प्रगल्भी इतनी अल्प अर्थशास्त्रिक तथा पुरानी है कि उसमें दोष ही दोष भर गये हैं। भारतीय किसान भासनाम की ओर प्रांथ लगाने बैठा रहता है। इसलिए वह पूर्णतः मनुष्य पर निर्भर रहता है। प्रतिवृष्टि तथा अनावृष्टि के समाचार हमें हर वर्ष ही मिलते रहते हैं और ये दोनों ही कृषि के लिये घातक हैं इसलिए प्रतिवर्ष ही देश के कितने न कितनी भाग में आध्यात्मों की कमी तथा दुर्भिक्ष होते हैं।

(२) हमारे गाँव वालों के पास कृषि के प्रतिरिक्त अन्य कोई उद्योगक पंथा नहीं है, जिससे वे अपनी आय बढ़ा सकें।

(३) खेतों से उत्पादन घटता जा रहा है। इसके अनेक कारण हैं जैसे, कृषि की अर्थशास्त्रिक प्रणाली, खेतों का छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट जाना विमान की निर्धनता, किसान का बुरा स्वास्थ्य, उनकी भाग्यवादिता आदि।

(४) प्रतिवर्ष जनसंख्या में वृद्धि के कारण भूमि पर भार बढ़ता जा रहा है।

(५) ग्रामीण लघोद्योग-धर्मों का हान होना जा रहा है इसलिए उसमें लगे लोग बेकार हो रहे हैं।

(६) किसान अपनी उपज को उचित दामों में नहीं बेच पाता है, अतएव वह अन्व्याभाव के कारण बहुधा अल्प-अस्त हो जाता है। इसके फलस्वरूप वह महाजनो तथा सूदखोरो के हाथों में फँस जाता है।

ग्रामीण बेकारी दूर करने के उपाय :-—गाँवों की बेकारी दूर करने के लिए निम्नलिखित मुख्य मुख्य उपाय हैं :—

(१) कृषि की प्रगल्भी में सुधार विद्या जाय जिससे उत्पादन में वृद्धि हो।

(२) परेसू उद्योग धर्मों की वृद्धि की जाय जिससे किसान अपने खाली समय का उपयोग कर सकें।

(३) सामूहिक खेती को प्रोत्साहन दिया जाय।

(४) मिर्चार्ई आदि व्यवस्था की जाय।

(५) जनसंख्या की वृद्धि के कारण जो भूमि पर प्रतिव्यय भार बढ़ रहा है उसे रोकना चाहिए । इसके लिए एक उपाय तो यह है कि देश में औद्योगिक उन्नति शीघ्रता से हो तथा दूसरा यह है तथा इस पर भी हमें विशेष बल देना चाहिये कि मजदूरी-निरोध आन्दोलन को व्यापक बनाया जाय ।

नगरों में बेकारी — यह बेकारी का प्रकार भी है मध्यवर्गीय वर्गों तथा औद्योगिक क्षेत्र में बेकारी । प्रतिवर्ष हमारे स्कूल व कॉलेजों से लाखों नवयुवक डिग्री लेते हैं परन्तु इनमें से आधे को भी काम मुश्किल से मिलता है । ये बेकार नवयुवक न केवल अपने कुटुम्बों के उपर भार हैं अपितु समाज के लिये भी उनसे भय पैदा होता है क्योंकि निराशा उनको घेर लेती है । राज्य तथा समाज के प्रति इस निराशा के कारण उनका मन में बहुत उत्पन्न होती है । उनमें असामाजिक भावनाओं का जन्म होता है । उनमें ही आतंकी भावनाएँ जागृत होती हैं । इसलिये उनसे राज्य तथा समाज के अस्तित्व को भय पैदा हो सकता है । औद्योगिक क्षेत्र में भी बेकारी बढ़ रही है । प्रतिवर्ष हजारों व्यक्ति देहातो से नगरों में काम की खोज में आते हैं । उनमें से से थोड़े ही काम पाते हैं । शेष वैसे ही मारे मारे फिरते हैं । क्योंकि अभी हमारे देश में जन-संख्या का एक छोटा सा भाग ही उद्योग पथों पर निर्भर है इसलिए औद्योगिक क्षेत्र में बेकारी भीषण नहीं हुई है ।

नगरों की बेकारी के कारण — (१) प्रतिवर्ष देश में नगरों की जन-संख्या की वृद्धि होती जा रही है । इसका कारण यह है कि गाँवों से लोग काम खोजने नगरों में आते हैं । परन्तु काम केवल एक घाटे में ही भाग को मिल पाता है ।

(२) हमारी शिक्षा की प्रथा दोषपूर्ण है । यह नवयुवकों को सिवाय बाबू-

1 "The remedy of the problem of rural unemployment lies thus partly in the improvement of agriculture and the development of small scale industries but mainly in the absorption of greatly increased numbers of people in large scale manufacturing industries" Banerji Ibid, p 639

2 Unemployment of this type is a more serious evil than commonly recognized. Besides the individual suffering it causes a sense of cumulative existence of a dangerous to the political stability of the state" Jajnar and Baner Ibid, p. 468.

नगरी के अन्य किसी प्रकार के काम के योग्य नहीं बनाती है। इनके स्थान में टेक्निकल तथा औद्योगिक शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये।

(३) हम लोग शारीरिक श्रम को पूजा की दृष्टि में देखने हैं। अतएव हमारे शिक्षित नवयुवक ऐसा काम चाहते हैं जिनमें उनके हाथ और कानों काते न ही जाय।

(४) जाति-प्रथा के कारण लोग कई तरह का काम नहीं करना चाहते हैं। अतएव एक द्वाह्यण या लडका मीची का काम नहीं करेगा।

(५) बाल-विवाह तथा जनमन्या को वृद्धि भी इन प्रकार की बेकारी के कारण है।

(६) समुचित कुटुम्ब-प्रणाली के कारण भी कई लोग उत्तरदायित्व विहीन हो जाते हैं।

(७) देश का उद्योग-घरों में पिछड़ा होना इन प्रकार की बेकारी का मूल-भूत कारण है। शिक्षित नवयुवकों के लिये केवल पीछे की ही नौकरियों का द्वार खुला है। इंग्लैंड में जेना तथा मरकारो नौकरियों के प्रतिस्ति १६०० प्रकार की अन्य नौकरियाँ हैं। परन्तु भारत में केवल ४० ही हैं।

नगरों की बेकारी दूर करने के उपाय

(१) बेकारी को दूर करने का सबसे उत्तम उपाय देश में उद्योग-घरों का विकास करना है। इसका फल यह होगा कि लोगों की मन्या में पेटे-लिखे नवयुवकों को काम मिल जायगा।

(२) बड़े उद्योगों के साथ-साथ छोटे उद्योगों की भी वृद्धि करनी चाहिये। इनमें भी अनेक नवयुवकों का काम प्राप्त हो जायगा।

(३) शिक्षा-प्रथा में भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों की आवश्यकता है। शिक्षित वर्ग में जो बाङ्गरीरी की भावना आगई है उसे नष्ट करना चाहिये। शिक्षा अधिकतर व्यक्तियों के लिये ऐसी होनी चाहिये कि वह उनके जीवन-निर्वाह का माध्यम हो सके।

(४) टेक्निकल तथा औद्योगिक शिक्षा पर अधिक बल देना चाहिये। हमारे अधिकांश नवयुवक इसलिये कालिओ तथा विश्वविद्यालयों में आते हैं क्योंकि उन विधियों को वे नौकरी पाने में सहायक पाते हैं।

(५) देश में प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिये। इससे ही कई हजार नवयुवकों को नौकरी मिल जायेगी।

(६) अन्य प्रकार की नामाजिज सेवाओं का भी विकास करना चाहिये। इसके फलस्वरूप भी शिक्षित नवयुवकों को काम मिल जायगा।

(७) इस प्रकार के काम घटा जाने भी बचना चाहिये, जैसे गृह-निर्माण, इञ्जीनियरिंग आदि।

(८) राजगार वेन्ड अधिकाधिक सभ्या में खोलने चाहिये।

(९) खेती की ओर शिक्षित नवयुवकों का उत्साहित करना चाहिये। यह तभी सम्भव है जब कि खेती योग्य भूमि को बढ़ाया जाय तथा खेती को वैज्ञानिक ढंग में किया जाय।

पंच-वर्षीय योजनाएँ तथा बेकारी की समस्या का हल

हमारी सरकार का ह्य इन समस्या की ओर उपेक्षापूर्ण नहीं है। अपने सीमित साधनों के द्वारा सरकार उन समस्या का मुलजाने के लिये ध्यान दे रही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना एक प्रारम्भिक रूपमें ही कहा गया है 'जब कि पहली पंचवर्षीय योजना का आधा समय बीत चुका तब एम्प्लायमण्ट एक्चेंजो अर्थात् नौकरी दिलाने के दफ्तरी में दर्ज सख्याओं में पता लगा कि देश में राजगार की अवस्था बिगड़ रही है। इसलिये १९५५-५४ की योजना में थम सम्बन्धी कुछ ऐसे कार्यक्रम सम्मिलित किए गये, जिनमें अधिक लागत का राजगार मिल सके। फिर भी पहली योजना की अवधि में राजगार दिख सकने के हालात बिगड़ते ही गये। एम्प्लायमण्ट एक्चेंजो के रजिस्ट्रारों में दर्ज बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या जो मार्च १९५१ में ३ लाख ३७ हजार थी, वह दिसम्बर १९५३ और दिसम्बर १९५५ में बढ़ कर क्रमशः ५ लाख २२ हजार और ६ लाख २२ हजार तक पहुँच गई। इन संख्याओं से बेरोजगारी का अन्धाजा एक हद तक ही लगाया जा सकता है; इनकी श्रुतियाँ प्रायः सर्वविदित हैं। परन्तु यह अनुभव अधिकाधिक मात्रा में किया जा रहा है कि औद्योगिक विकास का योजनाएँ तभी लोकप्रिय हो सकती हैं जब कि लागो को राजगार दिलाना भी इनका एक प्रधान लक्ष्य हो। इसलिये इस सम्बन्ध में सबकी सम्मति है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का एक स्पष्ट उद्देश्य लोगो को राजगार देना ही होना चाहिये।"

पहले योजना काल में लगभग ४५ लाख व्यक्तियों की रोजी का प्रबन्ध हुआ होगा। इसके अनिश्चित व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र में भी नए अवसर उत्पन्न हुए होंगे। परन्तु इन काल में अर्थिक संस्था की वृद्धि इनमें नहीं अन्तर्हि हुई।

इसके प्रतिरिक्त पहली योजना का प्रभाव मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ा। वहाँ व्यक्ति के विकास और बड़ी संख्या में मकानों के निर्माण से बहुत से लोगों को पूरे समय का रोजगार मिला।

योजना आयोग द्वारा दिसम्बर १९५५ में नियुक्त एक मध्यम समिति ने यह अनुमान लगाया है कि आगामी पांच वर्षों में १४.५ लाख शिक्षित व्यक्ति यमिकों की संख्या में और बड़ जायेंगे। इसमें वर्तमान ५.४ लाख संख्या जोड़ देने से यह विदित हो जायगा कि द्वितीय योजना काल में २० लाख शिक्षित बेकारों को काम दिलाना होगा। यह अनुमान है कि सरकारी क्षेत्रों में १० लाख तथा निजी क्षेत्रों में २ लाख व्यक्तियों को काम मिल जायगा। सब भी ८ लाख बच जायेंगे। इनके प्रतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त बेकारी भी द्वितीय योजना काल में बनी रहेगी। यद्यपि यह बिलकुल सच है कि अनेक लोगों को काम प्राप्त होगा। इसमें यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्थिति मात्र से अधिक नहीं बिगड़न पायेंगे।

भारतवर्ष के दो देशों में विभाजन का आर्थिक परिणाम:—भारतवर्ष के विभाजन के बाद एक समस्या एकदम उठ खड़ी हुई। वह शरणार्थियों की समस्या थी : लाखों गृहहीन व्यक्ति बिना किसी आर्थिक साधनों के एक देश से दूसरे देश को गये। भारत में शरणार्थियों की संख्या ने अत्यन्त नीपण कर धारण कर लिया था। सरकार ने अपनी ओर से पूरा प्रयत्न किया परन्तु अभी तक यह समस्या पूरी प्रकार से हल नहीं हो पाई है।

विभाजन के फलस्वरूप न भारत आर्थिक दृष्टि से स्वयंपात्त हो सकता है और न पाकिस्तान। क्योंकि भारत में रई तथा जूट के उत्पादन क्षेत्र मुख्यतः पाकिस्तान में चले गये हैं। पहले हजारों देश में अनाज को कमी नहीं थी। परन्तु अब प्रति वर्ष हमें विदेशों से बहुत परिमाण में अनाज मँगाने होते हैं। पाकिस्तान भी आर्थिक दृष्टि से स्वयंपात्त नहीं है। वहाँ कपास तथा जूट पैदा होती है परन्तु वहाँ सूती तथा जूट की मिलें नहीं हैं। इसलिये पाकिस्तान को इन वस्तुओं के लिये दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा। इस प्रकार दोनों देश आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गये हैं। कुल लोगों का बहना यह है कि अंग्रेजी कूटनीति का यह फल है। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत या पाकिस्तान शक्तिशाली देश हों।

पंचवर्षीय योजनाएँ:—भारतवर्ष आर्थिक दृष्टि से अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ के लोगों का जीवन-स्तर अन्य देशों की तुलना में अत्यन्त निम्न है। गरीबी तथा बेकारी यहाँ के नीपण अविशाप है। भारतवर्ष की सरकार ने देश को आर्थिक उन्नति के लिए एक योजना बनाई है जो कि चालू भी हो गई है।

इस योजना का पंचवर्षीय योजना कहते हैं। इस योजना का उद्देश्य जनता के जीवन स्तर को उठाना है। तानि से मुखा तथा सम्पन्न जावन व्यतीत कर सक। इगलिय जहाँ एक ओर इसका उद्देश्य बच के सगस्त साधना का दश की पैदावार बढ़ाने क लिय उपयोग करना है और वहाँ दूसरी ओर इसके द्वारा आर्थिक असमानता को कम करना भी उद्देश्य है। अन्त में योजना के निर्माताओं द्वारा यह कहा गया है कि यद्यपि आरम्भ में पैदावार बढ़ाने पर ही अधिक ध्यान देना पड़ेगा तथापि अन्त में उद्देश्य वर्तमान आर्थिक ढांचे को बदलना ही होगा जिससे कि यहाँ क सब निवासी उत्तरोत्तर अधिक शिक्षा सुरक्षा तथा सम्पन्नता का उपभोग कर सकें।

प्रथम पंचवर्षीय योजना — यह पंचवर्षीय योजना वास्तव में भविष्य में अधिक शीघ्र आर्थिक उन्नति प्राप्त करने के लिये प्रथम पग मान है। इस योजना में सरकार २ ०६९ करोड़ रुपया खच करेगी। इस खर्च करने में निम्न बातों का विशेष ध्यान रखा जायगा।

(१) विकास की प्रया को इस प्रकार बढ़ाना जिससे भविष्य में वह इनसे भी महत्तर काम का आधार बन सके।¹

(२) देश में विकास के लिए उपलब्ध समस्त साधन।

(३) सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में विकास तथा साधनों की आवश्यकताओं के मध्य निकट सम्बन्ध।

(४) इस योजना से पूर्व केन्द्रीय तथा प्रदेशीय सरकारों द्वारा आरम्भ की हुई विकास योजनाओं को पूरा करने की आवश्यकता।

(५) गृह तथा विभाजन से उत्पन्न देश की आर्थिक अव्यवस्था को दूर करना।

1 'While in the initial stages the accent of endeavour must be on increased production because without this no advance is possible at all—our planning even in the initial stages should be confined to stimulating economic activity within the existing social and economic framework. That framework itself has to be remoulded so as to secure progressively for all members of the community full employment, education, security against sickness and other disabilities and adequate income. Five Year Plan (People's ed) p 11

इस २०६९ करोड़ रुपये का खर्च विभिन्न मदों के द्वारा निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा—

	(करोड़ रुपयों में)
शेती तथा सामूहिक विकास	२२१
लिखाई तथा बहु उद्देशीय लिखाई ..	१२८
शक्ति योजनाएं ..	२२६
शक्ति (विजली) ..	१२७
सादायात तथा सदाशुल्क ..	१९७
उद्योग ..	१७३
मानसिक सेवाएँ ..	३४०
पुनर्वास ..	८५
अन्य ..	५२
योग ..	<u>२०६९</u>

केन्द्रीय सरकार तथा प्रादेशिक सरकारों के मध्य इन खर्च का बंटवारा इस प्रकार किया गया था :

केन्द्रीय सरकार (रिती तह्रित)	१-८५ करोड़ रुपये
'क' भाग के राज्य ..	६१० , "
'ब' " " ..	१-३ , "
'ग' भाग के राज्य ..	३० " "
जम्मू तथा काश्मीर ..	१३ , "

इन योजना की सफलता पर इसके प्रायोजकों को संदेह था। इनके अनुसार इस योजना से देश को कोई भी लाभ होने की आशा नहीं थी। उनका कहना था कि इतना खर्च करने के बाद भी देश को आर्थिक प्रवृत्ति में कोई विशेष उन्नति नहीं होगी। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार इस योजना में कृषि के ऊपर अधिक ध्यान दिया गया है। परन्तु किसी देश को वर्तमान समय में उन्नति केवल तभी सम्भव है जब कि उद्योग संघों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाए। इस योजना के सफल हो जाने पर भी, इन प्रायोजकों के अनुसार देश अन्य देशों पर आर्थिक दृष्टि से निर्भर रह जायगा। देश का colonial

status बना ही रहगा। इसने अनिश्चित अन्य दृष्टियाँ से भी इस योजना को आलोचना की गई, तथा इसे अव्यवहारिक बतलाया गया। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार इससे देश में मुद्रा प्रसार बढ़ने का भय है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह योजना पूरी तरह नीकरशाही द्वारा चलाई जायगी, इसकी सफलता सन्देहजनक है। सरकार ने जनता के गहयोग पर अधिक ध्यान नहीं दिया है।

परन्तु दूसरे कई विद्वानों तथा राजनीतिज्ञों द्वारा इस योजना की भूरि भूरि प्रशंसा की गई। एक पयवेक्षक के अनुसार यह योजना प्रजातन्त्र देश में आर्थिक योजना का प्रथम उदाहरण है। इससे देश की महत्त्वपूर्ण उन्नति होगी। यह भविष्य के आर्थिक विकास के लिये सुदृढ़ नींव बना देगी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रगति — प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सीमा तक सफल हुई तथा इसमें क्या कमियाँ रह गई इसका ज्ञान हमें निम्नलिखित उद्धरण से ही ज्ञायगा।

'अर्थ व्यवस्था पर पहली योजना की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया हुई है। कृषि और औद्योगिक उत्पादन में बहुत काफी वृद्धि हुई है। मूल्य युक्ति सगत मत्त पर है। देश का वैदेशिक हिमाक्ष-किताब भी सन्तुलित है। पहली योजना में जो महत्त्वपूर्ण लक्ष्य रखे गये थे वे पूर्ण हो चुके हैं और सब तो यह है कि कई क्षेत्रों में हम उनको भी पार कर चुके हैं। इन पाँच वर्षों में कोई १७०,००,००० एकड़ नई जमीन को सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है। बिजली उत्पादन की प्रस्थापित क्षमता २३ लाख किलोवाट में बढ़कर ३४ लाख किलोवाट हो गई है। रेलों के पुनर्स्थापन के सम्बन्ध में यथेष्ट प्रगति हुई है। सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में कई औद्योगिक कारखानों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है। इनके विपरीत पहली योजना में लगे और उत्पादन के एक नए कारखाने और बिजली के एक भारी कारखाने के स्थापित किए जाने को जो व्यवस्था की गई थी उसके सम्बन्ध में बहुत सीमित प्रगति के अतिरिक्त उसमें कोई उन्नति नहीं हुई। इससे अतिरिक्त सामुदायिक योजना कार्य, सामोश्रीय तथा छोटे पैमाने के उद्योगों इत्यादि में जितना व्यय होना था, वह नहीं हो सका। फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि कुल मिलाकर हमारी अर्थ व्यवस्था काफी मजबूत हो गई। योजना के कारण दीर्घकाल से स्थिर परिस्थिति में एक नया प्रगतिशील उत्पादन आ गया है। गत ५ वर्षों में राष्ट्रीय आय में अनुमानत १८ प्रतिशत वृद्धि हुई। जब कि केवल ११ प्रतिशत बढ़ने की आशा थी। १९४१-५६ में सार्वजनिक क्षेत्र में

विकास सम्बन्धी खर्च १९५१-५२ के मुकाबले में टाई गुने से अधिक है। त्रिजो क्षेत्र में पूंजी विनियोग आगत के अनुरूप हुआ है। यह नारा विकास हमारी अर्थ-व्यवस्था पर किसी प्रकार का भारी दबाव या असन्तुलन पैदा किये बिना ही हुआ है। योजना ने योगदान मिला तथा सहयोग की भावना अधिक मात्रा में जानूत हुई।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की कई दृष्टियों से प्रालोचना की गई है। इसमें कोई नन्देह नहीं है कि प्रथम योजना ने देश को कुछ लाभ हुए तथापि यह भी निस्सन्देह है कि इस योजना में अनेक त्रुटियाँ रह गई थीं। योजना के निर्माण-कर्ताओं ने देश में उपलब्ध साधनों का पूरा-पूरा अनुमान नहीं लगाया था। इन्होंने उपलब्ध भौतिक साधनों से वित्तीय साधनों को अधिक महत्व दिया। योजना ने औद्योगिक विकास से अधिक बल दृष्टि पर दिया। परन्तु दृष्टि में देश आत्म निर्भर नहीं हो सका। परन्तु इसने यह नहीं समझना चाहिए कि इस योजना से देश को लाभ नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि इसने एक निश्चित आर्थिक स्थिति में एक गतिशील तत्व का प्रवेश कराया।¹

द्वितीय पंचवर्षीय योजना :—द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य प्रथम योजना के कामों को और अधिक आगे बढ़ाना है। वास्तव में द्वितीय योजना प्रथम से अधिक महत्वाकांक्षिणी है। राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने इस द्वितीय योजना के विषय में कहा था; "द्वितीय योजना प्रथम योजना की अपेक्षा अधिक महत्वाकांक्षीपूर्ण है। उसे कार्य रूप देने के लिये देश लोगों की पहले की अपेक्षा कहीं अधिक प्रयत्न करना होगा। समाजवाद के नमूने पर समाज की स्थापना, राष्ट्रीय प्राय का समुचित स्तर तक विकास और देश के सभी नागरिकों के लिए समान अवसर—इन सभी वाद्यों को पूरा करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। हमारी उन्नति के आधार-भूत मापदंड सदा समाज का हित और असमानता का प्रतिक निराकरण होंगे। हम अपनी राधा की एक मजिल तय कर चुके हैं। और अब एक नाग्य-निर्णायक दूसरी मजिल की ओर बढ़ने वाले हैं।"

1. "The First Plan deserves a good deal of commendation as it was the first experiment of developmental planning for uplifting the lagging Indian economy. The Indian Economy responded well to the stimulus of the Plan. The First Plan introduced a new dynamic element in a long static and stagnant situation." Atak Ghosh—Indian Economy—Its Nature and Problems, (1958)

उपर्युक्त उद्धरण से यह स्पष्ट है कि द्वितीय योजना की आधार-भूमि समाज का समाजवादी मगठन है। इसीलिए योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित हमरी रूपरेखा में इसके उद्देश्यों का वर्णन करने समय इस लक्ष्य पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

यह योजना निम्न मुख्य लक्ष्यों को ध्यान में रख कर बनाई गई है —

(१) राष्ट्रीय आय में इतनी वृद्धि हो कि देश के रहन-महन का स्तर ऊंचा हो सके। इससे यह तात्पर्य है कि जनता के भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की न्यूनतम आवश्यकताएँ सतीषजनक रूप में पूरी हो सकें।

(२) मूल तथा भारी उद्योगों के विकास पर विशेष बल देते हुए देश का द्रुतगति में औद्योगीकरण हो। यह इसलिये आवश्यक है क्योंकि इसके बिना देश का भावी आर्थिक विकास सम्भव नहीं है।

(३) रोजगार सम्बन्धी सुविधाओं का और अधिक विस्तार करना, जिससे देश की बेकारी समस्या का उचित समाधान हो सके।

(४) आय तथा सम्पत्ति की विषमताओं का निराकरण तथा आर्थिक शक्ति का पहले से अधिक समान वितरण। यह स्पष्ट है कि इसके बिना समाजवादी ढंग की अर्थ व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकती है।

इन उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये केन्द्र और राज्यों की सरकार मिलकर इस योजना के पाँच वर्षों में कुल ४,८०० करोड़ रुपए व्यय करेंगी। इसमें से कृषि तथा सामुदायिक विकास पर १२ प्रतिशत, सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण पर ९ प्रतिशत, बिजली पर ९ प्रतिशत, उद्योग व खनिज पर १९ प्रतिशत, परिवहन तथा संचार पर २९ प्रतिशत, समाज-सेवा, मकान तथा पुनर्वास पर २० प्रतिशत तथा शेष अन्य मदों पर व्यय किया जायगा।

यदि हम प्रथम तथा द्वितीय योजनाओं के व्यय का तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमें यह दृष्टिगोचर होगा कि द्वितीय योजना में विशेष बल औद्योगीकरण पर दिया गया है। प्रथम योजना में कृषि को अधिक महत्व दिया गया था। परन्तु इससे यह नहीं सोचना चाहिये कि द्वितीय योजना में कृषि, सिंचाई या अन्य मदों पर व्यय कम कर दिया गया है। सत्य तो यह है कि सभी मदों पर द्वितीय योजना में प्रथम की अपेक्षा अधिक व्यय किया जायगा। परन्तु तुलनात्मक दृष्टि से द्वितीय योजना में उद्योगों को अधिक महत्व दिया गया है।

प्रथम एवं द्वितीय योजना के व्यय का तुलनात्मक विवरण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रथम योजना		द्वितीय योजना
	कुल व्यय—प्रतिशत	कुल व्यय—प्रतिशत
कृषि एवं सामुदायिक विकास	—३७२ करोड़—१६	५६५ करोड़ —१२
मिचोई तथा वाट का नियन्त्रण	—३९५ " —१७	४५८ " — ९
बिजली	—२६६ " —११	४४० " — ९
उद्योग व धनिज	—१७९ " — ७	८९१ " —१९
परिवहन तथा संचार	—२५९ " —२४	१३८४ " —२९
समाज सेवा, गृह-निर्माण तथा पुनर्वास	—५४७ " —२३	९४६ " —२०
विशेष	— ४१ " — २	११६ " — २
योग	२,३५६—१००	४,८०० —१००

सरकारी क्षेत्र के प्रतिरिक्त द्वितीय योजना काल में २,३०० करोड़ रुपया निजी क्षेत्र में व्यय किया जाएगा। इस व्यय का रूप रखा निम्नोक्त होगी :—

उद्योग और सनिज	—	५६० करोड़ रुपया
परिवहन, बिजली आदि	—	९० " "
कृषि एवं ग्राम उद्योग	—	२०० " "
गृह-निर्माण	—	१,०५० " "
अन्य मद	—	४०५ " "

योग	—	२,३०० " "
-----	---	-----------

निजी क्षेत्र में भी उद्योगों पर एक बड़ी रकम व्यय की जाएगी। उद्योगों में मुख्यतः मूल उद्योगों में ही व्यय होगा इसका कारण यह है कि यदि देश में मूल उद्योगों की स्थापना हो जायगी तो इतने आर्थिक दृष्टि से देश की विदेशों पर निर्भरता बड़ी मात्रा में कम हो जायगी। परन्तु योजना में उपयोग

की वस्तुओं पर ध्यान दिया गया है। इसके लिए यह प्रबन्ध है कि इनका उत्पादन गृह एवं लघु उद्योगों द्वारा हो। इससे एक लाभ यह भी होगा कि देश व अनेक बेकारों का रोजी मिल जायगी।

दूसरी योजना देश में फैली बेकारी समस्या को भी कुछ मात्रा तक दूर करने में सहायक होगी। दूसरी योजना की अवधि में कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में ८० लाख नए लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। परन्तु इस काल में यह अनुमान है कि लगभग १ करोड़ व्यक्ति और रोजी की तलाश में होंगे। इस समय लगभग ४५० लाख व्यक्ति बेकार हैं। इससे यह देखने है कि द्वितीय योजना द्वारा बेकारी की समस्या का पूरी तरह हल नहीं होगा। योजना की रूप-रेखा के अनुसार इन ८० लाख व्यक्तियों को निम्नोक्त उद्योगों में काम मिलेगा

घरेलू उद्योग तथा गृह निर्माण	—	२१	लाख
बड़े उद्योग	—	८	,
छोट उद्योग	—	४५	"
सरकारी नौकरियाँ	—	४३	"
वन विभाग सामदायिक विकास आदि	—	४२	,
शिक्षा विभाग	—	२६	,
रेल तथा अन्य यातायात के साधन	—	४३	,
समाज सेवा	—	१४	,
स्वास्थ्य विभाग	—	१२	,
व्यापार	—	२७१	,

अन्त में इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आय तथा सम्पत्ति के विषमताओं का निराकरण किस प्रकार किया जायगा? योजना में सरकार को इसके लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं। उदाहरणार्थ (१) देश भर में अधिक में अधिक भू सम्पत्ति कितना हो इसको सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए (२) इसी प्रकार अधिकतम आय की सीमा निर्धारित करने की दिशा में भी सोचना चाहिए। (३) धनी तथा निधनों व मध्य अन्तर कम करना चाहिए। इसके लिए अनेक प्रकार के जैसे अधिक आयकर मनाफा कर आदि का सुझाव दिया गया है। (४) अमीरों, स्थितियों पिछड़े वर्गों की स्थिति के लिए विशेष सुविधाएँ दी जायें। (५) सामाजिक सेवाओं का विस्तार किया जाय। इत्यादि।

द्वितीय योजना में उत्पादन-वृद्धि के लक्ष्य निम्नलिखित हैं— जहाज— ८०%, रेल-इजन—७६%, मोटर कार—१४८, मल उपादन—२२%, मोमेट—१०८%, कागज—४९०%, बिजली की मोटरे—१५०%, सोना पेट्रो—५२%, कच्चा लोहा—९०%, नैपार लोहा—१३२%, एयुनीनी-जम—२३३%, रसायनिक गन्ध—३५८%, हीटिंग इजन—१०५%, गन्ध-किल—१००%। उद्योगों के प्रतिष्ठित धन आदि के उत्पादन में भी वृद्धि होगी। यह अनुमान है कि धन में १५४%, कपास में ३१%, सूट में २५%, गन्ध में २२४%, तथा तिलहन में २७.३% वृद्धि होगी।

इस योजना का कल फल यह होगा कि राष्ट्रीय आय ४ वर्ष पश्चात् १०,८०० करोड़ रुपये में बढ़कर १३,४८० करोड़ हो जायगी। प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय ८० रुपया बढ़ेगी। वर्षान्त २५० के स्थान पर ३३० रुपया हो जायगी।

द्वितीय योजना को कांग्रेस के विरोधियों द्वारा कड़ी आलोचना की गई है। यह कहा गया है कि इनके द्वारा समाजवाद का धारणा कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। समाजवाद की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि अति-कारी कदम उठाया जाय। यह मत है कि विकास के द्वारा समाजवाद की स्थापना में अधिक समय लगेगा, परन्तु गान्धिपूर्ण उपायों को हम नहीं छोड़ सकते हैं। कुछ आलोचकों का यह कहना है कि इस योजना द्वारा मुद्रा-स्फीति का भय बढ़ गया है और धन में इन्ही कारणसमस्त देश की आर्थिक-व्यवस्था के लिये भीषण संकट उपदिष्ट हो जायगा। इस योजना की नफलता के लिये बितनी अधिक पूँजी की आवश्यकता है वह देश में उपलब्ध नहीं है और इसका कोई निरन्धय नहीं कि विदेशों से इन उद्देश्य के लिये हमें पूँजी प्राप्त होगी। देश में कर बर रहे हैं, द्रोते जनता को कष्ट बढ़ गया है। उससे यह आशा करना गलत है कि यह योजना कार्य में उतताहसूँच सक्रिय भाग लेगी।

परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि सरकार ने योजना के निर्माण में इन सब कठिनाइयों पर ध्यान दिया है। इसलिए भारतीय जनता को उत्साह-पूर्वक योजना की नफलता में योग देना चाहिये।

सामुदायिक-योजनाएँ (Community Projects):— देश में इन योजनाओं का धारम्भ अक्टूबर, १९५२ में हुआ। इनका उद्देश्य भारत के बाँकों की उन्नति है। यह उन्नति नर्वाणीय होगी। साम्य जीवन के सम्पूर्ण स्तर

का वहाँ के निवासियों के सामूहिक श्रम से ही उन्नत करना इन योजनाओं का उद्देश्य है।¹

इन योजनाओं की आवश्यकता के मुख्य कारण निम्नोक्त हैं

(१) ग्रामजीवन का सर्वांगीण विकास आवश्यक है। भारत मुख्यतः कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामों में रहता है। अनाथ विना इन ग्रामों के विकास के देश का विकास सम्भव नहीं है।

(२) यह आवश्यक है कि भारतीय ग्रामीण का जीवन-स्तर ऊँचा हो तथा उनकी दृष्टि विस्तृत हो। इसलिए यह आवश्यक है कि उभे शिक्षा की नृविद्या हो। यह स्वास्थ्यकर वातावरण में रहे तथा उनमें आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की भावना जागृत हो।

(३) ग्रामों के विकास का मुख्य लाभ यह होगा कि देश की शक्ति समस्या का हल हो जायगा। इस समय हम अन्न के लिए न्यूनधिक मात्रा में विदेशों के ऊपर निर्भर हैं। इसका फल यह होता है कि प्रत्येक वर्ष देश का करोड़ों रुपया जा देश के अन्दर कई उपयोगी कामों में लगता, विदेश चला जाता है

सामुदायिक विकास योजनाओं का महत्व उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है। इनके अन्तर्गत कृषि तथा अन्य सम्बन्धित विषय, जैसे सिंचाई का प्रबन्ध, अच्छे बीजारों का उपयोग, पशुपालन आदि, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रेनिंग, रोज-गार मकान तथा सामाजिक सेवाएँ आते हैं। इन ग्रामीण जीवन की विविध समस्याओं का हल देने में देश के गाँवों की अवस्था में महान् सुधार होगा।

सामुदायिक योजनाओं का आरम्भ देश में २ अक्टूबर १९५२ को हो गया। सबसे पहले डटावा जिले के अन्तर्गत कुछ गाँवों में यह काम शुरू किया गया। देश भर में ५५ सामुदायिक विकास योजनाओं की स्थापना की गई। प्रत्येक सामुदायिक योजना के अन्तर्गत ३०० गाँव रखे गये। इस प्रकार लगभग १६,५०० गाँवों का इस कार्यक्रम से लाभ हुआ। इस कार्य का अच्छी सफलता मिली और अक्टूबर १९५३ में ५३ सामुदायिक विकास क्लबों की भी स्थापना की गई। जब अक्टूबर १९५६ में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्थापित इस योजना का नाम पूरा हुआ, तब तक सारे देश में इस विकास योजना के १२०० केन्द्र

1 "The central object of the community development programme is to mobilise local man-power for a concerted and co-ordinated effort at raising the whole level of rural life." Ibid, p. 42.

स्थापित कर दिए गए थे। इन योजनाओं की प्रगति का अनुमान निम्नोक्त आंकड़ों से ज्ञात होगा।

नये स्कूलों की संख्या	—	१४,०००
प्राइमरी स्कूल जो वैदिक स्कूल बनाये गये	—	५,१५५
वयस्क शिक्षा केन्द्र	—	३५,०००
इन केन्द्रों द्वारा शिक्षित वयस्कों की संख्या	—	७७३,०००
पक्की सड़कें	—	८,०६९ मील
कच्ची सड़कें	—	२८,००० मील
सौचालयों की संख्या	—	८०,०००

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इस कार्य को और अधिक धामे बढ़ाया जायगा। द्वितीय योजना का यह लक्ष्य है कि १९६०-६१ तक ३८०० राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्र और ११२० सामुदायिक विकास क्षेत्रों की स्थापना की जाय। इनमें लगभग ३२.५ करोड़ जनसंख्या को लाभ होगा। इस कार्य के लिये योजना में २०० करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। सामान्यतः एक राष्ट्रीय सेवा क्षेत्र पर ४ लाख रुपये व्यय होंगे और एक सामुदायिक विकास क्षेत्र पर १२ लाख रुपये होंगे। द्वितीय योजना काल में इन सामुदायिक योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये २ लाख कर्मचारी होंगे। इन कर्मचारियों की शिक्षा के लिये प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं। १९६०-६१ में इन प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या ७१ हो जायगी।

सामुदायिक योजनाओं का संगठन.—इन योजनाओं के निरीक्षण के लिये एक केन्द्रीय समिति की स्थापना की गई है तथा एक प्रशासनिक समस्त देश की योजनाओं के संचालन तथा निर्देशन के लिये है। उसकी महासहायता एक कार्य-समिति है। योजना-कमीशन ही केन्द्रीय समिति के रूप में काम करता है।

प्रत्येक राज्य में एक राज्य विकास समिति की स्थापना की गई है। इसके सदस्य प्रधान सचिव तथा उसके द्वारा मनोनीत अन्य सचिव होते हैं। इस समिति का मंत्री राज्य विकास कमिश्नर कहलाता है। यह कमिश्नर राज्य की समस्त योजनाओं का निर्देशन और सहयोग (Co-ordination) करता है।

प्रत्येक जिले में वहाँ का कलेक्टर या एक ऐडिशनल जिला मजिस्ट्रेट, राज्य विकास कमिश्नर के आदेशानुसार इन योजनाओं का निर्देशन करेगा। उसकी सहायता के लिये एक जिला विकास समिति होती है।

प्रत्येक योजना का संचालन तथा निर्देशन एक योजना अधिकारी द्वारा होता है। उसके अधीन कुछ निरीक्षक तथा कार्यकर्ता होते हैं। इनकी मर्यादा लगभग १२५ होती है।

इन योजनाओं की सफलता जन सहयोग के बिना असम्भव है। वास्तव में उनकी सफलता इसी बात से जाँचनी चाहिये इन्होंने कहाँ तक ग्रामवासियों को सक्रिय कर दिया है। योजना के कार्यकर्ताओं का काम तो योजनाओं को चाल करना मात्र है तथा समय-समय पर गाँव वालों का निर्देशन करना है। योजना को आगे बढ़ाना तो गाँव वालों का काम है। अभी तक योजनाओं की प्रगति को देखने से यही निष्कर्ष निकलता है कि इस योजनाओं का उम्र मात्रा तक जन सहयोग नहीं प्राप्त हो सका जैसा कि होना चाहिये था। परन्तु यह निम्नकोष्ठ कहा जा सकता है जैसा कि योजना आयोग की योजना अनुमान समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि "योजनाओं के फलस्वरूप जनसाधारण का सामूहिक व्यक्तिगत विश्वास निर्माण की ओर लग गया है।"

प्रश्न

(१) भारत में खेती की उन्नति के लिये आप किन-किन उपायों का मुझसे बतलाएँ ?
(यू० पी० १९५५)

(२) हमारे देश में गाँवों के जीवन को अधिक सुखी तथा समृद्ध बनाने के लिये आप क्या करेंगे ?
(यू० पी० १९५१)

(३) भारत के आर्थिक जीवन में कृषि का क्या महत्व है ?
(यू० पी० १९५६)

(४) पंचवर्षीय योजनाओं का क्या महत्व है ? इस सम्बन्ध में बताइये कि इन योजनाओं द्वारा बेकारी किम प्रकार दूर हो सकेगी ?
(यू० पी० १०१६)

(५) देश में बेरोजगारी के क्या कारण हैं ? इनको दूर करने के लिये क्या उपचार किये जा रहे हैं। इस दिशा में करने भी मुझसे बतलाइये।
(यू० पी० १०५७)

(६) यद्यपि हमारा देश कृषि प्रधान है फिर भी हमारा यहाँ शासन की कमी क्यों है ? देश को इस दिशा में आत्म निर्भर बनाने के लिए अपने मुझसे बतलाइये।
(यू० पी० १९५९)

(७) भारत में बेकारी दूर करने के लिये अपने मुझसे बतलाइये। सरकार इस विषय में क्या प्रयास कर रही है।
(यू० पी० १९५९)

शिक्षा : समस्याएँ तथा सुधार

शिक्षा का जीवन में स्थान.—जीवन में शिक्षा का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य के गुणों का विकास शिक्षा के बिना सम्भव है। इसलिये शिक्षा की आवश्यकता व्यक्ति के विकास के लिये आवश्यक है। अत्यन्त प्राचीन काल में ही दार्शनिकों तथा विचारकों ने शिक्षा को अत्यन्त महत्वपूर्ण बतलाया है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो के अनुसार शिक्षा द्वारा आत्मा सत्य के दर्शन करती है। शिक्षा के बिना मनुष्य तथा पशु में केवल शारीरिक वनावट की ही भिन्नता रह जाती है। मनुष्य का अस्तित्व एक घड़े की भाँति नहीं है जिसमें शिक्षक कुछ वस्तु उड़ेल देता है। परन्तु मनुष्य के अन्दर कुछ बीज गुण रूप में वर्तमान रहते हैं। उन्हें ही शिक्षा द्वारा विकसित किया जाता है।¹

भारत में शिक्षा का इतिहास — भारतीय शिक्षा के इतिहास को तीन कालों में बाँटा जाता है— हिन्दू काल, मुस्लिम काल तथा अंग्रेजी काल। प्रत्येक का अक्षिप्त वर्णन किया जायगा।

(१) हिन्दू काल:—इस काल में शिक्षा प्रधानतः धार्मिक तथा वैश्विक थी। तब शिक्षा राज्य के कर्त्तव्यों में सम्मिलित न थी। यह सत्य है कि राजा कभी-कभी धन तथा भूमि का शिक्षण मस्याओं की सहायतायें दान कर देते थे। शिक्षा मस्याएँ धर्मिकों की दानशीलता पर निर्भर थी। प्रत्येक गुरु अपने ही अधिम में कुछ विद्यार्थियों की शिक्षा देता था। शिक्षा समाप्त होने पर शिष्य अपने गुरु को दक्षिणा देकर विदा होता था। शिक्षा ऐसी थी जिनमें की जीवन में लाभ हो। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों को अलग अलग

1. "Education is the drawing out of a child's latent potentialities by providing them with suitable opportunities for their exercise and thorough exercise, their development and perfection." Squire's The Education of India, p. 10 (3rd ed.)

प्रवार की शिक्षा दी जाती थी क्याकि जीवन में उनके क्षेत्र अलग-अलग थे। ब्राह्मण की शिक्षा का आरम्भ ८ वर्ष की आयु में, क्षत्रिय का ११ वर्ष की आयु में, तथा वैश्या का १२ वर्ष की आयु में होता था। बृद्ध काल के पश्चात् देश में बड़े-बड़े विद्यालयों की स्थापना हुई। इनमें नालन्दा सबसे प्रमुख था। इस विद्यालय में चीनी यात्री हुएन चुयांग के अनुसार ४००० विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। इसके अनतिरिक्त विजयनगर, तक्षशिला, उदान्तपुरी, श्रीनगर, नव-द्वीप आदि स्थानों में भी बड़े-बड़े विद्यालय थे। हिन्दू शिक्षा में नैतिकता को विशेष महत्त्व दिया जाता था। यह केवल मन के ही विकास पर ध्यान नहीं देती थी परन्तु चरित्र के विकास पर भी उतना ही ध्यान दिया जाता है।

(२) मुस्लिम काल — इस काल के आरम्भिक वर्षों में शिक्षा की ओर मुस्लिम शासकों ने ध्यान नहीं दिया। जब मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण तथा इस देश की विजय आरम्भ की उस समय यहाँ पर शिक्षा काफी उन्नत अवस्था में थी। मुसलमान आक्रमणकारियों ने कुछ स्थानों में हिन्दुओं के पुस्तकालयों को नष्ट कर डाला। दिल्ली-सल्तनत के काल में शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन नहीं मिला। गाँवों में मस्जिदों के साथ ही छोटी स्कूल (मकतब) जुड़ा होता था। इसमें विशेष कर कुरान की शिक्षा दी जाती थी। परन्तु कुछ बादशाहों ने ऊँचे स्कुला (मदरसों) की भी स्थापना की। फीरोज तुगलक ने कई मदरसों की स्थापना की। मदरसों में ऊँची शिक्षा दी जाती थी, जैसे इतिहास, राजनीति, कानून धर्म आदि। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस शिक्षा का आधार धार्मिक था। मुगल बादशाहों ने शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। अकबर ने इस दिशा में महत्वपूर्ण काम किया। उसने कई मसूदों की पुस्तकों का फारसी अनुवाद करवाया। उसने साहित्य तथा कला को उत्साहित किया। मदरसों की स्थापना की। हिन्दू तथा मुसलमान दोनों की ही विद्या का बड़ा सम्मान आदर करता था। उसके उत्तराधिकारियों ने भी कुछ सीमा तक उसकी नीति का अनुसरण किया पर औरंगजेब ने मुसलमानों की शिक्षा की ओर तो ध्यान दिया पर हिन्दुओं की पाठशालाओं को उसने नष्ट किया। औरंगजेब के पश्चात् भारत के दुर्दिन आरम्भ हुए और इस काल में शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया।

(३) अंग्रेजी काल — भारत में पश्चिमी व्यापारियों ने आरम्भ में ही अपनी शिक्षा नीति में इस बात का ध्यान रखा कि शिक्षा के द्वारा वे अपने धर्म का प्रचार कर भारतीयों को ईसाई बना सकें। पुर्तगीज व्यापारियों तथा फ्रेंच व्यापारियों ने जो यहाँ स्कूल खोले उनमें धार्मिक शिक्षा पर विशेष

महत्व दिया गया। जब अंग्रेजी कम्पनी ने स्कूल खोले उनमें भी यही उद्देश्य गामने रखा गया। यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि पाठशाला शिक्षालयों के पीछे धार्मिक उद्देश्य था। नन् १८३३ तक अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अंग्रेजी शिक्षा को कोई महत्त्वता नहीं दी थी। नन् १८१३ के चार्टर में यह निर्दिष्ट हो गया था कि कम्पनी प्रति वर्ष एक लाख रुपये अपने धर्मों में शिक्षा के उजर व्यय करेगी। नन् १८३३ तक कम्पनी ने चार विद्यालय खोले थे—कलकत्ता मदरना (१७८१) बन्दरना मसूत कालिज (१८२५) तथा दिल्ली में मसूत कालिज (१८२५)। कम्पनी के शिक्षालयों के अनिर्दिष्ट कुछ स्कूल देश में ईमाई धर्मप्रचारकों (missionaries) द्वारा खोले गये थे। इनका उद्देश्य भी मुख्यतः ईमाई-धर्म प्रचार था।¹

नन् १८१३ में शिक्षा के इतिहास में एक नये युग का आरम्भ होता है। प्रथम बार कम्पनी भारतीयों के शिक्षा के लिए उत्तरदायी बना दी गई। मन्त्र महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि शिक्षा किस भाषा द्वारा दी जावे? इन विषय में तीन मत थे—एक मत तो यह था कि शिक्षा का माध्यम मन्कृत तथा अरबी हो। दूसरा मत था कि शिक्षा का माध्यम आधुनिक भारतीय भाषाएँ हो। तीसरा मत यह था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। अन्त में तीसरे मतवालों की विजय हुई। नन् १८३५ में मेकौले ने, जो कि उन समय गवर्नर जनरल का काँग्रेस का कानूनी सदस्य था, अपने प्रसिद्ध लेख (minute) में यह निष्कर्ष की कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम द्वारा भारतीयों को पश्चिमी विज्ञान तथा साहित्य की शिक्षा दी जावे। उसका कहना था कि पूर्वीय विद्यालयों के शिक्षालयों को बन्द कर देना चाहिये। भारतीय अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। अंग्रेजी भाषा मन्कृत तथा अरबी की अपेक्षा आप्त मरल है। उसका कहना था कि "a single shelf of a good European library was worth the whole native literature

1. The "missionaries soon realised that schools were both the cause and the effect of proselytisation and educational and missionary work had to be undertaken side by side; and it is out of this realisation that the mission schools of modern India were born." Nurullah and Naik, A Student's History of Education in India, p. 33.

of India and Arabia" उम्मा विश्वास था कि अंग्रेजी मसालों की भाषाओं में सबसे अधिक है। मसालों का वास्तविक उद्देश्य यह था कि अंग्रेजी शिक्षा का फलस्वरूप अंग्रेजी मसालों का भारत में बड़ा प्रान्त हो जायेगा तथा भारतीय ईसाई-धर्म की स्वीकार करेगा।

सन् १८३१ के पञ्चान भारत में अंग्रेजी शिक्षा फैलाने लगी। इसका कारण यह था कि भारत में शिक्षा का सरकारी महत्त्व बन्द कर दी गई। इस काल में मिशनरियां न भी शिक्षा के प्रचार में भाग लीं। सन् १८३५ में जब कम्पनी के प्रान्तों का नवीनकरण हुआ हाउस ऑफ कॉमन्स की एक समिती ने भारत में शिक्षा के विचार की जांच की। इस जांच पर आधारित कर कम्पनी के डाइरेक्टरों ने भारत में सरकार के पास एक शिक्षा-सम्बन्धी पत्र (despatch) भजा जो कि यह था शिक्षा सम्बन्धी पत्र कहलाता है। Sir Charles Wood कम्पनी के वाइस-रॉय का महापति था। उसमें कई सुझाव दिये गये थे जैसे कि देश में विश्वविद्यालय स्थापित किये जाय, प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा को बढ़ाया जाय, माध्यमिक शिक्षालयों को कुछ आर्थिक सहायता दी जावे, टेक्निकल शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा का प्रबन्ध हो, शिक्षकों के लिये स्कूल खोले जायें और प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा विभाग का एक डाइरेक्टर नियुक्त हो।

इन सुझावों को भारत सरकार ने मान लिया। सन् १८५७ में भारत में तीन विश्वविद्यालय स्थापित हुए—कलकत्ता, बम्बई व मद्रास। प्रान्तों में एक शिक्षा विभाग स्थापित किया गया था। शिक्षा के सम्बन्धित अधिनियमों की भी निपटणें की गईं। सन् १८५४ के बाद सरकार ने शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। सन् १८८२ में हर्टर कमीशन की नियुक्ति हुई। इसने यह राय दी कि प्रारम्भिक शिक्षा का विशेष रूप में उत्साहित किया जाय और आर्थिक सहायता बढ़ा दी जावे। इसी वर्ष पंजाब में विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। सन् १८८७ में प्रयाग में एक विश्वविद्यालय खुला। ये सब विश्वविद्यालय सम्मिलित (affiliated) थे। इस काल में कालिदा की समस्या भी बढ़ी।

लाइवर्जने ने सन् १९०४ में एक यूनियनिसटी ऐक्ट पास किया। उसमें विश्वविद्यालयों को कुछ अधिक सरकारी नियन्त्रण में लाया गया। इसका मुख्य कारण यह था कि देश में राजनीतिक चेतना बढ़ रही थी। इसलिये सरकार हमारी शिक्षा को अधिकधिक अपने नियन्त्रण में रखना चाहती थी।

सन् १९१० में केन्द्रीय सरकार के अधीन एक अलग शिक्षा विभाग खोला गया। सन् १९१९ के ऐक्ट में प्रान्तों में शिक्षा विभाग मन्त्रिमंडल के हाथ में आ गया। इस काल के बाद देश में शिक्षा का तेजी से प्रसार हुआ। नये-नये स्कूल तथा कॉलेज खोले। लड़कियों में भी शिक्षा बढ़ी। टेकनिकल स्कूल भी खोले गये। कई नये विद्यालय खुले। सन् १९२७ के परपात शिक्षा का और भी विकास हुआ। हर वर्ष विद्यापियों की संख्या बढ़ती जा रही है तथा नये-नये स्कूल, कॉलेज खुल रहे हैं। परन्तु इतना होने पर भी अभी हमारी जनसंख्या का एक-तिहाई भाग में भी कम शिक्षित है। हमारी सरकार के सम्मुख इस समय शिक्षा को दूर करने की विकट समस्या है।

शिक्षा विभाग का संगठन.—सविधान द्वारा शिक्षा राज्यों का विषय है। परन्तु सद्य सरकार में भी एक शिक्षा विभाग है। इसके अधीन कुछ विश्वविद्यालय हैं—अलीगढ़, बनारस, दिल्ली तथा विश्वभारती और वे सब टेकनिकल स्कूल हैं जिनको संघ सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। यह विभाग एक मंत्री के अधीन है। मंत्री की सहायता के लिये एक सचिवालय है। इस समय के० एल० श्रीमती शिक्षा मंत्री हैं। प्रत्येक महोद्य राज्य (प्रदेश) में भी एक शिक्षा विभाग होता है जो कि एक मंत्री के अधीन होता है। मंत्री की सहायता के लिये एक सचिवालय होता है शिक्षा सचिव के अतिरिक्त एक शिक्षा विभाग का डाइरेक्टर होता है। यह शिक्षा का मुख्य अधिकारी है। उसके नीचे अन्य अफसर होते हैं। कई शिक्षालय पूर्णतः सरकार द्वारा चलाये जाते हैं। कई प्राइवेट स्कूल तथा कॉलेज भी हैं। इनको सरकार आर्थिक सहायता देती है। इन पर भी सरकारी नियन्त्रण होता है। प्रारम्भिक शिक्षा संस्थाओं, नगरपालिकाओं तथा जिला बोर्डों द्वारा चलाई जाती हैं। ये भी सरकारी नियन्त्रण से परे नहीं हैं।

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था.—इन व्यवस्था के अन्तर्गत (टेकनिकल शिक्षा के अतिरिक्त) शिक्षा को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है। प्रत्येक का क्रमशः अधिकतम वर्णन किया जावेगा—

(१) प्रारम्भिक शिक्षा.—प्राथमिक काल में प्रारम्भिक शिक्षालयों की स्थापना सबसे पहले बंगाल में १८८५ में की गई। इसके बाद क्रमशः अन्य प्रान्तों में भी सरकार ने इस ओर ध्यान दिया। सन् १८८२ में हन्टर कमीशन ने यह सिफारिश की थी कि प्रारम्भिक शिक्षा स्थानीय सरवाजों के क्षेत्र

में बर दी जावे। नगर में नगरपालिकाएं तथा गावा में जिला बोर्ड इसका प्रबन्ध करते हैं। इन पर नियन्त्रण होता है। पहिले प्रारम्भिक स्कूल दो प्रकार के होते थे—लोकप्र प्राइमरी तथा अपर प्राइमरी। लोकप्र प्राइमरी केवल दूसरी कक्षा तक होते थे। अपर प्राइमरी चौथी कक्षा तक होते थे। परन्तु अब यह भेद हटा दिया गया है। प्रारम्भिक शिक्षा लोकप्रिय न हो सकी। गावों में बहुत कम लोग अपने बच्चा को इन स्कूलों में भेजते थे। हमारे रिपेन्सी शासकाने प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार पर कम ध्यान दिया। परन्तु अब हमारी सरकार इस ओर अधिक ध्यान दे रही है। घनाभाव के कारण इस दिना में सफलता सीमित ही है।

प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था अत्यन्त दोषपूर्ण है। अब इन दोषों को हटाने की चेष्टा की जा रही है, परन्तु अभी केवल इन दिशा में पहला पग ही उठाया गया है।

इसके साथ ही सबसे बड़ा दोष यह है कि यह अनिवार्य नहीं है। इसके कारण सब बच्चों इस का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अब सरकार ने नगरपालिकाओं के क्षेत्र में इसको अनिवार्य कर दिया है, परन्तु जिला बोर्डों के क्षेत्र में अभी तक अनिवार्य व्यवस्था नहीं हुई है। इन स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है। वह जीवन से सम्बन्धित नहीं है। इसलिये व्यावहारिक जगत में वह व्यर्थ है। गाँव के बालकों को कृषि या अन्य गृह-उद्योगों की शिक्षा नहीं दी जाती है। इसलिये ऐसी शिक्षा प्राप्त कर बालकों में यह स्वाभाविक है कि शारीरिक श्रम के प्रति घृणा ही जावे। अधिकतर बालक अपनी शिक्षा को बिना पूरा किये ही बीच में से ही छोड़ देते हैं। इनका फल यह होता है कि उनके ऊपर व्यय किया हुआ पण बेकार बला जाता है। इस दृष्टि में प्रारम्भिक शिक्षा अत्यन्त अर्थहीन है। सन १९२९ में हारटोग समिटी ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात की ओर ध्यान आर्पित किया था। जो बालक गाँवों में प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कर लेते हैं उनमें से अधिकांश प्राथमिक कठिनाइयों के कारण आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस दृष्टि से भी उनकी शिक्षा अचूरी ही रह जाती है।^१ प्रारम्भिक शिक्षा में कई दोष इस कारण भी हैं क्योंकि इस पर आवश्यकता से कम व्यय किया जाता है।

* 1 In the primary system the waste is appalling so far as we can judge, the vast increase in numbers in primary schools produces no commensurate increase in literacy, for only a small proportion of those who are at the primary

इसका परिणाम यह है कि प्रारम्भिक स्कूल के शिक्षकों को वेतन बहुत कम मिलता है। इनसे हममें योग्य शिक्षकों का अभाव है। ये अध्यापक ठीक प्रकार से नहीं पढ़ाते हैं और न अपने काम में उन्हें रूचि ही रहती है। ये अध्यापक स्वयं ही परे शिक्षित नहीं हैं, इसलिए उनकी अध्यापन प्रणाली दोगपुर्ण है। आधुनिक वैज्ञानिक-प्रथा में पढ़ाई अभी प्रारम्भ नहीं हुई है। शिक्षक स्वयं ही इस आधुनिक विद्य में अपरिचित होता है। बालकों को ठीक प्रकार से शिक्षा न देने से उनका मानसिक विकास नहीं होता। उन्हें पढ़ाई में कोई आनन्द नहीं आता। पढ़ना भी एक प्रकार का शारीरिक श्रम हो जाता है। इन स्कूलों में बच्चों के मनोविनाश की ओर भी ठीक ध्यान नहीं दिया जाता है। उनके खेल-कूद की सुविधाएँ कमव्यय-जनक हैं।

परन्तु अब सरकार इन दोषों को दूर करने के लिए अभिनव हुई है। हमारे सविधान में कहा गया है कि सरकार १४ वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा का प्रबन्ध करेगी। इस दिशा में कुछ काम किया गया है। परन्तु अभी पूर्ण रूप से इस उद्देश्य की प्राप्ति बहुत दूर है। प्राग्भिक स्कूलों की मर्यादा में वृद्धि हुई है। सन् १९५३ के अन्त तक देश में इनकी मर्यादा २,०१,०८२ तथा इनमें विद्यार्थियों की मर्यादा १,९२,९६,८४० थी। सम्पूर्ण भारत में प्राग्भिक शिक्षा पर वार्षिक कुल खर्च ३१ मार्च, १९५३ को ४३७ करोड़ रुपया था। विविध प्रदेशों में वहाँ की सरकारें प्राग्भिक शिक्षा को फैलाने के लिये प्रयत्नशील हैं तथा उपर्युक्त दोषों को भी दूर करने का भी प्रयत्न कर रही हैं। प्राग्भिक शिक्षा को वैदिक शिक्षा के सिद्धान्तों पर चलाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसीलिये हृषिकेश, कानार-दुर्गाई, बड़दोरी चमड़े का काम, आदि की भी शिक्षा दी जा रही है। इन वैदिक स्कूलों के पास दो एकड़ भूमि प्रति स्कूल होगी। आशा है कि कुछ वर्षों में प्राग्भिक स्कूलों का स्थान वैदिक स्कूल ले लेंगे। केन्द्र के द्वारा प्रदेशों को इस सुधार के लिये आर्थिक सहायता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में १९५० में जूनियर वैदिक स्कूलों की मर्यादा ३१,७११ थी। सन् १९५३ में यह मर्यादा ३३,७३७ हो गई थी। इस शिक्षा में सबसे प्रथम तथा मुख्य आवश्यकता यह है कि अधिक व्यय किया जावे। शिक्षकों को अच्छा वेतन दिया जावे तथा इन्हें शिक्षक नियुक्त होने के पूर्व नली प्रकार से बालकों को किस प्रकार आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से शिक्षा देनी चाहिये, इसका ज्ञान होना चाहिये। इसलिये शिक्षकों

stage reach Class IV, in which the attainment of literacy may be expected. The wastage in the case of girls is even more serious than in the case of boys." (Hartog Committee Report).

के लिये शिक्षण सम्बन्धों मूलनी चाहिये। देश में निःशुल्क अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा के लिये २८ लाख अर्ध्यापना की आवश्यकता है। इस समय देश में इनकी संख्या केवल ५ ६१ ००० ही है। परन्तु इस दिशा में उन्नति हो रही है। शिक्षकों की नियुक्ति करने समय इस बात का मद्दबा ध्यान में रखना चाहिये कि वे योग्य तथा मन्त्रिण हैं। क्योंकि वाठका के ऊपर जिन प्रकार का प्रभाव इस समय पड़ेगा वह जन्म भर बना रहेगा। यह नहीं सोचना चाहिये कि प्रारम्भिक शिक्षा के लिये योग्य व्यक्ति नहीं चाहिये। इन स्कूलों में वाठका के गैल-बूद तथा मनाजिनाद का भी पूरा ध्यान रखना चाहिये। वाठका का यह नहीं प्रतीत होना चाहिये कि पढ़ना वाई भार है। उन्हें पढ़ने के लिये स्वयं उत्कृष्ट बनाना चाहिये। यह सभी सम्भव है जब कि स्कूलों में सामूल सुधार किये जावें। स्कूलों में सुधारों का फल यह होगा कि अधिकाधिक बालक इनकी ओर आकर्षित होंगे। प्रारम्भिक शिक्षा बढ़ेगी। हमारा पूरी तरह फैलाने के लिये तथा निरक्षरता का दूर करने के लिये उस शिक्षा का अनिवार्य तथा निःशुल्क बन देना चाहिये।

माध्यमिक शिक्षा—सन् १९२१ के पञ्चाब्द भाग्य में माध्यमिक शिक्षा का प्रकार काफी लजी म हुआ। नये-नये स्कूल तथा कॉलेज (सुर, ग्रामीण क्षेत्रों में तथा कच्चा में भी माध्यमिक स्कूल खड़े। कुछ तो सरकारी थे तथा कुछ धर्म सरकारी। स्त्रियां तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया गया। उस प्रगति का कारण यह था कि देश में राजनितिक जागृति के कारण ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बढ़ रही थी। देश में माध्यमिक शिक्षा की प्रगति दिन पर दिन लजी म हो रही है। माध्यमिक शिक्षा मिडिल स्कूलों में, हाई स्कूलों में तथा इंटरमीडिएट कॉलेजों में दी जाती है। ये शिक्षा सम्बन्धों दो प्रकार की हैं— सरकारी तथा गैर सरकारी। सरकारी सम्बन्धों में सरकार ही शिक्षक नियुक्त करती है तथा उनका पूरा खर्च वहन करती है। गैर सरकारी सरवालों भी सरकारी नियंत्रण में हैं। सरकार उन्हें जागिर आवधिक महायता देती है। सरकार इन शिक्षाओं का वाथों का निरीक्षण करने हेतु इन्स्पेक्टरों नियुक्त करती है। ये वर्ष में एक बार इन शिक्षाओं का निरीक्षण करते हैं।

माध्यमिक शिक्षाओं के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी, हिन्दी या अन्य प्रादेशिक भाषा इतिहास भूगोल, नागरिकशास्त्र, गणित, विज्ञान इत्यादि विषयों तथा कई अन्य विषय हैं। इनमें से कुछ अनिवार्य हैं तथा कुछ वैकल्पिक, जिनका विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार छोट लेते हैं।

विभिन्न प्रदेशों (States) में इनका संगठन अलग-अलग प्रकार से किया गया है। कुछ प्रदेशों में ९वीं, १०वीं तथा इंटर कक्षाओं के लिये एक बॉर्ड स्थापित किया गया है। उड़ी, नातवी तथा माठवी कक्षाओं का प्रबन्ध अलग संगठन द्वारा किया जाता है। कुछ प्रदेशों में माध्यमिक शिक्षा विश्व-विद्यालयों के अधीन है। इन प्रदेशों में इंटर की शिक्षा विश्वविद्यालयों के द्वारा दी जाती है तथा मिडिल स्कूल तथा हाई स्कूल के लिये अलग व्यवस्था होती है।

माध्यमिक शिक्षा की श्रेणियों का वर्गीकरण भी निम्न-निम्न प्रदेशों में अलग-अलग है। कुछ प्रदेशों में पाँचवीं से नातवी कक्षा तक की शिक्षा माध्यमिक शिक्षा कहलाती है। इन प्रदेशों में इंटर शिक्षा का विश्वविद्यालयों द्वारा प्रबन्ध किया जाता है। कुछ अन्य प्रदेशों में पाँचवीं से बारहवीं तक की शिक्षा माध्यमिक शिक्षा कहलाती है। दिल्ली प्रान्त में ऐसा ही किया गया है। वहाँ इंटर की कक्षा दो भागों में बाँट दी गई है। एक वर्ष हाई स्कूल में जोड़ दिया गया है। तथा एक वर्ष ही ० ए० में। इन प्रकार हाई स्कूल, तथा ३० ए० में तीन-तीन वर्ष लग्ये। कुछ अन्य प्रदेशों में माध्यमिक शिक्षा में अर्ध नातवी से बारहवीं कक्षाओं तक की शिक्षा से है।

माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में भी कई दोष हैं। इनका सबसे बड़ा दोष यह है कि सब विद्यार्थियों को एक सी ही शिक्षा दी जाती है। उनकी प्रवृत्तियों तथा रुचि का ध्यान नहीं रखा जाता है। इनका फल यह होता है कि माध्यमिक शिक्षा-प्राप्ति के पश्चात् भी विद्यार्थी का उचित विकास नहीं हो पाता। माध्यमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें भी कई दोष हैं। वह व्यावहारिक ज्ञान नहीं प्रदान करता है। उनका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिये तैयार करना है। इसलिये माध्यमिक शिक्षा भी जीवन में अधिकांश व्यक्तियों के लिये लाभप्रद मिड नहीं होती है। माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के लिये अभी तक कोई स्थान नहीं है। विद्यार्थियों को किसी प्रकार के कला-कौशल या उद्योग की शिक्षा नहीं दी जाती है। इन शिक्षा में शारीरिक परिश्रम की ओर ध्यान ही नहीं जाता है और बाबूजीरी करना ही जीवन का लक्ष्य ही जाता है। इनमें नैतिक गुणों का भी विकास नहीं होता है। शिक्षकों को बहुत कम वेतन दिया जाता है, इसलिये उनका अपने काम में पूरी तरह रुचि न लेना स्वाभाविक है।

माध्यमिक शिक्षा में कई सुधारों की आवश्यकता है। उपरोक्त दोषों को दूर करना चाहिये। इन बातों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये कि इन शिक्षा

ए पञ्चान नवयवत भोजन में वा आग व अतिरिक्त कुछ अन्य काम भा कर सक। अमरिण वाग्द्वयम रोगर माहिसिखर वा नहा नाता चाहिये। परन्तु ध्याव गारिक भा नाता चाहिये। औशागिक तथा कनिकर गि ता वा भा पाठ्यक्रम म स्थान नाता शान्ति वरुत आग कर्त्तर विद्याविषया का अवन जावन का माग भा वन करन म मरिगा वा गिष्ठा वा यक्षर एतन मिष्ठा चाहिये और एम वात का प्ररुत नाता चाहिये कि ए समय समय पर अवन विषय व मन्व्यर म अवनता नाता रता मर।

अर माध्यमिक गि ता म मुद्रार का आर मन्व्यर ध्यान र रता ह। गिष्ठी म आरगा रता व राग विद्यार्थी व अभिजात्क का यर निश्चय करना पन्ता ह कि वर विद्यार्थी का अग किम प्रकार का गिष्ठा गिष्ठावाता चान्ता र। उता रणशय वर उम विद्या विषय पग म भाता चान्ता ह या कवर माहिसिखर गि ता गिष्ठावाता चान्ता र एमक वाग् विद्यार्थी का तान वष तर एन विषया की विषय गि ता ती अन्वगा ना कि भक्तिम म एमक काम क रिये उपयुक्त राशी।

उत्तर प्ररुत म भा सरकार न माध्यमिक गि ता म वर मन्व्यरुण मुवाव किम ह माध्यमिक गिष्ठा वा ता भागा म वाग् रिया जावगा-अनियर हाग् ररुत एनम छरी मानया तथा आरगा व ताग हागा तथा हायर मन्व्यर म्वाग् एनम एवा र एवर १ वी क ताग हागा। इम वष म उत्तर प्ररुताय गि ता विभाग द्वारा उत नूनियर वाग् म्वाग् म जा रि शमाण क्षत्रा म स्थापित है एर तथा प्रयाग आरम्भ रिया गया ह। एन क्षत्रा क विद्यार्थिया का वृषि वा धारणारिक गि ता गिष्ठा जाव रा प्ररुत रिया जायगा। प्रयक म्वाग् वर १० तारु भाग वा जावगा गिष्ठा विद्यार्थी रषि वा व्यावहारिक गान प्राप्त कर मर उम वष वरुता ६ ग यर तथा पाठ्यक्रम रागु रगा। तीन वष म वरुता ८ तर वर विद्यार्थी एम ताग पाठ्यक्रम व अन्वमाग् गिष्ठा प्राप्त करग। उत्तर प्ररुत म गि ता ग्वाग्वाग् व एन प्रयाग क मन्व्यर म एमक म्वाग् वर गिष्ठा ह कि प्ररुत वा एममग पञ्चवार प्रनितान म अरिख जनता गावा म वरी र और एमना चयवाय रषि ह। अत शमाण रशा की पाठ्याग्वाग्वा तथा विद्यार्या म वृषि की गिष्ठा एन तथा नवानतम माग्वाता एव प्रणाग्वाग्वा म वरुता वा परिचित करान वा प्रयक रिया जायगा। उगी प्रकार नगर तथा उपयुक्त अरु स्थाना म स्थान आरुव्यरताग्वा तथा मुविगाअर व अन्वमाग् अरु उद्योग वा वनानिर तथा उपाग्वाग् वर प्रचरित किम जान वा प्ररुत रिया जायगा। म्वाग् ह रि एन रभा वागा में गमाअ म छात्रा वा धनिल्लतम मन्व्यर रता। एम उदरी अधनिर एमर गिष्ठा तथा नीहरी गानुपता की भाग्वाग्वा वा अवरार मिष्ठा। एमक

प्रतिरिक्त मामुदायिक कार्यों के फलस्वरूप उनमें धर्म, प्रतिष्ठा, महत्कारिता तथा नमाज-सेवा के प्रति आदर उत्पन्न होगा।" हायर स्कूल में चार प्रकार के पाठ्यक्रम होंगे और विद्यार्थी अपनी रचि के अनुसार इनमें से एक को चुन लेंगे—साहित्यिक, कलात्मक, रचनात्मक तथा वैज्ञानिक। इस सुधार का फल यह होगा कि प्रत्येक विद्यार्थी उसी बात की शिक्षा पावेगा जिसमें उसकी रचि है। अन्य प्रदेशों में भी माध्यमिक शिक्षा को अधिक व्यावहारिक तथा लाभदायक बनाने के उद्देश्य से सुधार किए जा रहे हैं।

सितम्बर सन १९५२ में डा० ए० एन० मुदालियर को अध्यक्षता में एक माध्यमिक शिक्षा कमीशन की नियुक्ति गई। इस कमीशन का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्धित प्रश्नों की जांच करना था। उदाहरणार्थ (१) माध्यमिक शिक्षा की भारत में वर्तमान स्थिति (२) इसके पुनर्संरक्षण तथा सुधार के लिये विशेषतः इसके उद्देश्य, संगठन आदि के विषय में, इसका प्रारम्भिक, वैज्ञानिक तथा उच्च शिक्षा में सम्बन्ध के विषय में तथा अन्य सम्बन्धित प्रश्नों के विषय में, सुझाव रखना। अगस्त १९५२ को इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसकी मुख्य सिफारिशों निम्नोक्त हैं।

(घ) हाई स्कूल शिक्षा के प्रारम्भ के पूर्व ४ या ५ वर्ष प्रारम्भिक या बेसिक शिक्षा हो चुकी है। इसमें भाषा, सामाजिक अध्ययन, साधारण विज्ञान, हस्तकला आदि की शिक्षा हो। पाठ्यपुस्तकों के चुनाव के लिये एक उच्चअधिकारी समिति हो।

(ब) शिक्षा माध्यम क्षेत्रीय भाषा हो। इसके प्रतिरिक्त मिडिल स्कूल में राष्ट्रभाषा तथा एक विदेशी भाषा की शिक्षा हो जानी चाहिये।

(स) प्रारम्भिक अवस्था से ही औद्योगिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये बहुबन्धी विद्यालय खोले जाने चाहिये।

(ड) मैकेन्डी स्कूल के शिक्षकों तथा स्नातक (Graduate) शिक्षकों के प्रशिक्षण के अलग-अलग प्रेड होने चाहिये।

(ध) कृषि, उद्योग-धन्धा, व्यापार, व्यवसाय, नागरिकता में प्रशिक्षण की प्रगति के लिये केन्द्र (centre) को चाहिये कि माध्यमिक शिक्षा के लिये वित्त का प्रवन्ध करे।

उन शिक्षारिथा को कार्यान्वित करने के लिये भारत सरकार ने एक योजना तैयार कर ली है। माध्यमिक शिक्षा की मुख्य समस्याओं को हल करने के लिये एन अन्विल भारतीय समिति की स्थापना का प्रस्ताव है।

विश्वविद्यालय (उच्च शिक्षा) — भारत में उच्च शिक्षा संबंधी पत्र (१९१४ गन्) के पश्चात् सरकारने विश्वविद्यालयों की स्थापना की ओर ध्यान दिया। सबसे पहले सन् १८५७ में तीन विश्वविद्यालय कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में स्थापित किये गए। इसके बाद सन १८८२ में पंजाब तथा सन् १८८७ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अन्य विश्वविद्यालयों की स्थापना २०वीं शताब्दी में हुई।

इस समय देश में कुल ३७ विश्वविद्यालय हैं। उनके नाम नीचे दिए गए हैं।

आगरा (१९२७), अलीगढ़ (१९२१), इलाहाबाद (१८८७), आंध्र (१९०६), अनामलाई (१९२९), बनारस (१९१६), बडोदा (१९४९), बिहार (१९५०) बम्बई (१८५७), कलकत्ता (१८५७), दिल्ली (१९२२), दौहाटी (१९४८), मोरखपुर (१९५७) गुजरात (१९५०), जम्मू तथा काश्मीर (१९४९), जवहरपुर (१९५७) जायबपुर (१९५५), कर्नाटक (१९५०), कोलकाता (१९१७), कुल्हावा (१९५६), लखनऊ (१९२१), मद्रास (१८५७), पंजाब (१९५८), गंगूर (१९१६), नागपुर (१९२५) उममानिया (१९१८) पंजाब (१९४७) पटना (१९१७), पूना (१९४८), राजस्थान (१९४७), रुड़की (१९४९) सरदार वल्लभ भाई विद्यापीठ (१९५५), सागर (१९८६) एम० एन० डी० टी० स्त्री विश्वविद्यालय (१९५१) श्री वैक्टोरिया (१९५४) उत्तर (१९४३) विश्वभारती (१९२१) तथा विन्म (१९५०), इनके अतिरिक्त दिल्ली का जामिया मिलिया (१९२१) तथा पूना का वीमेन्स यूनियर्सिटी (१९०२) दो ओर हैं।

(१) शिक्षक विश्वविद्यालय (Teaching Universities) — ये उच्च शिक्षा का प्रवन्ध करने हैं तथा अपने पढ़ाए हुए विद्यार्थियों की परीक्षा लेते हैं। इनके अपने अध्यापक होते हैं। विद्यार्थियों के लिये इनमें छात्रावास भी होते हैं। इसलिए इनको Residential Universities भी कहते हैं उदाहरणार्थ प्रयाग, लखनऊ आदि।

(२) परीक्षात्मक या साधारण विश्वविद्यालय (Examination Universities) — ये उच्च शिक्षा का प्रवन्ध करने हैं जिनमें पढ़ाई होती है। ये

य स्वयं अध्यापन का प्रवन्ध नहीं करते हैं। इनमें पढ़ाई होती है। ये

कालेजों का निरीक्षण करते हैं तथा इनमें शिक्षा देने वाले विद्यापियों की परीक्षा लेते हैं। उदाहरणार्थ आगरा विश्वविद्यालय।

(३) शिक्षा तथा मम्मेलक विश्वविद्यालय — कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो स्वयं भी शिक्षा देते हैं तथा अपने अन्तर्गत कालेजों के विद्यापियों की परीक्षा भी लेते हैं। उदाहरणार्थ कलकत्ता विश्वविद्यालय।

विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा देते हैं। माधारणतः प्रत्येक विश्वविद्यालय में माइन्स, ग्राटेम, बीएम तथा ला ये चार फॅकल्टियाँ लो अवश्य हैं। इनके अतिरिक्त एपीकल्चर मेडिसिन, इंजीनियरिंग, पूर्वा विद्या, तथा अन्य फॅकल्टियाँ भी कुछ विश्वविद्यालयों में हैं। इनमें अनुसंधान कार्य भी होता है। और वे विश्वविद्यालय इन प्रकार के काम के लिये डाक्टरेट (प्राचार्य) की उपाधि प्रदान करते हैं।

विश्वविद्यालय का संगठन:—प्रत्येक विश्वविद्यालय को स्थापना एक Incorporation Act द्वारा की जाती है। अपने आन्तरिक क्षेत्र में विश्वविद्यालयों को स्वतंत्रता (autonomy) है। उन्हें सरकार ने अधिक सहायता मिलती है। कुछ रूपों वह लड़कों की फीम, परीक्षा की फीम आदि में एवज करते हैं। भारत में अलीगढ़ बनारस तथा दिल्ली के विश्वविद्यालयों को केन्द्र में सहायता मिलती है तथा वे केन्द्रीय नियम के अधीन हैं। विश्वविद्यालय भी इसी प्रकार का विश्वविद्यालय है। अन्य विश्वविद्यालय प्रादेशिक सरकारों के अधीन हैं और जहाँ ने उन्हें सहायता मिलती है।

प्रत्येक विश्वविद्यालय का एक कुलपति (Chancellor) होता है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालय में उस प्रदेश का गवर्नर ही उपकुलपति होता है। जैसे प्रयाग, आगरा, लखनऊ, विश्वविद्यालयों का कुलपति उत्तर प्रदेश का गवर्नर है। इसके नीचे एक उप-कुलपति (Vice-Chancellor) होता है। यही विश्वविद्यालय का वास्तव में मंचालन करता है। इसकी सहायता एक समिति (Executive Council) होती है। इनमें सब बातें सहमत में तय होती हैं। उप-कुलपति इसी के परामर्श के अनुसार कार्य करता है। इनके अतिरिक्त एक सभा होती है। जिसकी कुछ विश्वविद्यालयों में कोर्ट (Court) तथा कुछ में सिनेट (Senate) कहते हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय को इस बात की स्वतंत्रता है कि वह अपने कार्य को सुधार रूप में चलाने तथा अनुसंधान के लिए अध्यापकों की नियुक्ति और परीक्षाओं के सम्बन्ध में नियम बनावे।

अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड —नेटवर्क-कमीशन ने इस प्रकार के बोर्ड की स्थापना की सिफारिश की थी। मंडलर कमीशन की स्थापना सन् १९१७ में कलकत्ता विश्वविद्यालय के ऊपर रिपोर्ट करने के लिये हुई थी। परन्तु इसकी रिपोर्ट अखिल-भारतीय महत्व की थी। भारतीय विश्वविद्यालय भी इस प्रकार के बोर्ड की स्थापना चाहते थे। ताकि शिक्षा के सम्बन्ध में संयोजन (co ordination) हो सके। सन् १९२४ में शिमला में एक अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कार्यक्रम हुई तथा अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना की गई। सन् १९२५ में इसकी प्रतिवर्ष बैठक होती है। इसमें प्रत्येक विश्व-विद्यालय के प्रतिनिधि होते हैं। इन बैठक में विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विषय पर विचार विमल होता है। इस बोर्ड के नीचे लिखे कार्य हैं।

(१) यह विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच सम्पर्क स्थापित करता है तथा उनके कार्यों के बीच मयाजीकरण करता है।

(२) इसमें विश्वविद्यालयों का एक दूसरे के काम के बारे में सूचना प्राप्त हो सकती है।

(३) उच्च शिक्षा सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों में या ब्रिटिश साम्राज्यात्मक सम्मेलनों में भाग लेने के लिये भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों को नियुक्त करता है।

(४) विभिन्न विश्वविद्यालयों में होने वाली नियुक्तियों के वास्ते यह एक ब्यूरो (Bureau) का भी काम करता है।

(५) विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच शिक्षकों के आदान प्रदान में सहायता पहुँचाता है।

उच्च शिक्षा में दोष तथा सुधार के उपाय — भारतीय विद्वान तथा विचारकों ने हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली के कई दोषों की आलोचना की है। सर्वप्रथम यह शिक्षा व्यावसायिक जीवन में अधिक लाभप्रद नहीं है। अगर माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद कर्क बनने की इच्छा होती है। तो उच्च-शिक्षा प्राप्त कर लेने पर प्रत्येक नवयुवक जिलाधीश, जज या कोई और अफसर होना चाहता है। जिस शिक्षा से मनुष्य में सेवा भाव त्याग तथा तपस्या, चर्च के प्रति प्रेम आदि उदात्त गुणों का जन्म न हो वह व्यर्थ है। अंग्रेजी शिक्षा दोष है कि हमारे कुछ शिक्षा प्राप्त नवयुवक अपने को साधारण व्यक्ति से भिन्न समझते हैं। उस प्रकार इस शिक्षित व्यक्ति तथा जनता के बीच एक

बड़ी खाई बन गई है। हमारा शिक्षित वर्ग मकीपं मनोवृत्ति वाला है। यह सब शिक्षा का ही दोष है। इन शिक्षा का माध्यम अभी तक अंग्रेजी है यद्यपि कुछ विश्वविद्यालयों ने हिन्दी को ऐच्छिक माध्यम मान लिया है। इनकी फल यह होता है कि हमारे विद्यार्थियों का अधिक समय तो इन विदेशी भाषा की सीखने में लग जाता है। और अन्य विषयों पर वे पूरा ध्यान नहीं दे सकते हैं। इन शिक्षा में विद्यार्थियों के नैतिक चरित्र के विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में सफलता प्राप्त करना रह जाता है। विद्यार्थी वर्ष भर केवल परीक्षा की ही सोचते हैं। और क्योंकि घोंडा बहुत पड़कर साधारणतः पास हो ही जाते हैं इसलिए अधिकतर विद्यार्थी वर्ष में अधिकतम समय ध्येय नष्ट करते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अधिकतर विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं केवल इसलिए आते हैं क्योंकि उनको कोई उपयुक्त नौकरी नहीं मिल पाती है। देश में बेकारी के कारण विश्वविद्यालयों में प्रतिवर्ष विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। विश्वविद्यालय में औद्योगिक तथा टेक्निकल शिक्षा का अभाव है। मैडलर कमीशन ने ३३ वर्ष पूर्व इन बातों पर जोर दिया था कि विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की शिक्षा का प्रबन्ध हो।¹ बनारस, मलीगढ़ तथा कुछ अन्य विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की शिक्षा का प्रबन्ध है। परन्तु अन्य विश्वविद्यालय आर्थिक कारणों से इस दिशा में विशेष काम नहीं कर पाये हैं।

दूसरे कुछ वर्षों में विश्वविद्यालयों की शिक्षा का स्तर गिर रहा है। संघीय लोक सेवा आयोग ने इन समस्याओं का ध्यान आकर्षित किया था। परन्तु अभी सुधार की चेष्टा नहीं की गई है। इसका कारण यह है कि विश्वविद्यालयों के मन्दर समितियों के सदस्य आपस की दलबन्दी में इतना अधिक उलझे रहते हैं तथा अपने स्वार्थी हित को पूरा करने में इतना अधिक मगन रहते हैं कि उन्हें अन्य बातों के लिए समय का अभाव हो जाता है। जहाँ पर वैदिक योग्यता तथा नैतिक-चरित्र केवल इन्हीं की योग्यताओं को ध्यान में रख नियुक्तियाँ आदि होनी चाहिये वहाँ पर यह देखा जाता है कि इन योग्यताओं का कोई मूल्य नहीं और अभ्यापकों की नियुक्ति में इस बात का अधिक ध्यान रखा जाता है कि वे किसके भाई-भतीजे हैं।

1. "It is an important and, indeed a necessary function of a university to include applied science and technology in its courses and to recognize their systematic and practical study by degrees and diplomas"

अगर हम अपनी उच्च शिक्षा का स्तर ऊँचा करना है तथा इसे व्यक्ति और देश के लिये लाभदायक बनाना है तो इसमें नीम्नातिशील सुधार बरन चाहिये। इसलिए शिक्षा अंग्रेजी माध्यम द्वारा न दी जाकर हिन्दी अथवा प्रादेशिक भाषा द्वारा दी जाय। विश्वविद्यालयों में अनुसंधान तथा शोध कार्य को महत्त्व दिया जाना चाहिये। शिक्षकों की नियुक्ति योग्यता के ऊपर होनी चाहिये न कि उनकी जाति या वंश पर। विश्वविद्यालयों को खर्च यहाँ की भीड़ कम करने के लिये एम० ए० तथा शोध-कार्य के लिये आये विद्यार्थियों तक ही अपने को सीमित रखना चाहिये। एम० ए० से निम्न कक्षाएँ विश्वविद्यालयों में सम्बन्धित कारुणा में होनी चाहिये। व्यावसायिक शिक्षा की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की गगन्या पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। अनुशासनहीनता में तात्पर्य केवल यह नहीं रहना चाहिये जैसा कि मांगरणत शिक्षा अधिकारियों के द्वारा किया जाता है कि विद्यार्थियों में उन राजनीतिक दलों का भी प्रभाव है जो कांग्रेस के विरोधी हैं। परन्तु मुख्यतः नैतिक पक्ष की ओर ध्यान देना चाहिये। यह भ्रत्यत ही खेद का विषय है कि कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में महिला छात्रों के प्रति विद्यार्थियों का व्यवहार उदरसाधन तथा कुछ मात्रा तक अस्वीकार्य है। इस दशा में शिक्षा अधिकारियों को पूरा ध्यान देना चाहिये जिस देश का आदेश था कि मित्रों दवियों है वहाँ के विद्यार्थियों को ऐसा व्यवहार सोम नहीं देना। यह सत्य है कि अधिकांश विद्यार्थी सम्य तथा सुमृष्ट हैं।

विश्वविद्यालय आयोग (University Commission) —
 भारत सरकार ने विश्वविद्यालयों में सुधार के उद्देश्य में एक आयोग नवम्बर सन १९४८ में नियुक्त किया था। इसके अध्यक्ष सर सचपल्ली राधाकृष्णन थे। इसके अन्य सदस्य भारत तथा विदेशों के प्रमुख शिक्षा विशेषज्ञ थे। इस आयोग ने सब विश्वविद्यालयों तथा कई प्रमुख कॉलेजों का निरीक्षण करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट सन १९४९ में सरकार को दी। इस रिपोर्ट की अधिकतर सिफारिशों का २३ अप्रैल सन १९५० की बैठक में Central Advisory

‘The Universities must make provision for the efficient training of personnel needed for industrial development of the country’ Nurullah and Naik, Ibid, p 237

। विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता के लिये दविये— विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता रखव श्री हुमायूँ खवीर ।

Board ने मान लिया था। धनाहर्ष भविष्य में सरकार इन निदेशों को लागू करेगी। देश में कुछ लोगों ने कमीशन की रिपोर्ट को कुछ निदेशों की धारणा की। प्रयाग लखनऊ तथा विश्वविद्यालय के कई अध्यापकों ने इन रिपोर्टों की समन्वयजनक बनलाई। इनमें निम्नलिखित मुख्य निदेशों की सूची—

(१) इण्टरमीडिएट कक्षा हटा दी जावे। हायर सेकेंड्री कोर्स तथा बी० ए० कोर्स दोन-तीन वर्ष के हों।

(२) प्रत्येक छात्र को हिन्दी का अध्ययन कराया जाय। परन्तु जब तक हिन्दी में प्रमाणित पुस्तकों का अभाव है तब तक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रहे।

(३) विश्वविद्यालय में केवल वे ही भर्ती किए जायें जिनको इन प्रकार की शिक्षा में लाभ होगा। शेष विद्यार्थी औद्योगिक तथा व्यावसायिक कालेजों में भर्ती हों। विश्वविद्यालय में तभी विद्यार्थियों को भर्ती किया जाय जब कि वे इनके पूर्व १२ वर्ष की शिक्षा समाप्त कर चुके हों।

(४) शिक्षक तथा विद्यार्थियों के बीच सम्पर्क बढ़ाने के लिये ट्यूटोरियल (Tutorial) कक्षाएँ हों।

(५) विश्वविद्यालयों में छुट्टियों की संख्या कम कर दी जावे।

(६) किमी विषय के ऊपर किसी विशेष पुस्तक के आधार पर पढ़ाई के स्थान में शिक्षक विद्यार्थियों को उस विषय पर अधिवाचित पुस्तकें पढ़ने को उन्माहित करें।

(७) ग्राम विश्वविद्यालयों की स्थापना की जावे ताकि उनमें शिक्षा प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी गाँवों के जीवन में भाग ले सकें। यहाँ उन्हें कृषि, ग्रामसुधार आदि विषयों में सम्बन्धित बातों की शिक्षा दी जावेगी।

(८) अध्यापकों के वेतन में वृद्धि की जावे।

(९) इन विषयों पर अधिक ध्यान दिया जाय—कृषि, व्यवसाय, शिक्षा, इंजीनियरिंग और औद्योगिक विज्ञान, विधि शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र।

(१०) सरकारी सेवाओं के लिये विश्वविद्यालय की किसी छात्रसंघन मननी जाय।

टेकनिकल तथा औद्योगिक शिक्षा — इस प्रकार की शिक्षा का राष्ट्र के जीवन में विशेष महत्व होता है। पहले लिखा जा चुका है कि सैडलर कमीशन में इस प्रकार की शिक्षा की ओर ध्यान देने पर जोर दिया था। परन्तु दस में इस प्रकार की शिक्षा देने वाली संस्थाओं की अत्यन्त कमी है। यह कहा जाता है कि हमारी औद्योगिक प्रवृत्ति का एक प्रमुख कारण टेकनिकल तथा व्यावसायिक शिक्षा की कमी है। सन् १९४७ ८८ में दस में निम्नलिखित स्तर तथा कॉलेज थे जिनमें पेशे सम्बन्धी तथा व्यावसायिक शिक्षा का प्रवन्ध था।¹

	स्तर	कॉलेज
इंजीनियरिंग तथा टेकनोलोजी	५१७	२९
मैडिसिन तथा नैटेरिनरी	३९	४१
कृषि तथा वन सम्बन्धी	४१	२२
कानून	—	२०
शिक्षण संस्थाएँ	७१५	७१
वाणिज्य	४११	२१

ऊपर दिए हुए रेखाचित्र में यह स्पष्ट हुआ कि भारत जैसे देश में इस प्रकार के शिक्षाया की कितनी कमी है। इसका कारण यह है कि विदेशी शासन ने इस प्रकार की शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया। परन्तु अब इस प्रकार की शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। आशा है भविष्य में हम ओर अधिक ध्यान दिया जायेगा।

हमारे देश में औद्योगिक तथा टेकनिकल शिक्षा का विकास करने के लिये सन १९३६ में एक कमेटी की स्थापना की गई थी। इन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि देश में कुछ जूनियर तथा सीनियर ब्रॉडशेनल स्कूल खोले जाय तथा प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय सरकार को परामर्श देने के लिये एक परामर्श-दात्री समिति नियुक्त की जाय। सन १९४१ में इस कमेटी की सिफारिशों के अनुसार दिल्ली में एक पोलिटेक्निक की स्थापना हुई।

1. ये आँड्रे Hindustan Year Book 1955 p 316 में लिखे ग.
हैं।

युद्ध काल में टेक्निकल शिक्षा में मुझाव रखने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी। इनके अध्यक्ष श्री माजेंट थे। इन समिति के नीचे लिये तीन प्रकार के टेक्निकल स्कूल खोलने की राय दी—

(१) जूनियर टेक्निकल या ट्रेड स्कूल—इसमें वे विद्यार्थी भर्ती होंगे जिन्होंने १४ वर्ष की उम्र के लगभग मीनियर वैनिक स्कूल पान किया है। इनका पाठ्यक्रम दो वर्ष का होगा।

(२) टेक्निकल हाई स्कूल—इनका पाठ्यक्रम ६ वर्षों का होगा। इसमें वे भर्ती होंगे जिन्होंने ११ वर्ष की उम्र के लगभग जूनियर वैनिक स्कूल पान किया है।

(३) मीनियर टेक्निकल इन्स्टीट्यूट—ये तीन वर्ष के पाठ्यक्रम के बाद डिप्लोमा प्रदान करेंगे। ये उन लोगों के लिये होंगे जो कि नौकरी पेशे में हों परन्तु इन प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। ये पार्ट-टाइम (part time) स्कूल होंगे।

सरकार अब इस प्रकार की शिक्षा को फैलाने के लिये कार्य कर रही है। बिना इसके देश के औद्योगिकरण में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

सन् १९५५ में औद्योगिक शिक्षा के लिये सक्रिय भारतीय समिति (All India Council for Technical Education) की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई। इसका कार्य सरकार उच्च औद्योगिक शिक्षा के सम्बन्ध में परामर्श देना है।

सरकार द्वारा चार औद्योगिक शिक्षालयों की स्थापना की जायगी। इनमें से तीन लखनपुर, कानपुर तथा बम्बई में स्थापित हो चुके हैं। चौथे की स्थापना अगस्त में की जायगी।

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में वैज्ञानिक-सोध तथा औद्योगिक शिक्षा का एक विभाग है जो कि एक मंत्री के अधीन है।

अन्य संस्थाएँ:—देश में कुछ अन्य शिक्षा संस्थाएँ भी हैं। इनमें से कुछ राष्ट्रीय जागृति या धार्मिक जागृति के फल हैं—जैसे गुरुकुल (हरद्वार), महिला विश्वविद्यालय (बम्बई), जामिया मिलिया (दिल्ली), दाएल्लूम (देवबन्द), महिला विद्यापीठ (प्रयाग), हिन्दी विश्वविद्यालय (प्रयाग)। इनमें से प्रत्येक का अपना पाठ्यक्रम है। पहले शांतिनिकेतन भी इसी बौद्धि में था, परन्तु अब सरकार ने उसे विश्वविद्यालय स्वीकृत कर लिया है।

देश में कुछ अंग्रेजी या अमरिक्न मिशन के भी स्कूल हैं। इनमें मुख्यतः अंग्रेजी शिक्षा दी जाती है। देहरादून में तथा नैनीताल में अंग्रेजी पब्लिक स्कूलों की तरह के स्कूल खुले हैं परन्तु ये दोनों व्यक्तियों के वच्चा के लिये ही हैं। कुछ जन्मा के स्कूल मीष्टेगैरी देश में शिक्षा देते हैं। अजिबल यह प्रथा बहुत प्रचलित हो रही है।

हमारी शिक्षा की समस्याएँ—इन समस्याओं में मुख्यतः तीन हैं—
(१) जन शिक्षा, (२) स्त्री शिक्षा, (३) गर शिक्षा। प्रत्येक का गतिवत् वर्णन किया जायगा।

(१) जन शिक्षा—१५० वर्षों के विदेशी शासन काल में हमारे देश में आधुनिक शिक्षा का कुछ विकास तो हुआ परन्तु जनतास्था का अधिकांश भाग अधिक्षित ही रह गया। हमारे देश में समाज के अल्प गम्य दत्ता की अर्पणा अधिक्षिता की गम्या गरमे अधिक् है ? अधिक्षा के सामाजिक, सांस्कृतिक आर्थिक दुष्परिणामों का बतलाया जा चुका है ? दुर्गम्ये यह आवश्यक है कि देश में निरक्षरता को दूर किया जावे। यह अमम्भव नहीं है। कम से ७० वर्षों के अन्दर अपने-अपने में अधिक्षा को गमल नष्ट कर दिया। आधुनिक चीन भी इस दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है। हमारी सरकार ने भी इस दिशा में कदम उठाया है। म्यान-म्यान पर नए प्रारम्भिक स्कूल तथा रात्रि पाठशालाओं की स्थापना की गई है। लेखा तथा भाषणा द्वारा जनता को शिक्षित करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

जन शिक्षा के सम्बन्ध में दो योजनाओं का गतिवत् विवरण आवश्यक प्रतीत होता है—गांधी जी की वर्धा योजना तथा माजेंट योजना।

(अ) वर्धा योजना—मार्च १९३८ में डा० जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में वर्धा में गर कमेटी की स्थापना हुई थी। उगने अपनी रिपोर्ट दी और ७ की गिकाशिक्षा का Wardha Scheme of Basic Education जाता है। यह निम्नदेह भारत की अधिक्षा को दूर करने की गरम बड़ी योजना है। इस अर्थ में यह एन शान्तिकारी योजना है। गरंप्रथम गांधी जी ने सन् १९३७ में अपने एन लेख में इस योजना का रेखा चित्र रखा था। इसमें चार मुख्य बातें हैं—

(क) यह योजना मुख्यतः गांधी के लिये है, क्योंकि गांधी में अधिक्षा नहरा ग अधिक् है। परन्तु यह नगरा में भी लागू हो सकती है। इसका उद्देश्य गर वच्चा के लिये अधिवायं तथा निशुक्त शिक्षा का प्रयत्न करना है।

(ख) यह केवल प्रारम्भिक शिक्षा की योजना है। इसका पाठ्यक्रम मान दप का है।

इसका उद्देश्य माधारण शिक्षा के माध-माध किमी प्रकार की दम्तवारी निखाना भी है। यह दम्तवारी ही बालक के मानसिक विकास का मुख्य माधन बनाई जायेगी।

(ग) इन शिक्षा के द्वारा जनता के ऊपर कोई नया कर नहीं लाया जायगा क्योंकि यह शिक्षा दन्तुत घातन-निर्भर होगी। क्योंकि यह विचार था कि इन शिक्षा संस्थाओं में जो माल बच्चों द्वारा तैयार होगा उनकी बित्री ने पर्याप्त धनदनी ही जायेगी।

(घ) यह शिक्षा भतू-भाषा के माध्यम द्वारा दी जायेगी। इनमें बच्चों को शिक्षित होने में सहूलियत होगी।

बर्षा शिक्षा योजना कम खर्च में भारत में निरक्षरता को दूर करना चाहती है। इसके माध ही माय यह शिक्षा देना चाहती है जो कि जीवन में बालकों के लिये लाभप्रद तथा उपयोगी होगी। इसका यह उद्देश्य था कि गाँवों में जो बहूतरे निवासी नगरों को घा रहे हैं उनमें रोका जान। इस योजना के प्रवर्तकों का ठीक ही विचार था कि अभी तक जैसी अवस्था है उनमें भारत का उदार तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि गाँवों की दशा में सुधार न हो।

(च) सार्जेण्ट योजना:—बर्षा योजना केवल प्रारम्भिक शिक्षा की योजना थी परन्तु सार्जेण्ट योजना माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की भी योजना है। सरकार ने एक कमेटी बूझोत्तर भारत में शिक्षा विकास की योजना प्रस्तुत करने की नियुक्त की थी। इसकी रिपोर्ट म् १९४४ में प्रकाशित हुई। इन कमेटी के अध्यक्ष मर जीन सार्जेण्ट थे, इनलिये यह सार्जेण्ट योजना बहूतार्ई संज्ञेय में इस योजना के अनुसार:—

(म) प्रारम्भिक शिक्षा के पूर्व नर्सरी स्कूलों में छोटे-छोटे बच्चों की शिक्षा होगी। यह निशुल्क होगी। परन्तु अनिवार्य नहीं होगी। इनको पूर्व-प्रारम्भिक शिक्षा कहा गया है। इसमें २ से ६ वर्ष की अवस्था के बच्चे होंगे।

(ब) प्रारम्भिक शिक्षा निशुल्क तथा अनिवार्य होगी। इनमें दो ब्रेड होंगे—जूनियर बेनिक शिक्षा तथा सीनियर बेनिक शिक्षा। पहले में ६ से ११ वर्ष तथा इनमें ११ से १४ वर्ष की उम्र के बच्चे (बालक तथा बालिकाएँ) होंगे। इस क्षेत्रों में माधारण मान के प्रतिरिक्त कोई एक उद्योग की भी शिक्षा

दी जावेगी। इसमें से केवल वही विद्यार्थी आगे पढ़ने का सकेगा जो कि उच्च शिक्षा के योग्य समझे जावेगे।

(म) प्रारम्भिक शिक्षा के बाद हाई स्कूल की शिक्षा होगी। इसका पाठ्यक्रम ६ वर्ष का होगा। ११ वर्ष से १७ वर्ष तक। जो विद्यार्थी जूनियर बेसिक पाम करने के बाद योग्य समझे जायेंगे व हाई स्कूल में भेजे दिये जायेंगे। सेप सीनियर बेसिक करेग हाई स्कूल दो प्रकार के होंगे—एक academic और दूसरे technical। पहला विश्वविद्यालय के लिये विद्यार्थियों का तैयार करेगा और दूसरा किसी पेशे के लिए।

(द) विश्वविद्यालय में केवल योग्य विद्यार्थी ही भर्ती किये जायेंगे। गरीब तथा योग्य विद्यार्थियों का अधिक महत्त्व दी जावेगी ताकि वे अपना अध्ययन पूरा कर सकें। केवल इसी प्रकार शिक्षा का स्तर ऊँचा हो सकता है।

(८) इस योजना में हम दाता के अतिरिक्त व्यापारिक तथा व्यवसायिक शिक्षा प्रौढ शिक्षा आदि के ऊपर भी मुझाव था।

इस योजना के कई मुझावों को अन्तर्ग विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा मान लिया गया है। माजेंट योजना तथा वधा योजना दोनों ही हमारे देश में निरक्षरता का दूर करने चाहते हैं। वहाँ योजना बहुत कम खर्चीली है। माजेंट योजना केवल प्रारम्भिक शिक्षा की ही योजना नहीं है। इसका धन सखिद व्यापक है।

(२) स्त्री-शिक्षा — जैसे पहले लिखा जा चुका है प्राचीन भारत में स्त्री शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था और कई विदुषियाँ उस वक़्त जिनका नाम आज तक हम नहीं भूलते हैं। परन्तु समय स्त्री शिक्षा को नली गई और बाद का तो केवल प्रारम्भिक शिक्षा ही उनका साधारण प्राप्त थी। मध्यकाल में देश में पढ़ाई का बहुत अधिक प्रचलन हो गया था। और इस कारण स्त्रियों का क्षेत्र कबल घर ही रह गया था। ऐसी दशा में यह स्वाभाविक था कि उनकी शिक्षा की ओर उचित ध्यान न दिया जावे। कालान्तर में स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार बिल्कुल ही नहीं रहा। परन्तु आधुनिक काल में पुनः इस बात को सब विचारवान व्यक्ति समझने लग गए हैं कि बिना स्त्रियों को शिक्षित बनाये हमारे देश का उत्थान असम्भव है। अशिक्षित नारी अपने बाल-बच्चों का ठीक प्रकार पालन नहीं कर सकती है। यह समाज की बधा बुरा करेगी। सर्वप्रथम ग्रहण-समाज, ग्रामसमाज तथा ईसाई मिशनरिया

ने स्त्री-शिक्षा को ओर ध्यान दिया। सरकार ने इन दिना में बहुत बाद को पत्रन डठाया। २०वीं शताब्दी में स्त्री-शिक्षा ने पहले की अपेक्षा काफी उन्नति की है। नगरपालिकाओं तथा जिला बोर्डों ने स्त्रियों के प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था की है। उनकी माध्यमिक शिक्षा के लिये भी देश में शिक्षालय हैं। वे विश्वविद्यालयों में भी शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। बम्बई में एक स्त्री विश्वविद्यालय भी है। वे डाक्टरी, कानून तथा इंजीनियरिंग की शिक्षा को ओर भी बढ़ रही हैं। परन्तु इतना नव होने हुए भी हमारे देश में केवल ३% स्त्रियाँ शिक्षित हैं। यह अत्यन्त लज्जा की बात है कि हमारे समाज का प्रायः हिन्दा पूर्ण रूप से अज्ञान में डूबा है। जो कुछ स्त्रियों की शिक्षा का प्रचार हुआ है वह भी अधिकतर नगरों तक ही सीमित है। इन बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि शोघ्रातिसौत्र स्त्रियों के लिये प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य हो जाय।

(३) सह शिक्षा :—स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में ही सह-शिक्षा का भी प्रश्न उठता है। सन् १९३४ में अन्तरविश्वविद्यालय बोर्ड ने इन प्रश्न पर विचार किया था कि स्कूलों में सह-शिक्षा हो या नहीं। देश में काफी लोग इसके पक्ष में हैं। परन्तु बहुमत इसके विरुद्ध लगता है। सह-शिक्षा का प्रश्न, विश्वविद्यालयों या अन्य उच्च शिक्षा के केन्द्रों में नहीं उठता है। वहाँ तो सह-शिक्षा होगी ही। यह प्रश्न बहुत छोटी अवस्था के बालक-बालिकाओं के लिए भी नहीं उठता है। यह दोनों के बीच की अवस्था से सम्बन्ध रखता है। यह वह अवस्था है जब हमारे चरित्र का निर्माण होता है तथा हमारी बुद्धि का विकास होता है।

कुछ विद्वानों का कहना है कि सह-शिक्षा के कई लाभ हैं। उनके अनुसार बालक तथा बालिकाएँ एक दूसरे से स्वतंत्रतापूर्वक मिलकर एक दूसरों को भली-भाँति समझने लगते हैं और यह उनके भविष्य-जीवन के लिये अत्यन्त लाभप्रद होगा। सह-शिक्षा का एक गुण यह भी बतलाया जाता है कि वे एक दूसरे के गुणों को ग्रहण कर लेंगे। इससे उनका व्यक्तित्व और अधिक विकसित होगा। कुछ लोगों के अनुसार सह-शिक्षा में एक लाभ यह भी है कि बालक कक्षा में

1. "Education comprise that period of our lives in which our characters are formed and moulded and our faculties so developed and regulated by reason that we can therefore face life with equanimity. The question therefore is whether the education of boys and girls at that stage... is possible and useful." Siqueira, Ibid, pp. 132-133.

ीक प्रकार बैठते हैं और बदनयीजी करने की हिम्मत नहीं करते हैं। परन्तु मह-शिक्षा के विरोधियों का नटना है नि यह अत्यन्त हानिकारक है। इससे शिक्षा मस्याओं का वातावरण दूषित हो जाता है। स्त्रियों तथा पुरुषों के दोष अलग-अलग हैं, इसलिए उनकी शिक्षा भी अलग-अलग प्रकार की होनी चाहिये तथा उनमें अलग-अलग प्रकार के गुणों का विकास भी होना चाहिये। इनकी गय में मह-शिक्षा से भारतीय नारी को कोई लाभ नहीं होगा।

ऊपर संक्षेप में हमने भारत की शिक्षा से सम्बन्धित विविध समस्याओं का वर्णन किया है। एक बात स्पष्ट है, वह यह कि भारत में शिक्षा ने प्रसार की अत्यन्त आवश्यकता है। इसके बिना हमारी उन्नति असम्भव है।

प्रश्न

- (१) भारत में शिक्षा की मुख्य समस्याएँ क्या हैं?
- (२) उत्तर प्रदेश में १९४७ से लेकर अब तक शिक्षा में जो उन्नति हुई है उसका संक्षेप में वर्णन कीजिये।
(यू० पी० १९५५)
- (३) भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या दोष है? आप उममें कौन-कौन सुधार करेंगे।
(यू० पी० १९५५)

भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ

अत्यन्त प्राचीन काल से विभिन्न राज्यों के बीच में किसी न किसी प्रकार के सम्बन्ध रहे हैं। इन राज्यों ने कई अवसरों पर इस बात का प्रयत्न किया कि उनके बीच के सम्बन्ध मँदीपूर्ण बने रहें और वे अपने आपसी झगड़े का शान्तिपूर्ण ढंग से निपटारा कर दें। सम्मति के विकास के साथ-साथ यह भावना भी बढ़ती गई। प्राचीन युग में इस प्रकार के संघ थे। मध्यकाल में जब ईसाई यूरोपीय देशों में यह भावना थी कि वे सब एक ही धर्म के अनुयायी होने के कारण एक ही बृहद् समाज के सदस्य हैं। आधुनिक काल में १५वीं तथा १६वीं शताब्दियों में राष्ट्रों ने एक दूसरे के विरुद्ध युद्धों में अत्यन्त ही पाण्डित्यपूर्ण व्यवहार किया। परन्तु सन् १६४८ के बाद यह भावना उत्पन्न हो गई थी कि सब यूरोपीय राष्ट्र एक परिवार के सदस्य हैं। उग काल में कई विद्वानों ने इस बात पर जोर दिया। उनमें से मुख्य नाम ये हैं—फ्रांस के राजा हेनरी चतुर्थ का मंत्री सुल्ली (Sully), आर्थर मां पियर, मगो, कान्ट, तथा वेन्थम। १९ वीं शताब्दी में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप के बड़े देशों ने एक सन्धि (नवम्बर १८१५) द्वारा यह तय किया था कि प्रति वर्ष उनकी एक बैठक होगी जिसमें वे विभिन्न समस्याओं को मुलज्जा लेंगे। इसको Concert of Europe कहते हैं। परन्तु यह व्यवस्था अल्पकाल तक नहीं चली। सन् १८९९ तथा १९०७ में दो कॉन्फ्रेंस हुईं जिनको हेग कॉन्फ्रेंस कहते हैं। ये भी अधिक सफल नहीं रही। सन् १९१४-१९१८ के प्रथम महायुद्ध के पश्चात् यह विचार बढ़ा कि एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना होनी चाहिये। इस संगठन को राष्ट्र-संघ (League of Nations) कहते हैं। इन संघ का उद्देश्य समार में शांति को बनाये रखना था। इसलिए इनको यह अधिकार दिया गया था कि अगर किन्हीं राज्यों के मध्य कोई ऐसी विवाद उठ सज्ञा हो जिसमें कि समार की शांति को भय हो तो राष्ट्र-संघ दोनों देशों को शांतिपूर्ण ढंग से उस विवाद को तय करने को कह सकता था और अपने मुझाव दे सकता था। इसके सदस्यों के लिए तो यह आवश्यक था कि वे अपने सब विवाद शान्तिपूर्ण ढंग से तय करें।

राष्ट्रसंघ का दफ्तर जिनवा में था। इसके मुख्य अंग थे—महा कॉमिन्समन्त्रिवाच्य अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ तथा कई गमिनिवा। राष्ट्रसंघ में जैगी आशा थी वह पूरा नहीं हुई। इसने संख्या में अपने स्वार्थों के सम्मुख समार की शान्ति तथा सुरक्षा की परवाह नहीं की। जब जर्मनी ने वर्गाई मन्त्रि की उद्देशा की या इटली ने अत्रीमीनिया को हृष्य लिया जब जापान ने चीन पर आक्रमण किया तब राष्ट्रसंघ कुछ न कर सका। इसमें यह स्पष्ट हो गया कि बड़े राष्ट्र राष्ट्रसंघ की उम्मेदा कर रहे हैं। इसी का यह फल हुआ कि राष्ट्रसंघ द्वितीय महायुद्ध को नहीं रोक सका।

भारत भी राष्ट्र संघ का सदस्य था। तब भारत परतत्र दश वा परन्तु क्याकि इसने वार्माई की मन्त्रि पर हस्ताक्षर किये थे इनलिए इसको राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्राप्त हो गई थी। परन्तु भारत के प्रतिनिधि अंग्रेज सरकार द्वारा छोटे जाने थे अतएव वे इंग्लैण्ड के हितैषी थे न कि भारत के हितों के प्रतिनिधि। उन सब वाना थे होते हुए भी भारत न राष्ट्रसंघ के कई कामों में महत्वपूर्ण भाग लिया जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ (International Labour Organization)। राष्ट्रसंघ के बारे में कहा जाता है कि राजनैतिक मामलों में (Political matters) में तो उस सफलता नहीं मिली परन्तु सामाजिक सांस्कृतिक स्वास्थ्य सम्बंधी विषयों में इसने अच्छा काम किया। भारत में राष्ट्रसंघ की एक शाखा दिल्ली में थी। इसका काम राष्ट्रसंघ के बारे में प्रचार करना था। भारत की सरकार ११ जून १९४५ प्रतिपद राष्ट्रसंघ को देती थी।

संयुक्त राष्ट्रसंघ —द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ हान पर लोगों की अर्थि फिर खुले। इसका विनाशकारी परिणामा ने स्पष्ट रूप में यह दिखला दिया कि अगर मध्यता तथा मानवता को नष्ट होने में बचाना है तो राष्ट्रों को आपस में शान्तिपूर्ण उपाया से अपने सब मामलों को तय कर लेना चाहिये। मित्र राष्ट्रों ने मज १९४३ में यह तय कर लिया कि युद्ध की समाप्ति पर सब अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की जावेगी जिसका प्रमुख काम समार की शान्ति रक्षा होगा। मज १९४४ में डम्बटन आश्रम में मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की एक बैठक के अध्यक्षत्व अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की एक योजना बनाई गई जिसको डम्बटन आश्रम योजना कहते हैं। मज १९४५ में मज फ्रान्सिस्को में। फिर एक मित्र-राष्ट्रों की बैठक हुई। इसमें डम्बटन आश्रम योजना पर विचार विमर्श हुआ तथा एक नया चार्टर बनाया गया। इसका नाम संयुक्त राष्ट्रसंघ का चार्टर (United Nations Charter) रखा गया। इस चार्टर पर ५१ राष्ट्रों ने हस्ताक्षर

विधि। इस प्रकार जब नवोक्त राष्ट्रमण्डल की प्रकट्टकण गन् १९६५ में स्थापना हुई तो इसके ५१ सदस्य थे।

उद्देश्य — नवोक्त राष्ट्रमण्डल की प्रस्तावना में कहा गया है कि युद्ध के मन्त्र वा मन्त्रा के लिए नामा करने को, व्यक्ति के तथा राष्ट्रों के अधिकार को रखा करने को, न्याय की स्थापना करने को तथा सामाजिक उन्नति और जीवन-मन्त्र उन्नत करने को, इस राष्ट्रमण्डल की स्थापना की जा रही है।

चाहें की पहली धारा में निम्नलिखित उद्देश्य बतलाए गये हैं:—

(१) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना।

(२) राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का विकास करना।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय, प्राथमिक, सामाजिक, मानवैतिक तथा मानवीय सम्बन्धों को हल करने के लिए राष्ट्रों में सहयोग करना तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सम्मान उत्पन्न करना।

(४) इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये, विभिन्न राष्ट्रों के नामों को संयोजित करने के लिये, केंद्र-रूप में कार्य करना।

धारा-२ में उन निदानों का वर्णन है जिनके अनुसार सन्तुष्ट राष्ट्र संघ कार्य करता है।

१. निम्नलिखित राष्ट्र इसके प्रथम ५१ सदस्य थे:—

आर्जेन्टिना, ऑस्ट्रेलिया, बेलजियम, बोलिविया, ब्राज़ील, डेल्फोरिया, कॅनेडा, चीन, कोलम्बिया, कोस्टारिका, क्यूबा, जैवोत्लावाकिया, डेन्मार्क, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वडोर, इजिप्ट, एल सालवाडोर, इण्डोनेशिया, फ्रांस, ग्रीस, हावैमाला, हंगरी, हाइडरम, भारत, ईरान, ईराक, मेक्सिको, सन्तानबर्ग, मैक्सिको, नेदरलैण्ड, न्यूजीलैण्ड, निकारागुआ, नीबे, पनामा, पेरू, पोलैण्ड, फिलीपीन, पोर्तुगल, रोमी धरम, सीरिया, टर्की, यूक्रेन, दक्षिणी अफ्रीका, हल, इंग्लैण्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, वेन्यूएला तथा युगोस्लाविया।

इन ५१ सदस्यों के पश्चात् निम्नलिखित ३० राष्ट्र और इनके सदस्य हो गये हैं:—अफगानिस्तान, आइसलैण्ड, स्वीडेन, साइप्रस, पाकिस्तान, यूनान, बर्मा, इन्डोनेशिया, हिन्दोनेशिया, मलदिविया, पाम्बिया, बल्गेरिया, कम्बोडिया, चीली, फिलिपिन्स, हंगरी, फ्रायलैण्ड, इटली, जॉर्डन, लाओस, नीबिया, नैपल, पृथ्वी, हमानिया, स्पेन, मोरक्को, सूडान, ट्यूनिशिया, जापान तथा यना।

- (अ) सदस्यों की भावभोगिता तथा
- (ब) प्रत्येक सदस्य अपने कलव्या का ठीक ढंग से पालन करेगा।
- (स) वे अपने आपसी विवादों का शान्तिपूर्ण ढंग में फैसला करेंगे।
- (द) वे अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में एक दूसरे के विरुद्ध न युद्ध करेंगे और न इसकी धमकी ही देंगे।
- (ध) वे संयुक्त राष्ट्र संघ का इसकी कार्यवाही में प्रत्येक प्रकार की सहायता देंगे।

(न) संयुक्त राष्ट्र संघ किसी राज्य के आन्तरिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्रसंघ के छ मुख्य भाग (Organs) हैं साधारण सभा, सुरक्षा परिषद्, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, आर्थिक तथा सामाजिक समिति-संरक्षण परिषद्।

साधारण सभा—संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रत्येक सदस्य राज्य का इसमें प्रतिनिधित्व होता है। इसको हम सभार की समझ कह सकते हैं। प्रतिवर्ष इसकी एक बैठक होती है। परन्तु इसकी विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है। साधारण निर्णय बहुमत द्वारा तथा महत्वपूर्ण मामलों में वा-तिहाई बहुमत द्वारा निर्णय लिये जाते हैं।

प्रत्येक बैठक में सुरक्षा परिषद् तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्य भाग साधारण सभा को अपने कामों की रिपोर्ट देते हैं। संघट्टरी जनरल पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ के कामों पर एक रिपोर्ट देता है। साधारण सभा सुरक्षा-परिषद् के सदस्यों का तथा आर्थिक और सामाजिक समिति और संरक्षण समिति के सदस्यों का चुनाव करती है। यह अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय व न्यायाधीशों के निर्वाचन में भी सुरक्षा परिषद् के साथ भाग लेती है तथा सुरक्षा परिषद् की सकारित्त पर संघट्टरी जनरल को नियुक्त करती है।

सुरक्षा-परिषद्—इसमें ११ सदस्य हैं। इनमें से ५ ता स्थायी सदस्य हैं—ब्रिटिश, फ्रांस चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। शेष ६ सदस्यों का दो वर्ष के लिए साधारण सभा द्वारा निर्वाचन होता है। सुरक्षा-परिषद् संघ की कार्यकारिणी समिति है। इसको महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय देना है।

सुरक्षा-परिषद् का अधिवेशन स्थायी रूप में होता रहना है। प्रत्येक पक्ष इसको कम से कम एक बार क अवश्य होती है। प्रत्येक सदस्य को एक वोट का अधिकार है। महत्वपूर्ण विषयों के निर्णय के लिये इसके प्रत्येक स्थायी सदस्य का वोट होना आवश्यक है। अगर इनमें से कोई ऐसे विषय के विपक्ष में

मग दे दे तो फिर सुरक्षा परिषद् कोई निर्णय नहीं ले सकती है। इसको विरोधाधिकार (Veto) कहा जाता है। कार्यक्रम में सम्बन्ध रखने वाले विषयों के लिये ११ में से ७ मत पक्ष में होने चाहिए।

सुरक्षा परिषद् नकार में शान्ति की रक्षक है। इसको यह अधिकार है कि अगर किन्हीं राज्यों के बीच में युद्ध की आशंका हो तो यह उनको विवाद वा निर्णय शान्तिपूर्ण ढंग में करने को कह सकती है। अगर कोई राज्य इनकी सिफारिशों को न माने तो यह उसे आक्रमणकारी (aggressor) घोषित कर उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर सकती है। प्रत्येक सदस्य चांटेर द्वारा बचन-बद्ध है कि वह सुरक्षा परिषद् की प्रत्येक प्रकार की सहायता तथा सहायता, जिसकी कि परिषद् मांग करे, देगा। परिषद् को सैनिक विषयों में सहायता देने के लिये सैनिक-समिति है जिसमें प्रत्येक स्थायी सदस्य का एक प्रतिनिधि है।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय:—इसकी बैठकें हेग (हालैण्ड) में होती हैं। इनमें १५ न्यायाधीश होते हैं, परन्तु एक राज्य में से एक से अधिक व्यक्ति इसका न्यायाधीश नहीं हो सकता है। इन न्यायाधीशों को साधारण सभा तथा सुरक्षा-परिषद् निर्वाचित करती है। उनका कार्यकाल ९ वर्ष का होता है।

इस न्यायालय को राज्यों के बीच किसी विवाद के निर्णय करने का अधिकार है। परन्तु यह किसी विवाद का निर्णय तभी कर सकता है जबकि उससे सम्बन्धित दोनों दल इसके निर्णय को मानना स्वीकार कर लें। इस न्यायालय की व्यवस्था इसलिये की गई है ताकि विभिन्न राज्य अपने विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से तय कर लें।

सचिवालय:—यह अन्तर्राष्ट्रीय सचिवालय है।¹ इसके प्रत्येक सदस्य को इस बात की शपथ लेनी होती है कि यह संयुक्त राष्ट्र सभ के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करेगा। इसमें प्रत्येक जाति तथा रंग के व्यक्ति हैं। इसका प्रधान सेक्रेटरी जनरल कहलाता है जिसका निर्वाचन सुरक्षा परिषद् की

1. "In the performance of their duties the Secretary General and the staff shall not seek or receive instruction from any government or from any other authority external to the Organisation. They shall refrain from any action which might reflect on their position as international officials responsible only to the Organisation."

मिफार्मिग पर माशरण-मभा द्वारा किया जाता है। उसको मन्त्रायक मन्त्रेदरी जनरल तथा अन्य कमिश्नरी नियुक्त करने का अधिकार है। मन्त्रिवालय में आठ विभाग हैं। इनके क्रम में ये काम हैं—सुरक्षा परिषद् में सम्बन्धित मामल, आर्थिक मामले, सामाजिक मामले, मरक्षण तथा अधीन देशों से सम्बन्धित पूचना, मार्गजनिक मूचना कानूनी सम्मेलन तथा साधारण सेवाएँ तथा प्रशा-मनीय और आर्थिक सेवाएँ।

आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् — इनमें १९ सदस्य हैं जिनका निर्वाचन माशरण्य सभा द्वारा तीन वर्ष के लिये किया जाता है। इसके निर्णय बहुमत में होते हैं। इसका काम अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय समस्याओं के हल करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को उत्साहित करना है। यह इन समस्याओं में सम्बन्धित विविध विषयों का अध्ययन करती है तथा समय-समय पर मन्त्र-सम्मेलनों के अधिवेशन बुलाती है। इसका काम समार की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नति करना है। इस परिषद् के नीचे कमिशन विविध विषयों पर काम कर रहे हैं।

सुरक्षा परिषद् — मयुक्त राष्ट्र मघ के कई सदस्यों के अधीन कई देश हैं। इन पराधीन देशों का भी चार्टर द्वारा ध्यान रखा गया है। इसके द्वारा हमें ज्ञान की धारणा की गई है कि जो सदस्य राष्ट्र ऐसे पराधीन देशों का शासन करते हैं वे इनके हितों का पूरा-पूरा ध्यान रखेंगे तथा प्रत्येक क्षेत्र में उन प्रदेशों के शासन के सम्बन्ध में सयुक्त राष्ट्र मघ को समय-समय पर रिपोर्टें देंगे जिनमें कि वहाँ की स्थिति के ऊपर प्रकाश डाला जायगा। पराधीन देशों के शासन के लिए मरक्षण परिषद् की स्थापना की गई है। इसमें दस समय १२ सदस्य हैं। इस परिषद् का मुख्य काम इन पराधीन देशों की आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक प्रगति के सम्बन्ध में रिपोर्टें की जाँच करना तथा समय-समय पर इन प्रदेशों में जाँच करने के लिये मिशन का भेजना है। कई राज्यों ने अपने अधीन देशों को मरक्षण परिषद् के गुपुर्द कर दिया है।

विशेष एजेन्सियाँ — मयुक्त राष्ट्र मघ ने कुछ विशेष अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के साथ अपने काम को मध्याह्न रूप में चलाने के उद्देश्य में मध्याह्नता कर लिया है। इन एजेन्सियों का चार्टर में कोई वर्णन नहीं है। ये मयुक्त राष्ट्र मघ के भाग भी नहीं हैं परन्तु इनका उद्देश्य भी विभी विशेष क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना है। इनमें से मुख्य-मुख्य ये हैं—(१) अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर मघ—इसकी स्थापना २९ अक्टूबर मन् १९१९ में हुई थी। इस मघ का उद्देश्य

प्रत्येक देश में श्रमिकों की दशा में सुधार करना है। (२) खाद्य तथा कृषि संघ—जैसा कि इसके नाम में स्पष्ट है इनका उद्देश्य मन्सार में कृषि की उन्नति करना है। (३) संयुक्त राष्ट्र का शिक्षा, सांस्कृतिक, तथा वैज्ञानिक संघ—इसका उद्देश्य राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा शिक्षा सम्बन्धी क्षेत्रों में सहयोग द्वारा शान्ति को बढ़ाना है। (४) अन्तर्राष्ट्रीय बैंक—यह मन्सूख देशों की आर्थिक उन्नति अथवा पुनर्निर्माण के कामों के लिये रफ्तार उधार देता है। इसके अतिरिक्त इस बात का प्रमाण करता है कि राष्ट्रों के बीच व्यापार मत्तलित हो।

उनके अतिरिक्त कई अन्य एजेंसियाँ हैं—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य सन्स्था, अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सन्स्था, विश्व डाक संघ, अन्तर्राष्ट्रीय तार-संवाद संघ आदि। इन संघों का काम अपने-अपने विशेष क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना है।

भारत तथा संयुक्त राष्ट्र संघ :—हमारा देश संयुक्त राष्ट्र के प्राथमिक सदस्यों में से एक है। आरम्भ से ही स्वतन्त्र भारत की सरकार ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि वह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शान्ति और नव राष्ट्रों में मित्रता की नीति का अनुसरण करेगी। हमारा देश अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नोक्त संगठनों (organizations) का भी सदस्य है। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सन्स्था, खाद्य तथा कृषि सन्स्था, अन्तर्राष्ट्रीय तार संवाद संघ, विश्व डाक संघ, विश्व स्वास्थ्य संघ, अन्तर्राष्ट्रीय मन्सूख परामर्श सन्स्था। इन संगठनों के अतिरिक्त भारत अनेक आयोगों (commissions) का भी सदस्य है। जैसे, मानव अधिकार आयोग, मादक वस्तु आयोग, यातायात तथा संवाद आयोग, नुदूर पूर्व एशियाई आर्थिक आयोग इत्यादि।

भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तटस्थता की नीति को अपनाया है। इस समय दो दल हैं—अमेरिकन तथा रूस और उनके साथी। भारत की सरकार का कहना है कि वह इन दोनों में से किसी के साथ भी नहीं है और स्वतन्त्र नीति का अनुसरण कर रही है। सरकार के कुछ आलोचकों का कहना है कि ऐसी नीति हमारे देश के हित में नहीं है। हम इसमें न अमेरिका ने ही महायुद्ध की आशा कर सकते हैं और न रूस में ही।

पं० नेहरू के अनुसार मन्सार का दो प्रतिस्पर्धी गुटों में विभाजन शान्ति के हित में नहीं है। यदि भारत इनमें से किसी एक गुट का सदस्य हो जाय तो शान्ति

के हित में उनकी कार्य करने की स्वतन्त्रता नष्ट हो जायगी। भारतवर्ष, अमेरिका तथा इन दोनो में ही मधीपूर्ण सम्बन्ध रखना चाहता है। उसे इन दोनो महान देशों में बहुत-बहुत सीखना है। परन्तु वह इन देशों की नीति से पूर्णतः सहमत नहीं। इसलिए भारत सरकार की तटस्थता की नीति वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वतन्त्रतापूर्वक शान्ति के प्रयत्न में काम करने की नीति है। भारत ने अमेरिका तथा रूस के उन नामों का समर्थन किया जिनको वह ठीक समझता था उन नामों का विरोध किया जिनके औचित्य पर उसे सन्देह था।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तटस्थता की नीति अत्यन्त ही सफल रही है और अब तो प० नेहरू की नीति के विरोधी भी यह स्वीकार कर रहे हैं कि भारत को इस क्षेत्र में अत्यन्त सफलता मिली है। आज समस्त समार भारत की शान्तिपूर्ण नीति की मुक्तकण्ठ से सराहना कर रहा है। प० नेहरू का चीन तथा यूरोप के देशों में अभूतपूर्व स्वागत हुआ। यह इस कथन को सिद्ध करता है कि हमारी पर-राष्ट्र नीति सफल है।

प्रत्येक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मामले में भारत ने इन बातों का प्रयत्न किया है कि नयका राष्ट्रमण्डल की सर्वादा न घटने पाए। भारत के अनुसार समार के राष्ट्रों के पारस्परिक झगड़े शान्तिपूर्वक सुलझाये जा सकते हैं। नयका राष्ट्र मण्डल इस देश में महत्वपूर्ण भाग कर रहा है यदि इस समय मदम्या का पूर्ण महत्वाग प्राप्त हो।

1 श्री चेस्टर बोव्स (Chester Bowles) ने जो भारत में पहले सयकत राज अमेरिका में राजदूत थे अपनी पुस्तक में भारत के विषय में लिखा है, "In the United Nations, she has stood out as a militant and uncompromising foe of colonialism and a champion of the right of still subject people to independence. This position has brought her in conflict on occasion with American views that the principle of self determination must give way to the pressure of contemporary *Realpolitik*. On the whole, however, I think it has been to our advantage to have another democratic nation stating the case for freedom, on these occasions when rightly or wrongly, we have felt we could not rather than leave this field to Communism." *The New Dimensions of Peace*, p 165.

भारत ने न केवल दूसरे देशों के विषय में परन्तु उन विषयों में भी जिनमें इनके अपने स्वार्थ निहित थे इसी नीति को अपनाया है। इनका सबसे ज्वलत उदाहरण काश्मीर का प्रश्न है। यह स्पष्ट रूप में ज्ञात हुआ है कि भारतीय सेना उम समय इस स्थिति में थी कि काश्मीर से प्राथमणकारियों को बल प्रयोग द्वारा पूर्णतः खदेड़ सकती थी, परन्तु हमारी सरकार ने काश्मीर की समस्या को संयुक्त राष्ट्र मण्डल के सम्मुख न्यायोचित रूप में हल करने के लिये प्रस्तुत किया। यह दुसरी बात है कि संयुक्त राष्ट्र मण्डल में कुछ राष्ट्रों ने इस प्रश्न को शीत-युद्ध में सम्बन्धित कर दिया है और यह प्रश्न अभी तक नहीं सुलझ सका है।

कोरिया का प्रश्न जून १९५० में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति के लिये भय-कान्ठ हो गया था। इसे लेकर अमेरिका तथा चीन के मध्य इतनी अधिक तनातनी बढ़ी कि एक समय ऐसा प्रतीत होने लगा था (मन् १९५२) कि यह प्रश्न एक नये युद्ध को जन्म देगा। परन्तु भारत की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र मण्डल के द्वारा यह प्रस्ताव पास कराया कि दोनों के मध्य युद्ध विराम हो जाय तथा दोनों पक्ष बन्दियों को छोटा दें। इसको कार्यान्वित करने के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति की गई थी और भारत इसका अध्यक्ष था।

इसी प्रकार हिन्द-चीन (Indo-china) की समस्या के हल में भी भारत ने प्रमुख भाग लिया। हिन्द-चीन में वहाँ के राष्ट्रीय दल तथा फ्रान्स के मध्य क वर्षों से युद्ध चल रहा था। इनमें भी विश्व शान्ति को संकट उत्पन्न हो रहा था। भारत की सरकार के प्रयास से इस समस्या को भी संयुक्त राष्ट्र मण्डल में सुलझाने में सफल हो सका। जेनेवा में एक सम्मेलन हुआ जिसके द्वारा हिन्द चीन में युद्ध-विराम हुआ और एक आयोग की नियुक्ति की गई जो कि हिन्द चीन में जेनेवा सम्मेलन के प्रस्तावों के कार्यान्वित होने का निरीक्षण करता। इस कमीशन में तीन देशों के प्रतिनिधि थे—कनाडा, भारत तथा पोलैण्ड।

स्वैज-संघर्ष भी विश्व में तृतीय युद्ध का सूत्रपात कर सकता था। परन्तु इस संघर्ष के सुलझाने में भी भारत का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। जुलाई १९५६ में मिश्र की सरकार ने स्वैज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अक्टूबर १९५६ में मिश्र पर इरायल, इंग्लैण्ड तथा फ्रांस ने आक्रमण कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरक्षण परिषद् में एक प्रस्ताव इस आशय का रखा गया कि कोई भी राष्ट्र मिश्र पर शक्ति प्रयोग न करे। परन्तु इंग्लैण्ड तथा फ्रांस ने इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया। संयुक्त राष्ट्र मण्डल में पुनः शान्ति के लिये प्रस्ताव पास किये गये और इन प्रयत्नों में भारत का भी प्रमुख भाग रहा। अन्त में मिश्र में एक

अन्तर्राष्ट्रीय सेना, सयूक्त राष्ट्र सघ के नीले तथा श्वेत झन्डे के नीचे भेजी गयी और भारत ने भी इसमें योगदान दिया।

अक्टूबर १९५६ में हंगरी में वहाँ की साम्यवादी सरकार के विरुद्ध एक क्रांति प्रारम्भ हुई। रूस ने इसमें हस्तक्षेप किया और क्रांति को कुचल दिया और रूस की सहायता में साम्यवादी सरकार की पुनस्थापना हुई। भारत ने हंगरी में रूसी हस्तक्षेप की निन्दा की और इस प्रकार यह सिद्ध कर दिया कि भारत प्रत्येक राज्य के कार्यों का निष्पक्ष रूप में देखता है।

उपर्युक्त उदाहरणों के अतिरिक्त अनेक अन्य समस्याओं ने मुल्लज्ञाने में भी भारत का योगदान रहा है और मयूक्त राष्ट्रसघ के कार्यों में भारत का महत्वपूर्ण भाग रहा है। नसार के सम्मुख युद्ध का भय बना है और यह सभी जानते हैं कि तृतीय महायुद्ध मानवता के लिये घातक सिद्ध होगा। इसीलिये निःशस्त्रीकरण मानवता के जीवन-मरण का प्रश्न हो गया है। भारत ने प्रत्येक अवसर पर इस बात का प्रयत्न किया है कि विश्व की बड़ी शक्तियाँ निःशस्त्रीकरण कर लें जिससे युद्ध का भय दूर हो जाय। हमारी सरकार का यह दृष्टिकोण है कि अणु-शक्ति का प्रयोग मानवता कल्याण के लिए होना चाहिए न मानवता के विनाश के लिये। भारतीय नीति का आधार यह है कि जिस प्रकार एक समाज के सदस्य अपने विवादा का निणय शान्तिपूर्ण ढंग में करते हैं उसी प्रकार समस्त के विभिन्न देशों को भी शान्तिपूर्ण उपायों द्वारा अपने झगडा का मुल्लज्ञाना चाहिये।

भारत ने मयूक्त राष्ट्र सघ में उन नव प्रस्तावों का समर्थन किया है तथा इसकी उन सब कायवाहियाँ में सक्रिय भाग लिया है जो कि विश्व-शान्ति के हित में थी। भारत की सरकार का यह मत है कि मयूक्त राष्ट्र सघ को वास्तव में विश्व के राज्या तथा राष्ट्रों का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिये। इसीलिये भारत की यह नीति है कि साम्यवादी चीन का मयूक्त राष्ट्रसघ की सदस्यता से वञ्चित रखना न केवल अत्यावश्यक है परन्तु समार की शान्ति के हित में भी नहीं है। साम्यवादी सरकार को भारत चीन की वास्तविक तथा वैधानिक सरकार मानता है। इस समस्या को मल्लज्ञाने के लिये भारत विशेषतः प्रयत्नशील है।

भारत ने समार में सबसे साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के विरुद्ध अपनी नीति रखी है। इसने बार बार इस बात का कहा है कि शान्ति के मार्ग में साम्राज्यवाद एक बड़ा रोडा रहा है। इसीलिये हमारी सरकार का यह दृष्टिकोण है कि साम्राज्यवादी देशों का कल्याण इसी में है कि वे अपने अधीन देशों को स्वतन्त्र कर दें। क्योंकि बल प्रयोग द्वारा स्वतन्त्रता मशराम को देवाना सम्भव नहीं है।

इसीलिये हमारी महानभूति उनमें है जो स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्नशील है। जब हिन्दू-एशिया ने डच साम्राज्यवाद में मुक्ति के लिये प्रयत्न किया और डच साम्राज्यवाद ने शक्ति द्वारा इसे दबाये रक्ता चाहा तब भारत ने एशियाई राष्ट्रों का सम्मेलन दिल्ली में बुलवाया तथा हिन्दू-एशिया की स्वाधीनता माँग को मजबूत राष्ट्र मघ के नामसे रखा। उत्तरी अफ्रीका में जिन देशों ने फ्रान्स में स्वतन्त्र होने का प्रयत्न किया या कर रहे हैं उनमें हमारे देश की महानभूति है। इसी प्रकार सर्वत्र भारत की नीति साम्राज्यवाद की विरोधी रही है।

संयुक्त राष्ट्र मघ की सांस्कृतिक तथा आर्थिक कार्यवाहियों में भारत का प्रमुख भाग रहा है। आर्थिक तथा सामाजिक परिपक्व तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत ने भाग लिया है। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र मघ में मंदयित घनेक परिपक्व तथा मगठनों का भाग्य मरम्य है और इनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिये अपनी शक्तिभर प्रयत्नशील है।

भारत की परराष्ट्र-नीति के आधार — भारत की पर-राष्ट्र-नीति अन्य राष्ट्रों के साथ शान्ति तथा मैत्री की नीति है। संसार में इस समय मुख्य प्रश्न यह है कि क्या मनुष्य तथा उसकी सभ्यता का तृतीय महायुद्ध के द्वारा अन्त तो नहीं हो जायगा। अणु-बम तथा उद्भूत बम के आविष्कारों के कारण अब नयी ममजदार व्यक्ति इस विचार में अत्यन्त ही प्रस्त है। शान्ति की स्थापना के लिये यह आवश्यक है कि युद्ध के कारणों को दूर किया जाय। पूंजीवादी तथा साम्यवादी राज्यों के मध्य मघ्य, साम्राज्यवादी राष्ट्रों के पारस्परिक विभेद, अरबों तथा श्वेत जातियों के मध्य मंघर्ष, उरनिवेशों तथा साम्राज्यवादी देशों के मध्य विरोध तथा संसार में गरीबी, भुग्नरी, अज्ञाना, आदि, युद्ध के मुख्य कारण हैं। यदि इन कारणों को हटा दिया जाय तो युद्ध का भय नहीं होगा। इसलिए भारत की सरकार अन्य देशों के उन सब कार्यों का समर्थन करती है जो विश्व शान्ति के पक्ष में हैं।

विश्व-शान्ति के लिये यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक देश को अपनी पसन्द के अनुसार जीवन चिताने का अधिकार होना चाहिये। उसकी सरकार किस प्रकार की हो, उसकी आर्थिक व्यवस्था क्या हो, तथा वहाँ के नागरिकों के क्या अधिकार हों, आदि बातें वहाँ की आन्तरिक बातें हैं जिनमें अन्य देशों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। प्रत्येक राज्य को दूसरे राज्य की मप्रभुता तथा स्वतन्त्रता का आदर करना चाहिए और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये जिमने दूसरे राज्य का अहित हो। ऐसी नीति आवश्यक रूप से शान्ति तथा सह-असन्तित्व की होगी।

भारत की पर-राष्ट्रनीति साम्राज्यवाद की विरोधिनी है। साम्राज्यवाद का अर्थ है एक देश पर दूसरे देश का प्रभुत्व। यह प्रभुत्व राजनैतिक या केवल आर्थिक भी हो सकता है। हम स्वयं लगभग दो सताब्दियाँ तक अंग्रेजों के अधीन थे और हमारे देश का विदेशी साम्राज्यवाद द्वारा शोषण किया गया था। हमें यह महत्त्वपूर्ण है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत की सरकार अपना यह कर्तव्य समझती है कि हमारे सभी देश साम्राज्यवाद के शोषण में मग्न हो जायें। भारत ने अजिया तथा अफ्रीका में उन समस्त देशों से अपनी सहोन्नति प्रकट की है तथा उन्हें प्रत्येक प्रकार से नैतिक बल प्रदान किया है जो साम्राज्यवाद से मुक्ति के लिये प्रयत्नशील है।

भारत की सरकार विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक तथा सांस्कृतिक सहयोग में विश्वास करती है। किसी देश का दूसरे देश द्वारा आर्थिक शोषण नहीं होना चाहिये। परन्तु विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक सहयोग उनकी पारस्परिक उन्नति के लिये आवश्यक है। इसीलिये हमारा देश बिना किसी प्रकार के भेद-भाव के अन्य देशों से अपने आर्थिक सम्बन्ध दृढ़ करना चाहता है। हमें किसी प्रकार के राजनीतिक विभेद बाधा नहीं हो सकती। हमारे देश के अमेरिका, इंग्लैंड, रूस आदि सभी देशों से आर्थिक सम्बन्ध है। इसी प्रकार भारत के अन्य देशों से सांस्कृतिक सम्बन्ध भी है। हमारे देश की सरकार का यह विश्वास है कि हम प्रत्येक प्रकार के आर्थिक तथा सांस्कृतिक सहयोग में देशों के मध्य द्वेष, अमतिष्णता, शत्रुता आदि दूर हाने और हमारे स्थान पर मित्रता, सहिष्णुता आदि का विकास होगा।

परराष्ट्र नीति में भारत का यह सिद्धान्त है कि राष्ट्रों के मध्य सम्बन्ध स्वतन्त्रता तथा समानता पर आधारित हो। इसलिए भारत किसी भी प्रकार के वर्ण-भेद का स्वीकार नहीं करता। कुछ देशों में स्वतन्त्र जातियाँ अस्वतन्त्र जातियों पर अत्याचार कर रही हैं। तथा उन्हें अनेक प्रकार से राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकारों से वञ्चित कर रही हैं। भारत ने इस नीति का सदा स्पष्ट रूप में विरोध किया है। उदाहरणार्थ, भारत दक्षिण अफ्रीका की सरकार की अस्वतन्त्र जातियों के प्रति नीति का कट्टर विरोधी है।

भारत की सरकार अपनी परराष्ट्र नीति में इस सिद्धान्त पर चलती है कि विभिन्न राष्ट्रों के मध्य जो अनेक कारणों से विभेद उत्पन्न होते हैं कि वे शान्तिपूर्ण ढंग से उपायों द्वारा गूँथ जा सकते हैं। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् सारा में राष्ट्रों के मध्य दो गुट बन गये हैं और इससे शीत-युद्ध का सूत्रपात हुआ। इससे कभी भी तृतीय महायुद्ध का आरम्भ हो सकता है। ५० नहरू ने कई बार यह कहा है कि शीत युद्ध का अन्त कर देना चाहिये। अमेरिका तथा हम के नेतृत्व में हमारे

राज्य का गुटों में बंट गए हैं। और इस गुट बन्दी के कारण इन राज्यों के मध्य इस प्रकार तनावों के सम्बन्ध हो गये हैं कि बिना सोचे-समझे एक दूसरे का प्रत्येक विषय में विरोध करते हैं। भारत इस दलबन्दी से पूर्णतः पृथक् है। हमारे प्रधान मन्त्री ने भारत की नीति को 'गति-शील तटस्थता' की नीति बतलाया है। हमारा देश यदि हंगरी में रूसी हस्तक्षेप का विरोधी है तो वह पश्चिमी एशिया में अमेरिका की नीति का भी समर्थक नहीं है।

हमारी पर-राष्ट्रनीति का एक मुख्य आधार, जैसा हम पहले लिख चुके हैं, यह भी है कि समुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिष्ठा विभी प्रकार कम न हो तथा इसका प्रभाव व्यापक हो। यह सत्य है कि समुक्त राष्ट्र विश्व-जासन नहीं है परन्तु यह मानव जाति की संगठित आत्मा (organized conscience of mankind) कहा जाता है। यह प्रभावी ढंग से अपना कार्य सम्पन्न कर कर सके उसके लिये आवश्यक है कि इसमें संसार के समस्त राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये। भारत की सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि कुछ शक्तिशाली राष्ट्रों की राजनीति के कारण इस संगठन में से कुछ राज्यों को बाहर रखना संघा अनुचित है। इसलिये भारत ने सदा अमेरिका की इस नीति का विरोध किया है कि गणतंत्र चीन को समुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से वंचित रखा जाय।

संक्षेप में उपर्युक्त तथ्य हमारी पर-राष्ट्रनीति के आधार हैं। अप्रैल, १९५४ में भारत तथा जन-राज्य चीन की सरकार के मध्य सिब्बत के सम्बन्ध में एक समझौता हुआ। यह समझौता इन्हीं उपर्युक्त सिद्धान्तों पर आधारित था। इनको पंचशील कहा जाता है। ये निम्नोक्त हैं :

- (१) एक दूसरे की आदेशिक अक्षण्डता का पारस्परिक सम्मान;
- (२) अनाक्रमण;
- (३) एक दूसरे के आन्तरिक विषयों में हस्तक्षेप न करना;
- (४) समानता तथा पारस्परिक लाभ;
- (५) शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व।

भारत की सरकार ने संसार के सभी देशों से इस बात की विज्ञप्ति की है कि वे उपर्युक्त सिद्धान्तों के आधार पर ही अपनी पर-राष्ट्रनीति चलावे। सन् १९५५ में भारत ने रूस तथा योरोप की कुछ अन्य सरकारों के साथ इस प्रकार की सम्मिलित घोषणायें की जिनमें यह कहा गया कि उनके पारस्परिक सम्बन्ध इन सिद्धान्तों के आधार पर होंगे। वाटुंग में जो एशिया तथा अफ्रीका के राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ उसमें यह कहा गया कि वे अपनी पर-राष्ट्रनीति में पंचशील

का ही अनुसरण करेंगे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन सिद्धांतों के अनुसार यदि सन्तार के विभिन्न राज्य अपनी विदेशी नीति चलायें तो उनके मध्य युद्ध का भय सर्वथा समाप्त हो जायगा।

भारत के अन्य देशों से सम्बन्ध — इसके अन्तर्गत हम भारत का प्रमुख यूरोपीय देश, समुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा एशिया के देशों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का अध्ययन करेंगे।

यूरोपीय देश — यूरोपीय महाद्वीप में हमारे देश व इंग्लैण्ड के साथ अनिच्छित सम्बन्ध हैं। यह आश्चर्य की बात है कि यद्यपि हमने इंग्लैण्ड के विरुद्ध संपर्क किया तथा इंग्लैण्ड के आधिपत्य से मुक्ति के फलस्वरूप ही स्वतन्त्रता प्राप्ति की तथा हमारे इस देश से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बने हैं। इसका एक कारण तो यह है कि इंग्लैण्ड की श्रमिक दलीय सरकार ने १९४७ में सत्ता का हस्तान्तरण स्वेच्छा से किया तथा दूसरा कारण यह है कि हमारे नेताओं ने स्वतन्त्रता के पश्चात् पुरानी शत्रुता को भुला दिया। भारत जैसा हम पहले लिख चुके हैं राष्ट्र मञ्चल का सदस्य है। राष्ट्रमण्डलीय देशों में हमारे प्रत्येक सदस्य से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हैं परन्तु दक्षिणी अफ्रीका का रण विभेद नीति के कारण इस देश के सम्बन्धों में एक अलग स्थिति है।

दक्षिणी अफ्रीका

सम्बन्धों में समर्थन करे। उदाहरणार्थ भारत ने स्वेज सडक (१९५६) के समय सुलभ कर ब्रिटेन की नीति का विरोध किया। इंग्लैण्ड के साथ हमारे आर्थिक सम्बन्ध भी अनिच्छित हैं।

स्वरूप १९५२ में चन्नगर तथा १९५४ में पांडचेरी, कारिगल, माही तथा यनम की बस्तियाँ भारत के अधिकार में आ गई। परन्तु अभी भी भारत में कुछ बहुत ही छोटे टुकड़े पुर्तगाल के अधीन हैं। इन बस्तियों को—गोआ, डामन, द्यू— पुर्तगाल की सरकार छोड़ने को प्रस्तुत नहीं है। परन्तु हमारा देश इन पर बल-पूर्वक अधिकार नहीं करना चाहता, परन्तु यह आशा रखता है कि पुर्तगाल का सरकार स्वयं ही इसको भारत को हस्तान्तरित कर देगी। पूर्वी यूरोप में, यद्यपि हमारा देश साम्यवादी व्यवस्था का समर्थक नहीं है तथापि हमारे रूस तथा अन्य साम्यवादी राष्ट्रों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने रूस की यात्रा की थी (१९५५) तथा रूस के प्रधानमंत्री भारत आये

थे। हमारे रूय के सम्बन्ध 'पंचशील' पर आधारित है। मन्त्रालय राष्ट्र सभ में कई अवसरों पर भारत तथा रूस ने एक ही पक्ष में मतदान किया है। रूस ने भारत को कुछ सीमा तक आर्थिक महयोग भी प्राप्त हुआ है। परन्तु भारत ने इस मित्रता के फलस्वरूप अपने स्वतन्त्र निर्णय को त्याग नहीं दिया है। उदाहरणार्थ भारत ने सोवियत रूस द्वारा हमरी से हस्तक्षेप का विरोध किया। (१९५६)।

यूरोप के राज्यों के साथ हमारे आर्थिक सम्बन्ध दो शताब्दों से भी अधिक पुराने हैं। आज भी हमारे विदेशी व्यापार में आयात तथा निर्यात दोनों में—यूरोप का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट हो जायगा।

भारत का आयात व्यापार

मूल्य लाख रुपयों में

देश	१९५४	१९५५
इंग्लैंड	१४,६०७	१५,९०६
पश्चिमी जर्मनी	३,५२४	५,४९८
इटली	२,१२७	१,५९५
नीदरलैंडम्	१,३४०	१,३४९
बेल्जियम	१,१२५	८९४
स्विटजरलैंड	१,०२२	१,०९०
फ्रांस	९६५	१,७४०
स्वीडन	६०१	६९४

निर्यात व्यापार

मूल्य लाख रुपयों में

देश	१९५४	१९५५
इंग्लैंड	१७,६११	१६,५५२
प० जर्मनी	१,४६५	१,५६०
नीदरलैंड	९९७	१,७४२
इटली	५९६	६९७
फ्रांस	५२५	६५९

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका :—संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से भी हमारे देश के अत्यन्त ही महत्वपूर्ण सम्बन्ध हैं। भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के साथ अमेरिका ने बीच-बीच में अपनी सहानुभूति प्रकट की थी, यद्यपि यह सत्य है कि कोई ठोस कार्य हमारी सहायता के लिये नहीं किया था। स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत की

सरकार तथा अमेरिका की सरकारों के मध्य सम्बन्ध—राजनीतिक तथा आर्थिक—
 धनिकृत होत गये। मन् १९५१ में भारत ने / ८३५ लाख रुपये का अमेरिका
 सामान आयात किया तथा / ९५ ७ लाख रुपये का सामान वहाँ का निर्यात किया।
 अमेरिका ने हमारे देश को बरानो गये की आर्थिक सहायता दी है। औद्योगिक
 क्षेत्र में भी अमेरिका ने हमारे देश का सहायता की है। अनेक अन्तर्राष्ट्रीय प्रदाना
 पर भारत तथा अमेरिका एक मत हैं। परन्तु भारत इस धनिकृता के हाने पर
 भी अनेक अमरीकी कार्यों का आलोचक रहा है। उदाहरणार्थ, मयुक्त राष्ट्रमण्ड
 में जनवादी चीन का प्रवेश का प्रदान पर अथवा पश्चिमी एशिया में अमेरिकन
 हस्तक्षेप नीति का भारत द्वारा विरोध किया गया है। परन्तु यह सब हाने पर
 भी दोनों देशों के मध्य सम्बन्ध मित्रतापूर्ण हैं।

भारत का एशिया के देशों से सम्बन्ध —भारत एक एशियाई देश है
 और इसका एशिया के अन्य देशों से सम्बन्ध हजारों वर्ष पुराना है। स्वतन्त्रता
 के पश्चात् भारत का अथ एशियाई देशों से मध्य अत्यन्त धनिकृत तथा मित्रतापूर्ण
 हुआ गया है। इन कथन का केवल मात्र पाकिस्तान एक अपवाद है। हमारे इन
 एशियाई देशों से सम्बन्ध राजनीति सांस्कृतिक तथा आर्थिक हैं। एशिया में
 उत्तर में रूसी भाग को छोड़ कर भारत तथा चीन दो ही विशाल क्षेत्र हैं। चीन
 की आधुनिक काठ मभारत की ही भांति पश्चिमी साम्राज्यवाद द्वारा उत्पीड़ित
 रहा है। यद्यपि मन् १९१८ में चीनी गणतंत्र की स्थापना हो गई थी तथापि चीन
 की पूर्ण एकता तथा एक केंद्रीय संगठित सरकार की स्थापना वहाँ वास्तव में २१
 अक्टूबर १९४९ से हुई जब राष्ट्रपति माओ जे तुंग ने चीनी जनवादी गणतंत्र की
 घोषणा की। एशिया के अन्य देश भी या तो विदेशियों के आधिकार में थे या विदेश
 शक्तियों के प्रभाव में थे। उदाहरणार्थ हिन्द एशिया इन्डो-साम्राज्य का भाग था हिन्द
 चीन में फ्रांसीसी आधिपत्य था बर्मा अंग्रेजों के अधीन था अथवा राज्या में इंग्लैंड
 तथा फ्रांस का इतना अधिक प्रभाव था कि उनकी स्वतन्त्रता कबल नाम मात्र
 था। अफगानिस्तान तथा फारस स्वतन्त्र व लडिन उनका प्रभाव सीमित
 था। परन्तु द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् जपान की पराजय होने पर मध्य एश
 स्वतन्त्रता की लहर व्याप्त हुई। एशिया के कई देश स्वतंत्र हो गये तथा कुछ
 देशों में स्वतन्त्रता संग्राम प्रारंभ हो गये। सम्पूर्ण एशिया में राष्ट्रवादी आन्दोलन
 जागृत उठने लगे। इन आन्दोलनों के फलस्वरूप एशिया के राष्ट्रों में आत्म-निरपेक्ष
 जगता तथा व वास्तव में अपनी आन्तरिक तथा बाह्य नीतियों में स्वतंत्र रूप में
 काम करने का दृष्टान्त हुए। साम्राज्यवाद इस स्थिति का तटस्थ रूप से नहीं देखा
 गया था इंग्लैंड इस आन्दोलन का रोकने के लिये साम्राज्यवादी देशों ने
 प्रयत्न किये। इसके साथ ही साथ इन आन्दोलनों का एक साम्यवादी माह देने

का भी प्रयत्न किया गया। परन्तु वास्तव में ये आन्दोलन मुख्यतः राष्ट्रवादी थे यद्यपि साम्यवादियों ने इस अवसर का लाभ अपनी प्रभाव-विस्तार करने के लिये किया। जिन देशों में साम्यवादियों ने स्वतन्त्रता आन्दोलन का समर्थन किया वहाँ उनके प्रभाव में वृद्धि हुई, इसमें कोई सन्देह नहीं। उदाहरणार्थ, उत्तरी वियतनाम में जो सरकार स्थापित हुई है वह साम्यवादी दल के नेतृत्व में ही है। इसी प्रकार हिन्द एशिया में भी साम्यवादी दल काफी प्रभावशील है।

भारतवर्ष ने अपनी स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अन्य एशियाई देशों में जो मुक्ति आन्दोलन चल रहे थे उन्हें नैतिक सहायता प्रदान की। भारत जैसा हम पहले बतला चुके हैं अपनी नीति में साम्राज्य विरोधी है। हमारी सरकार के एशिया के अन्य देशों का सरकारों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध है। हमने एशिया की आवाज को संगठित करने का प्रयत्न किया। भारत की यह नीति है कि एशिया के देश अपनी नीति में वदक्ष्य रहें तथा वे किसी बड़े राष्ट्र के विरुद्ध लड़ने न हो जायें। इसलिये भारत ने एशियाई देशों में सम्मेलन भी आयोजित किये। इन सम्मेलनों का यह उद्देश्य था कि ये देश अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के ऊपर विचार-विमर्श करें। इन सम्मेलनों में सबसे मुख्य सम्मेलन बांग्देश सम्मेलन था। यह सम्मेलन अप्रैल सन् १९५५ में हिन्द-एशिया में बांग्देश नामक स्थान में हुआ। इसमें अफ्रीका के देश भी सम्मिलित थे। इस सम्मेलन के द्वारा संगठित रूप से इन राष्ट्रों की नीति संसार के अन्य राज्यों के सम्मुख रखी गयी।

संक्षेप में हम भारत के अन्य प्रमुख एशियाई देशों से सम्बन्धों का वर्णन करते हैं—

भारत तथा चीन :—चीन से हमारे देश का सम्बन्ध प्राचीन काल से ही बना आ रहा है। आधुनिक काल में चीन तथा भारत दोनों ही पारस्विकता-साम्राज्य द्वारा उत्पीड़ित राष्ट्र रहे हैं। इसलिये स्वभावतः दोनों देशों के मध्य परस्पर एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण भावना है। यद्यपि चीन की राजनैतिक तथा आर्थिक व्यवस्था हमसे भिन्न है तथा भारत की सरकार साम्यवाद का विरोध करती है तथा उस देश से हमारे सम्बन्ध अत्यन्त ही मित्रतापूर्ण हैं। एशियाई सम्मेलनों में दोनों देशों ने मिलजुलकर काम किया है। एशिया के प्रति नीति में दोनों देशों में समानता है। दोनों देश विश्व शान्ति के समर्थक हैं तथा साम्राज्यवाद के विरोधी हैं। भारत के प्रधान मन्त्री ने चीन की यात्रा की तथा चीनी प्रधान मन्त्री भारत आ चुके हैं। दोनों देशों के मध्य केवल

राजनीतिक सम्बन्ध ही नहीं स्थापित हुये हैं, यद्यपि सांस्कृतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध भी बढ़ रहे हैं। भारत मतलब प्रयत्नशील है कि सयुक्त राष्ट्रसंघ में जनवादी चीन को अपना न्यायाचित स्थान प्राप्त हो। चीन में हमारे देश को कोई प्रतिद्वन्द्विता नहीं है। परन्तु इस वर्ष तिब्बत के प्रश्न के ऊपर दोनों देशों के दृष्टिकोणों में भेद होने के कारण उनके पारस्परिक सम्बन्धों में कुछ लिखाप आ गया है। परन्तु आशा है यह शीघ्र दूर हो जायगा।

भारत तथा बर्मा — बर्मा से भी भारत के सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। आधुनिक में बर्मा पर भी अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तथा यह १९३७ तक भारत का ही एक भाग था। परन्तु उस वर्ष बर्मा भारत से अलग कर दिया गया। द्वितीय महायुद्ध के काल में बर्मा में जापानी प्रवेश कर गए। महायुद्ध के पश्चात् बर्मा में स्वतन्त्रता के लिये लहर उठी तथा जनवरी सन् १९४८ में बर्मा एक स्वतन्त्र राज्य हो गया। स्वतन्त्र भारत तथा बर्मा में पनपठ सम्बन्ध प्रारम्भ से ही रहे हैं। बर्मा के प्रधान मंत्री थी यू नू भारत आ चुके हैं और भारत के प्रधान मंत्री बर्मा हो आए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बर्मा भी भारत की ही भाँति तटस्थता का नीति का अनुसरण करता है तथा साम्राज्यवादी नीति का विरोधी है।

भारत तथा हिन्द चीन — हिन्द चीन से भी भारत के राजनीतिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। आधुनिक काल में इस प्रदेश के ऊपर फ्रांस ने अपना आधिपत्य जमा लिया। परन्तु द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् यहाँ के निवासियों ने स्वतन्त्रता के लिए कठिबद्ध होकर युद्ध किया। इस युद्ध के फलस्वरूप उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना हुई। उत्तरी वियतनाम साम्यवादी प्रभाव में है। इन स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना में भारत ने बड़ी सहायता की थी। जेनेवा सम्मेलन द्वारा इस प्रदेश में युद्ध की समाप्ति हुई थी। दोनों राज्यों से भारत के सम्बन्ध अच्छे हैं। उत्तरी वियतनाम के राष्ट्रपति डा० हो ची मिन्ह भारत आ चुके हैं। •

भारत तथा हिन्देशिया — दक्षिण पूर्वी एशिया के नये राज्यों में हिन्देशिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हिन्देशिया राज्य की रचना कुछ द्वीपों के मिलने से हुई है। इन संकडों द्वीपों में चार द्वीप मुख्य हैं—जावा, सुमात्रा, मेण्डोस तथा काओमाटन हैं। हिन्देशिया के द्वीपों में अब साम्राज्यवादियों ने अपना आधिपत्य आधुनिक काल में जमा लिया था और इन द्वीपों के प्राकृतिक सधनों का उनके द्वारा शोषण किया गया। परन्तु द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् हिन्देशिया की जनता ने सघर्ष के फलस्वरूप अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त की। हिन्दे-